सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

आंतरिक सुरक्षा, राज्य, गृह, जम्मू और कश्मीर
तथा सीमा प्रबंधन विभाग
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय-I गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-4
अध्याय-II आंतरिक सुरक्षा	5-40
अध्याय-III सीमा प्रबंधन	41-62
अध्याय-IV केन्द्र-राज्य संबंध	63-66
अध्याय-V देश में अपराध परिदृश्य	67-80
अध्याय-VI मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता	81-94
अध्याय-VII संघ राज्य क्षेत्र	95-132
अध्याय-VIII पुलिस बल	133-172
अध्याय-IX अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं	173-212
अध्याय-X आपदा प्रबंधन	213-230
अध्याय-XI अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	231-242
अध्याय-XII महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं	243-256
अध्याय-XIII विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	257-270
अध्याय-XIV भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	271-286
अध्याय-XV विविध विषय	287-298
अनुलग्नक	299-336

अध्याय I

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II–"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन, संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है, उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी का आदान–प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित संघटक विभाग हैं:–

- **आंतरिक सुरक्षा विभाग,** भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, प्रतिकूल विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों, आतंकवादियों के वित्तपोषण, पुनर्वास, वीजा प्रदान करने और अन्य आप्रवासन संबंधी मामले और सुरक्षागत स्वीकृति प्रदान किए जाने आदि संबंधी कार्य देखता है;

- **राज्य विभाग,** केंद्र–राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, मानवाधिकार, कारागार सुधार, पुलिस सुधार आदि संबंधी मामले देखता है;

- **गृह विभाग,** राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति/त्यागपत्र संबंधी अधिसूचना, राज्य सभा/लोक सभा में नामांकन, आबादी की जनगणना और जन्म–मृत्यु पंजीकरण आदि का कार्य देखता है;

- **जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग,** जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है;

- **सीमा प्रबंधन विभाग,** तटवर्ती सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा चौकसी को सुदृढ़ करने और संबंधित आधारभूत ढांचे का सृजन करने, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास आदि का कार्य देखता है;

- **राजभाषा विभाग,** राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है।

1.3 आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग तथा सीमा प्रबंधन विभाग, पृथक–पृथक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये सभी विभाग, केंद्रीय गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के लिए भी एक पदनामित सचिव हैं। राजभाषा विभाग में पृथक रूप से एक सचिव हैं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में राजभाषा विभाग के कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

1.4 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग को छोड़कर) में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों,

विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना **अनुलग्नक-I** में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

1.5 गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.6 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करना और पूर्वता अधिपत्र, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को देखना है। प्रशासन प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है।

सीमा प्रबंधन प्रभाग

1.7 यह प्रभाग, तटीय सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, विधिक, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किए जाने संबंधी मामलों और सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों, सीमा चौकियों(बी ओ पी), सड़कों का निर्माण करने/बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसी आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी मामलों को देखता है।

समन्वय प्रभाग

1.8 यह प्रभाग मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, रिकार्ड प्रतिधारण समय-सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर- वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, आंतरिक कार्य अध्ययन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत किए जाने आदि संबंधी कार्य करता है।

केंद्र- राज्य प्रभाग

1.9 यह प्रभाग, केन्द्र-राज्य संबंधों का कार्य देखता है जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले सांविधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर निगरानी रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

आपदा प्रबंधन प्रभाग

1.10 इस प्रभाग का दायित्व विधायन, नीति और क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.11 इस प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण और अनुवीक्षण किए जाने तथा वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों संबंधी कार्य करता है।

विदेशी प्रभाग

1.12 यह प्रभाग, वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

1.13 यह प्रभाग, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

मानवाधिकार प्रभाग

1.14 यह प्रभाग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग

1.15 आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग, विभिन्न गुटों/उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, आतंकवादियों के वित्तपोषण, आतंकवाद से संबंधित नीति और परिचालनात्मक मुद्दों, सुरक्षा स्वीकृति, आई एस आई की गतिविधियों के अनुवीक्षण, आतंकवाद को रोकने के संबंध में गृह सचिव स्तरीय वार्ता संबंधी मामलों को देखता है।

1.16 आन्तरिक सुरक्षा–II प्रभाग हथियारों और विस्फोटकों, प्रत्यर्पण, स्वापक और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू और कश्मीर प्रभाग

1.17 यह प्रभाग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित सांविधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

न्यायिक प्रभाग

1.18 यह प्रभाग, भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूतपूर्व शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका से संबंधित मामलों को भी देखता है।

नक्सल प्रबंधन प्रभाग

1.19 मंत्रालय में इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 19 अक्तूबर, 2006 को किया गया था। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्वों में सुधार करना है। यह प्रभाग, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर प्रभाग

1.20 यह प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस प्रभाग

1.21 पुलिस–I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुकरणीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

1.22 पुलिस–II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

1.23 यह प्रभाग, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के

आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस सुधार आदि से संबंधित कार्य करता है।

नीति नियोजन प्रभाग

1.24 यह प्रभाग सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठकों, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, द्विपक्षीय सहायता संधियों के बारे में नीति निर्धारण और सम्बन्धित कार्यमदों और अति विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित कार्य देखता है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग

1.25 यह प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस)/भारतीय पुलिस सेवा(आई पी एस) के अरूणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (ए जी एम यू टी) और दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/ दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण का कार्य भी देखता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

◆◆◆

अध्याय II आंतरिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

2.1.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति स्थूल रुप से निम्नलिखित से संबंधित है:

(i) देश के भीतरी भागों में आतंकवाद

(ii) जम्मू एवं कश्मीर

(iii) पूर्वोत्तर राज्य

(iv) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य

2.1.2 वर्ष 2013 में भीतरी भागों में आतंकवाद अधिकांशतः नियंत्रण में रहा। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, बम विस्फोट की चार (04) घटनाएं, हैदराबाद (21.02.2013), बेंगलुरु (17.04.2013), बोध गया (07.07.2013) और पटना (27.10.2013) में हुई। बेंगलुरु और बोध गया में हुई बम विस्फोट की घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। तथापि, हैदराबाद में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में 17 और पटना में हुए बम विस्फोट में 6 व्यक्ति मारे गए थे।

2.1.3 जम्मू एवं कश्मीर में भौगोलिक रुप से तीन अलग क्षेत्र अर्थात जम्मू का मैदानी भाग, कश्मीर घाटी और लद्दाख के पठार शामिल हैं। जम्मू एवं कश्मीर लगभग दो दशकों से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जम्मू एवं कश्मीर के भीतरी भागों में आतंकवादी हिंसा और मुठभेड़ का स्तर विकट रुप से सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास से जुड़ा है। तथापि, वर्ष 2000 से जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है और वर्ष 2012 और 2013 में राज्य में हिंसा के सभी पैरामीटरों में काफी कमी देखी गई है।

2.1.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक–आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का 8% भूभाग और राष्ट्रीय जनसंख्या का 4% शामिल है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सुरक्षा की स्थिति, जो विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा समर्थित विभिन्न मांगों के कारण काफी समय से जटिल है, में वर्ष 2012 और 2013 के दौरान समग्र रुप से सुधार हुआ है, सिवाय मेघालय के, जहां अधिकांशतः जबरन वसूली और अपहरण के मामलों के कारण हताहतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

2.1.5 वामपंथी उग्रवादी हिंसा के साथ–साथ परिणामी हत्याओं में कमी की प्रवृत्ति, जो वर्ष 2011 में आरंभ हुई थी (1,760 घटनाएं/611 मौतें) वर्ष 2013 (1,136 घटनाएं/397 मौतें) में जारी रही। तथापि, चालू वर्ष (दिनांक 30.04.2014 तक) में वामपंथी हिंसा में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान, वर्ष 2013 की तदनुरुपी अवधि में 395 घटनाओं और 122 मौतों (85 सिविलियन और 37 सुरक्षा कर्मी) की तुलना में 429 घटनाओं और 137 मौतों (89 सिविलियन और 48 सुरक्षा कर्मी) की सूचना दी गई है। यह वर्ष 2013 की तदनुरुपी अवधि की तुलना में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 8.6% और परिणामी मौतों में 12.3% की वृद्धि दर्शाता है। इस संबंध में, यह देखा गया है कि चालू वर्ष में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में हुई समग्र वृद्धि काफी हद तक आम चुनाव से संबंधित वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की वजह से हुई है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह को दीर्घावधिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हिंसा की मात्रा में होने वाली अल्पावधिक घट–बढ़ एक पुनरावर्ती स्थिति है।

जम्मू और कश्मीर

सिंहावलोकन

2.2.1 विगत वर्षों की तुलना में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए हैं। कश्मीर घाटी में सीमा पार से घुसपैठ के स्तर और इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी क्रियाकलापों में काफी गिरावट आई है। आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, जो वर्ष 2010 में 488, 2011 में 340 और वर्ष 2012 में 220 से वर्ष 2013 में कम होकर 170 हो गई। वर्ष 2014 (दिनांक 31.03.2014 तक) के दौरान आतंकवादी हिंसा की घटनाओं की संख्या 46 है।

सुरक्षा की स्थिति

2.2.2 जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) लगभग दो दशकों से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जे एंड के में उग्रवाद शुरु होने (वर्ष 1990 में) से लेकर अब तक 13,880 सिविलियन और 4,879 सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए हैं (दिनांक 31.03.2014 तक)। वर्ष 2005 से आतंकवादी हिंसा के सांख्यिकीय आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दर्शाये गए हैं:–

जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2005	1990	189	557	917
2006	1667	151	389	591
2007	1092	110	158	472
2008	708	75	91	339
2009	499	78	71	239
2010	488	69	47	232
2011	340	33	31	100
2012	220	15	15	72
2013	170	53	15	67
2014 (31.03.2014 तक)	46	04	04	24
कुल	**7220**	**778**	**1378**	**3053**

2.2.3 इस सारणी से पता चलता है कि वर्ष 2013 में विगत वर्ष की तुलना में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 22.72% की प्रत्यक्ष गिरावट आई है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में हताहत हुए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या में 253.33% की वृद्धि हुई है। हताहत हुए सिविलियनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2013 के दौरान लगभग 67 आतंकवादी निष्क्रिय किए गए। यद्यपि वर्ष 2013 के दौरान, कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही, तथापि कानून और व्यवस्था तथा सिविल अशांति की निम्नलिखित बड़ी घटनाएं उल्लेखनीय हैं:–

(i) दिनांक 09.02.2013 को अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की खबर के सार्वजनिक होने के तुरन्त बाद घाटी में स्वतः एवं व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।

(ii) दिनांक 18.07.2013 को जम्मू एवं कश्मीर में रामबन जिले के गूल पुलिस स्टेशन में सीएपीएफ और सिविलियनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए और 41 घायल हुए जिनमें सीएपीएफ कार्मिक भी शामिल हैं।

(iii) किश्तवाड़ जिले के किश्तवाड़ कस्बे में दिनांक 09.08.2013 को हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच

साम्प्रदायिक संघर्ष हुआ, जो आस–पास के क्षेत्रों और जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में फैल गया; और

(iv) दिनांक 11.09.2013 को गगरान, शोपियान में सीआरपीएफ की गोलीबारी में सिविलियन प्रदर्शनकारी की मौत का अलगाववादियों ने जोरदार विरोध किया।

2.2.4 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सुरक्षा की स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और सीमापार से नियंत्रण रेखा से घुसपैठ के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। वर्ष 2005 से जम्मू और कश्मीर में किए गए घुसपैठ के प्रयास निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:–

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (01.01.2014 से 28.02.2014 तक)
कुल	597	573	535	342	485	489	247	264	277	09

2.2.5 तथापि, विगत वर्ष की तुलना में कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान घुसपैठ के प्रयासों में 4.92% की वृद्धि हुई है। तथापि, घुसपैठ के सफल प्रयासों की संख्या में कमी आई है, जो वर्ष 2012 में 121 से वर्ष 2013 में 97 हो गई है।

2.2.6 जे एंड के की सुरक्षा की स्थिति पर जे एंड के के मुख्य मंत्री द्वारा एकीकृत मुख्यालय/कमान में राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की गहन और लगातार मानीटरिंग करता है।

2.2.7 केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार की घुसपैठ रोकने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और बहु–स्तरीय तथा बहु–मॉडल की तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है। राज्य की शांति में बाधा डालने के लिए उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने विभिन्न आतंकवाद रोधी रणनीतियां अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने और स्थानीय युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने से हतोत्साहित करने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है।

2.2.8 सरकार का निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास रहा है:–

(i) सीमा पार के आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत उचित उपाय करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में लम्बे समय से जारी उग्रवाद के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक–आर्थिक समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए; और

(iii) स्थाई शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले सभी वर्गों के लोगों को पर्याप्त अवसवर प्रदान करना और उन्हें प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करना।

2.2.9 राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए, केन्द्र सरकार यथा आवश्यक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता कर रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें सिपाहियों को लाने–ले–जाने में हो रहे व्यय, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम, एअर–लिफ्ट प्रभार, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान–पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) के तहत वर्ष 1989 से दिनांक 31.03.2014 तक 4,447.57 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान

जम्मू और कश्मीर राज्य को दिनांक 31.03.2014 तक 286.80 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

आर्थिक विकास

जम्मू और कश्मीर को केन्द्रीय सहायता

2.2.10 केन्द्र सरकार, चहुंमुखी आर्थिक विकास करने के राज्य सरकार के प्रयासों और लोगों को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार का निरंतर रूप से समर्थन और सहायता करती रही है, जिसमें नियोजित और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। राज्य के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अलावा उत्पादकता में सुधार करने के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है।

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पी एम आर पी)

2.2.11 प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, लगभग 24,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐसी पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी, जिसमें मोटे तौर पर वे परियोजनाएं/स्कीमें शामिल हैं जिनका उद्देश्य रोजगार और आय सृजन के कार्यकलापों पर जोर देते हुए आर्थिक आधारभूत संरचना का विस्तार करना और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से प्रभावित विभिन्न ग्रुपों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में शामिल सभी स्कीमों की वर्तमान अनुमानित लागत 36,418.47 करोड़ रूपए है। वर्ष 2013–14 में पीएमआरपी के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य की योजना में किए गए आवंटन की राशि 600 करोड़ रूपए है।

2.2.12 पुनर्निर्माण योजना–2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है। पी एम आर पी की 67 परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। उक्त 67 परियोजनाओं/स्कीमों में से, 34 परियोजनाएं/स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। पीएमआरपी परियोजनाओं की सूची से दो परियोजनाएं अर्थात "बाहरी सहायता के जरिए वृहत्तर जम्मू के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि एवं सुधार के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट" और "बाहरी सहायता से पूरे राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण" हटा दी गई हैं। शेष 31 परियोजनाओं/स्कीमों में से, 28 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और तीन परियाजनाएं तैयारी की अवस्था में हैं।

2.2.13 कुछ बड़ी परियोजनायें और उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	परियोजना	स्थिति
1.	चुटक हाइड्रो परियोजना (एच ई पी)	चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी) की सभी चारों इकाइयां चालू हो गई हैं।
2.	नीमू–बाजगो एचईपी	यूनिट–I, यूनिट–II और यूनिट–III के सफलतापूर्वक कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 10.10.2013 से इन इकाइयों और केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ हो गया है।
3.	उरी II एचईपी	यूनिट–I और यूनिट–III को क्रमशः दिनांक 25.9.2013 और 27.9.2013 से चालू किया गया था और दिनांक 11.10.2013 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया था। यूनिट–II को दिनांक 16.11.2013 से चालू किया गया था और दिनांक 01.12.2013 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया गया था। यूनिट–IV को दिनांक 02.02.2014 से चालू किया गया और दिनांक 01.03.2014 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया गया है।

4.	समूचे राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने 3,103 गांवों का विद्युतीकरण किया है और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 66,558 परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
5.	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पावर ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण कार्य	73 योजनाओं में से, 43 योजनायें (20 ग्रिड स्टेशन, 20 ट्रांसमिशन लाइनें और 3बे) पूरी हो चुकी हैं।
	सड़क क्षेत्र	
1.	नरबल–तंगमर्ग सड़क	पूरी हो गई है।
2.	मुगल रोड	सड़क को वास्तविक रुप से पूरा किया गया है और जनता द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य चल रहा है।
3.	बटोट–किश्तवाड़ सड़क (एनएच 1 बी)	कार्य प्रगति पर है।
4.	कारगिल से होकर श्रीनगर–लेह सड़क (एन–एच–1 डी) को दो लेन वाली बनाना	
5.	श्रीनगर–उरी–एलओसी सड़क का उन्नयन	
	अन्य क्षेत्र	
1.	जम्मू मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन करके एम्स स्तर की बनाना	मेडिकल कालेज, जम्मू के स्तरोन्नयन का कार्य पूरा हो गया है।

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल (एस आई आई जे एंड के)

2.2.14 जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं हेतु जाब प्लान तैयार करने के लिए डा. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल (एसआईआईआई) की सिफारिश की। इस योजना का उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि में 40,000 स्नातकों, स्नातकोत्तरों, व्यावसायिक डिग्रीधारकों और तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को कौशल प्रदान करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित मानव शक्ति को अच्छे वेतन वाले रोजगार प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और कारपोरेट क्षेत्र द्वारा पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) पद्धति पर किया जा रहा है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित संशोधित मानदंडों के आधार पर, योजना के विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।

2.2.15 इस प्रयोजन के लिए गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पी ए सी) ने 5 वर्षों की अवधि में लगभग 61,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 47 कार्पोरेट घरानों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। दिनांक 31.03.2014 तक, कार्पोरेटों द्वारा लगभग 7,919 उम्मीदवारों का चयन पहले ही कर लिया गया है। इनमें से, लगभग 4,318 उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। चयनित और प्रशिक्षण में शामिल उम्मीदवारों की संख्या में अंतर इसलिए है क्योंकि उनमें से अनेक उम्मीदवारों का चयन एक से अधिक कार्पोरेट द्वारा किया गया था। चयनित उम्मीदवारों में विभिन्न शैक्षिक विधाओं वाले पूरे राज्य के पुरूष एवं महिला दोनों उम्मीदवार शामिल हैं। लगभग 1,451 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पहले ही

पूरा कर लिया है और उनमें से 942 उम्मीदवारों को रोजगार मिल गया है। अन्य कार्पोरेटों में भी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और उनका प्रशिक्षण शीघ्र आरंभ होगा। जून 2013 से पूर्णकालिक सहायता वाली एक हेल्पलाइन चालू की गई है। कार्पोरेट घरानों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी सहायता करने के लिए प्रत्येक कालेज में नोडल अधिकारी और छात्र प्रतिनिधि सहित एक सहायक (बैक–एंड) ढांचे की स्थापना की गई है।

जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य बल

2.2.16 जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकासात्मक जरुरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, जिसमें अवसंरचना की कमियों और उचित सिफारिशें करने का विशेष संदर्भ निहित हैं, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः योजना आयोग के सदस्य डा. अभिजीत सेन और योजना आयोग के सदस्य डा. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में दो विशेष कार्य बलों (एसटीएफ) का गठन किया गया था। एसटीएफ ने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए कुल क्रमशः 497 करोड़ रूपए और 416 करोड़ रूपए की लागत वाली अल्पावधिक परियोजनाओं की सिफारिश की थी। वित्तीय वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान एसटीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 250 करोड़ रूपए और 300 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

2.2.17 योजना आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए राज्य योजना में जम्मू, लेह और कारगिल के लिए क्रमशः 70.00 करोड़ रूपए, 35.00 करोड़ रूपए और 35.00 करोड़ रुपए के आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया गया था। अधिकांश परियोजनाओं पर कार्य शुरु हो गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान 73.07 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और मार्च, 2014 तक, चालू परियोजनाओं पर 468.98 करोड़ रूपए का संचयी व्यय हो चुका है।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

2.2.18 जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा/उग्रवाद की वजह से, विशेषकर इसके पहले दौर में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर जबरन प्रवास हुआ। एक वृहत् नीतिगत ढांचे के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को इस आधार पर सहायता एवं मदद उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता/राहत तथा अन्य पहलों के माध्यम से विगत वर्षों से कई उपाय किए गए हैं ताकि जो लोग प्रवास कर गए हैं, वे आखिरकार घाटी में लौट आएंगे।

2.2.19 कुल 59,442 कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं, जिसमें से 38,119 परिवार जम्मू में, 19,338 परिवार दिल्ली में और 1,985 परिवार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं। जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार, जम्मू क्षेत्र में रह रहे 17,248 पात्र परिवारों को अधिकतम 6,600 रूपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1,650 रूपए की नगद राहत और सूखा राशन प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी 3,385 पात्र परिवारों को 6,600 रूपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1,650 रूपए की नगद राहत दे रही है। अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को उनके द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुरूप प्रवासियों को राहत प्रदान कर रहे हैं।

2.2.20 प्रधान मंत्री की घोषणा और अंतर–मंत्रालयी टीम (आई एम टी) की सिफारिशों के अनुसार, दो कमरे वाले 5,242 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सभी फ्लैट पात्र प्रवासी परिवारों को आबंटित किए जा चुके हैं।

2.2.21 कश्मीरी प्रवासियों की वापसी को सुकर बनाने के लिए, प्रयोगात्मक आधार पर बडगाम जिले के शेखपुरा में 200 फ्लैटों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों का आबंटन साझा आधार पर घाटी से प्रवास न करने वाले 31 स्थानीय कश्मीरी प्रवासी परिवारों और प्रधानमंत्री के पैकेज के रोजगार संघटक के तहत घाटी में आने वाले प्रवासियों को किया गया है।

कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधान मंत्री का पैकेज –2008

2.2.22 उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने दिनांक 25.04.2008 को जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, अन्य बातों के साथ–साथ, घाटी में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं पुनर्वास के लिए

1,618.40 करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में आवास, अस्थाई निवास, नगद राहत की निरन्तरता, छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, रोजगार, कृषकों/बागवानी करने वालों को सहायता तथा ऋणों पर ब्याज की माफी के लिए सहायता का प्रावधान शामिल है।

2.2.23 राज्य सरकार ने पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जम्मू व कश्मीर के राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में सितम्बर, 2009 में एक शीर्ष सलाहकार समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने कश्मीर के प्रवासी बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त पदों (केन्द्रीय वित्तपोषण) का सृजन किया है। 1,446 युवा प्रवासी घाटी में पहले ही अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय में कुछ मुकदमों के कारण चयन प्रक्रिया में देरी हुई। जैसाकि दिनांक 04.04.2014 को राज्य सरकार द्वारा बताया गया है, सेवा चयन बोर्ड ने 28 जेई, ड्राफ्टमैन की अंतिम चयन सूची जारी की है। बोर्ड ने कनिष्ठ सहायकों हेतु पात्र उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट भी लिया है। चतुर्थ श्रेणी के 111 पदों का इंटरव्यू भी लिया गया है।

2.2.24 दिनांक 04.04.2014 को राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बेस्सु बारामुला, पुलवामा और कुपवाड़ा में 505 अस्थायी आवासीय यूनिटों में से, 469 यूनिटों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। बेस्सु में 36 यूनिटों को अभी पूरा किया जाना है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को साझा आधार पर पूर्ण यूनिटों का आबंटन किया गया है।

2.2.25 भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान एसआरई (आरएंडआर) के तहत 151.87 करोड़ रूपए की राशि की प्रतिपूर्ति की है।

2.2.26 उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने उग्रवाद से प्रतिकूल रूप से पीड़ित विधवाओं, अनाथों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1995 में एक परिषद का गठन किया था। इस परिषद का पंजीकरण, जम्मू और कश्मीर में विधवा, अनाथ, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों (उग्रवाद से पीड़ित) के 'पुनर्वास परिषद' के नाम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में किया गया है। भारत सरकार भी स्कीम के अंतर्गत समय–समय पर कारपस/अनुदान के रूप में जे एंड के पुनर्वास परिषद को सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान, 3,598 विधवाओं, 1,806 अनाथों, 2,210 वृद्ध व्यक्तियों और 1,087 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों, वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

लाख रूपए में

	विधवाओं को पेंशन			**वृद्ध लोगों को पेंशन**			**शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन**			**अनाथों को छात्रवृत्ति**	
	गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि	शामिल विधवाओं की संख्या	व्यय	गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि	शामिल वृद्ध लोगों की संख्या	व्यय	गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि	शामिल शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या	व्यय	शामिल अनाथों की संख्या	व्यय
2011–12	0	3589	105.23	0	2207	68.2	0	1024	26.65	1826	162.01
2012–13	178.84	3660	108.14	81.98	2400	69.02	31.01	997	26.11	1921	173.11
2013–14	114.84	3598	107.36	74.18	2210	66.24	28.15	1087	33.18	1806	129.12

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2008–09 में 19.00 करोड़ रुपए की कारपस निधि जारी की थी। इस राशि पर अर्जित ब्याज से व्यय को पूरा किया जा रहा है।

नियंत्रण रेखा पार के लोगों का एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना (विश्वास निर्माण के उपाय)

2.2.27 भारत सरकार ने नियंत्रण रेखा पार तथा जम्मू एवं कश्मीर के लोगों का एक–दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न उपाय शुरु किए हैं। इन उपायों में नियंत्रण रेखा पार यात्रा और नियंत्रण रेखा पार व्यापार शामिल हैं। इन दोनों पहलों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

नियंत्रण रेखा पार यात्रा

2.2.27.1 दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर–मुजफ्फराबाद मार्ग पर पाक्षिक बस सेवा शुरु की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ–रावलकोट मार्ग पर ऐसी सेवा शुरु की गई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से विश्वास निर्माण के इस उपाय पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों मार्गों की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 08.09.2008 और 11.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था। दिनांक 31.03.2014 तक जिन यात्रियों (भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक) ने श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर इन सेवाओं का लाभ उठाया, उनकी संख्या क्रमशः 8,414 और 11,019 है।

2.2.27.2 भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की दिनांक 08.09.2012 को हुई बैठक के दौरान, नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से यात्रा को और सहज बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए थे। इसके अलावा, इसमें पर्यटन और तीर्थ यात्रा के लिए नियंत्रण रेखा पार की यात्रा का विस्तार किया जाना शामिल था। पाकिस्तान के साथ सहमत उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है।

जम्मू एवं कश्मीर के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार

2.2.27.3 दिनांक 23.09.2008 को 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय भारत के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरु किया जाए। तदनुसार, श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर 21 अनुमोदित मदों का शुल्क मुक्त व्यापार दिनांक 21.10.2008 से शुरु हुआ। दिनांक 31.03.2014 तक, इन दो मार्गों से 24,764 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए और 19,361 ट्रक सीमा पार कर भारत आए। पुंछ–रावलकोट मार्ग पर भी नियंत्रण रेखा व्यापार दिनांक 21.10.2008 से आरंभ हो चुका है। दिनांक 30. 09.2013 तक, 8,184 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए हैं और 6,441 ट्रक सीमा पार करके हमारी ओर आए हैं।

2.2.27.4 दिनांक 08.09.2012 को हुई भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बैठक के दौरान, नियंत्रण रेखा पार व्यापार को सहज बनाने के लिए कुछ और नई पहलें की गई हैं। इनमें परिवहन सम्पर्कों का उन्नयन, कारोबार प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान आदि शामिल है। सहमत उपायों के कार्यान्वयन के तौर–तरीके निर्धारित किए जा रहे हैं।

युवा विनिमय कार्यक्रम

2.2.28 गृह मंत्रालय, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करके युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि जम्मू और कश्मीर के युवाओं को देश के अन्य भागों में हो रही विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराया जा सके। इस वर्ष, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद ने "वतन को जानो" कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के रुप में अधिकांशतः उन बच्चों की पहचान की है, जो उग्रवाद के पीड़ित हैं और जम्मू एवं कश्मीर के समाज के कमजोर वर्गों से हैं। इस कार्यक्रम के तहत 15–20 वर्ष की आयु के शिक्षित युवाओं के एक समूह ने दिनांक 21.02.2013 से 04.03.2013 तक देश के विभिन्न भागों

का दौरा किया और उन्हें देश की विविध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया गया। इसी प्रकार, जम्मू और कश्मीर राज्य में उग्रवाद से प्रभावित परिवारों के 200 बच्चों ने दिनांक 27.12.2013 से 15.01.2014 तक आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भाग लिया।

जम्मू और कश्मीर की अद्यतन स्थिति

2.2.29 राज्य में हो रहे सकारात्मक विकास कार्यों को दर्शाने के लिए अक्तूबर, 2009 में आरंभ की गई "जम्मू और कश्मीर की अद्यतन स्थिति" नामक एक मासिक समाचार पत्रिका गृह मंत्रालय की एक विशेष पहल है। पत्रिका में राज्य के सभी तीन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें लोगों की उपलब्धियों पर जोर दिया गया है। पत्रिका की साफ्ट प्रति गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर उपलब्ध है और इसे (www.jammuandkashmirupdate.com) पर भी देखा जा सकता है।

अमरनाथ यात्रा

2.2.30 इस वर्ष, दिनांक 28.06.2013 से यात्रा शुरु हुई और दिनांक 21.08.2013 को संपन्न हुई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा शांतिपर्वूक सम्पन्न हो, आधार शिविरों और मार्ग में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की मदद एवं सहायता के लिए केन्द्रीय सशस्त्र बलों की 90 कम्पनियां उपलब्ध कराईं। इस वर्ष की 50 दिन की यात्रा के दौरान, कुल 3,53,969 तीर्थ यात्रियों ने श्राइन के दर्शन किए, जबकि वर्ष 2012 में 39 दिन की यात्रा के दौरान 6,21,145 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे।

2.2.31 वर्ष 2013 की यात्रा में कमी को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:

(i) उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा;

(ii) तीर्थयात्रा को संभावित आतंकवादी खतरे के परिणामस्वरूप जनता के मस्तिष्क में उत्पन्न आशंकाएं; और

(iii) राज्य पुलिस द्वारा आगमन नियंत्रण लागू करना जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वैध यात्रा परमिट न रखने वाले तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा के मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

2.2.32 तथापि, इस वर्ष चिकित्सा संबंधी कारणों की वजह से तीर्थ यात्रियों की मौतों की संख्या में गिरावट पाई गई, जो वर्ष 2012 की यात्रा में 89 की तुलना में वर्ष, 2013 की यात्रा में 13 थी।

पूर्वोत्तर

2.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई), जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक–आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का 8% भूभाग और राष्ट्रीय जनसंख्या का 4% शामिल हैं। इस क्षेत्र की कुल 6,387 किमी. सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है (जो इस क्षेत्र की सीमा का 99% है), जो बांग्लादेश (2,700 किमी), म्यांमार (1,643 किमी.), चीन (1,345 किमी.) और भूटान (699 किमी.) के साथ लगी हुई है।

2.3.2 पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सुरक्षा की स्थिति, जो विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा समर्थित भिन्न मांगों के कारण काफी समय से जटिल रही है, में हिंसा की घटनाओं और सिविलियनों तथा सुरक्षा बलों के हताहत होने के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013 में सुधार हुआ है। पिछले सात वर्षों के दौरान कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति नीचे दी गई है:—

वर्ष 2007 से 2014 (दिनांक 31.03.2014 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन
2007	1489	1837	514	524	79	498
2008	1561	2566	640	1112	46	466
2009	1297	2162	571	1109	42	264
2010	773	2213	247	846	20	94
2011	627	2141	114	1122	32	70
2012	1025	2145	222	1195	14	97
2013	732	1712	138	640	18	107
2014 (31.03.2014 तक)	200	421	38	71	04	36

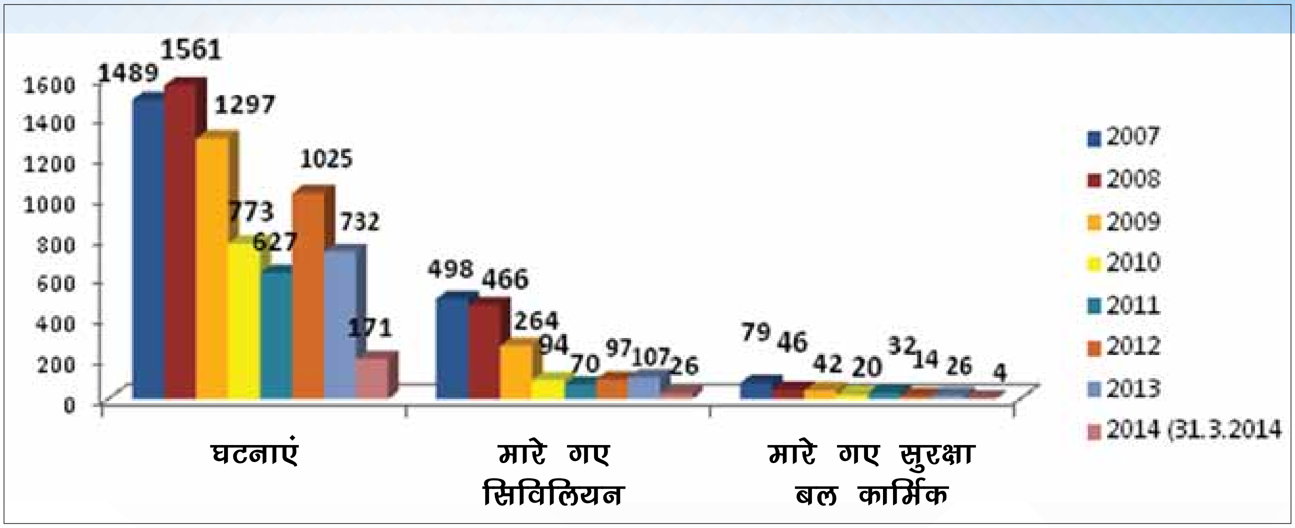

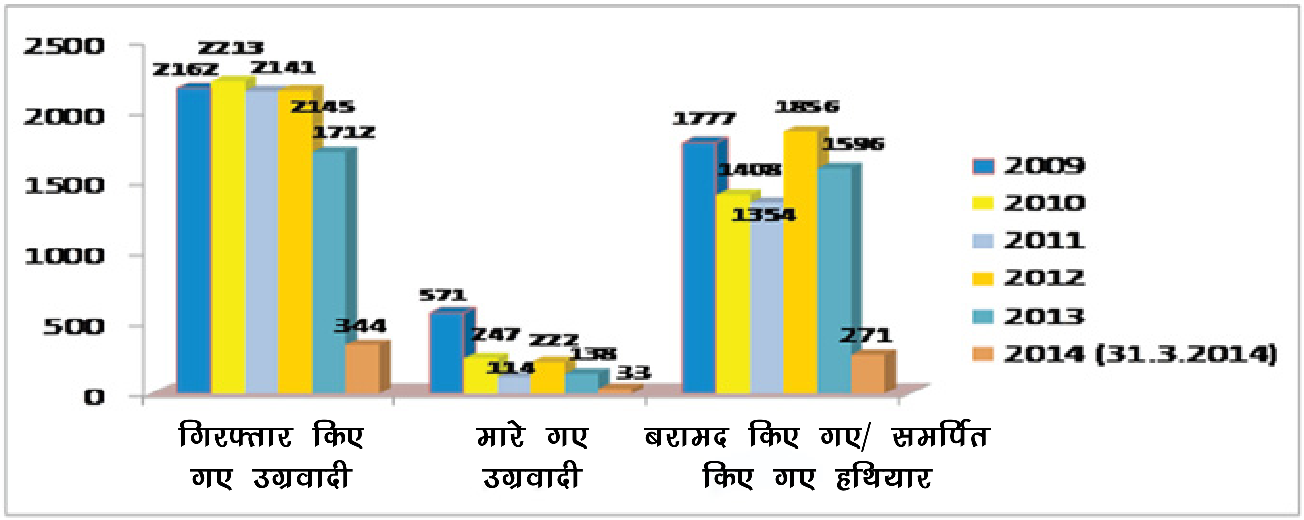

2.3.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद से संबंधित हिंसा की अधिकांश घटनाएं असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में जारी रहीं। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में शांति बनी रही। अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान (दिनांक 31.03.2014 तक) हिंसा की स्थिति के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

2.3.4 गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अन्तर्गत संम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के कुछेक भाग "संरक्षित क्षेत्र" थे। सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत 'प्रतिबंधित क्षेत्र' घोषित किया गया है। विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अनुसार, केन्द्र सरकार अथवा इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के तहत और इसके अनुसार जारी परमिट के अलावा कोई भी विदेशी ऐसे किसी संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसमें नहीं ठहरेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पीएपी/आरएपी प्रणाली में छूट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मणिपुर, मिजोरम

और नागालैण्ड राज्यों के समग्र क्षेत्र को कुछ शर्तों के अध्यधीन विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र प्रणाली से बाहर रखा गया है।

अरूणाचल प्रदेश

2.3.5 अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर सामान्य रुप से वातावरण शांतिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई स्वदेशी विद्रोही समूह नहीं है। राज्य में तिरप और चांगलांग जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/इसाक मुइवाह (एनएससीएन/आईएम), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खोले (एनएससीएन/केके) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खापलांग (एनएससीएन/के) के नागालैंड में स्थित यूजी दलों के नागा विद्रोहियों की आतंकवादी गतिविधियां और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के अलावा असम में स्थित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की गतिविधियां फैली हुई हैं। एनडीएफबी और उल्फा के कैडर असम और म्यांमार की सीमा वाले राज्यों में (शरण/अस्थायी आवास हेतु) भी आते जाते हैं। ये उग्रवादी समूह जबरन धन वसूली के माध्यम से, मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए राज्यों की राजनैतिक/आर्थिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करते रहे हैं। एनएससीएन दल अपने कैडरों की जबरन भर्ती में भी शामिल रहा है।

2.3.6 सरकार तिरप और चांगलांग जिलों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के साथ–साथ पुलिस संगठन के उन्नयन हेतु एक कार्य–योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्य योजना के अंतर्गत नए पुलिस स्टेशनों के गठन और इन नए गठित पुलिस स्टेशनों के लिए भवनों के निर्माण, पुलिस कार्मिकों की भर्ती और हथियारों, गोला–बारुद और वाहनों आदि की अधिप्राप्ति जैसे कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस प्रयोजन के लिए 138.95 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को 52.65 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

असम

2.3.7 असम में हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर वर्ष 2010 के शुरु से सुरक्षा की स्थिति में वर्ष–दर–वर्ष मामूली अंतर के साथ सुधार हुआ है। असम राज्य में इस समय सक्रिय मुख्य उग्रवादी समूहों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम – (वार्ता–विरोधी गुट), (उल्फा–एटी), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड – (वार्ता–विरोधी गुट), (एनडीएफबी–एटी) शामिल हैं। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत उल्फा और एनडीएफबी को गैर–कानूनी संघों के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) और करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी) असम के करबी आँगलोंग जिले में सक्रिय हैं।

2.3.8 दिनांक 12.02.2013 को गोलपाड़ा जिले में पंचायती चुनाव (तीसरा चरण) के दौरान उस समय हिंसा की घटनाएं हुईं, जब बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने कई स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ–साथ मतदान कर्मियों पर हमला किया। 25 सुरक्षा कर्मी और 10 मतदान कर्मी घायल हुए। छह स्थानों पर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को गोलीबारी करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप 14 लोगों की मौत हो गई। अन्य 7 लोगों की मौत आपसी झगड़ों के कारण हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने घटनाओं की जांच करने के लिए न्यायाधीश श्री पी.सी. फुकन की अध्यक्षता में एकल व्यक्ति वाले न्यायिक आयोग का गठन किया है। नौ मामले दर्ज किए गए हैं और 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

2.3.9 इस समय यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) – वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय बातचीत चल रही है। इस गुट के साथ बातचीत करने के लिए श्री पी.सी. हलधर, वार्ताकार को नियुक्त किया गया है। उल्फा के साथ बातचीत में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उनकी मांगों पर भी विचार–विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में तत्कालीन केन्द्रीय गृह सचिव श्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2013 को असम सरकार

और उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। उल्फा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अरविन्द राजखोवा (अध्यक्ष, उल्फा) ने किया। अन्य मुद्दों के साथ–साथ उल्फा नेताओं ने अनुरोध किया कि सीमा–पार से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत–बांग्लादेश सीमा की प्रभावी रक्षा करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय गृह सचिव ने आश्वासन दिया और कहा कि सरकार अवैध आगमन को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले से ही किए गए उपायों से सीमापार से अवैध घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। केन्द्रीय गृह सचिव ने उल्फा प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत की प्रगति की समीक्षा की। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद यह देखा गया कि वार्ताएं समाधान के निकट हैं और शीघ्र ही अंतिम निष्कर्ष निकल जाएगा।

2.3.10 क्षेत्र के तेजी से सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु विशेष पैकेज के साथ करबी अंगलोंग में विद्यमान स्वायत्त परिषद को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने वाले दिनांक 25.11.2011 को यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी (यूपीडीएस) के साथ हस्ताक्षरित समाधान समझौता (एमओएस) की विभिन्न शर्तों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.07.2013 को एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। दिसम्बर, 2011 में यूपीडीएस का विघटन हो गया।

2.3.11 असम में नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त परिषद हेतु अधिक स्वायत्तता और क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी प्रदान करने वाले दिनांक 8.10.2012 को दीमा हलम दवगाह (डीएचडी/एन) और डीएचडी (जोइल गरलोसा) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की विभिन्न शर्तों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 10.07.2013 को एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। डीएचडी (जे) और डीएचडी (एन) दोनों संगठनों का विघटन हो गया है।

2.3.12 इस समय नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी/प्रगतिशील एवं रंजन दायमारी) के साथ त्रिपक्षीय बातचीत चल रही है। इस समूह के साथ बातचीत करने के लिए श्री पी.सी. हलदर, वार्ताकार को नियुक्त किया गया है। उनकी मांगों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 12.09.2013 और 20.02.2014 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (प्रगतिशील) के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं। इस बैठक में कार्रवाई स्थगन (एसओओ) व्यवस्था के कार्यकरण और सहमत बुनियादी नियमों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। एनडीएफबी के साथ एसओओ करार को दिनांक 30.09.2014 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 10.09.2013 और 23.10.2013 को एसओओ करार के सहमत बुनियादी नियमों को अंतिम रूप देने के लिए गुवाहाटी में एनडीएफबी (आरटी) के साथ संयुक्त कार्यकारी दल की बैठकें आयोजित की गई थी। एनडीएफबी/आरडी के साथ एसओओ करार के सहमत बुनियादी नियमों पर दिनांक 29.11.2013 को गुवाहाटी में हस्ताक्षर किए गए थे। एसओओ करार के अनुसार, संगठन अपने सभी हथियारों को सरकार के पास जमा कराएगा।

2.3.13 आदिवासी समूह नामतः आदिवासी कोबरा मिलिटरी ऑफ असम (एसीएमए), आदिवासी पीपुल्स आर्मी (एपीए), संथली टाइगर फोर्स (एसटीएफ), बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ) और ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (एएएनएलए) और असम में कुकी तथा हमार के चार अन्य समूहों ने दिनांक 24.01.2012 को सरकार के सामने अपने हथियार समर्पित कर दिए और शांति प्रक्रिया में शामिल हुए। इन समूहों की मांगों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 30.11.2013 को गुवाहाटी में बैठक आयोजित की गई थी। उनकी मांगों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

मणिपुर

2.3.14 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की अधिकांश घटनाएं मणिपुर में जारी रहीं। मणिपुर एक उग्रवाद ग्रस्त राज्य है, जो मेइतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार और मुस्लिम यूजी समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है। कुकी/जोमी/हमार यूजी समूहों का इस समय भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एसओओ करार है। नागा यूजी समूहों द्वारा की गई हिंसा अधिकांशतः जबरन धन वसूली संबंधी घटनाओं तक सीमित है। भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एसओओ करार के तहत इस समय कुल

19 यूजी समूह [दो मुख्य समूहों, अर्थात युनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (केएनओ) के अंतर्गत] हैं।

2.3.15 मुख्य पहलों के परिणामस्वरूप, मणिपुर के तीन मेइतेई उग्रवादी समूहों ने अपने कैडरों और नेताओं के समर्पण के लिए दिनांक 13.02.2013 को भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर (एमओयू) हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट (यूआरएफ), जिसमें कंगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) के विभिन्न घटक और इसकी मिलिटरी विंग, मणिपुर आर्मी (एमए) शामिल है, ने आत्म–समर्पण कर दिया है। दूसरे समूह, जिसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तीन घटक नामतः केसीपी (लमफेल), केसीपी (सिटी मेइतेई) और केसीपी (तेईबंगानबा) शामिल हैं, ने भी 70 कैडरों के साथ अपने हथियार समर्पित कर दिए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा समूह केवाईकेएल (एमडीएफ) के दो घटक थे और इसने भी हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। दिनांक 13.02.2013 को इन समूहों के कुल 197 कैडरों ने विभिन्न प्रकार के 138 हथियार सौंप दिए हैं।

2.3.16 एक मुख्य घटनाक्रम में, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कंगलेईपाक (यूपीपीके) ने दिनांक 24.05.2013 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और 80 कैडर शांति प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं तथा अपने हथियार समर्पित कर दिए हैं।

2.3.17 यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी (यूटीएलए/एस.के. थाडोऊ ग्रुप) ने दिनांक 17.07.2013 को 34 कैडरों और 25 हथियारों के साथ मणिपुर में आत्मसमर्पण किया।

2.3.18 04 (चार) संगठनों नामतः कुकी रिवोल्यूशन आर्मी (केआरए), कुकी लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (केएलओ), हमार पीपुल्स कन्वेन्शन डेमोक्रेटिक (एचपीसीडी) और यूनाइटेड कुकीगाम डिफेंस आर्मी (यूकेडीए) की मांगों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 08.08.2013 को गृह मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी।

2.3.19 दिनांक 30.08.2013 को नई दिल्ली में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में, यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (केएनओ) के साथ कार्रवाई स्थगन (एसओओ) करार को दिनांक 21.08.2014 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

2.3.20 155 यूजी कैडरों [कुकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट (केआरएफ)–53, कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएनएलएफ)–50, कंगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी/नोंगड्रेनखोम्बा)–44 और कंगलेई यावोल कन्नालुप (केवाईकेएल)–08] ने दिनांक 09.09.2013 को जिला इम्फाल पश्चिम में फर्स्ट मणिपुर राइफल्स में आयोजित एक आत्मसमर्पण समारोह में 134 हथियारों और गोलाबारुद के साथ आत्मसमर्पण किया।

2.3.21 भारत सरकार, मणिपुर राज्य सरकार और मणिपुर की यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के बीच दिनांक 6.2.2014 को त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। जैसाकि यूएनसी नेतृत्व द्वारा मांग की गई थी, उनकी व्यापक मांगों पर विचार करने के लिए समिति का संविधान तैयार किया जा रहा है।

मेघालय

2.3.22 मेघालय में उग्रवादी गतिविधियां पिछले ढाई दशकों से गारो हिल्स क्षेत्रों के आस–पास केन्द्रित हैं। मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में पांच जिले नामतः (i) पश्चिम गारो हिल्स (ii) पूर्व गारो हिल्स (iii) दक्षिण गारो हिल्स (iv) दक्षिण–पश्चिम गारो हिल्स और (v) उत्तर गारो हिल्स शामिल हैं। निकटवर्ती पश्चिम खासी हिल्स जिला, जिसमें काफी संख्या में गारो जनसंख्या है, भी गारो उग्रवाद से प्रभावित है। विभिन्न उग्रवादी समूह (पड़ोसी राज्यों में सक्रिय) जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/इसाक/मुइवाह (एनएससीएन/आईएम) आदि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों और क्षेत्र की सुदूरता का लाभ उठाकर बांग्लादेश में आने–जाने के लिए गारो हिल्स मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के उग्रवादी समूहों ने अचिक नेशनल वालंटियर्स काउंसिल (एएनवीसी) और गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए), उल्फा, एनडीएफबी, यूएएलए और एनएससीएन/आईएम जैसे गारो उग्रवादी समूहों को प्रोत्साहित, प्रशिक्षित और

उनका पोषण किया है तथा गारो हिल्स में इनकी 'कमांड संरचना' भी है।

2.3.23 गारो उग्रवादी समूह, अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (एएनवीसी) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है। एएनवीसी, जो दिनांक 23.06.2004 से सरकार के साथ एसओओ करार में है, ने दिनांक 23.1.2014 और 28.3.2014 को शिलांग में आयोजित त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लिया है। श्री पी.सी. हलदर भारत सरकार के वार्ताकार हैं और एसओओ करार को दिनांक 31.03.2015 तक एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एएनवीसी समूह से अलग हुआ एएनवीसी(बी) भी भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीसी के बीच अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में शामिल हुआ। दिनांक 28.2.2014 को आयोजित अपनी बैठक में राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीएन के बीच हस्ताक्षरित समाधान के सहमत विषय (एटीएफएस) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

मिजोरम और सिक्किम

2.3.24 मिजोरम और सिक्किम आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त हैं और इन राज्यों में कोई आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है।

नागालैंड

2.3.25 नागालैंड में हिंसा मुख्य रूप से विभिन्न दलों के बीच अन्तर–गुटीय झड़पों के रूप में होती रही है। नागालैंड में सक्रिय मुख्य उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड – (एनएससीएन) के घटक हैं, जो वर्ष 1975 के शिलांग समझौते के असफल होने के बाद वर्ष 1980 में अस्तित्व में आए। ये उग्रवादी समूह इसाकस्वू और टीएच. मुइवाह के नेतृत्व में एनएससीएन (आईएम) और एस.एस. खापलांग, म्यांमार के एक नागा के नेतृत्व में एनएससीएन(के) और जून, 2011 में बने नए घटक, खोले–किटोवी के नेतृत्व में एनएससीएन/केके हैं। यद्यपि, विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं, तथापि, एनएससीएन के समूहों का दल–संबंधी हिंसा और अन्य हिंसा/गैर–कानूनी गतिविधियों में शामिल होना जारी है, जिससे राज्य में सामान्य जन–जीवन प्रभावित होता है।

2.3.26 इस्टर्न नागा पीपुल आर्गेनाइजेशन (ईएनपीओ), जो छह नागा जनजातियों का एक शीर्ष निकाय है, ने भारत संघ के अंदर विशेष दर्जे के साथ नागालैंड के चार पूर्वी जिलों (मोन, त्वेनसांग, किफिरे और लोंगलेंग) तथा अरुणाचल प्रदेश के दो जिलों (तिरप और चांगलांग) को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग उठाई है।

2.3.27 नागालैंड के प्रमुख संगठनों, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन/आईएम) और एनएससीएन/के का भारत सरकार के साथ युद्ध–विराम करार है। एनएससीएन/के दो दलों नामतः एनएससीएन/के और एनएससीएन/केके में विभाजित हो गया। श्री अजीत लाल, अध्यक्ष, जेआईसी को नागा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। समूह के साथ हस्ताक्षरित एसओओ दिनांक 27.04.2014 तक मान्य है।

त्रिपुरा

2.3.28 मुख्य यूजी संगठनों अर्थात नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) द्वारा हिंसा लगभग नगण्य है, क्योंकि केवल एनएलएफटी/बी वर्ष 2013 में 10 व्यक्तियों के अपहरण सहित हिंसा की 3 घटनाओं में शामिल रहा है। जनवरी, 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से नियंत्रण में रही।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.3.29 अलग–अलग जातीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता के लिए तैयार है जो स्पष्ट रुप से हिंसा और हथियार

छोड़ने के लिए तैयार हैं। परिमाणस्वरूप, जिन दलों ने हिंसा त्यागने की मंशा व्यक्त की और भारत के संविधान की रूपरेखा के तहत अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल चाहा, उन कई दलों के साथ कार्रवाई स्थगन करार और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2.3.30 भारत सरकार द्वारा असम में आरंभ की गई मुख्य पहलों के परिणामस्वरूप, इस समय नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी/प्रगतिशील), एनडीएफबी(आरडी) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की जा रही है। उल्फा और एनडीएफबी के दो घटकों के साथ बातचीत करने के लिए श्री पी.सी. हलदर, वार्ताकार को नियुक्त किया गया है। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए दिनांक 12.09.2013 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (प्रगतिशील) के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कार्रवाई स्थगन (एसओओ) व्यवस्था और सहमत बुनियादी नियमों के पालन के कार्यकरण की भी समीक्षा की गई। एनडीएफबी के साथ एसओओ करार को दिनांक 30.09.2014 तक आगे बढ़ा दिया गया है। एसओओ करार के सहमत बुनियादी नियमों को अंतिम रुप देने के लिए 10 सितम्बर, 2013 और 23 अक्टूबर, 2013 को गुवाहाटी में संयुक्त कार्यदल की बैठकें आयोजित की गई थीं। एनडीएफबी/आरडी समूह के साथ एसओओ करार के सहमत बुनियादी नियमों पर दिनांक 29.11.2013 को गुवाहाटी में हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 25.11.2011 और 8.10.2012 को क्रमशः युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडरिटी (यूपीडीएस) और डीएचडी के घटकों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें क्षेत्र के तेजी से सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज के साथ विद्यमान स्वायत्त परिषद को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। यूपीडीएस का दिसम्बर, 2011 में विघटन हो गया। डीएचडी (जे) और डीएचडी(एन) ने भी अपने संगठनों का विघटन कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी समूह नामतः आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम (एसीएमए), आदिवासी पीपुल्स आर्मी (एपीए), संथाली टाइगर फोर्स (एसटीएफ), बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ) और ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (एएएनएलए) तथा असम में कुकी और हमर के चार अन्य समूहों ने दिनांक 24.01.2012 को सरकार के सामने अपने हथियार समर्पित कर दिए और शांति प्रक्रिया में शामिल हो गए। इन समूहों की मांगों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 30.11.2013 को गुवाहाटी में बैठक आयोजित की गई थी। उनकी मांगों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.3.31 भारत सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और संबंधित समूहों के प्रतिनिधियों वाले संयुक्त निगरानी समूहों द्वारा इन दलों के संबंध में सहमत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

2.3.32 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और संवदेनशील संस्थाओं तथा संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्राधिकरणों की सहायता हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती की है। केन्द्र सरकार लगातार आसूचना को भी साझा करती है, पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के तहत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है और सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति करके सुरक्षा तंत्र तथा विद्रोह–रोधी कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता भी उपलब्ध कराती है। इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बल स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता भी दी जाती है।

2.3.33 पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी/विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों जैसे अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या, कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा विस्फोट करने और अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं आदि पर हमलों को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इन संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय गैर–कानूनी संघों/प्रतिबंधित संगठनों के ब्यौरे **अनुलग्नक- IV** में दिए गए हैं।

2.3.34 सम्पूर्ण मणिपुर राज्य (इम्फाल नगर निगम क्षेत्र के अलावा), नागालैंड और असम, अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग तथा लोंगडिंग जिले और असम के साथ साझा सीमा वाले अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 20 किमी. की बैल्ट को सैन्य बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने 25 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत पूर्ण क्षेत्र और 7 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आंशिक क्षेत्र को इस अधिनियम के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया है।

2.3.35 एक पृथक राज्य बोडोलैंड के गठन की मांग की अध्ययन करने/जांच करने के लिए श्री जी.के. पिल्लै, आईएएस (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व केन्द्रीय गृह साचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2014 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति एक पृथक राज्य बोडोलैंड के गठन की व्यवहार्यता पर समाज के सभी वर्गों के साथ परामर्श करेगी और 9 माह के अंदर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट/सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) का गठन

2.3.36 भारत सरकार विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 51 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम के लिए 09, त्रिपुरा के लिए 09, मणिपुर के लिए 09, नागालैण्ड के लिए 07, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में प्रत्येक के लिए पाँच–पाँच, मेघालय के लिए 04 तथा सिक्किम के लिए 03 बटालियनें शामिल हैं। मंजूर की गई 51 बटालियनों में से, दिनांक 31.03.2014 तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 48 इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी योजना

2.3.37 गृह मंत्रालय दिनांक 01.04.1998 से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। तब से इस योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसारः

(i) प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता को 1.5 लाख रूपए का तत्काल अनुदान दिया जाएगा, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पणकर्ता के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय कोलैटरल सिक्यूरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ii) दिनांक 01.12.2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता के वजीफे को 2,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,500 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य सरकारें, यदि लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय तक सहायता देनी अपेक्षित समझती हैं, तो वे गृह मंत्रालय से परामर्श कर सकती हैं;

(iii) आत्मसमर्पणकर्ताओं को स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान; और

(iv) मणिपुर में दिनांक 01.12.2012 से आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास हेतु एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को 2.5 लाख रु. का तुरंत अनुदान और तीन वर्षों के लिए 4,000 रु. प्रति माह वजीफा दिया जाता है।

2.3.38 वर्ष 2007 से 2014 तक आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या निम्नानुसार हैः–

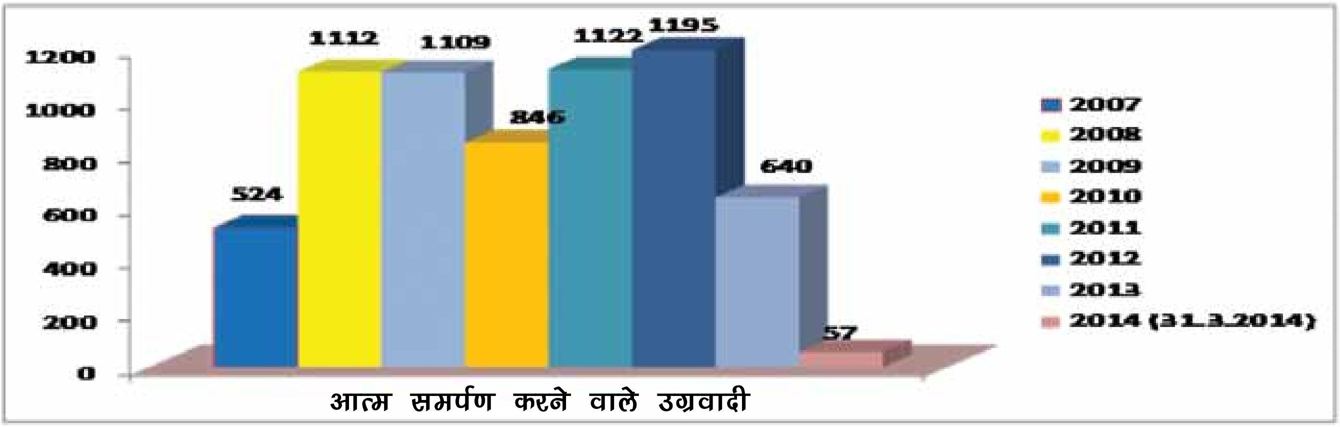

पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति

2.3.39 केन्द्र सरकार उग्रवाद/विद्रोह से गंभीर रुप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की गैर–योजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सी ए पी एफ को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75% तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय और ऐसे ग्रुपों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर खर्च किए गए व्यय सहित विभिन्न मदों पर उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। विगत आठ वर्षों के दौरान एसआरई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी सहायता के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक–V** में दिए गए हैं।

राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण (एम पी एफ)

2.3.40 गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु भी राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है। इस गैर–योजना स्कीम के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ, निगरानी, संचार, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु आधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, हथियार, वाहनों, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना तथा पुलिस अवसंरचना जैसे कि आवास/पुलिस स्टेशन/सीमा चौकियों/बैरकों आदि के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। एमपीएफ योजना के अंतर्गत, सभी पूर्वोत्तर राज्य, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने की अपनी अनुमोदित वार्षिक योजना हेतु 100% केन्द्रीय सहायता पाने के हकदार हैं। वर्ष 2004–05 से लेकर अब तक राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अन्तर्गत नगद/वस्तु रूप में जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक–VI** में दर्शाया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.3.41 चूंकि कुछ पूर्वोत्तर राज्य विद्रोह और उग्रवाद से प्रभावित हैं, इसलिए विद्रोह का सामना करने के लिए क्षेत्र में सेना और अन्य केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की निरंतर आवश्यकता है। स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल सिविक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाती हैं, जैसे मेडिकल कैंप आयोजित करना, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन संबंधी सामग्री का वितरण, स्कूल भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाना आदि। जारी की गई निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–VII** में दिए गए हैं।

ब्रू प्रवासियों की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी

2.3.42 मिजो ग्रामीणों द्वारा अल्पसंख्यक रियांग जनजातियों पर हमले किए जाने के कारण कई ब्रू (रियांग) परिवार अक्तूबर, 1997 के बाद से पश्चिम मिजोरम से उत्तर त्रिपुरा में पलायन कर गए हैं। ऐसे ब्रू प्रवासियों की संख्या लगभग 30,000 (5000 परिवार) है, जिन्हें त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित शिविरों में आश्रय दिया गया है।

2.3.43 गृह मंत्रालय राहत सामग्री जैसे कि चावल, राशन, नगद–दान आदि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राहत कैंपों में रह रहे ब्रू परिवारों के रख–रखाव हेतु वर्ष 1997–98 से त्रिपुरा सरकार और वर्ष 2004–05 से ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास और वापसी के लिए मिजोरम सरकार को अनुदान–सहायता दे रहा है। जबकि ब्रू परिवारों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए दिनांक 31.03.2014 तक मिजोरम राज्य सरकार को कुल लगभग 38.90 करोड़ रू. की अनुदान–सहायता जारी की गई है, विभिन्न राहत कैम्पों में ब्रू परिवारों के रख–रखाव हेतु त्रिपुरा सरकार को लगभग 223 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार त्रिपुरा से मिजोरम में उनकी वापसी के संबंध में ब्रू प्रवासियों की सहायता के लिए मिजोरम सरकार को अनुदान–सहायता उपलब्ध कराता है:

(i) प्रत्येक परिवार को आवासीय सहायताः 38,500रू.

(ii) प्रत्येक परिवार को नगद सहायताः 41,500रू.

(iii) एक वर्ष के लिए प्रत्येक वयस्क और नाबालिग को मुफ्त राशन।

(iv) मिजोरम सरकार द्वारा खर्च की गई परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति।

(v) प्रत्येक ब्रू परिवार को कंबल और बर्तन।

2.3.44 गृह मंत्रालय के निरंतर प्रयास के कारण और मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, मिजोरम सरकार ने पहले चरण में वापसी हेतु मतदाता सूची में पहचाने गए पात्र पंजीकृत 4,730 परिवारों में से 2,786 मिजोरम ब्रू परिवारों की त्रिपुरा से मिजोरम में चरणबद्ध वापसी के लिए योजना तैयार की। वापसी की प्रक्रिया नवम्बर, 2010/दिसम्बर, 2010 में आरंभ हुई और लगभग 940 ब्रू परिवारों (लगभग 500 व्यक्ति) को मिजोरम में पुनर्वासित तथा पुनर्स्थापित किया गया था।

2.3.45 वापसी की प्रक्रिया, जो नवम्बर, 2010/दिसम्बर, 2010 में आरंभ हुई थी, वह उत्तरी त्रिपुरा की साखन पहाड़ियों, जहां वे मूल रूप से बसे हुए थे, से त्रिपुरा में रह रहे मिजोरम के कुछ ब्रू परिवारों द्वारा कथित रुप से विस्थापित लगभग 83 मिजो परिवारों के पुनर्वास हेतु कुछ मिजो गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विरोध के कारण मई/जून, 2011 में बंद हो गई। अब, उत्तरी त्रिपुरा के साखन पहाड़ियों के विस्थापित मिजो ने विस्थापित मिजोरम ब्रू को दिए जाने वाले पुनर्वास पैकेज के बराबर पर्याप्त पुनर्वास पैकेज की मांग की है। उत्तरी त्रिपुरा के साखन पहाड़ियों के विस्थापित प्रत्येक 83 मिजो परिवारों को 1.50 लाख रू. के पुनर्वास पैकेज का संवितरण (जुलाई, 2012 में) करके साखन मिजो के मामले को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है।

2.3.46 मिजोरम राज्य सरकार ने वापसी योजना का चौथा चरण तैयार किया जिसमें 669 ब्रू परिवारों की मिजोरम में वापसी होनी थी और उन्हें पुनः स्थापित किया जाना था। गृह मंत्रालय ने मिजोरम सरकार के वापसी/पुनर्वास प्रयासों को सुगम बनाने के लिए जून, 2012 में 7.87 करोड़ रू. की अनुदान–सहायता जारी की है। तथापि, 'मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के नेताओं के विरोध और गलत जानकारी अभियान के कारण चौथे चरण में केवल 7–ब्रू परिवारों को ही वापस लाया जा सका। त्रिपुरा राज्य सरकार से मिजोरम में अपने मूल निवास स्थान पर वापस लौटने के लिए ब्रू समुदाय को राजी करने और ब्रू समुदाय के बीच भय और आशंका फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2.3.47 मिजोरम और त्रिपुरा सरकार से ब्रू प्रवासियों की वापसी को शीघ्र पूरा करने के लिए एक नई समय–सीमा निर्धारित करने का आग्रह किया गया है। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, दिनांक 30.09.2013 को ब्रू वापसी का 5वां बैच नियंत्रित स्व–वापसी के रूप में आरंभ हुआ। 5वें बैच के दौरान दिनांक 11.10.2013 तक कुल 103 परिवारों को वापस लाया गया था, जिससे दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल लगभग 1040 ब्रू परिवारों की वापसी हो गई है।

2.3.48 ब्रू प्रवासियों के लिए मिजोरम और त्रिपुरा को पुनर्वास स्कीम (अनुदान–सहायता) हेतु व्यय/जारी की गई निधि के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रू. में)			
क्रम सं.	वर्ष	त्रिपुरा राज्य हेतु	मिजोरम राज्य हेतु
1.	2005–06	11.00	00.05
2.	2006–07	10.00	03.22
3.	2007–08	12.00	00.16
4.	2008–09	14.96	01.61
5.	2009–10	31.60	05.00
6.	2010–11	12.50	12.40
7.	2011–12	29.35	शून्य
8.	2012–13	18.63	11.39
9.	2013–14	10.46	1.21 (किराए की क्षतिपूर्ति हेतु)

पूर्वोत्तर में हेलिकॉप्टर सेवा

2.3.49 शेष भारत के साथ दूर–दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और इन क्षेत्रों को हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी से योजनेतर स्कीम के तहत छह राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम में हेलीकॉप्टर सेवायें प्रदान की जा रही हैं। सब्सिडी का भाग यात्रियों से प्राप्त की गई राशि का समायोजन करने के बाद परिचालन लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक हेलीकॉप्टर के उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है।

2.3.50 छह राज्यों में हेलीकाप्टर सेवायें चलाने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है:

राज्य सरकारों द्वारा पट्टे पर लिए गए हेलिकॉप्टर	हेलिकॉप्टर की किस्म	प्रति वर्ष मंजूर किए गए उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन दो इंजन	480
अरुणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई–172	960
	द्वितीय एम आई–172	1200
	बेल–412 दो इंजन	1300
सिक्किम	बेल–406 एक इंजन/दो इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो इंजन	480
मिजोरम	डॉफिन दो इंजन	960

2.3.51 सब्सिडी को सीमित करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में हेलिकॉप्टर सेवा चलाने हेतु उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ान घंटों की सीमा से अधिक हेलिकॉप्टर सेवा को संचालित करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय से सब्सिडी को समायोजित करने के पश्चात, हेलिकॉप्टर सेवाएं चलाने की शेष लागत को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

2.3.52 उपर्युक्त हेलिकॉप्टर सेवाओं के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने वाले वीआईपी और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयोग हेतु गुवाहाटी में स्थापित एक दोहरे इंजन वाले हेलिकॉप्टर का संचालन करता है। गृह मंत्रालय द्वारा इस सेवा की लागत को वहन किया जाता है।

2.3.53 पूर्वोत्तर राज्यों में हेलिकॉप्टर सेवाओं हेतु व्यय/जारी की गई निधि के वर्ष–वार ब्यौरे:

(करोड़ रू. में)		
क्रम सं.	**वर्ष**	**व्यय/जारी की गई निधि**
1.	2005–06	20.00
2.	2006–07	17.54
3.	2007–08	23.41
4.	2008–09	25.00
5.	2009–10	34.99
6.	2010–11	44.99
7.	2011–12	59.18
8.	2012–13	25.00
9.	2013–14	37.49

विज्ञापन एवं प्रचार

2.3.54 पूर्वोत्तर की विशिष्ट समस्याओं अर्थात उग्रवाद, घुसपैठ और पराया होने की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय क्षेत्र में शांति के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों पर विशेष बल देने और यह बताने के उद्देश्य से कि "शांति से लाभ होता है" पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञापन और प्रचार की एक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा अंग्रेजी, असमी, मणिपुरी और बंगाली भाषाओं में पूर्वोत्तर में सरकार की स्कीमों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों की विशिष्टताओं को बताने वाला एक मासिक पूर्वोत्तर न्यूजलेटर प्रकाशित किया जाता है। इस स्कीम के तहत, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के तत्वावधान में, पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के शेष भारत के दौरे और शेष भारत के युवाओं के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, पत्रकारों के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, रेडियो जिंगल्स आदि के प्रसारण सहित अनेक अन्य पहलें भी आरंभ की गई हैं। पूर्वोत्तर न्यूजलेटर वेबसाइट http://mha@nic.in पर उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 में, इस स्कीम के तहत क्रमशः 6.00 करोड़ रू. और 20.00 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई है।

वामपंथी उग्रवादी (एन डब्ल्यू ई) विद्रोह

सिंहावलोकन

2.4.1 यद्यपि कुछ दशकों से भारत के कतिपय भागों में वामपंथी उग्रवादी विद्रोह के अवशेष विद्यमान रहे हैं, तथापि, मुख्य नक्सली गुटों का विलय हो जाने के फलस्वरुप वर्ष 2004 में सीपीआई (माओवादी) दल के गठन के बाद पिछले दशक या इसके आस–पास की अवधि के दौरान इस समस्या ने गंभीर रुप धारण कर लिया है। भौगोलिक फैलाव की दृष्टि से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। एलडब्ल्यूई की समस्या, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भी है। वामपंथी उग्रवादी के प्रमुख संगठन भारत के 20 राज्यों में सक्रिय हैं। सी पी आई (माओवादी) अभी भी सर्वाधिक प्रमुख और हिंसक एलडब्ल्यूई ग्रुप बना हुआ है जिसने हिंसा और हत्या की 80% से अधिक वारदातें कीं। वामपंथी उग्रवादी हिंसा का राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

वर्ष 2009 से 2014 तक (31.03.2014 तक) नक्सली हिंसा के राज्यवार आंकड़े

राज्य	2009		2010		2011		2012		2013		2014 (दिनांक 31.03.2014 तक)	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आंध्र प्रदेश	66	18	100	24	54	9	67	13	36	11	12 (11)	4 (4)
बिहार	232	72	307	97	316	63	166	44	177	69	51 (46)	10 (16)

छत्तीसगढ़	529	290	625	343	465	204	370	109	355	111	95 (60)	37 (18)
झारखंड	742	208	501	157	517	182	480	163	387	152	79 (119)	19 (52)
मध्य प्रदेश	1	0	7	1	8	0	11	0	01	00	1 (1)	00 (00)
महाराष्ट्र	154	93	94	45	109	54	134	41	71	19	19 (19)	06 (02)
ओडिशा	266	67	218	79	192	53	171	45	101	35	21 (18)	06 (03)
उत्तर प्रदेश	8	2	6	1	1	0	2	0	00	00	00 (00)	00 (00)
पश्चिम बंगाल	255	158	350	258	92	45	6	0	01	00	0 (00)	00 (00)
अन्य	5	0	5	0	6	1	8	0	07	00	0 (1)	00 (00)
कुल	2258	908	2213	1005	1760	611	1415	415	1136	397	278 (275)	82 (95)

टिप्पणीः पिछले दो कॉलम में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2013 की तदनुरुपी अवधि की स्थिति के द्योतक हैं।

सी पी आई (माओवादी) पर प्रतिबंध

2.4.2 सी पी आई (माओवादी), जो हिंसा/हत्याओं की सर्वाधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इसके सभी गुटों और मुख्य संगठनों के साथ आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए सरकार की कार्य योजना

2.4.3 वामपंथी उग्रवादी (एलडब्लूई) विद्रोह का सामना करने के लिए सरकार की कार्य योजना सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारी सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके साकल्यवादी तरीके से निपटने की है। दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय विचार–विमर्शों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने के बाद, यह उपयुक्त समझा गया है कि एक एकीकृत नीति की आवश्यकता है। तदनुसार, सरकार का बल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और अभिशासन की कमियों को दूर करने पर है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष और केन्द्रीभूत ध्यान देने के लिए 9 राज्यों में 106 जिलों की पहचान की है।

2.4.4 सरकार की नीति मुख्यतः उपर्युक्त क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण को

सुकर बनाकर वामपंथी उग्रवादी विद्रोह से प्रभावी ढंग से निपटने की है। तदनुसार, सरकार सुरक्षा वातावरण में सुधार करने संबंधी योजनाओं अर्थात् सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण की योजना आदि का कार्यान्वयन कर रही है। ये स्कीमें कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के अतिरिक्त हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्तर पर, विकास और अभिशासन के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आश्रम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत राज्यों को आबंटित निधियों का विशेष महत्व है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है। इसके अलावा, सरकार चुने हुए 88 जिलों में लोक अवसंरचना और सेवाओं में विकासात्मक कमी को दूर करने के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) कार्यान्वित कर रही है, जिसे अब "वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)" कहा जाता है। सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में एक महत्वाकांक्षी सड़क विकास योजना भी कार्यान्वित कर रही है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन, विशेष रूप से व्यक्तियों और समुदायों को हक विलेख आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधानों का कार्यान्वयन भी एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है।

केन्द्र सरकार की विशिष्ट योजनाएं/किए गए उपाय

2.4.5 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' चूंकि राज्य के विषय है, इसलिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रूप से उन्हीं संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और कई तरीके से एलडब्ल्यूई समस्या से निपटने में उनके प्रयासों को समन्वित और सम्पूरित करती है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) तथा कमाण्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) को मुहैया कराना; इण्डिया रिजर्व (आई आर) बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना, विद्रोह–रोधी एवं आतंकवाद–विरोधी (सी आई ए टी) विद्यालयों की स्थापना करना; राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के अन्तर्गत राज्य पुलिस एवं उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना (एस एस आई) के अन्तर्गत मुख्य अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना; नक्सल–रोधी अभियानों के लिए हेलिकाप्टर उपलब्ध कराना, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना; आसूचना का आदान–प्रदान करना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एवं सिविक कार्रवाई कार्यक्रमों में अन्तर–राज्यीय समन्वय की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसके साथ–साथ, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की अनेक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों के लिए निधियां भी उपलब्ध कराती है। इसका मूल उद्देश्य माओवादी खतरे से समन्वित तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता में वृद्धि करना है।

भारत सरकार के हस्तक्षेप

क) सुरक्षा से संबंधित उपाय

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती

2.4.6 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 90 बटालियनें तैनात हैं। इस संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सीएपीएफ की 04 बटालियनों को रोघाट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ में तैनाती हेतु रखा गया है।

कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा बटालियन)

2.4.7 वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के एक भाग के रुप में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) नामक विद्रोह–रोधी और जंगल युद्ध कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित विशेषज्ञ बल की दस बटालियनों का गठन किया गया है। इन 10 कोबरा बटालियनों में से 9 बटालियनों की तैनाती एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में की गई है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना

2.4.8 सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए सिविलियनों/सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, पुलिस कार्मिकों के बीमा, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा संचालनात्मक आवश्यकताओं, संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्री के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों में 106 जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2013–14 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 207.08 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

सुरक्षित पुलिस स्टेशन

2.4.9 गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रत्येक जिले में 80 : 20 (केन्द्र अंशदानः राज्य अंशदान) के आधार पर 2.00 करोड़ रूपए प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 489.65 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2013–14 में अब तक 119.65 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

विशेष अवसंरचना संबंधी योजना

2.4.10 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना (एसआईएस) को केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ 11वीं योजना में अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी अंतरालों को पूरा करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी 9 राज्यों को निधियां जारी की गई थी, जिन्हें किसी अन्य विद्यमान स्कीमों में शामिल नहीं किया जा सकता। यह स्कीम अगम्य क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों/रास्तों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों की आवाजाही की आवश्यकता, दूरस्थ और भीतरी क्षेत्रों में सामरिक स्थलों में सुरक्षित कैंपिंग ग्राउंड और हैलिपैड उपलब्ध कराने, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों/चौकियों के संबंध में सुरक्षा को बढ़ाने हेतु उपायों आदि से संबंधित है। 11वीं योजना के दौरान दिनांक 31.12.2012 तक इस स्कीम के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 445.82 करोड़ रू. (अर्थात वर्ष 2008–09 में 100 करोड़ रु, 2009–10 में 30 करोड़ रु, 2010–11 में 130 करोड़ रू. और 2011–12 में 185.82 करोड़ रु.) जारी किए गए थे। दिनांक 02.04.2013 को निम्नलिखित मुख्य संशोधनों के साथ आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा 12वीं योजना के दौरान एसआईएस को जारी रखने का अनुमोदन किया गया थाः

(i) प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, हथियारों, वाहनों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विशेष बलों के उन्नयन और महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने से संबंधित अन्य संबंधित मदों के नए उद्देश्य को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश के ग्रेहाउन्ड्स की सफलतापूर्वक पद्धति पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विशेष बलों का उन्नयन करना है।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण की पद्धति को 75 (केन्द्र सरकार का अंशदान)रू 25 (राज्य सरकार का अंशदान) के वित्त पोषण की पद्धति में बदला गया है।

2.4.10.1 12वीं योजना अवधि के दौरान वित्तपोषण का मुख्य ध्यान विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण

अंतरालों को पूरा करने से संबंधित उपर्युक्त नए उद्देश्यों पर होगा। वित्तपोषण का बल आन्ध्र प्रदेश हेतु वित्तपोषण की कम मात्रा के साथ सबसे अधिक प्रभावित 4 राज्यों नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा पर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्कीम की कुल अनुमोदित लागत 373 करोड़ रूपए (केन्द्र का अंशदान 280 करोड़ रू. और राज्य अंशदान 93 करोड़ रू.) है। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्यों को कुल 74.13 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। योजना के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रू. में)					
		वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1.	आन्ध प्रदेश	589.00	340.00	1751.18	2377.16	शून्य	999.00
2.	बिहार	1605.00	370.00	1739.40	3465.71	शून्य	1505.70
3.	छत्तीसगढ़	2750.00	390.00	2033.76	3040.53	शून्य	1634.09
4.	झारखंड	2380.00	585.00	2008.10	3561.35	शून्य	1652.33
5.	मध्य प्रदेश	293.00	-	232.07	747.73	शून्य	-
6.	महराष्ट्र	339.92	290.00	879.42	434.25	शून्य	-
7.	ओडिशा	1177.00	420.00	2035.64	4047.27	शून्य	1622.25
8.	उत्तर प्रदेश	866.00	265.00	1121.83	440.84	शून्य	-
9.	पश्चिम बंगाल	-	340.00	1198.60	467.17	शून्य	-
	कुल	9999.92	3000.00	13000.00	18582.01	शून्य	7413.37

इंडिया रिजर्व बटालियन

2.4.11 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को मुख्य रूप से राज्य के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ–साथ विशेष रूप से नक्सल प्रभावित राज्यों में युवाओं को उपयोगी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने के लिए इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर) मंजूर की गई हैं। नक्सल प्रभावित 9 राज्यों को 37 आईआर बटालियनें मंजूर की गई थीं, जिनमें से 35 बटालियनें स्थापित की जा चुकी हैं। स्थापित न की गई बटालियनों को, आन्ध्र प्रदेश और झारखंड प्रत्येक में एक, विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों, बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (01), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) में 09 नई एसआईआरबी की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है।

विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल

2.4.12.1 11वीं योजना अवधि के दौरान असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 21 विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल स्थापित करने हेतु एक स्कीम अनुमोदित की गई थी। इन स्कूलों में, पुलिस कार्मिकों को आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत, यह मंत्रालय मुख्य रूप से सीआईएटी स्कूलों की संस्थापना करने,

उन पर होने वाले आवर्ती व्यय और उपकरण के उन्नयन हेतु निधियां उपलब्ध कराएगा। इन स्कूलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारें सीआईएटी स्कूलों को चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगी। सभी 21 सीआईएटी स्कूल कार्य कर रहे हैं। 21 सीआईएटी स्कूलों में से, 15 सीआईएटी स्कूल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आते हैं। सीआईएटी स्कूलों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

क्रम सं.	राज्य	सीआईएटी स्कूलों की संख्या
i.	असम	03
ii.	बिहार	03
iii.	छत्तीसगढ़	04
iv.	झारखंड	04
v.	ओडिशा	03
vi.	त्रिपुरा	01
vii.	पश्चिम बंगाल	01
viii.	मणिपुर	01
ix.	नागालैंड	01
	कुल	**21**

2.4.12.2 वर्ष 2013—14 में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़ (2.00 करोड़ रू.), ओडिशा (2.00 करोड़ रू.), झारखंड (2.00 करोड़ रु.) और महाराष्ट्र (1.50 करोड़ रु.) को 7.50 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। इस योजना में सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, सीमांध्र और तेलंगाना में प्रत्येक में एक, 04 नए सीआईएटी स्कूलों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

ख) विकास संबंधी उपाय

2.4.13.1 **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानीः** योजना आयोग, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित संकेन्द्रित जिलों में प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) (http:pcserver.nic.in/lwe) के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है और निम्नलिखित योजनाओं की वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी कर रहा है:—

(1) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) ;

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम);

(3) आश्रम विद्यालय ;

(4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) ;

(5) सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) ;

(6) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) ;

(7) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) ;

(8) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) ;

(9) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) ;

(10) अनुसूचित जन जातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 ।

2.4.13.2 योजना आयोग ने सार्वजनिक अवसरंचना और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2010—11 में चुनिन्दा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस स्कीम में आरंभ में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/उनके साथ लगे हुए 60 जिलों को शामिल किया गया था। इसके बाद स्कीम में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के कुल 82 जिलों को शामिल किया गया। सरकार ने आईएपी में 88 जिलों को शामिल करके, जिसमें आईएपी के तहत पहले से शामिल 82 जिले और 6 अतिरिक्त जिले (छत्तीसगढ़ से 4 और महाराष्ट्र से 2) शामिल हैं, दिनांक 01.08.2013 को "वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)" के रूप में आईएपी को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। वर्ष 2013—14 और 2014—15 के लिए प्रत्येक जिले को 30 करोड़ रू. प्रतिवर्ष आबंटित किए जाएंगे और इसके लिए निधि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) से नहीं ली जाएगी।

इस स्कीम के तहत परियोजनाओं/कार्यों को अंतिम रूप देते समय स्थानीय सांसदों से परामर्श किया जाएगा। इस स्कीम के तहत संबंधित जिलों को कुल 6,970 करोड़ रू. जारी किए गए हैं, जिसमें से दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार 6,333.35 करोड़ रू. के व्यय की सूचना मिली है। आरंभ की गई कुल 1,36,990 परियोजनाओं में से, दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार 1,02,632 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

2.4.13.3 त्वरित विकास हेतु वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण स्कीमों के कार्यान्वयन पर विद्यमान निर्देशों को रद्द करने अथवा संशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है। प्रभावित राज्यों से भी अपने यहां अधिकार प्राप्त समूह गठित करने के लिए कहा गया है।

2.4.13.4 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में पर्याप्त सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 26.02.2009 को एक सड़क आवश्यकता योजना–। (आरआरपी–।) अनुमोदित की है। आरआरपी–। में 7300 करोड़ रू. की लागत से 5477 किमी. सड़क को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें से, कुल 2,840 किमी, सड़क पूर्ण कर ली गई है और दिनांक 01.03.2014 की स्थिति के अनुसार 3,609 करोड़ रू. का व्यय किया गया है। आरआरपी–। के अंतर्गत कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

2.4.13.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, आईएपी स्कीम वाले जिलों के लिए पुलों की अधिकतम लंबाई के मानदंडों को 50 मीटर से बढ़ाकर 75 मीटर और रिहाइशी कवरेज के जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढ़ील देते हुए 500 की जनसंख्या को घटाकर 250 कर दिया गया है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई के तहत निविदा पैकेज की न्यूनतम राशि भी घटाकर 50 लाख रूपए कर दी गई है।

2.4.13.6 जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास स्थापित करने हेतु 100% अनुदान के आधार पर निधियों का प्रावधान (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अनुमोदित 50:50 के अनुपात की तुलना में) किया गया है।

2.4.13.7 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्कूल, डिस्पेंसरी/अस्पताल, विद्युत और दूर संचार लाइनों, पेय जल, जल/वर्षा के जल संचयन के ढांचों, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर–पंरपरागत स्रोतों, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब–स्टेशनों, सभी प्रकार की सड़कों और सार्वजनिक सड़कों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के खनन, संचार पोस्ट जैसे क्रियाकलापों; और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्टों/सीमा चौकियों/निगरानी टावरों जैसी पुलिस स्थापनाओं और ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइन तथा पेयजल आपूर्ति लाइनें बिछाने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1.00 हेक्टेयर से 5.00 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन (डायवर्सन) के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन दिया है।

2.4.13.8 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि उक्त सामान्य अनुमोदन के अनुसरण में जिस वन भूमि का विपथन किया गया है उसके बदले प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर जोर नहीं दिया जाएगा।

2.4.13.9 इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए आई ए वाई मकान की प्रति यूनिट लागत की अधिकतम सीमा 48,500 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है।

2.4.13.10 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बार–बार कहा जाता रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के

तहत वन अधिकारों को शीघ्र मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और साथ ही अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2008 को सुदृढ़ बनाने के लिए दिनांक 06.09.2012 को इनमें संशोधन किया है।

2.4.13.11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के तहत और निधियां जारी किए जाने के लिए निधियों के 80% उपयोग की सीमा में संशोधन करके उसे 60% कर दिया गया है। बी आर जी एफ के तहत राज्य से स्थानीय निकायों को त्वरित निधियां जारी करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें अपेक्षित बदलाव किया गया है। बी आर जी एफ के तहत जिला योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए जिला योजना समिति को भी शक्ति प्रदान की गई है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) निगरानी समिति के रूप में कार्य करेगी और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी।

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.4.14 इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम (सीएपी) शुरु करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के लिए वित्तीय अनुदान मंजूर किया जाता है। यह एक सफल योजना है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध स्थापित करना है। सीएपी के तहत, सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे लोगों का दिल और दिमाग जीत सकें। वर्ष 2012–13 के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम चलाने के लिए सीएपीएफ को 16.35 करोड़ रू. की राशि जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सीएपी के तहत 17.37 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं, जिसमें से दिनांक 31.03.2014 तक सीएपीएफ को 15.78 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

2.4.14.1 सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(i) स्वास्थ्य, चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, मौजूदा अस्पतालों/नर्सिंग होम और सीएपीएफ द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों के लिए चिकित्सा उपकरणों तथा भंडार आदि उपलब्ध कराना, रोगियों को दवाइयां वितरित करना और लैब के जांच की लागत को वहन करना, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानियों का वितरण करना और उपचार के लिए अत्यधिक बीमार लोगों/गर्भवती स्त्रियों को इकट्ठा कर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सा सुविधा केन्द्र तक पहुंचाना।

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण (भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण सहित कौशल विकास) प्रदान करने के कार्य को शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास, कैरियर परामर्श, कोचिंग आदि का आयोजन, स्कूल के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।

(iii) ग्रामीणों के लिए सहकारी कृषि/पौधा–रोपण को बढ़ावा देते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, फलदायी पौधे उपलब्ध करवाना और सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि के लिए सहकारी फार्मों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

(iv) विस्तारीकरण सेवाओं के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान।

(v) पेयजल की सुलभ उपलब्धता के लिए हैंड पंप लगाना एवं पानी की टंकियां उपलब्ध करवाना।

(vi) सौर लैम्पों आदि के प्रावधान सहित गैर–पंरपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना।

(vii) हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना।

(viii) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना, हवा/वर्षा, बाढ़ आदि द्वारा प्रभावित अत्यधिक गरीब, वृद्ध, विकलांग व्यक्तियों को छप्पर आदि की मरम्मत के लिए आंशिक सहायता प्रदान करना।

(ix) जल संचयन के ढांचे।

(x) खेल–कूद की सुविधाएं विकसित करना और बच्चों तथा युवाओं के लिए खेल से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाना और खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करना।

(xi) ट्रांजिस्टर प्रदान करना।

(xii) गरीब व्यक्तियों, बच्चों, वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों को वस्त्र और कंबल प्रदान करना।

(xiii) भारत के स्वतंत्रता संग्राम; भारत के महान नेताओं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति; भारत के इतिहास; धर्मनिरपेक्षता; सामाजिक बुराइयां – दहेज, बाल विवाह; खेल–कूद; बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल/स्वच्छता; कृषि – बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के उपयोग से संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग (उपर्युक्त विषय से संबंधित फीचर फिल्में)

(xiv) गरीब परिवारों को एल्यूमिनियम के बर्तन, चाकू आदि प्रदान करना।

मीडिया योजना

2.4.15 सुरक्षा और विकास के मुद्दों के बारे में लोगों को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी देने के लिए सरकार के पास एक प्रभावी मीडिया योजना का होना आवश्यक है। सरकार की सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी स्कीमों, उनके अधिकारों और कानूनी हकों के विषय में लक्षित आबादी के बीच जागरुकता पैदा करने में मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ है। मीडिया ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों को रेखांकित करने में मदद की है कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा सरकार की स्कीमों, नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन को किस प्रकार रोक रही है। मीडिया योजनाओं के तहत आकाशवाणी पर ऑडियो स्पॉट का प्रसारण, गीत और नाटक प्रभाग के माध्यम से विकास के मामलों पर कार्यक्रम की प्रस्तुति, नेहरु युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने आदि जैसे कार्यकलाप किए गए हैं। गृह मंत्री के अनुमोदन से मीडिया दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, 5 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं, जिसमें से अब तक आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स के प्रसारण और श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से लघु फिल्मों के निर्माण और पांच स्थानों पर छठे जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के आयोजन पर 5.00 करोड़ रु. का व्यय किया गया।।

समर्पण और पुनर्वास नीति

2.4.16 भारत सरकार ने "प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास स्कीम" के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किया है, जो दिनांक 1.4.2013 से प्रभावी है। संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ–साथ, उच्च स्तर के एलडब्लूई कैडरों के लिए 2.5 लाख रू. और मध्यम/निम्न स्तर के एलडब्लूई कैडरों के आत्मसमर्पणकर्ताओं के लिए 1.5 लाख रू. का तत्काल अनुदान शामिल है, जिसे उनके नाम से सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और इसे उनके अच्छे व्यवहार की शर्त पर 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद निकाला जा सकता है। उन्हें उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षित भी किया जाएगा और उन्हें तीन वर्षों के लिए 4000 रू. प्रतिमाह का वजीफा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्कीम के तहत हथियारों/गोलाबारुद का समर्पण करने के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार, एसआरई स्कीम के तहत इस नीति में आत्मसमर्पणकर्ताओं के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा वहन किए गए व्यय की 100% प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराएगी।

2.4.17 वर्ष के दौरान निम्नलिखित बैठकें/समीक्षाएं/कार्यशालाएं आदि आयोजित की गई थीं:

(i) दिनांक 05.06.2013 को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के एक अलग सत्र में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

(ii) एलडब्लूई का मुकाबला करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए भी दिनांक 25.07.2013 और 26.07.2013 को एक दो–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(iii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के नोडल अधिकारियों के साथ देश में एलडब्लूई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 04.09.2013 को अपर सचिव (नक्सल प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

(iv) एलडब्लूई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 9 एलडब्लूई प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों और सीएपीएफ के साथ दिनांक 25.09.2013 को केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

(v) वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर विचार–विमर्श करने के लिए संसदीय सौध, नई दिल्ली में दिनांक 18.10.2013 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

निष्कर्ष

2.4.18 भारत सरकार का मानना है कि विकास और सुरक्षा संबंधी उपायों के संयोजन से एलडब्लूई समस्या को सफलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी और स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होना देना चाहते और वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, सरकारी अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को नष्ट करने के लिए उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्लूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। इसे माओवादियों पर हिंसा त्यागने, मुख्य धारा में शामिल होने और इस तथ्य को स्वीकर करने कि 21वीं सदी की सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक विचारधारा और अपेक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए सिविल समाज और मीडिया को इस तथ्य को स्वीकार करने की जरुरत है। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक विजन के माध्यम से एलडब्लूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा आरंभ किए गए उपायों के कारण पिछले दो वर्षों अर्थात 2011 और 2012 में एलडब्लूई हिंसा में काफी कमी आई है और 2013 में भी इसमें कमी का रुझान जारी रहा। तथापि, वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादियों द्वारा बड़े हमले देखे गए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति चिंता का विषय है। तथापि, भारत सरकार अपने समस्त संसाधनों के साथ माओवादी विद्रोह से कड़ाई से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों/पीड़ितों के परिवारों को सहायता देने की केन्द्रीय योजना

2.4.19 भारत सरकार आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों के परिवारों के भरण–पोषण और रख–रखाव के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसे "आतंकवादी/साम्प्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों को केन्द्रीय सहायता" का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, पीड़ितों/पीड़ित के निकटतम संबंधी (एनओके) को 3 लाख रू. की राशि दी जाती है, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो। 3 लाख रू. की यह राशि तीन वर्षों की सावधि के लिए आवधिक जमा के रूप में दी जाती है, जिसका तिमाही ब्याज लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाता है। 3 वर्ष के पश्चात, 3 लाख रू. की मूल राशि को लाभार्थी के बचत खाते में जमा कर दिया जाता है। इस योजना के तहत नक्सली हिंसा के लाभार्थियों को दी गई सहायता सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के अंतर्गत दिए गए एक लाख रू. के अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त है।

2.4.20 केन्द्रीय सहायता योजना के दिशानिर्देशों को जून, 2012 में संशोधित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आतंकी हिंसा के पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधी को सहायता का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा तुरंत किया जाएगा और इसके पश्चात, राज्य सरकार अर्द्ध–वार्षिक आधार पर (दिनांक 31 दिसम्बर और 30 जून तक) प्रतिपूर्ति हेतु गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। केन्द्र सरकार प्रतिपूर्ति के 70% का तुरंत भुगतान करेगी और शेष 30% का भुगतान गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग से लेखापरीक्षा की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जाएगा।

2.4.21 वर्ष 2013–14 के दौरान (दिनांक 31.03.2014 तक) गृह मंत्रालय द्वारा 6,30,000 रू. जारी किए गए हैं। दिनांक 14.11.2013 को राज्य सरकारों को अनुस्मरण कराया गया था कि वे आतंकवाद, साम्प्रदायिक और वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को प्रदान की गई सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेज दें। आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों को सहायता की केन्द्रीय योजना के नए दिशा–निर्देशों

जिसे गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.06.2012 को जारी किया गया था, के कार्यान्वयन में शामिल मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए, दिनांक 05.02.2014 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 14 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राज्यों को योजना के तहत सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए पुनः अनुस्मरण कराया गया।

हथियार और गोला–बारूद

2.4.22 गृह मंत्रालय हथियार नियंत्रण नीति का पक्षधर है। तदनुसार, उचित मामलों में हथियार रखने और खेल को अपनाने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए, यह मंत्रालय हथियार नियम, 1962 में उल्लिखित प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली हथियार लाइसेंस जारी करने की सरल प्रक्रिया भी सुनिश्चित करता है।

आंतरिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु किए गए उपाय

2.5.1 वर्ष 2013–14 में, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और उसका उन्नयन करने के लिए पूर्व के वर्ष में की गई पहलों को मजबूत बनाना जारी रखा तथा आतंकवाद द्वारा उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नए उपाय भी शुरु किए। इनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) को और मजबूती प्रदान करना, मल्टी एजेंसी सेंटर (एम ए सी) और स्टेट्स मल्टी एजेंसी सेंटर (एस एम ए सी) के नेटवर्क की संपर्कता में वृद्धि करना, आतंकवाद के वित्तपोषण एवं जाली भारतीय करेंसी नोट (एफ आई सी एन) के नीतिगत मुद्दों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में समर्पित आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करने (सीएफटी) संबंधी सेल का गठन शामिल है। दिनांक 31.03.2014 तक एमएसी–एसएमएसी संपर्कता योजना के तहत 370 स्थानों को आपस में जोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना

2.5.2 सरकार ने गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना की है, जिसे आतंकवाद और आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना तैयार करने के लिए डाटा–बेसों का संयोजन करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार, नेटग्रिड की स्थापना एक ऐसी सुविधा तैयार करने के लिए की गई है, जो आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने हेतु भारत की क्षमता में वृद्धि करता है। नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसे ढांचे के रूप में की गई है जो सुरक्षा संबंधी आसूचना तक पहुंच बनाने, उनका मिलान करने, विश्लेषण करने, उनके परस्पर संबंध का पता लगाने, पूर्वानुमान करने और उसका त्वरित प्रसारण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।

2.5.3 नेटग्रिड के प्रमुख, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) होते हैं। योजना आयोग ने इसका अनुमोदन केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में किया है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नेटग्रिड परियोजना की स्थापना, होराइजन–। और होराइजन–।। के कुछ तत्वों के कार्यान्वयन हेतु 1002. 97 करोड़ रू. की धनराशि के लिए नेटग्रिड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान किया। व्यय वित्त समिति द्वारा नेटग्रिड की अवसंरचना के निर्माण हेतु डीपीआर का अनुमोदन किया गया है। वित्त मंत्रालय ने मानव संसाधन रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 13.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में नेटग्रिड की स्थापना, होराइजन–। और होराइजन–।। के कुछ तत्वों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना को दिनांक 30.06.2016 तक विस्तार प्रदान किया है। नेटग्रिड की स्थापना और होराइजन–। का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए)

2.5.4 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) का गठन, एन आई ए अधिनियम, 2008 के तहत केन्द्रीय आतंकवाद–रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में किया गया था। इसके अधिनिर्णय के अनुसरण में, एन आई ए आतंकवाद–रोधी जांच से संबंधित आसूचना का संग्रह, मिलान और विश्लेषण करती है तथा साथ ही केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सहायक आसूचना एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना साझा करती है। एन आई ए नई दिल्ली

स्थित अपने मुख्यालय और हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ और कोच्चि स्थित अपने शाखा कार्यालयों से कार्य कर रही है। इस समय, एन आई ए के कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या 735 है। अब तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन आई ए की 38 विशेष अदालतें अधिसूचित की गई हैं और 80 विशेष लोक अभियोजकों/लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, एनआईए द्वारा कुल 82 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 82 मामलों में से, 41 मामलों में आरोप–पत्र दायर किए जा चुके हैं और 8 मामलों में 27 अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि हुई है।

आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करने (सीएफटी) संबंधी सेल

2.5.5 आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) के नीतिगत मुद्दों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करने संबंधी सेल (सीएफटी सेल) कार्य कर रहा है। आतंकवाद के वित्त पोषण के संदेह वाले 49 खातों पर रोक लगा दी गई है।

2.5.6 देश के अंदर जाली मुद्रा के परिचालन के खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्यों/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष एफ आई सी एन समन्वय ग्रुप (एफ सी ओ आर डी) का गठन किया गया है।

2.5.7 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ) नामक अंतर–सरकारी संगठन को, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए नीतियां तैयार करने का अधिदेश प्राप्त है। इसने कतिपय सिफारिशें की हैं जिनका विधायन और अन्य विधिक रूप से मान्य उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन किया जाना अपेक्षित था। सभी सदस्य देशों के आतंकवादी क्रियाकलापों और धन शोधन से निपटने वाले विधायी ढांचे की एफ ए टी एफ द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। जून, 2013 में ओस्लो, नार्वे में आयोजित अपनी प्लेनरी में एफएटीएफ ने आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित प्रावधान के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में हाल ही में भारत द्वारा किए गए संशोधनों की सराहना की। इसके परिणामस्वरूप, भारत एफएटीएफ की निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया से मुक्त हो गया है।

2.5.8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय आसूचना/जांच एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आतंक के वित्तपोषण के ढांचे के साथ–साथ इस खतरे का अत्यधिक प्रभावी रूप से मुकाबला करने हेतु कानूनी ढांचे के बारे में सुग्राही बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.04.2013 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

आतंक के वित्तपोषण के बारे में कार्यशाला–17.04.2013

2.5.9 आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.02.2014 से 07.02.2014 तक नई दिल्ली में बहु–पक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सेटक) के उप–समूह स्तर की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विचार–विमर्श का विषय आतंकवाद के वित्तपोषण से संबद्ध जाली करेंसी नोटों का मुकाबला करने में क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि था।

फरवरी, 2014 में नई दिल्ली में बिम्स्टेक की 6ठी बैठक

2.5.10 उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय करेंसी के निर्माण, तस्करी अथवा वितरण को "आतंकवादी कार्य" के रुप में घोषित करने के परिणामस्वरुप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 के अधीन ऐसे मामलों की जांच हेतु विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निर्देशक सिद्धांतों के रुप में दिनांक 29.09.2013 को उच्च गुणवत्ता वाली जाली करेंसी अपराध की जांच नियम, 2013 को अधिसूचित किया गया है।

2.5.11 भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों पर विचार करते हुए, सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की सूची को विस्तारित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को पारिभाषित करने वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की तृतीय अनुसूची में संशोधन किया गया है।

पाकिस्तान के न्यायिक आयोग का दौरा

2.5.12 भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच करार के अनुसार, पाकिस्तान के एक न्यायिक आयोग ने दिनांक 14.03.2012 से 21.03.2012 तक भारत का दौरा किया और दिनांक 26.11.2008 के मुंबई आतंकी हमले के संबंध में चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई के न्यायालय में चार गवाहों का साक्ष्य/बयान दर्ज किया। उक्त आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में गिरफ्तार सात अभियुक्तों के संबंध में एटीएस न्यायालय, रावलपिंडी में सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि उक्त आयोग को गवाह के क्रॉस परीक्षण की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए इकट्ठा किए गए साक्ष्य को मान्यता नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी अधिकारियों ने गवाहों के क्रॉस–परीक्षण के लिए पाकिस्तानी न्यायिक आयोग के भारत के पुनः दौरे का अनुरोध किया।

2.5.12.1 तत्पश्चात, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सहमति वाले संशोधित "व्यवस्था की पुष्टि" के अनुसार, जिसमें अभियोजन पक्ष के चार गवाहों से जिरह की अनुमति दी गई है, न्यायिक आयोग का दूसरा दौरा दिनांक 23.09.2013 से 25.09.2013 तक हुआ। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई के न्यायालय में न्यायिक आयोग की कार्यवाही का सफलतापूर्वक निष्पादन हुआ। अब मुंबई आतंकी हमले के मामले में गिरफ्तार सात अभियुक्तों के विरुद्व एटीसी न्यायालय, रावलपिंडी में पाकिस्तान के अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायिक आयोग की कार्यवाही का उपयोग किया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2.5.13 नई दिल्ली में दिनांक 05.06.2013 को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उदघाटन किया। इसमें दिनांक 16.04.2012 को हुए मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में उठे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। सम्मेलन में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जांच की व्यावसायिकता, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आसूचना विंग को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय आतंकवाद–रोधी केन्द्र, जेलों में सुधार और आधुनिकीकरण, साम्प्रदायिक सौहार्द, सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिलाओं के प्रति अपराध और उनका मुकाबला करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपाय, पुलिस प्रशिक्षण, वामपंथी उग्रवाद आदि पर चर्चा की गई।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए)

2.6.1 गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने के लिए, दिनांक

18.07.2011 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा मुक्ति मोर्चा (जी जे एम) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जो इस क्षेत्र की जनता के सामाजिक–आर्थिक, अवसंरचनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास को गति प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य देखेगा। दिनांक 03.08. 2012 को जी टी ए का गठन किए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अधिनियम 1988 निरस्त कर दिया गया है।

2.6.2 करार के खंड 14 के अनुसार, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जी टी ए को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को प्रदान की गई सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त जी टी ए में सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का विकास करने के लिए परियोजनाओं के वास्ते 3 वर्ष के लिए 200 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2012–13 के लिए जी टी ए को 65 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं और वर्ष 2013–14 के दौरान 100 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

सुरक्षा

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी आई पी) की सुरक्षा

2.7.1 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सार्वजनिक हैसियत की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है, जो राष्ट्रीय अभिशासन पर इसके संभावित प्रभाव के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है। आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से समय के साथ–साथ खतरा बढ़ता रहा है, जिसके फलस्वरूप अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अति विशिष्ट हस्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है। चूंकि वी आई पी की सुरक्षा को खतरा एक हमेशा बढ़ते रहने वाला कारक है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों को प्रभावकारी रूप से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है, ताकि देश में लोक व्यवस्था और शान्ति कायम रखी जा सके।

2.7.2 राज्य सरकारों को भी सतत रूप से वी आई पी सुरक्षा और उनके आवागमन से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा आगाह किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवधिक रूप से यथा आवश्यक सलाहें जारी की जाती हैं। वी आई पी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.7.3 मई, 2001 में मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने यह सिफारिश की थी कि वी आई पी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में एक विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) का सृजन किया जाए। तदनुसार, दिनांक 17.11.2006 को सीआईएसएफ में एसएसजी यूनिट अस्तित्व में आई। तदनुसार, सी आई एस एफ अपने कार्मिकों को अत्यधिक खतरे वाली विशिष्ट हस्तियों/व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को बचाकर निकालने तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्थानिक एवं सचल सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और सी आई एस एफ में एक विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) का सृजन कर दिया गया है।

विमानपत्तन सुरक्षा/मेट्रो सुरक्षा

2.7.4 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) में 11 सितम्बर, 2001 को हुए हमले के पश्चात, वर्तमान में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसलिए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के अधिप्रापण और हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ के सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

2.7.5 इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, सी आई एस एफ और अन्यों के साथ परामर्श करके किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इनके अतिरिक्त, उनके लिए मौजूदा खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में सभी नागर विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के बारे में समय–समय पर सलाहें भी जारी की जाती हैं।

2.7.6 देश में मेट्रो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कोलकाता मेट्रो को कोलकाता पुलिस के साथ–साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। दिल्ली मेट्रो के लिए सी आई एस एफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है और समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा

2.7.7 देश में महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, मूल रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थापनाओं की सुरक्षा अपेक्षाओं के बारे में समय–समय पर सलाह देता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं का संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल आदान–प्रदान किया जाता है।

2.7.8 खतरे की संभावनाओं और संवदेनशीलता के आधार पर केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां, ऐसे संयंत्रों/स्थापनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय मुहैया कराने हेतु उन्हें क, ख और ग श्रेणी में वर्गीकृत करती हैं। सुरक्षा पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अद्यतन करने के लिए इन स्थापनाओं की आवधिक सुरक्षा समीक्षा भी की जाती है।

धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा

2.7.9 देश में धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और विशेष रुप से ऐसे श्राइनों/स्थलों के संबंध में किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक परामर्शी–पत्र जारी किए जाते हैं।

◆◆◆

अध्याय III

सीमा प्रबंधन

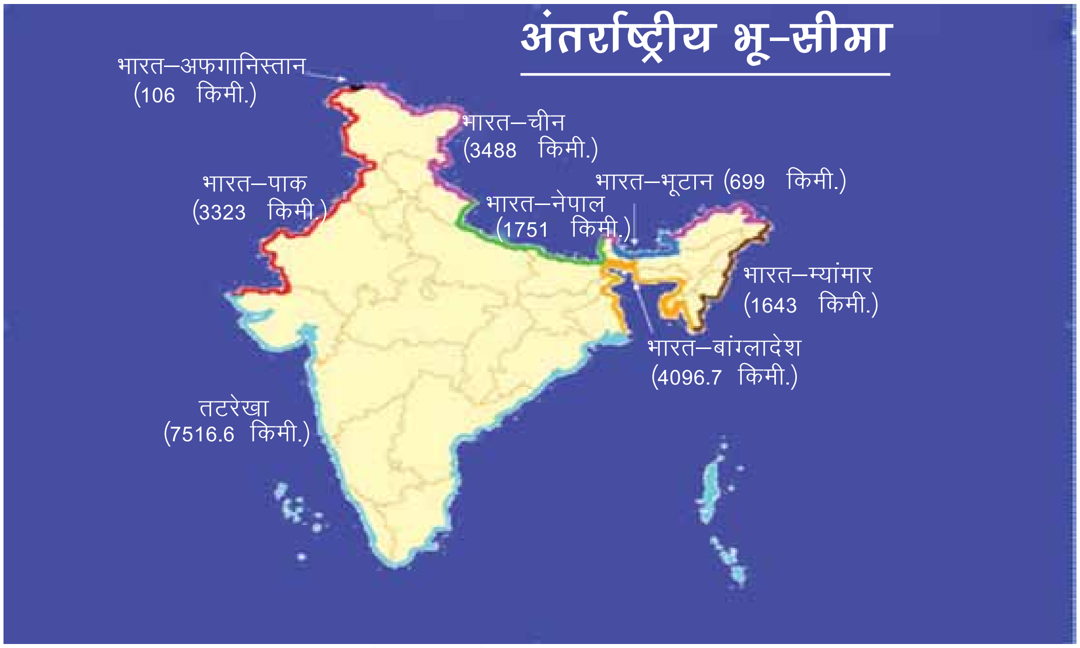

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार हैः–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	**15,106.7**

3.2 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें सीमाओं की सुरक्षा करने और इनके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और सुनियोजित कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.3 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसे आधारभूत कार्य करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

3.4 सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में सीमा प्रबंधन विभाग ने कई पहलें की हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का निर्माण करना, भारत–चीन और भारत – नेपाल सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग ने बी ए डी पी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरु किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सतर्कता

सीमा पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना

3.5 भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इन सीमाओं पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है।

भारत–बांग्लादेश सीमा (आई बी बी)

3.6 भारत की तरफ से भारत–बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में काफी जनसंख्या है और सीमा तक खेती की जाती है।

3.7 भारत–बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमापार से अवैध आप्रवासन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर सड़कों का निर्माण करने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने सहित बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा पर कुल 3,359.59 किमी. लंबे क्षेत्र में बाड़ लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 2,823.046 किमी. बाड़ लगाई जा चुकी है (31.03. 2014 तक)। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि–अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी

भारत-बांग्लादेश सीमा पर निर्मित बाड़ और सड़क

द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है। स्थलाकृतिक अड़चनों अर्थात नदी तटीय/निचले/पहाड़ी क्षेत्रों आदि की वजह से बाड़ संबंधी शेष कार्य की मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी।

3.8 इसके अतिरिक्त, 4,407.11 किमी. की मंजूरशुदा लंबाई में से 3,697.47 किमी. की सीमावर्ती गश्त सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है। बाड़ और सड़कों की चरण–वार प्रगति निम्नानुसार है:–

बाड़ लगाना

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण–I		चरण–II		कुल (चरण–I + चरण–II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	507	507	964.00	729.15	1471.00	1236.15
असम	152.31	149.29	76.72	74.94	229.03	224.23
मेघालय	198.06	198.06	264.17	148.60	462.23	346.66
त्रिपुरा	–	–	848.00	782.46	848.00	782.46
मिजोरम	–	–	349.33	233.44	349.33	233.54
कुल	**857.37**	**854.35**	**2502.22**	**1968.69**	**3359.59**	**2823.04**

सीमावर्ती सड़कें

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण–I		चरण–II		कुल (चरण–I + चरण–II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
असम	186.33	176.50	102.42	83.56	288.75	260.06
मेघालय	211.29	211.29	320.00	169.04	531.29	380.33
त्रिपुरा	545.37	480.51	637.00	512.27	1182.37	992.78
मिजोरम	153.40	153.06	481.30	294.67	634.70	447.73
कुल	**2866.39**	**2637.93**	**1540.72**	**1059.54**	**4407.11**	**3697.47**

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.9 प्रायोगिक परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में 277 किमी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो चुका है। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ–साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 2,840 किमी. की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (ई पी आई एल) और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) को सौंपा गया है। भारत–बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) के कार्य में हुई प्रगति निम्नानुसार है:

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	स्वीकृत	पूर्ण	शेष
पश्चिम बंगाल	1134.13	809.00	325.13
असम	208.74	114.40	94.34
मेघालय	443.00	159.20	283.80
त्रिपुरा	718.47	642.26	76.21
मिजोरम	335.66	38.20	297.46
कुल	**2840.00**	**1763.06**	**1076.94**

चरण–III–चरण–I में निर्मित बाड़ बदलना

3.10 पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय राज्यों में चरण–I के तहत निर्मित अधिकांश बाड़ प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, बार–बार जलमग्न आदि होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। तदनुसार, भारत सरकार ने चरण–I में निर्मित संपूर्ण बाड़ के स्थान पर 884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 861 किमी. पर बाड़ लगाने के लिए एक परियोजना (चरण–III) को मंजूरी दी है। चरण–I में 854.35 किमी. बाड़ का निर्माण किया गया था। तथापि, बाड़ को सुव्यवस्थित करने की वजह से लंबाई 861 किमी. तक बढ़ गई है।

3.11 यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी सी सी) और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) को सौंपा गया है। अब तक, 793.64 किमी. की बाड़ बदल दी गई है और 67.36 किमी. की लम्बाई में बाड़ को बदलने का शेष कार्य मुकदमे, लोक हित आदि के कारण रुका हुआ है।

भारत–पाकिस्तान सीमा (आई पी बी)

3.12 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. (जम्मू और कश्मीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) सहित) भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

3.13 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य में हुई प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

बाड़ लगाना

(लम्बाई किमी.में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक लगाई गई बाड़ की लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की शेष लम्बाई
पंजाब	553	461.00	462.45*	–––
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27*	–––
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186.00	186.00	–––
गुजरात	508	340.00	261.78	78.22
कुल	**2308**	**2043.63**	**1958.50**	**85.13**

* भौगोलिक कारकों/बाड़ को सुव्यवस्थित करने के कारण लम्बाई भिन्न है।

तेज रोशनी की व्यवस्था करना				
				(लम्बाई किमी. में)
राज्य का नाम	**सीमा की कुल लम्बाई**	**सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की स्वीकृत लम्बाई**	**सीमा पर अब तक की गई तेज रोशनी की व्यवस्था की लम्बाई**	**सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की शेष लम्बाई**
पंजाब	553	460.72	460.72	–––
राजस्थान	1037	1022.80	1022.80	–––
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186.00	176.40	9.60
गुजरात	508	340.00	293.00	47.00
कुल	**2308**	**2009.52**	**1952.92**	**56.60**

3.14 उपर्युक्त ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि भारत–पाकिस्तान सीमा के गुजरात क्षेत्र में कुछ लंबित कार्य को छोड़कर समस्त भारत–पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर निर्मित बाड़

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

3.15 अप्रत्याशित परिस्थितियों और वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप, वर्ष 2003 और 2006 में हुई अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरुप आई बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लग गया है। गुजरात क्षेत्र में बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कुछ कार्य क्षेत्र में जल भराव की वजह से रुका हुआ है। कीमतें बढ़ने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, सड़कों और बिजली आदि के कार्यों के लिए विनिर्देशनों का उन्नयन होने के कारण भी परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.03.2014 को उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 1 किमी. लम्बे जलमग्न क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने, बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना मंजूर की गई है।

3.16 सरकार ने बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजना को पूरा करने की समयावधि को बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है और इसकी 380 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृत राशि को संशोधित करके 1,201 करोड़ रुपए कर दिया है।

भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियां (बी ओ पी)

3.17 प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए भारत–बांग्लादेश सीमा (802) और भारत–पाकिस्तान सीमा (609) पर पहले से मौजूद सीमा चौकियों (बी ओ पी) के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिनांक 16.02.2009 को 1,832.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 509 अतिरिक्त बी ओ पी (भारत–बांग्लादेश सीमा पर 383 और भारत–पाकिस्तान सीमा पर 126) का निर्माण करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। इन अतिरिक्त बी ओ पी का निर्माण किए जाने से भारत–बांग्लादेश और भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात बी एस एफ की टुकड़ियों को आवास, संभार–तंत्रीय सहायता और रोकथाम करने संबंधी कार्यों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत ढांचा मिलेगा। इस परियोजना को वर्ष 2013–14 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। तथापि, इस कार्य का समय आगे बढ़ गया है।

3.18 सभी 509 बी ओ पी के निर्माण का कार्य तीन निर्माण एजेन्सियों अर्थात इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (66), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (188) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (255)

को दिया गया है। 93 बी ओ पी (भारत बांग्लादेश सीमा पर (58) और भारत पाकिस्तान सीमा पर 35) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अन्य 147 बीओपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बी ओ पी के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और भूमि के अधिग्रहण का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

3.19 ऊपर यथा उल्लिखित नई मंजूर की गई बीओपी के अतिरिक्त, भारत–पाक सीमा के गुजरात क्षेत्र के लिए संयुक्त योजना के अन्तर्गत 70 बी ओ पी की स्वीकृति वर्ष 2000 में प्रदान की गई थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी सी सी) को क्रमशः 46 और 24 बी ओ पी का निर्माण कार्य सौंपा गया है। 54 बीओपी का निर्माण पहले ही हो चुका है और 03 अन्य बी ओ पी में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि भू–क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण 15 बीओपी का निमार्ण कार्य शुरु नहीं हुआ है।

भारत म्यांमार सीमा का प्रबंधन

3.20 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। भारत–म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है।

मोरेह (मणिपुर) में बीपी सं0 79 और 81 के बीच सीमा पर बाड़ लगाना

3.21 भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी. की बिना बाड़ वाली सीमा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैण्ड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (518 किमी.) के साथ लगती है और सीमा के आर–पार 16 किमी. की दूरी तक मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति है। इससे यह अन्तरराष्ट्रीय सीमा अत्यधिक सुभेद्य हो गई है। इस सीमा पर पहाड़ी और कठिन मार्ग हैं जिस पर समग्र रूप से आधारभूत सुविधाओं की कमी है और इससे विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी) की गतिविधियों को पर्याप्त आश्रय (कवर) प्राप्त होता है।

3.22 भारत–म्यांमार सीमा क्षेत्र में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार ने भारत–म्यांमार सीमा पर बाउंडरी पिलर (बीपी) संख्या 79 से 81 के बीच के क्षेत्र (लगभग 10 किमी.) पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए 30.96 करोड़ रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। बाड़ लगाने का कार्य आरंभ करने के लिए, जमीन अधिगृहीत कर ली गई है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से भी आवश्यक मंजूरियां ले ली गई हैं। सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी, सीमा सड़क संगठन को 16.38 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 4.079 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

भारत–चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण

3.23 भारत–चीन सीमा पर अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने के लिए, सरकार ने चरण । में भारत–चीन सीमा पर परिचालनात्मक महत्व वाली 73 सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इनमें से, 46 सड़कें सामान्य सेवा सड़कें हैं, जिनका निर्माण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और 1,937 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 804 किमी. लम्बी शेष 27 सड़कों का वित्तपोषण गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ताकि भारत–चीन सीमा के सीमा चौकसी बल भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की आवाजाही प्रभावी रुप से हो सके। भारत–चीन सीमा पर इन सड़कों का निर्माण जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है।

3.24 27 आई टी बी पी सड़कों के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सड़कें) को सौंपा गया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 3 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 24 सड़कों पर कार्य चल रहा है। इन सड़कों पर 576.50 किमी. फार्मेशन कटिंग और 264.00 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा हो गया है।

भारत–नेपाल सीमा प्रबंधन

3.25 भारत और नेपाल की 1,751 किमी. खुली सीमा है, जिसमें उत्तराखण्ड (275 किमी), उत्तर प्रदेश (551 किमी), बिहार (726 किमी.), पश्चिम बंगाल (100 किमी.) और सिक्किम (99 किमी.) राज्यों के साथ लगी सीमाएं शामिल हैं। अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इस सीमा पर सुरक्षा में सुधार करने के लिए सीमा चौकसी बल (बीजीएफ) के रुप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 31 बटालियनें तैनात की गई हैं और दिनांक 31.03.2014 तक 466 सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना की गई है।

3.26 सीमा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सुकर बनाने के लिए भारत और नेपाल की सरकारों ने गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के स्तर पर सीमा जिला समन्वय समिति का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराध, तस्करी, आतंकवादी क्रियाक्रलापों से उत्पन्न स्थिति आदि जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.27 सीमा चौकसी बल (एस एस बी) की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 3,853 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 किमी.), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार (564 किमी.) राज्यों में 1,377 किमी. सामरिक सड़क के निर्माण एवं उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है।

3.28 उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति ने बिहार में 552.30 किमी. सड़क के उन्नयन/निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया है, जो अंतिम अपेक्षित लंबाई है। पूरे क्षेत्र के लिए कार्य सौंप दिया गया है और सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

3.29 इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तराखण्ड सरकार के ककराली गेट–थुलीघाट तक 12 किमी. से अधिक लम्बी सड़क के उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। यह कार्य ठेकेदार को सौंप दिया गया है। 1.5 किमी. मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है और 12 में से 9 पुलियों का निर्माण हो गया है। उत्तराखंड राज्य में शेष 135 किमी. सड़क के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदनार्थ तकनीकी समिति (टीसी) के विचाराधीन है।

3.30 जहां तक उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा सड़क का संबंध है, सरकार ने 248.23 किमी. सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। दिनांक 31.03.2014 तक कुल 17.5 किमी. मिट्टी का कार्य और 23 पुलियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा, 324 किमी. सड़क (जो अंतिम शेष अपेक्षित लम्बाई है) के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी समिति के विचाराधीन है।

भारत–भूटान सीमा प्रबंधन

3.31 669 किमी. लम्बी इस सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा चौकसी बल (बी जी एफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की 14 बटालियनें तैनात की गई हैं। एस एस बी ने सिक्किम (6), पश्चिम बंगाल (50), असम (69) और अरुणाचल प्रदेश (25) राज्यों में भारत–भूटान सीमा पर 150 बीओपी स्थापित की हैं।

3.32 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में भारत–भूटान ग्रुप के रूप में सचिव स्तरीय एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ग्रुपों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.33 भारत सरकार ने भारत–भूटान सीमा पर 1,259 करोड़ रूपए की लागत से 313 किमी. लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों का निर्माण कार्य दिनांक 01.04.2011 से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। निर्माण कार्य असम राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। 61.80 किमी. सड़क के निर्माण के लिए असम सरकार से प्राप्त डीपीआर तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा दिनांक 31.01.2012 को और उच्च स्तरीय शक्तिप्राप्त समिति (एचएलईसी)

द्वारा दिनांक 11.04.2012 को अनुमोदित कर दी गई है। इन सड़कों का निर्माण कार्य असम सरकार की भूमि के अधिग्रहण की लागत तथा अन्य सांविधिक व्यय को वहन करने की अनिच्छा की वजह से रुका हुआ है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.34 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करता रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और केन्द्रीय/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों की सुविधा और सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को समस्त आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और खुशहाली की भावना पैदा करना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 103 सीमावर्ती जिलों के 375 सीमावर्ती ब्लाक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। राज्यों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में प्रदान की जाती हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के अन्तर्गत सड़क का निर्माण

बी ए डी पी के दिशानिर्देश

3.35 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के तहत किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा जो निधियां वार्षिक आधार पर आबंटित की जाती हैं, उन्हें (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (ii) सीमावर्ती ब्लाक की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लाक के क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों को पुनः आबंटित किया जाता है। उन राज्यों को कुल आबंटन के अतिरिक्त 15% का वेटेज दिया जाता है, जिनमें पहाड़ी/रेगिस्तानी/कच्छ क्षेत्र हैं। ये निधियां, सामान्य केन्द्रीय सहायता में जोड़ दी जाती हैं और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए आबंटित किया जाता है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। पहली किस्त राज्य के कुल आबंटन का 90% होती है और दूसरी किस्त आबंटन की बाकी 10% धनराशि होती है।

3.36 इस कार्यक्रम की योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। बीजीएफ भी बी ए डी पी के तहत योजनाओं का सुझाव दे सकती है लेकिन ऐसी योजनाओं का व्यय, किसी वर्ष विशेष में कुल आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम के कुछ विशेष ध्यान दिए जाने वाले उद्देश्य हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आबंटन की कम से कम 5% धनराशि के साथ ऐसी योजनाओं को बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करें। बी ए डी पी की निधियों का उपयोग केवल अभिनिर्धारित सीमावर्ती ब्लॉकों की योजनाओं के लिए ही किया जाना चाहिए।

3.37.1 बीएडीपी का अधिक गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सीमा के अपेक्षाकृत अधिक नजदीक स्थित गांवों में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मार्ग– निर्देशों में सीमा से '0 से 10 किमी'. के बीच आने वाले गांवों के विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास पर बल दिया गया है। गांवों को जीरो लाइन से 10 किमी. के क्रम में उनके स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पक्की सड़क की कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित पेय जल, टेलीफोन सुविधा, प्राथमिक विद्यालय के भवन, पीडीएस दुकान और सामुदायिक केन्द्र जैसी सभी प्रमुख विकासात्मक अवसंरचना संबंधी सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से विकसित की जा रही हैं। हर एक गांव की खण्ड योजना एवं ग्राम योजना तैयार की जा रही है। सीमा से शून्य से 10 किमी. के बीच आने वाले गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद, बीएडीपी के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 10–15 किमी. और 15–20 किमी. के बीच आने वाले गांवों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि तदर्थ परियोजनाएं कदापि शुरु न की जाएं। दूर–दराज के गांवों के उचित एवं सतत विकास के लिए ग्राम योजनाएं जिला योजना में मिला दी जानी चाहिए। अतः यह आशा की जाती है कि परियोजनाओं का चयन अधिक संगठित और स्थानीय क्षेत्र की जरुरतों के प्रति अनुक्रियाशील होगा।

3.37.2 12वीं योजना में, अन्य चालू योजनाओं के एकीकरण और निम्नतम क्षेत्र योजना दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है, ताकि संसाधनों में वृद्धि की जा सके और अवसंरचना एवं सामाजिक–आर्थिक सेवाओं का उन्नयन किया जा सके। बीएडीपी की समीक्षा एवं निगरानी जिला तथा राज्य स्तरों पर और गृह मंत्रालय में भी की जा रही है। राज्यों तथा भारत सरकार के अधिकारी समय–समय पर दौरे कर रहे हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पीपे के पुल का निर्माण

शक्ति प्राप्त समिति

3.38 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के क्षेत्रों, जिनमें योजनाओं को शुरु किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के तौर–तरीके का निर्धारण सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शक्ति प्राप्त समिति द्वारा किया जा रहा है।

खण्डः– कल्पा, जिलाः किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) में बड़ा नाला पर पुल का निर्माण

बस्तेरी, खण्डः– कल्पा, जिलाः– किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) में बस्पा नदी पर पुल का निर्माण

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय भू–सीमा पर वर्षा आश्रय का निर्माण

बी ए डी पी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.39.1 वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 1,00,322 करोड़ रू0 और वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 99,000 करोड़ रू0 आबंटित किए गए थे। वर्ष 2013–14 के दौरान, बी ए डी पी के लिए 99,000 करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया गया है जो पिछले वर्ष के आबंटन के बराबर है। वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान बीएडीपी के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों और वर्ष 2013–14 के दौरान आबंटन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:.

(रू. लाख में)

राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		कम/अधिक राशि जारी किए जाने का कारण
	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि	
अरुणाचल प्रदेश	15433.00	15433.00	12451.35	12451.35	9277.00	6594.05	वर्ष 2011–12 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
असम	1980.01	1980.01	1032.74	1032.74	3480.00	–	वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
बिहार	5577.00	5577.00	6664.00	6664.00	6084.00	6084.00	–
गुजरात	3616.82	3616.82	4505.00	4505.00	4505.00	4505.00	–
हिमाचल प्रदेश	2000.00	2000.00	2320.00	2320.00	2100.00	2100.00	–
जम्मू और कश्मीर	12462.40	12462.40	13394.00	13394.00	12800.00	15800.00	बचत राशियों में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।
मणिपुर	2000.00	2000.00	1929.48	1929.48	2200.00	2200.00	–
मेघालय	3140.00	3140.00	2989.25	2989.25	2100.00	2897.00	बचत राशियों में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।
मिजोरम	3839.73	3839.73	4017.00	4017.00	4017.00	5446.94	कंटीले तार की बाड़ लगाने की वजह से विस्थापित हुए गांवों के पुनर्वास के लिए बचत राशियों और आरक्षित राशि में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।
नागालैंड	2015.00	2015.00	2000.00	2000.00	2000.00	3000.00	बचत राशियों में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई
पंजाब	3292.00	3292.00	4069.88	4069.88	3526.00	3217.76	वर्ष 2011–12 के लिए पूर्ण कार्य योजना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
राजस्थान	11509.00	11509.00	13973.00	13973.00	13773.00	13773.00	–
सिक्किम	2085.00	2085.00	2000.00	2000.00	2000.00	2400.00	बचत राशियों में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई
त्रिपुरा	9635.00	9635.00	4825.00	4825.00	4825.00	4825.00	–

उत्तर प्रदेश	4876.00	4876.00	4982.00	4982.00	4982.00	5293.59	बचत राशियों में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।
उत्तराखंड	3298.00	3298.00	3365.00	3365.00	3565.00	4651.16	आपदा प्रभावित योजनाओं के लिए आरक्षित राशि में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।
पश्चिम बंगाल	13563.04	13563.04	14482.30	14482.30	15835.00	16212.50	बचत राशियों में से अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।
	100322.00	100322.00	99000.00	99000.00	97069.00	99000.00	
	अप्रत्याशित कार्यों के लिए आरक्षित रखा गया				1931.00	–	
	कुल योग				99000.00	99000.00	

3.39.2 **बी.ए.डी.पी. की प्रबंध सूचना प्रणाली का समावेशः** बी.ए.डी.पी. के संबंध में एक प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) साफ्टवेयर विकसित किया गया है और मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। वित्तीय निर्गम, निगरानी और ई–फाइलिंग सहित सभी क्रियाकलाप एम आई एस के माध्यम से होंगे। इससे ई–आफिस का कार्यान्वयन और राज्यों के साथ त्वरित समन्वय होगा।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.40 भारत की तटरेखा 7,516.6 किमी. है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। इस तटरेखा पर नौ राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह अवस्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तटरेखा की लम्बाई नीचे दी गई हैः–

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1	**गुजरात**	1214.70
2	**महाराष्ट्र**	652.60
3	**गोवा**	101.00
4	**कर्नाटक**	208.00
5	**केरल**	569.70
6	**तमिलनाडु**	906.90
7	**आंध्र प्रदेश**	973.70
8	**ओडिशा**	476.70
9	**पश्चिम बंगाल**	157.50
10	**दमन और दीव**	42.50
11	**लक्षद्वीप**	132.00
12	**पुडुचेरी**	47.60
13	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.41 तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार समुद्र (सीमान्तर्गत जलक्षेत्र) में 12 नाविक मील तक है और भारतीय तट रक्षक का क्षेत्राधिकार बेसलाइन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सीमाओं तक अर्थात समुद्र में 0 से 200 नाविक मील तक है। 200 नाविक मील से आगे का क्षेत्र (हाई सी) भारतीय नौसेना के क्षेत्राधिकार के अन्दर आता है। इस प्रकार समस्त तट पर त्रि–स्तरीय तटीय सुरक्षा समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

3.42 भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय एवं अपतटीय दोनों सुरक्षा शामिल है।

3.43 भारतीय तटरक्षक को तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत सभी समुद्री जोनों में भारत के हितों की सुरक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में भी नामित किया गया है।

3.44 तटरक्षक महानिदेशक को तटीय कमांड के कमांडर के रुप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

3.45 तटरक्षक को तटों पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय एवं आसूचना के आदान–प्रदान के लिए कार्यात्मक व्यवस्था करने के लिए तटों के लिए अग्रणी आसूचना एजेंसी के रुप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना

3.46 तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों पर गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए समुद्री पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।

3.47 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई भावी योजनाओं पर आधारित तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I) 5 वर्षों की अवधि में 551 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय (400 करोड़ रुपए अनावर्ती और 151 करोड़ रुपए आवर्ती) के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। तदनन्तर, यह योजना 95 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय के साथ मार्च 2011 तक 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई थी, जिससे अंतिम परिव्यय की राशि 646 करोड़ रुपए हो गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 जांच चौकियां, 56 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें और 212 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई गई थीं। तट रक्षक स्टेशन मुख्य केन्द्र के रुप में और तटीय पुलिस स्टेशन सहायक केन्द्र के रुप में कार्य करते हैं। योजना का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। गार्डन रीच शिपिंग एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता पूर्वी तट पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई 88 इन्टरसेप्टर नौकाओं को एएमसी/मरम्मत की सेवाएं प्रदान करता है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पश्चिमी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई 116 इन्टरसेप्टर नौकाओं को एएमसी/मरम्मत सेवा प्रदान करता है।

3.48 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) 26/11 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सुभेद्यता/अन्तराल विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इस समय, तटीय सुरक्षा योजना का चरण–II 1,580 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2011 से कार्यान्वित किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 समुद्री पुलिस स्टेशन, 60 जेटीज, 10 समुद्री पुलिस परिचालन केन्द्र, 150 नौकाएं (12 टन), 10 नौकाएं (5 टन), 20 नौकाएं, (19मी.) 35 रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए 10 बड़े जलयान, 131 चार पहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई जानी हैं। विभिन्न संघटकों के राज्य–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन	नौकाएं		जेटियों की संख्या	चार पहिया वाहन	मोटर साइकिल	समुद्री पुलिस प्रचालन केन्द्र	बड़े जलयान
			12 टन	अन्य					
1	गुजरात	12	21	10(5 टन)	5	12	24	–	–
2	महाराष्ट्र	7	14	–	3	7	14	–	–

3	गोवा	4	4	–	2	4	8	–	–
4	कर्नाटक	4	12	–	2	4	8	–	–
5	केरल	10	20	–	4	10	20	–	–
6	तमिलनाडु	30	–	20(19मी.)	12	30	60	–	–
7	आंध्र प्रदेश	15	30	–	7	15	30	–	–
8	ओडिशा	13	26	–	5	13	26	–	–
9	पश्चिम बंगाल	8	7	–	4	8	16	–	–
10	दमन और दीव	2	4	–	2	2	4	–	–
11	लक्षद्वीप	3	6	12#	2	3	6	–	–
12	पुडुचेरी	3	6	–	2	3	6	–	–
13	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	–	23#	10	20	20	10	10
	कुल	**131**	**150**	**75**	**60**	**131**	**242**	**10**	**10**

आरआईबी (रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट)

प्रत्येक तटीय पुलिस स्टेशन के लिए निगरानी उपस्कर, कम्प्यूटर सिस्टम और फर्नीचर के लिए 15 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।

3.49 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I एवं चरण–II) के अन्तर्गत, जनशक्ति संबंधित तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। भारत सरकार प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है। आरंभ में तट रक्षक द्वारा समुद्री पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण जुलाई, 2006 में शुरु किया गया था। सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और इससे नीचे के रैंक वाले समुद्री पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण 10 तट रक्षक जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में 3 सप्ताह का अभिविन्यास माड्यूल और 1 सप्ताह का सेवा कालीन प्रशिक्षण (ओजेटी) माड्यूल शामिल है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, भारतीय तट रक्षक द्वारा 3,385 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) का कार्यान्वयन

3.50 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) का कार्यान्वयन निम्नानुसार है:

3.50.1 **तटीय पुलिस स्टेशन (सी.पी.एस.)**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	प्रचालनात्मक बनाये गए तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	भूमि/स्थल का चयन (सं.)	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू (सं.)	जमीन अधिग्रहीत की गई/कब्जे में (सं.)	निर्माण कार्य का प्रारंभ
गुजरात	12	12	12	4	8	–
महाराष्ट्र	07	6	7	2	5	–
गोवा	4	3	4	3	1	–
कर्नाटक	4	4	4	1	3	3
केरल	10	8	10	6	4	4
तमिलनाडु	30	0	30	3	27	2

आंध्र प्रदेश	15	15	15	2	13	2
ओडिशा	13	0	13	2	11	3
पश्चिम बंगाल	8	8	8	0	8	1
दमन और दीव	2	0	2	0	2	–
पुडुचेरी	3	3	3	0	3	–
लक्षद्वीप	3	3	3	1	2	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	0	20	–
कुल	**131**	**82**	**131**	**24**	**107**	**15**

राज्यों को सी.पी.एस. का निर्माण किए जाने तक, सीपीएस को किराए के भवनों में चालू करने और प्रत्येक सीपीएस का कार्यक्षेत्र अधिसूचित करने की सलाह दी गई है ताकि तटरेखा को पूरी तरह कवर किया जा सके।

3.50.2 **जेटीज**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्वीकृत जेटीज की संख्या**	**भूमि/स्थल का चयन (सं.)**	**भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू (सं.)**	**जमीन अधिग्रहीत की गई/कब्जे में (सं0)**	**जेटीज का निर्माण कार्य प्रारंभ (सं.)**
गुजरात	5	5	–	–	–
महाराष्ट्र	3	3	2	1	–
गोवा	2	2	–	–	–
कर्नाटक	2	2	1	1	–
केरल	4	4	4	1	–
तमिलनाडु	12	12	–	6	–
आंध्र प्रदेश	7	7	–	–	–
ओडिशा	5	2	–	–	–
पश्चिम बंगाल	4	4	2	–	–
दमन और दीव	2	2	–	2	1
पुडुचेरी	2	2	2	–	–
लक्षद्वीप	2	2	2	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	10	–	–	–
कुल	**60**	**57**	**13**	**10**	**1**
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां जेटीज को विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों के निकट स्थापित करने का परामर्श दिया गया है।					

गृह मंत्रालय द्वारा 10 बड़े जलयानों की खरीद केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए की जा रही है। जहां तक नौकाओं की खरीद का संबंध है, गह मंत्रालय तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कर रहा है और तत्पश्चात नौकाओं की खरीद के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने समुद्री पुलिस प्रचालन केन्द्रों की स्थापना के लिए पहल की है।

3.50.3 **वाहन**

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	चार पहिया वाहन (सं.)		दुपहिया वाहन (सं.)	
	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए
गुजरात	12	12	24	24
महाराष्ट्र	7	7	14	–
गोवा	4	–	8	–
कर्नाटक	4	4	8	8
केरल	10	–	20	–
तमिलनाडु	30	–	60	–
आंध्र प्रदेश	15	15	30	30
ओडिशा	13	–	26	–
पश्चिम बंगाल	8	–	16	–
दमन और दीव	2	–	4	–
पुडुचेरी	3	3	6	6
लक्षदीप	3	3	6	6
अण्डमान और निकोबार दीप	20	20	20	–
कुल	**131**	**57**	**242**	**74**

पी.ओ.एल. प्रभारों की प्रतिपूर्ति

3.51 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I) के अन्तर्गत आपूर्ति की गई नौकाओं के पीओएल व्यय की प्रतिपूर्ति 12 टन वाली नौका के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए और 5 टन वाली नौका के लिए प्रतिमाह 4 लाख रुपए की दर से आवर्ती परिव्यय से की गई है।

3.52 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 122.56 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

तटीय सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय

3.53 तट रक्षक को सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श करके मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करने का कार्य विशिष्ट रुप से सौंपा गया है, ताकि एजेंसियों के बीच समन्वय विकसित किया जा सके और सूचना के निर्बाध प्रवाह में सहायता प्रदान की जा सके।

3.54 तटरक्षक द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तटीय सुरक्षा अभ्यास छमाही आधार पर आयोजित किए जाते हैं और इन अभ्यासों के दौरान मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को विधिमान्य बनाया जाता है। तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों की अध्यक्षता में अभ्यास के उपरांत बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें सभी स्टेकहोल्डर भाग लेते हैं। सीखी गई बातों पर विचार–विमर्श किया जाता है और इसकी सूचना सभी स्टेकहोल्डरों को दी जाती है। वर्ष 2009 से आज की तारीख तक तटरक्षक द्वारा 103 तटीय सुरक्षा अभियान चलाए गए हैं।

3.55 समुद्री पुलिस और सीमा शुल्क के साथ संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) को संस्थागत बनाया गया है और विशेष रुप से गुजरात क्षेत्र में लगाई जा रही है। इसके अलावा, आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर, तटीय सुरक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2009 से, कुल 87 तटीय सुरक्षा अभियान चलाए गए हैं।

3.56 इसके अतिरिक्त, भारतीय तटरक्षक समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने के लिए मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में सुग्राही बनाने और आसूचना के

संग्रहण के लिए उन्हें "आंख और कान" के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2009 से, दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार कुल 2,483 सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र

3.57 देश की तटीय सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा नौसेना प्रमुख, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, पोत परिवहन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी तथा राजस्व सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सचिव (आर) मंत्रिमंडल सचिवालय, निदेशक (आईबी), महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, मुख्य सचिव (प्रशासन), तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अध्यक्ष (सी बी ई सी), वित्त मंत्रालय सहित मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में "समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति" (एनसीएसएमसीएस) का गठन किया गया है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 06.09.2013 की आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

3.58 तटीय सुरक्षा की समीक्षा के लिए मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसकी पिछली बैठक दिनांक 07.03.2014 को आयोजित की गई थी। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं और तटीय सुरक्षा योजना के कार्यक्रम की स्थिति के संबंध में फीडबैक प्रदान करते हैं।

तटीय सुरक्षा में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें

3.59 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारी में सुधार करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीमा शुल्क के साथ भारतीय तटरक्षक द्वारा समन्वित "सागर कवच" जैसे तटीय सुरक्षा अभ्यास हर 6 महीने में आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अभ्यास सहक्रिया एवं सामंजस्य उत्पन्न करने में बहुत उपयोगी रहे हैं। स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए प्रत्येक अभ्यास में सीखी गई बातों और सामने आई कमियों के बारे में बताने के तौर–तरीके तैयार किए गए हैं। ऐसे अभ्यासों के दौरान, मछुआरों के साथ नियमित रुप से बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि उन्हें तटीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। 26/11 के पश्चात, दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 91 सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

3.60 रक्षा मंत्रालय ने भी मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्टब्लेयर में चार संयुक्त प्रचालन केन्द्र स्थापित किए हैं, जिनकी जनशक्ति और प्रचालन का प्रबंध संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नौसेना और तटरक्षक द्वारा संयुक्त रुप से किया जाता है।

3.61 भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार बड़ा बन्दरगाह विकसित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और छोटे बन्दरगाहों का विकास करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सभी बड़े बन्दरगाहों में सुरक्षा प्रदान कर रही है। चूंकि छोटे बन्दरगाह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए छोटे बन्दरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

3.62 सागर प्रहरी बल (एसपीबी) में 1000 कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरु कर दी गई है। कार्मिकों की वास्तविक तैनाती फास्ट इन्टरसेप्टर क्राफ्टों (एफ आई सी) के आने पर की जाएगी। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 17 अधिकारियों और 341 नाविकों की भर्ती की गई है।

3.63 दो समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (एमपीटीआई), एक पूर्वी तट पर और दूसरा पश्चिमी तट पर, स्थापित करने का प्रस्ताव है। एम पी टी आई की स्थापना करने के लिए, बड़े कस्बे/शहर के साथ कनेक्टिविटी के साथ–साथ तट–क्षेत्र सहित जमीन तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी है। तटीय राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें बीपीआर एण्ड डी, नौसेना तथा तट रक्षक के सदस्य शामिल हैं। पश्चिमी तट के मामले में, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपेक्षित जमीन का प्रस्ताव किया है। पूर्वी तट के मामले में, आंध्र प्रदेश सरकार ने आवश्यक जमीन का प्रस्ताव किया है। सरकार द्वारा तटीय सुरक्षा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं पर सम्यक रुप से विचार करने के पश्चात संस्थानों के स्थान के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)/ मछुआरा पहचान–पत्र

3.64 दो प्रकार के पहचान–पत्र हैं, अर्थात तटीय गांवों के लोगों के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी एनपीआर पहचान–पत्र और पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मछुआरों को जारी मछुआरा पहचान–पत्र। आरजीआई ने दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 18 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले 67,50,719 व्यक्तियों के बायोमीट्रिक ब्यौरे प्राप्त कर लिए हैं और 65,72,523 एनपीआर पहचान–पत्र वितरित कर दिए हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग ने 11,25,273 मछुआरा पहचान–पत्र तैयार करके वितरित कर दिये हैं। आरजीआई कार्ड सभी तटीय लोगों के लिए हैं, जबकि पशुपालन, डेयरी ओर मात्स्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए कार्ड केवल मछुआरों के लिए हैं।

जलयानों/नौकाओं का पंजीकरण

3.65 जून 2009 में कुल 20 मीटर से कम की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों का एक समान पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकसमान पंजीकरण व्यापारिक जहाज अधिनियम, 1958 के तहत किया जाता है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, नई आनलाइन पंजीकरण प्रणाली के तहत कुल 1,91,559 मत्स्यन जलयानों का पंजीकरण किया गया है।

3.66 20 मीटर से बड़े मत्स्यन जलयानों/नौकाओं का पंजीकरण करने के लिए राज्य मात्स्यिकी विभाग को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए व्यापारिक जहाज अधिनियम में संशोधन पोत परिवहन मंत्रालय में विचाराधीन है।

नौकाओं के लिए ट्रैकिंग प्रणाली (ट्रांसपोंडर)

3.67 20 मीटर से कम लम्बी नौकाओं के लिए, नौसेना द्वारा प्रायोगिक अध्ययन के बाद आर एफ आई डी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस) की योजना बनाई जा रही है।

3.68 पोत परिवहन मंत्रालय भी 20 मीटर से कम की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों पर आटोमैटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (प्रोप्राइटरी ट्रांसपोडर) (एआईएस(जी) लगाने के संबध में एक प्रायोगिक अध्ययन कर रहा है।

3.69 नौवहन महानिदेशक ने जहाज के मालिकों, जहाज प्रबंधकों, शिपिंग एजेंटों, शिप मास्टरों, जहाज निर्माताओं आदि को दिनांक 06.01.2009 और 07.05.2009 को दो परिपत्र जारी किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों सहित सभी प्रकार के जलयानों पर आटोमैटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (ए आई एस) टाइप बी लगा दिए गए हैं।

राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी) का गठन

3.70 भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, पोत परिवहन मंत्रालय बड़े पत्तनों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जबकि छोटे पत्तनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें/राज्य समुद्री बोर्ड उत्तरदायी हैं। छोटे पत्तनों के प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन के लिए गुजरात (1982), महाराष्ट्र (1996) और तमिलनाडु (1997) ने एसएमबी का गठन कर दिया है। पुडुचेरी ने समुद्री सुरक्षा समिति का गठन किया है और दमन एवं दीव ने समुद्री सलाहकार समिति का गठन किया है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा की सरकारों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को यथाशीघ्र एसएसबी का गठन करने का परामर्श दिया गया है।

चूंकि पश्चिम बंगाल राज्य में कोई छोटा या बड़ा बन्दरगाह नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार का यह मत है कि एसएमबी की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 मीटर से अधिक की लंबाई वाले सभी जलयानों पर एआईएस उपकरण लगा होना अनिवार्य है। यदि यह उपकरण नहीं लगा है, तो वार्षिक आधार पर ऐसे जलयानों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

एकीकृत जांच चौकियों का विकास

3.71 भारत की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण अच्छा सीमा–प्रबन्धन करना अनिवार्य है, अतः यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाएं जिनसे इन समस्याओं का समाधान करने के साथ–साथ व्यापार और वाणिज्य की भी सुविधा हो सके। देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसे विभिन्न नियत प्रवेश और निकासी स्थल हैं जहां से लोगों, सामान और यातायात की सीमा पार आवाजाही होती है।

3.72 हमारी भू–सीमाओं पर इन स्थलों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास इस समय उपलब्ध आधारभूत ढांचा सामान्य रूप से अपर्याप्त है। वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक, होटल, आदि जैसी सभी नियामक एवं सहायक सुविधायें भी या तो अपर्याप्त हैं या हैं ही नहीं। बिल्कुल निकट स्थित होने पर भी विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।

3.73 इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार की जाती है। जिन उपायों के बारे में सहमति व्यक्त की गई थी, उनमें से एक उपाय हमारी भू– सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) या भू–पत्तनों की स्थापना करना है। इन एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) में आप्रवासन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा आदि जैसी सभी विनियामक एजेंसियों के साथ–साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई)

3.74 भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 01.03.2012 को आई सी पी की स्थापना, विकास और प्रबंधन के अधिदेश के साथ की गई है। एल पी ए आई सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन एक स्वायत्तशासी एजेंसी के रुप में कार्य करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राज्य विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। यह अपने कार्यों में संबंधित राज्य सरकारों और बीजीएफ को भी शामिल करता है।

3.75 सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 635 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से योजनागत स्कीम के रुप में भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश और भारत–म्यांमार सीमाओं पर 13 स्थानों पर आई सी पी की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया था।

एकीकृत जांच चौकी, अटारी पर पैसेंजर टर्मिनल

श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा आई सी पी अगरतला का उद्घाटन

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इन 13 आईसीपी की स्थिति निम्नानुसार हैः

क) अटारी में आईसीपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे दिनांक 13.04.2012 से कार्यरत बना दिया गया है।

ख) अगरतला में भी आईसीपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और गृह मंत्री द्वारा दिनांक 17.11.2013 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है।

ग) अन्य आईसीपी अर्थात पेट्रापोल, रक्सौल, जोगबनी तथा मोरेह में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

घ) दवकी में आई सी पी के संबंध में, निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।

ङ) रुपैडिहा (उत्तर प्रदेश) के मामले में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और सुनौली (उत्तर प्रदेश) के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में हिली और चन्द्रबंधा, मिजोरम में कवरपुचिया तथा असम में सुतारखंडी के मामले में भूमि के चयन को अंतिम रुप प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

आई सी पी पर प्रदान की गई सुविधाएं

3.76 यह परिकल्पना की गई है कि आई सी पी एकीकृत परिसर के तहत व्यक्तियों, वाहनों और सामान की सहज सीमा पर आवाजाही के लिए शासकीय और गैर–शासकीय कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं में सुविधा होगी। इसमें सक्षम बनाने के लिए, आई सी पी पर प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैंः

i) पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग

ii) इन्टरनेट की सुविधा

iii) कार्गो निरीक्षण शेड

iv) संगरोध प्रयोगशाला

v) बैंक

vi) डी एफ एम डी/एच एच एम डी

vii) आइसोलेशन बे

viii) कैफेटेरिया

vix) करेंसी एक्सचेंज

x) कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग

xi) वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज

xii) क्लीयरिंग एजेंट

xiii) स्कैनर

xiv) सी सी टी वी/पी ए सिस्टम

xv) पार्किंग

xvi) अन्य सार्वजनिक उपयोगी वस्तुएं

सीमा हाट

3.77 जनवरी, 2010 में बांग्लादेश के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने चुनिंदा स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर सीमा हाट स्थापित करने का निर्णय लिया था। भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट और सीमा व्यापार के संबंध में दोनों देशों के बीच दिनांक 23.10.2010 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

3.78 निम्नलिखित स्थानों पर दो सीमा हाट पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं:

1. कलाइचार (मेघालय, भारत)–बलियामारी (कुरीग्राम, बांग्लादेश)।
2. डोलोरा (सुनामगंज, बांग्लादेश)–बालाट (मेघालय, भारत)।

3.79 भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों और बांग्लादेश सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में सीमा हाट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरु की है। सीमा सुरक्षा बल ने भारत–बांग्लादेश सीमा (पश्चिम बंगाल–35, असम–4, मेघालय–22, त्रिपुरा–5) पर सीमा हाट की स्थापना के लिए 66 स्थानों का अभिनिर्धारण किया है।

◆◆◆

अध्याय IV

केन्द्र–राज्य संबंध

4.1 संघीय राजव्यवस्था में, घटक इकाइयों के बीच वृहत सामूहिक हित और आपसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए नीतियों का समन्वयन और उनका सुव्यवस्थित कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में नीतियों के ऐसे समन्वयन और उनके कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

अंतर–राज्य परिषद (आई एस सी)

4.2 केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में अन्तर–राज्य परिषद (आई एस सी) का गठन दिनांक 28.5.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत वर्ष 1990 में किया गया था।

4.3 अन्तर–राज्य परिषद एक अनुशंसात्मक निकाय है तथा इसको ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने तथा संस्तुतियां करने के कार्य सौंपे गए हैं जिनमें उस विषय से संबंधित नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वयन हेतु कुछ अथवा सभी राज्यों एवं केन्द्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसके सामने लाए गए राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी अन्तर–राज्य परिषद विचार–विमर्श करती है।

4.4 प्रधान मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के पाँच मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। परिषद का पिछला पुनर्गठन दिनांक 23.09.2013 को किया गया था।

4.5 परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं तथा बैठक में परिषद के विचाराधीन सभी मुद्दों पर आम सहमति से निर्णय लिया जाता है तथा आम सहमति पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में उल्लिखित कार्य अर्थात् राज्यों के बीच पैदा हुए विवादों की जांच करने और सलाह देने का कार्य नहीं सौंपा गया है।

4.6 अब तक (दिनांक 31.03.2014 तक) अन्तर राज्य परिषद की 10 बैठकें हो चुकी हैं। अपनी पहली 8 बैठकों में, परिषद ने केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों पर ध्यान केन्द्रित किया था और सभी सिफारिशों पर विचार किया था। इसकी 247 सिफारिशों में से, 180 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है, 65 सिफारिशों को अन्तर–राज्य परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों/संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा केवल 02 सिफारिशें स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अभी भी कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

4.7 परिषद ने अन्य सार्वजनिक नीतियों तथा अभिशासन के मुद्दों पर भी विचार किया है, जो कि ये हैं:–

(क) संविदागत श्रम और संविदागत नियुक्ति;

(ख) सुशासन संबंधी कार्रवाई योजना की रूपरेखा;

(ग) आपदा प्रबंधन – आपदाओं से निपटने हेतु राज्यों की तैयारी;

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति।

4.8 अन्तर–राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था ताकि निरंतर परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई की जा सके। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 23.09.2013 को किया गया था। माननीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और छह कैबिनेट मंत्री तथा नौ मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। अब तक, अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति की 10 बैठकें हो चुकी हैं (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)।

4.9 परिषद का सचिवालय अन्तर–राज्य परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी करता है और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति/परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

4.10 परिषद के सचिवालय ने सार्वजनिक नीति और अभिशासन संबंधी मुद्दों पर निम्नलिखित अध्ययन किए हैं:–

(i) कोयला, जल–विद्युत तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित खनिजों के संबंध में संसाधनों को सृजित करने वाले राज्यों को मुआवजा;

(ii) सब–नेशनल गवर्नेंस;

(iii) कृषि उत्पादों और वस्तुओं के साझा भारतीय बाजार की स्थापना;

(iv) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों का मूल्यांकन;

(v) शहरी फेरीवालों के लिए राष्ट्रीय नीति।

4.11 परिषद के सचिवालय ने परिषद के विचारार्थ नए मुद्दों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अनेक कदम भी उठाए हैं। कुछ मुद्दे डाक विभाग, रेल मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इस्पात मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा तमिलनाडु, गोवा, आन्ध्र प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों से भी प्राप्त हुए हैं और परिषद के सचिवालय द्वारा इनकी जांच की गई है। इनमें से कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(i) केन्द्र/राज्यों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कंप्यूटरीकृत पोस्टल नेटवर्क का उपयोग।

(ii) रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्य (रेल मंत्रालय) –राज्यों में सिंचाई योजनाओं, जल आपूर्ति के टैंक या जलाशय, नहर तटबंध, नदी तटबंध और अन्य कार्यों या प्रचालन जैसे बहुत से कार्य किए जाते हैं, जिससे बाढ़ के प्रवाह की स्वाभाविक गति परिवर्तित या बाधित हो सकती है या ऐसे प्रवाह की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। ऐसे कार्यों को 'रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्य' कहा जाता है। रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्यों का स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्यों के लोक निर्माण, सिंचाई और राजस्व विभाग जैसी अनेक एजेंसियों के पास होता है। कई मामलों में, ऐसे कार्यों के पर्याप्त रखरखाव के लिए स्वामियों का कोई सांविधिक दायित्व नहीं होता था, जिसकी वजह से बहाव की ओर स्थित रेलवे लाइनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

(iii) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'राज्य और जिला प्रशासन' शीर्षक वाली अपनी 15वीं रिपोर्ट (पैरा 2.3.12) में की गई सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार में कमी।

(iv) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, राज्यलोक सेवा आयोग में ऊंची साख, बौद्धिक क्षमता और ख्याति वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या की सीमा निर्धारित करना।

(v) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी) का गठन।

4.12 भारत सरकार की ओर से अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय ने वर्ष 2005 में फोरम आफ फेडरेशंस, ओटावा, कनाडा के साथ एक ढांचागत करार किया था। इस ढांचागत करार को वर्ष 2011 के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नवीकृत किया गया है। इस करार का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय साझेदारी सृजित करना है जो संघवाद के व्यवहार, सिद्धांत और सम्भावनाओं के संबंध में बातचीत को बढ़ावा देकर फोरम और साझेदार सरकार को अभिशासन में सुधार करने तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेगा।

केन्द्र – राज्य संबंधों से संबंधित आयोग (सी सी एस आर)

4.13 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। यह रिपोर्ट सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को आयोग की सिफारिशों पर उनके विचारित अभिमत हेतु परिचालित की गयी है।

4.14 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 73 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और 25 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

भूमिका और कार्य

4.15 क्षेत्रीय परिषदों की संख्या पाँच है और ये सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर–राज्य तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साझा बैठक का आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। ये परिषदें उच्च स्तरीय निकाय हैं और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री इसके सदस्य हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के पद पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री होता है जो कि वार्षिक रूप से बदलता रहता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। ये स्थायी समितियाँ मुद्दों को सुलझाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरम्भिक कार्य करने के उद्देश्य से समय–समय पर बैठकें आयोजित करती हैं। योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर इन बैठकों से सम्बद्ध रहते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

4.16 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर दिनांक 31.03.2014 तक 110 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 45 बैठकें हो चुकी हैं।

4.17 क्षेत्रीय परिषदों/स्थायी समितियों के विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था, संबंधित राज्यों द्वारा अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान, कारागार सुधार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मेट्रो की शुरुआत, एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन वाहनों को सीएनजी में बदलने, पूरे एनसीआर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए संबंधित राज्यों द्वारा पारस्परिक परिवहन करार पर हस्ताक्षर करने, महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार जैसी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के समाधान, आपदा प्रबंधन की तैयारी को सुदृढ़ बनाने, सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक के कार्यान्वयन, सुशासन, मत्स्यन/मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, तटीय कटाव की समस्या, साम्प्रदायिक सदभाव, पुलिस प्रशासन, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समस्याओं/मुद्दों, बटालियन शिविर स्थलों की स्थापना के लिए सीआरपीएफ को भूमि के आवंटन आदि के संबंध में महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं।

4.18 चालू वर्ष के दौरान, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक दिनांक 17.04.2013 को केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में कोलकाता में हुई थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, झारखंड के राज्यपाल, ओडिशा के वित्त एवं लोक उद्यम मंत्री तथा बिहार के जल संसाधन मंत्री, अन्य मंत्रियों तथा राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

4.19 परिषद ने आंतरिक सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा, कोयला एवं अन्य

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं संवितरण, बटालियन कैम्पिंग स्थलों की स्थापना के लिए सीआरपीएफ को भूमि के आबंटन, पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्यों के अंदर सतर्कता स्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दों आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

4.20 इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.5.2013 को जयपुर में (राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) आयोजित की गई थी।

4.21 स्थायी समिति ने जल प्रदूषण अधिनियम, 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन, कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम में सुधार की आवश्यकता, उर्वरकों की कीमतों पर नियंत्रण, कृषि उत्पाद की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, इंदिरा गांधी और सरहिन्द फीडर की रीलाइनिंग, डीएमआईसी परियोजना के अन्तर्गत खुशखेड़ा–भिवाड़ी–निमराना क्षेत्र के विकास, ग्रासरुट इन्नोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क–नॉर्थ (जी आई ए एन – नॉर्थ), राज्य के अनुकूल सांख्यिकीय योजनाओं (एसएसएसपी) की तैयारी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वन भूमि का कोलडम हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अंतरण आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

4.22 विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, स्थायी समिति ने उत्पत्ति की दृष्टि से आशोधित फसलों के क्षेत्र में परीक्षण, हैरिक में इंदिरा गांधी फीडर के हेड रेगुलेटर की क्षमता में वृद्धि करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्यों के अंदर सतर्कता स्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण, राज्यों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसजीसीसी) के गठन आदि जैसे अनेक मुद्दों का अपने स्तर पर समाधान भी किया और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक में विचार–विमर्श के मुद्दों की सूची को अंतिम रूप प्रदान किया।

◆◆◆

अध्याय V

देश में अपराध परिदृश्य

5.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस' एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले अपराधों के निवारण, पंजीयन, पता लगाने एवं जांच करने और अपराधियों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत हथियार, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है।

अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

5.2 पिछले पांच वर्षों (2008–2012) के दौरान अपराध की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। सूचित किए गए और पुलिस द्वारा अन्वेषित सभी संज्ञेय अपराधों को मोटे तौर पर भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत आने वाले या विशेष और स्थानीय कानून (एस एल एल) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 देश में वर्ष 2012 के दौरान वर्ष 2011 में हुए 23,25,575 आई पी सी अपराधों की तुलना में कुल 23,87,188 आई पी सी अपराध सूचित किए गए, जिनमें वर्ष 2012 में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिशतता की दृष्टि से कुल संज्ञेय अपराधों की तुलना में आई पी सी अपराधों का हिस्सा वर्ष 2008 में 35.3% से घटकर वर्ष 2009 में 31.8% हो गया। तथापि, यह वर्ष 2010, 2011 और 2012 में बढ़कर क्रमशः 33.0%, 37.2% और 39.5% हो गया, जो वर्ष 2008–2012 की पांच वर्ष की अवधि में एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है।

अपराध दर

5.4 अपराध दर को प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर घटित अपराधों की संख्या के रुप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्यतः अपराध का वास्तविक सूचक माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थान विशेष की जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखा जाता है।

5.5 वर्ष 2008–09 के दौरान अपराधों की दर में वृद्धि दर्ज की गई (वर्ष 2008 में 515.0 से बढ़कर वर्ष 2009 में 570.8 हो गई), लेकिन वर्ष 2009–12 के दौरान अपराध दर में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई, जो वर्ष 2009 में 570.8 से घटकर वर्ष 2012 में 497.9 रह गई।

शारीरिक अपराध

5.6 शारीरिक अपराध, जिनमें हत्या, हत्या करने के प्रयास, हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानववध, व्यपहरण और अपहरण, चोट पहुंचाना, लापरवाही से हुई मौत शामिल है, वर्ष 2012 में 5,60,699 थे, जो वर्ष के दौरान हुए कुल भारतीय दंड संहिता अपराधों के 23.5% हैं। शारीरिक अपराधों में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान 6.6% की वृद्धि हुई।

संपत्ति के प्रति अपराध

5.7 वर्ष 2012 के दौरान संपत्ति के प्रति कुल 4,65, 055 अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें डकैती, डकैती डालने के लिए एकत्र होना, लूट–पाट, सेंधमारी और चोरी शामिल है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2011 के दौरान 4,65,184 अपराध दर्ज किए गए थे, जो 0.03% की गिरावट दर्शाते हैं। वर्ष

के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों की तुलना में इन अपराधों का हिस्सा 19.5% था।

लोक व्यवस्था के प्रति अपराध

5.8 वर्ष 2012 के दौरान लोक व्यवस्था के प्रति अपराध, जिनमें दंगे और आगजनी शामिल हैं, के कुल 86,469 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2011 में हुए 77,564 अपराधों के मामलों की तुलना में 11.5% की वृद्धि दर्शाते हैं।

विशेष और स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

5.9 वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत कुल 36,54,371 मामले सूचित किए गए, जबकि वर्ष 2011 में 39,27,154 मामले सूचित किए गए थे, जो वर्ष 2012 में 6.9% की कमी दर्शाते हैं।

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2008-2012 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध-शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में प्रतिशत अंतर
		2008	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	626	624	570	673	651	–3.3
2	बलात्कार	1,457	1,346	1,349	1,557	1,576	1.2
3	अपहरण और व्यपहरण	482	512	511	616	490	–20.5
4	डकैती	51	44	42	36	27	–25.0
5	लूटपाट	85	70	75	54	40	–25.9
6	आगजनी	225	195	150	169	214	26.6
7	चोट पहुंचाना	4,216	4,410	4,376	4,247	3,855	–9.2
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	248	168	143	67	62	–7.5
9	अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	11,602	11,143	10,513	11,342	12,576	10.9
10	अन्य	14,623	15,082	14,983	14,958	14,164	–5.3
	कुल	33,615	33,594	32,712	33,719	33,655	–0.2

5.10 **अपराध की घटनाएं:** उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012 में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध में गिरावट आई है, क्योंकि वर्ष 2011 में सूचित किए 33,719 मामले वर्ष 2012 में घटकर 33,655 हो गए हैं। यह कमी बलात्कार, आगजनी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को छोड़कर सभी शीर्षों में देखी गई। वर्ष 2012 में बलात्कार, आगजनी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों में वर्ष 2011 की तुलना में क्रमशः 1.2%, 26.6% और 10.9% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में अपहरण एवं व्यपहरण, डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाना और 'सिविल अधिकार संरक्षण' अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में क्रमशः 3.3%, 20.5%, 25.0%, 25.9%, 9.2% और 7.5% की कमी आई

है। देश में सूचित किए गए कुल 33,655 मामलों में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 18.4% (6,202 मामले) था। इसके बाद राजस्थान (16.5%) (5,559 मामले), बिहार (14.3%) (4,821 मामले) और आन्ध्र प्रदेश (3,057 मामले) का स्थान आता है।

5.11 **अपराध दरः** वर्ष 2012 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की दर 16.7 पायी गई।

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2008-2012 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में प्रतिशत अंतर
		2008	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	128	118	142	143	156	9.1
2	बलात्कार	585	583	654	772	729	–5.6
3	अपहरण और व्यपहरण	93	82	84	137	103	–24.8
4	डकैती	14	3	7	7	5	–28.6
5	लूटपाट	18	24	5	9	15	66.7
6	आगजनी	49	29	39	24	26	8.3
7	चोट पहुंचाना	873	787	941	803	816	1.6
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	6	2	5	7	2	–71.4
9	अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	1,022	944	1,169	1,154	1,311	13.6
10	अन्य	2,794	2,853	2,839	2,700	2,759	2.2
	कुल	5,582	5,425	5,885	5,756	5,922	2.9

5.12 **अपराध की घटनाएंः** उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति वर्ष 2011 में 5,756 मामलों की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान कुल 5,922 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 2.9% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि 'हत्या', 'लूटपाट', 'आगजनी', 'चोट' और 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' शीर्षों के अंतर्गत देखी गई। इसके ब्यौरे उपर्युक्त सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 2012 के दौरान देश में कुल 5,922 मामलों में से राजस्थान ने 22.8% मामलों (1,351 मामलों) की सूचना दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश 20.6% (1,218 मामले) का स्थान आता है। तथापि, केरल में अपराध दर सर्वाधिक थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर केवल 5.7 की तुलना में 25.6 थी।

5.13 **अपराध दरः** वर्ष 2012 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर 5.7 पायी गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए किए गए उपाय

5.14 सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 01.04.2010 को एक विस्तृत

सलाह भेजी गई थी, जिसमें राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और संरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराधों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी गई थी। यह सलाह गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है। सलाह में सुझाए गए कुछ विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:–

i. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध से संबंधित मौजूदा विधानों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा जोरदार और विवेकपूर्ण उपाय किए जाने आवश्यक हैं।

ii. सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों में उचित विधि–प्रवर्तन और दोषसिद्धि सुनिश्चत करे। प्रवर्तन एजेन्सियों को साफ–साफ यह अनुदेश दिया जाना चाहिए कि कमजोर और संवदेनशील वर्गों के अधिकारों के प्रवर्तन को भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों और प्रतिकार के भय से कम नहीं आंका जाना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए।

iii. प्रशासन और पुलिस को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों का पता लगाने और उनकी जांच करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले समान रूप से दर्ज हों।

iv. दंड न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों के साथ–साथ, सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों और अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के लिए सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के प्रति विधि प्रवर्तन तंत्र को सुविज्ञ बनाया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों/अकादमियों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

v. पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के बयानों के अनुसार कानून की उपयुक्त धाराओं को लागू करने का निदेश दिया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों को अंजाम देने वालों की सहायता करने संबंधी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

vi. सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में, सामान्यतः प्रशासन तथा विशेषकर पुलिस कर्मियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और न केवल ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए बल्कि उनसे अति संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए।

vii. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग को, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

क) प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करना;

ख) हिंसा, दुर्व्यहार तथा शोषण के मामलों को रोकने के लिए एक सामुदायिक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित करना तथा इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

ग) इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने तथा इसका प्रसार करने में बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करना; और

घ) कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

viii. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उचित तंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ix. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने संबंधी क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। समाज में इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों को प्रकाश में लाए जाने में सहायता करने और उनके खिलाफ अपराधों की जांच में पुलिस की सहायता करने के लिए भी नागरिक समूहों और गैर – सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

x. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

xi. प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा मामले के निपटान तक अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों का समुचित स्तर पर उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

xii. जांच को तेज करने तथा साक्ष्य को समय पर जुटाने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु जांच अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांचाधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा दायर आपराधिक मामलों को शामिल करते हुए एक अलग समीक्षा की जानी चाहिए।

xiii. राज्य सरकारों में संबंधित प्राधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग सहित, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुसूचित जातियोंध अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों की रिपोर्टों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।

xiv. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों के जीवन तथा सम्पत्ति को बचाने हेतु निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार – प्रवण क्षेत्रों की पहचान की जाए। ऐसे संवदेनशील क्षेत्रों के पुलिस थानों में पुलिस व्यवस्था संबंधी अवसंरचना से पूर्णतया लैस समुचित संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाने चाहिए।

xv- अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों में तैनाती करते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पुलिस कर्मियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का विश्वास प्राप्त किया जा सके।

xvi. अनु.जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध के मामलों के विचारण में विलम्ब पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति/मासिक बैठकों में नियमित आधार पर चर्चा की जाय और इन बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा जिले के लोक अभियोजक उपस्थित रहें।

xvii. जिला पुलिस अधीक्षकों को जांच–अदालतों में ऐसे मामलों के शीघ्र विचारण के लिए पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी गवाहों समेत सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों की समय से उपस्थिति एवं उनका संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

xviii. राज्य सरकार को अत्याचार पीड़ितों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। अत्याचार के मामले में मारे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के परिवार के लिए राहत की मात्रा को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर उन मामलों में, जहां मृतक परिवार का एक कमाऊ सदस्य रहा हो अथवा वह शारीरिक रूप से कमाने योग्य रहा हो। वे राज्य, जिन्होंने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मौद्रिक राहत एवं पुनर्वास की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की है, वे बिना किसी और विलंब के इसे निर्धारित करें।

xix. सिविल अधिकारों का संरक्षण (पी.सी.आर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन मामलों के शीघ्र निपटारे में पुलिस तथा न्यायपालिका के सामने आ रही समस्याओं के संदर्भ में इन अधिनियमों की कार्यशैली के मूल्यांकन हेतु नमूना सर्वेक्षण/अध्ययन करें और ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए समुचित उपाय करें।

xx. मानव प्रतिष्ठा के चरम उल्लंघन के मामले में, पुलिस को त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मानवाधिकारों के चरम उल्लंघन की ऐसी घटनाओं

में, कानून की सम्यक प्रक्रिया अपनाकर दोषियों को शीघ्र निवारक दण्ड दिया जाना चाहिए।

5.15 गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 17.04.2012 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में, कुछ राज्यों/संघ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह मंत्रियों और सामाजिक न्याय के प्रभारी मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में, निम्नलिखित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया:

- राज्यों/संघ राज्य् क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परामर्शी पत्र में उल्लिखित विभिन्न उपायों के माध्यम से इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।
- सरकारी तंत्र को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुग्राहीकरण के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में अधिक अनुक्रियाशील एवं संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की व्यथा को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

5.16 सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(ii) अत्याचार प्रवण/संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(iii) अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय नामोदिष्ट किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए 9 विभिन्न राज्यों में 195 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(iv) जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं; और

(v) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ गठित की गई हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

5.17 महिलाएं हत्या, लूटपाट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे कई आम अपराधों की भी पीड़ित होती हैं। केवल वे ही अपराध, जो विशेष रुप से महिलाओं के प्रति किए जाते हैं "महिलाओं के प्रति अपराध" के रुप में वर्गीकृत किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:–

(क) भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के तहत अपराध

(i) बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)

(ii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363–369 और 371–373)

(iii) दहेज के लिए गैर इरादतन हत्या, दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास (भा.दं.सं. की धारा 302/304–ख)

(iv) पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भा.दं.सं. की धारा 498–क)

(v) शील भंग के इरादे से महिलाओं पर हमला (भा.दं.सं. की धारा 354)

(vi) महिलाओं का शीलभंग (भा. दं. सं. की धारा 509)

(vii) विदेशों से लड़कियों का आयात (21 वर्ष की आयु तक) (भा.दं.सं. की धारा 366–ख)

(ख) विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

लिंग सापेक्ष कानून, जिनके लिए अपराध के आंकड़े देश भर में दर्ज किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

(ii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

(iii) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986

(iv) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987

5.18 **वर्ष 2008-2012 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं**

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में प्रतिशत अंतर
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	बलात्कार (आईपीसी की धारा 376)	21,467	21,397	22,172	24,206	24,923	3.0
2.	अपहरण एवं व्यपहरण (आईपीसी की धारा 363 से 373)	22,939	25,741	29,795	35,565	38,262	7.6
3.	दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 302/304)	8,172	8,383	8,391	8,618	8,233	–4.5
4.	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (आईपीसी की धारा 498–क)	81,344	89,546	94,041	99,135	1,06,527	7.5
5.	शील भंग के इरादे से महिलाओं पर हमला (आईपीसी की धारा 354)	40,413	38,711	40,613	42,968	45,351	5.5
6.	महिलाओं का शीलभंग (आईपीसी की धारा 509)	12,214	11,009	9,961	8,570	9,173	7.0
7.	विदेशों से बालिकाओं का आयात (आईपीसी की धारा 366–ख)	67	48	36	80	59	–26.3
8.	सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987	1	0	0	0	0	––
9.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	2,659	2,474	2,499	2,436	2,563	5.0
10.	महिला अभद्रता प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम, 1986	1,025	845	895	453	141	–68.9
11.	दहेज निषेध अधिनियम, 1961	5,555	5,650	5,182	6,619	9,038	36.5
	कुल	1,95,856	2,03,804	2,13,585	2,28,650	2,44,270	6.8

5.19 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध में 6.8% और वर्ष 2008 की तुलना में 24.7% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रति अपराधों का आईपीसी संघटक कुल अपराधों का 95.2% था और शेष 4.8% महिलाओं के प्रति एसएलएल अपराध थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल आईपीसी अपराधों में से महिलाओं के प्रति किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात वर्ष 2008 में 8.9% से बढ़कर वर्ष 2012 के दौरान 10.2% हो गया है।

5.20 **अपराध दरः** वर्ष 2012 में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की दर 41.7 थी।

महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपाय

5.21 महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के उपाय नीचे दिए गए हैं:–

(i) दिनांक 02.04.2013 को, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्रभावी हो गया है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं। इसके द्वारा बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरने, तेजाब से हमले, शब्दों एवं अनुपयुक्त रुप से छूने आदि जैसे अभद्र हाव–भाव जैसे अपराधों के लिए सजा में वृद्धि की गई है। नए कानूनों में तेजाब से हमले, पीछा करने और घूरने के लिए सख्त सजा के प्रावधान के अतिरिक्त बलात्कार के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित अधिक सजा का प्रावधान है।

(ii) गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराध और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार के संबंध में दिनांक 04.01.2013 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। प्रतिनिधियों ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार करने के लिए अपराध के निवारण, महिलाओं की सुरक्षा, कानून में परिवर्तन, संगठन, जांच प्रक्रियाओं और शीघ्र विचारण के विभिन्न उपायों पर विचार–विमर्श किया।

(iii) महिलाओं के प्रति अपराध के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 21.02.2014 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी।

(iv) गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजना (वी सी एस) की अधिसूचना एवं कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। 21 राज्यों और सभी 7 संघ राज्या क्षेत्रों ने पीड़ित मुआवजा योजना को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जबकि शेष राज्यों में इसे अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(v) गृह मंत्रालय ने दिनांक 22.04.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है, जिसके द्वारा राज्यों से पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33% करने का अनुरोध किया गया था।

(vi) गृह मंत्रालय ने क्षेत्राधिकार पर ध्यान दिए बिना एफआईआर तथा जीरो एफआईआर दर्ज करने के संबंध में दिनांक 10.05.2013 को एक अन्य परामर्शी पत्र जारी किया है।

(vii) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला स्तर पर 'समस्त महिला पुलिस स्टेशन' और पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल सहायता डेस्क' स्थापित कर दिए हैं।

5.22 गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है।

निर्भया निधि

5.23.1 भारत में महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहलों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में 'निर्भया निधि' नामक एक आधारभूत निधि की स्थापना की गई है। गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कई अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ इस निधि की संरचना, क्षेत्र और अनुप्रयोग के ब्यौरे तैयार कर लिए हैं।

5.23.2 पूर्वोक्त घोषणा के अनुसरण में, एक एकीकृत कंप्यूटर से लैस डिस्पैच (सीएडी) प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की गई है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) पर आधारित कॉल को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह कॉल को रिसीव करेगा और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस) से लैस पुलिस वाहन को स्थल पर भेजेगा। इससे महिलाओं द्वारा विपत्ति के समय कॉल किए जाने पर कार्रवाई करने की दक्षता और शीघ्रता से सहायता उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। लैंडलाइनों/मोबाइलों से दी गई विपत्ति/आपातकालिक चेतावनियों और विशेष रुप से महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोगों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा तैयार किए गए वैयक्तिक उपकरणों के माध्यम से की गई कॉलों का पता लगाया जाएगा। प्रस्तावित

प्रणाली को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चुने गए 113 शहरों में कार्यान्वित किया जाना है, जिनमें दस लाख से अधिक की आबादी वाले 53 शहर तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालय और अधिक अपराध संभावित 41 जिलों के मुख्यालय शामिल हैं।

5.23.3 इस परियोजना में 204.25 करोड़ रुपए की एक बारगी कार्यान्वयन लागत, 102.12 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय (5 वर्ष की परिचालन लागत) और केन्द्रीय निगरानी और मूल्यांकन परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए लगभग 15.32 करोड़ रुपए का व्यय (कुल 321.69 करोड़ रुपए) शामिल है।

बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2008-2012 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में प्रतिशत अंतर
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	हत्या	1,296	1,488	1,408	1,451	1,597	10.1
2.	शिशु हत्या	140	63	100	63	81	28.6
3.	बलात्कार	5,446	5,368	5,484	7,112	8,541	20.1
4.	अपहरण और व्यपहरण	7,650	8,945	10,670	15,284	18,266	19.5
5.	भ्रूण हत्या	73	123	111	132	210	59.1
6.	आत्महत्या के लिए उकसाना	29	46	56	61	144	136.1
7.	अतिचार और परित्याग	864	857	725	700	821	17.3
8.	अवयस्क बालिकाओं की खरीद	224	237	679	862	809	–6.1
9.	वैश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	30	32	78	27	15	–44.4
10.	वैश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	49	57	130	113	108	–4.4
11.	अन्य अपराध (बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 सहित)	6,699	6,985	7,253	7,293	7,580	3.9
	कुल	22,500	24,201	26,694	33,098	38,172	15.3

5.24 **अपराध की घटनाएं:** जैसाकि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, वर्ष 2011 के दौरान 33,098 मामलों की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 38,172 मामले सूचित किए गए थे, जो 15.3% की वृद्धि का द्योतक है। आईपीसी अपराधों में, नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त के तहत मामलों की संख्या वर्ष 2011 में 862 से घटकर वर्ष 2012 में 809 हो गई, जिसमें वर्ष 2011 की तुलना में 6.1% की कमी दर्ज की गई। वर्ष के दौरान अपहरण एवं व्यपहरण के मामलों में 19.5% की वृद्धि हुई है (वर्ष 2011 में 15,284 से बढ़कर वर्ष 2012 में 18,266 हो गई)। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के प्रति कुल अपराधों में से, उत्तर प्रदेश (6,033), मध्य प्रदेश (5,168), दिल्ली (4,462), महाराष्ट्र (3,456) और बिहार (2,894) का हिस्सा क्रमशः 15.8%, 13.5%, 11.7%, 9.5% और 7.6% था।

5.25 **अपराध दर:** वर्ष 2012 के दौरान अपराध की दर 8.9 पायी गयी।

बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय

5.26 बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैंः–

- बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य रुप से एफआईआर दर्ज करने और उस पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में दिनांक 25.06.2013 को परामर्शी पत्र जारी किया गया था।
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में दिनांक 28.05.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उसे पूर्णरुपेण लागू करने का अनुरोध किया गया था।
- बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबध में दिनांक 04.01.2012 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलींग, बाल–अश्लीलता और यौन संबंधी सामग्री के प्रति एक्सपोजर आदि जैसे अपराधों का विशेष रुप से मुकाबला करने का पमरार्श दिया गया था।
- बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14.07.2010 को परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सार्वजनिक वाहनों, बच्चों के पार्कों/खेलने के मैदानों, रिहाइशी इलाकों/सड़कों आदि में सुरक्षा की स्थितियों में सुधार करने के लिए समस्त उपाय करने का परामर्श दिया गया है। यह परामर्श भी दिया गया है कि अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और विद्यार्थियों, विशेष रुप से लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित विशिष्ट उपाय करने का परामर्श दिया गया हैः

i. बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि करना;

ii. विशेष रुप से दूरस्थ एवं एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना;

iii. विशेष रुप से रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

iv. अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में पुलिस अवसरंचना से पूर्ण रुपेण सज्जित पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों, विशेष रुप से महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

लापता बच्चे

5.27 गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवष्यक उपायों के बारे में दिनांक 31.12.2012 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के प्रति बलात्कार, यौन–शोषण, बाल–अश्लीलता, अंग व्यापार आदि जैसे किसी भी जघन्य अथवा संगठित अपराध को रोकने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए विभिन्न आवश्यक उपायों के बारे में भी सलाह दी गई थी। इनमें ये शामिल हैंः लापता बच्चों का पता लगाने को सुकर बनाने के लिए रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइल बनाना, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल करना, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आदि।

5.28 महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय के परामर्श से "लापता" और "पाए गए" बच्चों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित कर रहा है। इस परियोजना में लापता बच्चों का पता लगाने और पाए गए बच्चों के लिए एक विशिष्ट वेबसाइट बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें 'लापता' और 'पाए गए' सेक्शन सहित दो भाग बनाए गए हैं जिसमें शारीरिक विशेषताएं, लापता होने/पाए जाने का स्थल, विशेष पहचान चिन्ह आदि जैसे प्रत्येक ब्यौरे डाटाबेस में रखे जाएंगे। सर्च इंजिन सहित विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और यह पाए गए बच्चों की पहचान को सुकर बनाने के लिए डाटाबेस के अंदर पैरामीटरों का मिलान कर सकता है। इसे www.trackthemissingchild.gov.in पर देखा जा सकता है।

मानव दुर्व्यापार

वर्ष 2008-2012 के दौरान मानव दुर्व्यापार की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध-शीर्ष	वर्ष					2011 की तुलना में 2012 में प्रतिशत अंतर
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	अवस्यक बालिकाओं की खरीद (आईपीसी की धारा 366–क)	224	237	679	862	809	–6.1
2.	बालिकाओं का आयात (आईपीसी की धारा 366–ख)	67	48	36	80	59	–26.3
3.	वैश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की बिक्री (आईपीसी की धारा 372)	49	57	130	113	108	–4.4
4.	वैश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की खरीद (आईपीसी की धारा 373)	30	32	78	27	15	–44.4
5.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956	2,659	2,474	2,499	2,435	2,563	5.3
	कुल	3,029	2,848	3,422	3,517	3,554	1.1

5.29 जैसाकि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है, मानव दुर्व्यापार के इन शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों की कुल संख्या में पिछले 5 वर्षों के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है।

वर्ष 2008-2012 के दौरान आईपीसी अपराध, एसएलएल अपराध एवं मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अपराध

क्रम सं.	वर्ष	कुल आईपीसी अपराध	कुल एसएलएल अपराध	मानव दुर्व्यापार के तहत मामले	मानव दुर्व्यापार के तहत अपराध की दर
1.	2008	20,93,379	38,44,725	3,029	0.3
2.	2009	21,21,345	45,53,872	2,848	0.2
3.	2010	22,24,831	45,25,917	3,422	0.3
4.	2011	23,25,575	39,27,154	3,517	0.3
5.	2012	23,87,188	36,54,371	3,554	0.3

5.30 **प्रवृत्ति विश्लेषणः** वर्ष 2008 से 2009 तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मानव दुर्व्यापार की घटनाओं में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन वर्ष 2010 से 2012 में, इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2011 के दौरान मानव दुर्व्यापार के 3,517 मामलों की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान, मानव दुर्व्यापार के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल 3,554 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 1.1 की वृद्धि दर्शाते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद के मामलों में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 44.4% की गिरावट देखी गई। इसी अवधि के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत घटनाओं में 5.3 की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2012 के दौरान मानव दुर्व्यापार के कुल 3,554 मामलों में से 549 मामले पश्चिम बंगाल द्वारा सूचित किए

गए। वर्ष 2012 के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल ने ऐसे क्रमशः 528, 506, 403, 412 और 220 मामलों की सूचना दी।

5.31 **अपराध दरः** वर्ष 2009 में मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अपराधों की दर 0.2 और वर्ष 2008, 2010, 2011 और 2012 में प्रत्येक वर्ष 0.3 थी। इस प्रकार, वर्ष 2008–2012 के दौरान अपराध दर में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है।

दुर्व्यापार-रोधी प्रकोष्ठ

5.32 मानव दुर्व्यापार संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक नोडल प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अवैध व्यापार संबंधी डाटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके स्रोत/पारगमन/गंतव्य क्षेत्र होने के कारणों का विश्लेषण करने, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपराध को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की मॉनीटरिंग करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2007 से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ 17 समन्वय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ये समीक्षा बैठकें बुनियादी स्तर पर मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराध के मामलों को प्राथमिकता देने और प्रभावकारी अंतर–राज्य समन्वय में बहुत सहायक रही हैं। इस वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ दिनांक 03.07.2013, 19.9.2013 और 20.02.2014 को तीन समन्वय बैठकें आयोजित की गईं।

अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू)

5.33 गृह मंत्रालय प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से "मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई के सुदृढ़ीकरण" के संबध में एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें तीन वर्षों में पूरे देश में 330 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) संघटक के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010–2011 के लिए 115 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों को 8.72 करोड़ रुपये की निधियां जारी की हैं। सभी अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां प्रचालनात्मक हो गई हैं। इसके अलावा, 93 अतिरिक्त अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी निधियों से स्थापित की गई हैं। वर्ष 2011–12 के लिए 110 और अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां स्थापित करने के लिए 8.338 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिनमें से 80 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां प्रचालनात्मक हो गई हैं।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

5.34 **न्यायिक विद्वत सम्मेलनः** न्यायिक विद्वत सम्मेलन दुर्व्यापर से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बारे में महिलाओं और बच्चों के अनुभव के संबंध में मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को सुग्राही बनाने, मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को कानून के अंतर्गत यथा उपबंधित व्यवहार्य निर्णय लेने और विवेक का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने, जो पीड़ित के लिए सर्वाधिक लाभदायक एवं न्यायोचित होगा किन्तु दुर्व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए अधिक सख्त होगा, दुर्व्यापार के मामलों के शीघ्र निपटान की प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा दुर्व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक, 8 न्यायिक विद्वत सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में न्यायिक विद्वत सम्मेलन सितम्बर, 2012 और मार्च, 2014 के बीच आयोजित किए गए थे। इन न्यायिक विद्वत सम्मेलनों की वजह से, मानव दुर्व्यापार से संबंधित मामलों में प्रभावी अभियोजन एवं दोषसिद्धि हो रही है। जिला न्यायाधीशों, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों जैसे न्यायिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को न्यायिक विद्वत सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामित

किया जाता है। लगभग 100–150 न्यायिक अधिकारी न्यायिक विद्वत सम्मेलन में भाग लेते हैं।

राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में न्यायिक विद्वत सम्मेलन

सार्क के सदस्य देशों का भारत में अध्ययन दौरा

5.35 दिनांक 11.04.2013 से 12.04.2013 तक पैरो, भूटान में आयोजित क्षेत्रीय कार्यदल की 5वीं बैठक के दौरान भारत ने सार्क के सदस्य देशों को देश के विभिन्न जिलों में स्थापित एकीकृत मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों के अनुभवों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन दौरा आयोजित करने की पेशकश की। भारत में उक्त अध्ययन दौरे का आयोजन दिनांक 18.11.2013 से 22.11.2013 तक किया गया, जिसमें भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया।

मानव दुर्व्यापार के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

5.36 भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार के अपराध से निपटने की प्रभावकारिता में सुधार करने और विधि प्रवर्त्तन तंत्र की अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय–समय पर विभिन्न उपाय शामिल करते हुए निम्नलिखित व्यापक और समेकित परामर्शी–पत्र जारी किए हैं:

(i) मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने के लिए दिनांक 09.09.2009 का परामर्शी पत्र।

(ii) बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में दिनांक 14.07.2010 का परामर्शी पत्र।

(iii) लापता बच्चों के संबंध में दिनांक 31.01.2012 का परामर्शी पत्र।

(iv) बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबंध में दिनांक 04.01.2012 का परामर्शी पत्र।

(v) संगठित अपराध के रुप में मानव दुर्व्यापार के संबंध में दिनांक 30.04.2012 का परामर्शी पत्र।

(vi) भारत में मानव दुर्व्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने – विदेशी राष्ट्रिकों से निपटने के संबंध में दिनांक 01.05.2012 का परामर्शी पत्र।

5.36.1 ये परामर्शी पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट (www.mha.nic.in) पर उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय द्वारा इन परामर्शी पत्रों का सार–संग्रह तैयार किया गया है और इसे संसाधन सामग्री के रुप में मानव दुर्व्यापार से संबधित विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों तथा न्यायिक विद्वत सम्मेलनों के दौरान परिचालित किया गया है।

5.37 इसके अतिरिक्त, बाल श्रम के लिए बच्चों के दुर्व्यापार से निपटने तथा बाल श्रम के लिए दुर्व्यापार किए गए बच्चों को बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों और दुर्व्यापार करने वालों/नियोक्ताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के बारे में दिनांक 12.08.2013 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) जारी की गई थी। एस ओ पी की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

(i) मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां, संगठित अपराध पर विशेष बल देते हुए दुर्व्यापार के शिकार लोगों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और सम्पत्ति की सीलिंग, कुर्की और जब्ती आदि के माध्यम से आपराधिक संघों की आर्थिक स्थिति को लक्ष्य बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगी।

(ii) बचाव दल को बहु–विषयक होना चाहिए और उसमें पुलिस अथवा श्रमिकों के प्रतिनिधि, एस डी एम अथवा उनके प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन/शिकायतकर्ता, महिला पुलिस/स्वयंसेवक और बाल कल्याण समिति के सदस्य शामिल होने चाहिए।

(iii) जांच में मुख्य उद्देश्य बच्चे का प्रत्यावर्तन होना चाहिए, ताकि बच्चे की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके।

(iv) पीड़ित का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और जांच के तुरंत बाद चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए।

(v) प्रत्यावर्तन से पूर्व किशोर न्याय अधिनियम के अधीन गृह के सत्यापन के बारे में भी जांच की जानी

चाहिए और गृह जिले की बाल कल्याण समिति बच्चे के कल्याण के लिए उत्तरदायी होगी।

(vi) श्रम विभाग को 20,000/–रूपए के जुर्माने की वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही शुरु करनी चाहिए और यह राशि बच्चे के मूल जिले की बाल श्रम के पुनर्वास एवं कल्याण सोसाइटी को बच्चे के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

(vii) श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार बच्चे की बकाया मजदूरी (बैक वेज) की वसूली के लिए भी कार्यवाही शुरु करेगा।

क्षेत्रीय कार्य दल की पांचवीं बैठक

5.38 दक्षिण एशिया में महिला एवं बाल दुर्व्यापार और बाल कल्याण के संवर्धन से संबंधित सार्क के अभिसमयों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्य दल की पांचवी बैठक दिनांक 11.4.2013 से 12.4.2013 तक पैरो, भूटान में हुई। इस बैठक के दौरान, भारत ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और एकीकृत मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्क के सदस्य देशों के लिए भारत में एक अध्ययन दौरा आयोजित करने का प्रस्ताव किया।

पैरो, भूटान में क्षेत्रीय कार्य दल की 5वीं बैठक

5.39 एक मानव दुर्व्यापार–रोधी वेब पोर्टल (stophumantrafficking.mha.nic.in) दिनांक 20.02.2014 को आरंभ किया गया है, जो मानव दुर्व्यापार रोधी उपायों, विशेष रुप से इसके आपराधिक पहलू के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इस क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों के संवर्धन के लिए सभी स्टेकहोल्डरों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण आईटी टूल होगा। इस वेब पोर्टल से विधि प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित सरकारी विभागों के बीच सहयोग में भी वृद्धि होगी। इस वेब पोर्टल का एक मुख्य लाभ यह है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारी परस्पर अंतर–सम्बद्ध हैं और उन्हें एक लागइन आईडी प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से, वे वे बपोर्टल पर जा सकते हैं और सही समय पर आंकड़े और सफलता की कहानियां तथा अन्य मामला अध्ययनों को अपलोड कर सकते हैं। इससे अंतर–राज्य प्रभाव वाले काफी अधिक मामलों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। दुर्व्यापार के शिकार व्यक्तियों के ब्यौरे वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और प्रयोक्ता की सुविधा के लिए मानव दुर्व्यापार को रोकने से संबंधित अन्य प्रासंगिक सामग्रियां भी अपलोड की गई हैं। यह लापता बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय पोर्टल 'ट्रैक चाइल्ड' को महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध करवाएगा, जो कई राज्यों में चल रहा है।

मानव दुर्व्यापार रोधी वेब पोर्टल का शुभारंभ

◆◆◆

अध्याय VI मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता

मानवाधिकार

6.1 भारत के संविधान में लगभग सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों के सुरक्षा उपायों के संबंध में उपबंध और उनकी गारंटी विद्यमान है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रोत्साहन और बचाव को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। हमारे देश के सिविल और आपराधिक कानून भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के स्थायी तंत्र हैं और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी)

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन किया गया था। इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एन एच आर सी का एक मुख्य कार्य शिकायत प्राप्त करना और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के जरिये भूलचूक से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरु करना और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

6.4 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान विचारार्थ 1,24,971 मामले दर्ज किए गए और आयोग ने 1,10,647 मामले निपटाए हैं, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेनीत मामले भी शामिल हैं। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) द्वारा निपटान के लिए उन्हें 7,907 मामले अंतरित भी किए हैं। उक्त अवधि के दौरान आयोग ने 517 मामलों में अंतरिम राहत के रूप में 16,90,81,172 रू. के भुगतान की सिफारिश की।

मामलों की जांच-पड़ताल

6.5 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच प्रभाग को निदेश दिया गया था कि वे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 60 मामलों की उसी स्थान पर तत्काल जांच करें। इनमें से 51 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और 9 मामलों की जांच प्रगति पर है।

6.6 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, एन एच आर सी के जांच प्रभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के 4,450 मामलों, पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के 448 मामलों और वास्तविकता का पता लगाने वाले 1,936 मामलों सहित कुल 6,834 मामलों में कार्रवाई की है। इस प्रभाग ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के 186 मामलों में भी कार्रवाई की है।

मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में सुरक्षा बल कर्मियों के विरुद्ध जे.एंड.के. से प्राप्त शिकायतें

6.7 सरकार मानवाधिकार के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। सरकार ने देश में मानवाधिकार की

सुरक्षा और मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम के प्रति निरंतर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने दैनिक ऑपरेशनल कर्तव्यों का निष्पादन करते समय सभी लोगों के मानवाधिकार का आदर करें और मानवीय संवदेना के साथ दृढ़तापूर्वक कार्य करें।

6.8 मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में सूचित किए गए प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया जाता है, उसमें पारदर्शी तरीके से त्वरित जांच–पड़ताल की जाती है और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जनवरी, 1994 से 31.03.2014 तक सेना एवं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के विरुद्ध प्राप्त मानवाधिकार उल्लंघन की 1,437 शिकायतों में से 1,413 मामलों की जांच की गई है, जिसमें से 1,334 शिकायतें गलत पाई गईं और उन 80 मामलों में, जिनमें शिकायतें सही पाई गई, दोषी कार्मिकों को दंडित किया गया।

वैधानिक पूर्ण आयोग

6.9 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों को करने और इन कार्यों को करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए आयोग का सदस्य माना जाता है। ये कार्य वैधानिक पूर्ण आयोग को सौंपे जाते हैं, जो कि आयोग (अर्थात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) है और जिसका अपना अध्यक्ष एवं 04 सदस्य तथा अन्य मानित सदस्य होते हैं।

6.10 आयोग द्वारा वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक तिमाही आधार पर अर्थात प्रत्येक तिमाही के पहले मास के अंतिम शुक्रवार को बुलाई जाती है। तथापि, आयोग के समक्ष रखी गई मदों की संख्या और मुद्दों की गंभीरता के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा यथा आवश्यक पाए जाने पर बैठक की आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। वैधानिक पूर्ण आयोग की पिछली बैठक दिनांक 04.02.2014 को हुई थी।

राज्य मानवाधिकार आयोग

6.11 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 की धारा 21 में सभी राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के गठन का प्रावधान है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की मौजूदगी और कार्यकरण मानवाधिकारों के संरक्षण की बेहतरी में बहुत कारगर एवं प्रभावी साबित होगा। अब यह स्वीकृत मत है कि अच्छा शासन और मानवाधिकार साथ–साथ चलते रहते हैं।

6.12 राज्य सरकारों से मिली सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक, 24 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) का गठन कर लिया है। ये राज्य हैंः– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल और मेघालय।

6.13 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस बात के लिए बेहद उत्सुक है कि मानवाधिकार आयोग सभी राज्य में गठित किए जाएं, ताकि प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे उसकी संस्कृति कोई भी हो अथवा उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कोई भी हो, मानवाधिकार का संवर्धन एवं उसकी सुरक्षा अत्यधिक सुगम रूप से उसकी पहुंच में हो। इस दिशा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहयोग और भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने और उनको और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नियमित बातचीत करता है।

6.14 पूर्व में दिनांक 17.08.2010 को हुई बैठक की सिफारिशों के आधार पर, राज्य मानवाधिकार आयोगों के आधारभूत ढांचे, न्यूनतम जनशक्ति और वित्तीय आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस श्री जी.पी. माथुर की अध्यक्षता में और कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को सदस्य के

रूप में शामिल करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक समिति गठित की गई थी ताकि वे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गए कार्य निपटा सकें और राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा शिकायतों के निपटान हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित कर सकें।

6.15 राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के साथ एन एच आर सी की दिनांक 27.07.2012 को आयोजित पिछली बैठक में विचार–विमर्श की गई कार्यसूची की मदों में सभी एसएचआरसी की वित्तीय, कार्यकारी एवं प्रशासनिक स्वायत्तता, सभी एसएचआरसी द्वारा शिकायतों का निपटारा, स्टाफिंग पैटर्न, मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एनएचआरसी से वित्तीय सहायता, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, राज्यों में आयोगों की बैठकें मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 में संशोधन, शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) और जिला मानवाधिकार न्यायालयों को मजबूती प्रदान करना शामिल थीं।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

6.16 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई सी सी) का सदस्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है। आयोग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बैठकों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लिया:–

(i) भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) के अध्यक्ष और सदस्य वाले एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 06.05.2013 से 10.05.2013 तक जेनेवा में हुई आई सी सी – 26 की वार्षिक आम बैठक और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम (सीएफएनएचआरआई) 2013 की द्विवार्षिक बैठक में भाग लिया।

(ii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव ने दिनांक 24.06.2013 से 25.06.2013 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुई एशिया पेसिफिक फोरम सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की गोलमेज बैठक में भाग लिया।

(iii) अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव वाले भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 1.10.2013 से 03.10.2013 तक दोहा, कतर में आयोजित 18वीं वार्षिक बैठक और एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) के द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

(iv) एनएचआरसी के अध्यक्ष ने नोम पेन्ह, कंबोडिया में दिनांक 28.02.2013 से 01.03.2013 तक आयोजित जन–संहार की रोकथाम पर चौथे क्षेत्रीय फोरम में अतिथि विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी की।

(v) एनएचआरसी के महासचिव ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में दिनांक 03.03.2013 से 08.03.2013 तक कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वूमन (सीएसडब्ल्यू) के 57वें सत्र में भाग लिया।

(vi) अध्यक्ष, एनएचआरसी को दिनांक 24.06.2013 से 25.06.2013 तक लंदन, यूके में आयोजित "विधि विशेषज्ञों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" में "मानवाधिकार एवं आतंकवाद" पर कार्यकारी सत्र में पेपर प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया।

(vii) महानिदेशक (इन्वेस्टिगेशन), एनएचआरसी ने दिनांक 24.06.2013 से 28.06.2013 तक विएना, ऑस्ट्रिया में आयोजित मानवाधिकार परिषद की विशेष कार्य–पद्धतियों की 20वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

(viii) अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (एआईएचआरसी) द्वारा एनएचआरसी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी), अफगानिस्तान की राष्ट्रीय भवन निर्माण परियोजना (एन आई बी पी) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर अनुवर्ती कार्रवाई के हिस्से के रूप में, एनएचआरसी के दो अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करने की क्रियाविधि, शिकायत दर्ज करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग और जांच की तकनीकों तथा तरीकों के बारे में दिनांक 27.09.2013 से 13.10.2013 तक काबुल, अफगानिस्तान में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया।

(ix) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 27.01.2014 से 28.01.2014 तक जकार्ता, इंडोनेशिया का दौरा किया और उन्होंने कुष्ठ रोग से प्रभावित

लोगों के विरुद्व भेद–भाव और उन पर लगने वाले लांछन को समाप्त करने के लिए वैश्विक अपील, 2014 को शुरु करने वाले समारोह में भाग लिया।

(x) अध्यक्ष, सदस्य और महासचिव, एनएचआरसी ने जेनेवा का दौरा किया और दिनांक 11.03.2014 से 14.03.2014 तक आयोजित मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतराष्ट्रीय समन्वय समिति (आईसीसी) की 27वीं वार्षिक आम बैठक और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम की वार्षिक बैठक (सीएफएमएचआरआई) 2014 में भाग लिया।

आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

6.17 आइसलैंड के आंतरिक, न्याय एवं परिवहन मंत्री श्री ऑगमुन्दुर जोनासन के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 19.02.2013 को आयोग का दौरा किया और उन्होंने "न्यायालयों के माध्यम से मानवाधिकार का संरक्षण एवं वृद्धि भारत एवं आइसलैंड का अनुभव" पर बातचीत की।

6.18 नेपाल के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एनएचआरसी की कार्य–प्रणाली की जानकारी लेने और कौशल हासिल करने हेतु अध्ययन एवं अनुभव (एक्सपोजर) प्राप्त करने के लिए दिनांक 04.03.2013 से 08.03.2013 तक एनएचआरसी, भारत का दौरा किया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस एन एच आर सी भारत की "शिकायत हैंडलिंग प्रबंधन प्रणाली एवं जांच प्रक्रियाएं" थी।

6.19 अफगानिस्तान के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 11.03.2013 से 22.03.2013 तक एनएचआरसी का दौरा किया।

6.20 सुश्री रशीदा मंजू, महिलाओं के विरुद्व हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टियर, ने "महिलाओं के विरुद्ध हिंसाः इसके कारण और परिणाम" संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 30.04.2013 को आयोग का दौरा किया।

6.21 बांग्लादेश के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं एवं बच्चों के मानवाधिकार की सुरक्षा पर आयोग के कार्य पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 01.05.2013 को आयोग का दौरा किया।

6.22 श्री तोघरूल अलीयेव, थर्ड सेक्रेटरी (आर्थिक कार्य), अजरबैजान गणतंत्र दूतावास ने एनएचआरसी की कार्यप्रणाली पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 01.08.2013 को आयोग का दौरा किया।

6.23 श्री डोमिनिक बार्सच, मिशन प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यू एन सी एच आर), नई दिल्ली ने शरणार्थियों की स्थिति पर आयोग के स्टैंड पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 16.08.2013 को आयोग का दौरा किया।

6.24 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मामलों पर विचार करने के लिए श्री जिम निकेल, कनाडा के उप उच्चायुक्त एवं श्री पॉल होंग, वरिष्ठ नीति सलाहकार के साथ श्री दीपक ओबराय, विदेश मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, कनाडा के मंत्री के संसदीय सचिव ने दिनांक 19.11.2013 को एनएचआरसी का दौरा किया।

6.25 मलेशियाई मानवाधिकार आयोग (एसयूएचएकेएम) के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन डाटाबेस के बारे में दक्षता एवं ज्ञान हासिल करने हेतु अध्ययन करने तथा संपूर्ण भारत में स्कूल की पाठ्यचर्या में मानवाधिकार शिक्षा को शामिल करने के लिए भारत सरकार से पैरवी करने के लिए दिनांक 16.12.2013 से 20.12.2013 तक आयोग का दौरा किया।

6.26 प्रोफेसर हीनर बीलेफल्द्त, धर्म अथवा विश्वास की स्वतंत्रता पर यूएन के स्पेशल रैपोर्टियर ने भारत में स्पेशल रैपोर्टियर के दौरे के दौरान आपसी बातचीत के लिए समन्वय हेतु सौंपे गए मामलों पर विचार करने के लिए दिनांक 20.02.2014 को एनएचआरसी का दौरा किया।

6.27 एशिया प्रशांत सेक्शन, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय (ओएचसीएचआर) के मानवाधिकार अधिकारी, सुश्री सबीना लाउबर ने क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहार को देखने के हिस्से के रुप में भारत में युनिवर्सल पीरियॉडिक रिव्यू प्रॉसेस के साथ एनएचआरआई के कार्य पर विचार–विमर्श

करने के लिए दिनांक 24.02.2014 को एनएचआरसी का दौरा किया।

6.28 अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (एआईएचआरसी) के एक 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने परस्पर विचार–विमर्श एवं अनुभव बांटने के लिए दिनांक 26.02.2014 को एनएचआरसी का दौरा किया।

गैर–सरकरी संगठनों का कोर ग्रुप

6.29 मानवाधिकर संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के अनुरूप, आयोग गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा देता रहा है। इस संबंध में, आयोग ने निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से सदस्यों के रूप में चुनिंदा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक कोर ग्रुप का गठन किया है। आयोग में 11 सदस्यों वाले एनजीओ के कोर ग्रुप का दिनांक 16.09.2011 को पुनर्गठन किया गया है। आयोग में एनजीओ के कोर ग्रुप की पिछली बैठक दिनांक 22.3.2013 को आयोजित की गई थी। बैठक में विचार–विमर्श किए गए मामलों में कारागार में अपनी मां के साथ रह रहे बच्चों की स्थिति, कमजोर वर्गों और विशेष कर महिलाओं को कानूनी सहायता/समर्थन, दिसम्बर, 2012 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में अनुवर्ती कार्रवाई, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौतियां और भारत में मानवाधिकार न्यायालयों के गठन जैसे विषय शामिल थे।

आयोग की शिविर बैठकें/खुली सुनवाई

6.30 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लक्ष्य के मद्देनजर मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में कैम्प कमीशन बैठकें आयोजित करता रहा है।

6.31 यह बैठक आयोग के साथ–साथ राज्य सरकार को एक दूसरे के मतों को समझने का अच्छा अवसर प्रदान करती है। यह आयोग को, राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई कार्रवाई का जायजा लेने का अवसर भी प्रदान करती है। शिविर बैठकों के दौरान, आयोग लंबित महत्वपूर्ण मामलों और राज्य से संबंधित मानवाधिकार के मुद्दों पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करता है। आयोग पूर्ण आयोग, डिवीजनल बेंच–I और II और सिंगल बेंच में महत्वपूर्ण लंबित मामलों की सुनवाई भी करता है। बंधुआ मजदूरी, बालश्रम, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर न्याय, वृद्धावस्था पेंशन, मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे लंबित महत्वपूर्ण मानवाधिकार के मुद्दों पर राज्य के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाताओं के साथ बातचीत के लिए एक पारस्परिक बैठक भी की जाती है। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा दिनांक 11.04.2013 को रायपुर (छत्तीसगढ़) और दिनांक 23.10.2013 से 25.10.2013 तक इम्फाल (मणिपुर) और दिनांक 15.01.2014 से 17.01.2014 तक लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में शिविर बैठकें आयोजित की गई थीं।

6.32 आयोग ने, हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के संबंध में खुली सुनवाई/बैठकें आयोजित करना भी शुरु किया है। अब तक आयोग ने भुवनेश्वर (ओडिशा) में दिनांक 09.04.2012 से 12.04.2012 तक, अहमदाबाद (गुजरात) में 14.05.2012 से 15.05.2012 तक, मदुरै/चेन्नई में 7.08.2012 से 09.08.2012 तक, जयपुर (राजस्थान) में 13.09.2012 से 14.09.2012 तक, नागपुर (महाराष्ट्र) में 28.01.2013 से 31.01.2013 तक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 26.11.2013 से 27.11.2013 तक ऐसी खुली सुनवाई/बैठकें आयोजित की हैं। आयोग द्वारा मेरठ (उत्तर प्रदेश) की खुली सुनवाई दिनांक 13.12.2013 को दिल्ली में की गई।

मानसिक स्वास्थ्य

6.33 देश के प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के बड़े अधिदेश के एक हिस्से के रूप में आयोग आबादी के उन वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है, जो अभी तक स्वाभाविक अथवा सामाजिक रूप से इनसे वंचित रहा है। आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम

(पीएचआरए), 1993 की धारा 12 के अंतर्गत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन मनोचिकित्सा सस्थानों का दौरा करने का अधिदेश प्राप्त है, जहां उपचार, सुधार अथवा सुरक्षा के लिए लोगों को रोका अथवा दाखिल किया जाता है, ताकि वह वहां रहने वाले लोगों के जीवन की दशा का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिश सौंप सकें। अपनी स्थापना के समय से ही आयोग इस विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन करने के अलावा, उनकी असुरक्षित स्थिति और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता के कारण मानसिक रूप से बीमार रोगियों के मानवाधिकारों पर विशेष ध्यान देता रहा है। तदनुसार, एनएचआरसी के विशेष रैपोर्टियर्स ने निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया:

(i) श्री अनिल प्रधान, विशेष रैपोर्टियर, एनएचआरसी द्वारा दिनांक 27.05.2013 को मेघालय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एमआईएमएचएएनएस), लावमाली, शिलांग का दौरा।

(ii) श्रीमती एस. जलजा, विशेष रैपोर्टियर, एनएचआरसी द्वारा दिनांक 02.03.2013 को रांची तंत्रिका–मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आरआईएनपीएएस), झारखंड का दौरा।

(iii) श्री अजय कुमार, विशेष रैपोर्टियर, एनएचआरसी द्वारा दिनांक 27.05.2013 से 28.05.2013 तक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद का दौरा।

(iv) श्री दामोदर सारंग, विशेष रैपोर्टियर, एनएचआरसी द्वारा दिनांक 03.04.2013 को दी पावलोव हॉस्पीटल, कोलकाता का दौरा।

(v) श्री अजय कुमार, विशेष रैपोर्टियर द्वारा दिनांक 08.09.2013 से 12.09.2013 तक मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर का दौरा।

मानवाधिकार शिक्षा

6.34 मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज) के तहत मानवाधिकार शिक्षा एवं जागरूकता के संवर्धन का अधिदेश प्राप्त है। आयोग का अक्तूबर, 1993 में अपनी स्थापना के समय से ही यह मत रहा है कि मानवाधिकार शिक्षा को देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में आयोग ने सोचा कि इस उद्देश्य को हासिल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह हो सकता है कि इसे नियमित शिक्षा में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी के अंदर एक सहज प्रक्रिया के रूप में मानवाधिकार संस्कृति का समावेश हो सकेगा।

6.35 संपूर्ण देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई) प्रदान करने में एकरूपता लाने के उद्देश्य से आयोग ने दिनांक 14.12.2012 को नई दिल्ली में मानवाधिकार शिक्षा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन से सामने आने वाली महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजा गया, ताकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानवाधिकार शिक्षा का संवर्धन किया जा सके। अभी तक आयोग को 9 राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात असम, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव और दिल्ली से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

स्वास्थ्य पर कोर समूह

6.36 स्वास्थ्य के अधिकार के मुद्दे के संबंध में एनएचआरसी ने सक्रिय भूमिका अपनाई है और उसका निरंतर यह विचार रहा है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के लोगों की, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों की बेहतर एवं अधिक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच हो सके।

6.37 आम लोगों के स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के उद्देश्य से दिनांक 13.05.2002 को स्वास्थ्य पर एक कोर परामर्शी समूह का पुनर्गठन किया गया था। आयोग राज्य के पदाधिकारियों पर निरंतर यह दवाब डालता रहा है कि यह उनका कर्तव्य है कि वे लोगों को पूरी तरह से इन अधिकारों को महसूस करवाने में मदद

करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसने स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के विषय पर निरंतर बैठकें आयोजित की हैं, विचार–विमर्श किए हैं और सिफारिशें की हैं। आयोग में स्वास्थ्य पर कोर समूह की पिछली बैठक दिनांक 20.06.2013 को आयोजित की गई थी।

6.38 कोर समूह द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, आयोग द्वारा दिनांक 05.11.2013 से 06.11.2013 तक "मानवाधिकार के रुप में स्वास्थ्य देखभाल" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में (i) भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, सुगमता, गुणवत्ता एवं वहनीयता–युनिवर्सल स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, (ii) महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मामले, (iii) स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा (iv) रोजगार से जुड़े स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे मामलों पर विचार किया गया। सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श के आधार पर अनेक उपयोगी सिफारिशें सामने आईं, जिन्हें देश के लोगों, विशेष कर आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के स्वास्थ्य के अधिकार का संवर्धन एवं सुरक्षा करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों को अग्रेषित कर दिया गया।

विकलांगता पर कोर समूह

6.39 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग ने विकलांगता पर कोर समूह का पुनर्गठन किया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोर समूह के सदस्य इस पर विचार–विमर्श करने, सिफारिश करने और इन विषयों में संशोधन/बदलाव का सुझाव देने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं। आयोग में कोर समूह की पिछली बैठक दिनांक 20.08.2013 को आयोजित की गई थी।

अनुसंधान प्रस्ताव

6.40 आयोग ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया है:–

(i) इन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (ईएनडीईवी), सोसायटी फॉर इन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कोलकाता से प्राप्त "जनजातीय अधिकार एवं पानन पनबिजली परियोजना (एचईपी) का प्रभाव और सिक्किम में तीस्ता IV पनबिजली ऊर्जा परियोजनाएं।"

(ii) डॉ. गीतान्जॉय साहू, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा प्रस्तुत खतरनाक उद्योगों में कामगारों के अधिकारों के कार्यान्वयन में शासकीय चुनौतियां: अलंग–सोसिया शिप–ब्रेकिंग यार्ड, भावनगर, गुजरात का अध्ययन।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.41 एनएचआरसी को मानवाधिकार की रक्षा एवं संवर्धन करने का अधिदेश प्राप्त है। अधिनियम की धारा 12(ज) में यह परिकल्पना भी की गई है कि एनएचआरसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार संबंधी साक्षरता को बढ़ावा देगा और सरकारी और स्थानीय निकायों आदि में विभिन्न कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाकर प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकारी कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से पुलिस, छात्रों, गैर–सरकारी संगठनों और जनसाधारण के बीच मानवाधिकारों की जागरूकता फैलाने में शामिल है।

6.42 एनएचआरसी का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, विश्वविद्यालयों और कालेजों और विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से समाज में मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सहयोग से मानवाधिकार–साक्षरता का प्रसार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने परिसर में युनिवर्सिटी/विभिन्न राज्यों के कालेज के विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष में दो बार, अर्थात ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में और मई–जून एवं दिसम्बर–जनवरी के महीनों को छोड़कर संपूर्ण वर्ष मानवाधिकार के क्षेत्र में रूचि लेने वाले छात्रों के लिए अल्पकालीन इंटर्नशीप कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

6.43 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान, मानवाधिकार एवं उससे संबंधित मामलों पर 78 संस्थानों द्वारा एनएचआरसी द्वारा प्रायोजित 108

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एनएचआरसी के साथ अल्पकालीन इंटर्नशिप का अवसर दिया गया। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से छात्रों एवं अन्य संस्थानों से प्रशिक्षुओं/अधिकारियों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भी एनएचआरसी का दौरा किया और एनएचआरसी में उनके दौरे के दौरान उन्हें आयोग के कार्य तथा मानवाधिकारों पर भी जानकारी दी गई।

एनएचआरसी के प्रकाशन

6.44 आयोग का प्रकाशन प्रभाग लोगों के बीच उनके मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आयोग ने अपनी स्थापना के समय से ही छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों, मानव संसाधन कार्यकर्ताओं और आम लोगों सहित सभी वर्ग के लोगों के लिए साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन किया है। आयोग ने 01.01.2013 से 31.03.2014 तक निम्नलिखित प्रकाशनों की छपाई की है:–

(i) वर्ष 2011–2012 की वार्षिक रिपोर्ट–हिंदी एवं अंग्रेजी में

(ii) एनएचआरसी के पुस्तक की छपाई, शीर्षक:– एनएचआरसी का अंग्रेजी जर्नल खंड 12, 2013 – अंग्रेजी में।

(iii) एनएचआरसी के पुस्तक की छपाई, शीर्षक:– हिंदी जर्नल – मानवाधिकार – नई दिशाएं, खंड 10, 2013।

(iv) एनएचआरसी के पुस्तक की तीन खंडों में छपाई, शीर्षक:–

(क) बंदियों का मानवाधिकार एवं जीवन दशा : दक्षिणी क्षेत्र में 4 राज्यों के 18 जेलों की स्थिति (खंड– I) – अंग्रेजी में।

(ख) बंदियों का मानवाधिकार एवं जीवन दशा : उत्तरी क्षेत्र में 8 राज्यों एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में 20 जेलों की स्थिति (खंड– II) : अंग्रेजी में और

(ग) बंदियों का मानवाधिकार एवं जीवन दशा : पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राज्यों के 14 जेलों की स्थिति (खंड– III) – अंग्रेजी में।

(v) बुकलेट की पुनः छपाई, शीर्षक:– मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर पुलिस कार्मिकों के लिए दिशा–निर्देश:– हिंदी एवं अंग्रेजी में।

(vi) अपने अधिकार को जानें श्रृंखला की एक बुकलेट की पुनः छपाई, शीर्षक:– बंधुआ मजदूर – अंग्रेजी में

(vii) एनएचआरसी के पुस्तक की छपाई, शीर्षक:– विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी) के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट – कुछ झलक – अंग्रेजी में

(viii) एनएचआरसी के पुस्तक की दो हिस्सों में छपाई, शीर्षक:–

(क) महाराष्ट्र के 15 जनजातीय आबादी वाले जिलों में भूख, कुपोषण और कुपोषण से संबंधित बच्चों की मौत– जून – अक्तूबर, 2007 में एनएचआरसी के पूर्व रैपोर्टियर डॉ. लक्ष्मीधर मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट (अवधारणात्मक, पारिभाषिक, वैधानिक एवं प्रशासनिक मामले) (भाग– I) – अंग्रेजी में

(ख) महाराष्ट्र के 15 जनजातीय आबादी वाले जिलों में भूख, कुपोषण और कुपोषण से संबंधित बच्चों की मौत – जून – अक्तूबर, 2007 में एनएचआरसी के पूर्व रैपोर्टियर डॉ. लक्ष्मीधर मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट (फील्ड इम्प्रेशन्स) (भाग– II) – अंग्रेजी में

(ix) मानवाधिकार संबंधी विविध विषयों पर वर्ष – 2014 के लिए एनएचआरसी वाल कैलेंडर की छपाई।

बंधुआ एवं बाल मजदूरी

6.45 वर्ष 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 3922 में दिनांक 11.11.1997 के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आयोग बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की सतत निगरानी कर रहा है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान् आयोग ने जस्टिस श्री बी.सी. पटेल, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.2013 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला

का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय से किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें रिहा करने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया तथा बीएलएसए एवं अन्य संबंधित कानूनों के बारे में जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों, सतर्कता समिति के सदस्यों एवं राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों को सुग्राही बनाना था।

6.46 बंधुआ मजदूरों की पहचान करने उन्हें रिहा करने और उनके पुनर्वास के बारे में आयोग को एक निर्धारित फार्मेट में निरंतर छमाही सूचना प्राप्त हो रही है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और दमन एवं दीव ने आयोग को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत कर दी है। बंधुआ मजदूरों की मौजूदगी के संबंध में अधिकांश राज्यों ने शून्य सूचना भेजी है।

6.47 बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) नियम, 1976 में संभावित संशोधनों पर विचार करने के लिए जस्टिस डी. मुरुगेसन, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2014 को बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप की एक बैठक का आयोजन किया गया।

हिरासत में न्याय

6.48 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ग) के उपबंधों के तहत आयोग, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल अथवा किसी अन्य संस्थान, जहाँ कैदियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के लिए रोका अथवा रखा जाता है, की दशाओं का अध्ययन करने के प्रयोजन से राज्य का दौरा करता है। आयोग द्वारा नियुक्त रैपोर्टियर्स देश में विभिन्न जेलों का दौरा करते हैं और उनकी दौरा रिपोर्टों को अनुपालन हेतु उपयुक्त सुझावों/सिफारिशों के साथ संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है।

6.49 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित जेलों का दौरा किया गया:–

क्रम सं.	जेल/संस्थान का नाम	दौरे की तिथि/तिथियां
(i)	उप जेल, सोलन, हिमाचल प्रदेश	29.04.2013
(ii)	केन्द्रीय जेल, हिमाचल प्रदेश	30.04.2013
(iii)	केन्द्रीय जेल, आगरा, उत्तर प्रदेश	02.05.2013 से 03.05.2013
(iv)	उप जेल, दीमापुर, नागालैंड	11.06.2013
(v)	केन्द्रीय जेल, दीमापुर, नगालैंड	11.06.2013
(vi)	जिला जेल, कांकेर (बस्तर)	11.06.2013 से 13.06.2013
(vii)	जिला जेल, कोहिमा (नागालैंड)	12.06.2013
(viii)	जिला जेल, कांकेर (छत्तीसगढ़)	12.06.2013
(ix)	केन्द्रीय जेल, अमृतसर एवं गुरदासपुर तथा जिला जेल होशियारपुर, पंजाब	25.06.2013 से 27.06.2013
(x)	महिला जेल, अगरतला, त्रिपुरा	15.07.2013
(xi)	केन्द्रीय कारागार, मुंबई	26.07.2013 से 27.07.2013
(xii)	केन्द्रीय जेल, अगरतला, त्रिपुरा	29.07.2013
(xiii)	मणिपुर केन्द्रीय जेल, इम्फाल	27.08.2013
(xiv)	मणिपुर केन्द्रीय जेल, साजीवा	29.08.2013
(xv)	केन्द्रीय जेल, जमशेदपुर	12.09.2013
(xvi)	जिला जेल, सिंहभूम	11.09.2013

(xvii)	उप जेल, खूंटी	10.09.2013
(xviii)	बालाघाट जिला जेल (मध्य प्रदेश)	24.09.2013
(xix)	जिला जेल, भंडारा (महाराष्ट्र)	26.09.2013
(xx)	केन्द्रीय जेल, जूली, ईटानगर	30.09.2013
(xxi)	केन्द्रीय जेल पटना एवं गया तथा जिला जेल जमुई एवं जहानाबाद, बिहार	28.01.2013 से 02.02.2013
(xxii)	अक्वाडा केन्द्रीय जेल, गोवा तथा साडा वासो में उप जेल एवं न्यायिक लॉक–अप	10.10.2013 से 12.10.2013
(xxiii)	केन्द्रीय जेल, जमशेदपुर, जिला जेल, सिंहभूम एवं उप जेल, खूंटी	10.11.2013 से 12.11.2013
(xxiv)	केन्द्रीय जेल, भोपाल, केन्द्रीय जेल, इंदौर जिला जेल, इंदौर एवं जिला जेल, हरदा एवं श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन, जिला भोपाल, महेश्वर पुलिस स्टेशन, जिला खरगांव और रावजी बाजार पुलिस स्टेशन, जिला इंदौर	11.12.2013 से 21.12.2013
(xxv)	केन्द्रीय जेल, मुजफ्फरनगर, केन्द्रीय जेल, मोतीहारी एवं जिला जेल, बेतिया	26.12.2013 से 28.12.2013
(xxvi)	गोधरा उप जेल, जिला पंचमहल, गुजरात एवं जिला पंचमहल के गोघुम्बा तालुका में चालवेडा	08.01.2014
(xxvii)	बिलासपुर केन्द्रीय जेल एवं नौघाट पुलिस स्टेशन, हीरी पुलिस स्टेशन, रतनपुर पुलिस स्टेशन एवं आदर्श कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिलासपुर	17.02.2014 से 20.02.2014
(xxviii)	केन्द्रीय जेल, आईजॉल, मिजोरम	12.02.2014

भारत के चुनिंदा 28 जिलों में मानवाधिकार जागरूकता एवं मानवाधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन में सहायता प्रदान करना

6.50 समीक्षाधीन अवधि, अर्थात दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान, मानवाधिकार जागरुकता तथा मानवाधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन में सहायता प्रदान करने के हिस्से के रुप में एनएचआरसी ने देश के अभिनिर्धारित 28 जिलों में से निम्नलिखित तीन जिलों का दौरा किया:

क्रम सं.	जिला	राज्य	दौरे की तिथि
1.	वायनाड	केरल	26.03.2013
2.	बीदर	कर्नाटक	24.09.2013 से 28.09.2013
3.	चंबा	हिमाचल प्रदेश	17.11.2013 से 20.11.2013

6.51 इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि जैसे भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, कारागारों, पंचायतों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कार्यरत राशन की दुकानों, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के क्षेत्र दौरों के द्वारा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, हिरासत में न्याय, स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता आदि जैसे मानवाधिकार पर केन्द्रित मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। आयोग ने वायनाड और चंबा जिले में पुनः दौरों सहित अभी तक सत्रह

जिलों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया है।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

6.52 वर्ष 2013 के दौरान, देश में 823 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई, जिनमें 133 व्यक्ति मारे गए और 2,269 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2012 में इसी अवधि के दौरान, देश में 668 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं, जिनमें 94 व्यक्ति मारे गए थे और 2,117 व्यक्ति घायल हुए थे। वर्ष 2014 की प्रथम तिमाही (जनवरी से मार्च 2014) के दौरान, देश में 162 साम्प्रदायिक घटनाओं की सूचना मिली थी जिसमें 17 व्यक्ति मारे गए थे और 490 व्यक्ति घायल हुए थे, जबकि वर्ष 2013 में इसी अवधि के दौरान, 167 साम्प्रदायिक घटनाओं की सूचना मिली थी, जिसमें 17 व्यक्ति मारे गए थे और 601 व्यक्ति घायल हो गए थे।

साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

6.53 देश भर में साम्प्रदायिक हिंसा के मुद्दे के सभी पहलुओं का समान रूप से समाधान करने के लिए साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005, दिनांक 5.12.2005 को राज्य सभा में पेश किया गया था। राज्य सभा को विधेयक में आधिकारिक संशोधन करने, विचार करने और पारित करने के लिए मार्च 2007, दिसम्बर, 2008, फरवरी, 2009 और फरवरी, 2010 में नोटिस दिए गए थे। तथापि, विधेयक को इन अवसरों पर विचारार्थ नहीं लिया जा सका। तत्पश्चात, "साम्प्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय तक पहुंच और प्रतिपूर्ति) विधेयक, 2014" नामक शीर्षक वाला एक नया विधेयक तैयार किया गया और उक्त विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। तथापि, दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में चर्चा के पश्चात इसे पेश करने के मामले को आस्थगित कर दिया गया। साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 को, जो कि राज्य सभा में लंबित था, दिनांक 05.02.2014 को वापस ले लिया गया।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच)

6.54 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एन एफ सी एच), गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य, सांप्रदायिक, जातीय, नृजातीय, आतंकवादी और हिंसा के अन्य रूप, जो सामाजिक सद्भाव में दरार डाल सकते हैं, से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास में सहायता करने के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है। इसकी विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से ऐसे बच्चों की देखभाल, शिक्षा, पुनर्वास और/या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करने और सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। एन एफ सी एच ने अपनी स्थापना से लेकर 31.03.2014 तक सांप्रदायिक, जातीय, नृजातीय या आतंकवादी हिंसा से पीड़ित लगभग 11,381 बच्चों के पुनर्वास के लिए 54.30 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी है। एन एफ सी एच, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शिक्षा संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

6.55 एन एफ सी एच, प्रत्येक वर्ष 19 से 25 नवम्बर तक कौमी एकता सप्ताह के साथ सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाता है। इस अवसर पर, लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने तथा हिंसा, जो सामाजिक सद्भाव का अतिक्रमण करती है, के विरुद्ध लोगों की समझ एवं कार्रवाई हेतु मीडिया के माध्यम से उचित स्थिति प्रस्तुत करके और प्रतिष्ठान के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर धन दान करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के वास्ते दृढ़ और सतत अभियान चलाने हेतु भी आम जनता, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सिविल

सोसायटी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों, शिक्षा संस्थानों आदि से अपील की जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह के लिए लगभग 1,00,000 यूनिटों को प्रचार सामग्री भेजी गई थी। सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाने के दौरान और अतिविशिष्ट व्यक्तियों, अर्थात, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृह मंत्री आदि के पोशाक पर झंडा लगाने के लिए झंडा दिवस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए फाउंडेशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके बारी–बारी से विभिन्न राज्यों से प्रत्येक वर्ष 5–6 बच्चों को आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार

6.56 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'व्यक्ति' और 'संगठन' की श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के अलावा वर्ष 2013 से व्यक्ति के लिए 5 लाख रूपए की राशि और संगठन की श्रेणी के लिए 10 लाख रूपए की राशि शामिल होती है। राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार समारोह का आयोजन दिनांक 20.09.2013 को विज्ञान भवन में किया गया। वर्ष, 2011 और 2012 के लिए भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वैयक्तिक – श्रेणी में मिजोरम के श्री खमलियाना और ओडिशा के श्री अब्दुल बारी ने वर्ष 2011 के लिए संयुक्त रुप से राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्राप्त किया। संगठन – श्रेणी में फाउंडेशन फॉर एमिटी एंड नेशनल सॉलिडेरिटी, नई दिल्ली के प्रेसीडेंट, श्री विरेंदर मोहन त्रेहन ने वर्ष 2012 के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। भारत के उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। गृह मंत्री एवं अध्यक्ष, शासी परिषद, एनएफसीएच ने कार्यक्रम की मेजबानी की। वर्ष 2013 के राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार विजेता के चयन के लिए भारत के माननीय उप राष्ट्रपति की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2014 को जूरी की बैठक हुई। जूरी ने पुरस्कार के लिए संगठन की श्रेणी में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म, मुंबई को तथा वैयक्तिक–श्रेणी में डॉ. मोहिंदर सिंह, नई दिल्ली एवं डॉ. एन. राधाकृष्णन, केरल को संयुक्त रुप से चुना। वर्ष 2013 के लिए पुरस्कार (पुरस्कारों) की घोषणा दिनांक 26.01.2014 को की गई।

राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी)

6.57 राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी) की 16वीं बैठक का आयोजन दिनांक 23.09.2013 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। एनआईसी में सभी केन्द्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा/राज्य सभा), राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, सभी राष्ट्रीय आयोग, मीडियाकर्मी, व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में हिंसा की निंदा करने, सभी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने, कानून के दायरे में लोगों के बीच अंतर व विवाद का निपटारा करने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार की निंदा करने, यौन उत्पीड़न की निंदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी महिलाएं समान अवसरों के साथ अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास की स्वतंत्रता का आनंद ले सकें और वे सार्वजनिक स्थानों पर दिन अथवा रात में किसी भी समय अपने आवागमन के अधिकार की सुरक्षा कर सकें, एक संकल्प पारित किया गया।

संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

6.58 दिनांक 31.10.2013 को 'संकल्प दिवस' मनाने और दिनांक 19.11.2013 से 25.11.2013 के दौरान 'कौमी एकता सप्ताह' मनाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए थे।

कट्टरवादी धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप

6.59 देश की शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी कट्टरवादी

धार्मिक संगठनों अथवा समूहों के क्रियाकलापों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सतत निगाह रहती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

6.60 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत दिनांक 01.02.2014 की अधिसूचना सं.का.आ. 229(v) के तहत गैर–कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है जो इसी तारीख से अस्तित्व में आ गया। यह निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ कि उक्त संगठन गैर–कानूनी है अथवा नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ.578 (अ) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय जस्टिस सुरेश कैत को शामिल करते हुए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण गठित किया गया था।

राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद का मुद्दा

6.61 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिनांक 30.09.2010 को ओ.ओ.एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ.ओ. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित वाद संख्या 236) में अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद सम्पत्ति/परिसरों के अधिकार के संबंध में अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री की घोषणा की थी। न्यायालय के बहुमत से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी तीन पक्षों अर्थात मुसलमान, हिन्दू और निर्मोही अखाड़े को विवादित संपत्ति/परिसरों का संयुक्त स्वत्व धारक घोषित किया गया है। तदनुसार, कुल विवादित संपत्ति/परिसरों के एक–एक तिहाई हिस्से पर तीनों पक्षों द्वारा प्रबंधन और पूजा करने के लिए उसका उपयोग करने के अधिकार की घोषणा की गई है।

6.62 श्री एम. सिद्दीक उर्फ हाफिज मोहम्मद सिद्दीक आदि और कुछ अन्य पार्टियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ के दिनांक 30.09.2010 के ओ.ओ.एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ.ओ. एस. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित वाद संख्या 236) में उक्त अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 10866–67 दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त अपीलों की दिनांक 09.05.2011 को सुनवाई की थी और यह निदेश दिया है कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का परिचालन स्थगित रहेगा और पार्टियाँ वाद भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगी जैसा कि डा. एम. इस्माइल फारुकी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के पूर्व के आदेश में निर्देश दिया गया था। भारत संघ किसी भी स्वत्ववाद में पार्टी नहीं था। इसी प्रकार, भारत संघ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ के दिनांक 30.09.2010 के अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर किसी भी सिविल अपील में भी पार्टी नहीं है। तथापि, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम, 1993 में दिए गए उपबंधों के अन्तर्गत अयोध्या में विवादित भूमि का वैधानिक प्राप्तकर्ता होने के नाते केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और फैजाबाद संभाग, फैजाबाद के प्राधिकृत व्यक्ति/आयुक्त के साथ समन्वय स्थापित करके विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी है।

◆◆◆

अध्याय VII संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1.1 संघ राज्य क्षेत्र सात हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। सात संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधायिका, मंत्रिपरिषद और अपनी स्वयं की समेकित निधियां हैं। बाकी संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिका नहीं है।

7.1.2 सात संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग किमी. और 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,82,522 है। संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या और क्षेत्रफल **अनुलग्नक**–VIII में दिया गया है। वर्ष 2013–2014 में बजट प्रावधान और उनका उपयोग **अनुलग्नक**–IX में दिया गया है।

सांविधानिक स्थिति

7.1.3 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–II में विनिर्दिष्ट हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) निमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय, विधायन, वित्त और बजट, उप–राज्यपालों और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में, उप–राज्यपालों को प्रशासकों के रुप में पदनामित किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में ए जी एम यू टी संवर्ग के वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों को प्रशासकों के रुप में नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर–संपर्क (इंटरफेस)

7.1.4 विधान सभा रहित सभी पांचों संघ राज्य क्षेत्रों–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एच एम ए सी) के रुप में एक मंच है, जिसमें संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक और सांसद के अलावा, स्थानीय निर्वाचित निकायों जैसे कि जिला पंचायतों और नगरपालिका परिषद/समितियों के सदस्यों को उक्त मंच के सदस्य के रुप में नामित किया जाता है। एच एम ए सी की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में गृह राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली

अर्थव्यवस्था

7.2.1 वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2012–13 में 3,48,221 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 4,04,576 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 16.18% की वृद्धि दर्ज की गई। वास्तविक रुप में, वर्ष 2013–14 के दौरान दिल्ली के जी एस डी पी में वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर 4.9% की वृद्धि की तुलना में 9.35% थी, जो इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रव्यापी मंदी के मद्देनजर दिल्ली में उच्च आर्थिक वृद्धि दर कायम रखी गई है। राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली का योगदान लगभग

3.8% है, जबकि देश की कुल जनसंख्या में दिल्ली का हिस्सा 1.4% है। वर्ष 2013–14 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर 74,290 रुपए की तुलना में 2,19,979 रुपए है।

सुशासन

7.2.2 जन–साधारण को जोड़ने और सेवाओं की समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रानिक सेवा सुपुर्दगी) नियमावली, 2012 का अधिनियमन किया है, ताकि सेवाओं की ई–सुपुर्दगी को सक्षम और स्थायी बनाया जा सके। दिल्ली (नागरिकों को सेवाओं की समयबद्ध–सुपुर्दगी का अधिकार) अधिनियम, 2011 के तहत 24 विभागों की कुल 116 सेवाओं को लाया गया है।

7.2.3 3 डी जीआईएस परियोजना के रुप में ज्ञात दिल्ली स्टेट स्पैटियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और दिनांक 01.07.2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कम्पनी, जियोस्पैटियल दिल्ली लिमिटेड को परिचालन हेतु सौंप दिया गया है। जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) एक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर प्रणाली है, जिसका प्रयोग भौगोलिक आंकड़ों के भंडारण, पुनः प्राप्ति, मानचित्रण एवं विश्लेषण के लिए किया जाता है। देश में इस प्रकार की पहली परियोजना के रुप में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली सरकार ने टेलीफोन लाइनों, पानी की पाइपों और अन्य सार्वजनिक उपयोगी सामग्रियों जैसी समस्त भूमिगत और अभूमिगत आस्तियों का त्रि–आयामी डिजिटल फार्मेट में डिजिटीकरण और मानचित्रण का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। अब, संबंधित विभाग आयोजना के प्रयोजनों के लिए भू–स्थानिक (जियो–स्पैटियल) डाटा का प्रयोग कर सकते हैं।

7.2.4 महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने महिलाओं के यौन–उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के 05 विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर दिया है और ये कार्यशील हो गए हैं। लोगों के घर के निकट न्यायिक सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से, आम जनता के लाभ के लिए राजस्व जिलों की तर्ज पर पूर्ववर्ती एक सत्र डिवीजन के स्थान पर ग्यारह जिला और सत्र डिवीजनों का सृजन किया गया है।

7.2.5 दिनांक 20.11.2012 से न्यायिक स्टाम्प पेपरों की ई–स्टाम्पिंग प्रणाली शुरु की गई है।

7.2.6 जिला प्रशासन का पुनर्गठन किया गया है और दिनांक 11.09.2012 से दिल्ली में दो नए जिलों का सृजन किया गया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 20(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी सभी उपायुक्तों को प्रदान की गई हैं।

भागीदारी

7.2.7 भागीदारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की एक सुशासन पहल – "नागरिक–सरकार भागीदारी" है, जिसमें शहर में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विद्यमान एवं भावी मुद्दों का समाधान करने के लिए नागरिकों और सरकार के बीच सहयोग के महत्व को स्वीकार किया गया है। भागीदारी पहल जनवरी, 2000 में शुरु की गई थी। भागीदारी पहल वर्ष 2000 में 20 नागरिक समूहों से विकसित होकर सरकार तथा लगभग 3500 नागरिक समूहों के बीच एक सशक्त अंतर–सम्पर्क बन गई है। भागीदारी प्रक्रिया में, एक ओर बड़े समूहों की श्रृंखलाबद्ध बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित करना तथा अनेक स्टेकहोल्डरों के साथ विचार–विमर्श करना और दूसरी ओर विशिष्ट विभाग की विशेष सामुदायिक भागीदारी पहलें शामिल हैं। भागीदारी कार्यशालाएं बहु–स्तरीय प्रक्रिया के भाग के रुप में सप्ताह के अंत में सामान्यतया दो या तीन दिन के लिए आयोजित की जाती हैं, जिसके प्रारंभ में कार्यसूची को परिभाषित किया जाता है और अंत में उसके कार्यान्वयन का समाधान ढूंढ़ा जाता है। "माई दिल्ली आई केयर फण्ड" के तहत प्रत्येक जिले के लिए 5 करोड़ रुपए तक की निधियों की वृद्धि करके सभी नागरिक समूहों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य

7.2.8 सरकार दिल्ली को देश की 'स्वस्थ एवं कल्याणपरक' राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली आदर्श शहरी स्वास्थ देखभाल प्रणाली के साथ क्षेत्र में एक स्वास्थ्य देखभाल हब के रुप में उभर रही है। वर्तमान में, यहां 39 अस्पताल हैं, जिनमें 5 सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले अस्पताल शामिल हैं। यहां 02 आयुष अस्पताल हैं। 10 अस्पतालों में ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज सुविधाएं हैं। दिल्ली सरकार के अधीन 57 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों (पी यू एच सी) सहित 257 औषधालय कार्य कर रहे हैं जो नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अस्पतालों में 25,180 बिस्तर हैं (इन बिस्तरों में दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार और स्वायत्तशासी निकाय शामिल हैं)। 200 बिस्तरों वाले दीप चन्द बंधु अस्पताल, अशोक विहार में ओ.पी.डी. सुविधाएं शुरु की गई हैं।

7.2.9 दिल्ली आरोग्य कोष के तहत 1,050 गरीब मरीजों को लगभग 2.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ज्यादा जरुरतमंद मरीजों को इस योजना के तहत कवर करने के लिए सहायता संबंधी मानदण्डों को सरल बनाया गया है। सरकार ने 43 निजी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लगभग 9 लाख ओपीडी मरीजों और 24,000 आईपीडी मरीजों को सहायता प्रदान की है और उन्हें इसके लिए पात्रता श्रेणी में रखा है।

7.2.10 चाचा नेहरु सेहत योजना के तहत लगभग 9 लाख विद्यार्थियों की जांच की गई है और 20,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्में उपलब्ध कराए गए हैं।

शिक्षा

7.2.11 शिक्षा सामाजिक–आर्थिक घटकों में से एक ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जो समाज के मानव विकास को प्रभावित करता है। दिल्ली में साक्षरता की दर अखिल भारतीय साक्षरता दर 74.04% की तुलना में 86.34% है।

7.2.12 सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की विधिक हकदारी का प्रावधान है।

7.2.13 दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 10+2 स्तर पर विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.65% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आर पी वी वी) ने वर्ष 2013 के दौरान 99.05% परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। 109 सरकारी विद्यालयों ने पिछले वर्ष के 78 विद्यालयों की तुलना में शत–प्रतिशत (100%) परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। पिछले वर्ष के 352 विद्यालयों की तुलना में 522 सरकारी विद्यालयों ने 90% एवं इससे ऊपर का परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनीफार्म सहायता मुहैया करायी गई हैं। प्राथमिक कक्षाओं के 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लेखन सामग्री के लिए नकद सब्सिडी द्वारा लाभान्वित किया गया है। विद्यार्थियों को कल्याण योजनाओं से संबंधित निधियों का सीधे अंतरण करने के लिए जीरो बैलेन्स विद्यार्थी खाते खोले जा रहे हैं। दिनांक 31.03.2014 तक लगभग 50,000 जीरो बैलेन्स विद्यार्थी खाते खोले जा चुके हैं।

7.2.14 वर्ष 2013 के दौरान विद्यार्थियों की इनटेक क्षमता को बढ़ाने के लिए 12 नए विद्यालय खोले गए हैं और 37 विद्यालयों का उन्नयन किया गया है। वर्ष 2013 के दौरान 49 विद्यालयों में विज्ञान संकाय और 68 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले गए। स्थानीय निकायों के विद्यालयों सहित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लगभग 18.75 लाख विद्यार्थियों को मिड–डे मील योजना के तहत कवर किया गया है।

7.2.15 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नामक चार राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है।

7.2.16 लड़कियों की समुचित शिक्षा हेतु सुविधाएं मुहैया कराने और उनमें उद्यमिता कौशल का विकास करने के उद्देश्य से, 40 करोड़ रुपए की लागत से वसुन्धरा इनक्लेव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहीद राजगुरु कालेज आफ एप्लाइड साइंस फॉर वूमेन के एक नए भवन और 100 छात्राओं की क्षमता

वाले एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया है। केशव महाविद्यालय में 75 छात्राओं की क्षमता वाले एक दूसरे गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया है।

7.2.17 आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की प्रतिभा का पता लगाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता ट्रस्ट की युवा निर्माण योजना के तहत, परिवार की वार्षिक आय को दुगुना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बेहतर निष्पादन वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मेधावी विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार की राशि भी दुगुना कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान, 631 विद्यार्थियों को 2.08 करोड़ रुपए की धनराशि की छात्रवृत्ति मंजूर की गई है।

7.2.18 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की दिशा में निर्देश, नीतियों, कार्यक्रमों एवं मानकों का प्रावधान करता है। प्रत्येक वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 26,000 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्रवेश दिया जाता है।

7.2.19 वर्तमान समय में, निम्नलिखित नौ प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं:–

(i) अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड कम्युनिकेशन्स टेक्नोलाजीज एण्ड रिसर्च

(ii) नेताजी सुभाष इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी

(iii) इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन

(iv) दिल्ली टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी

(v) दिल्ली इन्स्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल साइन्सेज एंड रिसर्च

(vi) गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज

(vii) चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज

(viii) कालेज ऑफ आर्ट

(ix) इन्द्रप्रस्थ इन्स्टीट्यूट आफ इन्फारमेशन टेक्नोलाजी

7.2.20 दिल्ली सरकार ने नेताजी सुभाष इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (इंजीनियरिंग कालेज) का नेताजी सुभाष इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी के रुप में उन्नयन करने का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी कॉलेज फॉर वूमेन का इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन के रुप में उन्नयन किया गया है और इसे शैक्षणिक सत्र 2013–14 से संचालित कर दिया गया है।

7.2.21 आई टी ई, सिंगापुर सरकार के सहयोग से जोनापुर, दिल्ली में ग्रीन फील्ड वर्ल्ड क्लॉस स्किल सेंटर की स्थापना करने संबंधी एक परियोजना शुरु की गई है। इस परियोजना के लिए जोनापुर, दक्षिणी जिला में 37.01 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। जोनापुर में स्थायी परिसर की आयोजना एवं डिजाइन का कार्य प्रक्रियाधीन है। तथापि, परियोजना के अधीन दो कार्यक्रमों अर्थात आतिथ्य एवं रिटेल मर्केन्डाइजिंग को आई.टी.आई., विवेक विहार, दिल्ली के अस्थायी परिसर से अगस्त, 2013 से प्रारम्भ किया गया है।

7.2.22 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, आई.टी.आई., नंद नगरी में महिला स्कंध के निर्माण हेतु 145.77 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है और पी डब्ल्यू डी ने भवन के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

सामाजिक सुरक्षा

7.2.23 महिलाओं की सुरक्षा एवं मदद सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने चौबीसों घण्टे सक्रिय एक हेल्पलाइन नम्बर 181 चालू की है, जो मुसीबत में फंसी महिलाओं को सहायता पहुंचाता है। यह हेल्पलाइन मुख्यमंत्री के कार्यालय से संचालित होती है और पूरे शहर के सभी 185 पुलिस स्टेशनों से जुड़ी है। दिनांक 31.03.2014 तक कुल 7,87,571 कालें प्राप्त हुई। '181' के आंकड़ों के रखरखाव के लिए आईआईटी दिल्ली की टीम की सहायता से एक नया विशिष्ट साफ्टवेयर विकसित किया गया था। यह साफ्टवेयर दिनांक 26.08.2013 से कार्य कर रहा है।

7.2.24 दिल्ली में 130 जेण्डर सिसोर्स सेंटर (जी आर सी) स्थापित किए गए हैं जिनके एक्सटेंशन जेण्डर रिसोर्स केन्द्र भी हैं। जेण्डर रिसोर्स केन्द्रों की परिकल्पना विशेष रुप से समाज के कम सुविधा वाले वर्गों से संबंधित महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और विधिक सशक्तिकरण के माध्यम के रुप में की गई है। जेण्डर रिसोर्स केन्द्र की गतिविधियों में सामाजिक सशक्तिकरण, कानूनी अधिकार, आर्थिक पहलें – कौशल निर्माण, सूक्ष्म उद्यम और उद्यमवृत्ति विकास, स्वास्थ्य संबंधी पहलू, सूचना का आदान–प्रदान और नेटवर्किंग संबंधी पहलू, अनौपचारिक कार्यात्मक साक्षरता आदि शामिल हैं।

7.2.25 मुसीबत में फंसी महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से दिल्ली के पिछड़े क्षेत्रों में 100 आवाज उठाओ समूहों की स्थापना की गई है। जहांगीरपुरी और सराय रोहिल्ला में बेसहारा, गर्भवर्ती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए वाई डब्ल्यू सी ए के सहयोग से आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। ये गृह देश में अपनी तरह के पहले गृह हैं।

7.2.26 महिला एवं बाल संस्थागत स्थापनाओं में काउंसिलिंग करने एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 3 संस्थागत परिसरों में मानसिक स्वास्थ्य इकाइयां आरम्भ की गई हैं। यौन शोषण के मामलों के त्वरित विचारण हेतु पांच फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई है।

7.2.27 लाडली योजना के तहत, 5,74,282 बालिकाओं का नामांकन किया गया है और 50,181 लाभार्थियों को परिपक्वता दावों का भुगतान किया गया है।

7.2.28 वृद्धावस्था सहायता योजना के अन्तर्गत, 3.8 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया है। सरकार 60 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान कर रही है। उन्हें 1,000/–रुपए प्रतिमाह सहायता प्राप्त हो रही है। 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को 1,500/–रु. प्रति माह सहायता प्राप्त हो रही है और ऐसे 1,57,989 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अ.जा./ अ.ज.जा./अल्पसंख्यक लाभार्थियों को 500/–रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने विशेष जरुरतमंद (अक्षम व्यक्ति पेंशन) लोगों को सहायता राशि को बढ़ाकर 1,500/–रुपए प्रति माह कर दिया है।

7.2.29 सरकार, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य जीवकोपार्जक की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों की सहायता करना है। प्रमुख जीवकोपर्जक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के कारणों अर्थात प्राकृतिक अथवा दुर्घटनावश पर ध्यान दिए बगैर, लाभ की राशि 10,000/–रुपए है। इस योजना के तहत 60,000/–रुपए सालाना आय वाले परिवार और विगत 05 वर्ष से दिल्ली में रह रहे व्यक्ति पात्र हैं।

7.2.30 सरकार ने दिल्ली भाईचारा सोसाइटी के सहयोग से दो वृद्धावस्था गृह स्थापित किए हैं, जिनमें पहला बिन्दापुर में और दूसरा लामपुर में है। चितरंजन पार्क, कांति नगर, वसन्त विहार और रोहिणी में नए वृद्धावस्था गृहों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

7.2.31 जिन लोगों की मानसिक बीमारी का उपचार हो गया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जिनकी हालत नियंत्रण में है, उन लोगों को पुनर्वासित करने संबंधी व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए हाफवे होम की संकल्पना की योजना बनायी गई थी। इस योजना का उद्देश्य मानसिक रुप से सुधरी हालत वाले मरीजों के लिए सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान करना है।

7.2.32 कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को स्टेशनरी खरीदने संबंधी वित्तीय सहायता की योजना का विस्तार करके उसे कक्षा 1 से 5 वीं तक के प्राथमिक वर्ग में पढ़ रहे अ.जा/ अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी किया गया था। इसके अतिरिक्त, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दी जाने वाली 45/–रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 100/–रुपए और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की 75/– रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 200/– रुपए कर दिया गया है।

7.2.33 डी एस सी एफ डी सी द्वारा अ.जा/ अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली

स्वरोजगार योजना स्कीम आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यकों तथा उद्यमियों को स्व–रोजगार हेतु 5,00,000/–रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

7.2.34 दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, दिल्ली सरकार द्वारा शुरु की गई राजीव गांधी स्वावलम्बन रोजगार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत, ऋण के रुप में 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें परियोजना लागत का 15% सब्सिडी घटक है, जो प्रति उद्यमी 7,500/–रुपए की सीमा के अध्यधीन है। वर्ष 2012–13 के दौरान, बोर्ड ने 19 इकाइयों को 49.05 लाख रुपए की राशि संवितरित की है।

7.2.35 सरकार ने दिल्ली को देश का सर्वप्रथम "केरोसीन ऑयल मुक्त शहर" बनाने के उद्देश्य से एक योजना प्रारम्भ की। योजना के भाग के रुप में, दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि राजीव गांधी ग्रामीण एल पी जी वितरक योजना नामक स्कीम के तहत 3,56,395 बीपीएल/एएवाई/जेआरसी (गरीबी रेखा के नीचे/अन्त्योदय अन्न योजना/झुग्गी राशन कार्ड) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके दिल्ली को विशिष्ट प्रकार के केरोसीन तेल के वर्तमान आवंटन को घटाकर "शून्य" कर दिया जाए। इस योजना में दिल्ली सरकार ने लाभार्थी परिवारों को आईएसआई मार्क दो बर्नर वाले गैस स्टोव, रबर पाइप और रेगुलेटर निःशुल्क मुहैया कराने की योजना बनाई है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक लाभार्थियों को 1,88,274 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की कुल संख्या 1,92,674 है।

7.2.36 दिल्ली, देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित करने वाला पहला शहर है। इसके अतिरिक्त, "आप की रसोई" के 17 केन्द्र चालू हो गए हैं, जिनमें महिपालपुर क्रासिंग, एम्स, कबीर बस्ती (मलका गंज) और प्रताप कैम्प (नेहरु नगर) स्थित 04 नए "आप की रसोई" केन्द्र भी शामिल हैं। इनमें लगभग 6,000–6,500 लोगों को दैनिक आधार पर एक समय का भोजन मिल रहा है।

शहरी विकास

7.2.37 दिल्ली राज्य उद्योग एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) जेएनएनयूआरएम के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लगभग 40,000 आवासीय फ्लैटों का निर्माण कर रहा है। 13,820 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि 25,500 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक कामगारों के लिए भी 1,892 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। 895 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया है।

परिवहन

7.2.38 सरकार, सभी के लिए कम खर्चीली, सुविधाजनक, सुरक्षित, विश्वसनीय और अनवरत परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 3,775 विश्वस्तरीय लो–फ्लोर गैर–ए.सी. और ए.सी. सी.एन.जी. बसों (2,500 गैर–ए.सी. तथा 1,275 ए.सी.) के प्रापण का कार्य पूरा कर लिया है। व्यस्त यात्रा–काल (पीक ऑवर्स) के दौरान महिलाओं की सुविधा के लिए 22 महिला विशेष बस सेवा ट्रिप शुरु की गई हैं। डीटीसी ने अलग–अलग रुटों पर रात्रिकालीन सेवाएं बढ़ायी हैं। यात्रियों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में होम गार्ड्स तैनात किए गए हैं। डीटीसी के फरवरी 2014 के परिचालन संबंधी आंकड़ों के अनुसार, डीटीसी से प्रतिदिन 44.48 लाख यात्रियों ने यात्रा की।

7.2.39 दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो चरण–III कोरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है। चारों कोरिडोरों के नेटवर्क की कुल लंबाई 103 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार ने चरण–III के तहत कार्यान्वित करने के लिए तीन मेट्रो एक्सटेंशन परियोजनाओं (यमुना विहार से शिव विहार, रिठाला से बवाना और द्वारका से नजफगढ़) को सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदित भी कर दिया है।

उद्योग

7.2.40 सरकार ने उद्योग एवं संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श करके एक नई औद्योगिक नीति तैयार की है। नई औद्योगिक नीति की संकल्पना और दृष्टिकोण दिल्ली को स्वच्छ, उच्च प्रौद्योगिकी एवं कौशलपूर्ण उद्योगों का एक वैश्विक केन्द्र बनाना है। डीएसआईआईडीसी द्वारा बवाना, भोरगढ़, नरेला में गैर समनुरुप क्षेत्र में चल रही

औद्योगिक इकाइयों को लगभग 22,465 नए औद्योगिक भूखण्ड आबंटित किए गए हैं। बवाना औद्योगिक एस्टेट में आबंटित 85% भूखण्डों पर औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार बापरोला मे 1,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 77 एकड़ क्षेत्र में नॉलेज बेस्ड औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है। यह परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, मीडिया रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, रत्न एवं आभूषण व्यावसायिक सेवाओं की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करेगी।

7.2.41 सरकार ने दिनांक 01.04.2013 से मजदूरी की न्यूनतम दर को संशोधित कर दिया है। मजदूरी की न्यूनतम दर गैर–कुशल कामगारों के लिए 7,722/–रुपए प्रति माह, अर्धकुशल कामगारों के लिए 8,528/–रुपए प्रति माह तथा कुशल कामगारों के लिए 9,386/–रुपए प्रति माह है, जो देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में से सर्वाधिक है और 'क' श्रेणी के शहरों में केन्द्र सरकार की दरों के बराबर है।

अवसंरचना

7.2.42 विगत कुछ वर्षों से दिल्ली ने अवसंरचना के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। आज दिल्ली की अवसंरचना विश्व स्तरीय शहरों के बराबर स्तर की है। सरकार का इस अवसंरचना में सुधार करने का प्रयास जारी है।

7.2.43 दिल्ली में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1,400 यूनिट प्रति वर्ष से भी अधिक है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 355 यूनिट का है। लोड–शेडिंग 0.3% से भी कम है। प्रगति गैस आधारित विद्युत सयंत्र (बवाना) परियोजनाओं के चालू हो जाने से दूसरे राज्यों पर बिजली संबंधी निर्भरता में भारी कमी हो जाएगी। बवाना का मॉड्यूल–I (750 मेगावाट) चालू हो गया है और मॉड्यूल–II भी चालू होने वाला है। दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने संकट की स्थिति में लोड को पूरा करने के लिए आइलैण्ड स्कीम तैयार की है।

7.2.44 प्रभावकारी प्रबंधन के माध्यम से सरकार ने पानी की बढ़ती हुई मांग के बावजूद इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की है। अब, 926 अनधिकृत कालोनियों में जल संवितरण लाइनें डाल दी गई हैं और उनमें से 784 कालोनियों में जलापूर्ति भी शुरु कर दी गई है।

पर्यावरण

7.2.45 सरकार अपने बहु–आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समग्ररुपेण पर्यावरणीय मूल्यांकन करने, उसकी निगरानी करने, उसके संरक्षण एवं दिल्ली के लोगों में इसके प्रति जागरुकता फैलाने के लिए सक्रिय रुप से कार्य कर रही है।

7.2.46 भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2011 के अनुसार, दिल्ली का हरित क्षेत्र वर्ष 1997 में 26 वर्ग किमी. से बढ़कर लगभग 296.20 वर्ग किमी. हो गया है। हरित क्षेत्र को बढ़ाने में अप्रत्याशित सफलता हासिल करने के पश्चात, हरितक्षेत्रवर्धन कार्य से जुड़ी एजेंसियों एवं सामुदायिक भागीदारी की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से खाली भूमि पर अधिकाधिक पौधे एवं वृक्ष लगाने के सतत रुप से प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में, दिल्ली में लगभग 20,000 छोटे/मध्यम/बड़े पार्क एवं उद्यान, 40 शहरी वन, 5 रिज क्षेत्र, 2 जैव–विविधिता वाले पार्क और अन्य हरित पट्टियां हैं।

7.2.47 आस–पास की वायु में प्रदूषक कारकों के संबंध में कठोर उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। आस–पास की वायु की गुणवत्ता की सतत निगरानी करने वाले 06 स्टेशन स्थापित किए गए हैं और इसका आन–लाइन डाटा डीपीसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, बिक्री, भण्डारण, इस्तेमाल, आयात और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।

7.2.48 उद्योगों, होटलों, निर्माण कार्य परियोजनाओं इत्यादि द्वारा आन–साइट विकेन्द्रीकृत गंदा जल शोधन प्रणालियों की स्थापना किए जाने और शोधित गंदे जल को साफ–सफाई, कूलिंग, बागवानी इत्यादि में दुबारा उपयोग में लिए जाने के अनिवार्य प्रावधान को कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 1,300 से अधिक एसटीपी/ईटीपी स्थापित किए जा चुके हैं।

7.2.49 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तीन प्रमुख नालों (अर्थात नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंटरी ड्रेन और

शाहदरा नालों) पर 59 किमी. लम्बी इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि सहायक छोटे–छोटे नालों से आने वाले मल–जल (सीवेज) के प्रवाह को अवरोधित करके उसे शोधन हेतु निकटतम सीवेज शोधन संयंत्रों में ले जाया जा सके और फिर यह सुनिश्चित किया जा सके कि नालों एवं यमुना नदी में केवल शोधित मलजल(सीवेज) ही छोड़ा जा रहा है।

दिल्ली पुलिस

7.3.1 वर्ष 1951 में दिल्ली पुलिस की कुल कार्मिक शक्ति एक पुलिस महानिरीक्षक और आठ पुलिस अधीक्षकों सहित लगभग 8,000 की थी। वर्ष 1956 में उप पुलिस महानिरीक्षक का एक पद जोड़ा गया था। दिल्ली को उस समय तीन पुलिस जिलों नामतः नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में विभाजित किया गया था। वर्ष 1978 से दिल्ली पुलिस, पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करती है और उनकी सहायता के लिए 10 विशेष पुलिस आयुक्त और 39 संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त होते हैं। इस समय, छह रेंज, 11 जिले, 54 सब डिवीजन और 181 पुलिस स्टेशन हैं और पुलिस बल की कुल संख्या 84,536 है।

7.3.2 आई पी सी मामले

क्रम सं.	अपराध के प्रकार	दिनांक 01.01.2012 से 31.03.2013 के दौरान मामलों की संख्या	दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान मामलों की संख्या
1.	डकैती	32	58
2.	हत्या	621	656
3.	हत्या का प्रयास	566	733
4.	लूटपाट	823	2284
5.	दंगा	106	146
6.	फिरौती के लिए अपहरण	25	36
7.	बलात्कार	1099	2109
8.	**कुल जघन्य**	**3272**	**6022**
9.	उगाही	176	245
10.	झपटमारी	1956	5682
11.	चोट पहुंचाना	2133	2231
12.	सेंधमारी	2199	5166
13.	मोटर वाहन की चोरी	17522	19795
14.	घर में चोरी	2181	5612
15.	अन्य चोरी	8028	22369
16.	महिलाओं से छेड़छाड़	1592	4544
17.	घातक दुर्घटना	2211	2142
18.	साधारण दुर्घटना	6473	7669
19.	अन्य आई पी सी	22741	34113
	कुल गैर–जघन्य	**67212**	**109568**
	कुल आई पी सी	**70484**	**115590**

7.3.3 शहर को महिलाओं के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धताः

महिलाओं की सुरक्षा संबंधी पहलें

- पुलिस हेल्पलाइन नं. (100) की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है

✓ प्राप्त कालें

- 2013: 10,409 2014: (31 मार्च, 2014 तक): 2,615
- महिला हेल्पलाइन नं. (1091) की संख्या 4 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है

✓ प्राप्त कालें

- 2013: 1,098 2014 (31 मार्च, 2014 तक): 335
- पुलिस स्टेशन में 24×7 महिला हेल्प डेस्क

✓ प्राप्त शिकायतें

- 2013: 58,766 2014 (31 मार्च, 2014 तक): 8,488
- प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं द्वारा संचालित की जाने वाली समर्पित लाइनें

- 392 पेइंग गेस्ट आवासों की सुरक्षा संबंधी जांच
- 255 संवेदनशील मार्गों की निगरानी की गई
- 100 पीसीआर वैनों में महिला अधिकारी
- परिवर्तन योजनाओं के अंतर्गत 398 बीट
- थाना स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया गया – महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया गया

आयोजित की गई बैठकें

- 2013:1,126 2014 (31 मार्च, 2014 तक): 126
- 300 बस स्टापों पर विशेष तैनाती
- 306 अतिरिक्त महिला/एसआई और 1300 महिला कांस्टेबलों (522 + 778) की भर्ती की जा रही है
- विशेष पुलिस आयुक्त/यातायात द्वारा एनजीओ के साथ मासिक बैठकें
- अश्लील कालों एवं पीछा करने की शिकायतों पर कार्रवाई करने पर विशेष ध्यान
- महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए मोटर साइकिल द्वारा गश्त, आपातकालीन कार्रवाई वाहनों की तैनाती
- यौन अपराधियों के आंकड़े दिल्ली पुलिस की वेबसाइट अर्थात www.delhipolice.nic.in पर अपलोड करना

1,171 अपराधियों के रिकार्डों को अद्यतन किया गया

- खुलने और बंद होने के समय लड़कियों के स्कूलों/कालेजों के आस–पास पुलिस कर्मियों की तैनाती
- अंधेरे क्षेत्रों की पहचान करना।

7.3.4 महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस एकक (एसपीयूडब्ल्यूसी), जो प्रारम्भ में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ के रुप में शुरु की गई थी, की स्थापना दहेज हत्या, घरेलू हिंसा की शिकायत आदि सहित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए की गई थी। यह भी महसूस किया गया था कि महिलाओं को न्यायिक सहायता की आवश्यकता है और कुछ वर्षों से महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ अपनी विभिन्न गतिविधियों अर्थात – काउंसिलिंग एवं सुलह, वैवाहिक विवादों की शिकायतों एवं घरेलू हिंसा तथा दहेज संबंधी मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक केन्द्र बन गया है। चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24 × 7) महिला हेल्पलाइन क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त, अपराध हस्तक्षेप केन्द्र के माध्यम से हर जिले में बलात्कार पीड़ित की मदद करने, छात्राओं/आम जनता को आत्म–रक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य एनजीओ और एसपीयूडब्ल्यूसी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

7.3.5 अपराध शाखा के अधीन पुलिस मुख्यालय (पी एच क्यू) में एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो अकेले अथवा जीवनसाथी के साथ रह रहे हैं और दिल्ली पुलिस के पास अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, उनकी पहचान पुलिस स्टेशनों के बीट/संभागीय स्टाफ द्वारा की जाती है और उनके नाम पंजीकरण के लिए वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं। स्थानीय पुलिस ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का रिकार्ड रखती है और बीट/संभागीय स्टाफ नियमित रुप से उनके यहां जाता रहता है।

7.3.6 वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण वर्ष 2013 के दौरान जारी रहा। अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के अलावा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जिन्हें घरों में अकेले छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके बच्चे काम करने के लिए लम्बे समय के लिए चले जाते है। दिल्ली पुलिस में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ–साथ, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का भी पंजीकरण किया जा रहा है।

7.3.7 स्थानीय पुलिस द्वारा वर्ष 2013 और 2014 के दौरान इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 17,465 वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी जांच की गई। वर्ष 2012 के दौरान, दिल्ली पुलिस के पास पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को पहचान–पत्र जारी करने की एक नई पहल शुरु की गई थी। वर्ष 2013 और 2014 (31.03.2014 तक) में 16,755 पहचान–पत्र जारी किए गए हैं।

7.3.8 पुलिस स्टेशन स्टाफ और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से टेलीफोन के जरिए और व्यक्तिगत रुप से घर जाकर भी सम्पर्क किया जाता है। वर्ष 2013 और 2014 (31.03.2014 तक) के दौरान कुल 5,05,729

बार घर जाकर और 3,50,109 बार टेलीफोन के जरिए सम्पर्क किया गया।

पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए कदम

7.3.9 पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस का यथोचित संरक्षण प्राप्त होता रहा है। दिल्ली पुलिस ने विशेष रुप से पूर्वोत्तर से आए लोगों के लिए 11 नोडल अधिकारियों एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त रैंक के एक मुख्य समन्वयक के पद का सृजन करके अपनी इस पहल को औपचारिक रुप प्रदान किया है। कुछेक जन समन्वयकों को भी संबद्ध किया गया है ताकि इन क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पुलिस के पास आने में भयमुक्तता का अहसास हो सके और वे अपनी शिकायतें बता सकें। पूर्वोत्तर के लोगों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2012 में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइटः www.delhipolicefornortheast.com भी चालू की गई है।

7.3.10 दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः–

क) जहां तक सामान्यतः महिलाओं के प्रति अपराध और विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के प्रति अपराध का संबंध है, ऐसे मामलों में स्पष्ट रुप से "जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी" अपनायी जाए।

ख) पीछा करने, एस एम एस भेजने इत्यादि सहित अनेक समस्याओं का शुरुआत में ही आसानी से निदान किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित व्यक्ति का पता लगाया जाए और उसे स्वयं सुधर जाने और कायदे से रहने तथा संबंधित व्यक्ति को परेशान न करने की सलाह दी जाए।

ग) जहां कहीं आवश्यक हो, विधिसम्मत अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निवारक कार्रवाई भी शुरु की जा सकती है।

घ) जहां कहीं भी मामले घटित हो जाते हैं, उनका तत्काल पंजीकरण किया जाए तथा दिन–प्रतिदिन आधार पर जांच की जाए एवं उनको निपटाया जाए।

ङ) पुलिस की तत्काल कार्रवाई से केवल पीड़ित का ही नहीं, अपितु समुदाय का भी विश्वास बहाल होगा और इससे अभियुक्त को स्पष्ट संदेश जाएगा कि ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

च) पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, सिविल लाइन्स, रुप नगर, तिमारपुर आदि सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के आस–पास के पुलिस स्टेशनों और उत्तर, उत्तर–पश्चिम जिलों के सभी पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में केवल उन हॉस्टलों की ही नहीं, जहां विद्यार्थी रहते हैं, अपितु ऐसी सामान्य रिहाइशी कालोनियों के पॉकेटों की भी नियमित तौर पर गश्त की जाती है, जिनमें पूर्वोत्तर के छात्र ज्यादा संख्या में रहते हैं।

छ) ऐसे क्षेत्रों के बीट कांस्टेबलों को पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के सामुदायिक नेताओं के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के प्रति सुग्राही बनाया जा रहा है ताकि उन्हें उन समस्याओं, यदि कोई हों, के बारे में पता चल सके जो उनके द्वारा झेली जा रही हैं और वे यथोचित कार्रवाई कर सकें अथवा आवश्यक कार्रवाई हेतु संभागीय अधिकारी/एसएचओ को सूचित कर सकें।

ज) एसएचओ को अनिवार्य रुप से सामुदायिक नेताओं के साथ नियमित तिमाही बैठकें करनी चाहिए।

झ) क्षेत्र सुरक्षा समिति, जो उत्तरी जिला में गठित की गई है, नियमित रुप से बैठकें करती है और विद्यार्थियों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करती है।

सामुदायिक पुलिस–व्यवस्था संबंधी योजनाएं

(i) युवा

7.3.11 वयस्क युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी योजना 'युवा' आरम्भ की गई है। पुलिस आयुक्त दिल्ली द्वारा इस संबंध में एक स्थायी आदेश संख्या 404/2012 जारी किया गया है।

7.3.12 'युवा' का लक्ष्य ऐसे वयस्क युवाओं एवं अधिकार वंचित बच्चों का चयन करना है, जो समुचित शिक्षा एवं खेलकूद की सुविधाओं के अभाव में अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस युवा फाउण्डेशन (डीपीवाईएफ) नामक एक संस्थागत ढांचे की भी स्थापना की है। डीपीवाईएफ वयस्क युवाओं एवं अधिकार वंचित बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने के लिए खेलकूद गतिविधियों, पेंटिंग कार्यशालाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसी पहलें करती है। यह फाउण्डेशन ऐसे पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आने वाले उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा जहां ऐसी पहलें आवश्यक हैं और जहां उनका कार्यान्वयन किया जाना संभव है तथा यह वहां इच्छुक एनजीओ, कारपोरेट घरानों और समाज सेवियों की मदद से इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना एवं संभारकी का सृजन करेगी। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक खेलकूद गतिविधियों में 6,602 युवाओं ने भाग लिया और 5,018 युवाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें से 583 युवाओं को "युवा" द्वारा रोजगार प्रदान किया।

(ii) जन-संपर्क

7.3.13 जन–सहयोग के लिए हाल ही में शुरु किया गया सकारात्मक उपाय जन–सम्पर्क की संकल्पना है, जिसमें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूर्व–निर्धारित समय और तारीख पर अपने संबंधित क्षेत्रों में जाते हैं और आडोटोरियम, विद्यालय हॉलों, सार्वजनिक पार्कों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थलों पर जन–शिकायतें सुनते हैं। पुलिस आयुक्त द्वारा इस संबंध में एक स्थायी आदेश संख्या 403/2012 जारी किया गया है। इससे लोगों की समस्याओं/शिकायतों का शीघ्र समाधान होगा। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, इस प्रकार के 1,184 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 17,599 शिकायतें सुनी गईं/प्राप्त हुईं और 3,267 शिकायतों का समाधान किया गया है।

(iii) "आपका अपडेट"

7.3.14 दिल्ली पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरु की गई है, जिसके द्वारा शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों/उनके मामलों की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। पुलिस आयुक्त द्वारा इस संबंध में एक स्थायी आदेश सं. 411/2012 जारी किया गया है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, 2,12,540 शिकायतें सूचित की गई थीं और 1,68,463 शिकायतकर्ताओं से फीडबैक/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 99% लोगों ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शायी है।

(iv) मादक पदार्थ के दुर्व्यापार के प्रति कार्रवाई

7.9.15 मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के विरुद्ध व्यापक रुप से अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से दिल्ली के मादक पदार्थ दुर्व्यापारियों को गहरा आघात लगा और उनसे भारी मात्रा में स्वापक पदार्थ बरामद किए गए। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, 511 मामले दर्ज किए गए हैं और 120.305 किग्रा. स्मैक/हेरोइन, 60.680 किग्रा. अफीम, 3,548.044 किग्रा. गांजा, 6.622 किग्रा. कोकीन एवं इसके 100 कैपसूल, 93.703 किग्रा. चरस, 763.500 किग्रा. इफेड्रिन और इसके 42,27,800 टैबलेट बरामद किए गए।

दिल्ली पुलिस का बजट

7.3.16 वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए योजनेतर के तहत 4,133.53 करोड़ रूपए का बजट अनुमान अनुमोदित किया गया था। यह पिछले वर्ष के 3,879.80 करोड़ रुपए के तदनुरुप आंकड़ों की तुलना में 6.13% की वद्धि का द्योतक है।

दिल्ली पुलिस के बजट के आंकड़े निम्नानुसार हैंः–

क्रम सं.	योजनागत/ योजनेतर	बजट अनुमान 2013–14 (करोड़ रू.)	बजट अनुमान 2012–13 (करोड़ रू.)	विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 में प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 2013–14 का वास्तविक व्यय (करोड़ रू.)
1.	योजनागत	421.68	209.38	101.39%	268.09
2.	योजनेतर	4133.53	3879.80	6.53%	4190.55

यातायात नियंत्रण प्रणाली एवं आधुनिकीकरण

7.3.17 सभी बाधाओं अर्थात् आबादी, प्रवासी आबादी में बढ़ोत्तरी, वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी, वाणिज्यीकरण, अनियोजित विकास, सार्वजनिक जन परिवहन प्रणाली की अपर्याप्तता, उपलब्ध सड़क स्थान का कम हो जाना, दिल्ली की सड़कों पर यातायात की विषमता, अतिक्रमण, अप्राधिकृत पार्किंग, मोटर वाहन चालकों का पैदल यात्रियों के प्रति संवदेनशील न होना, यातायात अनुशासन का अभाव, रात के दौरान खराब सड़क रोशनी और कम दृश्यता, अपर्याप्त सड़क संकेत, बसों की वजह से होने वाले झगड़े, ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में बदलने की तीव्र गति, नागरिक एवं यातायात जिम्मेदारी का अभाव, शहरी स्थापना का विकास, यातायात आवश्यकताओं की बढ़ती मांग, सड़क दुर्घटना इत्यादि के बावजूद, दिल्ली यातायात पुलिस निरन्तर बढ़ रही यातायात समस्याओं का अधिक संतोषजनक तरीके से समाधान कर रही है। दिल्ली यातायात पुलिस युक्तिसंगत स्थानों पर यातायात कार्मिकों की दृश्यता, सचलता और उपलब्धता के द्वारा इन यातायात समस्याओं का समाधान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यात्रा सुरक्षित और सहज हो तथा यात्रा का समय कम से कम हो। दिल्ली यातायात पुलिस ने, बड़े पैमाने पर, यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय अद्यतन एवं अधुनातन प्रौद्योगिकी का समावेश करने की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस का ध्यान निम्नलिखित बातों के प्रति है:–

क) यातायात के सुरक्षित और सहज आवागमन का प्रावधान करना

ख) यातायात नियमों एवं विनियमों को प्रभावकारी तरीके से लागू करना

ग) सड़क दुघर्टनाओं को रोकना और कम करना

घ) शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरुकता को लोगों के मन में बैठाना

ङ) यातायात प्रबंधन में अधुनातन प्रौद्योगिकी का समावेश करना और पारदर्शिता लाना।

पुदुचेरी

7.4.1 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अपनी स्वयं की विधायिका और समेकित निधि है। इसमें पुदुचेरी, कराइकल, माहे और यनम नामक चार क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक तौर पर एक–दूसरे से पृथक स्थित हैं। पुदुचेरी सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान अलग–अलग क्षेत्रों में शुरु की गई प्रमुख विकासपरक पहलें निम्नानुसार हैं:–

लोक निर्माण कार्य

7.4.2 एन एच–45ए–पुदुचेरी–नागापट्टिनम खण्ड के कराइकल नगर में थिरुमलाइरजनार नदी पर बहाव धारा की दिशा में 12.80 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसे अगस्त, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाहौर कम्यून, पुदुचेरी में मानमेदू में थिनपन्नैयार नदी पर 19.70 करोड़ रुपए की लागत से दो लेन वाले एक हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य हुडको से ऋण सहायता लेकर किया जा रहा है।

7.4.3 मन्नाडिपेट कम्यून, पुदुचेरी में 18.00 करोड़ रुपए की लागत से मनालिपेट काजवे पर 200 मीटर के पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कुमारामंगलम, पुदुचेरी में मालातार नदी पर 13.00 करोड़ रुपए की लागत से एक हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

7.4.4 पर्यटन मंत्रालय द्वारा माहे में 5.00 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित "रीवर साइड एवं बीच डेवलपमेंट" परियोजना में एक तरफ ग्रेनाइट बेंचों वाली लैण्डस्केपिंग लैम्प पोस्ट रेलिंग आदि से युक्त वाक–वे होगा। नदी की तरफ 450 मीटर लंबे वाक–वे का निर्माण कार्य हर दृष्टि से पूरा कर लिया गया है और 480 मीटर की लंबाई वाले चरण–III का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

7.4.5 युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से निधियां प्राप्त करके लासपेट, पुदुचेरी में 6.00 करोड़ रुपए की लागत से बहु–प्रयोजनीय इंडोर

हॉल का निर्माण–कार्य शुरु किया गया है और यह कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा हो जाएगा।

लासपेट में सीवेज शोधन संयंत्र–I का दृश्य

नगर एवं ग्राम योजना

7.4.6 जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) योजना के तहत, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित 3 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं, अर्थात पुदुचेरी के शहरी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति की योजना (307.50 करोड़ रुपए), कराइकल के शहरी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति की योजना (161.50 करोड़ रुपए) और पुदुचेरी के शहरी क्षेत्र में ग्रेड सेपरेटरों/पुलों का निर्माण (145.00 करोड़ रुपए)।

7.4.6.1 पुदुचेरी के लिए व्यापक भूमिगत सीवरेज स्कीम के तहत, सहायक सुविधाओं के साथ 130 किमी. लम्बी सीवर लाइन पूरी कर ली गई है। लासपेट, दुब्रयापेट और कनगनेरी में सीवरेज शोधन संयंत्रों का क्रमशः 83%, 60% और 20% कार्य पूरा कर लिया गया है।

कनगनेरी में सीवेज शोधन संयंत्र–III का दृश्य

7.4.6.2 यनम परियोजना के लिए जलापूर्ति में वृद्धि के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना पूरी हो गई है।

7.4.7 168 रिहाइशी इकाइयों के निर्माण के लिए कुरुचिकुप्पम परियोजना हर दृष्टि से पूरी हो गई है। पुदुचेरी में दो स्थानों पर 262 रिहाइशी इकाइयों और कराइकोविलपथु कराइकल में 72 रिहाइशी इकाइयों का कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा, रेड्डियारपलयम में 200 रिहाइशी इकाइयों में फिनिशिंग कार्य पूरा होने वाला है। रेड्डियारपलयम, पुदुचेरी में 896 रिहाइशी इकाइयों और कराइकल में 144 रिहाइशी इकाइयों का निर्माण पूरा करने और लाभार्थियों को सौंपने का प्रस्ताव है।

काराइकल में निर्मित मकान

लैम्बर्ट सरवनन नगर में निर्मित मकान

विद्युत

7.4.8 भारत सरकार ने 46.11 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से पुदुचेरी क्षेत्र को स्मार्ट ग्रिड प्रोग्राम के संबंध में एक प्रायोगिक क्षेत्र के रुप में लिया है, जिसके माध्यम से 87,075 इलेक्ट्रो मैगनेटिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में, 6 ट्रांसफार्मरों के वितरण

क्षेत्रों में लगभग 1,400 स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। उक्त स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक कार्यक्रम के अंतर्गत, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मानीटरिंग सलूशन, फाल्ट पैसेज इंडिकेटर्स, नेट मीटरिंग को भी शामिल किया गया है। 110/22 केवी सब–स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। दक्षिणी क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाओं के अंतर्गत विद्यमान 230 केवी नेयवेली–बहौर लाइन में नेयवेली के निकट लूपिंग इन लूपिंग आउट (एलआईएलओ) व्यवस्था के द्वारा कराइकल में प्रस्तावित 230/110 केवी सब–स्टेशन में 230 केवी की डबल सर्किट लाइन बिछाने की योजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थायी समिति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पुदुचेरी शहरी क्षेत्र में 110/11 केवी वेंकट नगर सब–स्टेशन की स्थापना का कार्य पूरा होने वाला है। सब–स्टेशन को वित्तीय वर्ष 2014–15 की पहली तिमाही के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है।

वेंकट नगर 110/11 केवी सब–स्टेशन

कृषि

7.4.9 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के अन्तर्गत, 50 गांवों में धान उत्पादन तीव्रीकरण की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कम्पैक्ट ब्लॉक प्रदर्शन का कार्य शुरु किया गया है। 50% सब्सिडी जारी करके उत्पाद हित समूहों के लिए फार्म मशीनें खरीदी गई थीं। पुदुचेरी में 145 हेक्टेयर में और कराइकल में 18 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रेसिजन खेती योजनाएं शुरु की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कराइकल में कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि महाविद्यालय में मॉडल प्रेसिजन फार्मिंग डेमान्सट्रेशन यूनिटों की स्थापना की गई है। पुदुचेरी सहकारी चीनी मिल के माध्यम से गन्ना उत्पादकों को किराए पर देने के लिए एक सेट सूगरकेन हारवेस्टर खरीदा गया था।

कार्यरत सूगरकेन हारवेस्टर

धान सीआईजी को 50% सब्सिडी पर मशीनरी का वितरण

प्रेसिजन फार्मिंग

विद्यालयी शिक्षा

7.4.10. सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/प्राइवेट विद्यालयों के छात्रों के लिए "छात्र स्पेशल बसों" में 1/–रुपए प्रति चक्कर की रियायती दर पर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की योजना दिनांक 26.01.2010 से कर्यान्वित की जा रही है, ताकि पूरे

शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने और वापस घर आने की सुविधा प्रदान की जा सके। पुदुचेरी क्षेत्र में 50 बसें चल रही हैं और कराइकल क्षेत्र में 13 बसें चल रही हैं। लासपेट में 2 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित मेगा सेंट्रल किचेन का उद्घाटन दिनांक 13.02.2013 को किया गया है। इस मेगा किचेन से 75 विद्यालय और 16,000 विद्यालयी छात्र लाभान्वित होंगे।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

7.5.1 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक बृहत्तम द्वीपसमूह श्रृंखला है, जो लगभग 556 द्वीपसमूहों, चट्टानों और द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से केवल 37 द्वीपसमूहों में ही लोग रहते हैं। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियों के लोग अर्थात ग्रेट अण्डमानीज, ओंगेज, जरावा, सेन्टिनेलीज, शोम्पेन्स और निकोबारीज रहते हैं। निकोबारीज के अलावा, अन्य जनजातियां विशेष रुप से असुरक्षित जनजाति समूह (पी टी जी) के रुप में वर्गीकृत हैं। पी टी जी को प्रतिमाह निर्धारित वितरण मानक के अनुसार निःशुल्क राशन और अनुपूरक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में इक्कीस ग्रेट अण्डमानीज सेवारत हैं। तेरह जनजातीय छात्रों को पोर्ट ब्लेयर में स्थित निजी शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक छात्र ए एन एम प्रशिक्षण विद्यालय, पोर्ट ब्लेयर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। बाइस ग्रेट अण्डमानीज बच्चे विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। एक अण्डमानीज जनजातीय बालिका ने सफलतापूर्वक सहायक नर्स–मिडवाइफ/एमपीएचडब्ल्यूएफ का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एएनएम प्रशिक्षण विद्यालय, पोर्ट ब्लेयर से जनजातीय कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और एएजेवीएस के सहयोग से पूरा कर लिया है और उसे स्वास्थ्य विभाग में नियमित नियुक्ति मिल गई है। वर्ष 2013–14 की वार्षिक जन–जातीय उप–योजना के लिए, जन–जातीय लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए 19,891.98 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

7.5.2 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का अत्यंत समुद्री महत्व है। इस द्वीपसमूह को "कालापानी कारागार" अथवा "काला पानी" के रुप में कुख्यात जगह के रुप में जाना जाता था। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वर्ष 1956 से भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अण्डमान द्वीपसमूह को अठारहवीं शताब्दी में अपने जलयानों को मानसून के दौरान सुरक्षित बंदरगाह मुहैया कराने के लिए विकसित किया। इसके पश्चात् 1858 में, बिट्रिश ने इस द्वीपसमूह में एक दाण्डिक यातना गृह की स्थापना की। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भू–भाग से भेजा जाता था और उन्हें सेल्युलर जेल में रखा जाता था। वर्ष 1982 में, मुख्य आयुक्त का स्तरोन्नयन करके उप राज्यपाल बनाया गया। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की कुल आबादी 3,80,581 है, जिसमें से जनजातीय आबादी 28,536 है, जो कुल आबादी का 8% है। जनजातीय आबादी के ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	जनजाति का नाम	संख्या
1.	अण्डमानीज	57 अब तक
2.	ओंगेज	109 अब तक
3.	जरावा	415 अब तक
4.	सेन्टीनेलीज	50 अनुमानित
5.	निकोबारीज	27686 (2011)
6.	शोम्पेन्स	219 (2011)

7.5.3 दिनांक 31.07.1974 तक अंडमान एवं निकोबार का गठन एक जिले के रुप में किया गया था। दिनांक 01.08.1974 को, निकोबार द्वीपसमूह का गठन एक अलग राजस्व जिले के रुप में किया गया था, जिसका मुख्यालय कार निकोबार में स्थित है। अगस्त 2006 में, अंडमान जिले को दक्षिण अंडमान जिला और उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला में विभाजित कर दिया गया था। इसमें छह सब–डिवीजन, नौ तहसीलें और नौ विकास खण्ड हैं। संघ राज्य क्षेत्र में त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है, जिसमें उनहत्तर ग्राम पंचायत समितियां और दो जिला परिषदें शामिल हैं। पोर्टब्लेयर शहर के लिए एक नगरपालिका है, जिसमें अठारह निर्वाचित सदस्य और तीन मनोनीत सदस्य हैं। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में संसदीय चुनाव क्षेत्र की एक सीट है।

7.5.4 ये द्वीपसमूह 4° से 6° उत्तरी अक्षांश और 92° से 94° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। यह भू–भाग द्वीपसमूहों के ही दो समूहों अर्थात अण्डमान और निकोबार से मिलकर बना है, जो 10 जलमार्गों (चैनेल्स) द्वारा पृथक किए गए हैं। मुख्य भूमि से वास्तविक दूरी और साथ ही द्वीपसमूहों के बीच की पृथकता की वजह से लोगों के बीच अलग–थलग पड़े होने की भावना पैदा हो गई है। ये द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. और चेन्नई से 1,190 किमी. की दूरी पर स्थित हैं। नौकायन द्वीपवासियों की जीवन रेखा है। इसलिए, मुख्य भूमि और द्वीपसमूहों दोनों के बीच सम्पर्कता एक प्रमुख मुद्दा है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में नौवहन सेवाओं का सवंर्धन करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जलयान अधिग्रहण की योजना की जोर–शोर से पैरवी करता रहा है, जिसके द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 25 जलयानों का अधिग्रहण किया गया जिनमें मुख्य भूमि से द्वीपसमूह तथा अंतर–द्वीपीय क्षेत्र में संचालित होने वाले 1200 और 500 पैक्स जलयान और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न पत्तनों के भीतर जलयानों के संचालन में सहायता करने वाली समरुप वाहन नौकाएं और पत्तन नौकाएं शामिल हैं। विशेष रुप से अंतर द्वीपीय जलयान सेवा क्षेत्र में यात्रियों एवं माल के यातायात में वृद्धि को देखते हुए अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने जुंगलीघाट पत्तन को विकसित करने की अभिरुचि दर्शायी है, ताकि भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में जुंगलीघाट पत्तन का विकास करने का कार्य दो चरणों में शुरु किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत पहले चरण का कार्य, जो सुनामी पुनर्वास योजना के तहत शुरु किया गया था, काफी प्रगति पर है। दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, वीयरिंग कोट, फेंडरिंग और एरिया क्लीयरेंस को छोड़कर जुंगलीघाट पत्तन के विकास–फिंगर जेटीज के निर्माण–चरण–।। से संबंधित समस्त कार्य पूरे हो गए हैं और फेंडरिंग एवं मत्स्यन को छोड़कर ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह के गांधीनगर में घाट (जेटी) के निर्माण से संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। चावड़ा, कटचल और तेरस्सा द्वीपसमूह में अन्य घाटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना में, अन्तर–द्वीपीय जलयानों को सुरक्षित ठहराने तथा यात्रियों/माल के आवागमन के लिए सहायक पत्तन अवसंरचना युक्त तीन फिंगर घाटों (जेट्टी) जैसी बुनियादी सुविधाओं की परिकल्पना की गई है। ग्रेट–निकोबार द्वीपसमूह में गांधी नगर और चावड़ा, कटचल और तेरस्सा द्वीपसमूह में घाटों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

पोर्टब्लेयर में जुंगलीघाट पत्तन का विकास

स्पीड बोटों के लंगरगाह के लिए तेरेस्सा में घाट का पुनर्निर्माण

7.5.5 राज्य परिवहन सेवाओं (एसटीएस) को सशक्त बनाने के लिए जून, 2013 में सैंतीस नई बसें खरीदी गई हैं। परिवहन विभाग के बेड़े की संख्या 264 बसों की है, जो अपनी सेवाओं का संचालन चौदह एसटीएस यूनिटों से बारह द्वीपसमूहों में कर रही है। संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक 19.9.2013 से ड्राइविंग लाइसेंस आधारित स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में वर्ष 2012–13 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के राजस्व गांवों में शत–प्रतिशत (100%) विद्युतीकरण हो गया है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सभी द्वीपसमूहों/स्थानों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संस्थापित क्षमता उपलब्ध है।

7.5.6 संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के 119 उप–केन्द्रों, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 05 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों, 02 जिला अस्पतालों, 01 रेफरल अस्पताल

और 01 आयुष अस्पताल के रुप में एक सुविकसित स्वास्थ्य अवसंरचना है। अलग–अलग अवसरों पर अमृता इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंस, कोच्चि से कार्डियोलाजी, कार्डियो थोरैसिक सर्जरी, न्यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रोइन्टेरोलाजी, यूरोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि जैसे अलग–अलग क्षेत्रों के सुपर–स्पेशलिस्टों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। लिंग अनुपात में अंतर को कम करने, कन्या के जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करने, नवजात कन्या को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, उसकी शिक्षा एवं विवाह के लिए, कन्याओं के मामले में देर से विवाह की प्रथा अपनाने इत्यादि के लिए कन्याओं के लिए दिनांक 26.01.2013 से "दुलारी" योजना आरंभ की गई है। दिनांक 31.3.2014 तक इस योजना के अंतर्गत 2,400 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। जीबी पंत अस्पताल में दो लिफ्टों के साथ रेडियोलोजी विभाग में डिजिटल एक्स–रे और मैमोग्राफी मशीन चालू कर दी गई है।

7.5.7 अण्डमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में 462 विद्यालय चल रहे हैं जिसमें से 334 विद्यालयों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण के 05 माध्यमों अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू और बंगाली में संचालित किया जा रहा है। 02 विद्यालय संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सहायता प्राप्त हैं, 04 विद्यालय केन्द्र सरकार के अधीन हैं, 14 विद्यालय स्थानीय निकायों के अधीन और शेष 108 गैर–सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं। प्रशासन ने जनजातीय छात्रों और छात्राओं की उपस्थिति से सम्बद्ध छात्रवृत्ति को लड़कों के लिए 10 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए और लड़कियों के लिए 15 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। इन द्वीपसमूहों में पकाये हुए मध्यकालीन भोजन की योजना सफलतापूर्वक चल रही है और उसमें कुल 38,732 बच्चों को स्व–सहायता समूहों के माध्यम से इस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.5.8 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत, मौसम आधारित फसली बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए इन द्वीपसमूहों में विभिन्न स्थानों पर 30 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। विपणन अवसंरचना के सृजन के भाग के रुप में 60 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 24 शीत–कक्ष चैम्बर्स स्थापित किए गए हैं।

7.5.9 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आदिम जनजातियों की क्षणभंगुर पारिस्थितिकी और जीवन शैली को नुकसान पहुंचाए बगैर स्थायी पर्यटन विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा है। पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत, दो कैनोपी वाकवे परियोजनाओं, जिनमें से एक चिड़ियाटापू और एक माउंट हरीत में होगी, के निर्माण पर विचार किया गया है। साउण्ड एण्ड लाइट शो एक ऐसी महत्वपूर्ण सुनामी पुनर्वास परियोजना (टीआरपी) है, जो अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान, रॉस द्वीप में विकसित की जाएगी। यह कार्य 4.86 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को प्रदान किया गया है। टीआरपी परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तारीख 31.05.2014 है।

7.5.10 इस संघ राज्य क्षेत्र में नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए, सिविल आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों के विवरण एकत्र किए हैं और उन्हें अद्यतन किया है। दक्षिणी अण्ड़मान जिले में पीडीएस के तहत पैकबंद गेहूं के आटे की योजना शुरु की गई है और लाभार्थीगण अपनी गेहूं की पात्रता की मात्रा का आधा भाग पैकबंद गेहूं के आटा के रुप में प्राप्त कर रहे हैं।

7.5.11 समुद्री पुलिस बल, जिसे पहले अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की तटरक्षक इकाई के रुप में जाना जाता था, ऐसे विदेशी घुसपैठियों पर नजर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जो उन क्रीक्स और छिछले जल क्षेत्रों में चोरी–छिपे घुस जाते हैं, जहां नौसेना और तट–रक्षकों के जलयान नहीं जा पाते हैं। ये द्वीपसमूह जलक्षेत्र में समृद्ध समुद्री उत्पादों को लूटने के लिए बसावट रहित द्वीपसमूहों में डेरा डाल देते हैं।

7.5.12 इस संघ राज्य क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी. है, जिसमें से 86.93% क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हैं। ये द्वीपसमूह अपनी समृद्ध जैव–विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका प्राकृतिक राष्ट्रीय विरासत के रुप में संरक्षण किए जाने और सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने 1,620 वर्ग किमी. क्षेत्र को घेरकर 96 मृग–वनों (सैंक्चुअरीज) और 9 राष्ट्रीय पार्कों का निर्माण किया है, जो कुल वन क्षेत्र का 23% है। द्वीपसमूह की चीरी गई इमारती लकड़ी की जरुरत को पूरा करने के लिए वन विभाग द्वारा दो सरकारी आरा मिलों नामतः सरकारी आरा मिल, चाथम और बेटापुर का

संचालन एवं रख–रखाव किया जाता है। इन द्वीपसमूहों के वन केन और बांस के लिए समृद्ध हैं। द्वीपसमूहों में केन और बांस पर आधारित लघु उद्योग/कुटीर/छोटे उद्योगों की लगभग 300 इकाइयां हैं।

7.5.13 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की 1,912 किमी. की तटरेखा है, जो भारत की तटरेखा का लगभग एक चौथाई है। इन द्वीपसमूहों का महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र 35,000 वर्ग किमी. है। द्वीपसमूहों का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 6 लाख वर्ग किमी. है, जो देश के ईईजेड का लगभग 28% है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को द्वीपसमूह में मत्स्य संसाधन के दोहन के लिए एक व्यापक क्षेत्र के रुप में जाना जाता है। भारत के मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा की गई 2010 की जनगणना के अनुसार कुल समुद्री मछुआरों की आबादी 22,188 है, जिसमें से 7,073 मछुआरे सक्रिय मछुआरे हैं। यहां की मत्स्य संभाव्यता और उनके दोहन के बीच बहुत अंतराल है। इस अंतराल को पाटने के लिए, मत्स्य विभाग इन द्वीपसमूहों में मत्स्यन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। तटीय सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस संघ राज्य क्षेत्र के सभी मछुआरों को भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात "समुद्री मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान–पत्र जारी करना" के अन्तर्गत बायोमैट्रिक पहचान–पत्र जारी किए गए हैं। मत्स्यन के विकास की प्रमुख योजनाएं और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अवसंरचना का सृजनः इस योजना में, लंगरगाह, जाल की मरम्मत के लिए शेड, इंजन/नौका की मरम्मत के प्रावधान और मछली को सुखाने के प्लेटफार्म के लिए प्रावधान सहित मछली के घाट (फिश लैंडिंग) की सुविधाओं का विकास करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान, कुल 36,426 मी.टन और वर्ष 2013–14 के दौरान, कुल 36,753 मी. टन समुद्री मछली पकड़ी गई।

ii) मछली पकड़ने एवं उसके संवर्धन तथा संसाधन प्रबंधन का विकासः इस योजना में, मोटरयुक्त/मशीनयुक्त मत्स्यन नौकाओं, मत्स्य परिवहन वाहनों की खरीद आदि के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान, मत्स्य परिवहन वाहनों की खरीद के लिए 33 लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की गई थी।

iii) मछुआरों का विस्तार एवं मछुआरा परिवारों का कल्याणः इस योजना में, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रभावित मछुआरों को अपनी मत्स्यन गतिविधि पुनः शुरु करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में, इंजनयुक्त दो डोंगियों का निर्माण किया गया और उसे 100% सब्सिडी पर आदिम जनजातियों को प्रदान किया गया।

7.5.14 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने पीएमआरवाई और आरईजीपी नामक दो योजनाओं का विलय करके, जो दिनांक 31.3.2008 तक संचालित थीं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधान मंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के नाम से एक नया ऋण संबद्ध केन्द्र प्रायोजित सब्सिडी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस योजना को अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 178 लोगों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से व्यापारी, सामान्य इंजीनियरी, बढ़ईगिरी, वस्त्र निर्माण, रोगन कला, केन एवं बांस हस्तशिल्प, उत्कृष्ट बांस कला एवं क्वायर प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सामान्य इंजीनियरी में क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण

केन एवं बांस हस्तशिल्प में क्षमता निर्माण

वस्त्र तैयार करने में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

7.5.15 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इन द्वीपसमूहों में प्लास्टिक कैरी बैगों पर पूर्णरुपेण प्रतिबंध लगा दिया है। "प्लास्टिक और ग्लास कचरे के परिवहन संबंधी भाड़े की छूट" की योजना के तहत, 308.20 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे और 691.88 मिट्रिक टन ग्लास कचरे को रिसाइकिलिंग के लिए मुख्य भूमि को भिजवा दिया गया है।

7.5.16 "एमवी एक्वा मरीन" नामक एक निजी पर्यटक नौका, जिसमें 48 यात्री और चालक दल के 02 सदस्य सवार थे, दिनांक 26.1.2014 को पोर्ट ब्लेयर के निकट डूब गई। कुल मिलाकर, 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 26 यात्रियों और चालक दल के 02 सदस्यों को बचा लिया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/34 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। नौका पर कथित रुप से अधिक यात्री सवार थे। इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई है और अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण अण्डमान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर, पूर्वोक्त मामले में नौका के मालिक, आपरेटर और मास्टर सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अण्डमान एवं निकोबार पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और उपर्युक्त अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दायर कर दिया है।

लक्षद्वीप

7.6.1 लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपसमूहों एवं प्रवालभित्तियों के द्वीपसमूह से बना भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। इन खूबसूरत और प्रदूषण रहित द्वीपसमूहों की कुल भूमि का क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी. है और ये लगभग 4,200 वर्ग किमी. भूभागीय जलक्षेत्र से घिरे हुए हैं। इसमें 27 द्वीपसमूह, 3 प्रवालभित्तियां और 6 जलमग्न रेतीले किनारे हैं, जिनमें से 10 में बसावट है और ये केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 किमी. की दूरी पर अरब सागर में फैले हुए हैं।

7.6.2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए जहाजों, वायुयानों एवं बजराओं का संवर्धन करने का प्रयास करता रहा है। दो में से, "400 यात्रियों एवं 250 मी. टन कार्गो वाले जहाज" का निर्माण 58.52 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल लागत से मैसर्स कोलम्बो डाकयार्ड, श्रीलंका में किया जा रहा है और पहले जहाज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

7.6.2.1 इस समय एयर इंडिया कोच्चि और अगाती के बीच अपनी उड़ानों का परिचालन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन कर रहा है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र गृह मंत्रालय के अनुमोदन से सेवा प्रदान करने के लिए एयर इंडिया को अर्थक्षमता अंतराल का वित्तपोषण (वीजीएफ) कर रहा है। गृह मंत्रालय ने 31.03.2014 के बाद एक वर्ष की और अवधि के लिए एयर इंडिया को वीजीएफ के विस्तार के अनुमोदन की सूचना दे दी है।

7.6.3 मॉडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुम्बई में निर्मित एक 150 एमटी ऑयल बजरा, एमवी कोडिथला अक्तूबर, 2013 में सुपुर्द कर दिया गया था और उसे सेवा में लगा दिया गया था। गृह मंत्रालय ने 800 एमटी के दो बहुप्रयोजनीय कार्गो बजरा के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। 800 मी. टन वाले पहले बहुप्रयोजनीय

कार्गो जलयान के लिए जहाज निर्माण की संविदा पर दिनांक 19.11.2013 को माडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी संविदागत सुपुर्दगी की तारीख 18.12.2014 है। 800 मी. टन वाले दूसरे बहुप्रयोजनीय कार्गो जलयान की संविदा पर दिनांक 12.03.2014 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी संविदागत सुपुर्दगी की तारीख 11.06.2015 है। 1000 मी. टन वाले एक आयल बजरा के अधिग्रहण के लिए, मैसर्स शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने तकनीकी निविदा को अंतिम रुप प्रदान कर दिया है।

7.6.4 भारत सरकार के अनुमोदन से, 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 50000 वर्ग मीटर के समुद्रीजलतर क्षेत्र में 300 मीटर लंबे एक समर्पित लंगरगाह (बर्थ) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सी ओ पी टी) ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन को यह सुविधा सुपुर्द कर दी है। सीओपीटी, सैद्धांन्तिक तौर पर, फिलहाल, जहाज–घाट को संचालित करने के लिए सहमत हो गया है क्योंकि प्रशासन के पास तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। कोचीन बंदरगाह पर लक्षद्वीप के समर्पित बंदरगाह ने दिनांक 06.03.2014 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

7.6.5 केरल सरकार ने 200 X 20 मी. के लंगरगाह के निर्माण हेतु बेपोर में भूमि एवं तट क्षेत्र का आबंटन किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 49.23 करोड़ रुपए है। योजना आयोग का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और मूल्यांकन के लिए पोत परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। जहां तक मंगलूर में समर्पित लंगरगाह का संबंध है, कर्नाटक सरकार ने 300 मी. लंगरगाह के लिए सैद्धांन्तिक रुप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है और समझौता ज्ञापन का प्रारुप विचारार्थ कर्नाटक सरकार के समक्ष रखा गया है।

7.6.6 वर्ष 2011 के दौरान पीपीपी माडल के तहत स्थापित राजीव गांधी स्पेशलिटी अस्पताल को सभी आवश्यक एवं तात्कालिक आपरेशन करने हेतु सीटी स्कैन, वेन्टिलेटर, सी–आर्म, आर्थोपेडिक टेबल, मॉडुलर थियेटर इत्यादि जैसी अधुनातन सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

7.6.7 इंदिरा गांधी अस्पताल, कवरत्ती में डायलिसिस इकाई और ब्लड बैंक की सुविधा क्रमशः दिनांक 04.05.2013 और 24.08.2013 को शुरु कर दी गई है। बिना किसी व्यवधान के पूरे वर्ष जीवन–रक्षक औषधियों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केरल मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लि. (केएमएससीएल) और लक्षद्वीप प्रशासन के बीच समय पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयों एवं उपस्करों की आपूर्ति हेतु दिनांक 08.04.2013 को एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। प्रशासन ने विद्यमान सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), पुरुष बहु–उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमएमएच डब्ल्यू) के सहयोग से शत–प्रतिशत (100%) संस्थागत प्रसूति (डिलीवरी) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) के तहत द्वीपसमूह में 110 सरकारी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की तैनाती करके 100% प्रतिरक्षण एवं बेहतर जीवन संबंधी आंकड़ों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

7.6.8 संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने वर्ष 2013–14 के दौरान द्वीपसमूह में अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों का उत्थान करने के लिए पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों के लिए 25% पूंजीगत निवेश सब्सिडी मुहैया कराने की योजना प्रारम्भ की है, जिसने 08 (आठ) पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को 14.00 लाख रुपए संवितरित किए हैं।

7.6.9 भारत सरकार ने कुल 30.00 करोड़ रुपए से अनधिक की लागत से 100 एमटी मदर जलयान के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। फर्म की लागत 60.00 करोड़ रुपए थी और चूंकि पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए प्रशासन ने 10 एमटी क्षमता वाले अधुनातन सुविधाओं से युक्त कुल 20 मीटर की लंबाई वाले (ओएएल) 10 बहु दिवसीय मत्स्यन जलयान खरीदने के लिए प्रस्ताव को संशोधित कर दिया था। ये जलयान, मदर जलयान के प्रयोजन को पूरा करेंगे। इन जलयानों की पूंजीगत लागत और प्रचालन लागत मदर जलयान की तुलना में बहुत कम होगी। 200 एमटी क्षमता वाले जलयान के निर्माण कार्य का आदेश दिनांक 10.07.2013 को मेसर्स समुद्र शिपयार्ड प्रा.लि. को दिया गया है। करार के अनुसार जलयान की सुपुर्दगी मई, 2014 तक हो जाने की आशा है।

7.6.10 प्रशासन ने नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), लक्षद्वीप के स्थानीय नागरिकों को कम्प्यूटर का ज्ञान प्रदान करने के लिए ई–साक्षरता, लक्षद्वीप प्रशासन की सरकारी फाइल प्रणाली और प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत और स्वचालित बनाने के लिए ई–आफिस, इलेक्ट्रानिक माध्यम से सामानों एवं उत्पादों के प्रापण के लिए ई–प्रापण की परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं।

7.6.11 प्रशासन ने लक्षद्वीप के लिए राज्य डाटा केन्द्र को त्रिवेन्द्रम, केरल में सह–स्थित किया है और निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए सिटीजन एप्लीकेशन एण्ड मटेरियल मैनेजमेन्ट सिस्टम शुरु किया है। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा भुगतान के गेटवे के रुप में एनएसडीएल के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। पर्यटन के विकास के लिए वाटर स्पोर्ट्स क्लब के आनलाइन सदस्यता प्रबंधन जैसे विभिन्न विभागीय एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। प्रशासन ने लक्षद्वीप सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रानिक सेवा सुपुर्दगी) नियमावली, 2012 तैयार एवं प्रकाशित की है। प्रशासन ने विभिन्न द्वीपसमूहों में नौ (9) सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए हैं। प्रशासन ने ई–डिस्ट्रिक्ट तथा राज्य सेवा सुपर्दुगी गेटवे एवं राज्य पोर्टल मिशन मोड परियोजना की 318 चयनित सेवाओं के कार्यान्वयन, राज्य सचिवालय भवन कावरत्ती में सीसीटीवी लगाने और उच्चतर शिक्षा के लिए आनलाइन सीट आबंटन का कार्य शुरु किया है। मौसम चेतावनी प्रणाली के माध्यम से मौसम की चेतावनी के संबंध में एसएमएस के जरिए सतर्कता संदेश जारी किए जा सकते हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी नागरिकों के लिए सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एंडवांस कंप्यूटर (सी–डैक) के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आईटी फार मासेस प्रोजेक्ट के रुप में प्रदान किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए आंकड़ों का डिजिटीकरण किया गया है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने लक्षद्वीप प्रशासन के यात्री जहाजों पर सवार यात्रियों की शिकायतों के पंजीकरण और निपटान के लिए यात्री शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली विकसित की है।

7.6.12 लक्षद्वीप प्रशासन ने दिनांक 01.10.2013 से 31.03.2014 की अवधि के संबंध में 10 द्वीपसमूहों में पारिस्थितिकी प्रणाली के उद्देश्यों के साथ वन्य वनस्पतियों एवं जीवों की वास्तविक संख्या का आकलन करने के लिए वन्य जीव कोरल एवं लैगून संरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस प्रयोजनार्थ कुल 48 मजदूरों की नियुक्ति की गई है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य द्वीपसमूह की परिस्थितिकी को संरक्षण एवं परिरक्षण के माध्यम से अनुसूचित प्रजातियों के साथ इसके विद्यमान पर्यावरण में रखना है।

7.6.13 द्वीपसमूह के आस–पास प्लास्टिक की बोतलों जैसे नॉन–बायोडिग्रेडेबल कचरे द्वारा कोरल पारिस्थितिकी प्रणाली को हो रही क्षति को रोकने के लिए, प्रशासन सभी बसावट वाले द्वीपसमूहों में ब्लू–बिन उपलब्ध कराकर कचरा संग्रह एवं निपटान योजना कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान नॉन–बायोडिग्रेडेबल कचरे के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन हेतु कुल 60.52 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

7.6.14 वर्ष 2013–14 के दौरान, पर्यावरण भवन (चरण–I भूतल) के निर्माण के लिए 7,39,32,000 रुपए का अनुमोदन प्रदान किया गया था। पर्यावरण भवन का आधार संबंधी कार्य पूरा हो गया है और दीवार का कार्य प्रगति पर है।

7.6.15 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2013–14 के दौरान 30 लाख रुपए (योजनागत) और गैर–योजना के तहत 45 लाख रुपए जारी किए। वर्ष 2013–14 के दौरान लक्षद्वीप में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण और 13,000 पौधे लगाने का लक्ष्य था। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 25.44 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है और 19,579 पौधे लगाए गए हैं।

7.6.16 प्रशासन ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के तहत कलपेनी में 40 बिस्तरों वाला पर्यटक रिसोर्ट स्थापित करने तथा अन्ड्रोथ में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के तहत रेस्टोरेन्ट सहित 40 कमरों वाले सस्ते आवास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने परिवहन की समस्याओं का समाधान करने के लिए तीन (3) बचाव नौकाएं और दो बहुउद्देशीय स्पीड बोट खरीदी हैं। द्वीपसमूमह में जल–क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जल–क्रीड़ा एवं स्क्यूबा डाइव उपकरणों की खरीद की गई है।

7.6.17 प्रशासन ने स्थानीय निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, अक्षम, विधवाओं, निराश्रितों और परित्यक्त महिलाओं को राज्य पेंशन योजना के तहत 1000/–रुपए प्रति माह की धनराशि संवितरित की है। लाभार्थियों की कुल संख्या 2,355 है और वर्ष 2013–2014 के दौरान जिला पंचायत को 1,62,57,000 रुपए जारी किए गए थे।

चंडीगढ़ प्रशासन

7.7.1 सुंदर शहर के रुप में विदित चंडीगढ़ को देश का एक सबसे स्वच्छ, हरा–भरा और सुरक्षित शहर माना जाता है। चंडीगढ़, जो देश का सबसे अच्छा योजनाबद्ध शहर है, मुक्त हस्त स्मारक के प्रतीक के रुप में अपने दर्शनः 'स्वागत के लिए तैयारः देने के लिए तैयार' पर सदैव खरा उतरता है। यद्यपि शहर को अच्छी योजना एवं अच्छे रखरखाव वाले शहर के रुप में जाना जाता है, तथापि प्रशासन इस सुंदर शहर के नागरिकों के कल्याण के लिए अवसंरचना एवं प्रबंधन में सुधार करने के लिए सतत घोर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने शहर के उन्नयन और नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक विकास योजनाएं शुरु की हैं।

7.7.2 चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने गांवों का विकास मॉडल गांव के रुप में करने के लिए वहां चण्डीगढ़ शहर के समतुल्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर अर्थात विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके, ग्रामीण महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, साबुन विनिर्माण इत्यादि में प्रशिक्षण दिलाकर महिलाओं का सशक्तीकरण करके, ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना और गांवों में बिना सोचे समझे किए जाने वाले निर्माण कार्यकलापों को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए भवन निर्माण नियमों का प्रवर्तन करके विकास कार्य की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

7.7.3 चण्डीगढ़ प्रशासन प्रायोगिक आधार पर "स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एससीबीपीडीएस)" का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है। आज की तारीख तक, इस योजना के तहत लगभग 80,000 परिवारों का नामांकन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। "स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के साथ संबद्ध किया जा रहा है ताकि जरुरतमंद परिवारों और 'अन्त्योदय अन्न योजना' के लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुएं संवितरित की जा सकें। स्वास्थ्य अवसंरचना के कार्य में भी गति लायी गई है, जिसके फलस्वरुप शहर के विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में भी, शहर में "चण्डीगढ़ कार्निवाल" और "वार्षिक गुलाब उत्सव कार्यक्रम" के साथ–साथ, "आर्ट एवं हेरिटेज फेस्टिवल", "चण्डीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला" जैसे बड़े–बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

7.7.4 बुरैल, चण्डीगढ़ में स्थित माडल जेल को कारागार प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत के साथ पूर्णरुपेण कम्प्यूटीकृत किया गया है। मॉडल जेल, चण्डीगढ़ में 100 केवीए की एक सौर ऊर्जा प्रणाली भी स्थापित की गई है।

7.7.5 जेएनएनयूआरएम के तहत एसी, गैर–एसी बसें और मिनी एसी बसों को शुरु करके परिवहन प्रणाली को अधुनातन बनाने की पहल शुरु की गई है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को भी वर्धित कार्मिक शक्ति के साथ–साथ प्रभावकारी संचार/गतिशीलता प्रणाली से लैस करके सशक्त बनाया गया है। शिक्षण एवं पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 114 क्लास रुमों को स्मार्ट क्लास रुम में तब्दील किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के घर तक पुस्तकें पहुंचाने के लिए दहलीज पर पुस्तकालय ("लाइब्रेरी एट दि डोर स्टेप") योजना आरम्भ की गई है। चंडीगढ़ में सेक्टर 42 में नए "गार्डन आफ पाम्स", सेक्टर 52 में "गार्डन आफ कोनिफर्स" और सेक्टर 53 में 'गार्डन आफ स्प्रिंग्स' को विकसित करने का कार्य शुरु किया गया है। छात्रवृत्ति और समाज कल्याण पेंशन के भुगतान के लिए संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में प्रत्यक्ष नकद अन्तरण की योजना शुरु की गई है।

7.7.6 चण्डीगढ़, कुछ वर्षों से, उत्तरी भारत में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रुप में उभरा है। यहां पूर्वोत्तर राज्यों के मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम सहित जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार के दूर–दराज क्षेत्रों के अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों पंजाब,

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिसंख्य विद्यार्थी आते हैं।

7.7.7 शिक्षण एवं पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दो स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों को एलसीडी प्रोजेक्टरों, ऑडियो सिस्टम और इंटरनेट से सुसज्जित किया गया है। चण्डीगढ़ के सरकारी विद्यालयों में पंजाब एवं हरियाणा के पड़ोसी क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आ रहे हैं। इसके फलस्वरुप, यहां अधिक संख्या में छात्रों को समाहित करने के लिए विद्यालय शिक्षा प्रणाली का विस्तार करने की जरुरत है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शहर के चारों ओर के क्षेत्रों में 20 नए सरकारी स्कूलों का निर्माण करने और मौजूदा विद्यालयों में 200 कक्षों के निर्माण की योजना तैयार की है। निर्मित किए जाने वाले 20 विद्यालयों में से, 5 विद्यालयों का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है और शेष विद्यालयों का निर्माण कार्य चल रहा है।

7.7.8 छात्रों और स्टाफ को अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं, लीज्ड लाइन/ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट कन्डक्टिविटी जैसी उन्नत एवं शीर्ष सुविधाओं से युक्त सूचना प्रौद्योगिकी ब्लॉक मुहैया कराए जा रहे हैं। शिक्षण की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए फैकल्टी द्वारा ई–कन्टेंट विकसित किया गया है। साक्षात, एडोब और प्रशिक्षित कंम्प्यूटर फैकल्टी के सहयोग से श्रृंखलाबद्ध कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं ताकि छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी से रु–ब–रु रखा जा सके। विद्यार्थियों को विद्यालय समय के पश्चात कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं उपलब्ध करायी गई हैं।

7.7.9 चण्डीगढ़ प्रशासन ने शहर के 18 अलग–अलग स्थानों पर बसी मलिन बस्ती जैसी स्थिति में रह रहे 23,841 परिवारों की पहचान की है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने अभिनव एवं स्थायी आवासीय व्यवस्था के साथ शहर को मलिन बस्ती से मुक्त बनाने का कार्य आरम्भ किया है, ताकि मलिन बस्तियों में रह रहे लोग पुनर्वास के उपरांत सम्मानपूर्ण जीवन बिता सकें। इस महत्वाकांक्षी मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) घटक के तहत एक परियोजना को अन्तिम रुप दिया है। आवास एवं शहरी गरीबी प्रशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने दो चरणों में शुरु किए जाने वाले 25,728 छोटे फ्लैटों के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।

7.7.9.1 इस योजना के तहत, प्रत्येक फ्लैट (एक बड़ा कमरा, रसोई, एक शयनागार, स्नानघर एवं जल सुविधा युक्त) के लिए 269 वर्ग फुट आच्छादित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) वाले 12,736 बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण किया गया है। अब तक, आबंटियों को 9,800 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है। सितम्बर, 2013 में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पात्र लाभार्थियों को धनास में 9,448 फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। मलोया–। में भी 4,960 फ्लैटों (2 कमरों वाले) का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना का एक बार पूर्णरुपेण कार्यान्वयन हो जाने पर, चंडीगढ़ को भारत में पहले "मलिन बस्ती मुक्त" शहर का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.01.2014 को चंडीगढ़ को "शहरी गरीबों लिए सबसे अच्छे योजनाबद्ध आवास" का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत (जे एन एन यू आर एम के बी एस यू पी संघटक के अंतर्गत) पात्र लाभार्थियों को फ्लैटों का कब्जा प्रदान किया जा रहा है)

7.7.9.2 चंडीगढ़ प्रशासन की इस आवासीय परियोजना ने देश के विभिन्न शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का समुचित आवास में पुनर्वास करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही "राजीव आवास योजना" की चालू योजना के प्रिकर्सर के रुप में कार्य किया है। अगले चरण में,

इस परियाजना में संशोधन करके शेष 12,000 फ्लैटों का निर्माण प्रति फ्लैट 368 वर्ग फुट के आच्छादित क्षेत्र वाले दो बेडरुम की आवासीय इकाइयों के रुप में किया जाएगा।

7.7.10. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में प्रत्येक मलिनवासी परिवार को फ्लैट मुहैया कराने के चण्डीगढ़ प्रशासन के लक्ष्य को वर्ष 2006 के सर्वेक्षण के अनुसार प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बीएसयूपी के तहत मलिन बस्ती पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन करके, चण्डीगढ़ प्रशासन ने "मलिन बस्ती मुक्त शहर" के उस उद्देश्य को अंगीकार किया है, जहां प्रत्येक नागरिक के पास चण्डीगढ़ में बुनियादी सामाजिक एवं सिविक सेवाएं उपलबध होंगी।

7.7.11 चण्डीगढ़ प्रशासन ने लोक सेवाओं की सक्षम एवं प्रभावकारी सुपुर्दगी के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरु की हैं। ई–जिला एवं राज्य पोर्टल/एसएसडीजी परियोजनाओं के तहत 100 से अधिक सेवाओं को इलेक्ट्रानिक तौर पर प्रदान करने का कार्य शुरु किया गया है। एक नई सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक नीति 2013 तैयार की गई है, जिसमें चण्डीगढ़ को देश का सर्वप्रथम 100% ई–साक्षर शहर बनाने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को शामिल करते हुए प्रत्येक निवासी की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के क्रियान्वयन हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। प्रशासन के भीतर ई–गवर्नेन्स का विस्तार करने एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयास के रुप में, संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ई–गवर्नेन्स के बारे में अनेक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और भारत सरकार की क्षमता निर्माण योजना के तहत विभिन्न संबंधित विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रत्येक निवासी को ई–साक्षर बनाने के लिए 'ई–सक्षम कार्यक्रम' भी शुरु किया गया है, जहां घरेलू महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है। नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सम्पर्क केन्द्रों से ई–रेलवे टिकट बुक कराने का कार्य शुरु किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से सम्पत्ति कर भुगतान एवं बायोमीट्रिक माध्यम से पेंशन भुगतान जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं। निःशुल्क एवं ओपन सोर्स साफ्टवेयर के प्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने चण्डीगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के कम्प्यूटर लैबों में आपरेटिंग सिस्टम के रुप में भारत आपरेटिंग सिस्टम सोल्युशन (बीओएसएस) को चालू करने का कार्य शुरु कर दिया है। लोक सेवा सुपुर्दगी के क्षेत्र में अभिनवीकरण का सूत्रपात करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन्स, वाईफाई हॉटस्पाट्स, एसएमएस गेटवेज और इन्फारमेशन क्योस्क नामक उन्नत एवं अधुनातन आईटी एप्लीकेशनों का चयन किया गया है। इस क्षेत्र से साफ्टवेयर का निर्यात 2,250 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुका है, जिसमें से 1,600 करोड़ रुपए का निर्यात चण्डीगढ़ आईटी पार्क से ही हुआ है। इस शहर को साफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से भी द्वितीय श्रेणी के शहरों में पहला रैंक प्रदान किया गया है।

7.7.12. चण्डीगढ़ की स्वास्थ्य अवसंरचना उत्कृष्ट रुप से शहरी विशेषता से युक्त है, जिसमें प्रख्यात पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) एवं गवर्नमेन्ट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सहित प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का एक व्यापक एवं प्रभावकारी नेटवर्क है। ये स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं न केवल चण्डीगढ़ के लोगों की, अपितु पूरे उत्तरी क्षेत्र के लोगों की जरुरतों को पूरा करती हैं।

7.7.13 चण्डीगढ़ प्रशासन ने और अधिक मरीजों की जरुरतों को पूरा करने के लिए राजकीय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर–16, चण्डीगढ़ में एक पांच मंजिला ओपीडी ब्लॉक का निर्माण किया है। मणिमाजरा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया है। मेडिकल/पैरा–मेडिकल स्टाफ के लगभग 800 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहां बिस्तरों की संख्या 16 से बढ़ाकर 84 करके इसकी आपात सेवाओं को भी सशक्त बनाया गया है। ज्यादा से ज्यादा मरीजों की दक्षतापूर्ण तरीके से देखभाल करने के लिए अलग–अलग अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ायी गई है। बीमारी की गम्भीरता अर्थात डेंगू, जल जनित बीमारी इत्यादि के अनुसार, विशेष वार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। मरीजों की सुविधा के लिए

राजकीय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर–16, चण्डीगढ़ में एमआरआई मशीन भी लगाई गई है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, ओपीडी, इंडोर और सर्जरी सेवाओं के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली संबंधी राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलन के दौरान चण्डीगढ़ को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।

7.7.14 चण्डीगढ़ प्रशासन ने एक अच्छी एवं सक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थापना करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान में, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम (सी टी यू) के पास 517 बसों का बेड़ा है, जिसमें जेएनएनयूआरएम योजना के तहत आई 100 बसें भी शामिल हैं। जेएनएनयूआरएम योजना के तहत चल रही बसें सुविधाजनक यात्रा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। चंडीगढ़ प्रशासन शहर के अंदर और इसके आस–पास परिवहन में सुधार करने के लिए अधिक बारम्बारता एवं गुणवत्ता वाली बसों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 400 बसें मंजूर की गई हैं और 170 मिनी बसों (एसी/नान–एसी) की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। विश्व बैंक द्वारा नगर बस सेवा के आधुनिकीकरण के लिए चार शहरों में से एक शहर के रुप में चंडीगढ़ का चयन किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 60 अतिरिक्त क्यू शेल्टरों का निर्माण कराया गया है। बेहतर रुट प्लानिंग और मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग करने के फलस्वरुप, सीटीयू की आमदनी पिछले वर्ष के 23.38 लाख रुपए प्रतिदिन की तुलना में बढ़कर 24.34 लाख रुपए प्रतिदिन हो गई है। सभी बसों में जीपीएस और आईटीएस प्रणाली प्रदर्शित की जा रही है। सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए, चण्डीगढ़ प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों, युद्ध के दौरान हुई विधवाओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के अतिरिक्त शारीरिक रुप से अक्षम एवं नेत्रहीन व्यक्तियों को किराए में 50% से 100% तक की छूट प्रदान की है।

7.7.15 अ.जा./विकलांगों/विधवाओं/वृद्ध लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और बेसहारा महिलाओं के कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा ऋण संवितरण, विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण), अ.जा. एवं अ.पि. वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पेट्रोल सब्सिडी, अक्षम व्यक्तियों को सहायक उपकरणों/उपस्करों के लिए सहायता, अक्षम व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं के आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

योजना का नाम	**लाभार्थी**	**व्यय 2013–14**
विधवाओं/बेसहारा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता	10	2.00 लाख रुपए
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा	59	20.00 लाख रुपए
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)	72	9.00 लाख रुपए
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 1. वृद्धावस्था पेंशन योजना 2. विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं को पेशन 3. अक्षम व्यक्तियों को पेशन	 2792 2610 75	162.55 लाख रुपए
पेट्रोल सब्सिडी	35	1.88 लाख रुपए
अक्षम व्यक्तियों को सहायक उपकरणों/उपस्करों की खरीद के लिए सहायता	33	6.00 लाख रुपए
अक्षम व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	4	0.10 लाख रुपए
अपनी बेटी अपना धन	640	32.00 लाख रुपए
विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	1282	29.58 लाख रुपए
चण्डीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम के माध्यम से पात्र महिलाओं को ऋण संवितरण	118	27.07 लाख रुपए
चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों को ऋण संवितरण	193	56.65 लाख रुपए

7.7.16 चण्डीगढ़ पुलिस को अधुनातन उपकरणों, हथियारों एवं गोला–बारुद, प्रभावकारी संचार सुविधाओं एवं गतिशीलता प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है। जनता की कॉल्स पर न्यूनतम समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च–प्रौद्योगिकीक्षम पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बैंकों एवं ज्वैलरी की दुकानों के सहयोग से ऑटोडायलर सुविधा स्थापित की गई है। आधुनिकीकरण योजना के तहत, सेक्टर–22 स्थित शूटिंग रेंज का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समरुप उन्नयन किया जा रहा है। इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए 60 एकड़ के आधुनिक परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था और सारंगपुर स्थित नए आईआरबी कैम्पस में 603 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नए कैम्पस में प्रशासनिक खण्ड, रिहाइशी परिसर, मेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त किचन है। छत के ऊपर सोलर फोटो–वोल्टेइक पैनल लगाए गए हैं।

7.7.17 वर्ष 2013–14 में जेल का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण करके मॉडल जेल, चण्डीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी जेल बन गई है। कारागार की कार्यप्रणाली के प्रमुख पहलुओं को कारागार प्रबंधन प्रणाली अर्थात आगन्तुक प्रबंधन प्रणाली, कैदी खाता प्रबंधन प्रणाली, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, कैदियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा, सीसीटीवी निगरानी, कैदियों को टेलीफोन की सुविधा, 100 केवीए क्षमता वाली सौर ऊर्जा प्रणाली के दायरे में लाया गया है और मॉडल जेल, चण्डीगढ़ में 10 केवीए क्षमता वाला बैटरी–बैक–अप लगाया गया है।

माडल जेल, चण्डीगढ़ में माननीय डा. फारुख अब्दुल्ला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रणाली का उद्‌घाटन

7.7.18 कैम्पस–बी में सामुदायिक केन्द्र, महिला वार्ड, जिमनैजियम हॉल, जेल शॉप कैफेटेरिया और पार्किंग का कार्य प्रगति पर है।

7.7.19 यद्यपि चण्डीगढ़ की संकल्पना एक औद्योगिक शहर के रुप में नहीं की गई थी, तथापि, यहां के लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए उद्योग एवं व्यापार को महत्व देते हुए, लगभग 1,475 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का प्रावधान किया गया था और, इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के चरण–।।। का विकास करने के लिए मौली जागरन गांव की राजस्व सम्पदा में 152 एकड़ भूमि का अभिनिर्धारण किया गया था। उद्योग विभाग प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले में सक्रिय रुप से भाग ले रहा है। पूरे वर्ष, विपणन, स्रोत एवं वित्त से संबंधित कौशल एवं ज्ञान का उन्नयन करने के उद्देश्य से उद्यमियों के लिए उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम एवं सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। हथकरघा सम्पदा, मणिमाजरा में कुम्हारों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। विलम्बित भुगतानों की वजह से उत्पन्न औद्योगिक विवादों का निपटान करने के लिए प्रशासन द्वारा एक सुविधा परिषद की स्थापना की गई है।

7.7.20 चालू वर्ष के दौरान, चण्डीगढ़ प्रशासन ने विभिन्न प्रकार के टूर्नामेन्ट/कैम्पों का आयोजन किया, जिनमें बास्केट बाल फेडरेशन ऑफ इण्डिया के तत्वावधान में प्रथम अखिल भारतीय आमंत्रण बास्केटबाल टूर्नामेन्ट (पुरुष), सब–जूनियर एवं जूनियर बालकों/जूनियर बालिकाओं हेतु उनके विभिन्न कोचिंग सेन्टरों में वार्षिक ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प, चण्डीगढ़ बालिका हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों के लिए शिल्लारु, शिमला (हिमाचल प्रदेश) में हाई आल्टीट्यूट समर कोचिंग कैम्प, डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री, सोलन (हिमाचल प्रदेश) में चण्डीगढ़ के 95 खिलाड़ियों के लिए हाई आल्टीट्यूट कोचिंग कैम्प शामिल है। कैम्प में खिलाडश्यिों को खेलकूद विभाग के 11 अर्हताप्राप्त प्रशिक्षकों के पर्यवेक्षण में शारीरिक प्रशिक्षण, सहनशीलता, क्षमता एवं समग्र फिटनेस का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7.7.21 पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन ने बड़े–बड़े पर्यटक कार्यक्रमों का आयोजन करके सांस्कृतिक एवं कार्यक्रमपरक पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में नई ऊचाइंयों को प्राप्त किया है, जिन्होंने बड़ी संख्या में विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। देशभर से और विदेशों से इस शहर में आने वाले विभिन्न पर्यटकों की

सुविधा के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम शुरु किया गया है जो कैपिटल काम्प्लेक्स, सेक्टर–1 चण्डीगढ़ में ली–कार्व्युजियर के वास्तुशिल्प कार्य को देखना और अध्ययन करना चाहते हैं। चण्डीगढ़ प्रशासन ने पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, टैगोर थियेटर सोसाइटी और तीन अकादमियों अर्थात संगीत नाटक अकादमी, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी तथा ललित कला अकादमी की संयुक्त गतिविधियों के वार्षिक कार्यक्रम का कैलेण्डर शुरु किया है। पर्यटन विभाग उद्यान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए उद्यानों अर्थात गार्डन आफ पाम्स, सेक्टर 42, गार्डन आफ कोनिफर्स, सेक्टर 52, जापानी गार्डन, सेक्टर 23 और गार्डन आफ स्प्रिंग्स, सेक्टर 53 का विकास कर रहा है।

7.7.22 चण्डीगढ़ को देश के चार मॉडल सौर शहरों में से एक शहर के रुप में घोषित किया गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न भवनों पर ग्रिड इन्टरएक्टिव रुफटॉप बेस्ड सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना करके असाधारण प्रगति की है। 'दि एनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली' (टीईआरआई) द्वारा मॉडल सोलर सिटी का मास्टर प्लॉन तैयार किया गया है। मॉडल सोलर सिटी के मास्टर प्लान के अनुसार, तीन वर्षों में अर्थात वर्ष 2015 तक 3 एमडब्ल्यू रुफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक की स्थापना करने का अल्पकालिक लक्ष्य रखा गया है। सीआरईएसटी (चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) सोलर पावर परियोजनाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यान्वयन एजेंसी है, जो 1.8 एमडब्ल्यूपी रुफटॉप एसपीवी विद्युत संयत्र की स्थापना के साथ सोलर सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में काफी आगे बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, सीआरईएसटी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों पर 1 एमडब्ल्यूपी रुफटॉप एसपीवी पावर प्लांट की स्थापना भी कर रहा है, जो किसी शैक्षणिक संस्थान में एक सबसे बड़ा रुफटॉप एसपीवी सोलर पॉवर प्लांट बनने जा रहा है। वर्तमान में 10 रुफटॉप एसपीवी सोलर प्लांट चालू हो गए हैं और चार अन्य स्थापित किए जा रहे हैं।

दमण एंव दीव

7.8.1 दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दमण एवं दीव नामक दो जिले हैं। दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किमी. है (दमन 72 वर्ग किमी. और दीव 40 वर्ग किमी.)। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,43,247 है (दमण–1,91,173 और दीव–52,074)। दोनों जिले भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय दमण में है।

7.8.2 दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय स्तर पर प्रशासित क्षेत्र है और इसे केन्द्रीय सहायता के रुप में शत–प्रतिशत (100%) अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। वर्ष 2012–13 के दौरान, इस संघ राज्य क्षेत्र को 425.00 करोड़ की निधियां आवंटित की गई थीं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने योजनागत निधियों के आबंटन का 100% खर्च किया था। वर्ष 2013–14 के लिए योजनागत आबंटन 505.29 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) है। दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र अनेक वर्षों से सकारात्मक बीसीआर (वर्तमान राजस्व से शेष) दे रहा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2011–12 के दौरान 353.21 करोड़ रुपए और वर्ष 2012–13 के दौरान 442.04 करोड़ रुपए का बीसीआर लक्ष्य प्राप्त किया है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2013–14 में 626.43 करोड़ रुपए का बीसीआर प्राप्त किया।

7.8.3 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, चालू वर्ष के दौरान अलग–अलग क्षेत्रों में शुरु की गई प्रमुख अवसंरचनात्मक विकास पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

7.8.3.1 नानी दमण में पटालिया से गुजरात में उदवाड़ा गांव को जोड़ने के लिए 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कोलक नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल की कुल लम्बाई 409 मीटर और चौड़ाई 12.5 मीटर है, जिसमें दोनों ओर 1.5 मीटर का फुटपाथ शामिल है। इस पुल का 90% कार्य पूरा हो गया है और पुल का निर्माण कार्य मई, 2014 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

7.8.3.2 मोती दमण में कलाई नदी पर बामनपूजा से पाली तक 8.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पुल का डिजाइन दो लेन वाले यातायात के लिए कुल

15 मीटर की चौड़ाई तथा दोनों तरफ फुटपाथ के साथ तैयार किया गया है। इस पुल की लम्बाई 120 मीटर है। पुल की ऊंचाई उच्च बाढ़ स्तर (एचएलएल) के ऊपर 2.47 मीटर और मौजूदा सेतु पथ (कॉजवे) के ऊपर 4.47 मीटर है।

जलापूर्ति एवं मलजल निकास व्यवस्था

7.8.4 प्रशासन द्वारा दमण में 49 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दमण में दुनेठा टैंक, डभेल टैंक और मरगरवाड़ा तालाब के जरिए मधुबन बांध से पाइपलाइन डालकर दमण जिले के गांवों को पाइपों से पेयजल की आपूर्ति के संवर्धन का ठोस प्रयास किया गया है। दीव में सरदार सरोवर कैनाल पाइपलाइन परियोजना पर आधारित उना से दीव तक दीव जलापूर्ति के संवर्धन का कार्य 35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरु किया गया है। दुनेठा में जल शोधन संयंत्र (17 एमएलडी क्षमता) का निर्माण कार्य और डभेल जल शोधन संयंत्र (20 एमएलडी) और मगरवाड़ा (5 एलएलडी) के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। बामनपूजा सर्किल से बामनपूजा गेट तक सड़क के दोनों ओर यूटिलिटी ट्रेन्च के साथ स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण कार्य और ब्रिकवाल युक्त पेवर ब्लॉक फ्लोरिंग का कार्य 10.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है और यह कार्य पूरा होने वाला है। बामनपूजा, दमण में कलाई नदी पर 99 लाख रुपए की लागत से चेक–डैम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा, मोती दमण और दीव में 35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूमिगत मल–जल निकास प्रणाली का कार्य चल रहा है तथा दमन एवं दीव दोनों में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन यथाशीघ्र शुरु किया जा रहा है। नानी दमण में दो ओवरहेड टैंकों का निर्माण कार्य चल रहा है और दभेल से मशाल चौक तक 10 किमी. लम्बी ग्रेविटी पाइपलाइन को बदलने का कार्य पूरा हो गया है। दभेल में 40 लाख लीटर की क्षमता वाले भूमिगत चहबच्चे (सम्प) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विद्युत

7.8.5 विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र में ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रिब्यूशन कैपेसिटी नेटवर्क को बढ़ाने एवं उसे चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान उनका कार्य प्रगति पर था। ऐसी कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:–

7.8.5.1 35 करोड़ रुपए की लागत से खाड़ी के साथ 20 एमवीए का बिजली ट्रांसफार्मर जोड़कर रिगनवाड़ा स्थित 66/11 केवी उप–स्टेशन की क्षमता को 20 एमवीए से बढ़ाकर 20 एमवीए+20एमवीए करके उसका संवर्धन करना।

7.8.5.2 मगरवाड़ा स्थित 66/11 केवी उप–स्टेशन को 20 एमवीए से बढ़ाकर 30 एमवीए करके उसका संवर्धन करना।

7.8.5.3 दमण में 30 एमवीए क्षमता वाला 66/11 केवी भीमपोर उप स्टेशन चालू हो गया है।

7.8.5.4 दोनों जिलों में विभिन्न सरकारी भवनों पर 139 केडब्ल्यू क्षमता के रुफ टाप सोलर पैनेल लगाए गए हैं।

7.8.5.5 काचीगाम और जारी गांवों में उपभोक्ताओं के लिए बिजली की स्वावलम्बिता को बढ़ाने के लिए, 9.18 करोड़ रुपए की लागत से 30 एमडब्ल्यू क्षमता वाले नए 66/11 केवी उप–स्टेशन का कार्य प्रगति पर है।

7.8.5.6 9.78 करोड़ रुपए की लागत से मगरवाड़ा स्थित 220/66 केवी उप–स्टेशन की क्षमता को 160 एमवीए से बढ़ाकर 310 एमवीए करना।

7.8.5.7 38.8 करोड़ रुपए की लागत से रिंगनवाड़ा में नए 220/66 केवी, 260 एमवीए क्षमता वाले उप–स्टेशन की स्थापना।

7.8.5.8 4 एम डब्ल्यू के सौर ऊर्जा संयंत्रों (दीव जिला में 3 एम डब्ल्यू और दमण जिले में 1 एम डब्ल्यू) की स्थापना की परियोजना का कार्य 34.00 करोड़ रुपए की लागत से मैसर्स बीएचईएल को सौंपा गया है।

7.8.5.9 दमण में विद्युत विभाग के एक नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके दिसम्बर, 2014 तक पूरा हो जाने की आशा है।

शिक्षा

7.8.6 सरकारी क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का कार्य 52 प्राथमिक, 58 मिडिल और सेकण्डरी विद्यालयों तथा 10 हायर सेकण्डरी विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए XIIवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है। अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को यूनीफार्म, जूते, जुराबें और सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री अर्थात पाठ्य पुस्तकें, नोट बुक, ड्राइंग सामग्री इत्यादि निःशुल्क मुहैया करायी जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों के शिक्षण शुल्क एवं हॉस्टल व्यय के संबंध में बीपीएल परिवारों के लिए 100% और अन्य वर्गों के लिए 50% (अधिकतम सीमा के साथ) की सीमा तक प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

7.8.7 दीव जिले में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध आर्ट एवं कामर्स स्ट्रीम के साथ पहले डिग्री कॉलेज का उद्घाटन दमण एवं दीव के प्रशासक द्वारा दिनांक 10.07.2013 को किया गया और इसके शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 180 विद्यार्थियों को प्रवेश दे करके की गई। संघ राज्य क्षेत्र में कुक्ड मिड–डे मील की योजना सफलतापूर्वक चल रही है और इस योजना के तहत पहली कक्षा से VIIIवीं कक्षा तक के कुल 15,089 छात्रों को कवर किया जा रहा है।

7.8.7.1 अगले शैक्षणिक सत्र 2014–15 से दीव में एक नया पॉलिटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है।

7.8.7.2 दमण एवं दीव के प्रशासक द्वारा दिनांक 28.02.2014 को 6.63 करोड़ रुपए की लागत से पद्म भूषण स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, दीव के विस्तार की अधारशिला रखी गई। इसके विस्तार में ओलम्पिक साइज के स्विमिंग पूल का निर्माण और स्क्वाश, जिमनेजियम तथा शयनागार के लिए इनडोर सुविधाएं शामिल हैं।

7.8.7.3 11वीं कक्षा तथा पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के पहले सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटाप प्रदान करने की "उड़ान" नामक एक नई योजना वर्ष 2013–14 में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई थी। यह योजना प्रशासक द्वारा दिनांक 24.01.2014 को नानी दमण में स्वामी विवेकानंद आडिटोरियम में शुरु की गई थी, जहां प्रशासक, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कुछ पात्र विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित किए।

स्वास्थ्य

7.8.8 इस समय, संघ राज्य क्षेत्र में में 26 उप केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 जिला अस्पताल चल रहे हैं। दमण एवं दीव के प्रशासक द्वारा मारवाड़, दमण स्थित सरकारी अस्पताल में दिनांक 25.05.2013 को पूर्णतः सुसज्जित डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करके उसे सशक्त बनाया गया है। इस अस्पताल को सीटी स्कैन मशीन से भी सुसज्जित किया जा रहा है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के दौरान 5 वर्ष तक की आयु के 26,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो प्रभावित बच्चों का पता लगाने के लिए पोलियो निगरानी कार्यक्रम भी चलाया गया। संघ राज्य क्षेत्र में विगत 15 वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। सरकारी अस्पताल, दमण में एक नया ओपीडी ब्लॉक चालू कर दिया गया है।

सरकारी अस्पताल, दमण में नया ओपीडी ब्लाक

7.8.9 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पहुंचने वाली सभी गर्भवती महिलाएं निःशुल्क प्रसव की पात्र हैं, जिसमें सभी प्रकार की दवाइयों, उपभोक्ता वस्तुओं, जांच, खून के प्रावधान इत्यादि के लिए किसी प्रकार के जेब खर्च के बिना आपरेशन का घटक भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, निःशुल्क भोजन, घर से

अस्पताल तक निःशुल्क जाना एवं वापसी और रेफर करने की स्थिति में तत्संबंधी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं। सभी नवजात शिशुओं को उनके जन्म के पहले 30 दिनों के दौरान परिवहन की सुविधा सहित किसी भी प्रकार के जेब खर्च के बगैर पूरा निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाता है।

कानून एवं व्यवस्था

7.8.10 दमण एवं दीव पुलिस को महिला पुलिस सहित अवसंरचना एवं कार्मिक शक्ति के साथ सशक्त बनाया गया है और उनका अद्यतन उपकरणों, हथियारों और प्रभावकारी संचार प्रणाली से आधुनिकीकरण किया गया है।

पर्यटन

7.8.11 चूंकि दमण एवं दीव पर्यटकों का एक गंतव्य स्थान है, इसलिए प्रशासन ने पर्यटन अवसंरचना के विकास, स्मारकों, चर्चों, किलों के संरक्षण, उद्यानों, बीचों, तालाबों और अन्य पर्यटक स्थलों जैसे विभिन्न स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की पहलें शुरु की हैं। डोमिनकन मोनेस्ट्री, फोर्ट एरिया, दमण में दिनांक 15.10.2013 से 16.10.2013 तक पहले दमण हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन श्री हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन और सुश्री रमा वैद्यनाथन के भारत नाट्यम मंचन की जीवन्त गाथा के साथ सम्पन्न हुआ। निम्नलिखित पहलें भी शुरु की गई हैं:–

(i) दमण में फोर्ट वाल के निकट एवं लाइट हाउस के पास उद्यानों एवं प्राकृतिक–दृश्यों का विकास।

(ii) चक्रतीर्थ बीच, दीव स्थित दीव संग्रहालय के सामने और गांधी की प्रतिमा के सामने भूमि का विकास।

(iii) दीव जिला में वाइसिकिल मार्ग।

(iv) दीव जिला में हैरिटेज वाक–वे का कार्य पूर्ण हो गया है।

(v) पेशेवर एजेन्सी के माध्यम से क्षेत्रीय भू–भाग का संवर्धन।

(vi) कला एवं सांस्कृतिक विरासत संबंधी भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट (आई एन टी ए सी एच) के माध्यम से विरासतीय अवसंरचाओं का विकास।

(vii) 5.50 करोड़ रुपए की लागत से लाइट हाउस मोती दमण से जामपोर बीच तक जॉगिंग ट्रैक सुविधा के साथ सी प्रोटेक्शन वाल का निर्माण।

(viii) दमण में पर्यटक हॉस्टल का निर्माण।

7.8.12 प्रशासन ने "समय सुधीनी सेवा" के माध्यम से लोगों को समयबद्ध सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक ऐतिहासिक आईटी परियोजना कार्यान्वित की है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नागरिक सेवाओं की समय पर प्रदायगी की निगरानी करने के एक तंत्र का प्रावधान किया गया है। "समय सुधीनी सेवा" सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी सुनिश्चित करती है और सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी के संबंध में नागरिकों के अधिकार के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन को भी सुकर बनाती है। इसकी विशेषता आनलाइन निगरानी तंत्र है, जो एनआईसी, दिल्ली आधारित केन्द्रीय साफ्टेवयर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तौर पर सेवा आवेदनों के प्रस्तुतीकरण एवं उनके निपटान पर नजर रखती है। इस योजना में प्रथम अपीलकर्ता और द्वितीय अपीलकर्ता प्राधिकारियों के अनुसार समाधान मंच का भी प्रावधान है, जहां नागरिक समय पर सेवा प्रदान नहीं किए जाने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। योजना को पहली बार दमण में 5 विभागों की 31 सेवाओं के साथ शुरु किया गया था। इसका दूसरा चरण दमण के 7 विभागों की 21 सेवाओं को जोड़कर दिनांक 17.07.2013 को शुरु किया गया। ये सेवाएं दीव में भी शुरु की गई थीं। दमण एवं दीव में वर्तमान समय में इस सेवा के अन्तर्गत कुल 52 सेवाएं उपलब्ध हैं। जन साधारण द्वारा इस सेवा की अत्यधिक सराहना की गई है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण है, जिसका कार्य पूरा हो गया है और इसे दिनांक 30.01.2014 को शुरु किया गया। कम्प्यूटरीकृत फार्म–I और XIV (अधिभोगी, कृषक, क्षेत्र के नाम, फसल के नाम, सिंचाई के ब्यौरे आदि सहित भूमि का रिकार्ड) जारी करने का कार्य शुरु कर दिया गया है। ग्रामीण

भूमि के रिकार्ड भी संघ राज्य क्षेत्र की वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध हैं। शहरी भूमि के रिकार्डों के डिजिटीकरण कार्य पूरा होने वाला है।

7.8.13 प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए दमण एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानें शुरु करने और उन्हें दीव के साथ–साथ मुम्बई से जोड़ने की पहल शुरु की है। सिविल टर्मिनल की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरु कर दिया गया है।

7.8.14 समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और समुदाय के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है। यह आर्थिक रुप से गरीब लोगों की विशेष श्रेणियों यथा शारीरिक रुप से अपंग लोगों के लाभार्थ और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा महिलाओं, बच्चों एवं वृद्ध लोगों के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित करता है।

7.8.15 सरस्वती साधना योजना के तहत कक्षा VIII में पढ़ रहीं सभी लड़कियों को 1,120 साइकिलें वितरित की गईं।

(दमण एवं दीव के प्रशासक स्कूली छात्रों को साइकिल वितरित करते हुए)

7.8.16 प्रशासन के ठोस प्रयासों के फलस्वरुप, अनु.जा./अनु.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग सभी पात्र छात्र विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत कवर किए गए हैं। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक के दौरान यह लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया गया था और इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैंः–

क्रम सं.	योजना का नाम	छात्रों/लाभार्थियों की संख्या
1.	अ.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	182
2.	अ.ज.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	354
3.	सेकण्डरी शिक्षा हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन देने संबंधी राष्ट्रीय योजना (एन एस आई जी एस ई)	173
4.	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति	54
5.	अ.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	113
6.	अ.जा. के छात्रों की मेरिट का उन्नयन	20
7.	अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए वजीफा/छात्रवृत्ति	3147
8.	अ.पि. वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	729
9.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	26
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता–सह–साधन छात्रवृत्ति	07
11.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	494
12.	अ.पि. वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	560
13.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)	749
14.	जननी सुरक्षा योजना (जे एस वाई)	181
15.	वृद्धावस्था पेंशन (प्रति माह औसत लाभार्थी)	5054
16.	विधवा पेंशन	1368
17.	अक्षम व्यक्ति पेंशन	253

7.8.17 दमण एवं दीव की कुल तटीय लम्बाई 29 किमी. है। मत्स्ययन इस संघ राज्य क्षेत्र के प्राथमिक आर्थिक कार्यकलापों में से एक है। मछुआरों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, प्रशासन वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करने की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान मछुआरों को सब्सिडी और सहायता के रुप में 362.16 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई।

दादरा एवं नगर हवेली

7.9.1 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3,43,709 (1,93,360 पुरुष और 1,49,949 महिलाएं) है। इसका कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग किमी. है और यह दो इन्क्लेव अर्थात (1) दादरा और (2) नगर हवेली से मिलकर बना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस संघ राज्य क्षेत्र में 65 गांव, 05 सेन्सस नगर, 01 जिला पंचायत, 11 ग्राम पंचायतें और एक नगर परिषद शामिल है। यह संघ राज्य क्षेत्र गुजरात के वलसाड जिला और महाराष्ट्र के थाणे जिला के साथ सटा हुआ है।

7.9.2 संघ राज्य क्षेत्र में दादरा एवं नगर हवेली विद्युत संवितरण निगम स्थापित किया गया है और यह वर्ष 2012–13 से कार्य कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में शुरु की गई प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैः–

(i) 220/66 केवी, खरादपाड़ा उप–स्टेशन का 350 एमवीए से 400 एमवीए में संवर्धन।

(ii) अथाल और वाघधारा में 66/11 केवी, 2×20 एमवीए उप–स्टेशन की स्थापना।

(iii) पीजीसीआईएल द्वारा काला में 400 केवी उप–स्टेशन की स्थापना (जून, 2014 तक शुरु हो जाने की संभावना है)।

(iv) खदोली, रखोली और आमली उप–स्टेशनों में 20 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर 66/11 केवी उप–स्टेशन की क्षमता का संवर्धन।

(v) शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट ग्रिड के साथ–साथ भूमिगत केबल डालने का कार्य प्रगति पर है। 28 करोड़ रुपए की लागत से 3 एमडब्ल्यू का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(vi) वाघछिपा में 220/66 केवी, 2×160 एमवीए उप–स्टेशन की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। पिपरिया, काला और वाघधारा में 66/11 केवी विद्युत उप–स्टेशन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

7.9.3 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औषधालयों, उप केन्द्र एवं सचल चिकित्सा इकाइयों के नेटवर्क के जरिए मुहैया करायी जाती हैं। रखोली और दादरा में दो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) क्रमशः दिनांक 03.04.2013 और 28.06.2013 को प्रारम्भ किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 30 बिस्तरों की इनडोर सुविधा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, दोनों पीएचसी में इस क्षेत्र के सभी निवासियों को प्रयोगशाला एवं प्रसव सेवाओं की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

7.9.4 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 1997 से पोलियो मुक्त है।

7.9.5 मां एवं शिशु देखभाल ट्रैकिंग प्रणाली (एमसीटीएस) के माध्यम से गभवर्ती महिलाओं का पता लगाना, संघ राज्य क्षेत्र में शुरु की गई एक नई पहल है। यह एएनसी सेवाओं की देखभाल को बढ़ाने के साथ–साथ ड्राप–आउट मामलों की पहचान करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, अलग–अलग स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए 'आशा' का एक नया संवर्ग जोड़ा गया है।

7.9.6 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 272 बिस्तरों वाला स्पेशलिटी अस्पताल, श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल (वी बी सी एच), सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली और गुजरात एवं महाराष्ट्र के सटे हुए क्षेत्रों की समग्र आबादी की उपचारात्मक, निवारक एवं पुनर्वास संबंधी जरुरतों को पूरा करता

है। एक अत्याधुनिक दुर्घटना निवारण सह–अभिघात एवं आपात चिकित्सा सेवा, जिसमें 18 बिस्तरों वाली गहन देखभाल इकाई और 04 बिस्तरों वाले हताहत सुविधा के साथ 05 अल्ट्रा माडर्न आपरेशन थियेटर हैं, पूर्णरुपेण कार्य कर रही है। ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के दौरान, ओपीडी में 5,71,809 मरीज और आईपीडी में 25,316 मरीज आए, जिसकी संख्या बढ़कर चालू वर्ष, 2013 में 6,28,290 ओपीडी मरीज और 30,548 आईपीडी मरीज हो गई है।

7.9.7 श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा के टेलीमेडिसिन विभाग को टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई और डॉ. बालाभाई नानावती अस्पताल, मुम्बई के साथ संबद्ध किया गया है, जिनमें विभिन्न सुपर स्पेशलिटी क्षेत्रों में टेली–कन्फरेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान ऐसे कुल 725 टेली–कन्फरेंसिंग सत्र आयोजित किए गए। श्री विनोवा भावे सिविल अस्पताल को टेली–मेडिसिन के माध्यम से सीएचसी, खानवेल और पीएचसी, किलवेनी और मण्डोनी के साथ जोड़ा गया है, जहां स्पेशलिटी उपचार प्रदान किया जाता है और जनवरी, 2013 से 31.03.2014 तक खानवेल में 898 मरीज, मण्डोनी में 151 मरीज और किलवेनी में 228 मरीज इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।

7.9.7.1 कार्यान्वित की गई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैं:–

(i) बालिका बचाओ योजना वर्ष 2007 में शुरु की गई थी, जिसमें एक बार 40,000/–रुपए की धनराशि बालिका के नाम से 18 वर्ष के लिए जमा कर दी जाती है। परिपक्व होने पर, परिपक्वता की राशि लाभार्थी को मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत एक परिवार की दो जीवित बालिकाओं को शामिल किया जाता है और जनवरी, 2013 से 31.03.2014 तक 557 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

(ii) नर्सिंग विद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालय: नर्सिंग विद्यालय की शुरुआत वर्ष 2007–08 में की गई थी और प्रत्येक वर्ष इनटेक क्षमता 20 छात्रों की थी। सितम्बर, 2008 से इसका नर्सिंग महाविद्यालय के रुप में उन्नयन कर दिया गया है और इसकी वार्षिक इनटेक क्षमता प्रतिवर्ष 40 छात्रों की है।

(iii) जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम: वर्ष 2012–13 के दौरान, 29,413 माताओं एवं नवजात शिशुओं ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया। जनवरी, 2013 से 31.03.2014 तक 52,511 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

(iv) जननी सुरक्षा योजना: वर्ष 2012–13 के दौरान, जननी सुरक्षा योजना के तहत 40 लाभार्थियों को कवर किया गया था और जनवरी 2013 से 31.03.2014 तक 51 लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है।

(v) मातृ समृद्धि योजना: मातृ समृद्धि योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं में संस्थागत प्रसव के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 5,000/–रुपए की नकद धनराशि मंजूर की जाती है। पिछले वर्ष 2012–13 के दौरान एमएसवाई के तहत 449 लाभार्थी कवर किए गए थे और जनवरी 2013 से मार्च 2014 तक इस योजना के तहत 506 लाभार्थी कवर किए गए हैं।

(vi) आपात चिकित्सा कार्रवाई सेवाएं अर्थात "108" सेवा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक 10.04.2012 से शुरु की गई है और जनवरी 2013 से 31.03.2014 तक 25,747 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। गैर–आपात चिकित्सा कार्रवाई सेवा अर्थात "104" दिनांक 21.11.2012 से शुरु की गई है।

(vii) भागीरथमल जीवराजका डायलसिस केन्द्र ने रोगी कल्याण समिति के तहत कार्य करना शुरु कर दिया है और जनवरी, 2013 से 31.03.2014 तक 3,612 डायलिसिस किए गए हैं।

(viii) रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत 2.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा में ठहरने की सुविधा के साथ एडवांस इमेजिंग केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

(ix) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2011 में राष्ट्रीय आरोग्य निधि अनुमोदित की गई है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे मरीजों को सरकारी अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों के अधीन किसी भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/संस्थान में चिकित्सा उपचार कराने हेतु प्रति रोगी

1.50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो जान को जोखिम वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। जनवरी 2013 से 31.03.2014 तक, 40 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं और 28.00 लाख रुपए संवितरित किए गए हैं।

(x) संघ राज्य क्षेत्र ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पहली सवारी की सेवाएं आरम्भ की हैं, जिसमें माताएं एवं नवजात शिशु निःशुल्क आने और जाने की सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जनवरी 2013 से 31.03.2014 तक 5,945 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

7.9.8 संघ राज्य क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने एवं उसका उन्नयन करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रमुख परियोजनाएं शुरु की गई हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) निम्नलिखित कार्य शुरु/पूरे किए गए हैं:–

(i) अथाल में 12.36 करोड़ रुपए की लागत से, रखोली में 13.78 करोड़ रुपए की लागत से और पिपरिया में 6.25 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य ओआईडीसी को सौंपा गया है, जो प्रगति पर है और पाया, गर्डर तथा स्लैब डालने का कार्य चल रहा है।

(ii) ओआईडीसी द्वारा अग्रिवाड़ में पिपरिया नदी पर 11.85 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल (चार लेन वाले) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(iii) पिपरिया नदी पर एग्रीकल्चर फार्म के निकट डोकमार्डी में 11.08 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस समय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा गर्डर/स्लैब डालने का कार्य चल रहा है।

(iv) मोरखल में 3.99 करोड़ रुपए की लागत से और करचोंड (दुधानी) में 6.36 करोड़ रुपए की लागत से दो उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा कर दिया गया है।

(v) सिली मेन रोड (2.75 करोड़ रु.), उमरकुई–हाटपाड़ा (3.54 करोड़ रु.) और कराड रोड (2.76 करोड़ रु.) में 03 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह कार्य दिनांक 15.06.2014 तक अर्थात मानसून के आरंभ होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

(vi) विभाग द्वारा बिलधारी एवं गुनसा गांवों तथा कौंचा में उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए परामर्शी सेवाओं और डीपीआर तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

(vii) विभाग द्वारा किलवानी रोड (6.00 किमी.) को चौड़ा करने/सड़क को 1½ लेन से 2 लेन में बदलने का कार्य पूरा कर लिया गया है और विभाग द्वारा सिली रोड (5.00 किमी), मोरखल रोड (5.60 किमी.) और किलवानी राधा रोड (11/6 से 18/0 किमी. को चौड़ा करने/सड़क को 1½ लेन से 2 लेन में बदलने (कुल लगभग 23 किमी.) का कार्य प्रगति पर है।

(viii) विभाग द्वारा दुधानी रोड (7 किमी.) और मंडोनी रोड (2.60 किमी.) को चौड़ा करने/सड़क को 1½ लेन से 2 लेन में बदलने का कार्य पूरा कर दिया गया है।

(ix) विभाग द्वारा तलावली रोड (3.20 किमी.) को चौड़ा करके 1.50 लेन (5.50 मी. चौड़ा) का बनाने का कार्य पूरा कर दिया गया है।

7.9.9 लोक निर्माण विभाग ने वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आने वाली छोटी और उप–लघु नहरों के कुछ भागों की विशेष मरम्मत करने एवं गाद–निकालने का कार्य शुरु किया है। 18.70 किमी. लंबी नहर की मरम्मत/गाद निकालने का कार्य वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान पूरा हो गया है। मोटा–रांधा पर कोलक नदी के ऊपर चेकडैम–सह–सेतुपथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7.9.10 255 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से एकीकृत जल प्रबंधन योजना की एक प्रमुख परियोजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। मंडोनी और दुधानी में पाइपलाइन से जल आपूर्ति की योजना प्रगति पर है और 80% कार्य पूरा हो गया है। शहरी जल आपूर्ति योजना, जिसमें सिलवासा के लिए जलशोधन संयंत्र और भूमिगत मलजल प्रणाली शामिल है, के संवर्धन की परियोजनाएं प्रगति पर है। सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र के लिए पीपीपी आधार पर एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना शुरु की जा रही है, जिसके लिए निविदा को अंतिम रुप प्रदान कर दिया गया है।

वन एवं पर्यावरण संरक्षण

7.9.11 यहां का संरक्षित वन क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% है। वन विभाग नया पौधारोपण करके और पुराने वृक्षारोपण का अनुरक्षण करके उजड़े हुए वन का पुनरुद्वार करने के लिए वन सरंक्षण, विकास एवं पुनर्सृजन, सामाजिक एवं कृषि वानिकी जैसी योजनाएं कार्यान्वित करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान, "उजड़े हुए वन क्षेत्र में नया पौधरोपण करने" के तहत 200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था और "विगत तीन वर्षों के दौरान पुराने पौधरोपण के अनुरक्षण" की योजना के तहत 630 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था। निजी भूमि पर पेड़ों के वृक्षारोपण के लिए अ.जा./अ.ज.जा. तथा सीमान्त किसानों को 5 लाख पौधों का निःशुल्क संवितरण किया गया है।

7.9.12 वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान पर्यानुकूल पर्यटन की गतिविधियों के विकास और मृदा जल संरक्षण संबंधी उपायों के भाग के रुप में निम्नलिखित परिसम्पत्तियों का सृजन किया गयाः–

(i) दादरा और नगर हवेली में वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण सहित प्रकृति के संरक्षण एवं रक्षण के बारे में लोगों, पर्यटकों/आगन्तुकों को जानकारी देने के लिए वाघचौड़ा में एक विशाल प्रेक्षण स्थल विकसित किया गया है।

(ii) खानवेल में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान दिनांक 03.04.2013 को प्रकृति परिचय केन्द्र (नेचर इन्टरप्रेटेशन सेंटर) का उद्घाटन किया गया।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, गृह राज्य मंत्री द्वारा "प्रकृति परिचय केन्द्र" खानवेल का उद्घाटन

(iii) दादरा एवं नगर हवेली में जैव–विविधता के बारे में स्थानीय लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए वहां की वनस्पति एवं वन्यजीवों की गहन निगरानी हेतु चोवेधा, दुधानी में एक प्रकृति दीर्घा विकसित की गई है।

(iv) खानवेल में लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बटरफ्लाई पार्क विकसित किया गया है जो जीव–विज्ञानियों एवं विद्यार्थियों के लिए एक सुंदर पर्यानुकूल पर्यटन, मनोरंजन तथा शिक्षा स्थल है।

(v) सचदेवा बाल उद्यान में संगीतमय फौवारे, घास के मैदान एवं झरनों तथा मछलीघर (एक्वैरियम) की स्थापना करके उसका नवीनीकरण किया गया है, ताकि बच्चों को उस स्थान के प्रति आकर्षित किया जा सके और उन्हें वनस्पति, वन्यजीव एवं प्रकृति के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सके।

(vi) वनस्पति उद्यान/नक्षत्र वन केन्द्र, सिलवासा विकसित किया गया है और दिनांक 04.03.2014 को इसका उद्घाटन किया गया है।

(vii) राजकीय हाई स्कूल, अम्बोली में अक्तूबर 2013 में वन महोत्सव–2013 का आयोजन किया गया।

(viii) 15 स्थानों पर अवरोध बांध (चेकडैम) का निर्माण कार्य शुरु किया गया था और वर्ष 2013–14 के दौरान 6 अवरोध बांधों का निर्माण कार्य पूरा हो गया था।

7.9.13 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अनेक पर्यटक आकर्षण स्थलों को विकसित किया है, जिसमें उद्यान, पर्यटक विश्राम गृह, लॉयन सफारी और साहसिक कार्य स्थल संबंधी क्रियाकलाप शामिल हैं। प्रशासन ने पर्यटन मंत्रालय की सहायता से होटल प्रबंधन एवं खान–पान सेवा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है। यह संस्थान आतिथ्य प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करता है और इसमें तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम तथा साथ–ही–साथ अन्य सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है, जो कि भविष्य में शुरु होंगे।

7.9.14 दादरा एवं नगर हवेली पुलिस को अवसंरचना, महिला सहित कार्मिक शक्ति से सशक्त बनाया गया है और उसे अधुनातन उपस्करों, हथियारों एवं प्रभावकारी संचार प्रणाली से आधुनिकीकृत किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

7.9.15 एकीकृत बाल विकास योजना 219 आंगनवाड़ी केन्द्रों और 49 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इस संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है, जहां 18,047 से अधिक बच्चे और 3,076 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। आर्थिक रुप से गरीब लोगों जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अक्षम व्यक्ति पेंशन की योजनाएं 18,475 से अधिक लाभार्थियों को कवर करते हुए कार्यान्वित की जा रही हैं।

7.9.16 सरस्वती साधना योजना, जिसमें कक्षा VIII में पढ़ रही अ.जा./अ.ज.जा. की छात्राओं को साइकिलें प्रदान की जाती हैं, के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 1,785 साइकिलें प्रदान की गईं। हाई स्कूल में पहुंच कर स्कूल छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य के साथ, प्रशासन द्वारा चालू वर्ष में कक्षा VIII की सभी 2,896 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की गई हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए पूर्व–मैट्रिक एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की एक दूसरी योजना भी है, जिसके तहत वर्ष 2012–13 के दौरान 266 छात्र लाभान्वित हुए हैं । वर्ष 2013–14 के दौरान 206 लाभार्थियों को कवर किया गया।

7.9.17 सभी छात्रों के लिए कक्षा XII तक शिक्षा निःशुल्क है। सभी विद्यार्थियों को यूनीफार्म, जूते एवं जुराबें और सभी तरह की शिक्षा सामग्रियां अर्थात पाठ्यपुस्तकें, नोट बुक्स, ड्राइंग मैटिरियल, कम्पास बॉक्स इत्यादि निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। प्रशासन के सतत एवं ठोस प्रयासों की वजह से साक्षरता दर वर्ष 2001 में 57.63% से बढ़कर 2011 में 76.20% हो गई है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, विभिन्न स्थानों पर सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है। फलान्दी और सिल्ली गांवों में दो नए गुजराती माध्यम के हाई स्कूल, दादरा, खानवेल एवं नरोली में तीन नए अंग्रेजी माध्यम के हाई–स्कूल और रखोली में साइंस स्ट्रीम के साथ एक हायर सेकण्डरी स्कूल प्रारम्भ किया गया है। सात सेकण्डरी स्कूल भवनों के निर्माण का का कार्य प्रगति पर है। योजना संबंधी कार्य लोक निर्माण विभाग में प्रगति पर है। इस संघ राज्य क्षेत्र के सबसे पहले सरकारी महाविद्यालय, जो जुलाई, 2011 में शुरु हुआ था, में अब कला, वाणिज्य एवं विज्ञान स्ट्रीम में 1100 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। महाविद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 24 क्लास रुम का एक खण्ड जून 2014 तक तैयार हो जाएगा। अगले शैक्षणिक वर्ष से, महाविद्यालय को इसके नए कैम्पस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

7.9.18 शिक्षा विभाग ने छात्राओं के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति प्रोत्साहन, सेकण्डरी शिक्षा के लिए छात्राओं को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) प्रोत्साहन इत्यादि जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की हैं। संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2014–15 से एक इंजीनियरिंग कालेज आरम्भ करने के प्रस्ताव को अंतिम रुप दिया जा रहा है। सीआईआई इन्स्टीट्यूट आफ क्वालिटी, बंगलौर की सहभागिता से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में "सर्वोत्तम" परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

7.9.19 इस परियोजना के तहत, संघ राज्य क्षेत्र के 20 विद्यालयों ने विद्यालय उत्कृष्टता समूह दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी द्वारा अंतिम

अधिप्रमाणन की दिशा में समयबद्ध अभियान शुरु किया है। इन विद्यालयों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अगले कुछ वर्षों में सभी विद्यालयों को कवर करने के उद्देश्य से संघ राज्य क्षेत्र में इस परियोजना में और स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

7.9.20 संघ राज्य क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए छात्राओं को ट्यूशन शुल्क एवं हॉस्टल व्यय के प्रति गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को 100% तथा अन्य को 50% (अधिकतम सीमा के साथ) की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नई योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2013 के दौरान 433 छात्राओं को कुल 200.41 लाख रुपए की धनराशि संवितरित की गई है।

7.9.21 प्रशासन ने 'समय सुधीनी सेवा' के माध्यम से लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की एक महत्वांकाक्षी आईटी परियोजना कार्यान्वित की है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नागरिक सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी की निगरानी करने के लिए एक तंत्र का प्रावधान है। समय सुधीनी सेवा सार्वजनिक सेवा की गारंटी सुनिश्चित करती है और सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी के प्रति नागरिकों के अधिकारों के सक्षम कार्यान्वयन को सुकर बनाती है। आन–लाइन निगरानी इस सेवा की विशेषता है, जिसमें एनआईसी, दिल्ली आधारित केन्द्रीय साफ्टवेयर के माध्यम से सेवा आवेदनों की प्रस्तुति एवं उनके निपटान पर इलेक्ट्रानिक तौर पर निगरानी की जाती है। इस योजना में प्रथम अपीलकर्ता और द्वितीय अपीलकर्ता प्राधिकारियों के अनुसार समाधान मंच का प्रावधान भी है, जिनमें नागरिक सेवाएं समय पर प्रदान न किए जाने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस योजना को सर्वप्रथम दादरा एवं नगर हवेली में 5 विभागों की 34 सेवाओं के साथ शुरु किया गया था। इसका दूसरा चरण दादरा एवं नगर हवेली के 7 विभागों की 28 और सेवाओं को जोड़कर दिनांक 17.07.2013 को शुरु किया गया था। इस सेवा के तहत, वर्तमान समय में, 11 विभागों की 62 सेवाएं उपलब्ध हैं। इस योजना की जनता द्वारा अत्यधिक सराहना की गई है।

7.9.22 प्रशासन ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के लिए बुनियादी अवसंरचना की स्थापना पर भी कार्य कर रहा है, जिसमें राज्य आंकड़ा केन्द्र और एक वाइड एरिया नेटवर्क भी शामिल है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र में ग्यारह सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) की स्थापना का प्रस्ताव है, जहां अनेक सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे मुहैया करायी जाएंगी। इस क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि भू–अभिलेखों का डिजिटीकरण है। कम्प्यूटरीकृत फार्म 7×12 (दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा रखे जाने वाले हस्त अभिलेख रजिस्टर का उद्धरण) जारी करने का कार्य शुरु हो गया है।

"संकल्प" – कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी संबंधी पहल

7.9.23 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी एस आर) अवसंरचना के माध्यम से सामाजिक विकास में उद्योग– सरकार की सहभागिता संबंधी एक अनूठी, महत्वाकांक्षी एवं अभिनव परियोजना आरम्भ की है। इस परियोजना को "संकल्प" नाम दिया गया है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र के 70 गांवों और 515 पुरवों को एक अथवा इससे अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा गोद लेकर उनका विकास करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, उद्योग पूरे संघ राज्य क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों/परियोजनाओं में अपना योगदान दे सकेंगे।

7.9.24 एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें उद्योग इस कार्यक्रम में स्वेच्छा से अपना नामांकन कराने के लिए आगे आ रहे हैं, जबकि प्रशासन स्थानीय परामर्श के आधार पर गांवों की आवश्यक जरुरतों वाली सुविधाओं की रुपरेखा तैयार कर रहा है। अब तक 10 औद्योगिक इकाइयों ने 10 गांवों और 101 पुरवों को गोद लिया है। उन्होंने

इन गांवों में परियोजनाओं का अभिनिर्धारण किया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर शुरु किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र/कौशल विकास केन्द्रों का निर्माण, पक्के मकानों का निर्माण, शैक्षिक और मनोरंजन सुविधाएं आदि शामिल हैं।

7.9.25 संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और यह कार्य आवश्यक निधियों तथा जनशक्ति सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषयों को उनके क्षेत्राधिकार में अंतरित करके किया गया है। वित्त आयोग के अद्यतन मार्गनिर्देशों के अनुसार, सूक्ष्म योजना के भाग के रुप में, जिला पंचायत का 50% जी.आई.ए. सीधे ग्राम पंचायतों को अंतरित कर दिया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र की निधियों का पर्याप्त हिस्सा जी.आई.ए. के रुप में स्थानीय निकायों को आबंटित किया गया है। वर्ष 2012–13 में जिला पंचायत को आबंटित की गई वास्तविक जी.आई.ए. की धनराशि 133.10 करोड़ रुपए थी, जिसे वर्ष 2013–14 में बढ़ाकर 137.71 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस जी.आई.ए. की सहायता से, स्थानीय निकाय ग्रामीण सड़कों और पुलों, ग्रामीण जलापूर्ति, पथ प्रकाश, प्रारंभिक शिक्षा, पशुचिकित्सा संबंधी सेवाओं तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण आदि के क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य करने में सक्षम हुए हैं।

7.9.25.1 विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पंचायती राज विनियम में संशोधन को अंतिम रुप प्रदान कर दिया गया है। उक्त विनियम अर्थात दादरा एवं नगर हवेली पंचायती राज विनियम, 2012 दिनांक 03.10.2013 से संघ राज्य क्षेत्र में लागू हो गया है।

7.9.25.2 जिला पंचायत के पांच वार्डों (नामतः दादरा, नरोली, दापड़ा, अम्बोली और दुधानी) का उप–चुनाव दिनांक 22.12.2013 को हुआ था और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

◆◆◆

अध्याय VIII पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

8.1.1 भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केन्द्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को देश की एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय (एमएचए) भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों इत्यादि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेवार है।

8.1.2 यह सेवा 25 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संघटित की जाती है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक् संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग के ढांचे की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010 में 23 संवर्गों की संवर्ग संख्या की समीक्षा की थी और एक संवर्ग की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी।

8.1.3 दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

राज्य/संवर्ग	दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
आंध्र प्रदेश	258
ए जी एम यू	295
असम–मेघालय	188
बिहार	231
छत्तीसगढ़	103
गुजरात	195
हरियाणा	137
हिमाचल प्रदेश	89
जम्मू एवं कश्मीर	147
झारखंड	135
कर्नाटक	205
केरल	163
मध्य प्रदेश	291
महाराष्ट्र	302
मणिपुर	89
नागालैण्ड	70
ओडिशा	188
पंजाब	172
राजस्थान	205
सिक्किम	32
तमिलनाडु	263
त्रिपुरा	65
उत्तर प्रदेश	489
उत्तराखंड	69
पश्चिम बंगाल	347
कुल	**4728**

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एस वी पी एन पी ए), हैदराबाद

8.2.1 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्वस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसको भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

बुनियादी पाठ्यक्रम

8.2.2 वर्तमान अवधि के दौरान अकादमी में 65 आर आर (2012 बैच) के प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों के बुनियादी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण चल रहा था, जो निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	
		से	तक
(1)	अकादमी में चरण – I प्रशिक्षण	24.12.2012	05.11.2013
(2)	अध्ययन सह–सांस्कृतिक दौरा	18.11.2013	30.11.2013
(3)	दिल्ली में के.रि.पु.ब., सेना एवं अन्य सी पी ओ के साथ संबद्धता	02.12.2013	03.01.2014
(4)	अपने राज्य कैडर में जिला–स्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण	13.01.2014	26.07.2014
(5)	अकादमी में चरण – II प्रशिक्षण	04.08.2014	29.08.2014

8.2.2.1 भूटान, नेपाल और मालदीव के 12 प्रशिक्षु अधिकारियों सहित इसमें 148 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। उपर्युक्त में भूटान, मालदीव एवं नेपाल से एक–एक महिला अधिकारी सहित 25 प्रशिक्षु महिला अधिकारी शामिल थीं। यह प्रशिक्षण दंड विधि, जांच, मानवाधिकार, फील्ड कौशल एवं युक्ति आदि से संबंधित सूचनाओं को जोड़ते हुए एकीकृत तरीके से प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को पेशेवर कौशल प्रदान करने के लिए अपराध की जांच, लोक व्यवस्था प्रबंधन आदि पर अनुकृत अभ्यास आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, लिंग, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों आदि से संबंधित मामलों से प्रशिक्षुओं को परिचित कराने एवं संवेदनशील बनाने के लिए मॉड्यूल्स संचालित किए गए। प्रशिक्षुओं को आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला हेतु तैयार करने के लिए उन्हें पुलिस युक्ति का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण मॉडल पुलिस स्टेशन के माध्यम से दिया गया। परिदृश्य आधारित एकीकृत परीक्षण प्रणाली के माध्यम से उसका मूल्यांकन भी किया गया।

8.2.3 63 और 64 आर आर (2010 और 2011 बैच) के कुल 128 प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों ने दिनांक 29.07.2013 से 23.08.2013 तक इस अकादमी में चार सप्ताह के चरण–।। प्रशिक्षण को भी सफलतापूर्वक पूरा किया।

सीनियर पाठ्यक्रम

8.2.4 कुल 566 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वन्य जीव अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, फॉरेंसिक विज्ञान में नई खोज, साइबर अपराध, अच्छी पुलिस व्यवस्था एवं व्यवहार, प्रशिक्षण प्रबंधन पाठ्यक्रम, युक्ति पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा) के उप पुलिस अधीक्षक का पाठ्यक्रम जैसे विभिन्न विषयों पर 15 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। कुल 227 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वन्य जीव अपराध का पता लगाने, फॉरेंसिक विज्ञान में नई खोज, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, अच्छी पुलिस व्यवस्था एवं व्यवहार जैसे विभिन्न विषयों पर 7 संगोष्ठियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 1963, 1983 और 1988 बैचों के लिए पुनः मिलन संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

8.2.5 अकादमी ऐसे आई पी एस अधिकारियों के लिए भी मिलन संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है, जिन्होंने अपनी सेवा की क्रमशः 25 वर्ष, 30 वर्ष

और 50 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। तदनुसार, अकादमी ने वर्ष 2013–14 के दौरान 1988 (25 वर्ष) और 1983 (30 वर्ष) के बैचों के लिए पुनः मिलन संगोष्ठियों का आयोजन किया।

8.2.6 50 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके सेवानिवृत्त आई पी एस अधिकारियों के बैचों को प्रत्येक वर्ष मिलन संगोष्ठियों में आमंत्रित किया जाता है। 1963 बैच के आई पी एस अधिकारियों (50 वर्ष) की पुनः मिलन संगोष्ठी का आयोजन सितम्बर, 2013 में किया गया था।

विशेष युक्ति पाठ्यक्रम

8.2.7 राज्य पुलिस/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के 200 पुलिस अधिकारियों को युक्तिसंगत कार्रवाइयों के प्रबंधन, प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, युक्ति पाठ्यक्रम एवं इम्प्रोवाइज़्ड विस्फोटक उपकरण (आई ई डी) और विस्फोट के उपरांत की प्रक्रियाओं से संबंधित पाठ्यक्रम आदि को शामिल करते हुए "विशेष युक्तियों" में प्रशिक्षण दिया गया।

अन्य कार्यक्रम

8.2.8 वर्तमान वर्ष के दौरान अकादमी में निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए:–

(i) सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता, सुश्री अरूणा राय ने दिनांक 15.10.2013 को "पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रजातंत्र में पुलिस की भूमिका" नामक विषय पर 28वां सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल व्याख्यान दिया।

(ii) श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 19.03.2014 को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की 36वीं वार्षिक बोर्ड बैठक का संचालन किया।

अकादमी में 2012 बैच (65 आर आर) के आई पी एस अधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसके पासिंग-आउट-परेड में 148 प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों ने भाग लिया। भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 19.03.2014 को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की 36वीं वार्षिक बोर्ड बैठक का संचालन किया।

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा)

8.3.1 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा) – जो कि अकेला और एकमात्र क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी और यह मेघालय के री–भोई जिले के अंदर गांव उमसाव में स्थित है। शुरु में नीपा का गठन पूर्वोत्तर परिषद की एक परियोजना के रूप में किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के बनाए जाने के पश्चात पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी सहित पूर्वोत्तर परिषद को इस नए विभाग (अब पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) के अंदर लाया गया। वर्ष 2007 में, नीपा को पेशेवर सूचनाओं के लिए पुनः गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। नीतिगत निर्णय तैयार करने के लिए अकादमी का एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं। नीपा का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों एवं उप निरीक्षकों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों और सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के लिए संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं सहित सेवा–कालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करना है।

नीपा का मुख्य भवन

8.3.2 गृह मंत्रालय द्वारा नीपा में 47 कार्यों के लिए दिनांक 24.01.2011 को 82.13 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ एक संशोधित प्लान स्कीम अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2013–14 में 27.68 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत की गई है और निर्माण एजेंसियों को जारी कर दी गई है। दिनांक 31.03.2014 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूरे किये जा चुके हैं:–

1. स्विमिंग पूल
2. इंडोर खेल परिसर
3. प्रशिक्षण खंड
4. आवासीय क्वार्टर
5. व्यावसायिक दुकानें
6. शॉपिंग कॉम्पलेक्स

निर्मित किया जा रहा प्रशिक्षण खंड

8.3.3 नीपा बड़ी संख्या में सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। इनमें से कुछ, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों और सामान्य रूप से अन्य राज्यों

के पुलिस अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:–

1. सूचना का अधिकार पर कार्यशाला
2. विभागीय जांच
3. आपदा प्रबंधन
4. स्वापक पदार्थ प्रवर्तन
5. तनाव प्रबंधन
6. विस्फोटक एवं बम निष्क्रिय करना
7. आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच
8. विद्रोह रोधी एवं जंगल युद्धकला
9. आर्थिक अपराधों पर कार्यशाला – बैंक धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूति तथा संदिग्ध दस्तावेज
10. मेमोरी फॉरेंसिक, डाटा रिकवरी, इंटरनेट धोखाधड़ी एवं मोबाइल फोन/सिम कार्ड क्लोनिंग प्रशिक्षण
11. आसूचना के संग्रह एवं पूछताछ संबंधी तकनीकों पर कार्यशाला
12. सीसीटीएनएस/एथिकल हैकिंग/साइबर अपराध/साइबर फॉरेंसिक पर कंप्यूटर पाठ्यक्रम

आर्मरर पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं का समूह फोटो

8.3.4 वर्ष 2013 के दौरान, ऐसे 40 पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया। इसी प्रकार, दिनांक 01.01.2014 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान ऐसे 12 पाठयक्रमों का संचालन किया गया।

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा)

नीपा में हाल ही बनकर तैयार हुआ अस्पताल (बायीं ओर) और अनुदेशक मेस (दायीं ओर)

8.3.5 नीपा बोर्ड की बैठक के संबंध में दिनांक 29.01.2008 को नीपा के दौरे के दौरान, केन्द्रीय गृह सचिव ने निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद को नीपा को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में तैयार करने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया था। तदनुसार, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों के एक दल ने सरकार के समक्ष उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 17.03.2008 से 20.03.2008 तक नीपा का अध्ययन किया।

8.3.6 नीपा को "उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में परिवर्तित करने हेतु विभिन्न अंतरालों पर गठित समितियों की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। नीपा को "उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में अभी काफी कार्य किया जाना शेष है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए, 334.00 करोड़ रु. की राशि (राजस्व शीर्ष : 134.00 करोड़ रु. और पूंजीगत शीर्ष : 150.00 करोड़ रु.) निर्धारित की गई है। 150.00 करोड़ रु. के पूंजीगत शीर्ष में से निम्नानुसार व्यय किए जाने का प्रस्ताव है:

चालू/नई परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य	139.50 करोड़ रू.
वाहनों की खरीद	3.00 करोड़ रू.
मशीनरी/उपकरण की खरीद	7.50 करोड़ रू.

8.3.7 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षुओं, फैकल्टी आदि के ठहरने के लिए निम्नानुसार भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है:–

1. 60 बिस्तरों वाला प्रशिक्षु अधिकारी मेस
2. 20 बिस्तरों वाला वरिष्ठ अधिकारी मेस
3. 120 बिस्तरों वाला महिला कैडेट मेस
4. 30 बिस्तरों वाला अधीनस्थ अधिकारी मेस
5. सेवाकालीन पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं के लिए 120 बिस्तरों वाला हॉस्टल
6. 38 आवासीय क्वार्टर
7. ड्रिल हॉल
8. 20 घोड़ों के लिए अस्तबल
9. सुरक्षाकर्मियों के लिए 100 बिस्तरों वाला बैरक

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.)

8.4 गृह मंत्रालय के अधीन छह केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ़), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) और एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल, अर्थात् असम राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल, "सीमा चौकसी बल" हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आर ए एफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,

हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों सहित राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है। यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (ए.आर.)

8.5.1 प्रेमपूर्वक "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का मित्र" के रूप में जाने जाने वाले असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में काचर लेवी के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का मुख्यालय शिलांग में है और इस बल की संपूर्ण तैनाती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। यह रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशनल नियंत्रण में और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस बल को पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने और 1,631 किमी. में फैली भारत–म्यांमार सीमा की चौकसी की दोहरी भूमिका का अधिदेश प्राप्त है। इस बल में एक महानिदेशक मुख्यालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियन, एक प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशासनिक घटक शामिल हैं तथा इसकी कुल पद संख्या 65,662 है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.5.2 दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, असम राइफल्स ने अभियानों के दौरान 1,127 हथियार, 679 मैगजीन, विभिन्न प्रकार के 28,523 राउंड गोलाबारूद, 271 ग्रेनेड, 28,642 डेटोनेटर, 629 जिलेटिन स्टिक तथा विभिन्न प्रकार के 28 बमों को बरामद करने के अतिरिक्त 25 उग्रवादियों को मार गिराया, 973 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और 378 उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करवाया। सीमा पार से अपराध को रोकने के अपने सतत प्रयासों में, असम राइफल्स ने दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान 1,501.205 कि.ग्रा. गांजा, 27.806 कि.ग्रा. अफीम, 6.195 कि.ग्रा. हेरोइन, 0.851 कि.ग्रा. ब्राउन शुगर, प्रतिबंधित नशीली दवाओं के 15,59,696 टैबलेट, 570.900 कि.ग्रा. प्रतिबंधित दवाएं, अवैध शराब की 15,59,696 बोतलें, 222.95 कि.ग्रा. पेंगोलिन शेल्स, 1.250 कि.ग्रा. हिरण के सींग, 20 जहरीली छिपकलियां, 1,65,270 म्यांमार की मुद्रा (क्यात), 8,26,505 रु. की जबरन उगाही की राशि, 8,30,420 रु. की जाली मुद्रा और 1,08,51,733 रु. की नकदी जब्त की।

असम राइफल्स का आधुनिकीकरण

8.5.3 असम राइफल्स उसे सौंपे गए कार्यों को उच्च स्तर की दक्षता एवं अत्यधिक प्रभाव के साथ पूरा करती रही है। प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नति के कारण उग्रवादियों के हथियार/उपकरण की प्रोफाइल में बदलाव और उसी के अनुसार असम राइफल्स के हथियारों एवं उपकरणों में आधुनिकता लाना अनिवार्य है और इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

प्रशिक्षण

8.5.4 इस अवधि के दौरान असम राइफल्स ने प्रगतिशील तरीके से केन्द्रित एवं गहन प्रशिक्षण का संचालन किया। समर्पित प्रशिक्षण का परिणाम विद्रोह रोधी (सीआई) अभियानों के साथ–साथ सीमा प्रहरी (बीजी) की भूमिका में उत्कृष्ट ऑपरेशनल कार्य निष्पादन के रूप में सामने आया।

8.5.5 इस बल ने असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय नामक अपने प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के अलावा, तीन अन्य काउंटर इन्सर्जेंसी बैटल स्कूल, एक असम राइफल्स हिल ड्राइविंग स्कूल और एक असम राइफल्स श्वान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की पहल की है। वांछित पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासपूर्ण तथा सक्षम सैनिक बनाने के लिए उनमें व्यक्तिगत एवं सभी रैंकों की सामूहिक पेशेवर दक्षता के गुण समाविष्ट करने पर जोर दिया जाता है।

नागरिक कार्य संबंधी परियोजनाएं

8.5.6 अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अलावा, असम राइफल्स नागरिक कार्य संबंधी अनेक परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों की

उन्नति के लिए स्वयं को गहन रूप से उसमें शामिल करते हुए राष्ट्र को अत्यंत उपयोगी सेवा प्रदान कर रहा है। इनमें सामुदायिक भवनों का निर्माण, जलापूर्ति योजनाएं, वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण विद्यालयों का उन्नयन, छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकता यात्राएं, सुदूर क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन, जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं के लिए खेल–कूद संबंधी क्रियाकलाप आदि जैसी कुछेक गतिविधियां शामिल हैं। नागरिक कार्य संबंधी परियोजनाएं पूर्वोत्तर के लोगों के 'दिल और दिमाग पर विजय प्राप्त करने' और उग्रवादियों से उन्हें दूर रखने के लिए नियमित रूप से एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं। इन परियोजनाओं को काफी विचार–विमर्श और मेहनत से तैयार करके शीघ्रतापूर्वक निष्पादित किया जाता है, ताकि स्थानीय आबादी, विशेषकर सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग इनका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

खेल प्रतियोगिताओं में उपलब्धि

8.5.7 दिनांक 03.05.2013 से 05.05.2013 तक नई दिल्ली में आयोजित 'तृतीय एशिया कप कराटे प्रतियोगिता' में शामिल 24 दलों में से इस बल की कराटे टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ.)

8.6.1 बी एस एफ का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था और इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाले राज्य बलों की बहुलता की प्रणाली समाप्त हो गई। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय इसकी 3 एन डी आर एफ इकाइयों सहित 175 बटालियन, 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र और 3 छोटे प्रशिक्षण संस्थान हैं। बल का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्व) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिम), 13 फ्रंटियर्स और 45 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग और एअर विंग हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बी एस एफ की कुल संस्वीकृत पद संख्या 2,47,219 है।

8.6.2 इसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगी अन्तरराष्ट्रीय सीमा में 6,386.36 किमी. तक फैली हुई है। इसे सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भी तैनात किया जाता है।

8.6.3 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, बी एस एफ ने 10 आतंकवादियों/माओवादियों को मार गिराया, 407 आतंकवादियों/माओवादियों को गिरफ्तार किया, 69 आतंकवादियों/ माओवादियों का आत्म समर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 407 हथियारों, विविध असलों के 1775 कारतूसों, 485 ग्रेनेडों, 115 आई ई डी और 671.983 कि. ग्रा. विस्फोटकों की जब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध की रोकथाम के अपने सतत प्रयासों से, बी एस एफ ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 2,586.7 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियां जब्त कीं, 6,867 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 368 तस्करों को मार गिराया। इस अवधि के दौरान अभियानों में बी एस एफ के 15 कर्मी शहीद हो गए और 184 कर्मी घायल हुए।

8.6.4 वर्ष 2013–14 के दौरान (दिनांक 31.03.2014 तक), बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गएः–

(क)	पद्मश्री	01
(ख)	वीरता के लिए पुलिस पदक	04
(ग)	उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	16
(घ)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	139

संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए गठित पुलिस यूनिट के रूप में तैनाती

8.6.5 वर्ष 2013–14 के दौरान, 07 अधिकारियों, 07 अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य रैंक के 121 कर्मियों को लुबुम्बाशी (कांगो) में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए गठित पुलिस यूनिट (एफ पी यू) के साथ तैनात किया गया है तथा 09 अधिकारी, 12 अधीनस्थ अधिकारी और अन्य रैंक के 119 कर्मी हैती में गठित पुलिस यूनिट (एफ पी यू) में कार्यरत हैं। इनके अलावा, 06 अधिकारी और 02 अधीनस्थ अधिकारी विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र मिशन को अपनी सेवा दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधीन

भारतीय उच्चायोग (एच सी आई), कोलंबो में सुरक्षा के लिए 01 डिप्टी कमांडेंट, 02 अधीनस्थ अधिकारी और अन्य रैंक के 37 कर्मियों वाले बी एस एफ के एक दस्ते को तैनात किया गया है।

8.6.6 बी एस एफ में विभिन्न समूहों में कुल 2,640 महिलाएं कार्य कर रही हैं। लड़ाकू बल होने के कारण, महिलाओं को समय–समय पर यथासंशोधित एवं लागू सरकारी नीतियों के अनुरूप और उनके रैंक के अनुसार शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

खेल–कूद

8.6.7 वर्ष 2013–14 के दौरान बी एस एफ ने खेल की निम्नलिखित अनेक विधाओं में उत्कृष्टता हासिल की हैः–

(क) बी एस एफ सेंट्रल बास्केटबाल टीम ने बी एस एफ और बी जी बी के बीच दिनांक 13.09.2013 से 14.09.2013 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित बास्केटबाल मैत्री प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने अंतिम मैच में विजय प्राप्त की।

(ख) बी एस एफ के चार खिलाड़ियों ने दिनांक 01.08.2013 से 10.08.2013 तक बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स–2013 में भाग लिया और उन्होंने तैराकी/कुश्ती/मुक्केबाजी/एथलेटिक्स जैसी विभिन्न विधाओं में 14 पदक जीते।

(ग) बी एस एफ के एक कैप्टन ने दिनांक 18.10.2013 से 16.10.2013 तक तेहरान (ईरान) में आयोजित छठी एशियाई एयरगन प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें 01 कांस्य (व्यक्तिगत) तथा 01 रजत (टीम) पदक हासिल किया।

(घ) बी एस एफ के एक निरीक्षक ने दिनांक 23.03.2014 से 26.3.2014 तक नोएडा (उ.प्र.) में आयोजित तृतीय पुरूष दक्षिण एशिया हैंडबॉल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक हासिल किया।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

8.7.1 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 311 इकाइयों को, जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्तरिक्ष संस्थापनाएँ, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, खानें, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयत्र, उर्वरक इकाइयाँ, हवाई अड्डे, जलविद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा विरासती स्मारक (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ भी शामिल हैं, उनको और 59 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। चार दशकों की अवधि में बल की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इसमें अब कार्मिकों की संस्वीकृत पद संख्या 1,39,421 है।

8.7.2 अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सी आई एस एफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केंद्रित संगठन नहीं रह गया है, बल्कि यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रदेशों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2012 और 2013 में, सी आई एस एफ को प्रगति पावर स्टेशन, बवाना, नई दिल्ली, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम बंगाल) और दीव एयरपोर्ट, कोडरमा थर्मल पॉवर स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि., भावनी कलपक्कम (तमिलनाडु), मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नागपुर (महाराष्ट्र), सेल, जगदीशपुर, आईजी मिन्ट कोलकाता, तीस्ता लो डैम परियोजना–।।। (पश्चिम बंगाल), नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एन ई एस ए सी) उमियम, मेघालय और डी एस टी पी एस, अंदाल (पश्चिम बंगाल) की सुरक्षा में लगाया गया है।

8.7.3 सी आई एस एफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से भी एक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के 91 उपक्रमों को अग्निशमन और अग्नि–संरक्षण कवर प्रदान करता है। वर्ष 2013–14 में, आग लगने से संबंधित कुल 4,358 घटनाओं की कॉल पर (जिनमें आग की 21 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) कार्रवाई की गई और कुल 118.83 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया।

8.7.4 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वर्ष 2000

में सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 59 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे, यथा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलूरु शामिल हैं। इनमें सबसे अंत में दिनांक 01.03.2012 को दीव हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। सी आई एस एफ, नई दिल्ली में 34 संवदेनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करती है। विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) नामक सी आई एस एफ का वी आई पी सुरक्षा विंग वी वी आई पी/वी आई पी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 44 वी वी आई पी/वी आई पी को विभिन्न श्रेणियों में सी आई एस एफ/एस एस जी द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा और अग्निशमन से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

8.7.5 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) की सेवा में लगाया गया था और 4869 कार्मिकों की सहायता से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 134 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 26 लाख है।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)

8.8.1 शुरु में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) कर दिया गया था। तब से, बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, इसकी स्वीकृत क्षमता 228 बटालियनों की है, जिनमें 198 कार्यकारी बटालियनें, 03 महिला बटालियनें, 10 आर ए एफ बटालियनें, 5 सिग्नल बटालियनें, अटल कार्रवाई के लिए 10 कमांडो (कोबरा) बटालियनें, 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, 1 पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) तथा 41 ग्रुप सेन्टर, 20 प्रशिक्षण संस्थान, 4 (100 बिस्तर वाले) कम्पोजिट अस्पताल, 17 (50 बिस्तर वाले) कम्पोजिट अस्पताल, 7 शस्त्र कार्यशालायें तथा 3 केन्द्रीय शस्त्रागार शामिल हैं। इस बल में, बल मुख्यालय/महानिदेशालय के अलावा, 3 स्पेशल डी जी ज़ोन, 1 ए डी जी ज़ोन, 20 आई जी सेक्टर और 02 आईजी ऑपरेशन सेक्टर, 07 ऑपरेशन रेंज और 36 डीआईजी रेंजों के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संघटन भी हैं। उपर्युक्त के अलावा, 03 आर टी सी, आई सी आई ए टी स्कूलों एवं 1 सी एस जेड डब्ल्यू टी की स्थापना के साथ–साथ 19 बटालियनों (1 महिला बटालियन सहित), 3 ग्रुप सेंटर/डी आई जी रेंज एवं एक आई जी सेक्टर, जो दिनांक 01.09.2009 को संस्वीकृत किए गए थे, का 2014–15 से चरणबद्ध तरीके से गठन किया जाना है। सी आर पी एफ देश का सबसे बड़ा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) बन गया है। यह बल इस समय कानून और व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी और माओवाद–रोधी कार्रवाइयों जैसी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां कर रहा है। यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी ग्रुपों की विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने के लिए राज्य–सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की महिला टुकड़ी भी है, जो तीन महिला बटालियनों और 10 आर ए एफ बटालियनों में से प्रत्येक में 96 की संख्या वाली 10 महिला टुकड़ियों में संघटित है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस बल की संख्या 2,98,597 है।

8.8.2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक लगातार चौकसी बरत रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी तथा विद्रोह–रोधी एवं नक्सल–रोधी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं भवनों की चौकसी भी करते हैं, जिनमें जम्मू में माता वैष्णो देवी धार्मिक परिसर और रघुनाथ मंदिर; अयोध्या में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद; वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद; मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि तथा शाही ईदगाह मस्जिद और दिल्ली में संसद भवन शमिल हैं। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल को वी आई पी सुरक्षा की ड्यूटी भी सौंपी जाती है और दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 35 वर्गीकृत वी आई पी व्यक्तियों को सुरक्षा दी जा रही है।

8.8.3 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान विद्रोह–रोधी मोर्चे पर सी आर पी एफ की अभियान संबंधी प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

i.	मारे गए माओवादी/आतंकवादी	103
ii.	गिरफ्तार किए गए माओवादी /आतंकवादी	2047
iii.	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/आतंकवादी	109
iv.	बरामद किए गए हथियार	1091
v.	बरामद किए गए कारतूस	19639
vi.	बरामद किए गए विस्फोटक	20158 कि.ग्रा.
vii.	बरामद किए गए हथगोले	443
viii.	बरामद किए गए बम	531
ix.	बरामद किए गए रॉकेट	03
x.	बरामद किए गए आई ई डी	546
xi.	बरामद किए गए डेटोनेटर	6261
xii.	बरामद किए गए जिलेटिन स्टिक	1565
xiii.	बरामद की गई नगदी	85.04 लाख रु.
xiv.	बरामद किए गए नारकोटिक्स (कि.ग्रा. में)	9752 कि.ग्रा.

8.8.4 बल में व्यापक पैमाने पर ई–गवर्नेंस पहल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के उद्देश्य से एक आदर्श कम्प्यूटरीकरण योजना की परिकल्पना की गयी थी। इसमें महानिदेशालय से लेकर कार्यकारी इकाइयों तक बल की "ऑनलाइन" कार्य प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। सभी कार्यालयी कार्यों के पूर्ण स्वचालन के लिए एक एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर "सेलो" (सर्विस एवं लॉयल्टी) विकसित करवाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में बल के निम्नलिखित कार्य शामिल हैं और इसमें महानिदेशालय से लेकर ग्रुप केन्द्र और उनसे आगे कार्यकारी बटालियनों तक के सभी स्तर शामिल हैं:–

(i) पर्सनेल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल

(ii) इन्वेंट्री मॉड्यूल

(iii) फाइनेन्स मॉड्यूल

(iv) ऑपरेशन्स मॉड्यूल

(v) पे मॉड्यूल

(vi) मेल/मैनेजमेंट

(vii) दस्तावेज प्रबंध प्रणाली

(viii) वर्क फ्लो एप्लीकेशन

सी.आर.पी.एफ. में त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ.)

8.8.5 वर्ष 1992 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया था और इन्हें त्वरित कार्रवाई बल की 4–4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आर ए एफ के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों या इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील 10 स्थानों पर अवस्थित हैं, ताकि वहां इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को स्वतंत्र पद्धति से संघटित किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही है।

8.8.6 सी आर पी एफ की ये आर ए एफ बटालियनें (कंपनियां) निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:–

राज्य	स्थान	यूनिट
आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	99 आर ए एफ
गुजरात	अहमदाबाद	100 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101 आर ए एफ
महाराष्ट्र	तलोजा (नवी मुंबई)	102 आर ए एफ
दिल्ली	वजीराबाद (दिल्ली)	103 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	104 आर ए एफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	105 आर ए एफ
झारखंड	जमशेदपुर	106 आर ए एफ
मध्य प्रदेश	भोपाल	107 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	मेरठ	108 आर ए एफ

8.8.7 आर ए एफ की कंपनियां विभिन्न उत्सवों और साम्प्रदायिक दंगों आदि के दौरान, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी का निर्वाह करने और शांति बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्प–आवधिक आधार पर तैनात की जाती हैं।

8.8.8 वर्ष 2013–14 के दौरान, आर ए एफ की कंपनियों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी उनकी

नियमित ड्यूटी के लिए तैनात किए जाने के अलावा, उनकी तैनाती निम्नानुसार की गई थीः–

क. आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन के संबंध में;

ख. दिल्ली में विरोध रैलियों के संबंध में;

ग. झाझा, जमुई (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में;

घ. कुडनकुलम, त्रिवेनवेली (तमिलनाडु) में परमाणु ऊर्जा परियोजना संयंत्र में;

ड. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में 84 कोसी परिक्रमा के संबंध में;

च. मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में;

छ. सबरीमाला, केरल में अयप्पा पूजा की पूर्व संध्या पर;

ज. अहमदाबाद में रथ यात्रा उत्सव के लिए;

झ. भुवनेश्वर में रथ यात्रा उत्सव के लिए।

लाइबेरिया में तैनाती

8.8.9 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, दो टुकड़ियों (एक पुरूष एवं एक महिला टुकड़ी) को लाइबेरिया में तैनात किया जा रहा है। प्रत्येक टुकड़ी का कार्यकाल एक वर्ष का है। वर्तमान में, अक्तूबर, 2013 से मार्च, 2014 तक लाइबेरिया में महिला टुकड़ियों के आठवें बैच और पुरूष टुकड़ियों के पाचवें बैच को तैनात किया गया है। लाइबेरिया में चुनाव ड्यूटी के कारण एम एफ पी यू के पांचवें बैच की तैनाती की अवधि को सितम्बर, 2014 से बढ़ाकर जनवरी/फरवरी, 2015 तक कर दिया गया है।

सी.आर.पी.एफ. में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

8.8.10 वर्ष 2008 में, सरकार ने सी आर पी एफ में कोबरा नामक एक विशेषज्ञता प्राप्त बल की 10 बटालियनें गठित करने का अनुमोदन दिया था। इन 10 बटालियनों को गठित करके उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। ये बटालियनें कमांडो अभियानों और गुरिल्ला/जंगल युद्धकला के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस हैं और आसूचना पर आधारित शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हैं। इन बटालियनों को मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित क्षेत्रों में रखा जाता है। सभी 10 कोबरा बटालियनें इस समय तैनात कर दी गई हैं। आर ए एफ की ही तरह इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया गया है। बल के लिए स्थल (स्पॉट) पर ही निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए सहायक कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी टीम के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है (प्रत्येक बटालियन में 18 टीमें हैं) और उप कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी कंपनी के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)

8.9.1 आई टी बी पी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात "एक सीमा एक बल" के सिद्धांत के अधीन 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। मूलतः आपूर्ति, संचार एवं आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत "गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू बल" की अवधारणा वाला यह बल समय के साथ परंपरागत सीमा प्रहरी बल के रूप में विकसित हो गया। आज आई टी बी पी लद्दाख में कराकोरम दर्रा (पास) से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक हिमालय के साथ–साथ भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र में 9000 फीट से लेकर 18750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 3488 कि.मी. सीमा की रक्षा कर रही है और 157 सीमा चौकियों का संचालन कर रही है। इसके अलावा, आई टी बी पी की टुकड़ियों को छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है। वर्तमान में इस बल के पास 05 फ्रंटियर मुख्यालय, 15 सेक्टर मुख्यालय, 52 सर्विस बटालियन, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियन, 02 आपदा प्रबंधन बटालियन और 17 प्रशिक्षण केन्द्र हैं और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 84003 है।

उत्तरदायित्व/नया गठन आदि

8.9.2 वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 (चरण–I) और 2013–15 (चरण–II) के दौरान विभिन्न

रैंकों और कैडरों में 31,876 पदों के सृजन के साथ बल के पुनर्गठन के लिए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए 13 सर्विस बटालियनें और 07 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2011–12 और 2012–13 को कवर करने वाले चरण–। का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। चरण–।। के विवरण निम्नानुसार हैः–

चरण	वर्ष	विवरण
चरण–।।	2013–14	5 बटालियनें एवं 1 एस एच क्यू का गठन।
	2014–15	4 बटालियनें एवं 1 एस एच क्यू का गठन।

8.9.3 वर्ष 2013–15 के लिए नए गठन की प्रगति निम्नानुसार हैः–

चरण–।।	2013–2015	शेड्यूल के अनुसार वर्ष 2013–15 के दौरान शेष 9 बटालियनें और 2 एस एच क्यू का गठन किया जाना था। तदनुसार 05 सर्विस बटालियनें और 01 एस एच क्यू का गठन वर्ष 2013–14 के दौरान किया जा चुका है और शेष 04 सर्विस बटालियनें और 01 एस एच क्यू का गठन वर्ष 2014–15 में किया जाएगा।

प्रशिक्षण क्रियाकलाप

8.9.4 बल के हाल के विस्तार के कारण, प्रशिक्षण के भार में कई गुना वृद्धि हुई है और प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए आई टी बी पी ने मौजूदा 17 नियमित प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा 06 अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

आपदा प्रबंधन

8.9.5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमालय क्षेत्र में किसी भी आपदा के मामले में पहला प्रतिक्रिया बल है और यह बल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र स्थापित करने वाला भी पहला पुलिस बल था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियों ने अपने दायित्व से जुड़े क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में उत्पन्न सभी आपदाग्रस्त स्थितियों में कई बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भानु, हरियाणा में खोजबीन, बचाव एवं आपदा से निपटने की कार्रवाई के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

बचाव एवं राहत अभियान

8.9.6 वर्ष 2013 के दौरान, आई टी बी पी की टुकड़ियों ने उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ के दौरान 01 वृहत बचाव अभियान सहित, जिसमें 1800 आई टी बी पी कर्मी शामिल थे, उत्तराखंड राज्य में 10 (मसूरी–03, उत्तरकाशी–01, जोशीमठ–01, महीनडंडा–01, पिथौरागढ़–01 और गौचर–03), हिमाचल प्रदेश मे 01 और सिक्किम में 01 को शामिल करते हुए कुल 12 राहत एवं बचाव अभियान चलाया, जिसमें 33,000 से अधिक लोगों को बचाया गया। वर्ष 2014 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 02 अभियान चलाए गए हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

8.9.7 वर्ष 2013 के दौरान, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन सिर्फ 01 जत्थे में किया गया, जिसमें 51 यात्रियों ने सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। उत्तराखंड राज्य में आई आकस्मिक बाढ़ के कारण विदेश मंत्रालय द्वारा शेष 15 जत्थों की यात्रा रद्द कर दी गई। वर्ष 2014 के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरूआत प्रत्येक जत्थे में 60 यात्रियों वाले 18 जत्थों के लिए दिनांक 08.06.2014 से की गई।

खेल–कूद

8.9.8 आई टी बी पी ने इस वर्ष अनेक खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आई टी बी पी के 04 कार्मिकों ने 04 विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोतगताओं में स्पोर्टिंग, निशानेबाजी, तीरदांजी एवं

जूडो जैसी अनेक विधाओं में 03 स्वर्ण, 03 रजत, 02 कांस्य (कुल 08) पदक जीते।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.)

8.10.1 राष्ट्र–विरोधी तत्वों द्वारा पैदा किए जाने वाले गंभीर खतरों को निष्प्रभावी बनाने की दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु फेडरल कन्टीन्जेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) का गठन वर्ष 1984 में किया गया था। इस संगठन की स्थापना के लिए संसद में अगस्त, 1986 में एक विधेयक पेश किया गया था और दिनांक 22.09.1986 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का औपचारिक रुप से गठन किया गया।

8.10.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद शत–प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों वाला बल है और इसके सभी कार्मिक सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस एवं अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडो को अत्यन्त जोखिम वाले कार्य, जैसे विमान अपहरण–रोधी एवं आतंकवाद–रोधी अभियान में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें अत्यधिक खतरे वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों को गश्ती सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा जाता है।

8.10.3 इस बल का बुनियादी कार्य विशिष्ट स्थितियों में आतंकवादी खतरों से निपटना एवं उनको निष्प्रभावी करना तथा विमान अपहरण एवं बंधक बनाए गए व्यक्तियों को छुड़ाने संबंधी अभियान चलाना है। अपनी स्थापना के बाद से एन एस जी ने कई अभियान चलाए हैं, जिनमें अक्षरधाम मंदिर, गुजरात में और नवम्बर, 2008 में मुम्बई स्थित होटल ताज, होटल ओबराय, ट्रिडेंट और नरीमन हाउस में आतंकवादी हमले के दौरान चलाए गए अभियान शामिल हैं। अपने अभियान संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, यह बल विशेष कमांडो कार्रवाई, बम निष्क्रिय (बीडी) करने संबंधी तकनीक एवं सशस्त्र बलों, सी ए पी एफ/राज्य पुलिस तथा मित्र पड़ोसी देशों के सुरक्षा बल कार्मिकों को वी आई पी सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिल्ली में एन एस जी को किसी भी राष्ट्रीय आकस्मिक घटना से निपटने के लिए नियत स्थानों पर सतर्क रखा जाता है। इन कमांडो को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तथा राज्यों/सरकार के प्रमुखों के दौरे के समय भी विशेष सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए तैनात किया जाता है।

एन एस जी के अधीन राष्ट्रीय बम आँकड़ा केंद्र (एन.बी.डी.सी.)

8.10.4 एन एस जी का मानेसर, गुड़गांव में राष्ट्रीय बम आंकड़ा केंद्र (एन बी डी सी) है और यह अधिकांशतः राज्य प्राधिकरणों के अनुरोध पर देश के विभिन्न भागों में विस्फोट के बाद की स्थिति का अध्ययन करता है। यह देश में सुरक्षा बलों के प्रयोग के लिए विस्फोटकों और विस्फोटों की घटनाओं का एक डाटा बैंक भी रखता है। यह केंद्र विश्व के अन्य बम आंकड़ा केंद्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। एन बी डी सी प्रत्येक वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करता है और विस्फोट से संबंधित विषयों पर 'बमशेल' नामक एक व्यावसायिक पत्रिका प्रकाशित करता है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(i) दिनांक 06.02.2013 से 07.02.2013 तक राष्ट्रीय बम आंकड़ा केन्द्र, मानेसर में आयोजित 13वीं अंतरराष्ट्रीय एन बी डी सी संगोष्ठी

(ii) दिनांक 18.02.2013 से 19.02.2013 तक राष्ट्रीय बम आंकड़ा केन्द्र, मानेसर में आयोजित 14वीं अंतरराष्ट्रीय एन बी डी सी संगोष्ठी

एन एस जी क्षेत्रीय हब/क्षेत्रीय केन्द्र

8.10.5 संकट की परिस्थितियों में एन एस जी की त्वरित तैनाती के उद्देश्य से चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और हैदराबाद में एन एस जी के चार क्षेत्रीय हबों की स्थापना की गई और इन्हें दिनांक 30.06.2009/01.07.2009 को क्रियाशील बनाया गया। इनके स्थायी भवनों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा

किया जा चुका है। सरकार ने दो एन एस जी क्षेत्रीय केन्द्रों, हैदराबाद तथा कोलकाता, प्रत्येक में एक–एक, की स्थापना की भी मंजूरी दे दी है। अब तत्काल प्रभाव से चार क्षेत्रीय हबों में से प्रत्येक की स्वीकृत पद संख्या को बढ़ाकर 241 से 460 कार्मिकों तक करने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय केन्द्रों को क्रियाशील बनाने पर यथा समय विचार किया जाएगा। रीइनफोर्स्ड क्षेत्रीय हब के लिए हैदराबाद के निकट रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में 600 एकड़ भूमि पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी है। कोलकाता में रीइनफोर्स्ड क्षेत्रीय हब के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 34.315 एकड़ भूमि प्रदान की है।

सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)

8.11.1 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात् विशेष सेवा ब्यूरो (एस एस बी) का गठन 1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.11.2 वर्तमान में इस बल की तैनाती की कुल पद संख्या 85,755 की कुल स्वीकृत पद संख्या में से 74,686 है, जिसमें 2,268 नॉन–कॉम्बेटाइज्ड स्टाफ शामिल हैं। कॉम्बेटाइज़्ड कार्मिक विभिन्न स्थानों पर तैनात 57 बटालियनों में कार्य कर रहे हैं। अन्य फॉर्मेशन्स के अलावा, सिविल स्टाफ अवधारणा प्रबंधन के 25 क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिसके प्रमुख, सब–एरिया ऑर्गेनाइजर्स, सर्कल ऑर्गेनाइजर्स और सहायक स्टाफ की टीम के साथ एरिया ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। एस एस बी की तैनाती 1,751 किमी. लंबी भारत–नेपाल सीमा और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। इस बल के 05 फ्रंटियर्स और 13 सेक्टर मुख्यालय हैं। नेपाल और भूटान, दोनों सीमाओं पर जिम्मेवारी का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी. की दूरी तक है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.11.3 दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, सशस्त्र सीमा बल द्वारा निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई:

(i)	वर्जित वस्तुएं	21.91 करोड़ रु.
(ii)	नार्कोटिक्स	44.07 करोड़ रु.
(iii)	जाली भारतीय करेंसी	14.06 लाख रु.
(iv)	भारतीय करेंसी	35.98 लाख रु.
(v)	नेपाली मुद्रा	07.82 लाख रु.
(vi)	जाली नेपाली मुद्रा	02.32 लाख रू.
(vii)	विदेशी मुद्रा	11.28 लाख रु.
(viii)	सोना	02.44 करोड़ रू.
(ix)	चांदी	04.70 लाख रू.
(x)	वन उत्पाद	04.25 करोड़ रू.
(xi)	प्राचीन मूर्तियां	71.54 करोड़ रू
(xii)	भूटानी मुद्रा	0.46 लाख रु.

8.11.4 वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) के दौरान निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद/विस्फोटक सामग्री जब्त की गई:

(i)	हथियार	142
(ii)	कारतूस	679
(iii)	डेटोनेटर	55
(iv)	मैगजीन	19
(v)	ग्रेनेड	33
(vi)	बम	35
(vii)	विस्फोटक (किग्रा. में)	8.46 किग्रा.
(viii)	जिलेटिन स्टिक	01
(ix)	कॉर्डेक्स (फीट में)	23 फीट
(x)	आई ई डी (किग्रा. में)	7.5 किग्रा.

8.11.5 दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान की गई कुल गिरफ्तारियां निम्नानुसार थीं:

(i)	तस्कर	1175
(ii)	अवैध घुसपैठिये	4
(iii)	माओवादी (सी पी आई)	1
(iv)	अन्य	172
(v)	एन डी एफ बी के निलंबित लिंकमैन	53
(vi)	नक्सली	28

8.11.6 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान रक्सौल (बिहार), सीतामढ़ी (बिहार), किशनगंज (बिहार), बाशा (बिहार), महाराजगंज (उ.प्र.), सोनौली (उ.प्र.), पानीटंकी (रानीडंगा) (पं. बंगाल), अलीपुरद्वार (पं. बंगाल), फलकातू (पं. बंगाल), मंगलडोई (असम) और जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से 31 मानव तस्कर भी गिरफ्तार किए गए और 130 पीड़ितों को उनके चंगुल से छुड़ाया गया।

खेल–कूद

8.11.7 इस अवधि (अर्थात 01.04.2013 से 31.03.2014) के दौरान, दिनांक 01.08.2013 से 10.08.2013 तक बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सशस्त्र सीमा बल की 04 महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं अर्थात् एथलेटिक्स, मुक्केबाजी एवं जूडो में कुल छह पदक जीते।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.12.1 भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) और असम राइफल्स (ए.आर.) में कांस्टेबलों की भर्ती योजनाओं को वर्ष 2011–12 की रिक्ति वर्ष से संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सी ए पी एफ और ए आर में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार हैः–

क) सभी सी ए पी एफ और ए आर के लिए भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। परीक्षार्थियों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एस एम एस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

ख) आवेदन–प्रपत्रों को ओ एम आर (ऑप्टिकल मैगनेटिक रेकगनिशन) शीट में केन्द्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि कम्प्यूटरों के माध्यम से तीव्रता से इनकी संवीक्षा की जा सके। लिखित परीक्षा में ओ एम आर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु–विकल्प वाले प्रश्न ही होते हैं।

ग) हिंदीतर भाषी राज्यों में तीन भाषाओं में एवं हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में) प्रश्न–पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

घ) शारीरिक क्षमता जांच (पी ई टी) अब मात्र अर्हक प्रकृति की होती है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता । साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

ड.) भर्ती प्रक्रिया की तरजीही तौर पर वीडियोग्राफी की जा रही है।

च) भर्ती के सभी चरणों में बायोमीट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

8.12.2 सीमावर्ती और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता हैः–

क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख) सीमा चौकसी बलों (बी जी एफ) (अर्थात् असम राइफल्स, बी एस एफ, आई टी बी पी और एस एस बी) में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

ग) सीमा चौकसी बलों (बी जी एफ) में 20% रिक्तियां, उग्रवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं और सरकार उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को समय–समय पर अधिसूचित करती है।

घ) बी.जी.एफ से भिन्न अन्य बलों में 40% रिक्तियां, समय–समय पर यथा अधिसूचित उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

ड.) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी रिक्त पदों की संख्या का बड़ा हिस्सा खाली रह जाता है, गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार वहाँ रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियाँ चलाने का निदेश देता है। ऐसी विशेष भर्ती रैलियों के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को सामूहिक रूप से बल में उस वर्ष–विशेष में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जाता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विमान सहायता

8.13 गृह मंत्रालय का एयरविंग 01 मई, 1969 को हताहतों को निकालने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ) को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों को पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान करने, कार्रवाई के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सी ए पी एफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग शामिल हैं, अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और अभी इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, बेड़े में 01 इम्ब्रेयर, 135 बीजे एक्ज़ीक्यूटिव जेट, 02 ए वी आर ओ एच एस– 748, 01 सुपर किंग बी–200 एयरक्राफ्ट, 06 एम आई–17 IV, 06 ए एल एच/ध्रुव एवं 01 चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

8.14.1 आतंकवाद एवं उग्रवाद की बढ़ी हुई गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 3,740.71 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ, 6 केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए उनके हथियार, मशीनरी, परिवहन, संचार, निगरानी, रात्रि अवलोकन और प्रशिक्षण उपकरण हेतु एक पंचवर्षीय संदर्शी योजना (2002–07) को अनुमोदित किया गया था।

8.14.2 आधुनिकीकरण योजना–I को शुरू करने के बाद से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है और देश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य भी बदल गया है। अतः, चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को और अधिक उन्नत बनाने के लिए "आधुनिकीकरण योजना–II" को शुरू करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार पांच वर्षों की अवधि, अर्थात् वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि के लिए एक आधुनिकीकरण योजना को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 01.05.2013 को मंजूरी प्रदान की गई है। आधुनिकीकरण योजना–II (के.स.पु.बल–वार) के वित्तीय निहितार्थों का सार निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

बल का नाम	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रू. में)
ए आर	1545.47
बी एस एफ	4570.07
सी आई एस एफ	264.36
सी आर पी एफ	2619.16
आई टी बी पी	686.87
एन एस जी	664.62
एस एस बी	658.64
कुल	**11009.19**

8.14.3 ऐसा प्रयास किया गया है कि "जवान" आधुनिकीकरण के केंद्रबिंदु के रुप में रहें। सामान्य विषय, जो कि दोहराए जा रहे हैं, निम्नलिखित हैं:

क. सुरक्षात्मक उपकरण समाधान

ख. सर्विलांस सॉल्यूशंस

ग. नाइट फाइटिंग डोमिनेंस

घ. बेहतर फायर पावर

ड. गैर–घातक दंगा नियंत्रण उपकरण

च. फुलप्रूफ संचार

छ. रणभूमि प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सहायता; विविध उपकरण

आधुनिकीकरण योजना-II की मुख्य विशेषताएं

8.14.4 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में प्रस्तावित कुछ नई मदें निम्नलिखित हैं:–

क) यू बी जी एल/एम पी एल, एंटी मटीरियल राइफल, अल्प घातक हथियार, गन शॉट खोज प्रणाली जैसे हथियारों की खरीद एवं मौजूदा कार्बाइनों और पिस्तौलों आदि का बदला जाना।

ख) भू–भेदी रडार प्रणाली, मानव–रहित हवाई वाहन, लक्ष्य प्राप्त करने वाला बाइनॉकुलर, कॉर्नर शॉट्स, एच एच टी आई/थर्मल साइट्स/एन वी डी, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स, उन्नत चिकित्सा उपकरण आदि जैसे उपकरण।

ग) बारूदी सुरंग–प्रतिरोधी वाहन, बुलेट प्रतिरोधी वाहन/नौका आदि जैसे वाहन।

घ) जैमर्स एवं इंटरसेप्टर्स सहित संचार उपकरण।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय

8.14.5 आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा निष्पादित की जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च जोखिम वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए विगत वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों में देखा जा सकता है:

वर्ष 2003–04 से 2013–14 (31.03.14 तक) की अवधि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रू. में)

वर्ष	ए आर	बी एस एफ	सी आई एस एफ	सी आर पी एफ	आई टी बी पी	एन एस जी	एस एस बी	कुल
2003–2004	929.15	2970.24	982.19	2087.78	468.32	113.81	315.92	7867.41
2004–2005	1005.64	2635.76	1061.24	2516.96	552.72	128.00	381.84	8282.16
2005–2006	1314.17	3560.45	1134.07	3228.03	576.25	140.28	381.97	10335.22
2006–2007	1478.29	3398.85	1225.59	3642.40	707.99	151.19	779.92	11384.23
2007–2008	1541.81	3879.00	1376.23	3911.69	1000.73	163.90	943.70	12817.06
2008–2009	2016.27	5398.50	2169.28	5557.82	1433.24	210.52	1241.63	18027.26
2009–2010	1599.02	4472.66	1978.88	5262.33	1134.05	231.70	801.31	15479.95
2010–2011	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011–2012	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012–2013	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013–2014	3640.58	10795.07	4502.02	11823.20	3285.04	518.88	2934.51	37499.31
बजट अनुमान 2014–15	4055.84	12253.56	4817.69	13033.28	3421.98	739.14	3723.43	42044.92

अवसंरचना विकास

8.14.6 वर्ष 2013–14 में, सरकार द्वारा 12वीं योजना के अंतर्गत 12,511.38 करोड़ रू. की कुल लागत से सी ए पी एफ (ए आर, बी एस एफ, सी आई एस एफ, सी आर पी एफ, सी ए पी एफ आई एम एस, एस एस बी, आदि) की बटालियनों की अवसंरचना तथा उनके आवासीय एवं कार्यालय संबंधी आवास के विकास हेतु प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

प्रशिक्षण अवसंरचना

8.14.7 सी ए पी एफ के लिए क्षमता निर्माण निरंतर प्रमुख एजेंडा में से एक बना हुआ है। इस वर्ष, 1,277.56 करोड़ रू. के गैर–आवर्ती व्यय एवं 81.33 करोड़ रू. के आवर्ती व्यय सहित 1,425.60 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से सी आर पी एफ के मौजूदा 5 भर्ती प्रशिक्षण केन्द्रों (आर टी सी) में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि तथा 3 नए आर टी सी, 1 कोबरा जंगल युद्ध कला एवं युक्ति स्कूल (सी एस जे डब्ल्यू टी) और 1 उग्रवाद–प्रतिरोधी एवं आतंकवाद–रोधी (सी आई ए टी) स्कूल के निर्माण की मंजूरी दी गई है। ये सभी संस्थान एक साथ प्रति वर्ष 17,800 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। 3 नए आर टी सी और 1 नए सी आई ए टी स्कूल के लिए, 1,142 पदों को मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आवास परियोजना

8.15 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) में आवास की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय ने सी ए पी एफ के कार्मिकों के लिए पूरे देश में 34,737 मकानों तथा 367 बैरकों के निर्माण की मंजूरी लेने का निर्णय लिया है। 12वीं योजना में ए आर, बी एस एफ एवं एस एस बी के संबंध में 8144.64 करोड़ रू. की कुल लागत से (अन्य गैर–आवासीय भवनों आदि की लागत शामिल है) 21,655 मकानों एवं 254 बैरकों के निर्माण के प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और 12वीं योजना में 3,187.51 करोड़ रू. की लागत से सी आई एस एफ, सी आर पी एफ और आई टी बी पी के लिए शेष 13,072 मकानों एवं 113 बैरकों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन मकानों का निर्माण 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाएगा।

भत्ते

8.16.1 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक कतिपय नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन अनेक भत्ते, जैसे कि, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, डिटैचमेंट भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, राशन मनी भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता एवं धुलाई भत्ता, परिवार आवास भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

8.16.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों, यथा मकान किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

8.16.3 तैनाती के स्थान, पात्रता के मानदंडों और ऐसे भत्तों से संबंधित नियमों एवं शर्तों के आधार पर दरों तथा भत्तों की पात्रता भिन्न–भिन्न हो सकती है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी)

8.16.4 सी ए पी एफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी– कभी किसी आतंकवाद– रोधी/माओवादी संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सी ए पी एफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त अपनी ही अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई है। इन सबके अलावा, सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राशि और उनके निकटतम संबंधी (एन ओ के) के लिए अनुग्रह राहत और पारिवारिक पेंशन मंजूर करती है।

8.16.5 सी ए पी एफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के

लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी) भी स्थापित किया गया था। डब्ल्यू ए आर बी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में सी ए पी एफ कार्मिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण देश में 6 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सी डब्ल्यू ओ), 29 राज्य कल्याण अधिकारी (एस डब्ल्यू ओ) और 137 जिला कल्याण अधिकारी (डी डब्ल्यू ओ) कार्यरत हैं। इसका विवरण डब्ल्यू एआरबी की वेबसाइट http://www.warb-mha.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी.पी.एफ.सी.एस.)

8.16.6 सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी पी एफ सी एस) प्रारंभ किया गया था। केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन की सुविधा राज्य पुलिस के लिए भी लागू कर दी गई है। वर्ष 2013 के दौरान, सी ए पी एफ और राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में 100 से ज्यादा सहायक कैंटीनें स्थापित की गई हैं। इस समय 118 मास्टर कैंटीनें और 1,204 सहायक कैंटीनें चल रही हैं। ये कैंटीनें, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सी ए पी एफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सी पी एफ सी को वैट से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है। इस समय 17 राज्यों अर्थात् मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मणिपुर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, केरल, चंडीगढ़, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात ने सी पी एफ सी को वैट से छूट प्रदान की है।

8.16.7 इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बगैर लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी के सामानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए 368 से अधिक प्रसिद्ध उत्पादक/फर्में, केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सी पी सी) के साथ सूचीबद्ध/पंजीकृत हैं। सी पी एफ सी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रुझान जारी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 (31.12.2013 तक) में इसका टर्नओवर, वर्ष 2012–13 के पूर्ण वर्ष में 580.61 करोड़ रुपए की तुलना में 629.02 करोड़ रूपए रहा है। केन्द्रीय पुलिस कैंटीन प्रणाली में स्मार्ट कार्ड लागू करने हेतु 2 मास्टर कैंटीनों और उनसे जुड़ी सहायक कैंटीनों में पायलट परियोजना के रुप में इसे क्रियान्वित करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

8.16.8 सी ए पी एफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन और विशेष ड्यूटी, वर्षों अपने परिवार से दूर रह कर करते हैं और इस दौरान वे अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते । उनके बच्चे पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए सी ए पी एफ के सेवारत और पूर्व कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं को उच्चतर तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष के पुनः नवीकृत मामलों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल 910 छात्रवृत्तियां प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सी ए पी एफ कार्मिकों के 1754 वार्ड्स/एन ओ के (910–नए और 844–पुनः नवीकृत मामले), अर्थात् 600 लड़कियों (366–नए और 234–पुनः नवीकृत मामले) और 1019 लड़कों (550–नए और 469–पुनः नवीकृत मामले) को शैक्षणिक वर्ष 2013–14 के लिए छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से 4,37,18,466 रु. की राशि प्राप्त हुई है।

8.16.9 एक अन्य योजना में, सी ए पी एफ कार्मिकों के बच्चों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए आबंटित सीटों में से राज्यों के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए नामित किया जाता है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

8.16.10 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) के कार्मिक आम तौर पर अपनी ड्यूटी असुविधाजनक वातावरण में और कठिन परिस्थितियों के अधीन निष्पादित करते हैं। सीमाओं की रक्षा करते समय उन्हें ऊँचाई वाले स्थानों पर भी तैनात किया जाता है और माओवादियों एवं आतंकवादियों का मुकाबला करते समय उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सी ए पी एफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सी ए पी एफ कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने के लिए, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होता है, निम्नलिखित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं:–

i. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वह अपेक्षित उपकरणों से लैस है।

ii. उपलब्ध चिकित्सा कर्मियों और सामग्रियों के बेहतर उपयोग के लिए वर्ष 2004 में पचास बिस्तर वाले 32 कम्पोजिट अस्पतालों तथा सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों की स्थापना करके सेवाओं एवं अस्पतालों का समावेशन किया गया है।

iii. इन कम्पोजिट अस्पतालों के माध्यम से जरुरतमंद कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

iv. किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सी ए पी एफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सी ए पी एफ के कम्पोज़िट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

v. चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों को नियमित आधार पर भरा जाता है। रिक्त पदों पर कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्तियों को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है।

vi. ग्रेटर नोएडा में 200 बिस्तर वाले रेफरल अस्पताल के निर्माण के लिए 120.57 करोड रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी और एन बी सी सी द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

vii. जम्मू एवं कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बटालियनों के 10/20 बिस्तर वाले अस्पतालों में कार्मिकों की पद संख्या में संशोधन कर उसे क्रमशः 17 और 19 कर दिया गया है।

viii. 02 रिहैबिलिटेशन केंद्रों (सी आर पी एफ और बी एस एफ, प्रत्येक में 01) की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है।

ix. उपर्युक्त के अलावा, 06 डायलिसिस केन्द्रों (सी ए पी एफ के 100 बिस्तर वाले सभी कम्पोजिट अस्पतालों में) की स्थापना की मंजूरी भी दे दी गई है।

x. सरकार ने एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सी ए पी एफ आई एम एस) की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें 500 बिस्तर वाला एक जनरल अस्पताल, 300 बिस्तर वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिक्स का एक स्कूल शामिल है। इस संस्थान की स्थापना मैदानगढ़ी, दिल्ली में की जा रही है और वहां 51.40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस परियोजना के 2017–18 तक पूरा हो जाने की संभावना है और इसका क्रियान्वयन के.लो.नि.वि. के माध्यम से किया जा रहा है और सी ए पी एफ आई एम एस को दिनांक 17.02.2014 को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रुप में पंजीकृत किया गया है। इस सोसायटी के कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्रालय के अधीन एक शासी परिषद गठित की गई है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 26.02.2014 को सी ए पी एफ आई एम एस की आधारशिला रखी जा चुकी है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिलाएं

8.16.11 महिला अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, नई स्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करने, अधिकाधिक महिलाओं को अभियान संबंधी ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः–

क) अगले तीन वर्षों के भीतर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की प्रतिशतता को बढ़ा कर 5 प्रतिशत करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

ख) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित कर ली हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठनों से अध्यक्ष की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ग) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ–साथ, यौन उत्पीड़न के संबंध में अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग, आवधिक रिपोर्टों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

घ) महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सरकारी सेवाओं में इसके निहितार्थ के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

8.16.12 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उपलब्ध कराया जाता है। इन बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इन बलों ने विभिन्न राज्यों में विधान सभा और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित कराने में भी सहायता की है। देश में आम चुनाव–2014 का आयोजन दिनांक 07.04.2014 से 12.05.2014 तक 9 चरणों में किया गया। देश में चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिश पर भारी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों के राज्य सशस्त्र पुलिस बलों/आई आर बटालियनों/बॉर्डर विंग होमगार्डों को इकट्ठा कर उन्हें तैनात किया गया। समय से उनकी आवाजाही और समावेशन/गैर–समावेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आम चुनाव–2014 के दौरान उनकी तैनाती हेतु उनकी आवाजाही के दौरान बल के कार्मिकों को आई आर सी टी सी/रेलवे बोर्ड के माध्यम से पैकेज वाला भोजन प्रदान करने के प्रबंध किए गए थे।

8.16.13 वर्ष 2013–14 के दौरान, सी ए पी एफ के कार्मिकों ने उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने में जम्मू एवं कश्मीर राज्य, उत्तर–पूर्व के राज्यों और वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित राज्यों को सहायता देना जारी रखा। जन आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के दौरान और इसके साथ ही राज्य में श्री अमरनाथ जी की यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सी ए पी एफ के अतिरिक्त कार्मिक भी प्रदान किए गए थे। वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों में चुनावों के दौरान भी सी ए पी एफ के कार्मिकों की तैनाती की गई। अनेक राज्यों,

विशेषकर असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मेघालय में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी पर भी सी ए पी एफ/आर ए एफ के कार्मिकों को तैनात किया गया। तेलंगाना विरोध के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही थी और राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं व्यवस्था की ड्यूटी के लिए जब कभी भी जरुरत समझी गई, राज्य सरकार को सी ए पी एफ मुहैया करवाए गए।

8.16.14 वर्ष के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में विधान सभा चुनावों के लिए बड़ी संख्या में सी ए पी एफ/राज्य सशस्त्र पुलिस/विभिन्न राज्यों की आई आर बटालियनों को मोबिलाइज़ करके तैनात किया गया।

8.16.15 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर जुलाई, 2013 के दौरान पश्चिम बंगाल में 5 चरणों में करवाए गए पंचायत चुनाव के लिए भी सी ए पी एफ के कार्मिकों को संघटित करके वहां तैनात किया गया।

प्रशिक्षण

8.17.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) का प्रशिक्षण प्रभाग देश में राज्यों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित का संचालन करता है:

(i) भावी प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की समीक्षा एवं पहचान करना;

(ii) प्रशिक्षण की रणनीतियां एवं प्रणाली तैयार करके उनकी सिफारिश करना;

(iii) प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक तैयार करना;

(iv) प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की जांच करना;

(v) प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का परामर्श देना एवं उसकी सिफारिश करना।

घरेलू प्रशिक्षण

8.17.2 प्रशिक्षण प्रभाग के प्रमुख क्रियाकलापः कैलेण्डर वर्ष 2013–14 के दौरान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) के प्रशिक्षण निदेशालय ने केन्द्रीय/राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रसिद्ध संस्थानों में 17 वर्टिकल संवाद पाठ्यक्रमों (वी आई सी) को प्रायोजित किया, जिनमें 146 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1	राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां एवं पुलिस की प्रतिक्रिया	7.3.2013 से 13.3.2013
2	यातायात प्रबंधन	8.4.2013 से 12.4.2013
3	वी आई पी सुरक्षा–एक चुनावी परिप्रेक्ष्य	29.7.2013 से 3.8.2013
4	यातायात प्रबंधन	5.9.2013 से 9.8.2013
5	वी आई पी सुरक्षा–एक चुनावी परिप्रेक्ष्य	29.7.2013 से 3.8.2013
6	साइबर एवं मोबाइल फॉरेंसिक	16.9.2013 से 20.9.2013
7.	जनहितैषी पुलिस स्टेशन	23.9.2013 से 27.9.2013
8.	पुलिस में प्रबंधन एवं नवीकरण	7.10.2013 से 11.10.2013
9.	विधि एवं न्याय	22.10.2013 से 26.10.2013
10.	महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता	21.11.2013 से 25.11.2013
11.	विमानन एवं पत्तन सुरक्षा	9.12.2013 से 14.12.2013
12.	राष्ट्रीय सुरक्षा	17.12.2013 से 21.12.2013
13.	फॉरेंसिक विज्ञान में प्रगति	6.1.2014 से 10.1.2014

14.	पब्लिक ऑर्डर प्रोफाइल	27.1.2014 से 31.1.2014
15.	दांडिक न्याय प्रणाली : समन्वय की आवश्यकता	29.1.2014 से 02.2014

16.	पुलिस में नैतिकता एवं जबावदेही	3.2.2014 से 7.2.2014
17.	संगठित अपराध	24.2.2014 से 1.3.2014

8.17.2.1 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, बी पी आर एंड डी के प्रशिक्षण प्रभाग ने 35 प्रबंधन पाठ्यक्रमों को प्रयोजित किया, जिनका संचालन अहमदाबाद, बेंगलूरु, कोलकाता के भारतीय प्रबंध संस्थानों एवं देश के अन्य प्रमुख संस्थानों में किया गया और इन पाठ्यक्रमों में कुल 109 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन 35 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	स्थान
1.	नेतृत्व उत्कृष्टता	7–9 जनवरी, 2013	आई आई एम, कोलकाता
2.	नेतृत्व संवाद	7–9 जनवरी, 2013	आई आई एम, इंदौर
3.	आई टी जागरूकताः प्रबंधक एवं कार्यपालक	25–28 फरवरी, 2013	ई एस सी आई, हैदराबाद
4.	अंतरव्यक्ति प्रभावकारिता एवं टीम का निर्माण	7–10 जनवरी, 2013	आई आई एम, अहमदाबाद
5.	कंप्यूटर फॉरेंसिक उपकरण एवं तकनीक	27–29 जून ,2013	ई एस सी आइ, हैदराबाद
6.	पेशेवर महिलाओं के बीच नेतृत्व क्षमताओं एवं संभावनाओं में वृद्धि	9–12 जुलाई, 2013	आई आई एम, अहमदाबाद
7.	प्रबंधकीय उत्कृष्टता के लिए मानसिक (माइंड) प्रबंधन	16–18 जुलाई, 2013	ई एस सी आई, हैदराबाद
8.	टीम का निर्माण एवं नेतृत्व	15–17 जुलाई, 2013	आई आई एम, इंदौर
9.	नेतृत्व एवं बदलाव प्रबंधन	29 जुलाई से 2 अगस्त 2013	आई आई एम, अहमदाबाद
10.	प्रबंधकीय प्रभावकारिता हेतु निर्णय लेना	5–8 अगस्त, 2013	आई आई एम, बंगलौर
11.	संवाद कौशल	12–14 अगस्त, 2013	ए एस सी आई, हैदराबाद
12.	प्रबंधकीय नेतृत्व एवं संघर्ष समाधान	26–31 अगस्त , 2013	आई आई एम, कोलकाता
13.	नेतृत्व दक्षता विकसित करना	29–31 अगस्त, 2013	एम डी आई, गुड़गांव
14.	नैतिकता आधारित नेतृत्व	16–18 सितम्बर,2013	ए एस सी आई, हैदराबाद
15.	विनिंग एजः नायकों के लिए संवाद रणनीतियां	16–21 सितम्बर, 2013	आई आई एम, अहमदाबाद
16.	गैर वित्तीय कार्यपालकों के लिए वित्तीय कौशल	23–27 सितम्बर,2013	आई आई एम, कोलकाता
17.	अंतरव्यक्ति प्रभावकारिता एवं टीम का निर्माण	21–23 अक्तूबर, 2013	आई आई एम, इंदौर
18.	संघर्ष प्रबंधन एवं संवाद कौशल	28–30 अक्तूबर, 2013	एम डी आई, गुड़गांव
19.	21वीं सदी के लिए संगठनात्मक नेतृत्व	18–21 नवम्बर ,2013	आई आई एम, अहमदाबाद
20.	कार्य संस्कृति में सुधार करना	25–27 नवम्बर, 2013	ए एस सी आई, हैदराबाद
21.	नेतृत्व एवं टीम का निर्माण	25–29 नवम्बर, 2013	आई आई एम, कोलकाता

22.	मुख्य भूमिकाओं के लिए दक्षता निर्माण	18–22 नवम्बर, 2013.	एम डी आई, गुड़गांव
23.	उन्नत मानव संसाधन प्रबंधन	2–7 दिसम्बर ,2013	आई आई एम, अहमदाबाद
24.	अधिक कार्य निष्पादन एवं कार्य संतुलन हेतु तनाव प्रबंधन	9–11 दिसम्बर, 2013	एम डी आई, गुड़गांव
25.	नेतृत्व उत्कृष्टता	16–18 दिसम्बर, 2013	आई आई एम, कोलकाता
26.	गैर वित्तीय कार्यपालकों के लिए वित्तीय कौशल	16–20 दिसम्बर, 2013	एम डी आई, गुड़गांव
27.	संवाद कौशल	6–8 जनवरी, 2014	आई आई एम, इंदौर
28.	अंतरव्यक्ति प्रभावकारिता एवं टीम का निर्माण	6–09 जनवरी, 2014	आई आई एम, अहमदाबाद
29.	ई–गवर्नेंस एवं राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एन ई जी पी)	22–24 जनवरी, 2014	ई एस सी आई, हैदराबाद
30.	सड़क सुरक्षा प्रबंधन	28–30 जनवरी,2014	ई एस सी आई, हैदराबाद
31.	उच्च कार्य निष्पादन वाली टीम का प्रबंधन	06–08 फरवरी, 2014	एम डी आई, गुड़गांव
32.	डिजि़टल एवं सोशल मीडिया रणनीतिः संगठनात्मक कार्य निष्पादन को आगे बढाना	24–26 फरवरी, 2014	आई आई एम, बंगलौर
33.	टीम का निर्माण एवं संघर्ष प्रबंधन	17–21 फरवरी, 2014	ए एस सी आई, हैदराबाद
34.	संगठनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार हेतु एच आर डी इंटरवेंशन्स	10–12 मार्च 2014	एम डी आई, गुड़गांव

8.17.2.2 बी पी आर एंड डी द्वारा 6 दीर्घ–कालिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए। ये इस प्रकार हैं : (क) एन डी सी, नई दिल्ली में 7.1.2013 से 53वां एन डी सी पाठ्यक्रम; (ख) आई आई एम, बेंगलूरू में 27.5.2013 से लोक नीति एवं प्रबंधन में 12वां स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम; (ग) आई आई पी ए, नई दिल्ली में 1.7.2013 से लोक प्रशासन में 39वां उन्नत पेशेवर कार्यक्रम; (घ) एम डी आई, गुडगांव में 8वां स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम एवं प्रबंधन 2013–14; (ङ) वेलिंगटन में 69वां डी एस एस सी पाठ्यक्रम; (च) एन डी सी, नई दिल्ली में लोक नीति एवं प्रबंधन में 54वां स्नातकोत्तर कार्यक्रम।

8.17.2.3 विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कमांडो कोर्स, हथियार एवं युक्ति, बम निष्क्रिय करना, शस्त्र रहित लड़ाई, आंतरिक सुरक्षा, भीड़ को तितर–बितर करना, वी आई पी सुरक्षा, विद्रोह–रोधी एवं जंगल युद्धकला (सी आई जे डब्ल्यू) आदि जैसे विषयों पर आयोजित 35 विविध पाठ्यक्रमों के लिए 1112 स्लाट्स आबंटित किए गए।

8.17.2.4 सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विद्रोह–रोधी, इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण एवं जंगल युद्ध कला, रात्रि दृश्य उपकरण, थर्मल साइट्स आदि जैसे विषयों पर आयोजित 57 पाठ्यक्रमों हेतु उनके लिए 1,673 स्लाट्स आबंटित किए गए।

8.17.2.5 महिला पुलिस अधिकारियों (स.उ.नि. से उप पुलिस अधीक्षक तक) के लिए अनन्य रूप से "आत्म विकास एवं संघर्ष प्रबंधन'' के विषय पर 5 केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों में, अर्थातः– i) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़ (25.3.2013 से 27.3.2013); ii) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़ (17.07.2013 से 19.07.2013); iii) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, जयपुर (29.07.2013 से 31.07.2013); iv) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता (06.08.2013 से 08.08.2013); v) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, गाजियाबाद (26.09.2013 से 28.09.2013) और vi) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद (12.02.2014 से 14.02.2014)

में छह पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनमें 154 महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.17.2.6 बी पी आर एंड डी ने विभिन्न राज्य पुलिस अकादमियों में विविध विषयों, जैसे किः (क) ''महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध''; (ख) ''तनाव प्रबंधन''; (ग) ''पुलिस पब्लिक इंटरफेस में सुधार करना''; और (घ) ''वी आई पी–सुरक्षा–एक चुनावी परिप्रेक्ष्य'', सड़क दुर्घटना पीड़ित, अल्पसंख्यकों के मुद्दों आदि पर 157 कार्यशालाओं का संचालन किया।

विदेशी प्रशिक्षण

8.17.2.7 डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, यू एस ए के सहयोग से नीचे उल्लिखित विभिन्न विषयों पर 16 ए टी ए पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 273 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गयाः–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	से	तक	स्थान	सहभागियों की सं.
1	ए टी ए – 9673, संकटपूर्ण घटना प्रबंधन पाठ्यक्रम	07.01.2013	15.01.2013	सी एस डब्ल्यू टी, सी.सु.ब. इंदौर	21
2	ए टी ए – 9449, महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा पाठ्यक्रम	21.01.2013	01.02.2013	टीएनपीए, चेन्नई	16
3	ए टी ए – 9672, वृहद मामला प्रबंधन	11.02.2013	19.02.2013	के.रि.पु.ब., कादरपुर, गुड़गांव	14
4	ए टी ए – 9506, सेलुलर संवाद फॉरेंसिक परामर्श पर पाठ्यक्रम	11.03.2013	22.03.2013	सी डी टी एस, जयपुर	12
5.	ए टी ए – 9508, डिजिटल फॉरेंसिक और जांच, एक परिचय	01.04.2013	12.04.2013	सी डी टी एस, जयपुर	09
6.	ए टी ए – 9504, विस्फोट की घटना के प्रतिरोधी कदम संबंधी पाठ्यक्रम	29.04.2013	14.06.2013	मोयोक, यू एस ए	13
7.	ए टी ए – 9670, विस्फोट उपरांत जांच	20.05.2013	07.06.2013	मोयोक, यू एस ए	24
8.	ए टी ए – 9671, विस्फोट की घटना के उपरांत प्रतिरोधी कदम संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	08.07.2013	23.08.2013	मोयोक, यू एस ए	15
9.	ए टी ए – 9675, युक्तियुक्त कमांडर पाठ्यक्रम	02.09.2013	20.09.2013	आर पी ए, जयपुर	18
10.	ए टी ए – 9679,आत्मघाती बम विस्फोटकर्ता निवारक कार्यशाला संगोष्ठी	09.09.2013	13.09.2013	गुजरात पुलिस अकादमी, करई	19
11.	ए टी ए – 9681, संकटकालीन कार्रवाई दल	30.09.2013	01.11.2013	वर्जीनिया, यू एस ए	22
12.	ए टी ए – 8413, के–9 सर्वोत्तम व्यवहार परामर्श	18.11.2013	22.11.2013	वाशिंगटन डी.सी.	12
13.	ए टी ए – 9674, आतंकवाद के अपराध के घटना स्थल की जांच	09.12.2013	20.12.2013	ए पी पी ए, हैदराबाद	15
14	ए टी ए – 10037, बंधक वार्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	13.01.2014	24.01.2014	एन एस जी	24

15.	ए टी ए – 9669, (10054) जांच की जानकारी की पहचान एवं विकसित करने संबंधी पाठ्यक्रम	27.01.2013	07.02.2013	सी पी आर, पुणे	24
16.	ए टी ए – 9470, विस्फोट की घटना के उन्नत प्रतिरोधक कदम	10.03.2014	01.04.2014	मोयोक, यू एस ए	15
	कुल				**273**

8.17.2.7.1 इन 16 पाठ्यक्रमों में से, 10 पाठ्यक्रम भारत में संचालित किए गए और शेष 06 पाठ्यक्रम यू एस ए में संचालित किए गए।

ए टी ए–9669 दिनांक 27.01.2014 से 07.02.2014 तक सी पी आर, पुणे में आई डी आई आई

ए टी ए – 9674 दिनांक 09.12.2013 से 20.12.2013 तक ए पी पी ए हैदराबाद में आतंकवाद के अपराध स्थल पर जांच पाठ्यक्रम

8.17.2.8 केन्द्र सरकार तथा राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में "वी आई पी सुरक्षा", "पीड़ित विज्ञान एवं पीड़ित न्याय", "फॉरेंसिक विज्ञान एवं फॉरेंसिक औषधि", "साइबर अपराध जांच एवं साइबर फॉरेंसिक", "अपराध स्थल जांच", "आई ई डी बम निपटान", "आसूचना संग्रह एवं पृथक पूछताछ पर पाठ्यक्रम", "नारकोटिक श्वान प्रशिक्षण", "बटालियन कमांडर पाठ्यक्रम", आदि जैसे विषयों पर सार्क देशों के 462 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षित अधिकारियों का देश–बार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(क)	नेपाल	245 अधिकारी
(ख)	भूटान	57 अधिकारी
(ग)	श्रीलंका	34 अधिकारी
(घ)	अफगानिस्तान	73 अधिकारी
(ङ)	अन्य	53 अधिकारी

होमलैंड सिक्यूरिटी डायलॉग

8.17.2.9 डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी, यू एस ए और भारत सरकार के बीच होमलैंड सिक्यूरिटी डायलॉग के अंतर्गत क्षमता निर्माण के अधीन 44 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया था, जिसमें से 27 पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव यू एस ए द्वारा किया गया है।

8.17.2.10 दिनांक 21.09.2013 से 27.09.2013 तक दुबई में "सीमा पार वित्तीय जांच प्रशिक्षण" पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें चार अधिकारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

8.17.2.11 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने बी पी आर एंड डी मुख्यालय का दौरा किया:–

(क) क्षमता निर्माण एवं उप समूह तथा वित्तीय वर्ष 2014 में भारत द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए यू एस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी, श्री स्ट्रू फ्रोम की अगुवाई में एक अमरीकी प्रतिनिधिमंडल और महानिदेशक, बी पी आर एंड डी के बीच दिनांक 04.09.2013 को बी पी आर एंड डी मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया।

(ख) नेपाल के पुलिस महानिरीक्षक श्री उपेन्द्र कांत आर्यल के नेतृत्व में एक नेपाली पुलिस प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 04.03.2014 को बी पी आर एंड डी मुख्यालय का दौरा किया:–

(i) पुलिस अधीक्षक एवं उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण

(ii) फॉरेंसिक्स, साइबर अपराध, आर्थिक जालसाजी, पूछताछ तकनीक आदि पर दीर्घावधिक प्रशिक्षण

(iii) प्रशिक्षण एवं उपकरण के मामले में उनकी सी आई डी, सी आई बी एवं विशेष ब्यूरो को उन्नत बनाने के लिए भारतीय सहायता

दिनांक 04.03.2014 को बी पी आर एंड डी मुख्यालय में नेपाल के पुलिस महानिरीक्षक श्री उपेन्द्र कांत आर्यल के नेतृत्व में नेपाली पुलिस प्रतिनिधि मंडल

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडलों के विदेश दौरे

(i) विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें महानिरीक्षक/निदेशक, प्रशिक्षण, बी पी आर एंड डी शामिल थे, दिनांक 17 से 21 मई, 2013 तक वाशिंगटन डी सी में क्षमता निर्माण पर उप–समूह की बैठक में भाग लेने के लिए यू एस ए का दौरा किया, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के संभावना का पता लगाना था जिनमें दोनों देशों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम व्यवहार एवं सीख को साझा किया जा सके और हिंसक उग्रवाद की घटनाओं का पता लगाने, उनकी रोकथाम करने तथा उन पर कार्रवाई करने से संबंधित क्षमता में वृद्धि की जा सके।

(ii) महानिदेशक, बी पी आर एंड डी के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें निदेशक (पुलिस), गृह मंत्रालय शामिल थे, ने एफ एल ई टी सी परिसर में एच एस डी के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं, हार्पर्स फेरी वर्जीनिया, वाशिंगटन डी सी सिंक्रोनाइज्ड कमांड सेंटर में सी बी पी सुविधा का उसी स्थल पर मूल्यांकन करने के लिए और इन संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए दिनांक 10.03.2014 से 14.03.2014 तक यू एस ए का दौरा किया।

(घ) विशेषज्ञ जांचकर्ता योजना के अंतर्गत विदेशी घटकः गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डेवलपिंग स्पेशलिस्ट स्कीम में विदेशी प्रशिक्षण का एक घटक शामिल है, जिसके अंतर्गत भारत में आयोजित इन पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों को विदेशी एक्सपोज़र प्रदान किया जाना है। तदनुसार, उनके संबंधित पुलिस संस्थानों में भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर उनके विचार जानने के लिए विभिन्न दूतावासों, जैसे कि यू एस, सिंगापुर, रूस, इजराइल, कनाडा, जर्मनी, आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। जून–जुलाई, 2014 के दौरान मानव तस्करी–रोधी एवं सड़क दुर्घटनाओं की जांच से संबंधित दो पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए फ्रांस की सहमति प्राप्त हो गई है।

प्रशिक्षण मध्यस्थता

8.17.3 गृह मंत्रालय ने "प्रशिक्षण मध्यस्थता" नामक एक योजनागत स्कीम अनुमोदित की है। इस योजना का मूल उद्देश्य पुलिस से अपेक्षित और उनके वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच अंतर का पता लगाना और इन अंतरों को पाटने के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि पुलिस कार्मिक उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में अधिक प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आई आई पी ए, दिल्ली द्वारा इस योजना के पूर्व निष्पादन का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया

गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 36.96 करोड़ रु. की कुल लागत से प्रशिक्षण मध्यस्थता योजना को जारी रखने के लिए दिनांक 23.09.2013 को बी पी आर एंड डी को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। योजना में 12 घटक हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:–

(i) 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सी पी ओ) के लिए मानव संसाधन योजना का विकास,

(ii) पुलिस कर्मियों के मौजूदा आचरण और अपेक्षित आचरण के बीच अंतर का विश्लेषण करना और उपयुक्त प्रशिक्षण मध्यस्थता का सुझाव देना,

(iii) प्रत्येक रैंक की "विशेषताओं एवं क्षमताओं'' का पता लगाने के लिए उपयुक्त साधनों का विकास एवं उनका वैधीकरण,

(iv) प्रशिक्षण सामग्रियां तैयार करना एवं उन्हें अद्यतन बनाना,

(v) 12 राज्यों में 6000 थाना प्रभारियों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण,

(vi) 85 प्रशिक्षण विषयों के लिए इंटरएक्टिव मॉड्यूल्स एवं प्रैक्टीकल वर्कबुक्स/मैनुअलों को तैयार करना,

(vii) 28 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न रैंकों के लिए पदोन्नति–पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करना,

(viii) राज्य की अकादमियों तथा केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों में विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करना,

(ix) राज्यों में जांच की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उपयुक्त प्रशिक्षण मध्यस्थता/जांच उपकरण (18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) तैयार करना,

(x) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना (15 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र),

(xi) आतंकवाद से निपटने के लिए 10 मॉक एक्सरसाइज़/मैनुअल एवं फिल्म तैयार करना,

(xii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण, प्रशिक्षण क्षमता में अंतर और प्रशिक्षण सामग्रियों में अंतर का मूल्यांकन करना।

8.17.4 प्रशिक्षण मध्यस्थता योजना को निम्नलिखित दो हिस्सों में विभाजित किया गया है:

8.17.4.1 पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण मध्यस्थता तैयार करना: इस योजना के अंतर्गत सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए फर्मों का चयन किया गया है। 07 घटकों को शामिल करते हुए 05 फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने 36.96 करोड़ रु. की कुल लागत से दिनांक 23.09.2013 को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में इस योजनागत स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। 07 घटकों पर अध्ययन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। 05 नए घटकों के लिए आर एफ पी का मसौदा अनुमोदन की प्रक्रिया में है। दिनांक 16.01.2014 को रूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) जारी की गई है। 05 नए घटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न पुलिस रैंकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण (टी एन ए), प्रशिक्षण क्षमता अंतर और प्रशिक्षण सामग्रियों में कमियों एवं अंतर का मूल्यांकन करना।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न पुलिस रैंकों के लिए प्रशिक्षण सामग्रियां तैयार करना।

(iii) विभिन्न पुलिस अभियानों के लिए 10 मॉक एक्सरसाइज, एस ओ पी एवं फिल्म तैयार करना।

(iv) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जांच की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और गुणवत्ता युक्त जांच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त इंटरवेंशन तैयार करना।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सी पी ओ द्वारा संचालित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

8.17.4.2 विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करना: इस योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में साइबर अपराध के मामलों की जांच, जांचकर्ताओं के लिए मानव तस्करी–रोधी पाठ्यक्रम, फॉरेंसिक विज्ञान में उन्नत प्रौद्योगिकी/अपराध स्थल की जांच, सड़क दुर्घटना के मामलों की जांच, हत्या/मानव वध के मामलों की जांच, हथियार एवं युक्ति, वी आई पी सुरक्षा, पूछताछ तकनीक एवं आर्थिक अपराध के मामलों की जांच, आदि जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2013–14 के

दौरान, विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कोर दक्षता तैयार करने वाले घटक के अंतर्गत विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करने के लिए 72 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें उपर्युक्त विषयों में 1282 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.17.4.3 विभिन्न रैंकों के लिए पदोन्नति–पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान, चड़ीगढ़ के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फर्म द्वारा इन्सेप्शन रिपोर्ट सौंप दी गई है और आगे का कार्य शुरू हो चुका है।

8.17.4.4 इस योजना के निम्नलिखित दो घटकों के लिए विप्रो लिमिटेड, गुड़गांव के साथ अतिरिक्त करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

(i) पुलिस कर्मियों के मौजूदा आचरण और अपेक्षित आचरण के बीच अंतर का विश्लेषण करना और उपयुक्त प्रशिक्षण मध्यस्थता का सुझाव देना।

(ii) प्रत्येक रैंक की वांछित "विशेषताओं एवं क्षमताओं'' का पता लगाने के लिए उपयुक्त साधनों का विकास एवं उनका वैधीकरण करना।

8.17.4.5 प्रशिक्षण मध्यस्थता योजना के अंतर्गत फिल्में, इंटरएक्टिव मॉड्यूल्स, ऑनलाइन मॉड्यूल्स और अभ्यास पुस्तिकाएं/मैनुअल आदि तैयार करने के घटक के लिए दिनांक 01.01.2013 को मैसर्स जेनेसिस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मुख्य करार एवं अतिरिक्त करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

8.17.4.6 दिनांक 04.01.2013 को प्रशिक्षण मध्यस्थता योजना के निम्नलिखित दो घटकों के लिए मैसर्स आई एल एंड एफ एस के साथ मुख्य करार और अतिरिक्त करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

(i) 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक रैंक (कांस्टेबल से उप पुलिस अधीक्षक तक) के वांछनीय कार्य निष्पादन और वास्तविक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना।

(ii) 12–14 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 6000 थाना प्रभारियों के साफ्ट स्किल प्रशिक्षण (सुनना, परामर्श, संवाद, लेखन, समय एवं तनाव प्रबंधन आदि) की तैयारी करना।

8.17.4.7 योजना के मानव संसाधन विकास घटक के अंतर्गत, मैसर्स रैनस्टड ने एक राज्य (आंध्र प्रदेश) का अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस फर्म को अपनी रिपोर्ट को 2 हिस्सों में अर्थात् एक सीमांध्र के लिए और दूसरा तेलंगाना के लिए विभाजित करने के लिए कहा गया है। फर्म ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के महानिदेशक को उसके विधिमान्यकरण तथा उस पर अपनी टिप्पणियां देने हेतु भेज दिया गया है।

8.17.4.8 इस फर्म ने बी पी आर एंड डी की एच आर डी योजना पर भी अध्ययन किया है और रिपोर्ट सौंप दी है, जो विधिमान्यकरण की प्रक्रिया में है।

8.17.4.9 संपूर्ण योजना की मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पी एम यू) की स्थापना की जा रही है।

राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान

8.17.5 बी पी आर एंड डी में इस संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। इस संस्थान के संक्षिप्त उद्देश्य यातायात प्रबंधन हेतु एस ओ पी तैयार करना, यातायात दुर्घटना के मामलों की जांच में पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना, यातायात के प्रवर्तन एवं विनियमन के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना, विभिन्न महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में यातायात समस्याओं का अध्ययन करना और संबंधित निराकरण का सुझाव देना और यातायात के मुद्दों के संबंध में अंतर–विभागीय अनुसंधान को बढ़ावा देना आदि हैं।

8.17.5.1 सड़क यातायात शिक्षण संस्थान (आई आर टी ई), फरीदाबाद को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यातायात संस्थान के लिए भूमि का आबंटन सी ए पी टी, भोपाल के निकट किया गया है और निर्माण कार्य एन पी सी सी को सौंपा गया है।

उग्रवाद और आतंकवाद–रोधी स्कूल

8.17.6 भारत सरकार ने असम(3), बिहार(3), झारखंड(4), छत्तीसगढ़(4), ओडिशा(3), पश्चिम बंगाल(1), नागालैंड(1), मणिपुर(1) और त्रिपुरा(1) के वामपंथी

उग्रवाद–प्रभावित राज्यों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के अंतर्गत विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सी आई ए टी) स्कूलों की स्थापना की थी। यह एक निरंतर चलने वाली योजना है और यह 11वीं योजनावधि से 12वीं योजनावधि में जारी है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 12वीं योजनावधि के दौरान 21 सी आई ए टी स्कूलों की स्थापना और इससे संबंधित व्यय के वहन के लिए 99.77 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष (2013–14) के दौरान गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एवं नागालैंड की राज्य सरकारों को 7.00 करोड़ रुपए (2+2+2+1=7 करोड़ रूपए) जारी किए हैं। सभी 21 स्कूलों ने राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शुरु कर दिया है। दिनांक 01.12.2009 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान सी आई ए टी स्कूलों में 38,000 (लगभग) पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 12वीं योजना अवधि के दौरान, सरकार ने निम्नानुसार 04 नए सी आई ए टी स्कूलों की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है:–

(i) सी टी सी लेथपुरा, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर;

(ii) पुणे, महाराष्ट्र के हदसर, रामटेकड़ी में;

(iii) सीमांध्र;

(iv) तेलंगाना।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

8.17.7 गृह मंत्रालय ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए 65.14 करोड़ रूपए के योजना परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है। सी डी टी एस, गाजियाबाद के निर्माण एवं अवसंरचना विकास के लिए अगस्त, 2013 माह के दौरान एन बी सी सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन बी सी सी को विभिन्न क्रियाकलाप शुरू करने के लिए 8.86 करोड़ रू. का निर्माण कार्य (मोबिलाइजेशन) अग्रिम राशी भी जारी कर दिया गया है। सी डी टी एस के भवन के नक्शे को अंतिम रुप दे दिया गया है और निर्माण कार्य शुरु हो चुका है।

8.17.8 जयपुर में सी डी टी एस की स्थापना के लिए गांव–धामी कलां, जिला–जयपुर, राजस्थान में भूमि की पहचान की गई है और इसके लिए भूमि की लागत का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान को कर दिया गया है। भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस समय, यह संस्थान सी पी डब्ल्यू डी के भवन में चल रहा है।

8.17.9 सी डी टी एस, हैदराबाद के संबंध में, नए प्रशिक्षण खंड और जिमनेजियम के शेष कार्य का निर्माण प्रगति पर है। मेस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

8.17.10 वर्तमान में पांच केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सी डी टी एस) बी पी आर एंड डी के संरक्षण में कार्यरत हैं और ये चंड़ीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद ओर जयपुर में स्थित हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान राज्यों, केन्द्र और विदेशों के अधिकारियों को अपराध की जांच में उन्नत वैज्ञानिक विधियों का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक 227 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4,441 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल

8.18.1 उप पुलिस अधीक्षकों को बुनियादी एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने और राज्य पुलिस अकादमियों के प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भोपाल में एक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सी ए पी टी) की स्थापना की गई है। 281 करोड़ रु. के परिव्यय और 244 की स्वीकृत पद संख्या के साथ सी ए पी टी की स्थापना 400 एकड़ के परिसर में की जा रही है। अकादमी का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। वर्तमान में यह अकादमी कान्हासाल्या, भोपाल में प्री–फैब कुटीरों में कार्यरत है।

8.19.2 यहां सेवाकालीन प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है और आज की तारीख तक 29 सेवाकालीन पाठ्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं, जिनमें पुलिस संबंधी विषयों में संपूर्ण देश के 483 अधिकारी विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 2013–14

के दौरान, सी ए पी टी द्वारा निम्नलिखित 17 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया और कुल 234 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गयाः–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	कुल सहभागी
01.	"महिलाओं के विरुद्ध अपराध" पर प्रथम पाठ्यक्रम	01–04–13 से 06–04–13	23
02	"महिलाओं के विरुद्ध अपराध" पर दूसरा पाठ्यक्रम	22–04–13 से 27–04–13	25
03	"महिलाओं के प्रति संवेदनशलता" पर तीन दिवसीय कार्यशाला	08–05–13 से 10–05–13	11
04	"महिलाओं के विरुद्ध अपराध" पर तीसरा पाठ्यक्रम	27–05–13 से 01–06–13	10
05	11वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	01–07–13 से 06–07–13	14
06	12वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	15–07–13 से 20–07–13	12
07	13वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	29–07–13 से 03–08–13	11
08	14वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	02–09–13 से 07–09–13	13
09	15वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	23–09–13 से 28–09–13	18
10	16वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम" 30–09–13 से 05–10–13	11	
11	प्रथम आर्थिक अपराध एवं फॉरेंसिक लेखा	21–10–13 से 26–10–13	12
12	महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों से संबंधित अपराध पर पाठ्यक्रम	02–12–13 से 07–12–13	09
13	19वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	23–12–13 से 28–12–13	09
14	20वां " एस डी पी ओ पाठ्क्रम"	30–12–13 से 04–12–14	08
15	राज्य पुलिस अकादमियों के विधि–विज्ञान अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षक हेतु प्रथम प्रशिक्षण (टी ओ टी)	30–12–13 से10–01–14	18
16	राज्य पुलिस अकादमियों के विधि–विज्ञान अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षक हेतु प्रथम प्रशिक्षण (टी ओ टी)	13–01–14 से 24–01–14	15
17	राज्य पुलिस अकादमियों में जांच संबंधी शिक्षा देने वाले अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षक हेतु प्रथम प्रशिक्षण (टी ओ टी)	27–01–14 से 07–02–14	15
	वर्ष 2013–2014 (07–02–14 तक) के दौरान कुल सहभागी		234

पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

8.19 13वें वित्त आयोग ने पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2,441 करोड़ रुपए अनुमोदित किए थे। पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन के लिए दिनांक 31.03.2014 तक राज्य सरकारों को 1,280.89 करोड़ रु० की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैंः–

13वें वित्त आयोग के अधीन (31.01.2014 की स्थिति के अनुसार) "पुलिस प्रशिक्षण" हेतु विभिन्न राज्यों को जारी किया गया अनुदान

करोड़ रू. में

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत राशि	पहली किस्त (2011-12)	दूसरी किस्त (2012-13)	तीसरी किस्त (2013-14)	कुल जारी राशि (31.03.2014 तक)
1	आंध्र प्रदेश	113.00	3.25 एवं 25. 00	–	–	28.25
2	असम	50.00	12.50	–	–	12.50
3	बिहार	206.00	60.55	51.86	–	112.41
4	छत्तीसगढ़	42.00	10.50	10.50	–	21.00
5	गुजरात	215.00	53.75	53.75	53.75	161.25
6	हरियाणा	100.00	25.00	25.00	25.00	75.00
7	झारखंड	73.00	15.86	18.25	18.25	52.36
8	कर्नाटक	150.00	37.50	38.64	52.00	128.24
9	केरल	100.00	25.00	25.00	25.00	75.00
10	मध्य प्रदेश	180.00	45.00	45.00	–	90.00
11	महाराष्ट्र	223.00	55.75	55.75	55.75	167.25
12	मणिपुर	84.00	21.00	21.00	–	42.00
13	मेघालय	50.00	12.50	–	–	12.50
14	ओड़िशा	70.00	17.50	17.50	–	35.00
15	पंजाब	200.00	50.00	–	–	50.00
16	राजस्थान	100.00	26.56	–	–	26.56
17	सिक्किम	10.00	2.40	2.50	2.50	7.40
18	तमिलनाडु	100.00	25.55	25.00	–	50.55
19	त्रिपुरा	10.00	1.00	2.00	–	3.00
20	उत्तर प्रदेश	132.00	33.00	33.00	–	66.00
21	उत्तराखंड	70.00	21.00	21.00	–	42.00
22	पश्चिम बंगाल	163.00	22.72	–	–	22.72
	कुल	**2441.00**	**602.89**	**445.75**	**232.25**	**1280.99**

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

8.20.1 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमता सुदृढ़ करने और सी ए पी एफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिज़र्व बटालियनें (आई आर बी) गठित किए जाने की एक योजना प्रारंभ की गई थी। उपर्युक्त के अलावा, इसका उद्देश्य यह भी है कि आई आर बी को देश में कहीं अन्यत्र आवश्यकता पड़ने पर राज्य के बाहर भी तैनात किया जा सकता है। मंजूर की गई बटालियनों का

वास्तविक गठन किए जाने के संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, वित्तीय सहायता के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। वर्तमान में, राज्य सरकारों को आई आर बी का गठन करने के लिए मानक गठन लागत के 75% के रुप में 17.85 करोड़ रु. और 15 करोड़ रु की अधिकतम सीमा के साथ अवसंरचना और पूंजीगत लागत के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

8.20.2 अब तक, 145 आई आर बटालियनें संस्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 143 बटालियनें गठित कर दी गई हैं और झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत एक–एक आई आर बटालियनों को विशेषज्ञता प्राप्त इंडिया रिजर्व बटालियनों (एस आई आर बी) में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी गई है। शेष 01 आई आर बटालियन, असम सरकार द्वारा गठन की प्रक्रिया में है। आई आर/एस आई आर बटालियनों के गठन की प्रगति की गृह मंत्रालय द्वारा गहन निगरानी की जा रही है।

8.20.3 सरकार ने वर्ष 2007–2008 के पश्चात् मंजूर की गई प्रत्येक आई आर बी में (जो अभी गठन किए जाने की प्रक्रिया में हैं) कमांडो कम्पनियों के रुप में 2 कम्पनियां गठित किए जाने के लिए प्रति कम्पनी 3 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता के प्रावधान का भी अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य, राज्यों को माओवादियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञता से युक्त कौशल और उपकरणों से लैस बलों का गठन करने में सक्षम बनाना है।

8.20.4 बजट अनुमान 2013–14 में, आई आर बी के गठन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत 40.00 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अभी तक हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम एवं कर्नाटक को 25,68,59,750 रू. की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

8.20.5 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के उद्देश्य से और सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 10 विशेषज्ञता प्राप्त आई आर बटालियनों के गठन को और 3 पूर्व–अनुमोदित आई आर बटालियनों को एस आई आर बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया है। एस आई आर बटालियनों का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	राज्य का नाम	नई एस आई आर बटालियन	पूर्व-अनुमोदित आई आर बटालियनों का एस आई आर बी में परिवर्तन
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	01
2.	बिहार	02	–
3.	छत्तीसगढ़	02	–
4.	झारखंड	01	01
5.	मध्य प्रदेश	01	–
6.	महाराष्ट्र	–	01
7	ओडिशा	03	–
8.	पश्चिम बंगाल	01	–
	कुल	**10**	**03**

18.20.6 एस आई आर बी की मंजूरी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा इनके गठन की स्थिति:

(i) चरण–। में, वर्ष 2011–12 के दौरान 6 नई एस आई आर बी के गठन और 3 गठित नहीं की जा सकी आई आर बटालियनों को एस आई आर बी में परिवर्तित करने की मंजूरी के आदेश दिनांक 16.09.2011 को जारी किए जा चुके हैं।

(ii) चरण–।। में, बिहार को छोड़कर 2 नई एस आई आर बी के गठन के लिए दिनांक 17.01.2013 को मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने दिनांक 16.09.2011 को मंजूर किए गए पहले एस आई आर बी का गठन अभी तक नहीं किया है।

(iii) चरण–।।। में, मध्य प्रदेश द्वारा 1 एस आई आर बी के गठन के लिए दिनांक 12.02.2014 को मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं।

पुरस्कार एवं पदक

8.21 वर्ष 2013–14 के दौरान पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई सेवा के सम्मानस्वरूप उन्हें निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए:

स्वतंत्रता दिवस 2013 के अवसर पर पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों का बल-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठन का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम डी एस)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी एम एम एस)
1	आंध्र प्रदेश	–	–	05	26
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	02
3	असम	–	01	01	12
4	बिहार	–	04	01	11
5	छत्तीसगढ़	–	05	01	10
6	गोवा	–	–	–	–
7	गुजरात	–	–	02	15
8	हरियाणा	–	–	02	11
9	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	03
10	जम्मू एवं कश्मीर	04	18	03	16
11	झारखंड	–	–	02	06
12	कर्नाटक	–	03	01	17
13	केरल	–	–	–	05
14	मध्य प्रदेश	–	05	03	16
15	महाराष्ट्र	1	20	04	40
16	मणिपुर	–	02	02	06
17	मेघालय	–	–	01	02
18	मिजोरम	–	–	01	02
19	नागालैंड	–	–	01	02
20	ओड़िशा	–	17	02	11
21	पंजाब	–	–	02	18
22	राजस्थान	–	02	02	16
23	सिक्किम	–	–	–	01
24	तमिलनाडु	–	–	03	21

25	त्रिपुरा	–	01	01	06
26	उत्तर प्रदेश	–	17	07	73
27	उत्तराखंड	–	–	01	05
28	पश्चिम बंगाल	–	01	02	20
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	02
30	चंड़ीगढ़	–	–	–	02
31	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	01
32	दमन एवं दीव	–	–	–	02
33	दिल्ली	–	–	02	16
34	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35	पुडुचेरी	–	–	–	01
36	असम राइफल्स	–	–	–	13
37	बी एस एफ	–	03	06	47
38	सी बी आई	–	–	02	18
39	सी आई एस एफ	–	–	03	22
40	सी आर पी एफ	01	33	05	58
41	गृह मंत्रालय	–	–	08	24
42	आई टी बी पी	–	–	03	15
43	एन एस जी	–	–	01	04
44	एस एस बी	–	–	01	12
45	एस पी जी	–	–	–	06
46	बी पी आर एंड डी	–	–	01	02
47	डी सी पी डब्ल्यू	–	–	–	–
48	एन सी बी	–	–	01	–
49	एन सी आर बी	–	–	–	–
50	एन ई सी	–	–	–	–
51	एन ई पी ए	–	–	–	–
52	एन एच आर सी	–	–	––	
53	एन आई सी एफ एस	–	–	–	–

54	एस वी पी एन पी ए	–	–	01	01
55	एन आई ए	–	–	01	01
56	एन डी आर एफ	–	–	–	01
57	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	–	–	01	–
58	विद्युत मंत्रालय	–	–	–	01
59	संसदीय कार्य मंत्रालय (लोक सभा सचिवालय)	–	–	–	01
60	रेल मंत्रालय (आर पी एफ)	–	–	01	16
	कुल	06	135	87	639

गणतंत्र दिवस 2013 के अवसर पर पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों का बल-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संगठन का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम डी एस)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी एम एम एस)
1	आंध्र प्रदेश	–	–	2	26
2	अरुणाचल प्रदेश	–	2	1	1
3	असम	–	5	2	14
4	बिहार	–	12	2	17
5	छत्तीसगढ़	–	3	1	0
6	दिल्ली	–	1	3	17
7	गोवा	–	–	–	2
8	गुजरात	–	–	2	17
9	हरियाणा	–	–	1	12
10	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	4
11	जम्मू एवं कश्मीर	1	21	2	17
12	झारखंड	–	3	1	12
13	कर्नाटक	–	–	5	19
14	केरल	–	–	1	7
15	मध्य प्रदेश	–	4	4	17
16	महाराष्ट्र	–	12	4	41
17	मणिपुर	–	9	–	7
18	मेघालय	–	–	–	3
19	मिजोरम	–	–	–	3
20	नागालैंड	–	–	–	3
21	ओड़िशा	–	5	2	11
22	पंजाब	–	1	2	10
23	राजस्थान	–	–	3	16
24	सिक्किम	–	–	–	1

25	तमिलनाडु	–	–	3	21
26	त्रिपुरा	–	–	1	6
27	उत्तर प्रदेश	–	–	5	73
28	उत्तराखंड	–	–	1	5
29	पश्चिम बंगाल	–	4	320	
30	संघ राज्य क्षेत्र				
क)	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
ख)	चंडीगढ़	–	–	–	1
ग)	दमन और दीव	–	–	–	–
घ)	दादरा और नगर हवेली	–	–	1	1
ड.)	लक्षदीप	–	–	–	1
च)	पुदुचेरी	–	–	1	2
31	सी ए पी एफ/अन्य संगठन				
क)	असम राइफल्स	–	–	–	13
ख)	बी एस एफ	–	1	5	46
ग)	सी बी आई	–	–	6	22
घ)	सी आई एस एफ	–	–	2	25
ड.)	सी आर पी एफ	–	32	6	57
च)	गृह मंत्रालय	–	–	8	25
छ)	आई टी बी पी	–	–	3	12
ज)	एन एस जी	–	–	–	4
झ)	एस एस बी	–	–	1	11
ञ)	एस पी जी	–	–	–	3
ट)	बी पी आर एंड डी	–	–	1	3
ठ)	डी सी पी डब्ल्यू	–	–	–	–
ड.)	एन सी बी	–	–	–	–
ढ)	एन सी आर बी	–	–	1	1
ण)	एन ई सी	–	–	–	–
त)	एन ई पी ए	–	–	–	–
थ)	एन एच आर सी	–	–	–	1
द)	एन आई ए	–	–	–	2
ध)	एन आई सी एफ एस	–	–	–	2
न)	एन डी आर एफ	–	––	4	
प)	एस वी पी एन पी ए	–	–	–	4
फ)	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	–	–	–	1
ब)	इस्पात मंत्रालय	–	–	–	1
भ)	विद्युत मंत्रालय	–	–	–	–

म)	गृह मंत्रालय सचिवालय	–	–	–	2
32	रेल मंत्रालय (आर पी एफ)	–	–	1	
		1	115	88	671

गणतंत्र दिवस 2014 के अवसर पर पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों का बल-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संगठन का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम डी एस)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी एम एम एस)
1	आंध्र प्रदेश	–	–	4	26
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3	असम	–	1	2	14
4	बिहार	–	–	1	15
5	छत्तीसगढ़	–	–	1	10
6	दिल्ली	–	–	3	17
7	गोवा	–	–	–	–
8	गुजरात	–	–	1	17
9	हरियाणा	–	–	2	12
10	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	3
11	जम्मू एवं कश्मीर	–	8	3	13
12	झारखंड	–	11	–	5
13	कर्नाटक	–	–	3	19
14	केरल	–	–	2	7
15	मध्य प्रदेश	–	3	4	17
16	महाराष्ट्र	2	1	4	40
17	मणिपुर	–	–	–	6
18	मेघालय	–	–	–	3
19	मिजोरम	–	–	1	3
20	नागालैंड	–	–	1	4
21	ओड़िशा	–	–	2	11
22	पंजाब	–	1	2	13
23	राजस्थान	–	1	2	16
24	सिक्किम	–	–	–	1
25	तमिलनाडु	–	1	3	21
26	त्रिपुरा	–	–	1	6
27	उत्तर प्रदेश	–	4	6	71
28	उत्तराखंड	–	–	1	5
29	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
30	संघ राज्य क्षेत्र				
क)	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	1	1

ख)	चंडीगढ़	–	–	1	1
ग)	दादरा और नगर हवेली	–	–	1	1
घ)	दमन और दीव	–	–	–	1
ड.)	लक्षदीप	–	–	–	–
च)	पुदुचेरी	–	–	–	1
31	सी ए पी एफ/ अन्य संगठन				
क)	असम राइफल्स	–	–	–	11
ख)	बी एस एफ	–	–	5	46
ग)	सी बी आई	–	–	7	20
घ)	सी आई एस एफ	–	–	3	24
ड.)	सी आर पी एफ	2	13	6	57
च)	गृह मंत्रालय	–	–	8	25
छ)	आई टी बी पी	–	–	3	12
ज)	एन एस जी	–	–	1	5
झ)	एस एस बी	–	–	1	12
ञ)	एस पी जी	–	–	2	4
ट)	बी पी आर एंड डी	–	–	1	2
ठ)	एन सी आर बी		–	–	2
ड)	एन ई पी ए	–	–	–	1
ढ)	एन एच आर सी	–	–	1	–
ण)	एन आई सी एफ एस	–	–	–	1
त)	एन आई ए	–	–	–	2
थ)	एन डी आर एफ	–	–	–	3
द)	एस वी पी एन पी ए	–	–	–	2
ध)	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	–	–	–	1
न)	गृह मंत्रालय (सचिवालय)	–	–	1	1
32	रेल मंत्रालय (आर पी एफ)	–	–	3	13
		4	44	94	624

◆◆◆

अध्याय IX

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

9.1.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना देश में पुलिस की जरुरतों और समस्याओं का पता लगाने, समुचित अनुसंधान परियोजना एवं अध्ययन करने तथा उभरती हुई चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत विकल्पों का सुझाव देने के लिए 28.08.1970 में की गई थी। इसे भारत और विदेश, दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रखने का कार्य भी सौंपा गया था। इस समय इसके 4 प्रभाग हैं जिनके नाम हैं अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और सुधारात्मक प्रशासन।

कर्त्तव्यों का चार्टर

9.1.2 पुलिस को प्रभावित करने वाले सामान्य स्वरूप के विभिन्न प्रकार के अपराध और समस्याओं का अध्ययनः

(क)

(i) विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति और कारण।

(ii) अपराध निवारण उपाय, उनकी प्रभावकारिता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के साथ संबंध।

(iii) पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिनियम और नियमावली का संयोजन, शक्ति, प्रशासन, पद्धति, प्रक्रिया और तकनीक।

(iv) वैज्ञानिक सहायता प्रदान करके जांच–पड़ताल, उपयोगिता और परिणामों की पद्धतियों में सुधार।

(v) दंडात्मक उपबंधों सहित कानून की अपर्याप्तता

(ख)

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं के संसाधन में समन्वय।

(ii) व्यावसायिक हित वाले क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना।

(iii) अपराध विज्ञान, पुलिस विज्ञान और सुधारात्मक प्रशासन में डॉक्टोरल कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्वानों को सभी फैलोशिप प्रदान करने के लिए भारत सरकार की फेलोशिप योजना कार्यान्वित करना।

(iv) भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर व्यावसायिक हित के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(v) विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना और विभिन्न स्तरों पर पुलिस और कारागार संबंधी विषयों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए प्रेरित करना।

(vi) अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित करना और साथ ही अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेना/समन्वय करना।

(vii) समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान पुलिस सुधार लागू करने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और मानकों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और उनका प्रसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित संगठनों में करना।

(viii) पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन को प्रभावित करने वाले पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों और सामान्य स्वरूप की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना।

(ix) पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

(x) कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी शिखर सम्मेलन और अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।

(xi) क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थानों (आरआईसीए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।

(xii) बदलती सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारागार स्टाफ के लिए (बुनियादी और सेवाकालीन दोनों) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना और प्रायोजित करना, नई वैज्ञानिक तकनीकें और अन्य संबंधित पहलू शुरु करना।

9.1.3 अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन निदेशालय ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 233 अनुसंधान अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों की रिपोर्टें और सिफारिशें संबंधित पुलिस बलों के उपयोग और उचित कार्रवाई हेतु मंजूर की गई थीं। इस ब्यूरो द्वारा आयोजित सभी अनुसंधान अध्ययनों का संकलन ब्यूरो द्वारा नियमित आधार पर निकाला गया है। बीपीआरएंडडी ने पहले ही अनुसंधान अध्ययन संबंधी संकलन के तीन संस्करण प्रकाशित कर दिए हैं और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधितों में परिचालित कर दिया है। संकलन का चौथा संस्करण तैयार किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस ब्यूरो को 10.00 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है और अब अनुसंधान अध्ययनों के लिए 13.38 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनेतर अनुसंधान अध्ययन के तहत 1.04 लाख रु. का उपयोग किया गया है।

9.1.4 **अनुसंधान अध्ययन जारी है (योजना स्कीम के तहत)**

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(ii) पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(iii) उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(iv) पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(v) 8 घंटे की शिफ्ट के लिए पुलिस की मानवशक्ति की राष्ट्रीय आवश्यकता

(vi) अपराध दर्ज न करनाः समस्या और समाधान

(vii) पुलिस बलों/सीएपीएफ में तनाव कम करना

(viii) सभी रैंकों के लिए प्रशिक्षण की जरुरतों का विश्लेषणः कैरियर में संतुलित प्रगति के लिए कांस्टेबल से आईपीएस अधिकारी

(ix) जिला और एसएचओ स्तरों पर पुलिस नेतृत्व के मुद्दों की पहचान करना और उनका जायजा लेने के लिए उपाय विकसित करना

(x) अधिक संख्या में पुलिस की तैनातीः कपड़ों, परिवहन, संचार, चिकित्सा, राशन की जरुरतों और मानकीकरण के साथ–साथ अधिक मात्रा में बिल्डिंग स्पेस के मानपदंडों का उन्नयन

(xi) यातायात प्रबंधन के लिए मद्यपान करके ड्राइविंग और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लिए और सख्त कानून

(xii) कैदियों के सुधार और पुनर्वास संबंधी कारागार उद्योगों सहित सुधारात्मक कार्यक्रमों की स्थिति

9.1.5 **वर्ष 2013–14 में शुरू किए जाने वाले (12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के तहत) पुलिस अनुसंधान संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान के विषयः–**

(i) अधीनस्थ पदों में मानव संसाधनों में क्षमता निर्माण

(ii) भारत में महिला पुलिस के नेतृत्व का विकास

(iii) साइबर सुरक्षा के विशेष संदर्भ में साइबर अपराध

(iv) भारत में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां – वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां और मुद्दे

(v) पुलिस कार्य में ई–अभिशासन के क्षेत्रों का पता लगाना

(vi) मूल स्तर पर पुलिस की जबावदेही

(vii) ग्रामीण पुलिस व्यवस्था की श्रेष्ठ प्रक्रियायें

(viii) शहरी पुलिस व्यवस्था की श्रेष्ठ प्रक्रियायें

(ix) राज्यों में पुलिस परिचालनों को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार की प्रभावी भूमिका संबंधी अध्ययन

(x) तेजी से आपदा प्रबंधन और राहत को सुकर बनाने के लिए भूकंप वाले क्षेत्रों में पुलिस कार्यवाही संबंधी अध्ययन

(xi) कैदी के परिवार पर करावास की सजा का प्रभाव

(xii) कारागार के अधिकारियों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना का मूल्यांकन और प्रशिक्षण संबंधी उनकी जरुरतों की पहचान

(xiii) भारत में कारावास की सजा का विकल्प

(xiv) भारत में मुक्त किए गए अपराधियों का अनुवर्ती अध्ययन

(xv) कारागार प्रबंधन में मानवाधिकार पहलों को लागू करना

(xvi) भारत में कारागारों के प्रबंधन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग करना

9.1.6 **12वीं पंचवर्षीय योजना (योजना स्कीम के तहत) के लिए पहचाने गए अनुसंधान के अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिन्हें विज्ञापित किया जाना हैः–**

(i) प्रभावी पुलिस कार्रवाई के लिए जनसांख्यिकी परिवर्तन और उपाय

(ii) प्रभावी तटीय पुलिस व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

(iii) पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्य योजना

(iv) भारतीय पुलिसः दृष्टिकोण 2025

(v) अलगाववाद और आतंकवाद संबंधी तुलनात्मक विश्लेषण

(vi) एलडब्ल्यूई राज्यों में विकास कार्यों में पुलिस की भूमिका और एलडब्ल्यूई और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहायता के रूप में प्रौद्योगिकी उन्नयन

(vii) पुलिस स्टेशन स्तर पर आसूचना एकत्र करने की दक्षता और उन्नयन

(viii) आई.ओ. स्तरों पर व्यावसायिकता और विशेषज्ञता

(ix) पर्यावरणीय अपराध और पुलिस कार्रवाई

(x) गैर–परंपरागत युद्ध संबंधी कार्य योजना तैयार करना

(xi) कानून और व्यवस्था से अपराध की जांच–पड़ताल अलग करना

(xii) पुलिस स्टेशन से लेकर जिला पुलिस मुख्यालय स्तर तक रिकार्ड प्रबंधन

(xiii) राज्य पुलिस में शीर्ष से लेकर न्यूनतम स्तर का अनुपात सुनिश्चित करने के लिए भर्ती(पुलिस सुधार संबंधी समीक्षा समिति की मद 12)

(xiv) मूल परिस्थितियों पर आधारित किसी पुलिस स्टेशन का पुनर्गठन करने के लिए मानदंडों/मापदंडों की पहचान

(xv) कैदी के परिवार पर कारावास की सजा का प्रभाव

(xvi) कारागार के अधिकारियों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना का मूल्यांकन और प्रशिक्षण संबंधी उनकी जरुरतों की पहचान

(xvii) भारत में कारावास की सजा का विकल्प

(xviii) भारत में मुक्त किए गए अपराधियों का अनुवर्ती अध्ययन

(xix) कारागार प्रबंधन में मानवाधिकार पहलों को लागू करना

(xx) भारत में कारागारों के प्रबंधन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग करना

9.1.7 **पूरे किए गए अनुसंधान अध्ययन (योजनेतर स्कीम के तहत)**

आपदाओं/आपातकालों में पुलिस की भूमिका।

9.1.8 **इस समय प्रगति पर अनुसंधान अध्ययन (योजनेतर स्कीम के तहत)**

(i) सुशासन को बढ़ावा देने के लिए विधि विज्ञान के उपायों का प्रयोग

(ii) बैंक धोखाधड़ियों की संख्या और क्रियाविधिः तमिलनाडु राज्य में बैंक धोखाधड़ियों से निपटने में पुलिस की भूमिका

(iii) स्थानीय स्व–शासन और पुलिस व्यवस्थाः केरल के त्रिचूर जिले की दो ग्राम पंचायतों का अध्ययन

(iv) पुलिस में नैतिकता और सामाजिक परिवर्तन

(v) गोवा में लिंगभेद संबंधी मुद्दों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण

(vi) अपराध की घटनाएंः उत्पीड़न और अपराध की कीमत की मापः तमिलनाडु में अन्वेषणात्मक विश्लेषण

(vii) पुलिस परिवारों की स्थितिः दिल्ली पुलिस और यू.पी. पुलिस

(viii) दूसरे देशों की स्थिति के संदर्भ में अपराध के पीड़ितों को मुआवजे के तौर–तरीके तैयार करना ताकि इसे हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के एक भाग के रूप में बनाया जा सके

(ix) राज्य पुलिस कार्मिकों और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक कार्मिकों के आत्महत्या के मामलों का अध्ययन और ऐसे मामलों को रोकने के सुझाव

(x) आतंकवाद और अलगाववाद से संबंधित अपराध इटियोलॉजीः तुलनात्मक विश्लेषण

(xi) 01.01.2009 से आगे के हत्या के मामले, ऐसे मामलों में निर्णय लिए जाने में विलम्ब के कारणों पर जोर देना और ऐसे मामले रोकने सहित उनके प्रबंधकीय समाधानों के सुझाव देना

(xii) भारतीय संदर्भ में जांच–पड़ताल की शैली पुलिस पूछ–ताछ और अपराध स्वीकारोक्ति की भूमिकाः समग्र जांच–पड़ताल

(xiii) पुलिस कार्मिकों की थकानः कारण और उपचार

(xiv) पुलिस जवाबदेही, प्रेरणा और नियंत्रण का अध्ययन

(xv) मूल स्तर (पुलिस स्टेशन) पर विवाद प्रबंधन और विवाद समाधान

(xvi) बच्चों के अवैध व्यापार के साथ गुमशुदा बच्चों का संबंधः विश्लेषणात्मक अध्ययन

(xvii) केन्द्रीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण और भविष्य का दृष्टिकोण

(xviii) बचाए गए लोगों के पुनर्वास में मानवारोधी अवैध व्यापार और बहु–स्टेकहोल्डर की अंतर्ग्रस्तता

(xix) उग्र भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्रवाई के संबंध में स्टेकहोल्डर की प्रतिक्रिया समझना

(xx) उत्तरी क्षेत्र के माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक पहलों का प्रभाव

(xxi) मूल्यांकन के लिए आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण में सामुदायिक भागीदारी के लिए विशिष्ट उपायों की पहचान

(xxii) राष्ट्रीय स्तर के सूचना विनिमय मॉडल की अवधारणा करना जो खुले मानकों पर आधारित होगी और विभिन्न क्षेत्रों में एजेंसियों के बीच अपराध/आपराधिक संबंधों के बारे में बेरोक–टोक सूचना का आदान–प्रदान करेगी (जैसे कि प्राइवेट या पब्लिक क्षेत्रों या पब्लिक डाटा बेस के कस्टोडियन के रूप में)

(xxiii) पुलिस की खुशहाली पर पुलिस प्रभावकारिता के प्रभाव की जांच

(xxiv) एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विश्वास निर्माण के उपाय

(xxv) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्यों को शामिल करते हुए, कैदियों के सुधार और पुनर्वास में एनजीओ की भूमिका

(xxvi) महिला कैदियों की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्यायें तथा उनके साथ उनके बच्चों के रहने और उनके पुनर्वास की स्थिति

(xxvii) उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और ओड़िशा को शामिल करते हुए कैदियों के सुधार और पुनर्वास में एनजीओ की भूमिका और कारगरता

(xxviii) कैदियों के कारागार प्रबंधन और पुनर्वास में भारतीय कारागार की शिक्षा की दक्षता और प्रभावः अनुभवजन्य अध्ययन

9.1.9 **गैर–योजना स्कीम के तहत शुरू किए गए अनुसंधान अध्ययन**

(i) केन्द्रीय पुलिस संगठनों – सीआईएसएफ और आईटीबीपी में व्यक्तिपरक खुशहाली संबंधी कल्याण योजना का प्रभाव

(ii) बंगलौर शहर के पुलिस कार्मिकों में संबंधित रोगों के तनाव का स्तर

9.1.10 **वर्ष 2013–14 के दौरान महिलाओं द्वारा किए जा रहे या महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अनुसंधान अध्ययन**

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(ii) पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(iii) उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(iv) पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति

(v) केन्द्रीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण और भविष्य का दृष्टिकोण

(vi) बचाए गए लोगों के पुनर्वास में मानव तस्कर–रोधी और बहु–स्टेकहोल्डर की अंतर्ग्रस्तता

कारागार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.1.11 नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं:–

(i) **वर्टिकल इंटरएक्शन पाठ्यक्रम (वीआईसी)** कारागार प्रशासन की बदलती जरुरतों के अनुसार कारागार के अधिकारियों का दृष्टिकोण व्यापक बनाने के लिए उनके विकास हेतु वर्ष के दौरान अब तक 7 पाठ्यक्रम (1) कर्नाटक कारागार विभाग (2) तिहाड़ कारागार, (3) रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कोरेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन (आरआईसीए), कोलकाता (4) सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान (एसजेटीआई) लखनऊ, (5) असम कारागार और जेल अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज, पुणे को आवंटित किए गए हैं।

(ii) **देखकर सीखना (एसआईएल)** वर्ष 2013–14 के दौरान 8 पाठ्यक्रम जेएंडके कारागार विभाग, तिहाड़ कारागार, सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊं, पंजाब जेल प्रशिक्षण स्कूल, कर्नाटक कारागार विभाग और जेल अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज, पुणे को आवंटित किए गए हैं।

(iii) **कारागार प्रबंधन में मानवाधिकार (एचआर)** वर्ष 2013–14 के दौरान 12 पाठ्यक्रम जेएंडके कारागार विभाग, तिहाड़ कारागार, सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, पंजाब जेल प्रशिक्षण स्कूल, कर्नाटक करागार जेल अधिकारी प्रशिक्षण कालेज, पुणे और क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आरआईसीए), कोलकाता को आवंटित किए गए हैं।

(iv) **व्यक्तित्व विकास (पीडी)** वर्ष 2013–14 के दौरान 11 पाठ्यक्रम जे एंड के कारागार विभाग, तिहाड़ कारागार, सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, पंजाब जेल प्रशिक्षण स्कूल, कर्नाटक कारागार, जेल अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज, पुणे, और क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आरआईसीए), कोलकाता को आवंटित किए गए हैं।

(v) **प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण (टीओटी)** वर्ष 2013–14 के दौरान 11 पाठ्यक्रम कर्नाटक कारागार, तिहाड़ कारागार, सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, पंजाब जेल प्रशिक्षण स्कूल, जेल अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज, पुणे, सी एस मुख्यालय छत्तीसगढ़ और क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आरआईसीए), कोलकाता को आवंटित किए गए हैं।

अपराध विज्ञान और पुलिस विज्ञान संबंधी डाक्टोरल फैलोशिप प्रदान करना

9.1.12 प्रत्येक वर्ष इससे संबंधित विषयों पर पीएच.डी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए 12 फैलोशिप प्रदान की जाती हैं। अनुसंधान विभाग ने 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अपराध विज्ञान और पुलिस विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टोरल कार्य के लिए 78 फैलोशिप प्रदान की हैं। चार अनुसंधान फैलो ने वर्ष 2013–14 के दौरान अपना डॉक्टोरल कार्य पूरा कर दिया है और अपनी थेसिस प्रस्तुत कर दी है। इस समय सत्रह बीपीआरएंडडी अनुसंधान फैलो अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

आयोजित किए गए सम्मेलन/सेमिनार

9.1.13 बीपीआरएंडडी द्वारा निम्नलिखित सम्मेलन/सेमिनार प्रायोजित किए गए हैं:

(i) दिनांक 15.02.2013 से 17.02.2013 तक "21वीं शताब्दी में आपराधिक न्याय पर पुनर्विचार" विषय पर 36वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(ii) दिनांक 06.05.2013 को आयोजित आतंकवाद–रोधी राष्ट्रीय सेमीनार में निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श किया गया:–

(क) आंतरिक सुरक्षा कानून/उनका निहितार्थ।

(ख) पुलिस सुधार/समय की मांग।

(ग) वैश्वीकरण और देश के बाहर आपराधिक नेटवर्क।

(घ) महिला सशक्तीकरण और बदलती सोच/मानसिकता।

(iii) "राष्ट्रीय संकट प्रबंधन योजना की प्रभाविता में वृद्धि' पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 06.05.2013 को आंतकवाद–रोधी राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमीनार की प्रमुख सिफारिशें थीं:–

(क) आंतकवाद संबंधी समसामयिक मामलों पर चर्चा करने हेतु सी टी बलों (राज्य कमाण्डो/एस डब्ल्यू ए टी बलों) के अध्यक्षों की एक राष्ट्र–स्तरीय समिति गठित की जाए। इस समिति के कार्यकरण को एन एस जी द्वारा समन्वित किया जाए।

(ख) सभी एजेंसियों को अपने द्वारा किए गए कार्यों की अंकीकृत मास्टर–प्लान/ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिसे एन एस जी जैसे आतंक–रोधी बलों के साथ साझा किया जा सके।

(ग) राज्य की संकट प्रबंधन समिति को एन एस जी के अभ्यासों में भागीदारी करने की सलाह दी जाए।

(घ) एन एस जी द्वारा गृह मंत्रालय की ओर से सी टी/सी एच परिदृश्यों पर वार्षिक राष्ट्र–स्तरीय प्रचालनात्मक चर्चा/अभ्यासों का समन्वय किया जाए।

(ड.) संबंधित मामले के समन्वय के लिए एन एस जी के मुख्यालय में राज्यों के नोडल अधिकारियों की एक वार्षिक कान्फ्रेंस आयोजित की जाए।

आधुनिकीकरण विंग

9.1.14 गृह मंत्रालय ने दिनांक 03.10.2012 को बीपीआरएंडडी से कहा कि वह एलडब्ल्यूई राज्यों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रु. के आबंटन के साथ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) संबंधी प्रभाव आकलन अध्ययन करे। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख दिनांक 01.09.2013 तक बढ़ाई गई थी। योजना को उन महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए शुरु किया गया है जो वर्तमान योजना में नहीं आ सकती हैं। ये दुर्गम क्षेत्रों में वर्तमान सड़कों/रास्तों का उन्नयन कर पुलिस/सुरक्षा बलों की आवाजाही की आवश्यकता, दूर–दराज और अंदरूनी क्षेत्रों में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर शिविर वाले स्थानों और हेलीपैडों को सुरक्षा प्रदान करने, सुभेद्य क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों के संबंध में सुरक्षा बढ़ाने के उपायों से संबंधित हैं।

ग्रामीण पुलिस स्टेशन की मानवशक्ति आकलन संबंधी अध्ययन

9.1.14.1 रघुनाथपल्ली, आन्ध्र प्रदेश स्थित ग्रामीण पुलिस स्टेशन का मानवशक्ति आकलन संबंधी अध्ययन मार्च, 2013 में पूरा किया और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डीजीपी और सीएपीएफ को भेजा गया था।

9.1.14.2 यह अध्ययन आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में स्थित रघुनाथपल्ली पुलिस स्टेशन पर आधारित था जो हैदराबाद से लगभग 90 कि.मी. और वारंगल जिले से 40 कि.मी. की दूरी पर है। इस जिले की कुल जनसंख्या 3,52,644 है। आंध्र प्रदेश स्थित एक पुलिस स्टेशन सामान्यतः 50,000 की जनसंख्या सहित 15 से 20 गांव को कवर करता है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन, रघुनाथपल्ली की जनसंख्या 52,646 (26,431 पुरुष और 26,215 महिलाएं) हैं।

अध्ययन के संक्षिप्त निष्कर्ष

9.1.15 बी पी आर एंड डी द्वारा सिफारिश किया गया ग्रामीण पुलिस स्टेशन का मानवशक्ति आकलन निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	टास्क ड्यूटी	निरीक्षक	उ.नि.	स. उ.नि.	हेड कांस्टेबल	कांस्टेबल	कुल
1.	रिपोर्टिंग और रिस्पेशन जी डी राइटर (24 घंटे में 3 पालियां)			3	3	3	9
2.	पुलिस स्टेशन सुरक्षा				1	4	5
3.	एस्कोर्ट ड्यूटी			1	1	4	6
4.	कोट और मालखाना ड्यूटी				1	2	3
5.	पुलिस स्टेशन रिकार्ड का रखरखाव				1	2	3
6.	डाक ड्यूटी					2	2
7.	कोर्ट में पेश करने की ड्यूटी				3	3	6
8.	वायरलेस कम्यूनिकेशन			1	3	3	7
9.	ड्राइवर की ड्यूटी				3	3	6
10.	कंप्यूटर ऑपरेटर				1	2	3
11.	हाउस कीपिंग	सुरक्षा अनापत्ति की शर्त पर आवश्यक स्टाफ को आउटसोर्स किया जा सकता है।					
12.	सुपरवीजन ड्यूटी		1	1	1	3	6
13	जांच दल			6			18
14.	बीट पोस्ट/पेट्रोलिंग ड्यूटी				4	4	12
15.	लोक शिकायत/याचिका जांच स्टाफ				3		3
16.	अव्याख्येय (अनएकाउंटेबल) ड्यूटी/साप्ताहिक ऑफ छुट्टी और ट्रेनिंग रिजर्व(28%)		2	2	8	13	25
	कुल	1	9	11	39	54	114

नोट:–

(क) प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक जांच दल स्वीकृत किया गया है। जांच दल की संख्या अपराधों के अनुपात के आधार पर पुलिस स्टेशन–वार बढ़ाई जा सकती है।

(ख) उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए कुल 114 पुलिस कर्मियों की सिफारिश की गई है। उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में स्थानीय सुरक्षा स्थितियों को ध्यान में रखकर जनशक्ति बढ़ाई जा सकती है।

(ग) सुरक्षा संबंधी अनापत्ति की शर्त पर हाउसकीपिंग स्टाफ को आवश्यकतानुसार अर्थात् कुक–01, डब्ल्यू/सी–01, एस/के–01 आउटसोर्स किया जा सकता है।

(घ) प्रत्येक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए प्रत्येक बीट एक मोटर साइकिल की भी सिफारिश की गई है और कम से कम बीट की संख्या 4 होगी जिसे बीट अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा।

(ङ) ग्रामीण पुलिस स्टेशन में डाक ड्यूटियों के लिए 01 मोटर साइकिल के अतिरिक्त कम से कम 01 मध्यम वाहन (मीडियम व्हीकल) २ हलके वाहन और एक मोटर साइकिल की सिफारिश की गई है।

राज्यों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश

9.1.16.1 कुछ संगठनों से विविध भूमिकाओं, अन्य कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आवश्यक जनशक्ति के संदर्भ में जनसंख्या और अपराध दर में परस्पर सम्बन्ध, कार्यभार, विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए और अध्ययनों की आवश्यकता और कुछ अन्य पहलुओं से संबंधित टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच की गयी है और अध्ययन की आगामी पुनरीक्षा ओर संशोधन में इनकी चर्चा की जाएगी।

9.1.16.2 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटक/आईईडी/बारुदी सुरंगों के संबंध में बीपीआरएंडडी ने एसओपी तैयार किया। इसे गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, अपनाया गया और एल डब्ल्यू ई प्रभावित सभी 9 राज्यों और सीएपीएफ में आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया।

9.1.16.3 बीपीआरएंडडी द्वारा "भारत में पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) के सुचारू कार्यकरण में जीव विज्ञान का योगदान" पर दिनांक 24.05.2013 को एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में राज्य पुलिस बलों और सीएपीएफ, बीपीआरएंडडी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन(डीआरडीओ) के एसपी और इससे उच्च रैंक के लगभग 45 अधिकारियों ने भाग लिया।

9.1.16.4 बीपीआरएंडडी के दिशानिर्देश में कोलकाता और लुधियाना में दो मॉडल पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है। इन मॉडल पुलिस स्टेशनों के निर्माण की लागत क्रमशः 2.11 करोड़ रूपए और 2.60 करोड़ रूपए है। इन मॉडल पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए बीपीआरएंडडी ने प्रत्येक के लिए 2.00 करोड़ रूपए प्रदान किए। बीपीआरएंडडी द्वारा फोटोग्राफी/विडियोग्राफी सहित पूरी की गई रिपोर्ट/निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के आधार पर ये दोनों मॉडल पुलिस स्टेशनों (कोलकाता और लुधियाना) को संबंधित राज्यों द्वारा अधिकार में ले लिया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीन मॉडल पुलिस स्टेशन ग्रेड-III का निर्माण

9.1.17 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चम्पई, मिजोरम, डीएचक्यू, इम्फाल, मणिपुर और चौपंकी, अलवर, राजस्थान में तीन मॉडल पुलिस स्टेशनों के निर्माण का एक प्रस्ताव दिनांक 26.12.2013 को 3.00 करोड़ रु. की लागत अर्थात् प्रत्येक के लिए एक करोड़ या वास्तविक निर्माण लागत का अनुमोदन किया गया।

बेंगलुरू में तीसरा अखिल भारतीय पुलिस आवास सम्मेलन

9.1.18.1 कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम लिमिटेड ने बीपीआरएंडडी के साथ मिल कर बेंगलुरू में दिनांक 30.05.2013 और 31.05.2013 को तीसरे अखिल भारतीय पुलिस आवास सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। राज्य पुलिस आवास निगमों के प्रमुखों/एडीजी, तकनीकी विशेषज्ञों और सीएपीएफ के प्रतिनिधि सहित 41 सहभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

9.1.18.2 बीपीआरएंडडी ने सरकार द्वारा जारी प्रक्रियाओं/मार्गनिर्देशों के आधार पर सी ए पी एफ को शस्त्रों की आपूर्ति नीतियों में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

क) प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के मद्देनजर प्राधिकार देने को युक्तिसंगत बनाना।

ख) उक्त क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास करना।

ग) भावी आवश्यकता।

घ) पुराने शस्त्रों को चरणबद्ध रूप से हटाना।

ड.) संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए उनके खतरों की संभावनाओं, घातकता और कार्यकरण की आवश्यकताओं के आधार पर शस्त्रों का चयन करना।

च) प्रशिक्षण और सेवा हथियारों का परिमाण।

छ) विशिष्ट मदों की तैनाती और नियुक्ति।

ज) कम–घातक हथियारों का प्रयोग करना।

झ) संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आधुनिकीकरण योजना–II के अधीन प्रस्तावित शस्त्रों और गोला–बारूद का परिमाण और शस्त्रों पर विचार।

9.1.18.3 बीपीआरएंडडी के अधिदेश में सुझाव दिया गया है कि सी ए पी एफ ओर राज्य पुलिस बलों

के लिए जानकारियों को साझा करने के प्लेटफार्म के रूप में नए तकनीकी उत्पादों का प्रदर्शन और प्रस्तुतीकरण आयोजित किया जाए। इसी अधिदेश की परिधि में बीपीआरएंडडी द्वारा दिनांक 22.08.2013 को बी एस एफ, भोंडसी फायरिंग रेंज, गुडगांव, हरियाणा "कोई लागत नहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं के आधार" पर यू एस की "डिफेंसेल" नामक फर्म मैसर्स वी ए ए पी इंटरनेशनल (प्रा.) लि. के माध्यम से एक प्रदर्शन एवं प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

राष्ट्रीय पुलिस मिशन का प्रादुर्भाव

9.1.19 बीपीआरएंडडी में वर्ष 2009 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है। इस निदेशालय में निम्नलिखित 7 माइक्रो–मिशन कार्य कर रहे हैं:

एम एमः01 मानव संसाधन विकास

(पुलिस जनसंख्या अनुपात–केरियर की प्रगति–नेतृत्व–उत्तरदायितव–निष्पादन का मूल्यांकन–प्रशिक्षण – नेशनल पुलिस युनिवर्सिटी–मानसिकता में परिवर्तन–पुलिस कर्मियों का कल्याण आदि)

एम एमः 02 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

(पुलिस व्यवस्था में समुदाय को शामिल करना–मीडिया उद्योग और अन्य संगत घटकों से पुलिस का आमना–सामना (इन्टरफेस)–पुलिस की छवि आदि)

एम एमः 03 संचार और प्रौद्योगिकी

(पोलनेट–सी आई पी ए–साइबर तकनीक– विधिविज्ञान–डीएनए–नार्को विश्लेषण आदि)

एम एमः 04 अवसंरचना

(भवन–शासकीय और आवासीय उपकरण और अस्त्र–शस्त्र आदि)

एम एमः 05 नई प्रक्रियायें (इंजीनियरिंग की प्रक्रिया)

(जारी पुलिस पद्धतियां–पुनरीक्षा और प्रभाव विश्लेषण–मौजूदा सर्वोत्तम पद्धतियां–भारत और अन्य स्थानों पर नवीनीकरण और उनकी स्वीकार्यता–प्रापण पद्धति–प्रतिनिधिमंडल और विकेन्द्रीकरण आदि)

एम एमः 06 पूर्व उपचारात्मक पुलिस व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण

(उग्रवाद और नकसलवाद–भीड़ द्वारा हिंसा–साइबर अपराध–धनशोधन–नार्को आतंकवाद–मानव दुर्व्यापार आदि)

एम एमः 07 महिलाओं के प्रति अपराध और महिलाओं संबंधी मुद्दे

(महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, बलात्कार पर विशेष बल सहित को रोकना और जानकारी पर आधारित अपराध रोकने की रणनीति)

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु परिचालित गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं

9.1.20 **(क) पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टी आर पी)**

(i) टी आर पी परियोजना, ओ एम आर शीट, लम्बाई और वजन की डिजिटल रिकार्डिंग, आर एफ आई डी चिप, सी सी टी वी, वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक डिवाइज आदि जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग लागू करके साधारण और सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के उपयोग पुलिस कर्मियों की स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अभेद्य (टेम्पर प्रूफ), वैज्ञानिक और योग्यता पर आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए है।

(ii) यह परियोजना वर्ष 2009 में कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट की मिशन निदेशालय द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है।

(iii) एन पी एम द्वारा 14.02.2014 के पी पी ए, फिलौर में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के लिए टी आर पी पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

(iv) मिशन निदेशालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालन के लिए टी आर पी पर एक सार–संग्रह (कम्पेंडियम) तैयार करने की प्रक्रिया में है।

(ख) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक पुलिस-व्यवस्था कार्यक्रम (एम एमः 02)

इस परियोजना का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था और स्थानीय लोगों को विकास योजनाओं

के लाभों की व्यवस्था की सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार सृजित करने हेतु युवाओं को व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षित करना है। सरकार द्वारा इस परियोजना को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 106 जिलों में परिचालित किया है।

(ग) पुलिस कर्मियों के लिए साफ्ट स्किल ट्रेनिंग

(i) इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को, नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण और सेवा–उन्मुखी बनाने और उनमें सकारात्मक और सहयोग की मानसिकता विकसित करने हेतु उनकी मानसिकता और व्यवहार में सुधार करना है।

(ii) सरकार द्वारा यह परियोजना 28.08.2009 को अनुमोदित की गई थी। दिल्ली पुलिस के लिए 03 दिन की अवधि के 14 नियमित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें कुल 460 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। दिल्ली पुलिस के पुलिस कांस्टेबलों/हेड कांस्टेबलों/सहायक उप निरीक्षकों के लिए अक्तूबर, 2012 से मार्च 2013 के दौरान 3 दिवसीय 25 नियमित कार्यक्रम एस टी सी राजेन्द्र नगर , नई दिल्ली में आयोजित किए गए जिनमें कुल 850 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। दिल्ली पुलिस के दो सब डिवीजनों अर्थात् दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम जिलों को साफ्ट स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत पूर्णरूप से कवर कर लिया गया है।

(iii) आई आई डी एम भोपाल द्वारा लुधियाना के चार पुलिस स्टेशनों पर हुए प्रभाव का अध्ययन (इम्पैक्ट स्टडी) किया गया है जिसमें इस कार्यक्रम को जारी रखने की सिफारिश की गई है।

9.1.21 बीपीआर एंड डी ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 28.10.2013 और 29.10.2013 को "भारत में महिला सुरक्षा में सुधार" के संबंध में इंस्टिट्यूट फॉर कांफ्लिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित कीं। इसका आयोजन महिलाओं का बलात्कार किए जाने और उनके प्रति की जा रही अत्यधिक हिंसा के मद्देनजर किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति अपराधों के मुद्दों के विभिन्न आयामों पर चर्चा करना और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करना था। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रमुख, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ या संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले बुद्धिजीवी शामिल थे, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण किया और पैनल चर्चा की। इसने न केवल समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला बल्कि प्रतिक्रियाओं के सबसे व्यापक संभावित क्षेत्र पर भी समीक्षा की।

9.1.22 बीपीआरएंडडी, मानव के अवैध व्यापार को रोकने के संबंध में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों की राज्य पुलिस को समय पर निधियां जारी करने/पुनः प्राप्त करने में सहायता करती रही है।

1. जारी की गई सही–सही राशि (2010–14)

- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर पर जारी की गई निधियां = 96.11 लाख रु.।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर जारी की गई निधियां = 177.38 लाख रु.।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए (राज्य और जिला) जारी की गई कुल राशि = 203.60 लाख रु.।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए (राज्य और जिला) उपयोग की गई वास्तविक निधियां = 203.60 लाख रु.।
- राज्यों/जिलों के पास शेष राशि = 69.43 लाख रु.।

2. आयोजित किए गए प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षणों के ब्योरे (2010–14)

- वर्ष 2010–14 के बीच राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षणों की कुल संख्या = 46
- वर्ष 2010–14 के बीच जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षणों की कुल संख्या = 258
- आयोजित किए गए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षणों की कुल संख्या (राज्य और जिला) = 304
- राज्य/जिला स्तर पर आयोजित कुल कार्यशालाओं की संख्या = 299
- राज्य/जिला स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में कुल भागीदारों की संख्या = 5791

9.1.23 भारतीय पुलिस पत्रिका (आईपीजे): बीपीआर एंड डी, भारतीय पुलिस पत्रिका (आईपीजे) प्रकाशित करती है जो पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध तिमाही पत्रिका है। वर्ष 1954 से यह अधिसंख्य पाठकों की जरुरतों को पूरा कर रही है जिनमें राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय, नीति निर्माताओं से लेकर शिक्षा शास्त्री और पुलिस व्यवस्था के विभिन्न स्टेकहोल्डरों से लेकर विद्यार्थी तक इसके पाठक हैं।

9.1.24 बीपीआर एंड डी, "भारत में पुलिस संगठन संबंधी आंकड़े" नामक बुकलेट वार्षिक आधार पर तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस बलों से आंकड़े एकत्र करता है, संवीक्षा करता है, संकलन करता है, सारणीबद्ध करता है और उनका विश्लेषण करता है जिसमें पुलिस बलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आंकड़े होते हैं। पिछला बुकलेट दिनांक 06.03.2014 को प्रकाशित हुआ जिसमें दिनांक 01.01.2013 तक के आंकड़े थे।

9.1.25 बीपीआरएंडडी ने एक सुसज्जित पुस्तकालय भी विकसित किया है। पुस्तकालय ने पुलिस विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनी पुस्तकों की संख्या बढ़ाई है। पुलिस विज्ञान में अपराध, अपराध विज्ञान और आपराधिक कानून, सुधारात्मक प्रशासन, कानून और व्यवस्था और सुरक्षा, विधि विज्ञान, जनता–पुलिस संबंध, हथियार, यातायात और परिवहन, साइबर अपराध, पुलिस सुधार, इतिहास, पुलिस संगठन का दर्शन और समाजशास्त्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पुस्तकालय में परंपरागत और ई–संसाधन, दोनों हैं। पुस्तकालय में पीएच.डी थीसिस और अनुसंधान रिपोर्टों का अनूठा संग्रह है और यह कई विद्वानों को आकृष्ट करता है। पुस्तकालय, विशेषज्ञ अभिरुचि के 20 विदेशी और 32 भारतीय पत्रिकाओं में भी अभिदान करता है। इसके अलावा, पुस्तकालय, ऑन–लाइन संसाधनों में भी अभिदान करता है। यह पुस्तकालय इन–हाउस अनुसंधानकर्ताओं के साथ–साथ दूसरी जगह के अनुसंधानकर्ताओं की जरुरतों को भी पूरा करता है। यह पुस्तकालय, दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क का भाग है और इस प्रकार यह संसार को एक झरोखा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की जरुरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए इसके पास 15 लाख रूपए का पर्याप्त बजट था।

महिपालपुर, नई दिल्ली में बीपीआरएंडडी और एनसीआरबी के नए मुख्यालय का निर्माण

9.1.26 गृह मंत्रालय द्वारा योजनागत स्कीमों के अंतर्गत 117.34 करोड़ रु. की लागत से पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नए मुख्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सौंपा गया है। निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित भवनों के निर्माण संबंधी विभिन्न गतिविधियों की प्रगति चल रही हैः–

(i) बीपीआरएंडडी ब्लॉक का निर्माण

(ii) एनसीआरबी ब्लॉक का निर्माण

(iii) सामान्य सुविधाओं के ब्लॉक का निर्माण

(iv) रिहायशी आवास (लिविंग एकमोडेशन) का निर्माण

इस परियोजना की स्वीकृति 117.34 करोड़ रु. की लागत से योजनागत स्कीम के अंतर्गत दी गई है। वर्ष 2013–14 के वित्त वर्ष के दौरान 20,81,93,720 रु. की राशि व्यय की गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

9.2.1 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराध और अपराधियों सहित इनसे संबंधित सूचना के क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करने के लिए 1986 में की गई थी ताकि अपराधकर्ताओं, अपराध और अंगुलि छाप संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन से जोड़कर जांचकर्ताओं और अन्यों की सहायता की जा सके, राज्य अपराध रिकार्ड का समन्वय, मार्ग दर्शन और सहायता तथा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। एन सी आर बी भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक एवं अपराध आसूचना से सशक्त बनाने के प्रयास करता है ताकि वे कानून का प्रभावकारी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक प्रवर्तन करने में सक्षम हो सके और लोक सेवा प्रदान करने में सुधार किया जा सके। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों के साथ समन्वय करके, अपराध विश्लेषण प्रौद्योगिकी

का उन्नयन करके और सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता एवं आई टी समर्थित समाधान का विकास करके हासिल किया जाता है।

पुलिस का प्रशिक्षण

9.2.2 इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। अंगुलिछापों, अपराध और अपराधी का पता लगाने के नेटवर्क और प्रणाली (सी सी टी एन एस) और आईटी से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण देने सहित अपराध रिकार्ड प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

9.2.3 एन सी आर बी भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1986 से और विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1990 से सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंगुलिछाप विज्ञान के संबंध में पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहवर्धक रही है और प्रशिक्षार्थियों की वार्षिक संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विदेशी पुलिस पदाधिकारियों के लिए 6 पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा एन सी आर बी औसतन प्रतिवर्ष लगभग 20–22 पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है।

9.2.4 एन सी आर बी में वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे:

पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारियों के लिए

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	दिनांक	पाठ्यक्रमों की सं.
1.	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (एसआई से उप पुलिस अधीक्षक)	1 सप्ताह	22.04.2013 से 26.04.2013 10.06.2013 से 14.06.2013	2
2.	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (एसपी रैंक के अधिकारियों के लिए)	तीन दिवसीय	वर्ष 2013 के दौरान	11
3.	नेटवर्क एवं ई–सुरक्षा	1 सप्ताह	17.06.2013 से 21.06.2013 02.12.2013 से 06.12.2013	2
4.	भारत में साख्यिंकी साफ्टवेयर अपराध पर आपरेटरों का पाठ्यक्रम/ दुर्घटना के कारण मृत्यु और आत्महत्या	1 सप्ताह	26.08.2013 से 30.08.2013	1
5.	कारागार आंकड़ों पर आपरेटरों का पाठ्यक्रम	तीन दिवसीय	16.04.2013 से 18.04.2013	1
6	साइबर सुरक्षा पर पाठ्यक्रम	1 सप्ताह	27.04.2013 से 30.04.2013 02.09.2013 से 06.09.2013 09.12.2013 से 12.12.2013	3
7.	रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (सी पी बी एस)	तीन दिवसीय	08.05.2013 से 10.05.2013	1
आईटीईसी/एससीएएपी/टीसीएस योजनाओं के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम				
8.	कानून प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी	12 सप्ताह	06.01.2014 से 28.03.2014	1
9.	अंगुलिछाप विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी	12 सप्ताह	06.01.2014 से 28.03.2014	1

10.	विधि प्रवर्तन में आई टी पर उन्नत कार्यक्रम	6 सप्ताह	07.10.2013 से 15.11.2013	1
11.	उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	6 सप्ताह	07.10.2013 से 15.11.2013	1
12.	कंम्प्यूटर नेटवर्किंग और सुरक्षा में उन्नत कार्यक्रम	6 सप्ताह	08.07.2013 से 16.08.2013	1
13.	उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	6 सप्ताह	08.07.2013 से 16.08.2013	1
14.	पीसी आपरेशन (एन एचआरसी के लिए विशेष पाठ्यक्रम)	1 सप्ताह	13.05.2013 से 17.05.2013	1
15.	सीएफपीबी, एनसीआरबी के लिए विशेष अंगुलिछाप पाठ्यक्रम	1 सप्ताह	24.06.2013 से 28.06.2013	1

9.2.5 एनसीआरबी के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए राज्यों की प्रशिक्षण संबंधी जरुरतें कहीं अधिक हैं। एनसीआरबी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण करने की योजना का गृह मंत्रालय ने अनुमोदन कर दिया था। देश में ये पुलिस कंम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (पीसीटीसी) कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर और हैदराबाद में स्थापित किए गए थे और एनसीआरबी प्रशिक्षण के विस्तार के रूप में वर्ष 1990 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र उप–निरीक्षक से लेकर उप–पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरुरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।

9.2.6 एनसीआरबी की सलाह पर और इसके द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री सहित आवधिक दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं और उन्होंने रंगरूटों के लिए पुलिस प्रशिक्षण कालेज/स्कूल में कंम्प्यूटर प्रशिक्षण माड्यूल शुरु किए हैं।

9.2.7 एनसीआरबी की स्थापना से लेकर दिनांक 31.03.2014 तक एनसीआरबी द्वारा अयोजित किए गए कुल पाठ्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है:–

	एनसीआरबी में			क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में	कुल
	भारतीय	विदेशी	कुल		
आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	673	57	730	1132	1862
भाग लेने वाले अधिकारी	12449	1037	13486	25925	39411

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (सीपीबीएस)

9.2.8 इस साफ्टवेयर को पीड़ित या गवाहों द्वारा अपराधी और अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों का चित्र बनाने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है।

जाली मुद्रा सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीसीआईएमएस)

9.2.9 एनसीआरबी द्वारा विकसित जाली मुद्रा सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीसीआईएमएस), वर्ष 2005 में शुरू की गई जो समूचे देश में भारतीय रिजर्व बैंक की 19 शाखाओं द्वारा बरामद और राज्य पुलिस विभागों द्वारा जब्त नोटों आदि के मूल्य वर्ग, श्रृंखला और संख्या जैसे पैरामीटरों पर जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) से संबंधित डाटाबेस का सृजन करती है।

9.2.10 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एफआईसीएन के लिए नोडल एजेंसी और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) के प्रयोग के लिए रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं। एनसीआरबी में दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार जब्त और बरामद किए गए 11,44,632 रिकार्डों का डाटाबेस उपलब्ध है।

वर्ष 2003 से सभी राज्य और आरबीआई नियमित रूप से आंकड़े भेज रहे हैं।

मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस)

9.2.11 मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस) को चुराए गए तथा बरामद किए गए मोटर वाहनों और उनसे संबंधित पूछ–ताछ के समन्वय के लिए डिजाइन किया गया है। इसे वर्ष 1989 में शुरु किया गया था। इसका प्रयोग आम नागरिक द्वारा, किसी लेनदेन में शामिल होने से पहले प्रयुक्त वाहन की इस स्थिति को निर्धारित करने के लिए कि यह चुराया गया है अथवा कुछ और है, के लिए भी किया जा रहा है। देशभर में 32 कांउटरों (एनसीआरबी मुख्यालय में एक सहित)के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। पुलिस/सरकारी विभागों/बीमा कम्पनियों से प्रति माह प्राप्त हुए लगभग 6,000 प्रश्नों को एनसीआरबी में इस प्रणाली के माध्यम से उत्तर दिया जाता है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार चुराए गए/बरामद किए गए 10,11,830 वाहनों का डाटाबेस मौजूद है।

9.2.12 एनसीआरबी द्वारा वेब आधारित ऑनलाइन एमवीसीएस साफ्टवेयर विकसित किया गया है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। वाहन समन्वय नामक एमवीसीएस का अद्यतन रुप एनसीआरबी द्वारा 11.03.2014 को शुरू किया गया एक ऑनलाइन साफ्टवेयर है। जब पुलिस को चुराए गए/बरामद किए गए वाहनों के मामलों की सूचना दी जाएगी तो ऐसे मामलों के आंकड़ों की प्रविष्टि करने के लिए शीघ्र ही यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एनसीआरबी में आंकड़ों को अद्यतन करने में न केवल समय की बचत होगी बल्कि स्थानीय पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (आरटीए) के लिए यह अत्यधिक उपयोगी होगा। यह माड्यूल आम जनता, बीमा कंपनियों/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को उनके स्थान पर ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी होगा।

तलाश सूचना प्रणाली

9.2.13 तलाश सूचना प्रणाली को लापता, अपहृत, वांछित, पता लगाए गए, गिरफ्तार किए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के मिलान के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली एनसीआरबी में चालू है और मुख्यतः पुलिस से प्राप्त होने वाली पूछताछ पर कार्यवाही की जाती है। आम नागरिक द्वारा देखे जाने के लिए एनसीआरबी वेबसाइट पर आंकडे अपलोड कर दिए गए हैं। दिनांक 31.03.2014 तक डाटाबेस का आकार 4,77,640 रिकार्डों का है।

9.2.14 निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से एनसीआरबी को आंकड़े भेज रहे हैंः–

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

9.2.15 आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली, चोरी किए गए और बरामद किए गए आग्नेयास्त्रों का समन्वय करने में सहायता करती है और मुख्यतः कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।

अपराध, अपराधी सूचना प्रणाली (सीसीआईएस)

9.2.16 विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तैयार करने के लिए एनसीआरबी से यथा प्राप्त अपराध, अपराधी और संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को रिकार्ड करने के लिए वर्ष 1994 से एनसीआरबी में अपराध अपराधी सूचना प्रणाली साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सीसीआईएस डाटाबेस का आकार 42378212 रिकार्डों का है। जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से एनसीआरबी को आंकड़े भेज रहे हैं वे हैंः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंकड़े भेजने के लिए राज्यों को नियमित अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सी एफ पी बी)

9.3.1 केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सीएफपीबी) कोलकाता में वर्ष 1955 में अस्तित्व में आया। सी एफ पी बी देश का एक शीर्ष निकाय है जो अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में राज्य अंगुलिछाप ब्यूरो, जाँच एजेन्सियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का समन्वय करता है, मार्गदर्शन करता है, मानीटर करता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों का अंगुलिछाप रिकार्ड रखता है। यह विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त विवादित अंगुलिछापों वाले प्रश्नगत दस्तावेजों की, उन पर विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करने के लिए, जांच करता है। सी एफ पी बी वार्षिक रूप से 'अंगुलिछाप ब्यूरो के निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन' भी आयोजित करता है। ऐसा ही 26वां सम्मेलन 22.03.2014 से 23.03.2014 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ मिलकर गुजरात विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा दिनांक 22 और 23 मार्च, 2014 को आयोजित अंगुलिछाप ब्यूरो के निदेशकों का XVI वां अखिल भारतीय सम्मेलन

9.3.2 सी एफ पी बी ने एक "ऑटोमेटिड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम" (एस एफ आई एस) का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर अंगुलिछाप के स्वचलन में अग्रणी कार्य किया है। एनसीआरबी और सीएमसी लि. द्वारा एक साथ मिलकर विकसित किए गए "फिंगरप्रिंट एनालिसिस एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम" (एफ ए सी टी एस) नामक इस साफ्टवेयर की स्थापना सी एफ पी बी में वर्ष 1992 में की गई थी। यह रिज–करेक्टरस्टिक्स के आधार पर अंगुलिछाप की मैचिंग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। सीएफपीबी में ए एफ आई एस का वर्तमान वर्ज़न एफ ए सी टी एस वर्ज़न 5.0 है। ए एफ आई एस डाटाबेस में दस अंक के अंगुलिछाप स्लिप के 9,40,880 रिकार्ड हैं।

9.3.3 देश के अंगुलिछाप विशेषज्ञों को मान्यता दिलाने के लिए, सी एफ पी बी वार्षिक 'अखिल भारतीय अंगुलिछाप विशेषज्ञ बोर्ड परीक्षा' का आयोजन करता है। यह ब्यूरो एन सी आर बी, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए अंगुलिछाप विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह ब्यूरो अपनी कोलकाता इकाई में अंगुलिछाप विज्ञान में छह महीने के दो दक्षता पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2013 के दौरान लक्षद्वीप पुलिस के लिए भी अंगुलिछाप विज्ञान में तीन माह का एक विशेष पाठ्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्रम सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2014–15 में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
1	2	3	4
1.	नई दिल्ली में विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	1. 07.01.2013 से 29.03.2013 2. 08.07.2013 से 16.08.2013 3. 07.10.2013 से 15.11.2013 4. 06.01.2014 से 28.03.2014	1. 14.07.2014 से 22.08.2014 2. 13.10.2014 से 21.11.2014 3. 05.01.2015 से 27.03.2015
2.	कोलकाता में अंगुलिछाप विज्ञान में छह महीने का दक्षता पाठ्यक्रम	1. 01.01.2013 से 28.06.2013 2. 01.07.2013 से 31.12.2013	1. 01.01.2014 से 30.06.2014 2. 01.07.2014 से 31.12.2014
3.	कोलकाता में लक्षद्वीप पुलिस के लिए अंगुलिछाप विज्ञान में तीन माह का विशेष पाठ्यक्रम	22.08.2013 से 21.11.2013 (लक्षद्वीप पुलिस के लिए)	(सिक्किम पुलिस के लिए उनकी सुविधानुसार पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा।)

9.3.4 यह ब्यूरो "फिंगर प्रिंट इन इंडिया" नामक एक वार्षिक प्रकाशन निकालता है जो स्टेट फिंगर प्रिंट ब्यूरेक्स, सीएफपीबी और अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित अन्य सहायक मामलों के कार्य निष्पादन और क्रियाकलापों का संकलन है। ऐसा अंतिम प्रकाशन सितम्बर, 2013 में निकाला गया है।

विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस)

9.4.1 गृह मंत्रालय के तहत विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस) देश में विधि विज्ञान के संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी है। यह कोलकाता, हैदराबाद, चण्डीगढ़, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित छह केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) का संचालन करता है। यह संगठन देश में विधि विज्ञान के लिए गुणवत्ता, क्षमता और क्षमता निर्माण का संवर्धन और विनियमन करने के लिए योजनाएं, नीतियां तैयार करके विधि विज्ञान की सर्वोत्तम प्रथाएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीएफएसएस, भीतरी और बाहरी आरएंडडी और अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता और फैलोशिप योजनाएं स्थापित करके विधिविज्ञान सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के नवाचार हेतु अनुसंधान और विकास कार्यों को भी प्रोत्साहित करता है।

डीएफएसएस के तहत वर्तमान केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं

9.4.2 विधि विज्ञान सेवा निदेशालय की चंडीगढ़, कोलकाता और हैदराबाद में सुस्थापित तीन प्रयोगशालाएं हैं। इन तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य डीएनए विश्लेषण, साइबर विधि विज्ञान, बालिस्टिक, रसायन, विधि विज्ञान दस्तावेज, विष विज्ञान, विधि विज्ञान मनोविज्ञान, आवाज की पहचान, टेप अधिमान्यकरण, मोबाइल विधि विज्ञान और छाया संसाधन के संबंध में उच्च तकनीकी अपराध प्रदर्शों की जांच करना है। ये प्रयोगशालाएं अनुसंधान और विकास कार्य करती हैं और तकनीकी क्रियापद्धति विकसित करने में विधिविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ये पुलिस, मेडिको–लीगल विशेषज्ञों और न्यायपालिका के प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों में भी आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। ये उच्च तकनीकी वाले अपराधों के संबंध में घटना की प्रतिक्रियाओं में जांचकर्ता अधिकारियों की भी सहायता करती है।

9.4.3 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं (सी एफ एस एल), विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों को औषधियों, विस्फोटकों, डी एन ए, दस्तावेजों, साइबर अपराध आदि से संबंधित मामलों की जांच करने में

विधि विज्ञान सहायता प्रदान करती हैं। अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 तक के पिछले एक वर्ष के दौरान चंडीगढ़, कोलकाता और हैदराबाद स्थित तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं ने विभिन्न विधि विज्ञान क्षेत्रों के तहत 7,014 मामलों की जांच की और रिपोर्ट दी। सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने विभिन्न अदालतों में 1000 + अदालती साक्ष्य दिए।

तीन नई केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना

9.4.4 भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुणे, भोपाल और गुवाहाटी में तीन और सीएफएसएल स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि उच्च तकनीकी और उभरते अपराधों से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने हेतु विधि विज्ञान को सुदृढ़ बनाया जा सके। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पुणे, भोपाल और गुवाहाटी में आधुनिक प्रयोगशाला भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ विधि विज्ञान सेवा निदेशालय और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनसीबीटी) के बीच 29.03.2014 को एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए गए हैं और एनबीसीसी को 31.03.2014 को तत्काल निर्माण कार्य शुरु करने के लिए 11.43 करोड़ रु. की अग्रिम राशि जारी कर दी गई है।

शुरू की गई पहलें

9.4.5 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी छः केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए वर्तमान प्रभागों के अलावा निम्नलिखित छः नए प्रभागों का अनुमोदन किया है:

क) डिजिटल विधि विज्ञान प्रभाग (विधिविज्ञान इलैक्ट्रोनिक्स);

ख) विधि विज्ञान डीएनए प्रभाग;

ग) विधि विज्ञान इंजीनियरिंग प्रभाग;

घ) विधि विज्ञान आसूचना प्रभाग;

ड.) विधि विज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग;

च) स्वापक मादक पदार्थ प्रभाग;

विधि विज्ञान परिचालनों में तकनीकी सहायता

9.4.6 डीएफएसएस और इसकी प्रयोगशालायें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की कार्यशालाओं, विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यान्वयन, मानक परिचालन प्रक्रियाओं के विकास और समीक्षा आयोजित करने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और उन्होंने निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए हैं:

i) डिजिटल अपराधों में साक्ष्यों का विश्लेषण और प्रामाणिक मूल्य की समीक्षा करके न्यायपालिका में जागरूकता का सृजन किया।

ii) बैंकों, बीमा, ई–शासन, वित्तीय संगठनों आदि के लिए नेटवर्क सुरक्षा, प्रासंगिक प्रतिक्रिया आदि में आईटी के अंतिम प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

iii) विधि विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए समावेशन और उन्नत प्रशिक्षण की सुविधा

iv) पुलिस, न्यायपालिका, बैंकों आदि द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा

v) जांचकर्ताओं, विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों सहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की सुविधा

vi) अपराध दृश्य प्रबंधन और अपराध के साक्ष्य का विधि विज्ञान विश्लेषण करने के लिए वैधीकरण और दक्षता परीक्षण प्रक्रिया विकसित करने की सुविधा

vii) विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रत्यायन और दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की।

9.4.6.1 मानकों में सुधार करने के लिए विधि विज्ञान की समान सूचना प्रदान करना अनिवार्य बेंचमार्क है। डीएफएसएस, विधि–विज्ञान के सभी क्षेत्रों में समान सूचना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से दस्तावेज परीक्षण के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं और सभी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजी गई हैं।

भारतीय विधि विज्ञान विनियामक और विकास प्राधिकरण (एफ आर डी ए)

9.4.7 डीएफएसएस, सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके विधि विज्ञान विनियामक विकास प्राधिकरण (एफआरडीए) शुरु करने की कार्रवाई कर रहा है ताकि विधि विज्ञान सेवाओं और विधि विज्ञान का कार्य कर रहे और इससे जुड़े अन्य सभी मामलों के प्रमाणन का विनियमन, मानकीकरण और प्रत्यायन की व्यवस्था की जा सके।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

9.4.8 डीएफएसएस, कई देशों को विधि विज्ञान से संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। मालदीव में आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है और भारतीय सहायता से हनोई, वियतनाम में ऐसी ही उच्च तकनीकी कंम्प्यूटर विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

अनुसंधान और विकास

9.4.9 अधिनिर्णय के अनुसार डीएफएसएस और सीएफएसएल की यह जिम्मेदारी है कि वे विधि विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित कर, पुरस्कार और प्रोत्साहन कार्यक्रम स्थापित कर विधिविज्ञान और आरएंडडी में उत्कृष्टता को बढ़ावा दें। नई तकनीकों और क्रियाविधियों का विकास करने के लिए आर एंड डी कार्य में वैज्ञानिकों और अनुसंधान फैलो को सक्रिय रूप से लगाया गया है।

9.4.10 इस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय ख्याति की विभिन्न पत्रिकाओं में सीएफएसएल के वैज्ञानिकों के 26 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित हुए हैं। पीएच.डी की दो डिग्रियां प्रदान की गई हैं और पीएच.डी की डिग्री प्रदान किए जाने के लिए अनुसंधान फैलो और सेवा कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा चार थीसिस प्रस्तुत की गई हैं।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला

प्रस्तावना

9.5.1 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच–पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक सहायता और सेवायें प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक एड्स यूनिट भी है जो चेन्नई में सीबीआई शाखा में है। आज केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सीबीआई, नई दिल्ली देश की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से है जिसमें भौतिक, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग, सीरम विज्ञान, प्राक्षेपिकी, दस्तावेज, अंगुलिछाप, झूठ का पता लगाने, विधि विज्ञान संबंधी मनोविज्ञान, फोटो, कंम्प्यूटर विधि विज्ञान और वैज्ञानिक एड्स प्रभाग जैसे कई प्रभाग है।

9.5.1.1 इस प्रयोगशाला की स्वीकृत कुल कार्मिक संख्या 182 (वैज्ञानिक स्टाफ और सचिवालय स्टाफ) है और वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान में 1,12,700 रु. (गैर योजना) और 55,000 रुपय (योजनागत) का बजट अनुदान आबंटित किया गया है।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली

अधिकारिता

9.5.2 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी एफ एस एल), नई दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन है। सी एफ एस एल, सी बी आई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों और उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सी एफ एस एल के विशेषज्ञ, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा भेजे गए प्रदर्शों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। सी.बी.आई. द्वारा अपराध स्थल पर भौतिक सुरागों का पता लगाने के लिए पूरे भारत में इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक/ विशेषज्ञ, सी.बी.आई. के जांचकर्ता अधिकारियों और विधि विज्ञान के अन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। यह प्रयोगशाला विधि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कला एवं दक्षता विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती हैं।

अपराधों प्रदर्शों की जांच, वैज्ञानिक रिपोर्टिंग, अदालत में उपस्थिति और अपराध स्थल का दौरा

9.5.3 सी एफ एस एल (सी बी आई) का प्रमुख कार्यक्षेत्र अपराध प्रदर्शों (विधि विज्ञान प्रदर्शों) का विश्लेषण करना और बाद में उनकी रिपोर्टिंग करना और न्यायालय में विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करना है। प्रयोगशाला के वैज्ञानिक दिल्ली और भारत के अन्य भागों के न्यायालयों में अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं और अपराधों की वैज्ञानिक जांच में सहायता देने के लिए दिल्ली और भारत के अन्य भागों में साक्ष्य सामग्री जुटाने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करते हैं। इनके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और न्यायिक न्यायालयों को विधि विज्ञान में नियमित सहायता सेवाएं प्रदान की गई। राजस्व आसूचना निदेशालय, बैंकों, मंत्रिमंडल सचिवालय बोर्ड और अन्य सार्वजनिक उद्यमों को भी विधि विज्ञान सहायता दी जाती है।

गुणवत्ता आश्वासन की ओर पहल

9.5.4 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए काम की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सी बी आई) नई दिल्ली का आईएसओ आईईसी 17025 और नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एन ए बी एल) 113 के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एन ए बी एल) द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है। इसके विभिन्न प्रभागों को भेजे गए विभिन्न प्रकार के अपराध प्रदर्शों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला ने विस्तृत गुणवत्ता नियमावली और कार्यशील प्रक्रिया नियमावली तैयार की है। वर्ष के दौरान 1500 मामलों (लगभग) में उपयुक्तता की जांच की गई। एन ए बी एल की जरुरत के अनुसार गुणवत्ता नियमावली में संशोधन किया गया। प्रयोगशाला में एक नया मानक प्रारूप (प्रोफार्मा) यथा आई एस ओ आई ई सी 17025–2005 शुरू किया गया। अपराध प्रदर्शों के विश्लेषण कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरणों का एन ए बी एल द्वारा प्रामणित एजेंसियों के माध्यम से अंशांकन किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला प्रबंधन के साथ–साथ अभिलेखन प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए सी एफ एस एल के सभी प्रभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा, नामित आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। वर्ष 2013 के दौरान, जहां कहीं आवश्यक था वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तर के प्रबंधन कार्मिकों द्वारा प्रबंधन समीक्षा की

गई। इस समय चल रहे गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। यह प्रयोगशाला, जनता और जांचकर्ता एजेंसियों और न्यायपालिकाओं को प्रमाणिक मानकों की आश्वस्त सेवायें प्रदान करने की अपनी गुणवत्ता नीति का कड़ाई से पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी प्रकार के अपराध के मामलों की विधि विज्ञान जांच करने संबंधी जटिलताओं का प्रभावी उपचारात्मक हल निकाला जा सके और उचित न्याय किया जा सके।

डी एन ए प्रोफाइलिंग यूनिट में रीयल टाइम पी सी आर प्रणाली

मौजूदा जांच सुविधाएं

9.5.5 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रभाग हैं जो प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध स्थलों से संबंधित भौतिक सुराग प्राप्त करने/पता लगाने में विभिन्न जांचकर्ता एजेंसियों को विधि विज्ञान सहायता सेवायें प्रदान करते हैं।

प्राक्षेपिकी (बालिस्टिक्स) प्रभाग

9.5.6 यह प्रभाग, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से साज्जित है। इसके कार्य में अपराध में प्रयुक्त हथियारों का स्वरूप और प्रकार का निर्धारण करने के लिए आग्नेयास्त्रों की जांच करना; संदिग्ध हथियारों से की गई फाइरिंग की दूरी, फायर किए गए बुलेटों/कारतूसों के केसों को संदिग्ध हथियार से जोड़ना और अचानक चली गोली के साक्ष्य के लिए हथियार के तंत्र की जांच करना शामिल है।

9.5.7 विस्फोटक पदार्थ के जांच कार्य में अपराध, लोक व्यवस्था बनाए रखने, दंगों, पुलिस गोलीबारी, मुठभेड़ आदि में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थों (सिविल, मिलिट्री और आई ई डी) और विस्फोटक यंत्रों की जांच करना और राय देना, अपराध/विस्फोट वाली जगह आदि पुनः तैयार करना, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोगशाला विश्लेषण करना और उनका पता लगाना शामिल हैं। विस्फोटक पदार्थों की कार्य प्रणाली और विस्फोट के अवशिष्टों के विश्लेषण का उन्नयन करने के लिए इस प्रभाग को हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी सिस्टम जैसे और अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित किया गया है।

जीव विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग प्रभाग

9.5.8 यह प्रभाग, विधिविज्ञान जीव विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के विश्लेषणात्मक कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से सज्जित है। प्रभाग में किए जा रहे जीव वैज्ञानिक विश्लेषणों में रक्त, वीर्य, लार, मूत्र, पसीना और दूध जैसे सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिक द्रवों का पता लगाना और उन्हें सिद्ध करना शामिल है। इसके अलावा प्रयोगशाला को बाल, फाइबर, टिसू और वनस्पतीय प्रदर्शों की सटीक माइक्रोस्कोपिक जांच करने के लिए सज्जित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, डी एन ए प्रोफाइलिंग प्रयोगशाला को जीव विज्ञान प्रभाग की देख–रेख में चलाया जा रहा है। जीव विज्ञान प्रभाग की हाई टेक डी एन ए प्रोफाइलिंग प्रयोगशाला प्रचालनात्मक है और इस प्रभाग को सीबीआई के साथ–साथ राज्य सरकारों और न्यायपालिका से भी सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिक नमूने प्राप्त हो रहे हैं।

9.5.9 सूचित किए गए मामले विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें हत्या/मानव हत्या, आत्महत्या, हमला, अप्राकृतिक यौन अपराध, डकैती, लूटपाट, चोरी और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले शामिल हैं।

रसायन विज्ञान प्रभाग

9.5.10 इस प्रभाग में विष विज्ञान, स्वापक पदार्थ और सामान्य रसायन विश्लेषण अनुभाग शामिल हैं। यह प्रभाग आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से सज्जित है और आंत, जीवविज्ञान से संबंधित द्रवों, ट्रैप के मामलों, दहेज हत्या के मामलों, पैट्रोलियम उत्पादों, एसिड और जांचकर्ता एजेंसियाँ द्वारा भेजे गए अन्य विविध प्रकार के प्रदर्शों का रासायनिक विश्लेषण करता है। जीव वैज्ञानिक द्रवों सहित आंत की जांच, मानव हत्या और आत्महत्या के उन मामलों में जहर का पता लगाने के लिए की जाती है जिन्हें सीबीआई, दिल्ली पुलिस, माननीय न्यायालयों जैसी जांचकर्ता एजेंसियों और देश के अन्य भागों से भेजा जाता है। अनुसंधान और विकास गतिविधियां अद्यतन तकनीकों और विश्लेषणों के महत्वूपर्ण तरीकों को कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाते हैं।

प्रलेखन प्रभाग

9.5.11 प्रलेखन प्रभाग में हस्तलेख, हस्ताक्षर, टाइप स्क्रिप्ट, रबड़ की मोहर की छाप, सील की छाप, जाली करेंसी नोट और लॉटरी के टिकटों की जांच, प्रक्षेप, स्थानापन्न, वृद्धि, लिखे हुए पर लिखे का निर्धारण करने, यांत्रिक और रसायनिक रूप से मिटाए गए लिखे हुए का पता लगाने, अदृश्य स्याही का पता लगाने, झुलसाये गए और जलाए गए दस्तावेजों को पुनः तैयार करने, परस्पर मिलने वाले बिंदुओं पर स्ट्रोकों के क्रम का निर्धारण करने, कागज के टुकड़ों या क्षतिग्रस्त किनारों की जांच करने और उसका अन्य भागों के साथ मिलान करने, दस्तावेजों की निरपेक्ष या आपेक्षिक आयु का निर्धारण करने, स्याही, कागज और लेखन सामग्री आदि की जांच करने का कार्य किया जाता है।

अंगुली छाप प्रभाग

9.5.12 अंगुलि छाप प्रभाग, सीबीआई की सभी शाखाओं को प्रश्नगत अंगूठे की छाप की जांच करने, घटनास्थल पर मौजूद छाप लेने के लिए वहां का दौरा करने, गुप्त छापों का विकास करने, अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति के दस अंक के अंगुलियों के छाप के नमूने लेने और अदालतों में प्रस्तुत करने के संबंध में सेवायें प्रदान करता है। इसी प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण अपराध जांच–पड़ताल में दिल्ली पुलिस और न्यायिक अदालतों तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। घटना स्थल पर मौजूद छापों का विकास करने के लिए हाइ इंटेंसिटी लाइट सोर्स नामक हाइ पावर लेजर बीम लाइट सोर्सेज और पोर्टेबल इक्विपमेंट से इस प्रभाग को वर्ष के दौरान सज्जित किया गया है।

झूठ का पता लगाने वाला प्रभाग (लाइ डिटेक्शन डिविजन)

9.5.13 भारत में सीएफएसएल, नई दिल्ली ऐसा पहला संस्थान है जहां पर पूर्ण लाइ डिटेक्शन प्रभाग स्थापित है। वर्ष 1973 से आज तक मनोवैज्ञानिक–शरीर विज्ञान संबंधी धोखों का पता लगाने के लिए लगभग 11500 विषयों की जांच की गई है। यह प्रभाग राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी मामलों में न केवल सीबीआई को बल्कि दिल्ली पुलिस और देश की अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवायें प्रदान करता है। विधि विज्ञान संबंधी मनोविज्ञान प्रभाग कंम्प्यूटरीकृत (डेस्कटॉप और लैपटॉप) पोलीग्राफ उपकरणों के आधुनिक मॉडल रखता है। लैपटॉप पोलीग्राफ उपकरण का प्रयोग दिल्ली से बाहर अन्य कई स्थानों पर (यहां तक कि जेल में भी) विषयों की पोलीग्राफ जांच के लिए किया गया है।

9.5.14 इस प्रभाग ने सीबीआई के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच–पड़ताल करने में पर्सनेलिटी असेस्मेंट, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की है। प्रभाग ने विषय के मष्तिष्क 'X' में मौजूद सूचना का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए कार्य योजना शुरु की है और (1) स्वापक विश्लेषण (2) ब्रेन मैपिंग (3) कम्प्यूटरीकृत पोलीग्राफ सिस्टम(3यूनिट) और (4) वायस स्ट्रैस विश्लेषण (वीएसए) सुविधाएं खोलने के प्रयास कर रहा है। इसकी स्थापना किए जाने से अपराध की जांच–पड़ताल करने में सहायता मिलेगी।

फोटो और वैज्ञानिक सहायता प्रभाग

9.5.15 फोटोग्राफी प्रभाग, अपराध प्रदर्शों, की जांच करने में सीएफएसएल/सीबीआई के सभी प्रभागों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। प्रश्नगत फोटो प्रिंट पर प्रभाग के विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञ राय भी देते हैं। समूचे भारत में अदालतों में सीडी/आडियो/वीडियो कैसेट की रिकार्डिंग की जाती है और उन्हें चलाया जाता है। डिजिटल रूप से समकक्ष वीडियो आंकड़े अंतरित करने के अलावा फोटो प्रभाग के पास अधुनातन प्रौद्योगिकी वीडियो मेजरमेंट सिस्टम है ताकि वीडियो फिल्मों के अधिप्रमाणन की जांच की जा सके।

भौतिक विज्ञान प्रभाग

9.5.16 भौतिक विज्ञान प्रभाग में पेंट, ग्लास, मिट्टी, फाइबर, धातु के टुकड़ों, धागों और रस्सियों, कपड़े के टुकड़ों, संघर्ष के चिन्हों और कपड़े पर काट के चिन्हों, गांठ की जांच, धातु की सील, डाक सील की जांच, वाहनों की मिटाई गई चेसिस और इंजन संख्या, वाहनों की पंजीकरण प्लेट का पता लगाने, उपकरणों के चिहन आदि की जांच करने जैसी विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। यह प्रभाग, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के संबंध में टेलीफोनिक और प्रत्यक्ष रिकार्डिंग की जांच कर रहा है। इसके लिए कंप्यूटरीकृत स्पीच लैब मॉडल सीएसएल–4500 नामक कंप्यूटरीकृत वॉइस स्पैक्ट्रोग्राफ का अत्याधुनिक मॉडल और बंगलौर के वायस और स्पीच सिस्टम द्वारा विकसित स्पीच साइंस लेबोरेट्री (एसएसएल) प्रोफेशन एडिशन प्राप्त कर लिया गया है और इसका उपयोग स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के मामलों का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। लोपटीक्लीयर नामक शोर न्यूनीकरण प्रणाली (नोयज रिडकशन सिस्टम) नोयजी आडियो रिकार्डिगों को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इन क्रियाकलापों के अलावा, भौतिक विज्ञान प्रभाग घटना स्थल का दौरा करता है और नियमित आधार पर घटना स्थल की पुनः संरचना करने का भी कार्य करता है। प्रभाग ने नॉयज रिडक्शन/सिग्नल एंहांसमेंट और ऑडियो टैप ऑथेंटिकेशन के क्षेत्र में नए परियोजना कार्य शुरु किए हैं।

सीरम विज्ञान प्रभाग

9.5.17 सीरम विज्ञान प्रभाग द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सहायता में शरीर के द्रव, टिशू, लार, वीर्य और शरीर के अन्य द्रव्यों के मूल रूप और किस्मों का निर्धारण करना शामिल है। सूचित किए गए मामलों में हत्या, लापरवाही के कारण मृत्यु, हत्या करने की मंसा के बगैर आपराधिक मानव हत्या, हत्या करने की कोशिश में घायल करने, यौन अपराध (बलात्कार/अप्राकृतिक यौन), मृत्यु के कारण की जांच और विविध स्वरूप के मामले शामिल होते हैं।

कंम्प्यूटर विधि विज्ञान प्रभाग

9.5.18 कंप्यूटर विधिविज्ञान प्रभाग ने जनवरी, 2004 से कार्य करना शुरु किया। इसके मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला को भेजे गए कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न अपराधों में कंप्यूटर साक्ष्य सुरक्षित रखना, पहचान करना, प्राप्त करना और प्रलेखन करना है। कंप्यूटर विधिविज्ञान में अत्याधुनिक प्रौद्योगिक उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। पृथक और स्वतंत्र विकासकों द्वारा विकसित मल्टिपल साफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरणों का प्रयोग करके साक्ष्य संसाधन प्रक्रियाओं की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है। परिणामों की वैधता के लिए विकसित किए गए जिन विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है वह महत्वपूर्ण है ताकि साफ्टवेयर डिजायन में संभावित और साफ्टवेयर बग के कारण अशुद्धता से बचा जा सके। परिणाम की शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण

है और इसलिए प्रयोगशाला में मल्टिपल टूल्स और तकनीकों का प्रयोग करके दोहरा वैधीकरण मानक प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर के विशेषज्ञों द्वारा मल्टिपल टूल्स और प्रक्रियाओं का उपयोग करके वैधीकरण करने से संभावित समस्यायें दूर हो जाती हैं।

वैज्ञानिक सहायता यूनिट

9.5.19 सीएफएसएल, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में एक–एक अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता यूनिटें सृजित की गई हैं। मुम्बई और कोलकाता स्थित दोनों युनिटों का उदघाटन कर दिया गया है और ये प्रचालन कर रही हैं। कोलकाता यूनिट में अवसंरचना विकास कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है और यहां पर परिचालन कार्य शीघ्र ही शुरु होने की आशा है।

भावी विकास

9.5.20 यह प्रयोगशाला नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को अद्यतन करने पर ध्यान दे रही है। नई प्रौद्योगिकी को (1) ब्रेन फिंगर प्रिटिंग (2) टाक्सीकोलॉजी (3) एनालाग/डिज़िटल ऑडियो/वीडियो एनालिसिस नामक प्रभाग के लिए खरीदा जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी उन्नयनों, अंशांकन प्रणालियों इत्यादि के लिए पहलें की गई हैं। वर्तमान समय में चेन्नई और मुम्बई में वैज्ञानिक सहायता इकाइयों (एस ए यू) में केवल चार प्रभाग कार्यरत है। तथापि, भविष्य में इन चेन्नई और मुम्बई जोन की वैज्ञानिक सहायता इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णरूपेण विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयास शुरु किए जाएंगे। कोलकाता स्थित वैज्ञानिक सहायता इकाई को प्रचालनात्मक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस)

9.6.1 आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1972 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। भारत से पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा बलों और विधि–विज्ञान प्रयोगशालाओं के 37,437 अधिकारियों और लगभग 18 देशों ने संस्थान के विभिन्न अभिमुखीकरण और विशेषज्ञ पाठयक्रमों में भाग लिया।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.6.2 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के बीच इस संस्थान ने पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन और कारागार के पदाधिकारियों के लिए 40 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 06 सेमिनार और 06 कार्यशालाएं आयोजित कीं। कुल मिलाकर भारत के विभिन्न भागों से 1531 अधिकारियों और 50 विदेशी अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

9.6.3 यह संस्थान वर्ष 2004 से अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान में एम.ए./एम.एससी पाठ्यक्रम भी चलाता रहा है जो गुरू गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। शुरु में संस्थान ने सभी विद्यार्थियों के लिए साझा पाठ्यचर्या के साथ ये पाठ्यक्रम शुरु किए थे। संस्थान ने नई पाठ्यचर्या शुरु की है जिसमें अपराध विज्ञान में विशेषज्ञता की 3 समानांतर स्ट्रीम और विधिविज्ञान में विशेषज्ञता की 4 समानांतर स्ट्रीम हो सकती हैं। ये स्ट्रीम हैं (क) एम.ए. (अपराध विज्ञान) पाठ्यक्रम में आर्थिक अपराध और निवारण, (ख) सुरक्षा प्रबंधन और (ग) आपराधिक न्याय में मानवाधिकार और एम.एससी. (विधि विज्ञान) पाठ्यक्रम में (i) विधिविज्ञान बालिस्टिक, (ii) विधिविज्ञान प्रलेख परीक्षा, (iii) विधिविज्ञान रसायन विज्ञान और विष विज्ञान और (iv) विधि विज्ञान जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग। संस्थान के एम.ए./एम.एस.सी. शिक्षण का निरीक्षण हर वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है। जुलाई, 2013 में किए गए निरीक्षण के बाद संस्थान की श्रेणी का उन्नयन पहले की "श्रेणी बी" से "श्रेणी ए" में कर दिया गया।

9.6.4 यह संस्थान नई अवसंरचना का सृजन और 'अपराध नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र' स्थापित कर रहा है और प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ये दोनों प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हैं जिसके लिए 42 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता की पुष्टि की गई है। संस्थान में 35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 80 कमरों वाले नए होस्टल ब्लॉक, फैकल्टी के लिए आवास और नए पुस्तकालय ब्लॉक और 5 करोड़ रुपए की लागत पर टीचिंग ब्लॉक पर दूसरी मंजिल का निर्माण शुरु किया है।

दिनांक 28.09.2013 को आयोजित एनआईसीएफएस का स्नातक समारोह

9.6.5 संस्थान ने दिनांक 28.09.2013 को 'संस्थान दिवस, 2013' मनाया। इसने दिनांक 28.09.2013 को 2009–11 और 2010–12 बैच के विद्यार्थियों के लिए स्नातक समारोह आयोजित किया। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त न्यायविद प्रो. उपेन्द्र बख्शी, प्रोफेसर एमरिटस, युनिवर्सिटी ऑफ वारविक (यूके) और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय ने "टुवर्ड्स नॉरमेटिव कंप्लाएंस एंड एंफोर्समैंट" विषय पर स्नातकों को संबोधित किया। प्रोफेसर डी.के. बंदोपाध्याय, कुलपति, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने प्रमाणपत्र प्रदान किए। श्री खुर्शीद अहमद गनाई, अपर सचिव (एफ), गृह मंत्रालय माननीय अतिथि थे। श्री रंजीत सिन्हा, निदेशक, सीबीआई ने समारोह की अध्यक्षता की।

गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति से प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए विद्यार्थी

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू)

9.7.1 पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू) देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है और यह पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय और राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, निदेशालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और डिवाइसों के लिए केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सी डी ए) का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

9.7.2 यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित पूरे देश में फैले हुए सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों के संचार नेटवर्क के इष्टतम कार्यकुशलता स्तर पर चौबीसों घंटे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशन नेटवर्क की संचार

सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों के लिए भी किया जाता है। निदेशालय, डीसीपीडब्ल्यू के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रेडियो संचार के सर्किटों की खराबी दूर करने के लिए डीसीपीडब्ल्यू के आंतरिक मानीटरिंग सैल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। राज्य/केन्द्रीय/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस स्तर पर इन खराबियों को कम करने के लिए निदेशालय द्वारा उचित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं। संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी), रक्षा मंत्रालय से साइफर दस्तावेज/डिवाइस प्राप्त करने और रखने और उन्हें फिर देश के पुलिस संचार नेटवर्क में सुरक्षित संचार का अनुरक्षण करने के लिए कंट्रोल क्रिप्टो सेंटर, नई दिल्ली और संचार केन्द्र, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस रेडियो संगठन और आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों में वितरित करने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा डीसीपीडब्ल्यू को केन्द्रीय विकास प्राधिकरण (सीडीए) नियुक्त किया गया है। यह निदेशालय वायरलेस प्रौद्योगिकी पर वॉयस और डाटा अनुप्रयोग में नई डिजिटल क्रिप्टो प्रौद्योगिकी लाने की प्रक्रिया में है। विशेष रूप से उच्च आवृत्ति संचार (हाई फ्रीकवेंसी कम्युनीकेशन) के संदर्भ में पुलिस की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ परस्पर संवाद शुरू कर दिया गया है।

9.7.3 कार्यात्मक जरुरतों के साथ–साथ उपलबध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार के क्षेत्र में डिज़िटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) और ऑटोमैटिक लिंक (एएलई) जैसी सज्जित प्रौद्योगिकी से विस्तृत तकनीकी और फील्ड अध्ययन किया गया। डीसीपीडब्ल्यू सहित पुलिस संगठनों में इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं।

पोलनेट परियोजना

9.7.4 पोलनेट (पुलिस नेटवर्क) सभी प्रयोक्ता संगठनों अर्थात राज्य पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों को इंटीग्रेटिड सेटेलाइट बिजनेस (आईएसबीएन), सिंगल कैरियर पर चैनल (एससीपीसी) और डिजिटल वीडियो ब्रोडकास्टिंग सेटेलाइट (डीवीबी–एस) आधारित डाइरेक्ट (डी डब्ल्यू) नेटवर्कों के माध्यम से निर्बाध और मूल्य वर्धित उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करता है। कुल 971 वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) लगाए गए हैं और संबंधित पुलिस संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाल ही में वेब मेल सुविधा सभी आई टी बी पी पोलनेट टर्मिनलों को उपलबध कराई गई है।

9.7.5 आपदा प्रबंधन सहायता वीसैट आधारित नेटवर्क हब का पुनर्विन्यास किया गया है और नए आबंटित भारतीय सैटेलाइट जीसैट–12 में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। नेटवर्क से राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग एजेंसी, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय समुद्र सूचना सेवा राष्ट्रीय केन्द्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल आयोग के नोडों, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय आदि में निगरानी नोडों तथा आपदा की संभावना वाली राज्य की राजधानियों में स्थित अन्य नोडों को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा, आवाज और आंकड़ा संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस हब से सभी प्रयोक्ता संगठनों को चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सीएपीएफ की वै–सैट की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन पूरा हो गया है और उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) के उन्नयन और विस्तार का प्रस्ताव तैयार करते समय इस पर ध्यान दिया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

9.7.6 देश के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सी पी आर टी आई), नई दिल्ली के दो प्रशिक्षण विंग (साइफर और तकनीक) हैं, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिस दूरसंचार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य निदेशालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के अधिकारियों के लिए दक्षता पाठ्यक्रमों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षकों के

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विशेष पाठ्यक्रमों जैसे नियमित पाठ्यक्रमों को आयोजित करना है। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ने पुलिस संगठनों के सुरक्षित संचार प्रतिष्ठानों के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों सहित पुलिस कार्मिकों के लिए तकनीकी और साइफर, दोनों में कुल 77 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और 1033 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

9.7.7 सामग्री और श्रमशक्ति के संदर्भ में वर्तमान अवसंरचना का विस्तार करके गुणात्मक बढ़ोतरी की गई है। चूंकि आधुनिकीकरण के वर्तमान युग का मुख्य जोर टैक्नो प्रबंधकीय कौशल पर है इसलिए अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और प्रबंधन उन्मुख कार्यक्रमों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

योजना और समन्वय

9.7.8 डी सी पी डब्ल्यू, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) का सदस्य है तथा इसने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना के निर्माण में बहुत अधिक योगदान प्रदान किया है और अपनी संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग और समन्वय (डब्ल्यू पी सी) विंग द्वारा उनके आबंटन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं। यह डब्ल्यू पी सी के साथ राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के स्पैक्ट्रम पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है ताकि प्रयोक्ता संगठनों में संचार का व्यवधान मुक्त संचार सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस का स्पेक्ट्रम पुननिर्माण रिकांसिलिएशन का मुद्दा, दूर संचार विभाग के साथ उचित परामर्श करके सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा दिया गया है।

कार्यशाला और मूल्यांकन

9.7.9 डीसीपीडब्ल्यू ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दर संविदा तैयार करने के लिए एचएफ रेडियो उपकरणों के संबंध में आधुनिक विशेषताएं शामिल करके तकनीकी विनिर्देशन प्रदान करके डीजीएसएंडडी की सहायता की। इसने घरेलू जरुरतों के लिए वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों की मरम्मत और परीक्षण के 800 कार्य भी किए।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का रिजर्व स्टॉक:

9.7.10 आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी परिचालनात्मक आपात स्थितियों के दौरान केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों की सहायता करना इस निदेशालय की सबसे कठिन जिम्मेदारियों में है। इस निदेशालय ने दिनांक 31.03.2014 तक 21 राज्यों और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) को अपेक्षित रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी कर दिए हैं।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

9.8.1 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एन सी बी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों एवं राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एनसीबी, स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों, 1961, 1971, 1988 (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी निभाता है। यह स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उसके दमन के लिए की जाने वाली वैश्विक कार्रवाइयों को सुकर बनाने हेतु विभिन्न देशों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.8.2 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी

क्षेत्रीय, मुम्बई में दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रीय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा 13 क्षेत्रीय इकाइयाँ दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बंगलौर और पटना में है, 12 आसूचना प्रकोष्ठ तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरई, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में हैं तथा 5 प्रकोष्ठ एन सी बी मुख्यालय में अर्थात इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन के विभिन्न कार्यों के निपटान के लिए एक प्रवर्तन प्रकोष्ठ है।

9.8.3 अवधि के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित भूमि का प्रापण किया:

क) इंदौर: इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) से 3490. 91 वर्ग मीटर की भूमि (प्लॉट नं. 13) खरीदी गई। एनसीबी ने दिनांक 10.10.2013 को भूमि का कब्जा लिया।

ख) अहमदाबाद: अहमदाबाद विकास प्राधिकरण से 6478 वर्ग मीटर (1.60 एकड़) भूमि खरीदी गई। भमि का कब्जा शीघ्र ले लिया जाएगा।

ग) लखनऊ: कार्यालय–सह–रिहायशी परिसर के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

घ) चेन्नई: निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

ड.) कोलकाता: निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

च) चण्डीगढ़: कार्यालय के निर्माण के लिए 0.5 एकड़ भूमि का प्रस्ताव चण्डीगढ़ प्रशासन के विचारार्थ है।

छ) बंगलौर – भूमि के कब्जे की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है।

ज) दिल्ली–दिनांक 21.01.2014 के पत्र के तहत डी डी ए ने एन सी बी से रोहिणी और द्वारका जोन के बीच भूमि की अपनी पसंद बताने का अनुरोध किया था। एन सी बी ने द्वारका जोन के लिए अपनी सहमति दे दी है।

प्रवर्तन के प्रयास

9.8.4 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान देश की विभिन्न एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा सूचित की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:–

मादक पदार्थ का नाम	सभी एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. (अनंतिम)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा.)	सम्पूर्ण भारत में जब्ती की तुलना में एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थों का प्रतिशत
स्वापक पदार्थ			
हेरोइन	1,412	400	28.32%
अफीम	2,372	497	20.95%
मार्फिन	08	1.2	15%
गांजा	1,07,817	6,014	5.57%
हशीश	4,596	279	6.07%
कोकीन	47	21	44.68%
मेथाक्वालीन	3,205	72	2.24%
एमफिटामिंस	68	35	51.47%
मन:प्रभावी पदार्थ			
मन:प्रभावी पदार्थ	3,74,66,812 टेबलेट 95,362 इंजेक्शन	9,00,570 टेबलेट 94,750 इंजेक्शन	2.40% 99.35%
केटामाइन	1,356	55	4.05%

प्रिकर्सर रसायन			
इफेड्रिन/सुडो–इफेड्रिन	6,935	1,980	28.55%
सुडो–इफेड्रिन गोलियां(संख्या)	3,40,43,204	8,46,774	2.48%
एसोटिक एनहाइड्राइड	243	20	8.23%

9.8.5 वर्ष 2013–14 (दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा की गई कुछ प्रमुख जब्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैः–

I. विशिष्ट सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर आंचलिक इकाई .ने दिनांक 20.04.2013 को प्रतापगढ़, राजस्थान में अवैध प्रयोगशाला का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया जिससे स्वापक पदार्थ, प्रिकर्सर रसायन, मनरूप्रभावी पदार्थ और उपकरण मादक पदार्थों के विनिर्माता से बरामद हुए। अभियान के दौरान लगभग 28.010 किग्रा. एंमफिटमिंस, 11.010 किग्रा मेथाक्वालोन (मैड्रैक्स), 9 क्रिग्रा. एसिटिक एनहाइड्राइड, 1.5 किग्रा. अफीम, 270 ग्राम हेरोइन और 39 किग्रा. अमोनिया जब्त किया गया। इसके अलावा, मिक्सचर मशीन, हॉट सीलिंग मशीन, मिक्सिंग पैन, तराजू और पैकिंग सामग्री भी घटना स्थल से बरामद की गई। इस मामले में अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

II. दिनांक 27.04.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के अधिकारियों ने शाहदरा बस स्टैंड, नई दिल्ली से 11.3 किग्रा. हशीश बरामद की। यह मादक पदार्थ बिहार से लाया गया था। इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

III. दिनांक 01.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गुवाहाटी के अधिकारियों ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में रेलवे पार्सल से 293.6 किग्रा की गोलियां बरामद की जिसमें सुडो–एफेड्रिन थी। जब पार्सल का मालिक पार्सल प्राप्त करने आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के रूप में उसकी निशानदेही पर उसके दो और साथी भी गिरफ्तार किए गए। मादक पदार्थों की बुकिंग नई दिल्ली से हुई थी।

IV. दिनांक 11.05.2013 को सीमा सुरक्षा बल, फिरोजपुर के अधिकारियों ने पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा पिलर सं. 178/2 के आस–पास से दक्षिण–पश्चिम एशियाई 4.010 किग्रा. हेराइन जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। जब्त किया गया मादक पदार्थ और गिरफ्तार किया गया अभियुक्त एनडीपीएस अधिनियम के तहत एनसीबी, अमृतसर को सौंप दिया गया।

V. दिनांक 13.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बैंगलोर के अधिकारियों ने एक ट्रक रोका और उससे 15.038 किग्रा अफीम जब्त की। यह मादक पदार्थ 14 गनी बैग में ट्रक की कैबिन में छिपा कर रखा गया था। इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

VI. दिनांक 17.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, देहरादून के अधिकारियों ने एनसीबी, लखनऊ से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक वाहन रोका और उसकी तलाशी ली जिससे 33.608 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन पावडर जब्त किया गया। ऐसे कई दस्तावेज भी वाहन से बरामद किए गए जो जांच–पड़ताल में सहायक होंगे।

VII. दिनांक 19.05.2013 को जोधपुर आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने जोधपुर में 22 किग्रा. अफीम जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

VIII. दिनांक 22.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, दार्जिलिंग मोड़, बर्दवान जिला, पश्चिम बंगाल में एक वाहन रोका और 146.492 किग्रा. गांजा जब्त किया। इस मामले में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

IX. दिनांक 25.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने श्रीलंका बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर, पहाड़गंज, नई दिल्ली में दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका और उनकी तलाशी ली। इस तलाशी से उनके कब्जे से 5 किग्रा. हेरोइन बरामद हुई जो सूटकेस के अंदर पैक थी। इस मामले में दोनों ही व्यक्ति गिरफ्तार कर दिए गए।

X. दिनांक 28.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने ढिलों थिएटर, मनीमाजरा, चंडीगढ़ के निकट एक वाहन रोका और 15.400 किग्रा. अफीम जब्त किया। इस मादक पदार्थ को काले रंग के पोलीथिन के 31 पैकेटों में पैक किया गया था और इसे वाहन की पिछली सीट के पीछे बनाई गई कैविटी में छिपा कर रखा गया था। इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

XI. दिनांक 28.05.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के लोको पाइलट और गार्ड एरिया के निकट लावारिस पड़े काले रंग के ट्रैवल बैग से 4.600 किग्रा. हेरोइन जब्त की।

XII. दिनांक 18.06.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने रिहाइशी परिसर के निकट किसी व्यक्ति के वाहन को रोका जब वे 9.2 किग्रा. अफीम की खेप सौंपने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में दो व्यक्ति, वाहन का ड्राइवर और मकान मालिक को गिरफ्तार कर दिया गया।

XIII. दिनांक 18.06.2013 को राजस्थान पुलिस, मालासार के अधिकारियों ने एक वाहन रोका और 14.350 किग्रा. अफीम जब्त की और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इंदौर द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि इस मामले में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का अंतर–राज्य गिरोह इसमें अंतर्ग्रस्त है।

XIV. दिनांक 24.06.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हैदराबाद के अधिकारियों ने कुरियर कंपनी के एक कार्यालय से 90.74 किग्रा. इफेड्रिन वाले दो पार्सलों और फैक्ट्री से एक पार्सल को खोला जिसका प्रयोग इफेड्रिन का उत्पादन करने के लिये किया जाता था। इस मामले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

XV. दिनांक 27.06.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने एक मोटरसाइकल को रोका और जोधपुर में 18.160 किग्रा. अफीम जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

XVI. दिनांक 28.06.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने दिल्ली कार्गो टर्मिनल आईजीआई हवाई अड्डे में एक पार्सल से 3.00 किग्रा. कोकीन जब्त की। यह नशीला पदार्थ कार्बेन पेपर की परत लगे धातु की मशीन वाले एक लकड़ी के बक्से के अंदर छिपा कर रखा हुआ था। इस पदार्थ को पहुंचाने का गंतव्य स्थल मैक्सिको था।

XVII. दिनांक 06.07.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने अहमदाबाद में एक लग्जरी बस से 20.660 किग्रा. हशीश जब्त की। इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

XVIII. दिनांक 07/08.07.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता के अधिकारियों ने बुप्रेनेर्फिन लुपिगेसिक इंजेक्शन के 2100 एंपूल्स, बुप्रेनोर्फिन (एन–नोर्फिन) के 1300 इंजेक्शन, मेथाम्फेनामाइन इंजेक्शन की 679 गोलियां, पेथिडाइन के 1000 इंजेक्शन और मन:प्रभावी पदार्थों के 2750 इंजेक्शन बरामद किए। इस मामले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

XIX. दिनांक 11.07.2013 को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 8.5 किग्रा. हेरोइन बरामद की। नशीले पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए जब्त किया गया नशीला पदार्थ एनसीबी, अमृतसर को सौंप दिया गया।

XX. दिनांक 21.07.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने सीआईएसएफ कार्मिकों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय

हवाई अड्डा, नई दिल्ली में गैबोरोन जाने वाले दो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रिकों के चैक–इन सामान से 49.650 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन जब्त की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

XXI. दिनांक 23.07.2013 को सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने पाकिस्तान सीमा से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 4.990 किग्रा. हेरोइन की खेप बरामद की। जब्त किया गया नशीला पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए दिनांक 24.07.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर को सौंप दिया गया। नशीले पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

XXII. दिनांक 24.07.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, भुवनेश्वर उप–आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने संबलपुर, ओडिशा में एक व्यक्ति के रिहाइशी परिसर से 201.3 किग्रा. कैनिबी हर्ब (गांजा) जब्त किया। मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। (राज्य उत्पाद शुल्क और राज्य पुलिस, ओडिशा के साथ पूरा संयुक्त अभियान चलाने से लगभग 19 क्विंटल कैनिबी हर्ब बरामद हुआ)।

XXIII. दिनांक 29.07.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने एक ट्रक रोका और उसकी तलाशी ली जिससे 156 किग्रा. कैनिबी हर्ब जब्त किया गया। इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। यह नशीला पदार्थ ओडिशा से प्राप्त किया गया था और इसे राजस्थान के टोंक और आस–पास के जिलों में भेजा जाना था।

XXIV. दिनांक 03.08.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने एक व्यक्ति के कब्जे से 107 किग्रा. कैनिबी हर्ब जब्त की। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

XXV. दिनांक 08.08.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में 45.7 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन की गोलियां जब्त कीं और इस कार्रवाई में चार व्यक्ति गिरफ्तार किए।

XXVI. दिनांक 12.08.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता के अधिकारियों ने कोलकाता हवाई अड्डे पर एक लावारिस बैग से 37.137 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन की गोलियां जब्त कीं। इन नशीले पदार्थों को आइजोल ले जाया जा रहा था।

XXVII. दिनांक 21.08.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने 7.321 किग्रा. हशीश जब्त की और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

XXVIII. निरंतर निगरानी रख कर प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने दिनांक 21–22.08.2013 के बीच की रात को 30 किग्रा. इफेड्रिन, 2.5 किग्रा. मेथाक्वालोन जब्त किया और एक विदेशी राष्ट्रिक सहित तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इस पर आगे कार्रवाई करने पर दिनांक 22.08.2013 को 25 किग्रा. मेथाक्वालोन की एक और खेप जब्त की गई और एक और व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। पूरे अभियान के दौरान कुल मिलाकर 30 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन और 27.5 किग्रा. मेथाक्वालोन जब्त किया गया और एक विदेशी सहित चार अवैध व्यापारी गिरफ्तार किए गए।

XXIX. दिनांक 26.08.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ के अधिकारियों ने फार्मा– स्यूटिकल कंपनी के परिसर पर छापा मारा और फेंसिडायल की 10,950 बोतलें, स्पास्मोप्रोक्सीवोन के 1,08,072 कैप्सूल, स्पास्मोसिप के 5,04,000 कैप्सूल और आईएनआर 52,49,000 की नकद राशि बरामद की। इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

XXX. दिनांक 02.09.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने एस. ट्रेडर, लखनऊ के गोदाम पर छापा मारा और फेंसिडाइल की 10,700 बोतलें, स्पास्मोप्रोक्सिवोन के 12,70,080 कैप्सूल, स्पास्मोसिप के 1,00,800 कैप्सूल और आईएनआर 23,550 की नकद राशि जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

XXXI. दिनांक 02.09.2013 को सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय

सीमा के पास 10.8 किग्रा. हेरोइन और 150 ग्राम अफीम की एक खेप बरामद की। यह नशीले पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर को सौंप दिए गए। इन नशीले पदार्थों का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

XXXII. दिनांक 03.09.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने बरसात में 1225.700 किग्रा. गांजा जब्त किया और छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

XXXIII. दिनांक 07.09.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गुवाहाटी आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने गुवाहाटी में एक रिहायशी परिसर में छापा मारा और पाया कि दो व्यक्ति आर पी कौफ की स्ट्रिप से टेबलेट निकाल रहे हैं। आर पी कौफ की कुल 98000 खुली टेबलटें और सुडो–इफेड्रिन वाली 50 किग्रा. टेबलेटें जब्त की गईं। दोनों ही व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

XXXIV. दिनांक 08.09.2013 को सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान सीमा पिलर सं. 128/6 और 128/38 के पास 4.000 किग्रा. हेरोइन बरामद की। जब्त किए गए नशीले पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर को सौंप दिए गए। नशीले पदार्थ का संदिग्ध स्रोत पाकिस्तान था।

XXXV. दिनांक 12–13.09.2013 को सीमा सुरक्षा बल, खेमकरण के अधिकारियों ने भारत–पाकिस्तान सीमा के साथ सीमा पिलर सं. 169/1–2 के पास से 9.480 किग्रा. हेरोइन, 1 पिस्तौल (.30 एमएम), 2 पिस्तौल मैग्जीन जिनमें प्रत्येक में पांच राउंड भरे थे, 40 खुले राउंड, 2 हथगोले बरामद किए। जब्त किए गए नशीले पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए एनसीबी, अमृतसर को सौंप दिए गए। नशीले पदार्थों का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

XXXVI. दिनांक 14.09.2013 को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने पाकिस्तान की तरफ छः पाकिस्तानी तस्करों की संदिग्ध गतिविधि को देख कर पाकिस्तान के साथ लगी अंतरराराष्ट्रीय सीमा के निकट विशेष नाकेबंदी की। बीएसएफ की टुकड़ी ने उन्हें ललकारा लेकिन वे बचकर भागने में सफल हो गए और अपने पीछे 15.800 किग्रा. हेरोइन की खेप छोड़ गए जिसे बाद में बरामद कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर को सौंप दिया गया।

XXXVII. दिनांक 17.09.2013 को स्पापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुडो–इफेड्रिन वाली 75 किग्रा. गोलियां जब्त की और इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया।

XXXVIII. आस्ट्रेलियाई फैडरल पुलिस (ए एफ पी) से मिली इस आशय की सूचना के आधार पर कि एक चावल निर्यातक चावल में इफेड्रिन/सुडो–इफेड्रिन मिला कर तस्करी करता है, एनसीबी, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने दिनांक 23.09.2013 को निर्यातक के परिसर की तलाशी ली और 2.6 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन बरामद की। ए.एफ.पी. ने 18 टन चावल में छिपाए गए 273.66 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन बरामद किया।

XXXIX. ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), यूएसए द्वारा दी गई इस आशय की आसूचना जानकारी पर कार्रवाई करते हुए कि कुछ नाइजीरियाई राष्ट्रिक एमिरात फ्लाइट से दुबई से नशीले पदार्थ ले कर नई दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने दिनांक 27.09.2013 को एक अभियान चलाया और नाइजीरियाई राष्ट्रिक के सामान से 8.00 किग्रा. पदार्थ बरामद किया जिसे कोकीन माना गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

XL. ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), यूएसए द्वारा समय पर दी गई आसूचना के आधार पर दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने दिनांक 01.10.2013 को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर एक वायुयान यात्री को रोका और उसके सामान से

5.00 .किग्रा. कोकीन जब्त की। अपराध स्थल पर अवैध पदार्थ जब्त करने वाले इस दल की चतुराईपूर्ण कार्रवाई से उसके एक साथी से 3.4 किग्रा. कोकीन की एक और खेप बरामद की गई। पूरे अभियान से 8.4 किग्रा. कोकीन जब्त की गई और दो नाइजीरियाई राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए।

XLI. दिनांक 01.10.2013 को विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित एक होटल पर छापा मारा और भारतीय मूल के एक कनाडाई राष्ट्रिक को रोक कर उससे 20 किग्रा. अफीम बरामद की जिसे टीन के दो बक्सों में छिपा कर रखा गया था। जब्त किए गए पदार्थ का गंतव्य स्थल कनाडा था।

XLII. दिनांक 04.10.2013 को सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने भारत–पाकिस्तान सीमा के साथ सीमा पिलर सं. 240/3–4 के निकट 5.000 किग्रा. हेरोइन और 250 ग्राम अफीम की खेप बरामद की। बरामद किया गया नशीला पदार्थ, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर को सौंप दिया गया। नशीले पादार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

XLIII. दिनांक 06.10.2013 को सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ पिलर सं. 98/12 के पास 16.570 किग्रा. हेरोइन बरामद की। जब्त किया गया नशीला पदार्थ, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए एनसीबी, अमृतसर को सौंप दिया गया। नशीले पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

XLIV. दिनांक 10.10.2013 को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ लगी अंतरारष्ट्रीय सीमा के पास से 25.180 किग्रा. हेरोइन की एक खेप बरामद की। नशीला पदार्थ, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर को सौंप दिया गया। जब्त किए गए नशीले पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

XLV. दिनांक 18.10.2013 की सुबह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने आइजोल जा रहे वायुयान के तीन यात्रियों के सामान से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर 27 क्रि.ग्रा. सुडो–इफेड्रिन की गोलियां जब्त कीं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

XLVI. दिनांक 21.10.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ आंचलिक यूनिट के अधिकारियों ने मोहाली रेलवे स्टेशन के निकट के एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिपाए गए एक बैग में रखी 7.850 किग्रा. अफीम जब्त की।

XLVII. दिनांक 24.10.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के अधिकारियों ने सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ मिलकर 24.900 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन पाउडर और 450 ग्राम कोकीन जब्त किया और तीन विदेशी राष्ट्रिकों (नाइजीरिया, कांगो और मोजाम्बिक से एक–एक) को गिरफ्तार किया।

XLVIII. दिनांक 30.10.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के अधिकारियों ने इंदिरागांधी हवाई अड्डे पर 28 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन गोलियां जब्त कीं और इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए।

XLIX. दिनांक 30.10.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के अधिकारियों ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 18.9 किग्रा. सुडो–इफेड्रिन की गोलियां जब्त की और तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए।

L. दिनांक 22.11.2013 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जम्मू जोनल यूनिट के अधिकारियों ने टोयोटा कॉलिस की छत में बनावटी छेद करके छिपायी गई 9.448 कि.ग्रा. हरीश जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का लक्षित स्थान मुम्बई था।

LI. दिनांक 23.11.2013 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इम्फाल सब–जोन के अधिकारियों ने 726 कि.ग्रा. गांजा जब्त किया और दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

LII. दिनांक 06.12.2013 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर जोनल के अधिकारियों ने एक ट्रक और मार्शल जीप में बनाए गए बनाबटी छेदों के अंदर छिपाई गई 72.300 कि.ग्रा. अफीम जब्त की। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

LIII. दिनांक 04.12.2013 को, सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने भारत–पाकिस्तान सीमा के निकट जगदीश सीमा–चौकी के सीमा स्तम्भ 193/7–8 के पास दो पिस्तौलें, एक पिस्तौल मैग्जीन 15 जिन्दे कारतूसों, दो सिमकार्डों सहित तीन मोबाइल फोनों, 4" ब्यास की 15 फुट लंबी प्लास्टिक पाइप सहित 8.970 कि.ग्रा. हेरोइन बरामद की। एक तस्कर को मार दिया गया। कोई दस्तावेजी प्रमाण न मिलने के कारण उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी। एन डी पी एस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए एन सी बी, अमृतसर सब–जोन को सौंप दिया गया। मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण–पश्चिम एशिया था।

LIV. दिनांक 17.12.2013 को सीमा सुरक्षा बल, 163 बटालियन, अमृतसर के अधिकारियों ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास बी एफ एल पोल संख्या 10 और 11, सीमा चौकी महिन्द्र के निकट 9.925 कि.ग्रा. हेरोइन बरामद की। यह मादक पदार्थ एक पी वी सी पाइप से बरामद किया गया। यह मादक पदार्थ, एन डी पी एस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए एन सी बी, अमृतसर सब–जोन को सौंप दिया गया। इस मादक पदार्थ का स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

LV. दिनांक 21.01.2014 को सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के अधिकारियों ने भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा पिलर संख्या 122/22, सीमा चौकी एन/धाल्ला के निकट एक चीनी पिस्तौल, दो मैगजीनों, 12 जिंदे कारतूसों और एक नोकिया मोबाइल फोन तथा एक पाकिसतानी सिम कार्ड सहित 19.900 कि.ग्रा. हेरोइन बरामद की। बरामद किया गया मादक पदार्थ एन डी पी एस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए एन सी बी, अमृतसर सब–जोन को सौंप दिया गया। मादक पर्दार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण–पश्चिम एशिया था।

LVI. 22.01.2014 को सीमा सुरक्षा बल फिरोजपुर के अधिकारियों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा पिलर संख्या 183/8सीमा चौकी कसोक के निकट एक पिस्तौल (स्टार मार्क .30 एम एम बोर), एक मैगजीन और 05 जिन्दा कारतूसों सहित 16.00 कि.ग्रा. हेरोइन बरामद की। बरामद किया गया मादक पदार्थ एन डी पी एस अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए एन सी बी, अमृतसर, सब–जोन को सौंप दिया गया। मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण–पश्चिम एशिया था।

LVII. .दिनांक 04.02.2014 को, एन सी बी, जोधपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने जोधपुर में 3,54,675/– रु. के भारतीय करेंसी नोट के साथ–साथ 55.090 किग्रा. अफीम जब्त की। मादक पदार्थ को चार थैलों में छिपाकर रखा गया था और उसे मोटर साइकिल द्वारा ले जाया जा रहा था। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

LVIII. दिनांक 22.02.2014 को, एन सी बी, अहमदाबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर 25.310 किग्रा. हशीश जब्त की। मादक पदार्थ को कैरी बैग में छिपाकर रखा गया था। 03 कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया था।

LIX. दिनांक 24.02.2014 को भिकिपिंड, अमृतसर पंजाब में बी एस एफ की 163 बटालियन ने 10.550 किग्रा. हेरोइन जब्त की और उसे एन सी बी, अमृतसर उप–जोन को सौंप दिया। मदक पदार्थ को लगभग 10 फुट लम्बी प्लास्टिक की पाइप में छिपाकर रखा गया था और बाड़ के उस पार फैंक दिया गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

LX. दिनांक 11.03.2014 को सीमा सुरक्षा बल, 50वीं बटालियन, अमृतसर के अधिकारियों ने 38.400 किग्रा. हेरोइन जब्त की और एन डी पी एस अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उसे एन सी बी, उप–जोन, अमृतसर को सौंप दिया। मादक–पदार्थ को पी वी सी पाइप (प्लास्टिक) में छिपाकर रखा गया था और इस पाइप को भारत–पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की ओर बाड़ के बीच में डाल दिया गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

LXI. दिनांक 14.03.2014 को, एन सी बी, इन्दौर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने नीमच, मध्यप्रदेश में 2.58

लाख रुपए की भारतीय करेंसी सहित 89.760 किग्रा. अफीम और 662 किग्रा. पोस्त जब्त की। मादक पदार्थ को एक रिहायशी मकान से बरामद किया गया था। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करना

9.8.6 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने राज्य एजेंसियों की सहायता से जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा राज्यों में 1860 एकड़ में फैली अवैध अफीम पोस्त की खेती का पता लगाया और उसे को नष्ट किया। 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान सभी मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में 4042 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती का पता लगाया गया और उसे नष्ट किया गया जिसके परिणामस्वरूप अवैध खेती को नष्ट करने के लिए सभी स्टेक होल्डरों के साथ ठीक समय पर समन्वय करके एन सी बी ने उपचारी उपाय किए।

9.8.7 अवैध अफीम पोस्त की खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने के संबंध में अभिनिर्धारित राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 05.09.2013 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया:

क) फसली वर्ष 2013–14 के दौरान प्रत्येक राज्य में इन्हें नष्ट करने का कार्य किया गया।

ख) अवैध अफीम पोस्त को नष्ट करने के दौरान होने वाली कठिनाइयां।

ग) ए डी आर आई एन (एड्रिन) द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट चित्रों की प्रभावोत्पादकता।

घ) अवैध खेती को नष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल की सर्वोत्तम प्रथाएं।

ङ) आगामी वर्ष के लिए अवैध पोस्त की खेती की पहचान करने और नष्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

9.8.8 एनसीबी ने बैठक का समन्वय किया और एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (एडीआरआईएन), राजस्व विभाग, अभिज्ञात राज्यों, सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल्स आदि के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

दोषसिद्धि

9.8.9 एन सी बी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.01.2013 से 28.02.2014 की अवधि के दौरान 82 व्यक्ति दोषसिद्ध पाए गए।

मादक पदार्थों का निपटान

9.8.10 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान 89.425 कि.ग्रा. हेरोइन, 205.60 कि.ग्रा. हशीश, 0.585 कि.ग्रा. कोकीन, 1263 कि.ग्रा. गांजा, 1.97 कि.ग्रा. इफेड्रिन, 28.450 कि.ग्रा. पोस्त के तिनके (पोपी स्ट्रॉ) और 5 लीटर एसेटिक एनहाइड्राइड का निपटान किया गया।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.8.11 भारत सरकार ने "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक एक योजना शुरु की है जिसमें मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके आवश्यक अवसंरचना और उपकरण प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों को मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। नीचे दिए गए उपकरणों के लिए वस्तु रूप में सहायता दी जाती है जैसे (क) निगरानी उपकरण (ख) प्रयोगशाला उपकरण (ग) पैट्रोलिंग/निगरानी के लिए वाहन (घ) कम्प्यूटर और अन्य सहायक उपकरण (ङ) फैक्स मशीन और फोटो कापी मशीन और (च) प्रवर्तन के लिए उपयोगी अन्य उपकरण।

9.8.12 वित्त वर्ष 2013–14 के लिए 4 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 1,20,26,995 रुपए जारी किए गए हैं जिसके बयौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्र.सं.	राज्य का नाम	एन सी बी द्वारा संस्तुत राशि	राज्यों के पास अव्ययित राशि	जारी की जाने वाली राशि
I	दादर एवं नगर हवेली	27,45,715	शून्य	27,45,715
II	हरियाणा	4,28,100	शून्य	4,28,100
III	नागालैंड	35,99,980	शून्य	35,99,980
IV	उत्तर प्रदेश	22,80,000	शून्य	22,80,000
V	मिजोरम	29,73,200	शून्य	29,73,200
कुल		**1,20,26,995**		**1,20,26,995**

प्रशिक्षण

9.8.13 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों को मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में 147 ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनमें राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद, सीमा शुल्क, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कुरियर एजेंसियों के लगभग 3346 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। एन ए सी एन, दिल्ली में 04 हफ्तों का बुनियादी प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 35 नए रंगरूटों/पदोन्नत/प्रतिनियुक्त आई ओ और निगरानी सहायकों की नियुक्ति विभिन्न एन सी बी आंचलिक यूनिटों और मुख्यालय में की गई है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (आर पी टी सी), जोधपुर में हथियार और रणनीतिक कार्य संबंधी 7 हफ्तों का प्रवेश प्रशिक्षण, एन सी बी आंचलिक यूनिट, जोधपुर/बी एस एफ आदि के साथ सीमा पर सहबद्धता के लिए एन डी पी एस अधिनियम और नियमों में इंडोर प्रशिक्षण के बाद एन सी बी के 68 (12+48+08) सीधी भर्ती के सिपाहियों की 03 बैचों में एन सी बी आंचलिक यूनिटों और मुख्यालय में की गई। "बेसिक्स ऑफ मनी लॉडरिंग एंड फाइनांशियल इंवेस्टिगेशन'', "कोर्ट क्राफ्ट और एन डी पी एस अधिनियम की कानूनी कमियों से बचने'' और "ऑल एबाउट प्रिकर्सर कैमिकल्स'' के संबंध में एन सी बी के 30 अधीक्षकों के लिए दिनांक 13.05.2013 से 14.05.2013 तक एन सी बी मुख्यालय, नई दिल्ली में कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 23 अधीक्षकों/आसूचना अधिकारियों के लिए दिनांक 20.05.2013 से 24.05.2013 तक नई दिल्ली स्थित एन सी बी मुख्यालय, नई दिल्ली में आसूचना ब्यूरो के सहयोग से "प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण'' पर एक सप्ताह की कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। लगभग 157 आसूचना अधिकारियों को एन सी बी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में जुलाई–सितम्बर, 2013 के दौरान "मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन'' पर एन सी बी के आसूचना अधिकारियों के लिए 03 दिवसीय कार्यशाला–सह– पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। बी एस एफ/एस एस बी/सी आई एस एफ/दिल्ली पुलिस, एन आई एस डी और तटरक्षक गार्ड के कार्मिकों आदि के लिए एन सी बी के मादक पदार्थ संग्रहालय के 27 दौरे आयोजित किए गए। सी आई एस एफ के दो कार्मिकों सहित एन सी बी के 34 अधीक्षकों/आसूचना अधिकारियों को 1 सप्ताह के प्रत्येक 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आर सी एम पी कनाडा द्वारा एन सी बी मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रशिक्षित किया गया। एन सी बी के 03 जेड डी/ए डी स्तर के अधिकारियों ने एन ए सी ई एन, फरीदाबाद में 01 सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया। जब भी अनुरोध किया गया, एन सी बी द्वारा विभिन्न संस्थानों यथा बी एस एफ/एस एस बी/सी आई एस एफ/एन ए सी ई एन/एस वी पी एन पी ए/आई बी/सी डी टी एस /बी पी आर एंड डी/सीमा शुल्क/सी बी आई/एल जे एन एन आई सी एफ एस आदि को कुशल कर्मी उपलबध कराए गए।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व/सहयोग

9.8.14 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार्टर में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अन्तर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन शामिल है। एन सी बी, मादक पदार्थों तथा मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा अवरुद्ध करने के लिए समन्वय को सुकर बनाने और व्यापक कार्रवाई के दृष्टिकोण से दूसरे देशों में संबंधित प्राधिकरणों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.8.15 मादक पदार्थ की तस्करी और दुरुपयोग ने वैश्विक आयाम हासिल कर लिए हैं। इस आम लड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एक अत्यंत सक्षम माध्यम है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते, परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी) तथा संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) हस्ताक्षरित किए हैं। यह क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे सार्क (साउथ एशियन एसोशिएसन फॉर रीजनल कोऑपरेशन), एस डी ओ एम डी (सार्क ड्रग ऑफेन्सेज मॉनिटरिंग डेस्क) तथा सी एन डी (कमीशन फॉर नार्कोटिक ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज), आई डी ई सी (इंटरनेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), ए डी ई सी (एशिया–पेसिफिक ऑपरेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), ए डी एल ओ एम आई सी (एन्टी ड्रग लायजन आफिसियल्स मीटिंग फॉर इंटरनेशनल कान्फ्रेंस) इत्यादि में सक्रिय भागीदार भी है।

9.8.16 द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, एन सी बी/भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्त्र, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस पी डी आर, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैण्ड, कतर, रुमानिया, रुस, ताज़िकिस्तान, तुर्की, यू ए ई, यू एस ए तथा जाम्बिया नामक 23 देशों के साथ मादक पदार्थों, मनः प्रभावी पदार्थों एवं प्रिकर्सर रसायनों की मांग को कम करने और अवैध तस्करी को रोकने के लिए आपसी सहयोग करने हेतु द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

9.8.17 एन सी बी/भारत सरकार ने 09 देशों अर्थात भूटान, इण्डोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यू एस ए, वियतनाम, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किए हैं।

9.8.18 इन समझौतों में स्वापक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सिंडिकेटों की आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, अवरुद्ध करने और रोकथाम करने के लिए जानकारी के आदान–प्रदान में सहायता करने पर बल दिया गया है।

मांग में कमी

9.8.19 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों का दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा के अनुसरण में यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरुक बनाने के लिए मनाया जाता है। मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की कार्रवाइयों का समन्वय करने के लिए एनसीबी नोडल एजेंसी है। मादक पदार्थ की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एन सी बी मुख्यालय तथा इसकी जोनल इकाइयों ने राज्य मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों के साथ मिलकर दिनांक 26.06.2013 को एनजीओ, राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके मांग में कमी संबंधी निम्नलिखित अनेक गतिविधियों का आयोजन किया:

क) मादक पदार्थ की बुराई के विरुद्ध जागरूकता दौड़

ख) पदयात्राएं/रैलियां

ग) नुक्कड़ नाटक/प्रदर्शन

घ) संगोष्ठी/कार्यशालाएं

ङ.) चित्रकारी, भाषण, नारा लेखन प्रतियोगिता

च) शपथ ग्रहण समारोह

छ) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एस एम एस का प्रसार

ज) सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा संबोधित जागरूकता संदेशों के साथ पोस्टरों तथा बैनरों का प्रदर्शन

दूरदर्शन समाचार चैनल पर प्रदर्शित एन सी बी का टिकर

एन सी बी द्वारा दिनांक 26 जून, 2013 को इंडिया गेट पर आयोजित मादक पदार्थों के विरोध में दौड़

दूरदर्शन के समाचार चैनल पर प्रदर्शित एन सी बी का टिकर

दिनांक 26.06.2013 को एन सी बी द्वारा इंडिया गेट पर आयोजित ड्रग जागरूकता कार्यक्रम

एन सी बी जम्मू आंचलिक यूनिट में आयोजित मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता कार्यक्रम

व्यापार मेले में एन सी बी का स्टाल

अवधि के दौरान महत्वपूर्ण कार्यक्रम/कार्यकलाप

9.8.20 "दक्षिण एशिया में नशीले पदार्थ विधि प्रवर्तन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण" परियोजना एक्सएसएजे 81 की परियोजना संचालन समिति (पी ए सी) की बैठक यूएनओडीसी कार्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 29.05.2013 को हुई। इस बैठक में एनसीबी ने भाग लिया।

9.8.21 सुरक्षा सहयोग संबंधी भारत–थाइलैंड संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक दिनांक 18.07.2013 से 19.07.2013 तक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में एनसीबी ने भाग लिया।

9.8.22 भारत और बंग्लादेश के बीच 18.07.2013 को नई दिल्ली में संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव द्वारा किया गया। बैठक में एन सी बी ने भी भाग लिया।

9.8.23 भारत और बंग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ताएं केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में 19.07.2013 को नई दिल्ली में हुई। एन सी बी ने भी बैठक में भाग लिया।

9.8.24 एन सी बी ने माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 31.07.2013 को बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय एन डी पी एस/आर सी एस आदेश, 2013 था।

9.8.25 स्वापक नियंत्रण बयूरो और वित्तीय आसूचना यूनिट, वित्त मंत्रालय के बीच 01.08.2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

9.8.26 एन सी बी को एयरपोर्ट सुरक्षा समिति में एन सी बी को शामिल करने पर विचार करने के लिए दिनांक 06.08.2013 को आयोजित बैठक में एन सी बी ने भाग लिया।

9.8.27 एनसीबी की कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 04.09.2013 को हुई बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया:–

क) पंजाब में मादक पदार्थों की स्थिति

ख) सहायक निदेशक (एडी) और आसूचना अधिकारियों (आईओ) स्तर पर रिक्त स्थान

ग) इंदौर, अहमदाबाद, जम्मू और गुवाहाटी में भूमि का प्रापण

घ) समूचे भारत में पबों और बारों में सिग्नेज लगाना

ड.) दिनांक 17.09.2013 को होने वाले समाहर्ता सम्मेलन में समाहर्ताओं के लाभ के लिए नशीले पदार्थ के प्रति जागरुकता कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण

च) दूसरे संगठनों में आसूचना अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के अवसर

9.8.28 केन्द्रीय गृह सचिव के निर्देशों का अनुपालन करते हुए स्कूल/कालेज के युवाओं के लिए "नशीले पदार्थ के प्रति जागरुकता कार्यक्रम" से संबंधित एक सीडी भारत में सभी उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों को भेज दी गई है।

9.8.29 एन सी बी ने नवम्बर, 2013 में नई दिल्ली में रॉयल केनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा हवाई अड्डों पर मादक पदार्थों और निषिद्ध वस्तुओं के दुर्व्यापार को रोकने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। एन सी बी, सी आई एस एफ, सीमा शुल्क और डी आर आई के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

9.8.30 एन सी बी ने दिनांक 28.01.2013 से 29.01.2013 तक ढाका, बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गृह मंत्री स्तर की तीसरी वार्ता में भाग लिया।

9.8.31 एन सी बी ने दिनांक 25.02.2013 से 27.02.2013 तक टोकियो, जापान में आयोजित 18वें एशिया–पेसेफिक आरपरेशन ड्रग एनफोर्समेंट सम्मेलन में भाग लिया।

9.8.32 एन सी बी ने दिनांक 11.03.2013 से 15.03.2013 तक वियाना, आस्ट्रिया में आयोजित 56 वें कमीशन आन नारकोटिक ड्रग्ज में भाग लिया।

9.8.33 प्रतिबंधित नशीले द्रव्यों और रासायनिक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों और नशीले पदार्थों से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी), भारत और अफगानिस्तान के स्वापक पदार्थ नियंत्रण के प्रमुख के बीच पहली महानिदेशक स्तर की पहली वार्ता काबुल, अफगानिस्तान में दिनांक 16.04.2013 से 18.04.2013 तक हुई। वार्ता में निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया:–

i) दक्षिण पश्चिम एशियाई (एस डब्ल्यू ए) हेरोइन का अवैध व्यापार;

ii) अफीम की अवैध खेती से निपटने के लिए अफगान सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न उपायों/योजनाओं का अध्ययन;

iii) नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कटौती करने संबंधी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना;

iv) इस समय चल रहे वैकल्पिक विकास कार्यक्रम अर्थात् अफगानिस्तान में इससे पहले अफीम की खेती करने वालों को आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान करना;

v) हेरोइन, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रिकर्सर और संक्रमण कालीन नशीले पदार्थों के सिंडिकेटों के अवैध व्यापार संबंधी परिचालनात्मक आसूचना साझा करना।

दिनांक 12 जून,2013 को एन सी बी मुख्यालय में नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल का सामूहिक फोटोग्राफ

9.8.34 एक नाइजीरियाई प्रतिनिधि मंडल ने कार्यशाला और परस्पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12.06.2013 को एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।

9.8.35 एन सी बी ने दिनांक 20.05.2013 से 21.05.2013 तक पिकाटु – बाली, इंडोनेशिया में हुई एएसईएएऩ + 3 एयरपोर्ट इंटरडिक्शन टास्क फोर्स कार्यशाला में भाग लिया।

9.8.36 एन सी बी ने दिनांक 05.06.2013 से 07.06.2013 तक मास्को, रुस में हुए 30वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन (आई डी ई सी XXX) में भाग लिया।

दिनांक 5-7 जून, 2013 को मास्को, रूस में हुए 30 वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन (आई डी ई सी XXX) का सामूहिक फोटोग्राफ

9.8.37 एन सी बी ने दिनांक 19.06.2013 से 20.06.2013 तक म्यांमार में आयोजित भारत और म्यांमार के बीच हुई 20वीं क्षेत्रीय स्तर की बैठक में भाग लिया।

9.8.38 बैंकाक, थाइलैंड में दिनांक 21.10.2013 से 24.10.2013 तक हुए राष्ट्रीय मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एच ओ एन एल ई ए) के प्रमुखों की 37वीं बैठक में एनसीबी ने भाग लिया।

9.8.39. एन सी बी ने दिनांक 25.11.2013 से 28.11.2013 तक वियना में आयोजित नियर मिडल ईस्ट में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और उसमें जुड़े मामलों से संबंधित सब–कमीशन के 48 वें सत्र में भाग लिया।

9.8.40 एन सी बी ने 26.12.2013 से 27.12.2013 तक म्यांमार में आयोजित भारत और म्यांमार के बीच हुई राष्ट्रीय स्तर की 19वीं बैठक में भाग लिया।

9.8.41 एन सी बी ने दिनांक 15.01.2014 से 16.01.2014 तक म्यांमार में आयोजित भारत और म्यांमार के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ताओं में भाग लिया।

9.8.42 एन सी बी ने दिनांक 18.02.2014 से 19.02.2014 तक अंताल्या, तुर्की में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सूचना की भागदारी और जांच के समन्वय में सुधार से संबंधित पेरिस पैक्ट विशेषज्ञ कार्यदल की बैठक में भाग लिया।

9.8.43 एन सी बी ने ने दिनांक 25.02.2014 से 26.02.2014 तक लियोन, फ्रांस में आयोजित मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मादक पदार्थ नियंत्रण यूनिटों (ड्रग कंट्रोल यूनिट) के अध्यक्षों की पहली बैठक में भाग लिया।

9.8.44 एन सी बी ने दिनांक 17.03.2014 से 21.03.2014 तक वियना, आस्ट्रिया में आयोजित कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्ज (सीएनडी) के 57वें सत्र में भाग लिया।

9.8.45 एन सी बी ने दिनांक 24.03.2014 से 25.03.2014 तक वियना, आस्ट्रिया में आयोजित दक्षिणी मार्ग से अफगानी स्वापक पर्दार्थों के दुर्व्यापार पर कार्यशाला में भाग लिया।

◆◆◆

अध्याय X

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत, अपनी विशिष्ट भू–जलवायु और सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों की वजह से बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, भू–स्खलन, हिम–स्खलन और दावानल के प्रति काफी संवेदनशील है। देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 आपदा सम्भावित हैं। लगभग 58.6% भू–भाग मामूली से लेकर अति तीव्रता वाले भूकम्प–संभावित क्षेत्र हैं, 12% भूमि में बाढ़ और नदी का कटाव संभावित है, 7,516 कि.मी. तटरेखा में से 5,700 कि.मी. तटरेखा तूफान और सुनामी सम्भावित है, 68% कृषि भूमि सूखे के प्रति संवदेनशील है और पहाड़ी क्षेत्र भू–स्खलन और हिम–स्खलन के खतरों से भरा है। आग की घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और रासायनिक, जैविक और रेडियो एक्टिव सामग्री का प्रयोग करके मानव जनित अन्य आपदाएं कुछ ऐसी अतिरिक्त आपदाएं हैं, जिन्होंने प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

10.2 आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास संबंधी उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, भयंकर स्वरूप की आपदाओं के मामले में वित्तीय और संभारिकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। संभारतंत्र संबंधी सहायता में ये शामिल हैं– एयरक्राफ्टों एवं नावों, सैन्य बलों के विशेषज्ञ दलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के कार्मिकों की तैनाती करना, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवस्थापना सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना।

10.3 सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का है जिसमें आपदा प्रबंधन के समस्त पहलुओं को कवर करते हुए रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि विकासात्मक प्रक्रिया में आपदा प्रशमन के प्रबंध न किये जायें।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

10.4 सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा उससे जुड़े मामलों या उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों हेतु प्रावधान करने के लिए आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु संस्थागत वित्तीय, तकनीकी विधायी फ्रेमवर्क को उचित रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम का कार्यान्वयन करने के दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन में कुछ बाधाओं/अड़चनों की ओर विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया था। अधिनियम के तहत गठित विभिन्न समितियों/निकायों को दिए गए कार्यों और दायित्वों में कुछ विसंगतियां भी देखी गई थी। यह देखा गया था कि राहत उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान संस्थाओं के बीच सहयोग की कमी थी। तदनुसार, मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने के लिए वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया।

10.5 कार्यबल ने बैठकों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी संगठनों, यूएनडीपी, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत और व्यापक परामर्श के कई दौर किए जिसके बाद दिनांक 8.3.2013 को कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय गृह मंत्रालय में इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

10.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) का गठन नौ सदस्यों के प्रावधान के साथ, जिसमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समय एन डी एम ए में निम्नलिखित सदस्य हैं:– (1) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, उपाध्यक्ष (2) श्री जे.के. सिन्हा, सदस्य, (3) मेज0 जन0 (सेवानिवृत्त) डा. जे0के0 बंसल, सदस्य, (4) डा. मुजफ्फर अहमद, सदस्य (5) प्रो. हर्ष गुप्ता, सदस्य (6) श्री बी. भट्टाचार्जी, सदस्य, (8) श्री के.एम. सिंह, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, (8) श्री के.एन. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) और (9) डा. के. सलीम अली, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)।

10.7 राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन संबंधी ऐसी नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करना है, जिनका अनुपालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम अथवा इसके प्रभावों के प्रशमन संबंधी उपायों को समेकित करने के प्रयोजन से किया जाएगा। यह, राज्य प्राधिकरणों के लिए भी ऐसे दिशानिर्देश तैयार करेगा जिनका अनुपालन उनके द्वारा राज्य योजनाएं तैयार करने और आपदा की रोकथाम अथवा प्रशमन के उपाय करने अथवा भयावह आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारी एवं क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाएगा जो वह आवश्यक समझे।

10.8 एन डी एम ए ने अपने गठन के समय से आपदाओं में मनोवैज्ञानिक–सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवा, भूकम्प, दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली, सुनामी, सूखा, शहरी बाढ़, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, हिम–स्खलन, चिकित्सा तैयारी एवं जन–हताहत प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न आपदा विशिष्ट और विषयगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

10.9 एन.डी.एम.ए. ने सूचना एवं संचार प्रणाली के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। एन.डी.एम.ए. ने स्केलिंग, उपकरणों की कोटि एवं अग्निशमन सेवा के प्रशिक्षण पर दिशानिर्देश और सिविल डिफेन्स तथा सहयोगी संगठनों के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन संबंधी पुस्तिका भी प्रकाशित की है। एन डी एम ए आपात स्थितियों से मौके पर निपटने के लिए 'अस्पताल सुरक्षा और तैयारी' तथा "आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका" सबंधी दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

10.10 एनडीएमए निम्नलिखित स्कीमों और परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:–

(i) आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम–प्रशमन परियोजना की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का चरण–I चक्रवात से तटीय समुदायों की संवेदनशीलता का समाधान करने हेतु 1,496.71 करोड़ रू. की लागत से कार्यान्वयनाधीन है। परियोजना का उद्देश्य चक्रवातों की संवेदनशीलता को कम करना और लोगों तथा अवसंरचना को आपदा प्रत्यास्थी बनाना है। परियोजना का व्यापक उद्देश्य चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रैकिंग और चेतावनी प्रणालियों का उन्नयन करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन और बहु–आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण और बहु–उद्देशीय चक्रवात आश्रयों (आश्रय–सह निवासियों के नीचे आने और पहुंच सड़कों/पुलों सहित) और तटबंधों का निर्माण करना है। इस परियोजना से ओडिशा में 5.60 लाख और आन्ध्र प्रदेश में 5.50 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे सितम्बर, 2013 तक ओडिशा में 38,296 हेक्टेयर भूमि और आन्ध्र प्रदेश में लगभग 12,640 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण में मदद मिलने की संभावना है। वर्ष 2013–14 के दौरान 219.57 करोड़ रू. सहित आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा को 409.48 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

(ii) बड़ी आपदा की स्थिति में संचार सबसे पहले प्रभावित हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थितियों में

पारम्परिक संचार नेटवर्क प्रणालियां सामान्यतया खराब हो जाती हैं। इसलिए पर्याप्त प्रचुरता वाली मल्टी–मोड, मल्टी–चैनल संचार प्रणालियों को लगाने का निर्णय लिया गया है। तब से राष्ट्रीय आपात संचार योजना (एनईसीपी) का चरण–। कार्यान्वित किया गया है। यह दूरस्थ आपदा/आपात स्थलों पर राष्ट्रीय आपात आपरेशन केन्द्र (एनईओसी) और मोबाइल आपात आपरेशन केन्द्रों के बीच सैटेलाइट आधारित मोबाइल वायस/डाटा/वीडियो संचार उपलब्ध कराता है। एनईसीपी चरण–। के अनुभव के आधार पर एनईओसी और एनडीआरएफ मुख्यालयों के बीच वायस/डाटा/वीडियो संचार के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) को अंतिम मील तक सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी द्वारा स्थिर और ट्रांसपोर्टेबल वीएसएटी लगाकर 76.76 करोड़ रू. के परिव्यय से एनईसीपी चरण–।। कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iii) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 48.47 करोड़ रू. की कुल लागत से राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप आरंभ करके, कुछ स्कूलों में गैर–संरचना प्रशमन उपायों और प्रदर्शनात्मक संरचना रेट्रोफिटिंग को बढ़ावा देकर स्कूलों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ाने के लिए यह एक साकल्यवादी परियोजना है। एनडीएमए इसे 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित करता है। इसमें 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8600 स्कूल शामिल हैं, जो भूकम्प क्षेत्र IV और V में आते हैं।

(iv) 11 जोखिम संभावित राज्यों के पहचाने गए 54 जिलों और आपदा निवारण, तैयारी, प्रशमन, कार्रवाई और बरामदगी के क्षेत्रों में संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण पर एनडीएमए–आईजीएनओयू (इग्नू) प्रायोगिक परियोजना। यह परियोजना 2.33 करोड़ रू. के कुल परिव्यय के साथ जून, 2013 में पूर्ण हो गई थी। कुल मिलाकर, 16,479 सहभागियों ने आमने–सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफएफटीपी) में भाग लिया।

(v) अप्रैल, 2013 में 24.87 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (एनईआरएमपी) का अनुमोदन किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोडों को जनता के अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा। इन कोडों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह योजना देश में तकनीकी–कानूनी ढांचे में सुधार करने के लिए भूकम्प क्षेत्र IV और V में आने वाले 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(vi) पुनश्चर्या और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में नियमित अद्यतनों के साथ इन आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन हेतु पाठ्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) के आपदा प्रबंधन केन्द्र में 2.164 करोड़ रुपए के साथ केन्द्रीय सेवा के कार्मिकों की क्षमता निर्माण परियोजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहेगी।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)

10.11 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एस डी एम ए और डी डी एम ए के गठन का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप एस डी एम ए का गठन कर लिया है। गुजरात राज्य सरकार ने अपने एसडीएमए का गठन गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत किया है।

10.12 आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी,

राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का भी गठन कर दिया गया है।

10.13 अधिनियम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, 31 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस संबंध में कार्रवाई कर ली है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ)

10.14 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) का गठन आपदा की स्थिति में विशेषज्ञता वाली कार्रवाई करने के लिए किया गया है। इसकी गुवाहाटी, कोलकाता, मुंडली, अरक्कोनम, पुणे, गांधीनगर, लुधियाना/भटिंडा, गाजियाबाद, पटना और गुंटूर में 10 बटालियनें हैं। इनमें से चार बटालियनें, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) आपदाओं से निपटने के लिए भी हैं। प्रत्येक बटालियन में 1,149 कार्मिक, ढह गए ढांचे में खोज और बचाव कार्य के लिए कैनाइन स्क्वैड और उपकरण, जल से बचाव के लिए नाव और गोताखोरी के उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा कार्रवाई टुकड़ियों के वाहक, एंबुलेंस, हजामत वाहन और पानी के टैंकर होते हैं।

"फेलिन" चक्रवात के दौरान बचावकर्मी

10.15 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की उच्च प्रशिक्षित मानवशक्ति वाली बटालियनें आवश्यक उपस्करों सहित आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफानों/बाढ़/भू–स्खलनों/बादल फटने आदि के दौरान आपातकालीन कार्रवाई करने, बचाव और राहत कार्यों में तत्परता से लग गयी थीं।

10.16 वर्ष 2013 के दौरान एन डी आर एफ के तीव्र और उच्च कुशलता प्राप्त बाढ़ बचाव अभियानों में लगभग 45,157 लोगों की जान बचायी गई। इसने दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान लगभग 741 शव निकाले। एन डी आर एफ द्वारा इन राज्यों में बाढ़ में फंसे पीड़ितों में चिकित्सा–सहायता, दवाइयों और पेयजल सहित राहत सामग्रियां भी वितरित की गईं।

10.17 तलाशी और बचाव अभियान के अतिरिक्त, एन डी आर एफ को विभिन्न राज्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने की अपनी अन्य ड्यूटियों के अतिरिक्त, रेल दुर्घटनाओं, इमारत गिरने, नाव पलटने, बस दुर्घटनाओं भू–स्खलन, बादल फटने और लोगों के डूबने आदि के स्थान पर भी तैनात किया जाता है।

उत्तराखंड में बचाव अभियान के दौरान कार्यरत एन डी आर एफ कर्मी

आपदाओं के कारण क्षति

10.18 वर्ष 2013–14 के दौरान, 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने अलग–अलग प्रकार से भूकम्प/चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन/

बादल फटने आदि के कारण हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैंः– आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी।

10.19 वर्ष 2013–2014 के दौरान देश में हुई क्षति की मात्रा (अनंतिम) निम्नानुसार थीः–

मृतकों की संख्या	5,677*
मरने वाले मवेशियों की संख्या	1,02,998
क्षतिग्रस्त घर	12,10,227
प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	63.74

(*प्राकृतिक आपदाओं में लापता व्यक्तियों सहित)

क्षति के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक**–X में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

10.20 वर्ष 2013–14 के दौरान, एन आई डी एम ने 83 आमने–सामने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और 15 वेब–आधारित आनलाइन पाठ्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव किया। मार्च 2014 तक, एन आई डी एम ने 84 आमने–सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें 2,322 सहभागियों ने भाग लिया। आमने–सामने के इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने 15 वेब आधारित आन लाइन पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जिनमें 613 सहभागियों ने भाग लिया।

10.21 आपदा जोखिम में कमी संबंधी राष्ट्रीय मंच का पहला सत्र दिनांक 13.05.2013 से 14.05.2013 तक आयोजित किया गया था। इसका उदघाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इस सत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र, सीबीओ और अन्य स्टेकहोल्डरों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र के बाद एक पूर्ण सत्र हुआ, जिसका विषय "विकास में डीआरआर को मुख्य धारा में लानाः उपलब्धियां और चुनौती" था और इसके बाद निम्नलिखित 6 विषयों पर सत्र हुएः

- डीआरआर हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना;
- अपने शहरों को सुरक्षित बनाना;
- जोखिम वित्तपोषण तंत्र;
- दीर्घावधिक पुनरुद्धार और पुनर्वास;
- लोक नीति और अभिशासन; और
- मल्टी–स्टेकहोल्डर परामर्श।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एन पी डी आर आर के प्रथम सत्र का उद्घाटन करते हुए

10.22 विज्ञान भवन परिसर में एफआईसीसीआई के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विभिन्न उत्पादों/सामग्री को दर्शाने वाली एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए), बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण (बीएसडीएमए) आदि सहित अनेक स्टेकहोल्डरों ने डीआरआर से संबंधित औजारों, प्रकाशनों और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री का प्रदर्शन किया। एनआईडीएम स्टॉल ने आगंतुकों को हजारों आईईसी सामग्री वितरित की और इसकी काफी प्रशंसा की गई। एनआईडीएम सहित चार स्टॉलों को प्रदर्शनी में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

माननीय गृह मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित कर रहे वृहत प्रदर्शनी के एन आई डी एम स्टॉल पर

10.23 बचाव, राहत और पुनर्वास में शामिल सभी संगठनों के शिक्षापूर्ण अनुभव को साझा करने के लिए एनआईडीएम ने दिनांक 19.08.2013 को "उत्तराखंड आपदा 2013: ली गई सीख" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के 130 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के सत्रों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा त्रासदी में कार्रवाई और पुनर्वास एवं पुनरुद्धार हेतु कार्ययोजनाएं शामिल थीं।

10.24 एनआईडीएम परिसर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनआईडीएम द्वारा दिनांक 26.08.2013 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 32 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

जागरूकता कार्यकलाप

आपदा न्यूनीकरण दिवस

10.25 एनडीएमए और एनआईडीएम ने दिनांक 09.10.2013 को नई दिल्ली में "आपदा न्यूनीकरण दिवस" मनाया। इस अवसर पर एनडीएमए/एनडीआरएफ, सिविल सोसाइटी के सदस्य और बच्चे उपस्थित थे। एएसएन स्कूल, मयूर विहार के छात्रों द्वारा स्कूल सुरक्षा पर एक प्रहसन प्रस्तुत किया गया जिसके बाद उत्तराखंड में हाल की आपदा पर स्कूली छात्रों के अनुभव और शिक्षा पर इसके प्रभाव को साझा किया गया। समूचे देश के स्कूलों के अनेक बच्चों को स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुरस्कृत भी किया गया।

भूकम्प सुरक्षा गेम (लूडो–वर्जन 2) को जारी करते हुए

आपदा न्यूनीकरण दिवस के दौरान भूकम्प सुरक्षा गेम (लूडो–वर्जन 2) को जारी करते हुए

10.26 दिनांक 22.10.2013 को जर्मन इंटरनेशनल को–आपरेशन (जीआईजेड) के सहयोग से अपने परिसर में एनआईडीएम द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें आपदाओं से संबंधित पर्यावरणीय आयोजना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

जीआईजेडः जर्मन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

दिनांक 23.10.2013 को जीआईजेड के सहयोग से एनआईडीएम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

10.27 एनआईडीएम ने दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान आंतरिक प्रशिक्षण के लिए 14 प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित किए हैं और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कुछ और माड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है। इन 14 मॉडयूलों में से, 11 मॉडयूल घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए हैं, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स फारेस्ट सर्विसेज (यूएसएफएस)/यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है।

एनआईडीएम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं और कार्यक्रम

10.28 एनआईडीएम सबक लेने और प्रशिक्षण कक्षाओं तथा सिमुलेशन अभ्यासों के लिए संसाधन सामग्रियों के रूप में मामला अध्ययनों का उपयोग

करने के लिए देश में घटित होने वाली बड़ी आपदाओं का प्रलेखन करता है। गत वर्षों में ऐसे अनेक मामला अध्ययन विकसित किए गए हैं। एनआईडीएम ने अनेक संगठनों को उनकी कार्य योजनाएं, योजनाएं और फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। वर्ष 2011 में आरंभ की गई भारत आपदा रिपोर्ट एनआईडीएम की ऐसी अनेक उपलब्धियों में से एक है। एनआईडीएम उत्तराखंड बाढ़ 2013, चक्रवात फेलिन और रतन मंदिर भगदड़ के प्रलेखन की प्रक्रिया में है। संस्थान ने 'उत्तराखंड आपदा 2013: ली गई सीख' पर एक कार्यशाला भी आयोजित की है। एन.आई.डी.एम ने उत्तराखंड आपदा, 2013 पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

प्रकाशन

10.29.1 एनआईडीएम ने विभिन्न रिपोर्टों, कार्यशाला की कार्यवाहियों और अन्य ऐसे दस्तावेजों का प्रकाशन किया है। इसने भारत आपदा रिपोर्ट 2012 भी प्रकाशित की, जो कैलेन्डर वर्ष 2012 में हमारे देश में आई बड़ी आपदाओं और इन आपदाओं से ली गई सीख का प्रलेखन है। वर्ष के दौरान एनआईडीएम ने तीन प्रशिक्षण माड्यूलों अर्थात् स्कूल सुरक्षा, शहरी जोखिम प्रशमन और लिंग एवं आपदा प्रबंधन को भी अंतिम रुप प्रदान किया और इनका मुद्रण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा यूएसएफएस/यूएसएआईडी के सहयोग से घटना कार्रवाई प्रणाली के संबंध में 11 प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए गए हैं।

10.29.2. एनआईडीएम विभिन्न विषयों पर अपनी पत्रिका अर्थात 'आपदा एवं विकास' का भी प्रकाशन कर रहा है। यह त्रैमासिक न्यूजलेटर 'टाइडिंग्स' भी प्रकाशित करता है, जिसमें उक्त तिमाही के दौरान इसकी गतिविधियों के ब्यौरे दिए जाते हैं।

लोगों में जागरूकता का सृजन करना

10.30 एनआईडीएम विभिन्न साधनों एवं तरीकों जैसे सामान्य आपदाओं के लिए क्या करें और क्या न करें हेतु समाचार–पत्रों, रेडियो में विज्ञापन, जागरूकता सामग्रियों जैसे पुस्तिकाओं, पुस्तकों, क्या करें और क्या न करें वाले कैलेन्डर आदि के प्रकाशन के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समाज के बीच जागरूकता का सृजन करने में शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनआईडीएम आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता सृजन हेतु स्कूलों और अन्य के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

10.31 एनआईडीएम ने "भारत में आपदा जोखिम प्रशमन हेतु दीर्घावधिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्ययोजना की तैयारी" के लिए एक अध्ययन आरंभ किया है। यह अध्ययन "राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना" के तहत एनआईडीएम द्वारा किया जा रहा है। यह अध्ययन बहु जोखिम दृष्टिकोण के साथ स्टेकहोल्डरों के क्षमता निर्माण से संबंधित है। रिपोर्टों, मॉडयूलों और कार्यशालाओं के रूप में इसके अनेक लाभ हैं, जो अंतिम समेकित रिपोर्टों और श्वेत–पत्र के विकास में सहायक होगा। परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) भारत से सम्बद्ध मानकीकृत आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) के साधनों का विकास करना ताकि भारत में पीडीएनए की सम्पूर्ण प्रणाली को चुस्त–दुरस्त बनाया जा सके,'

(ii) विद्यमान प्रक्रिया में नए पीडीएनए को एकीकृत करने हेतु सिफारिशें उपलब्ध कराना,

(iii) सम्बद्ध स्टेकहोल्डरों की क्षमताओं का पता लगाना और उसका निर्माण करना, और

(iv) नए पीडीएनए का उपयोग करके मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाना जिसे यथासमय विकसित किया जाएगा।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए सूखा सुभेद्यता एवं प्रशमन विश्लेषण

10.32 एनआईडीएम ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा वित्तपोषित

"बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए सूखा सुभेद्यता एवं प्रशमन विश्लेषण" पर एक अनुसंधान परियोजना शुरु की है। परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखण्ड (प्रशासनिक यूनिट स्तर) में सामान्य से गंभीर प्रकृति का संभावित सूखा होने के मामले में प्रभाव परिदृश्य का मूल्यांकन करना है ताकि सूखा को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित करना सुगम हो सके। इस अध्ययन में सांख्यिकीय और भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग का उपयोग करके उनकी स्थानिक और अस्थायी पद्धतियों के साथ विभिन्न श्रेणियों के सूखे की घटनाओं – मौसम विज्ञान संबंधी, जल विज्ञान संबंधी और कृषिगत सूखा का अध्ययन किया जाता है। दो जिलों अर्थात ललितपुर (उत्तर प्रदेश) और टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) के विस्तृत विश्लेषण में सरकार, समुदायों, पारम्परिक ज्ञान और नवीनतम विकल्पों के विभिन्न हस्तक्षेपों को समझने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना जुलाई, 2011 में आरंभ हुई और सितम्बर, 2013 में पूर्ण हुई। इसमें क्षेत्र का दौरा, सूखे के परिदृश्य का मूल्यांकन करने हेतु सम्बद्ध अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श और सम्बद्ध आंकड़े एकत्र करना तथा सूखा जोखिम के संदर्श में सुभेद्यता और प्रशमन के संकेतकों के संबंध में आंकड़ा एकत्रीकरण प्रपत्रों (जिला और उप–जिला स्तर) का विकास शामिल था। संस्थान ने अपनी अंतिम रिपोर्ट आईसीएसएसआर को प्रस्तुत कर दी है।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क

10.33 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) एक वेब–आधारित सूचना प्रणाली है और उपकरण सूची, कुशल जनशक्ति संसाधनों एवं आपातकालीन कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एक प्लेटफार्म है। दिनांक 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार आईडीआरएन के पास 1,45,559 रिकार्ड हैं। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए उपकरणों की उपलब्धता, अपेक्षित महत्वपूर्ण आपूर्ति और मानव संसाधनों का पता लगाना है। यह डाटाबेस उन्हें विशिष्ट जोखिमों और आपदाओं की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन करने में उन्हें योग्य बनाता है। इस समय आईआरडीएन की निगरानी एवं रखरखाव केन्द्रीय रूप से एनआईडीएम द्वारा किया जाता है। एनआईडीएम आईडीआरएन पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। एनआईडीएम, नई दिल्ली, डा. मारी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान आन्ध्र प्रदेश, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, जीआईडीएम, गुजरात और श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखंड में क्रमशः दिनांक 17.04.2013, 21.06.2013, 30.09.2013 और 30.11.2013 को चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

इण्डिया डिज़ास्टर नॉलेज नेटवर्क

10.34 इण्डिया डिज़ास्टर नॉलेज नेटवर्क (आई डी के एन) एक वेब पोर्टल है, जो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी का सहयोग, उसकी नेटवर्किंग, मानचित्र, आपात सम्पर्क जानकारी प्रणाली एवं अनेक अन्य बहुमूल्य जानकारी जैसे संसाधनों एवं सेवाओं की एक विस्तृत एवं व्यवस्थित संरचना उपलब्ध कराता है। यह आपसी तालमेल की प्रक्रिया के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान करने और उससे सीखने का वातावरण विकसित करने का एक प्लेटफार्म मुहैया कराता है। नॉलेज नेटवर्क को भारत सरकार – यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रशमन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। इस पोर्टल को पहले वर्ष 2008 में गृह मंत्रालय द्वारा एनआईडीएम को हस्तांतरित किया गया था। इसे क्षेत्रीय नॉलेज नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया था जो दक्षिण एशियाई आपदा नॉलेज नेटवर्क (एसएडीकेएन) है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक प्लेटफार्म, मई 2011 के दौरान आरंभ किए गए एसएएआरसी (सार्क) आपदा प्रबंधन केन्द्र और आपदा प्रबंधन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना की एक संयुक्त पहल है। एसएडीकेएन के तहत भारतीय पोर्टल, आईडीकेएन हेतु एनआईडीएम राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु है।

आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु पर्यावरण संबंधी ज्ञान

10.35 आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु पर्यावरण और ज्ञान प्रबंधन "ईकेडीआरएम" परियोजना की संकल्पना पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन के उभरते मुद्दों का समाधान करने और देश की परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त साधनों और तकनीकों का विकास करने के लिए की गई थी। इसे भारत–जर्मन पर्यावरण कार्यक्रम (आईजीईपी) के तहत चलाया गया था। इसे 3½ वर्ष (2010–13) तक चलाया जाना था। इस

परियोजना में 5 विषयक क्षेत्रों, अर्थात (i) डीआरएम हेतु पर्यावरणीय सांख्यिकी और निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस), (ii) डीआरआर में पर्यावरणीय विधान की भूमिका, (iii) रासायनिक आपदा प्रबंधन हेतु स्थानिक आयोजना और भूमि उपयोग, (iv) डीआरएम में पर्यावरणीय सेवाओं और ईआईए की भूमिका, और (v) डीआरआर के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को जोड़ना – जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के साथ अनुसंधान आधारित मामला अध्ययन आयोजित करने, प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित करने और क्षमता निर्माण हेतु मिश्रित जानकारी दृष्टिकोण के संवर्धन पर बल दिया गया है। दिनांक 22.10.2013 को एनआईडीएम में 'परियोजना के अंत' में अनुभव को साझा करने वाली कार्यशाला आयोजित की गई थी।

नागरिक सुरक्षा

10.36 नागरिक सुरक्षा में भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/प्रशमन करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं है, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

10.37 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैयार करने, प्रशिक्षण देने और उन्हें सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नागरिक सुरक्षा उपाय आरंभ करने हेतु राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस समय श्रेणीकृत नगरों तक सीमित है। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों (असम के अलावा) को 50% तक और असम सहित सभी अन्य राज्यों के लिए 25% प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्यों को 3.92 करोड़ रू. की प्रतिपूर्ति की गई थी।

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, (एनसीडीसी) नागपुर

10.38 देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, केन्द्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान (सीईआरटीआई) के रूप में भारत सरकार के आपात राहत संगठन की सहायता करने के लिए दिनांक 29.04.1957 को नागपुर में की गयी थी। इस केन्द्रीय संस्थान ने किसी प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा के संबंध में आपदा राहत कार्य करने के लिए उत्तरदायी राजस्व अधिकारियों हेतु आधुनिक एवं विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया। दिनांक 01.04.1968 को सी ई आर टी आई का पुनःनामकरण राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एन सी डी सी) के रूप में किया गया।

10.39 यह महाविद्यालय नियमित रूप से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) एवं अन्य केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के प्रशिक्षकों को ऐसे आतंकवादी खतरों से निपटने संबंधी दक्षता विकसित करने का प्रशिक्षण दे रहा है जिसमें जन संहारक हथियारों के प्रयोग एवं किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के परिणामों से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल है। महाविद्यालय की प्रशिक्षण क्षमताओं और भौतिक अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु आधुनिक सुविधायें पूरी करने के लिए इसका उन्नयन किया गया है। संस्थान ने 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 1,200 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थान ने अपनी स्थापना के समय दिनांक 31.03.2014 तक लगभग 64,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 8 विदेशी राष्ट्रिक शामिल हैं।

महिला अधिकारीगण, एनसीडीसी, नागपुर में उन्नत तलाशी एवं बचाव प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए

एनसीडीसी को आपदा प्रबंधन में शिक्षा नेतृत्व हेतु देवांग मेहता बिजनैस स्कूल अवार्ड

एनसीडीसी, नागपुर में रासायनिक आपदा प्रशिक्षण

होमगार्ड

10.40 होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में सामाजिक अव्यवस्थाओं एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक संगठन में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों को करने में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में होमगार्डों की भूमिका है।

10.41 होमगार्ड ग्रामीण एवं शहरी दो श्रेणियों के होते हैं। सीमावर्ती राज्यों में बार्डर विंग होमगार्ड बटालियनें बनाई गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल की सहायक बटालियन के रूप में कार्य करती हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार देश में होमगार्डों की कुल संख्या 5.74 लाख है और इसकी तुलना में 5.02 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

10.42 'होमगार्ड्स' का गठन, होमगार्ड्स अधिनियम और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के अधीन किया जाता है। इनकी भर्ती समाज के विभिन्न वर्गों यथा डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों आदि में से की जाती है, जो समुदाय की भलाई के लिए अपना अतिरिक्त समय इस संगठन को दे सकें। होमगार्डों को दी जाने वाली सुख–सुविधाओं में मुफ्त पोशाक, ड्यूटी भत्ता एवं विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए वीरता पुरस्कार शामिल हैं। तीन वर्षों की सेवा वाले होमगार्ड्स के सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, डकैती–निरोधी उपायों, सीमा गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटियों और समाज कल्याण की गतिविधियों के संबंध में पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.43 गृह मंत्रालय, होमगार्ड्स संगठन की भूमिका, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित नीति तैयार करता है। सामान्य तौर पर होमगार्ड्स पर होने वाला व्यय, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 25% और 75% के अनुपात में इनके गठन, प्रशिक्षण और साजो–सामान से सुसज्जित करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह भागीदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए, दिनांक 31.03.2014 तक राज्यों को 36 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई थी।

अग्निशमन सेवा

10.44 अग्निशमन सेवाओं का गठन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

10.45 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एन एफ एस सी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। इस महाविद्यालय के फायर इंजीनियरों को आग से बचाने और रोकने के कार्य के लिए भारत और विदेशों में तैनात किया जाता है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन आदि के लिए फायर ग्राउंड आपरेशन, पैरामेडिक्स, वास्तविक जीवन की स्थिति के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। आग की रोकथाम करने और आग से संरक्षण प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, महाविद्यालय के अतिथि संकाय के पैनल में हैं।

10.46 महाविद्यालय का उन्नयन करने की एक योजना जून, 2010 में 205 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई है थी, जिसे चार वर्ष की समयावधि में पूरा किया जाना था। योजना का समग्र उद्देश्य सभी पहलुओं नामतः आग से बचाव, आग रोकने और आग बुझाने, बचाव करने, आपदा आने की स्थिति में विशेषज्ञ आपात कार्रवाई करने और साथ ही फील्ड में अनुसंधान प्रलेखीकरण और परामर्शी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ पेशेवर प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने हेतु महाविद्यालय की क्षमता में वृद्धि करना है। निर्माण कार्य में लगभग 60% की वास्तविक प्रगति हुई है। महाविद्यालय के उन्नयन पर दिनांक 31.03.2014 तक 95.53 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समन्वय

10.47. केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में बचाव और राहत कार्यों को समन्वित करती है।

10.48 मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष, जो 24×7 आधार पर कार्य करता है, भारत सरकार से सहायता का समन्वय करने के अलावा, आवश्यक तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र जारी करता है और प्रतिदिन स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है जिसे सभी संबंधितों को भेजा जाता है और प्रतिदिन आधार पर वेबसाइट "ndmindia.nic.in" पर भी अपलोड किया जाता है। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहते

हैं। नोडल मंत्रालय होने के कारण, गृह मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), राज्यों तथा जिलों के नियंत्रण कक्षों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ नजदीकी बातचीत के माध्यम से निरंतर बाढ़ और चक्रवात की स्थिति को मॉनीटर करता है।

राहत आयुक्तों और सचिवों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग का वार्षिक सम्मेलन

10.49 राहत आयुक्तों/सचिवों, राज्यों एवं संघ राज्य् क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग का वार्षिक सम्मेलन आरंभ होने वाले दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2013 हेतु तैयारी की समीक्षा करने और अन्य आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 14.05.2013 को आयोजित किया गया था। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के अलावा आपातकालीन सहायता कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

10.50 सम्मेलन के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियों अर्थात केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमटी), एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ गहन समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वित्तीय तंत्र

10.51 राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की योजना क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक लागू मौजूदा योजना 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि हिम–स्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकम्प, सुनामी, आग लगने, बाढ़, ओला–वृष्टि, भू–स्खलन और कीट–आक्रमण को राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाएं माना जाए। भारत सरकार ने हाल ही में शीत लहर/पाला को राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से सहायता के लिए पात्र आपदा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है और दिनांक 13.08.2012 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

राज्य आपदा कार्रवाई निधि

10.52 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को एस डी आर एफ चलाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य राहत निधियों में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निधियां आवंटित करते समय, जिन घटकों पर विचार किया जाता है, उनमें पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राहत कार्यों पर किया गया व्यय, राज्यों की प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशीलता और राज्यों की आर्थिक स्थिति शामिल है। इस समय, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत निधि के लिए 33,580.93 करोड़ रू. के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें केन्द्र का अंशदान 25,847.93 करोड़ रू. और राज्य का अंशदान 7,733.00 करोड़ रू. है। एस डी आर एफ योजना में केन्द्रीय अंशदान को जून और दिसम्बर में दो समान किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए एस डी आर एफ में राज्य–वार और वर्ष वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक**–XI में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि

10.53 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी भी चुनौतीपूर्ण आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) के गठन के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.54 राज्य आपदा कार्रवाई निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीम गठित की जाती है। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप–समिति द्वारा की जाती है। उप–समिति की सिफारिशों को विचारार्थ और एनडीआरएफ से निधियों के अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

10.55 वर्ष 2013–14 के लिए, एस डी आर एफ में 7035.23 करोड़ रू. आवंटित किए गए हैं, जिसमें 5,415.17 करोड़ रू. भारत सरकार तथा 1,620.06 करोड़ रुपए राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2013–14 के दौरान, 28 राज्यों को एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के रूप में 3,613.91 करोड़ रू. की राशि (990.06 करोड़ रू. पिछले वर्ष की बकाया राशि 2,623.84 करोड़ रू. पहली किस्त) जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 के लिए, एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की 2,488.81 करोड़ रू. की राशि (इसमें वर्ष 2014–15 के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान अग्रिम के रुप में जारी 159.18 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है) 23 राज्यों को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों को एन डी आर एफ से 4,649 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से निधियों का राज्य–वार निर्गम दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–XII** में दिया गया है। एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत व्यय की मदों एवं मानकों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है।

10.56 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता संवर्धन की गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राज्यों को 525 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए राज्य–वार आवंटन **अनुलग्नक–XIII** में दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में वर्ष 2010–15 की सम्पूर्ण अवधि के लिए कार्य–योजना तैयार करने के साथ–साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान है। इन योजनाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों में स्टेकहोल्डरों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन, खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता के विश्लेषण पर आधारित आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने और राज्यों में आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण करने की मदें शामिल होंगी।

हाल की आपदाएं

उत्तराखंड में भारी वर्षा और आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन

आपदा की प्रकृति

10.57 दक्षिण पश्चिम मानसून आरंभ होने से पहले ही, उत्तराखंड राज्य में दिनांक 15.06.2013 से 17.06.2013 के बीच असामान्य रूप से अधिक वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप समूचे राज्य में भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की अनेक घटनाएं हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.06.2013 से 18.06.2013 की अवधि के दौरान उत्तरारखंड में 71.3 मिमी. की सामान्य वर्षा की तुलना में 385.1% मिमी. वर्षा हुई, जो 440% अधिक थी। भारी प्रवाह से नदी का बहाव बढ़ गया और लगभग सभी मुख्य नदियां खतरे का निशान पार कर गई। इससे राज्य के विभिन्न भागों में जान–माल की भारी क्षति हुई।

10.58 प्रत्यक्षदर्शी गणनाओं और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं के अनुसार, आपदा के संभावित कारण निम्नलिखित थे:

– पूर्वी मानूसन के साथ पश्चिमी विक्षोभ का टकराना।
– बहुत कम समय में भारी प्रवाह।
– दिनांक 16.06.2013 और 17.06.2013 को ट्री लाइन से ऊपर भारी वर्षा (गांधी सरोवर और ग्लेसियर जो 13000 फुट की ऊंचाई पर हैं)।
– मलबे, मोरेन और शिलाखण्डों का गिरना भीषण था।

आपदा का परिमाप

10.59 राज्य सरकार द्वारा बताई गई क्षति की मात्रा (दिनांक 06.03.2014 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	मद	ब्यौरे
1.	प्रभावित जिलों की संख्या	13
2.	प्रभावित गांवों की संख्या (निवास स्थान)	1,603
3.	मारे गए लोगों का दाह–संस्कार (लापता सहित)	3,581
4.	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या:–	
	(i) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्के घर	1,572
	(ii) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्के घर	1,721
	(iii) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के घर	6,534
	(iv) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घर	359
	(v) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घर	327
	(vi) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घर	1,583
	(vii) क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की संख्या	460
5.	मारे गए मवेशी	
	(क) मारे गए मवेशियों की संख्या	1,604
	(ख) मारे गए छोटे मवेशियों की संख्या	6,982

खोज, बचाव और राहत अभियान

10.60 किसी भी आपदा में, सबसे पहले कार्रवाई करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। जैसे ही मामला भारत सरकार की जानकारी में आया, सभी अपेक्षित केन्द्रीय मंत्रालयों को एकजुट किया गया था। दिनांक 16.06.2013 को गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ से राज्य में अपनी विद्यमान तैनाती को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में तुरंत अपनी टीम भेजने के लिए कहा। गृह सचिव ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ–साथ दिनांक 17.06. 2013 से 18.06.2013 को एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह सचिव ने दिनांक 19.06.2013 को उत्तराखंड का दौरा किया और स्थल पर ही राहत और बचाव उपायों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने भी दिनांक 22.06.2013 और 28.06.2013 को राज्य का दौरा किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, के साथ स्थिति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने प्रतिदिन आधार पर राज्य में स्थिति की समीक्षा की। वर्धित स्तर पर समन्वय करने के लिए, भारत सरकार ने सभी संबंधितों के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी श्री वी.के. दुग्गल, सदस्य, एनडीएमए को सौंपी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने दिनांक 1, 2, 3, 8 और 10 जुलाई, 2013 को जारी बचाव और राहत अभियान की स्थिति की समीक्षा की। भारत सरकार ने राज्य सरकार से फीडबैक प्राप्त होने के बाद और जरुरी आवश्यकता पर विचार करते हुए विध्वंस/क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनः स्थापन हेतु योजनाओं की तैयारी में उत्तराखंड राज्य सरकार की सहायता करने और परामर्श देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ और श्री वी.के. दुग्गल द्वारा समन्वय की अवधि को तीन महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया।

10.61 **निकासी**

(i) एनडीआरएफ ने उत्तराखंड अभियान के लिए 14 दलों को तैनात किया और 9,657 व्यक्तियों को बचाया।

(ii) आईटीबीपी ने अभियान के लिए लगभग 1,200 कार्मिकों को तैनात किया और 33,000 से अधिक व्यक्तियों को बचाया।

(iii) भारतीय वायु सेना ने अभियान में लगभग 45 हेलिकाप्टरों को लगाया और 23,500 से अधिक व्यक्तियों को बचाया।

(iv) भारतीय सेना ने 150 विशेष बलों सहित 8,000 कार्मिकों को तैनात किया और 38,500 से अधिक व्यक्तियों को बचाया। सेना के 12 हेलिकाप्टर भी तैनात किए गए थे।

(v) राज्य सरकार ने अभियान में 20 सिविल हवाई जहाजों का उपयोग किया और लगभग 12,000 व्यक्तियों को निकाला।

(vi) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी ने 20 प्रशिक्षकों और स्थानीय युवाओं के 5 बचाव दल बनाए और 6,500 से अधिक फँसे हुए व्यक्तियों को निकाला।

(vii) व्यापक रूप से सड़कों के टूट जाने, कठिन क्षेत्र और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद कम

से कम समय में प्रभावित क्षेत्रों से 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को निकाला गया। तथापि, उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा बचाए गए व्यक्तियों की संख्या में अतिव्याप्ति हो सकती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को अंतिम गतंव्य पर पहुंचने से पहले सड़क, पुल और वायुमार्ग के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा बचाया गया होगा।

10.62 **राहत और आपूर्ति**

(i) जहां कहीं सम्पर्क बहाल कर दिया गया था वहां एयरड्रापिंग के साथ–साथ सड़कों (परिवहन/खच्चर आदि) के माध्यम से खाद्य पदार्थ, पेयजल, दवाइयां, केरोसिन तेल, कंबल आदि जैसी सभी जरुरत की वस्तुएं सतत रुप से उपलब्ध कराई गई।

(ii) 69 राहत शिविर चलाए गए थे जिनमें 1,51,629 तीर्थ यात्रियों/स्थानीय निवासियों की देखभाल की गई।

(iii) हेलिकाप्टर द्वारा लगभग 500 टन राहत सामग्री (51 मदें) हवाई मार्ग से गिरायी गयी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएफ) के माध्यम से 21,522 क्विंटल अतिरिक्त खाद्यान्न और 28 किलोलीटर केरोसिन तेल भी जुटाया गया।

(iv) दिनांक 21.06.2013 को भारत संघ द्वारा उत्तराखंड राज्य को सस्ते मूल्य पर 2000 टन गेहूं और 2000 टन चावल आवंटित किया गया था।

(v) पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए हवाई उड़ान भरने के लिए राज्य में पर्याप्त ईंधन भंडार (एटीएफ/एमएस/एचएसडी/एसकेओ) उपलब्ध था।

(vi) अन्य राज्यों से लगभग 900 ट्रक राहत सामग्री प्राप्त हुई और देहरादून में स्थापित मुख्य राहत केन्द्र से प्रभावित जिलों में भेजी गई।

(vii) राज्य सरकार ने उन स्थानों पर रह रहे परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का नीतिगत निर्णय लिया, जहां कनेक्टिविटी बाधित थी।

10.63 **संचार**

(i) केदारनाथ, बद्रीनाथ, बारकोट और हरशिल में टेलिफोन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सम्पर्क स्थापित किया गया था।

(ii) समूचे राज्य में संचार को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तुरंत आपदा प्रबंधन कार्यों के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को 105 सैटेलाइट फोन वितरित किए गए थे।

10.64 **राज्य को वित्तीय सहायता**

(i) प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार ने दिनांक 20.06.2013 को राज्य आपदा कार्रवाई निधि से 145 करोड़ रू. की राशि जारी की। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने दिनांक 19.07.2013 को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से 'लेखा' आधार पर 250 करोड़ रू. की राशि जारी की। भारत सरकार ने राहत एवं बहाली कार्यों में सक्षम बनाने के लिए राज्य को दिनांक 20.06.2013 को एसडीआरएफ से 145 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2013 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आवश्यक राहत के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से 329.50 करोड़ रुपए (दिनांक 19.07.2013 को 250 करोड़ रुपए दिनांक 28.02.2014 को 17.66 करोड़ रुपए दिनांक 31.03.2014 को 61.84 करोड़ रुपए) की राशि जारी की है।

(ii) राज्य आपदा कार्रवाई निधि में उपलब्ध शेष 90% के समायोजन के अध्यधीन उत्तराखंड सरकार को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से 1187.87 करोड़ रू. की सहायता अनुमोदित की गई थी।

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक से उत्तराखंड सरकार को जारी किए जाने के लिए 20 करोड़ रू. की राशि अनुमोदित की गई थी।

दीर्घावधिक पुनर्निर्माण

10.65 भारत सरकार ने उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों हेतु व्यापक दिशानिर्देश उपलब्ध कराने और इस संबंध में सभी आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति गठित की। बाढ़ के बाद की स्थिति में केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों को शामिल करके उत्तराखंड में पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता करने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना

तैयार करने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) भी गठित किया गया था। दिनांक 31.07.2013 को उत्तराखंड की मंत्रिमंडल समिति ने बैठक की और केदारनाथ मंदिर को पुनः स्थापित करने और इसके संरक्षण हेतु राज्य सरकार को उचित सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिये। आईएमजी ने भी कई बार बैठक की और न केवल तुरंत राहत और पुनर्निर्माण में केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की प्रगति की निगरानी की, बल्कि राज्य अवसंरचना के पुनर्निर्माण और पुनर्वास तथा कार्ययोजना की तैयारी की भी निगरानी की। योजना आयोग ने उत्तराखंड राज्य के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के दौरान केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 1,884.92 करोड़ रुपए और विशेष योजनागत सहायता के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है।

ओडिशा में चक्रवात "फेलिन" और बाढ़

10.66 दक्षिण चीन समुद्र से शेष चक्रवाती संचार से एक अत्याधिक तीव्र चक्रवाती तूफान (वीएससीएस) फेलिन उत्पन्न हुआ। दिनांक 06.10.2013 को चक्रवाती संचार टेनास्सरिम तट पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र के रूप में उपस्थित था। दिनांक 07.10.2013 को यह सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र के रूप में उत्तर अंडमान समुद्र के ऊपर था। दिनांक 08.10.2013 को यह अक्षांश 12.00 एन और देशांतर 96.00 ई के निकट उसी क्षेत्र में दबाव में संकेन्द्रित रहा। पश्चिम–उत्तर पश्चिम की ओर जाकर, 9 तारीख को प्रातः इसका दबाव अत्यधिक बढ़ गया और बाद में उसी दिन शाम तक चक्रवाती तूफान (सीएस), फेलिन के रूप में अत्यधिक तीव्र हो गया। उत्तर पश्चिम की ओर जाकर यह सुबह एक तेज चक्रवाती तूफान (एससीएस) के रुप में और अधिक तीव्र हो गया और बंगाल के पूर्व केन्द्रीय खाड़ी पर 10 अक्टूबर के पूर्वाह्न में इसने अत्यधिक तीव्र चक्रवाती तूफान (वीएससीएस) का रुप धारण कर लिया। वीएससीएस, फेलिन ने 200–210 कि.मी. प्रति घंटा से लेकर 220 कि.मी. प्रति घंटे की सतत अधिकतम धरातल पवन गति के साथ दिनांक 12.10.2013 को लगभग आईएसटी 2230 बजे ओडिशा और गंजम जिला, ओडिशा के गोपालपुर के निकट उत्तरी आन्ध्र प्रदेश के समीपवर्ती तटों को पार किया।

10.67 'फेलिन' चक्रवात गंजम जिला के गोपालपुर में जमीन से टकराया और ओडिशा के 30 जिलों में से 18 जिलों में भयंकर तबाही मचाई। चक्रवात के बाद उत्तरी ओडिशा में तीव्र बाढ़ आई। निम्न दबाव के प्रभाव के कारण दिनांक 21.10.2013 से 26.10.2013 तक निरंतर बारिश से ऋषिकुल्य, बंसधारा, बैराणी, बुद्धबालंगा, सुबर्णरेखा और अन्य नदियों में बाढ़ की स्थिति का दूसरा चरण शुरु हुआ जिससे 13 जिले नामतः गंजम, गजपति, पुरी, नयागढ़, खोरधा, कटक, जगतीसिंहपुर, कंधमाल, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज प्रभावित हुए।

क्षति की मात्रा

10.68.1 राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई क्षति की मात्रा निम्नानुसार थीः–

निकाले गए व्यक्तियों की संख्या	11.55 लाख
मारे गए लोग	59
मारे गए मवेशी	4,502
मारे गए कुक्कुट (पक्षी)	1,70,979
क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियां	5,41,200
बनाए गए राहत शिविर	4,197
प्रभावित फसली क्षेत्र	18 जिलों में 11 लाख हेक्टेयर

भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

10.68.2 'फेलिन' चक्रवात और ओडिशा तथा आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) और गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। गृह सचिव और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ

अधिकारी अपेक्षित सहायता और समर्थन देने के लिए ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार सम्पर्क में थे। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा था।

10.68.3 'फेलिन' चक्रवात की चेतावनी दिनांक 08.10.2013 को आईएसटी 0900 बजे से आईएमडी, नई दिल्ली के चक्रवात चेतावनी प्रभाग (सीडब्ल्यूडी) द्वारा जारी की गई थी और यह संकेत दे रही थी कि चक्रवात उत्तरी आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को पार कर जाएगा।

(i) चक्रवात से पहले प्रथम सतर्कता बुलेटिन दिनांक 08.10.2010 को आईएसटी 0900 बजे जारी किया गया था, पहला चक्रवात चेतावनी बुलेटिन दिनांक 09.10.2013 को आईएसटी 0900 बजे जारी किया गया था।

(ii) कुल मिलाकर, दिनांक 08.10.2013 से 14.10.2013 के दौरान 45 चेतावनी बुलेटिन जारी किए गए थे। गहन दबाव की तीव्रता तक प्रतिदिन पांच बुलेटिन जारी किए गए और चक्रवाती तूफान की स्थिति के दौरान 3 घंटे के अंतराल पर प्रतिदिन आठ बुलेटिन जारी किए गए। बुलेटिन ई–मेल, फैक्स, एसएमएस और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों को व्यक्तिगत ब्रीफिंग सहित अनेक चैनलों से भेजे गए थे।

10.68.4 राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल कार्मिकों (नाव और आवश्यक बचाव उपकरण सहित) की 29 टीमें तैनात की थीं।

10.68.5 बैरकपुर और बागडोगरा में 6–8 आईएएफ हेलिकाप्टर रखे गए थे और राज्य सरकार की हवाई मार्ग से सहायता हेतु 'फेलिन' चक्रवात और बाढ़ की भंयकर स्थिति के दौरान कलाईकुंडा एयरबेस में भी कुछ हेलिकाप्टर रखे गए थे।

आन्ध्र प्रदेश में 'फेलिन' चक्रवात और बाढ़

10.69 आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात के बाद भंयकर बाढ़ आई। निम्न दबाव के कारण दिनांक 21.10.2013 से 27.10.2013 तक हुई निरंतर बारिश से 16 जिले नामतः श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नलगोंडा, महबूबनगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी, कुरनूल, वाईएसआर कडपा, वारंगल और करीमनगर प्रभावित हुए। इस बाढ़ के परिणामस्वरूप 567 मंडल और 5,186 गांव प्रभावित हुए।

क्षति की मात्रा

10.70 राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई क्षति की मात्रा निम्नानुसार थीः–

निकाले गए व्यक्तियों की संख्या	1.34 लाख
मारे गए लोग	60
मारे गए मवेशी	2,185
मारे गए कुक्कुट (पक्षी)	25,980
क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियां	54,678
बनाए गए राहत शिविर	149
प्रभावित फसली क्षेत्र	16 जिलों में 12.83 लाख हेक्टेयर

10.70.1 राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल कार्मिकों (नाव और आवश्यक बचाव उपकरण सहित) की 19 टीमें तैनात कीं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्रों में इंजीनियरों, संचार विशेषज्ञों और मेडिकल टीमों के साथ सेना कर्मियों के 5 दस्ते तैनात किए गए थे। विशाखापट्टनम में प्रभावित मंडलों में नौसेना की 8 टीमें तैनात की गई थीं।

10.71.2 राज्य सरकार को हवाई मार्ग से आवश्यक जरुरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'फैलिन' चक्रवात की गंभीर स्थिति के दौरान भारतीय वायु सेना के 2 हेलिकाप्टर तैनात किए गए थे।

◆◆◆

अध्याय XI

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 अपराध करने वालों अथवा सम्भावित अपराधकर्ताओं, खासकर, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार करने वालों की कार्यप्रणाली में तकनीकी उन्नयन के साथ–साथ तेजी से बदलाव आया है और इसमें राष्ट्रपारीय एवं वैश्विक आयाम का रूप ले लिया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने ऐसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें की हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहलें करने में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित है।

बहुपक्षीय सहयोग

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, इसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने, आर्थिक विकास बढ़ाने, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास करने; "इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन" करने के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सार्क के आठ सदस्य देश हैं– नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस संगठन की कार्यसूची मुख्यतः व्यापार को सुकर बनाने को बढ़ावा देने और 01.01.2006 से शुरु हुए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (एस ए एफ टी ए) को कार्यान्वित करने पर आधारित है। सार्क का सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में है।

11.3 नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि सार्क के आंतरिक/गृह सचिवों की बैठक के उपरान्त, सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक वार्षिक रूप से हुआ करेगी। अब तक सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की पाँच बैठकें–ढाका (11.05.2006), नई दिल्ली (25.10.2007), इस्लामाबाद (26.06.2010), थिंपू (23.07.2011) और मालदीव (26.09.2012) में आयोजित की गई हैं।

भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस)

11.4 अप्रैल, 2008 में आयोजित पहले आई ए एफ एस का उद्देश्य अफ्रीका के साथ भारत के आबन्ध में प्रचुर विषयों को जोड़ना और पृथक–पृथक अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक और स्थायी संबंध कायम करना था। इस शिखर सम्मेलन में की गई पहल, भारत–अफ्रीका संवाद को विकसित करने में भारत की आवश्यकता के भी अनुरूप है। शिखर सम्मेलन का औपचारिक परिणामी दस्तावेज, एक घोषणा और कार्य–योजना था। गृह मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता का संवर्धन करने के अलावा, उनके साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की व्यवस्था के रूप में सहयोग प्रस्तावित किया। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गये/आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैंः–

(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा दिनांक 07.01.2013 से 18.01.2013 तक व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) अकादमी, गाज़ियाबाद द्वारा दिनांक 25.11.2013 से 01.12.2013 तक साइबर अपराध सहित आर्थिक अपराधों की छानबीन के बारे में पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

11.5 उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में, अफ्रीकी देशों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.6 पारदेशीय/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी ढांचे में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करना, संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार करना, आतंकवाद/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य दल और नशीले पदार्थों और इनसे संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार करना शामिल है, जिन पर भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, काले धन को वैध बनाने, जाली भारतीय करेंसी नोटों आदि को रोकने के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग किया जाए।

परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी)

11.7 परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी), आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है, जिसके द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने/प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक विधिक रूपरेखा का प्रावधान किया जाता है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार 35 देशों/क्षेत्रों नामतः ऑस्टेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, हाँगकाँग, चीन के गणराज्य के लोगों का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, ईरान, कज़ाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताज़िकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उजबेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है।

11.8 उपर्युक्त के अलावा, इंडोनेशिया और इजराइल नामक दो देशों के साथ भी क्रमशः दिनांक 25.11.2011 और 27.02.2014 को आपराधिक मामलों में एम एल ए टी पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ये संधियां, हस्तारक्षकर्ता देशों द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद प्रभावी होंगी।

11.9 इसके अतिरिक्त, अजरबैजान के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में परस्पर विधिक सहायता संधि पर भारत सरकार की ओर से गृह मंत्री द्वारा और अजरबैजान सरकार की ओर से न्याय मंत्री द्वारा अप्रैल, 2013 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। यह संधि दोनों देशों के बीच अनुसमर्थन दस्तावेज के आदान–प्रदान के पश्चात लागू हो जाएगी।

भारत और अजरबैजान के बीच नई दिल्ली में एमएलएटी के हस्ताक्षर समारोह के दौरान माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और न्याय मंत्री, अजरबैजान। (अप्रैल 2013)।

11.10 स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और उनके प्रिकर्सरों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार और इंडोनेशिया सरकार के बीच जकार्ता, इंडोनेशिया में दिनांक 11.10.2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

11.11 भारत ने अन्य सार्क देशों के साथ वर्ष 2008 में आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता संबंधी अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है। यह अभिसमय सभी सदस्य देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के बाद प्रभावी होगा। इस अभिसमय का उद्देश्य, अपराधों की छान–बीन करने और अभियोजन चलाने में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

11.12 दिनांक 27.02.2014 को, भारत और इजराइल के बीच 'आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता' पर एक संधि, होमलैंड और सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों में सहयोग पर एक करार तथा भारत और इजराइल के बीच 'वर्गीकृत सामग्रियों एवं सूचना के संरक्षण' पर एक करार पर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

27 फरवरी, 2014 को श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव की मौजूदगी मे आपराधिक मामलों पर हस्ताक्षरित परस्पर विधिक सहायता संधि का आदान–प्रदान करते हुए डा. राजीव शर्मा, अपर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और श्री अलोन उशिप्ज, भारत में इजराइल के राजदूत।

नशीले पदार्थों और संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार

11.13 भारत ने नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुलगारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्त्र, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और जांबिया के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सजा प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार

11.14 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें अपने देश की जेल में अंतरित किए जाने का समर्थकारी प्रावधान करने के लिए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, दिनांक 01.01.2004 को अधिसूचित और प्रभावी हुआ। बाद में, कैदियों के प्रत्यावर्तन की नियमावली, 2004 दिनांक 09.08.2004 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इच्छुक देशों

द्वारा सजा प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार/समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

11.15 भारत सरकार ने दिनांक 31.03.2014 तक 22 देशों, यथा, यूनाइटेड किंग्डम (यू.के.), मॉरीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, थाईलैंड, टर्की, इटली, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, इजराइल, रूस, वियतनाम, ब्राजील और कुवैत के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, हांगकांग, स्पेन, नाइजीरिया और बहरीन की सरकारों के साथ बातचीत को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।

11.16 इस अधिनियम के अन्तर्गत, अब तक जिन कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही संबंधित देश में काटने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है, उनकी संख्या निम्नानुसार है:–

प्रत्यावर्तित विदेशी कैदी जिस देश के हैं | **भारतीय कैदी जिस देश से प्रत्यावर्तित किए गए**

क्रम सं.	देश	वापस भेजे गए विदेशी कैदियों की संख्या	क्रम सं.	देश	वापस लाए गए भारतीय कैदियों की संख्या
1.	यू.के.	6	1.	यू.के.	2
2.	फ्रांस	1	2.	मॉरीशस	13
3.	इजराइल	1	3.	श्रीलंका	29
	कुल	**8**		**कुल**	**44**

11.17 करार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

i) हस्तांतरण तभी किया जाएगा जबकि सजा प्राप्त व्यक्ति प्राप्तकर्ता राष्ट्र का नागरिक हो।

ii) हस्तांतरण का अनुरोध सजा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसकी उम्र, शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति के मद्देनजर उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

iii) हस्तांतरण करने वाले और प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को हस्तांतरण के अनुरोध पर सहमत होना होगा।

iv) हस्तांतरण तब किया जाएगा जबकि सजा दिए जाने का फैसला अंतिम हो और हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र के किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं हो।

v) हस्तांतरण पर तभी विचार किया जाएगा, जबकि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य अथवा चूक, जिसके लिए उसे हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सजा सुनाई गई हो, हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि वह उसके क्षेत्र में किया जाए तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

vi) सुनाई गई सजा को हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राज्य के कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा और वह राष्ट्र ही सभी प्रकार के उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

vii) यदि हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सजायाफ्ता व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो तो उस व्यक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा।

viii) हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र को सजा प्राप्त व्यक्ति की हिरासत का हस्तांतरण, उसे हस्तांतरित करने वाले राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए।

भारत तथा यू.एस.ए. के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलाग

11.18 'भारत–अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डायलाग' (एचएसडी) की घोषणा नवम्बर 2010 में भारत के प्रधान मंत्री और यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा भारत और संयुक्त राज्य के बीच सार्वभौमिक युक्तिपूर्ण भागीदारी के भाग के रुप में की गई थी। भारत

और यूएसए के बीच पहली एचएसडी का आयोजन वर्ष 2011 में नई दिल्ली में किया गया था।

11.19 दिनांक 20.05.2013 से 22.05.2013 के दौरान, गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने यू.एस.ए. का दौरा किया। भारत और यू.एस.ए. के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का दूसरा राउण्ड, गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सेक्रेटरी सुश्री जेनेट नेपोलिटेनो, के नेतृत्व में यू.एस.ए. सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच दिनांक 21.05.2013 को वाशिंगटन डी सी में आयोजित किया गया। दौरे के दौरान, गृह मंत्री, भारत सरकार एफ.बी.आई. के निदेशक और यू.एस.ए. के अटार्नी जनरल से भी मिले और द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर वार्ता की। भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल ने वांशिगटन डीसी और बोस्टन में सुरक्षा संबंधी संस्थानों का भी दौरा किया जो बम से किए गए हमले का स्थल था।

11.20 दिनांक 24.06.2013 को यू.एस.ए. सरकार के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के कार्यकारी डिप्टी सेक्रेटरी श्री रैंड बीयर्स नई दिल्ली में भारत सरकार के गृह मंत्री और गृह सचिव से मिले और भारत और यू.एस.ए. के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत की।

11.21 दिनांक 24.06.2013 और 25.06.2013 को यू.एस.ए. सरकार के न्याय विभाग के डिप्टी असिस्टेंट अटार्नी जनरल श्री ब्रुस स्वार्ट्ज गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह सचिव और विशेष सचिव (आईएस) से मिले और लेटर्स रोगेटरी, प्रत्यर्पण आदि सहित भारत और यू.एस.ए. के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

बांग्लादेश

11.22 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें पहला स्तर महानिदेशक स्तर है, दूसरे स्तर पर दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) है और तीसरा स्तर दोनों देशों के गृह सचिवों के स्तर पर है।

11.23 आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि त्रिस्तरीय तंत्र के अतिरिक्त, भारत तथा बांग्लादेश के बीच वर्ष में एक बार गृह मंत्री के स्तर पर वार्ता की जाएगी। गृह मंत्री के स्तर की पहली वार्ता ढ़ाका में जुलाई, 2011 में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा के प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और बांग्लादेश के गृह मंत्रियों के बीच दूसरी और तीसरी बैठकें क्रमशः फरवरी 2012 और दिसम्बर 2012 में नई दिल्ली में हुई थीं।

11.24 बांग्लादेश और भारत के गृह मंत्रियों के बीच चौथी बैठक ढाका में दिनांक 28.01.2013 से 29.01.2013 तक आयोजित की गई। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्री डॉ. मुहीउद्दीन खान आलमगीर द्वारा किया गया। भारत के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा किया गया। इस बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार थीं:–

(i) दोनों गृह मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच प्रत्यपर्ण संधि और संशोधित यात्रा करार (आर टी ए) पर हस्ताक्षर किए जाने पर संतोष व्यक्त किया और यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्यपर्ण संधि आदि से दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच सहयोग बढ़ाने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने, वीजा प्राप्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

(ii) भारत ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता का समाधान करने, विशेष रूप से भारत के विद्रोही समूहों से निपटने में प्रदान किए गए सहयोग के लिए बांग्लादेश सरकार की सराहना की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के लिए हानिकारक तत्वों के विरुद्व कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) के सहज संचालन पर संतोष व्यक्त किया।

28 जनवरी, 2013 को ढाका में भारत के गृह मंत्री सुशीलकुमार शिंदे (बाएं) बांग्लादेश के गृह मंत्री मोहिउद्दीन खान आलमगीर के साथ।

11.25 भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक दिनांक 18.07.2013 को आयोजित की गई। संयुक्त कार्य दल की बैठक के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री शम्भु सिंह, संयुक्त सचिव(एनई) द्वारा किया गया।

11.26 भारत और बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता दिनांक 19.07.2013 से 23.07.2013 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री सी.क्यू.के. मुस्ताक अहमद, वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार द्वारा किया गया। बैठक में, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विभिन्न करारों के कार्यान्वयन, भूमि सीमा करार के अनुसमर्थन, सजा प्राप्त लोगों और मछुआरों का प्रत्यावर्तन, जाली करेंसी के संबंध में संयुक्त कार्य बल के गठन, सीमा पर बाड़ का निर्माण करने/लगाने, बाउंडरी स्तम्भों के रख–रखाव के लिए एसओपी को अंतिम रूप देने, सीमावर्ती जिलों के डीएम/डीसी के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए तंत्र, सीमा के आर–पार आवाजाही की गतिविधियों को नियंत्रित करने, वीजा और वाणिज्यदूत (कान्सुलर) संबंधी मामलों और क्षमता–निर्माण आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

भारत और बांग्लादेश के गृह सचिवों की 14वीं बैठक 19–22 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सी क्यू के मुश्ताक अहमद, वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार द्वारा किया गया।

म्यांमार

11.27 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में प्रत्येक वर्ष बारी–बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव के स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

11.28 म्यांमार और भारत के बीच राष्ट्रीय स्तर की 18वीं बैठक का आयोजन दिनांक 28.12.2012 से 29.12.2012 तक नई दिल्ली में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ए.के. मंगोत्रा, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय द्वारा और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल क्यावजानमाइन्ट, उप मंत्री, गृह मंत्रालय, म्यांमार यूनियन गणतंत्र की सरकार द्वारा किया गया। बैठक में, म्यांमार में आईआईजी शिविरों को ध्वस्त करने, मानव एवं नशीले पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के तंत्र, वन्य पशुओं के अंगों की अवैध तस्करी, नया सीमा सम्पर्क कार्यालय खोलने, अण्डमान एवं निकोबार की जेलों में बंद म्यांमार के मछुआरों के प्रत्यर्पण और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

म्यांमार और भारत के बीच राष्ट्रीय स्तर की 18वीं बैठक का आयोजन दिनांक 28.12.2012 से 29.12.2012 तक नई दिल्ली, भारत में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ए.के. मंगोत्रा, सचिव, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिगे. जनरल क्यावजानमाइन्ट, उपमंत्री, गृह मंत्रालय, म्यांमार संघ गणतंत्र की सरकार द्वारा किया गया।

11.29 एक अंतर मंत्रालयीय प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और अन्य व्यक्ति शामिल थे, ने म्यांमार के साथ सीमा–सहयोग पर विचार–विमर्श करने और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 09.05.2013 को न्येप्यई टॉ, म्यांमार का दौरा किया। दिनांक 09.05.2013 को आयोजित उपर्युक्त बैठक में भारत और म्यांमार के बीच सीमा के रख–रखाव और गश्त लगाने के संबंध में समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान दिया गया।

11.30 म्यांमार और भारत के बीच सेक्टोरल स्तर की 20वीं लेवल बैठक (संयुक्त कार्य दल) बागान, म्यांमार में दिनांक 19.06.2013 से 20.06.2013 तक आयोजित की गई। इस बैठक में, म्यांमार में भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी) की मौजूदगी, सशस्त्र समूहों की सीमा–पार आवाजाही, हथियारों की तस्करी/नशीली पदार्थों का दुर्व्यापार, सीमा प्रबंधन मुद्दों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में म्यांमार के मछुआरों द्वारा मानव तस्करी एवं चोरी–छिपे शिकार करने, वन्य जीवन के अंगों की तस्करी और म्यांमार पुलिस के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे

11.31 कनाडा के आप्रवासन मंत्री श्री जेसन केनी ने दिनांक 10.01.2013 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और पारस्परिक हित के द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया।

11.32 कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा उपमंत्री श्री राबर्ट फोनबर्ग और कनाडा के लोक सुरक्षा उप मंत्री श्री फ्रैंकोइस गुइमोंट ने दिनांक 23.01.2013 को केन्द्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और भारत तथा कनाडा के बीच द्विपक्षीय मामलों पर विचार–विमर्श किया।

11.33 दिनांक 10.04.2013 से 12.04.2013 के दौरान, भारत सरकार के गृह मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने रूस का दौरा किया और श्री व्लादिमीर कोलोकोल्टसेव, आंतरिक सुरक्षा मंत्री और श्री व्लादिमीर पश्कोव, आपात स्थिति मंत्री के नेतृत्व वाले रूसी सरकार के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमण्डल ने संगत क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को देखने के लिए मास्को में विभिन्न सुरक्षा संबंधी संस्थापनाओं का भी दौरा किया। आपात स्थिति के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार संबंधी एक विनियमन पर गृह मंत्री, भारत सरकार और श्री व्लादिमीर पश्कोव, आपात स्थिति मंत्री, रूस द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

11.34 दिनांक 16.04.2013 को, श्री मोहम्मद नजीम, रक्षा मंत्री, मालदीव सरकार और केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के बीच नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

11.35 दिनांक 10.09.2013 से 12.09.2013 के दौरान, जोस मान्द्रा, आंतरिक उप मंत्री, मोजाम्बिक सरकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने नई दिल्ली का दौरा किया। नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने एनएसजी, सीआईएसएफ, सीबीआई के मुख्यालयों और न्यायिक विज्ञान निदेशालय, गृह मंत्रालय का दौरा किया। दिनांक 12.09.2013 को, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल और श्री जोस मांन्द्रा, आंतरिक उप मंत्री के नेतृत्व में मोजाम्बिक सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के बीच नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत–मोजाम्बिक द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

भारत और मोजाम्बिक के बीच दिनांक 12.09.2013 को नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों से संबंधित बैठक के प्रारंभ में श्री जोस माान्द्रा, आंतरिक उप मंत्री, मोजाम्बिक सरकार का स्वागत करते हुए श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

11.36 दिनांक 01.11.2013 को, श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और जनरल ट्रान दई क्वांग, लोक सुरक्षा मंत्री के नेतृत्व में वियतनाम सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत–वियतनाम द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार और लोक सुरक्षा मंत्री, वियतनाम सरकार के बीच सजा प्राप्त लोगों के हस्तांतरण संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और वियतनाय के बीच 01 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपसीय सुरक्षा संबंधी बैठक में जनरल ट्रान दर्ड क्वांग, लोक सुरक्षा मंत्री, वियतनाय सरकार और सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री।

11.37 दिनांक 13.12.2013 को, श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और श्री मोहम्मद नजीम, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में मालदीव सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत–मालदीव द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे और मालदीव के रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नजीम की 13 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में मुलाकात हुई।

11.38 दिनांक 19.12.2013 को, श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और श्री फलीह अल–फय्याध, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में इराक सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत–इराक द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

श्री फलीह अल–फय्याध, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसका सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे से 19 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में मुलाकात की। दाहिनी ओर केन्द्रीय गृह सचिव श्री अनिल गोस्वामी बैठे हुए हैं।

11.39 दिनांक 16.01.2014 को, श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और श्री माधव प्रसाद घिमिरे, विदेश मंत्री के नेतृत्व में नेपाल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत–नेपाल द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

16 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री सुशीलकुमार शिंदे और नेपाल के गृह मंत्री।

क्षमता निर्माण

11.40 गृह मंत्रालय सिर्फ अपने ही पुलिस बलों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। जनवरी 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया और मालदीव के पुलिस कार्मिकों के लिए द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई।

11.41 सार्क सचिवालय के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के पुलिस कार्मिकों के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई।

11.42 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस एस) की सरकार ने आतंकवाद–रोधी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत और यू एस ए के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित/संचालित किए हैं। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 तक भारत और यू एस ए में ऐसे कुल 15 पाठ्यक्रम संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में, 298 अधिकारियों को नामित किया गया।

वैश्विक शांति का परिरक्षण

11.43 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति कायम रखने में यू एन के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। यू एन द्वारा जब कभी भी मांग की जाती है, विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर इसके लिए गठित पुलिस टुकड़ियों की भी नियमित तैनाती की जाती है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 64 भारतीय सिवपोल (सिविलियन पुलिस) अधिकारियों को यून एन शांति परिरक्षण मिशनों पर दक्षिण सूडान, हेती, साइप्रस, लाइबेरिया और अफगानिस्तान में यूएन सहायता मिशनों में तैनात किया गया है। वर्तमान में यू एन शांति परिरक्षण मिशनों पर निम्नलिखित गठित पुलिस टुकड़ियों (एफ पी यू) को तैनात किया गया हैः–

क) कांगों में बी एस एफ और आई टी बी पी दोनों ही से एक–एक टुकड़ी।

ख) लाइबेरिया में सी आर पी एफ से दो एफ पी यू (01 पुरूष और 01 महिला)।

ग) हेती में बी एस एफ, सी आई एस एफ और असम राइफल्स से एक–एक करके तीन एफ पी यू।

सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर अनुसंधान से संबंधित कागजात तैयार किया जाना

11.44 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों/क्षेत्रों के बारे में अनुसंधान और नीति संबंधी विश्लेषण करने के उद्देश्य से, नीतिगत कागजात तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा रक्षा–अध्ययन और विश्लेषण–संस्थान (आई डी एस ए), नई दिल्ली को विषय आबंटित किए जाते हैं।

ई ए एस - इंडिया कार्यशाला-2012

11.45 नवम्बर, 2011 में इंडोनेशिया में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ई ए एस) के दौरान, वर्ष, 2012 में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के बारे में एक ई ए एस कार्यशाला की मेजबानी करने की भारत की इच्छा के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मंत्रालय ने दिनांक 08.11.2012 और 09.11.2012 को नई दिल्ली में भूकंप से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय फ्रेमवर्क तैयार किए जाने के बारे में ई ए एस – इंडिया कार्यशाला की मेजबानी की।

11.46 इस कार्यशाला का उदघाटन केन्द्रीय गृह मंत्री ने किया और इसमें ई ए एस के सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और भारत के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और तकनीकी संस्थानों आदि के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

11.47 ईएएस–इंडिया कार्यशाला पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, मार्च 2013 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में ईएएस–ईआरआर केन्द्र की स्थापना की गई है। 18 ई ए एस सदस्य देशों की राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई एजेन्सियों के बीच 24×7 आधार पर सम्पर्क बिन्दु और वर्चुअल नॉलेज पोर्टल (वीकेपी) विकसित किया जा रहा है ताकि उक्त क्षेत्र में सूचना और जानकारी का निर्बाध रूप से प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण, जिनमें एन डी आर एफ के कार्मिकों ने भाग लिया

11.48 कैलेंडर वर्ष 2013–14 के दौरान, एन डी आर एफ के कुल 07 अधिकारियों/कार्मिकों ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सी बी आर एन) आपदा और अंतरराष्ट्रीय तलाशी और बचाव सलाहकारी ग्रुप (आई एन एस ए आर ए जी) प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

आपात स्थिति के निवारण एवं प्रशमन में सहयोग के लिए भारत-रूस संयुक्त आयोग

11.49 भारत सरकार और रूस संघ सरकार के बीच आपात–प्रबंधन के क्षेत्र में दिनांक 21.12.2010 को हस्ताक्षरित करार के अनुसरण में, संयुक्त आयोग के ढांचे, कार्यकलाप और प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले एक विनियम पर दिनांक 10.04.2013 को हस्ताक्षर किए गए।

11.50 भारत–रूस संयुक्त आयोग आपात–प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने और आपदा की स्थिति में दोनों देशों के लोगों की खुशहाली और सुरक्षा में योगदान करने और आपात स्थिति के प्रबंधन के क्षेत्र में परस्पर लाभकारी वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के आदान–प्रदान के लिए भी दिनांक 21.12.2012 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। संयुक्त आयोग की बैठकें भारत और रूस में बारी–बारी से आयोजित की जाएंगी।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन

11.51 भारत के प्रधान मंत्री के इंडोनेशिया के दौरे (10.10.2013 से 12.10.2013 तक) के दौरान, सूचना के आदान–प्रदान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया गणराज्य की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेन्सी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत सरकार - यू एस ए आई डी द्वारा सहायता प्राप्त आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना

11.52 भारत सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित संयुक्त राज्य एजेंसी (यू एस ए आई डी)

के बीच आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना के बारे में द्विपक्षीय करार पर सितम्बर, 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता की स्थिति में कमी लाना और प्रमुख भारतीय संस्थानों की क्षमता का निर्माण करना है।

11.53 वर्ष के दौरान, 11 भारतीय कार्रवाई प्रणाली (आई आर एस) माड्यूलों का प्रचालनात्मक कार्य एनआईडीएम द्वारा पूरा कर लिया है और 11 आई आर एस पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाया गया है और यू.एस. वन सेवा द्वारा प्रयोग के लिए प्रमाणित किया गया है। आपदा से संबंधित जोखिम में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के एकीकरण के लिए आगे की कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

भारत सरकार–यूएनडीपी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (डीआरआरपी) (2009–2012)

11.54 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी आर आर) कार्यक्रम का प्रयास, विभिन्न स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियां संचालित करना और रिकवरी के लिए तत्परता विकसित करने का है। इस कार्यक्रम में दो घटक नामतः संस्थागत मजबूती और आपदा जोखिम और शहरी जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण हैं।

11.55 डी आर आर कार्यक्रम, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया गया था और दिनांक 31.12.2013 को पूरा हो गया है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए ग्लोबल प्लेटफार्म का चौथा सत्र, 2013, जेनेवा, स्विटरलैंड

11.56 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ग्लोबल प्लेटफार्म का चौथा सत्र दिनांक 19.05.2013 से 23.05.2013 तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र जेनेवा (सी आई सी जी), स्विटजरलैंड में आयोजित किया गया। सचिव (सीमा प्रबंधन) गृह मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस आयोजन में भाग लिया और विभिन्न सत्रों में सहभागिता की। एन आई डी एम द्वारा आयोजन स्थल के मार्केट स्थान पर एक बूथ में डी आर आर दस्तावेजों और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई।

"पर्यावरणीय योजना और आपदा जोखिम प्रबंधन" (ई पी डी आर एम) के संबंध में परिणामी विचार–विमर्श और कार्यनीति संबंधी कार्यशाला

11.57 "पर्यावरणीय योजना और आपदा जोखिम प्रबंधन" पर भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन (डी आर एम) के क्षेत्र में भारत–जर्मन सहयोग के 6 वर्षों पर दिनांक 22.10.2013 को एन आई डी एम, नई दिल्ली में एक समापन कार्यशाला का आयोजन किया गया। भागीदारी में अनुसंधान आधारित मामला अध्ययन करने, पांच विषयगत क्षेत्रों–पर्यावरण संबंधी आंकड़ों के साथ क्षमता निर्माण के लिए छह प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करने और मिश्रित ज्ञानार्जन कार्यक्रम का संवर्धन करने, आपदा प्रबंधन में पर्यावरण संबंधी विधान की भूमिका, रासायनिक आपदा प्रबंधन के लिए स्थानिक योजना एवं भूमि का उपयोग, पर्यावरण संबंधी सेवाओं की भूमिका और आपदा जोखिम प्रबंधन के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के संयोजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया। एन आई डी एम और जर्मन इंटरनेशनल को–आपरेशन–इंडो जर्मन एनवायरमेंट प्रोग्राम (जी आई जेड–आई जी ई पी) ने तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को वहन करने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता के निर्माण के लिए मिलकर कार्य किया।

आपदा–प्रबंधन में भारत–जर्मन सहयोग

11.58 जर्मन संघ के आर्थिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संसदीय स्टेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 10.01.2013 को एन डी एम ए का दौरा किया और आपदा–प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एनडीएमए के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।

फिजी प्रतिनिधिमण्डल का दौरा

11.59 भारत में फिजी उच्चायोग के फर्स्ट सेक्रेटरी ने दिनांक 08.05.2013 को आपदा–प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर समझौता–ज्ञापन के मसौदे पर चर्चा करने के लिए एनडीएमए के सचिव से मुलाकात की।

◆◆◆

अध्याय XII महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना

12.1 'पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना' आंतरिक सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की मुख्य पहलों में से एक है। इस योजना के अन्तर्गत जिन प्रमुख मदों को निधियां प्रदान की जाती हैं उनमें ये शामिल हैं: सुरक्षित पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार/विधि–विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि की सुनिश्चितता ।

उद्देश्य

12.2 इस योजना का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में कमियों की पहचान करना तथा कानून और व्यवस्था की समस्याओं से समुचित रुप से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके राज्य सरकारों की केंद्रीय अर्ध–सैनिक बलों पर निर्भरता को धीरे–धीरे कम करना और प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। यह योजना सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण, अपेक्षित आवाजाही, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, विधि–विज्ञान स्थापना, आवास आदि से पुलिस स्टेशनों को सुसज्जित करके अग्रणी स्तर पर पुलिस नेटवर्क और अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर भी केन्द्रित है।

योजना का प्रभाव

12.3 इस योजना का सभी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है और इससे पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को अत्यधिक जरूरी सहायता और गति मिली है। उदाहरणार्थ, अपेक्षित सुविधाओं से परिपूर्ण पुलिस थानों/चौकियों (आउट पोस्ट) के लिए उचित भवनों के निर्माण से सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक वातावरण उपलब्ध हुआ है तथा पुलिस कार्मिकों के लिए आवासों के निर्माण और आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता से, विशेष रूप से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, उनके मनोबल में काफी वृद्धि हुई है। अग्रणी स्तर पर वाहनों की संवर्धित उपलब्धता से आवाजाही में सुधार कार्रवाई करने के समय में भी सुधार हुआ है।

12.4 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमपीएफ स्कीम के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रुप में 4,450.49 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई थी। 11वीं योजना के दौरान, इस धनराशि को बढ़ाकर 5,660.97 करोड़ रु. कर दिया गया था।

(करोड़ रू. में)

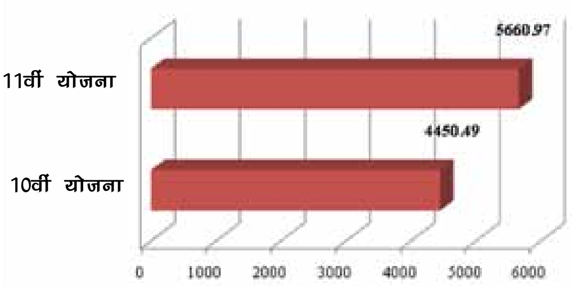

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता (एमपीएफ)

12.5 एमपीएफ स्कीम जो मार्च, 2010 में समाप्त हो गई थी, को वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2010–11 और वर्ष 2011–12 के लिए दो बार बढ़ाया गया था।

12.6 इस योजना को वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसे आंशिक रुप से गैर–योजना और आंशिक रुप से योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। आवाजाही, हथियारों, उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, विधि–विज्ञान उपकरण आदि घटकों के अंतर्गत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित सामग्रियों का निधीयन गैर–योजना के तहत किया जा रहा है और पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्टों, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास के निर्माण/उन्नयन, विधि–विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण अवसंरचना (भवन) के निर्माण का निधीयन गृह मंत्रालय के योजना बजट के तहत किया जा रहा है।

12.7 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिए एमपीएफ योजना हेतु निम्नलिखित निधियां निर्धारित/आबंटित की गई हैं:

सारणीः एमपीएफ हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटन

		(करोड़ रुपए में)
वर्ष	**'गैर-योजना'**	**'योजना'**
2012–13	1784.30	562.63
2013–14	1928.60	797.06
2014–15	1640.00	797.06
2015–16	1640.00	796.06
2016–17	1635.53	797.06
कुल	(*)8628.43	3750.87

(*)इसमें बड़े शहरों (मेगा सिटी) की पुलिस व्यवस्था हेतु 432.09 करोड़ रु. शामिल हैं।

12.8 इस योजना के अंतर्गत, गैर–योजना और योजना के अंतर्गत निधीयन के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में बांटा गया है। 'क" श्रेणी के राज्य नामतः जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्य 90% वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। शेष राज्य, जो श्रेणी 'ख' में हैं, वे केन्द्र सरकार से 60% वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

12.9 इस स्कीम (योजना और गैर–योजना) के लिए 1,847.00 करोड़ रु. के बजट अनुमान (2013–14) को संशोधित करके संशोधित अनुमान (2013–14) स्तर पर 1,342.00 करोड़ रु. कर दिया गया था और योजना के अनुसार राज्य कार्य योजनाओं के लिए निधियों को पूर्ण रुप से जारी कर दिया गया है।

बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था

12.10 बड़े शहरों (मेगा सिटी) की पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) वर्ष 2012–13 से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर–योजना के उप–भाग के रुप में जारी है और इसका वित्तपोषण 60:40 (केन्द्र और राज्य के बीच भागीदारी का अनुपात) के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत छह शहरों में मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के लिए 432.90 करोड़ रु. का आबंटन अनुमोदित किया गया है। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत कवर किए जाने वाले शहरों में हैदराबाद, चेन्नै, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल हैं।

विशेष शाखाओं का सुदृढ़ीकरण

12.11 राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन आधुनिक उपकरण, संचार के उपकरण आदि उपलब्ध कराके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष शाखाओं/आसूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता दी जाती है। जब कभी एम पी एफ योजना के अधीन राज्यों की वार्षिक कार्य योजना में इस घटक को शामिल किया जाता है, तब राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी सी टी एन एस)

12.12 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सही समय पर अपराध एवं अपराधी संबंधी सूचना का आदान–प्रदान करने

के लिए देश के 29 राज्यों एवं 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों और लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली तथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सोल्यूशन सृजित करना है।

कर्नाटक में सीसीटीएनएस का शुभारंभ

12.13 इस परियोजना की संकल्पना 'केन्द्रीकृत आयोजना एवं विकेंद्रित कार्यान्वयन' के सिद्धांत के आधार पर की गई है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी ए एस) को केंद्रीय स्तर पर सामान्य परिभाषाओं, योजना एवं विनिर्देशों के साथ विकसित किया जा रहा है जिसे राज्य विशेष की जरूरत के अनुरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। तथापि, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनको उनके मौजूदा एप्लीकेशनों पर चलते रहने की अनुमति दी गई है, को सी ए एस के साथ सूचना के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपने मौजूदा साफ्टवेयर को अनुकूल बनाना होता है।

प्रमुख माइलस्टोन उपलब्धियां और वर्तमान स्थिति

12.14 सी सी टी एन एस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई प्रमुख माइलस्टोन उपलब्धियां और इनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

12.14.1 वर्ष 2013–14 के दौरान, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा कुल 9,988 स्थलों पर कार्य आरंभ किया गया था। समग्र रुप से 21,502 स्थलों में से 14,040 स्थलों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

12.14.2 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू) के संदर्भ में, 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए करार पर हस्ताक्षर करने और अग्रिम भुगतान की राशि जारी करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। समग्र रुप से, राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट करार पर 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हस्ताक्षर किये गये हैं।

12.14.3 कुल 902 यूनिटों में से 891 यूनिटों में क्षमता निर्माण (अवसंरचना) का कार्य पूर्ण हो गया है। आज की तिथि तक, 6,33,834 की योजनाबद्ध संख्या में से दिए गए भूमिका आधारित प्रशिक्षणों की कुल संख्या 2,37,541 है।

12.14.4 वर्ष के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 123.55 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई थी। जारी की गई कुल 570.09 करोड़ रु. की राशि में से विभिन्न शीर्षों के तहत समग्र रुप से 356.46 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है।

12.14.5 कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) विकास कार्य अवधि के भाग के रुप में, सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी (एसडीए) ने मुख्य अनुप्रयोग कार्यशीलता को बंद करके दिनांक 15.01.2014 को निर्मित 3.0 सीएएस जारी किया। इसके अतिरिक्त, जैसाकि गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, सीएएस अनुप्रयोगों में बहुभाषी तलाशी और देखने की सुविधा; शेष सीएएस अनुप्रयोगों में अंतरिम रूप से संरक्षित करने की सुविधा; सभी रिपोर्टों और रजिस्टरों के प्रारुपों को नया रुप देने; सीएएस अनुप्रयोग में अभिरुचि वाली विशेषता के गुणधर्म में परिवर्तन जैसी विशिष्टताओं और कार्यशीलताओं को शामिल करने के लिए सीएएस की कार्यशीलता को बढ़ाया जा रहा है।

12.14.6 शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाटा केन्द्र (एनडीसी) की स्थापना की गई है। 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य डाटा केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जबकि 15 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वैकल्पिक डाटा केन्द्रों से जुड़े हैं।

12.14.7 दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आपदा रिकवरी केन्द्रों की पहचान की गई है। 35 राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों में से, 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपकरणों को पहले ही संस्थापित कर दिया गया है।

12.14.8 राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी) – आपदा रिकवरी केन्द्र (डीआरसी) कनेक्टिविटी संस्थापित कर दी गई है और 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए इसका परीक्षण कर लिया गया है।

12.14.9 19,991 स्थलों में से 16,564 स्थलों पर ग्राहक प्रणालियां भेज दी गई हैं। अब तक, समूचे देश में 35.12 करोड़ रिकार्डों के लिए डाटा डिजिटीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है।

12.14.10 दिनांक 04.01.2013 को प्रायोगिक आधार पर सीसीटीएनएस परियोजना आरंभ की गई थी। तब से, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कई अन्य राज्यों में भी इसे आरंभ किया गया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभ होने की तिथि
1.	तमिलनाडु	सितम्बर, 2013
2.	गुजरात	19.09.2013
3.	जम्मू और कश्मीर (4 जिले)	फरवरी, 2014
4.	उत्तराखंड	24.02.2014
5.	सिक्किम	10.03.2014

जिलों को विशेष दर्जा

12.15 गृह मंत्रालय को कर्नाटक–हैदराबाद क्षेत्र, जिसमें गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगिर और बेल्लारी के 6 जिले शामिल हैं, को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तदनुसार, संसद द्वारा संविधान (98वां संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया है। इस अधिनियम को दिनांक 01.10.2013 से प्रभावी बनाया गया है। हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र के समग्र विकास हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को शक्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

तेलंगाना

12.16 सरकारी स्तरों पर अनेक बार वार्ता करने के बाद, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 03.10.2013 को आयोजित अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने का निर्णय लिया। विभाजन के तौर–तरीके को अंतिम रुप देने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया था।

12.17 जी ओ एम की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 05.12.2013 को आयोजित अपनी बैठक में आन्ध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करने और एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने का निर्णय लिया। इसके पश्चात, आन्ध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन हेतु मसौदा विधेयक के साथ संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति का एक संदर्भ दिनांक 12.12.2013 को आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल का अभिमत प्राप्त करने के लिए भेजा गया था।

12.18 आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल ने अपनी कार्रवाई पूर्ण की और दिनांक 30.01.2014 को राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के अभिमत के बारे में सूचित किया। इसके संकल्पों के साथ–साथ संशोधनों/विचारों की अभिव्यक्ति हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। इसके पश्चात, जीओएम द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर एक टिप्पणी अनुमोदित की। बाद में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित एक बैठक में, मसौदा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2013 में कुछ और संशोधनों को शामिल किया गया।

12.19 आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2013 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था (दिनांक 18.02.2014 को लोक सभा द्वारा और दिनांक 20.02.2014 को राज्य सभा द्वारा)। दिनांक 01.03.2014 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी, जिससे आन्ध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करने के बाद नए राज्य तेलंगाना के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। राज्य के गठन के लिए अधिनियम की धारा 2(क) के तहत दिनांक 02.06.2014 को नियत दिन के रुप में अधिसूचित किया गया था।

कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम

12.20 केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002–2003 में 27 राज्यों में 1,800 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर वर्ष 2002 में एक गैर–योजना स्कीम शुरु की थी, जो जेलों में भीड़भाड कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण, जेलों की मरम्मत, नवीकरण और मौजूदा जेलों में अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, सफाई और जल आपूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के रहने के लिए आवास के निर्माण के लिए थी। यह स्कीम आगे बढ़ाए बिना दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो गई थी।

12.21 कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत, राज्य सरकारों द्वारा अब तक 125 नई जेलों, विद्यमान कारागारों में 1,579 अतिरिक्त बैरकों और कारागार कर्मियों के लिए 8,658 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। इस स्कीम के तहत बनाई गई अधिकांश जेलों को वर्ष 2009 के बाद चालू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरुप, कुछ वर्षों में कारागारों में भीड़ की दर धीरे–धीरे कम हो गई और वर्ष 2008 में 129.2% से वर्ष 2009 में 122.8%, वर्ष 2010 में 115.1% और वर्ष 2011 में 112.1% थी और यह वर्ष 2012 में 112.2% के स्तर पर है।

13वें वित्त आयोग द्वारा कारागारों हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान–सहायता

12.22 कारागारों के उन्नयन हेतु निधियों की आवश्यकता के लिए राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर, 13वें वित्त आयोग ने 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा को वर्ष 2011–2015 की अवधि के लिए 609 करोड़ रु० प्रदान किए हैं। 13वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत अब तक राज्यों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 2011–12 के दौरान जारी राशि (करोड़ रु. में)	वर्ष 2012–13 के दौरान जारी राशि (करोड़ रु. में)	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी राशि (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	22.50 (पहली किस्त)	0.00	22.50 (दूसरी किस्त)
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.50 (पहली किस्त)	0.00
3.	छत्तीसगढ़	37.50 (पहली किस्त)	22.76 (दूसरी किस्त)	0.00
4.	केरल	38.50 (पहली किस्त)	38.50 (दूसरी किस्त)	0.00
5.	महाराष्ट्र	15.22 (पहली किस्त)	0.00	0.00
6.	मिजोरम	4.9959 (पहली किस्त)	8.33 (दूसरी किस्त)	0.00
7.	ओड़िशा	18.30 (पहली किस्त)	25.00 (दूसरी किस्त)	0.00
8.	त्रिपुरा	10.00 (पहली किस्त)	2.50 (दूसरी किस्त)	0.00
	कुल	**147.0159**	**99.59**	**22.50**

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आई० सी० ए०)

12.23 कारागार प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से सम्पूर्ण वित्तीय सहायता से चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

12.24 सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ ने दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिसमें 830 कारागार/पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया:

क्रम सं०	पाठ्यक्रम/कार्यशाला का नाम	तारीखें	सहभागियों की संख्या
1.	'कारागार प्रबंधन में मानवाधिकार' पर पाठ्यक्रम	28.01.2013 से 30.01.2013	14
2.	'विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही' पर कार्यशाला	31.01.2013	21
3.	'नेतृत्व कौशल' पर पाठ्यक्रम	11.02.2013 से 14.02.2013	24
4.	'कारागारों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों' पर पाठ्यक्रम	27.02.2013 से 01.03.2013	13
5.	'तनाव प्रबंधन' पर पाठ्यक्रम	18–21 मार्च, 2013	29
6.	'कारागारों में ई–गवर्नेन्स' पर पाठ्यक्रम	1–5 अप्रैल, 2013	11
7.	'जनता और कारागार इन्टरफेस' पर कार्यशाला	26–27 अप्रैल, 2013	21
8.	'महिलाओं के प्रति अपराध के संदर्भ में महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण' पर पाठ्यक्रम	20–24 मई, 2013	16
9.	'कैदियों के कल्याण हेतु क्षमता निर्माण' पर पाठ्यक्रम	27–31 मई, 2013	09
10.	'मानवाधिकार एवं हिरासत में मौतों' पर पाठ्यक्रम	17–21 जून, 2013	21
11.	'कैदियों की अस्थायी रिहाई–दर्शन शास्त्र एवं पद्धति' पर कार्यशाला	21, जून, 2013	15
12.	'प्रभावी पुलिस व्यवस्था हेतु परामर्श कौशल' पर पाठ्यक्रम	8–12 जुलाई, 2013	22
13.	'सुधार हेतु परामर्श तकनीकों' पर पाठ्यक्रम	22–26 जुलाई, 2013	18
14.	''मानव दुर्व्यापार रोकने' पाठ्यक्रम	5–7 अगस्त, 2013	45
15.	'स्वापक मामलों में वित्तीय जांच' पर पाठ्यक्रम	19–23 अगस्त, 2013	18
16.	'बाल अधिकार एवं बच्चों के लिए संरक्षात्मक कानूनों' पर कार्यशाला	02 सितम्बर, 2013	30
17.	'प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण' पर कार्यशाला	10–11 सितम्बर, 2013	13
18.	'विचाराधीन कैदियों के संबंध में हिरासत प्रबंधन' पर पाठ्यक्रम	7–11 अक्टूबर, 2013	26
19.	'मानव दुर्व्यापार रोकने' पर पाठ्यक्रम	21–23 अक्टूबर, 2013	32
20.	'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' पर कार्यशाला	30 अक्टूबर, 2013	17
21.	'अपराध–विज्ञान और सुधार में समकलीन प्रगति' पर पाठ्यक्रम	5–8 नवम्बर, 2013	14
22.	'तनाव प्रबंधन' पर पाठ्यक्रम	11–15 नवम्बर, 2013	19
23.	'दांडिक सुधार और पुनर्वास न्याय' पर सेमिनार	2–3 दिसम्बर, 2013	100

24.	'बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानूनों' पर कार्यशाला	10 दिसम्बर, 2013	35
25.	'नेतृत्व कौशल' पर पाठ्यक्रम	16–19 दिसम्बर, 2013	23
26.	'मानव दुर्व्यापार रोकने' पर कार्यशाला	20 दिसम्बर, 2012	33
27.	दांडिक न्याय प्रणाली के सभी स्कंधों, शिक्षाविदों, अभियोजकों और गैर–सरकारी संगठनों के लिए 'दांडिक सुधार और पुनर्वास न्याय' पर सेमिनार	दिसम्बर, 2013	100
28.	दांडिक न्याय प्रणाली के सभी स्कंधों, शिक्षाविदों, अभियोजकों और गैर–सरकारी संगठनों के लिए 'भारत में दांडिक सुधार हेतु प्राथमिकताओं की पहचान करने' पर सेमिनार	फरवरी, 2014	91

12.25 उपर्युक्त के अलावा, संस्थान ने दिनांक 01.01.2013 से 31.03.02014 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किएः–

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सहभागियों की संख्या
1.	'जनता और कारागार इंटरफेस' पर कार्यशाला	21
2.	चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों / अभियोजकों / डाक्टरों / गैर–सरकारी संगठनों हेतु' दुर्व्यापार–रोधी' पाठ्यक्रम	33
3.	पुलिस अधिकारियों हेतु 'बाल अधिकार एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून' पर कार्यशाला–2 कार्यशालाएं	65
4.	शिक्षाविदों / विद्यार्थियों और कारागार अधिकारियों हेतु 'दांडिक न्याय प्रणाली में दयाशीलता' पर राष्ट्रीय सेमिनार	100

कारागार अकादमी और सुधारात्मक प्रशासन (एपीसीए)

12.26 इसके अतिरिक्त, वेल्लोर, तमिलनाडु में सुधारात्मक प्रशासन हेतु एक क्षेत्रीय संस्थान, नामतः कारागार और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (एपीसीए) भी कार्यरत है। उक्त अकादमी का वित्तपोषण संयुक्त रुप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने संस्थान को स्थापित करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया था। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक एपीसीए, वेल्लोर ने निम्निलिखित 15 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैंः–

क्रम सं०	पाठ्यक्रम/कार्यशाला का नाम	तारीखें	सहभागियों की संख्या
1.	यूके के विशेषज्ञों द्वारा कारागार प्रबंधन और मानवाधिकार पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	7–11 जनवरी, 2013	30
2.	टीआईएसएस मुम्बई के सहयोग से कारागारों में सामाजिक कार्य पद्धतियों पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम	4 फरवरी से 7 अक्टूबर, 2013	152
3.	सेवाकालीन पाठ्यक्रम का 18वां बैच	01 फरवरी, 2013 से 30 अप्रैल, 2013	18
4.	महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25–27 फरवरी, 2013	28

5.	रिहा किए गए कैदियों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन	19–21 फरवरी, 2013	100
6.	एक माह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1–30 अप्रैल, 2013	15
7.	वीआईटी विश्वविद्यालय के सहयोग से परिवर्तन प्रबंधन पाठ्यक्रम	16–20 अप्रैल, 2013	10
8.	परिवीक्षा अधिकारियों के लिए तीन महा का बुनियादी पाठ्यक्रम	2 मई से 01 अगस्त, 2013	21
9.	सेवाकालीन पाठ्यक्रम का 19वां बैच	01 जून से 31 अगस्त, 2013	21
10.	9 माह का बुनियादी पाठ्यक्रम	01 जुलाई, 2013 से 31 मार्च, 2014	73
11.	मनोवैज्ञानिकों के लिए तीन माह का बुनियादी पाठ्यक्रम	01 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2013	6
12.	परिवर्तन प्रबंधन पर तीन दिवसीय पाठ्यक्रम	7–9 अक्टूबर, 2013	46
13.	क्रिश्चियन परामर्शी केन्द्र वेल्लोर के सहयोग से परामर्शी कौशल	22 अप्रैल, 2013 से 13 दिसम्बर, 2013	140
14.	दांडिक न्याय प्रणाली में परिवीक्षा की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला	13 जून, 2013	50
15.	वीआईटी के सहयोग से परिवर्तन प्रबंधन पाठ्यक्रम	28 जनवरी से 01 फरवरी, 2014	14

12.27 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की सहभागिता से कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आरआईसीए) की स्थापना की है, जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु० का एकबारगी अनुदान प्रदान किया है।

12.28 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक, आरआईसीए, कोलकाता ने निम्नलिखित 29 पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 613 सहभागियों ने भाग लिया:

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम/कार्यशाला का नाम	तारीखें	सहभागियों की संख्या
1.	दूसरा बुनियादी पाठ्यक्रम	7 जनवरी से 30 मार्च, 2013	20
2.	प्रशिक्षकों का प्रथम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	12–17 फरवरी, 2013	13
3.	व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम	20–22 फरवरी, 2013	13
4.	दूसरा व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम	6–8 मार्च, 2013	14
5.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक दिवसीय कार्यशाला	11 मार्च, 2013	51
6.	प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का दूसरा प्रशिक्षण	13–15 मार्च, 2013	11
7.	तीसरा व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम	20–22 मार्च, 2013	11
8.	एसीआर पर एक दिवसीय पाठ्यक्रम	11 जून, 2014	18
9.	रिपोर्ट लिखने के संबंध में दो दिवसीय पाठ्यक्रम	20–21 जून, 2014	19
10.	परामर्श में कुशलता पर दो दिवसीय पाठ्यक्रम	16–17 जुलाई, 2013	16
11.	"सेवानिवृत्ति एवं पेंशनरी लाभ" में दो दिवसीय पाठ्यक्रम	29–30 जुलाई, 2013	20

12.	दो दिवसीय कम्प्यूटर कोर्स	6–7 अगस्त, 2013	21
13.	"अनुशासनात्मक कार्यवाही और जांच का आयोजन" पर दो दिवसीय पाठ्यक्रम	13–14 अगस्त, 2013	17
14.	"कार्यालय प्रबंधन" पर तीन दिवसीय पाठ्यक्रम	3–5 सितम्बर, 2103	17
15.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक दिवसीय कार्यशाला	9 सितम्बर, 2013	24
16.	"सुधार एवं नेतृत्व की भूमिका" पर दो दिवसीय पाठ्यक्रम	18–19 सितम्बर, 2013	17
17.	सुरक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम	29–30 अक्टूबर, 2013	16
18.	मानवाधिकार पाठ्यक्रम	6–8 नवम्बर, 2013	16
19.	वर्टिकल इंटरएक्शन पाठ्यक्रम	8–13 नवम्बर, 2013	14
20.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	9–11 नवम्बर, 2013	20
21.	कारागार सुधारों पर कार्यशाला–सह–सेमिनार	12–13 दिसम्बर, 2013	103
22.	व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम	7–9 जनवरी, 2014	15
23.	तीसरा बुनियादी पाठ्यक्रम	13 जनवरी से 5 अप्रैल, 2014	22
24.	द्वितीय मानवाधिकार पाठ्यक्रम	29–31 जनवरी, 2014	12
25.	दूसरा व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम	11–13 फरवरी, 2014	17
26.	कारागार सुधारों की तुलना में दांडिक न्याय प्रणाली तक पहुंच पर एक दिवसीय न्यायिक विद्वत गोष्ठी	22 फरवरी, 2014	20
27.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	26–28 फरवरी, 2014	19
28.	तीसरा व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम	12–14 मार्च, 2014	17
29.	तीसरा मानवाधिकार पाठ्यक्रम	26–28 मार्च, 2014	20

अखिल भारतीय सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन, नई दिल्ली

12.29 अखिल भारतीय सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन दिनांक 15.05.2013 से 16.05.2013 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उदघाटन माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया था और इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार अधिकारियों, राज्यों के न्यायिक अधिकारियों, गृह मंत्रालय के अधिकारियों और कारागार कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया अर्थात, कारागारों में अधिक भीड़, लंबी अवधि की सजा वाले व्यक्तियों के संबंध में सुधार/पुनर्वास/सामुदायिक सुधारों हेतु सर्वश्रेष्ठ कारागार पद्धतियां/नवीनतम कदम, कारागार स्टाफ का व्यावसायिक विकास और उनका कल्याण, कारागार अधिनियम का अधिनियमन और विशेष प्रावधान करना, कैदियों के पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण की दृष्टि से कैदियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (यूएनएसएमआर) 1955 और सुधारात्मक प्रबंधन एवं सुरक्षा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुधारात्मक प्रशासन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां, कारागारों का आधुनिकीकरण, कारागार सुविधाओं/सुधार गृहों की आउटसोर्सिंग और न्यायिक तथा पुलिस व्यवस्था के साथ कारागार सेवाओं का एकीकरण।

सुधारात्मक प्रशासकों का अखिल भारतीय सम्मेलन, नई दिल्ली

12.30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सुधारात्मक प्रशासकों के लिए विचारों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने और सुधारात्मक क्षेत्र, विशेष रुप से सजा के विकल्पों, सामुदायिक कार्य संबंधी कार्यक्रमों और रिहा किए गए कैदियों के पुनर्वास हेतु मॉडयूल तैयार करने, कुछ उपायों के लिए कानूनों में अपक्षित संशोधन करने के क्षेत्र में विचार–विमर्श करने का एक अवसर था।

एशियाई एवं प्रशांत के सुधारात्मक प्रशासकों का सम्मेलन

12.31 भारत ने 33वें एशिया एवं प्रशान्त सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) की मेजबानी की, जो दिनांक 22.09.2013 से 27.9.2013 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एपीसीसीए सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिष्टमंडलों के साथ–साथ लगभग 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन, 2013

एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन, 2013

एशियाई एवं प्रशान्त सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन, 2013

12.32 इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: सुधारों में चुनौतियां और पहलें, साझा किए गए सकारात्मक मूल्यों और सत्यनिष्ठा का संवर्धन करना, अधिक जोखिम वाले अपराधियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करना, समुदाय आधारित पर्यवेक्षण, प्रबंधन के विकास में अवसर और चुनौतियां, नस्लवादी दरों को मापना और कम करना; इस बात का पता लगाना कि क्या कार्य करना है, लक्ष्य निर्धारित करना, और साक्ष्य–आधारित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। इस वार्षिक सम्मेलन का मेजबान होने के नाते देश सुधारात्मक प्रशासन और कैदियों के लिए कुछ उत्कृष्ट पुनर्वास उपायों में हुई प्रगति का प्रदर्शन कर सका, जिनकी विदेशी सहभागियों द्वारा काफी सराहना की गई।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.33 सरकार ने कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नलिखित पदक शुरू किए हैं:

शौर्य पदक

(क) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम जी)

(ख) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम जी)

सेवा पदक

(क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम डी एस)

(ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम एम एस)

12.34 एक वर्ष में प्रदान किए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। एक वर्ष में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

12.35 विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा/शौर्य के

लिए सुधारात्मक सेवा पदक निम्नलिखित के संबंध में प्रदान किए जाते हैं:–

(i) सुधारात्मक सेवा में विशिष्ट रुप से सराहनीय रिकार्ड के लिए;

(ii) कैदियों को अत्यधिक मात्रा में दाखिल करने जैसी विशेष कठिन परिस्थितियों में सुधारात्मक सेवा आयोजित करने या प्रशासन चलाने में सफलता के लिए; और

(iii) दंगों का शमन करने, कैदियों को भागने से रोकने, अधिकारियों का बचाव करने, खेल भावना, लोक कार्य और सक्षमता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी, अनुशासनबद्धता और त्याग की भावना सहित अनुकरणीय सेवा की छाप छोड़ने के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता के लिए।

12.36 शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक किसी कैदी को गिरफ्तार करने अथवा उनको भागने से रोकने में विशिष्ट/असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए असाधारण कार्य से किया जाता है।

12.37 वर्ष 2000 से अब तक कारागार कार्मिकों को निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए गए हैं:

वर्ष	गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या
1	2	3
2000	21	14
2001	11	32
2002	28	23
2003	22	09
2004	20	15
2005	13	12
2006	30	29
2007	34	19
2008	24	15
2009	13	13
2010	14	21
2011	24	16
2012	38	28
2013	37	41
2014	41	––

पुलिस सुधार

12.38 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य समितियों (2004) की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की थी। वर्ष 2005 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने 49 सिफारिशें कीं, जिन्हें तुरंत कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। सरकार पुलिस सुधारों संबंधी उक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह कर रही है।

12.39 इसी बीच भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी पुलिस सुधारों से संबंधित अनेक मुद्दों पर वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल)सं० 310 – प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 22.09.2006 को एक फैसला दिया है। उक्त फैसले में न्यायालय ने दिनांक 31.12.2006 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को तंत्र स्थापित करने और दिनांक 03.01.2007 तक अनुपालन का शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश शामिल थे:

(i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति अथवा सोराबजी समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी मॉडल पर एक राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित करना।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस रैंक में पदोन्नति हेतु सूची में शामिल किए गए विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन और एक बार चयन होने पर उनकी अधिवर्षिता की तारीख पर ध्यान दिए बिना उन्हें कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध कराना।

(iii) आपरेशनल ड्यूटी वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना।

(iv) दस लाख अथवा इससे अधिक की आबादी वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों से आरंभ करके जांच पुलिस को

कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग करना और धीरे–धीरे इसका विस्तार छोटे नगरों/शहरी क्षेत्रों तक करना।

(v) अन्य बातों के साथ–साथ उप पुलिस अधीक्षक और इससे नीचे के रैंक वाले अधिकारियों के समस्त स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर एक पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित करना, और

(vi) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करना।

(vii) उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के अध्यक्षों के चयन और तैनाती के लिए उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकरण के सामने रखे जाने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जिन्हें इन बलों की प्रभावकारिता को बढ़ाने, अपने कार्मिकों की सेवा दशाओं में सुधार करने, यह सुनिश्चित करने कि उनके बीच उचित समन्वय है और यह कि बलों का प्रयोग उसी काम के लिए किया जाता है जिसके लिए उनकी स्थापना हुई है और इस संबंध में सिफारिशें करने के उपायों की समय–समय पर समीक्षा करने के अतिरिक्त अधिदेश के साथ–साथ, कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए।

12.40 उपर्युक्त सात निर्देशों में से, पहले छह निर्देश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए थे, जबकि सातवां निर्देश केवल केन्द्र सरकार से संबंधित था।

12.41 विभिन्न तारीखों पर क्रमिक रुप से इस मामले की सुनवाई हुई। दिनांक 16.05.2008 को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 22.09.2006 के अपने पूर्व के फैसले में दिए गए विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में न्यायाधीश के.टी थॉमस, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व सेवानवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्यों के साथ एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ–साथ, जमीनी यथार्थ के संदर्भ में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दायर शपथ–पत्रों की जांच करना; प्रतिवादियों द्वारा कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई कमियों पर विचार करने के बाद न्यायालय के आदेशों का पालन न होने पर प्रतिवादियों को कार्यान्वयन में कमी के बारे में सलाह देना; एक विशेष राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिवादियों की समस्याओं को न्यायालय के ध्यान में लाना आदि शामिल था।

12.42 समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उक्त रिपोर्ट को दिनांक 04.10.2010 को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

12.43 पिछली बार दिनांक 16.10.2012 को मामला सुनवाई के लिए आया। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारत संघ को यह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था कि उन्होंने दिनांक 22.09.2006 को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर कितना कार्य किया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ–पत्र के द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी है। मामला न्यायाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर सक्रिय रुप से विचार कर रहा है।

राज्य विधायन

12.44 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन अथवा भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

12.45 विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभागों के साथ परामर्श करके की जाती है। विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/मंजूरी को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ स्थिति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

12.46 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन/सहमति के लिए गृह मंत्रालय को 41 ताजा/नए प्रस्ताव प्राप्त हुए । दिनांक 31.03.2014 तक कुल 49 प्रस्तावों का निपटान किया गया। इनमें दिनांक 01.01.2013 से पहले प्राप्त हुए विधायी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

12.47 भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ और सहमति हेतु 31 विधायी प्रस्ताव/विधेयक प्राप्त हुए और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, जबकि रिपोर्ट की अवधि के दौरान 15 प्रस्तावों/विधेयकों को राज्य सरकारों द्वारा वापस ले लिया गया था। एक राज्य विधेयक से भारत के राष्ट्रपति की सहमति रोक ली गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु प्राप्त 02 अध्यादेशों को भी अंतिम रुप प्रदान किया गया।

आईपीसी और सीआरपीसी

12.48 गृह मंत्रालय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 के विधायी पहलुओं से भी संबंधित है। हाल ही में महिलाओं के प्रति सूचित किए गए अपराधों के मामले में, महिलाओं पर यौन हमला करने वाले अपराधियों के शीघ्र विचारण और सजा को बढ़ाने के लिए दंड विधि में संभावित संशोधन करने के लिए दिनांक 23.12.2012 को जस्टिस जे.एस.वर्मा समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.01.2013 को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट और अन्य स्टेकहोल्डरों की सूचना के व्यापक अभिसरण के आधार पर, दिनांक 03.02.2013 को केन्द्र सरकार द्वारा दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया गया था, इसके बाद दंड विधि (संशोधन)) अधिनियम 2013 आया, जिसे दिनांक 02.04.2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के स्थान पर दिनांक 03.02.2013 से प्रभावी हुआ, जो महिलाओं को अधिक सुरक्षा और संरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के बलात्कार और उन पर हमले से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है और कुछ मामलों में सजा को बढ़ाकर मृत्यु दंड तक कर दिया गया है। पहली बार, भारतीय दंड संहिता में दो नई धाराओं 326 (क) और 326 (ख) को जोड़कर तेजाब से हमला ('एसिड अटैक') को विशिष्ट अपराध के रुप में शामिल किया गया है। यौन उत्पीडन से संबंधित धारा 354 के तहत सजा को बढ़ाया गया है। निर्वस्त्र करने, घूरने और पीछा करने के उद्देश्य से महिलाओं पर हमला करने अथवा उन पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध का मुकाबला करने के लिए तीन नई धाराओं अर्थात 354 (ख), 354 (ग) और 354 (घ) को शामिल किया गया है। मानसिक और शारीरिक रुप से विकलांग पीड़ितों के लिए कुछ प्रावधानों को अनुकूल बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया है।

दया याचिकाएं

12.49 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दया, माफी और क्षमा हेतु भारत के राष्ट्रपति को दी गई याचिकाओं; दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत अभियोजन की मंजूरी और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के अंतर्गत मामले वापस लेने का कार्य भी करता है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि दया याचिकाओं का निपटान शीघ्रता से हो। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक, सजा प्राप्त 20 कैदियों की 14 दया याचिकाओं का निपटान किया गया है।

संसद द्वारा/में पारित/प्रस्तुत किए गए विधायी प्रस्ताव

12.50 संसद में मंत्रालय के निम्नलिखित विधायी प्रस्ताव पारित किए गए:

(i) दिनांक 19.03.2013 को लोक सभा और दिनांक 21.03.2013 को राज्य सभा में दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया था।

(ii) दिनांक 18.02.2014 को लोक सभा में और दिनांक 21.02.2014 को राज्य सभा में आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 पारित किया गया था।

12.51.1 मंत्रालय का निम्नलिखित विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और राज्य सभा में विचाराधीन है:–

'राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013'।

12.51.2 मंत्रालय का निम्नलिखित विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और लोक सभा में विचाराधीन है:–

'नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013'।

◆◆◆

अध्याय XIII

विदेशी राष्ट्रिक, स्वंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के निपटान के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशियों के प्रवेश, यहां ठहरने और प्रस्थान करने का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान दो प्रमुख अधिनियमों अर्थात् विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित किया जाता है। मौजूदा वीजा व्यवस्था में जहां प्रारंभिक वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं देश में प्रवेश, उनका ठहरना तथा देश से बाहर जाना, आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

13.3 वर्ष 2012 के दौरान 65,77,745 विदेशी राष्ट्रिक भारत आए जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.26% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों में सबसे ज्यादा संख्या यूएसए (10,39,947), की थी और इसके बाद यूके (7,88,170), बांग्लादेश (4,87,397), श्रीलंका (2,96,983), कनाडा (2,56,021), जर्मनी (2,54,783), फ्रांस (2,40,674), जापान (2,20,105), आस्ट्रेलिया (2,02,674) और मलेशिया (1,95,853) की थी। इन दस देशों की प्रतिशतता भारत आने वाले कुल विदेशियों की 60.5% थी।

13.4 वर्ष 2012 के दौरान, विदेशी विषयक अधिनियम के विभिन्न उल्लंघनों अथवा अन्य आप्रवासन नियंत्रण नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए 7,484 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए और वर्ष के दौरान 7,503 विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजा गया।

पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों का प्रत्यावर्तन

13.5 वर्ष 2012 के दौरान, भारत सरकार ने अपनी सजा पूरी कर चुके 50 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 64 पाकिस्तानी मछुआरों को प्रत्यावर्तित किया। दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान, अन्य 42 पाकिस्तानी कैदियों और 46 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया।

आप्रवासन नियंत्रण

13.6 आप्रवासन, सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रधान कार्य है जो आप्रवासन चेक पोस्टों (आई सी पी) के माध्यम से किया जाता है। देश में 82 आप्रवासन चेक पोस्ट (आई सी पी) हैं, जिनमें से 37 आई सी पी आप्रवासन ब्यूरो के नियंत्रणाधीन हैं और शेष 45 आई सी पी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

13.7 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी विषयक पंजीकरण और पता लगाना (ट्रैकिंग) (आई.वी.एफ.आर.टी)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा व्यवस्था विकसित और कार्यान्वित करना है जो सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करे। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2010 में आई वी एफ आर टी के कार्यान्वयन के लिए 1,011 करोड़ रूपए अनुमोदित किए थे। इस

परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावी संचार, प्रशिक्षण, और क्षमता निर्माण की सहायता से आधारभूत संरचना और संयोजकता की तैयारी के समरूप योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

13.8 आई.वी.एफ.आर.टी. के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

i. वीजा आवेदन पत्रों का मानकीकरण कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2014 तक विदेश स्थित 139 भारतीय मिशनों में वीजा आवेदकों के लिए एकीकृत आनलाइन आवेदन सिस्टम कार्यान्वित किया गया है।

ii. आई.वी.एफ.आर.टी. का अनुपालन करने वाले भारतीय मिशनों के लिए और अधिक सुरक्षित वीजा स्टिकर लागू किए गए हैं। नए वीजा स्टिकर पर निर्माण के समय बार कोड लगाने और पहचान की जानकारी देते समय फोटो लगाने जैसे अतिरिक्त सुरक्षा चिह्न बनाए गए हैं। अप्राधिकृत प्रिंटरों द्वारा इनकी नकल करना बहुत कठिन है।

iii. दिन प्रतिदिन के प्रचालनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए मिशनों की सहायतार्थ नई दिल्ली में केन्द्रीय आई वी एफ आर टी कार्यालय कार्यरत हो गया है और नई दिल्ली में वीजा सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्रतिदिन तीन पारियों (शिफ्टों) में कार्य करता है। इसके अलावा, सहायता केन्द्र बी.ओ.आई. में कार्य कर रहा है जो सभी आई.सी.पी./क्षेत्रीय विदेशी विषयक पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर आर ओ)/विदेशी विषयक पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर ओ) को प्रचालन, प्रबंधन और तकनीकी (साफ्टवेयर सहित) सहायता प्रदान करता है।

iv. सभी 81 आई.सी.पी. में कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने और आई.सी.एस. साफ्टवेयर स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। अब 75 आई सी पी केन्द्रीय विदेशी विषयक ब्यूरो (सी एफ बी) से जुड़ गए हैं।

v. एन.आई.सी. ने केन्द्रीकृत उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) के लिए एक माड्यूल विकसित किया है। इस माड्यूल के अंतर्गत नई दिल्ली में 25 हवाई अड्डों की सभी उड़ानों से संबंधित ए.पी. आई.एस. डाटा प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली को छोड़कर, हवाईअड्डों के आई.सी.पी. से संबंधित डाटा बाद में संबंधित हवाईअड्डों को भेजा जा रहा है।

vi. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को आई वी एफ आर टी के बारे में सुग्राही बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान 15 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों में 450 अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत की विदेशी नागरिकता (ओ सी आई)

13.9 भारत सरकार ने भारत में वीजामुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने और भारत में व्यवसाय एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में आवास और भागीदारी का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड और भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) कार्ड योजना शुरू की थी। ओ सी आई कार्ड योजना दिनांक 02.12.2005 से चल रही है। ओ सी आई हेतु आवेदन–पत्र, प्रक्रिया विवरणिका और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर उपलब्ध है। इस स्कीम के बारे में विदेशी भारतीयों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दिनांक 31.3.2014 तक 15,50,335 व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता का पंजीकरण (ओ सी आइ) प्रदान किया गया है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान 52,545 ओ सी आइ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ओसीआइ योजना के निर्बाध कार्य करने और भारत के विभिन्न भागों से आवेदन करने वाले आवेदकों की सहायता करने के लिए ओसीआइ मामलों को स्वीकार करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 12 एफआरआरओ को अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में इन योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है और ओ सी आई एवं पी आई ओ कार्ड का एकल सुविधा में विलय करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए दिनांक 13.08.2013 को राज्य सभा में विधेयक पारित हो गया है और इसे लोक सभा में प्रस्तुत किया जाना है।

विदेशी अभिदाय

13.10 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 संस्थानों, संघों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय को विनियमित करता है। इस अधिनियम का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का दुरूपयोग न किया जाए अथवा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधि में न लगाया जाए। यह अधिनियम राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे कतिपय व्यक्तियों द्वारा विदेशी आतिथ्य को स्वीकार किए जाने का विनियमन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी करता है कि वे संप्रभु जनतांत्रिक गणतंत्र जैसे भारतीय मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें।

13.11 विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग को दिनांक 30.04.2011 तक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाता था। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 को पारित करने के बाद विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 निरस्त हो गया और दिनांक 29.04.2011 को गजट अधिसूचना जारी करने के पश्चात नया अधिनियम दिनांक 01.05.2011 से लागू हो गया है। नए अधिनियम की धारा 48 के अधीन बनाए गए विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 को अधिसूचित करते हुए दिनांक 29.04.2011 को एक अन्य गजट अधिसूचना जारी की गयी थी। ये नियम भी दिनांक 01.05.2011 से लागू हो गए हैं। नया अधिनियम निरसित अधिनियम का संशोधित रूप है क्योंकि इसके उपबंधों को अधिक कठोर बनाया गया है ताकि न केवल किसी संगठन द्वारा बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त विदेशी अभिदाय के दुरूपयोग को रोका जा सके।

13.12 वार्षिक विवरणी जमा न करना अथवा देरी से जमा करना एक अपराध है। दिनांक 26.04.2013 की अधिसूचना, उक्त अधिसूचना में निर्धारित जुर्माने को स्वीकार करके इस अपराध को संयोजित करने हेतु संघ को सक्षम बनाता है।

13.13 दिनांक 01.01.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन विदेशी अभिदाय लेने हेतु 214 संघों को पूर्वानुमति दी गई और 441 संघों का पंजीकरण किया गया। दिनांक 31.3.2014 तक कुल पंजीकृत संघों की संख्या 46,149 है। वर्ष 2011–12 के दौरान 22,702 संघों द्वारा सूचित की गई कुल विदेशी अभिदाय की राशि 11,550.78 करोड़ रू. थी। वर्ष 2012–13 के दौरान, दिनांक 31.3.2014 तक 16,896 संघों द्वारा सूचित की गई विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की कुल राशि 10,875.06 करोड़ रू. है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.14 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा, जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम में लाखों–करोड़ों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजनाएं

13.15 भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक नियमित योजना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारीकृत करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

13.15.1 **पात्रता:** इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:–

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण छह माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में उसके द्वारा भाग लेने की वजह से जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था अथवा बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फायरिंग अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 10 या इससे अधिक बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

13.15.2 **आश्रितः** इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति/(विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता और पिता पात्र हैं। किसी एक समय पर, ऊपर उल्लिखित आश्रितों की श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी परिवार पेंशन के लिए पात्र है।

13.15.3 **महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायतः** इस योजना में पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता का मानदंड कम से कम छह माह की अवधि की जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

13.16 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैंः–

(I) स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनकी विधवा के लिए एक साथी के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (राजधानी में ।। ए सी, शताब्दी में चेयरकार और अन्य सभी गाडयों में प्रथम श्रेणी/ए.सी. स्लीपर);

(II) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

(III) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(IV) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान टेलीफोन की सुविधा;

(V) दिल्ली में सामान्य पूल का रिहायशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर) ;

(VI) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास;

(VII) पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा; और

(VIII) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए सामान्य चयन प्रक्रिया में "स्वतंत्रता सेनानी (एफ.एफ.)" श्रेणी में 2% की दर से आरक्षण का प्रावधान।

13.17 स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी प्रदान की जाती हैं।

पेंशन की राशि

13.18 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की गई है। वर्ष 1972 में निर्धारित पेंशन की आरंभिक राशि 200रु. प्रति माह थी। विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को देय मासिक पेंशन और महंगाई राहत की मौजूदा दर नीचे दी गई हैः–

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (रूपए में)	दिनांक 01.08.2013 से 193% की दर से महंगाई राहत (रूपए में)	पेंशन की कुल राशि (रूपए में)
i.	पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी	7,330/–	14,147/–	21,477/–
ii.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी (आई एन ए को छोड़कर)	6,830/–	13,182/–	20,012/–
iii.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए सहित)	6,330/–	12,217/–	18,547/–
iv.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	वही पात्रता है, जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी		
v.	प्रत्येक अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्री (तीन तक)	1,500/–	2,895/–	4,395/–
vi.	माता और पिता प्रत्येक को	1,000/–	1,930/–	2,930/–

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.19 पेंशन के भुगतान के लिए वर्ष 2013–14 के लिए गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट में 800 करोड़ रूपये और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास के लिए 13.00 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

13.20 योजना के अंतर्गत मार्च, 2014 तक 1,71,578 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को स्वीकृत की गई सम्मान पेंशन का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15,282
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार	24,900
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,508
7.	गुजरात	3,599
8.	हरियाणा	1,689
9.	हिमाचल प्रदेश	630
10.	जम्मू और कश्मीर	1,807
11.	कर्नाटक	10,100
12.	केरल	3,399
13.	मध्य प्रदेश	3,487
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महाराष्ट्र	17, 964
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	ओडिशा	4,196
21.	पंजाब	7,032
22.	राजस्थान	814
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,126
25.	त्रिपुरा	888
26.	उत्तर प्रदेश	17,999
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22,518
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03

30.	चंडीगढ़	91
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमण और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,046
35.	पुडुचेरी	320
36.	आजाद हिन्द फौज (आई एन ए)	22,468
	कुल	**1,71,578**

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.21 परम्परा के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दिनांक 09.08.2013 को राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह – 'एट होम' आयोजित किया और अंगवस्त्रम के साथ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल, मिठाइयां और छोटे उपहार प्रदान किए गए। देश के विभिन्न भागों से आए 121 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।

दिनांक 09.08.2013 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विचार–विमर्श करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.22 1947—48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों में ढील देकर पात्र बनाया गया था। श्राफ समिति (वर्ष 1985 से 1996 तक) ने 98 सीमा शिविरों की सूची बनाई और लगभग 7,000 मामलों की सिफारिश की। श्राफ समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.23 तदनंतर दिसम्बर 1996 में, श्री एन. गिरि प्रसाद की अध्यक्षता में एक अन्य अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी और श्री गिरि प्रसाद की मृत्यु होने के बाद जून, 1997 में सीएच. राजेश्वर राव को अनुवीक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सीएच. राजेश्वर राव समिति (वर्ष 1997 से 1998 तक) ने लगभग 13,500 मामलों की सिफारिश की। जुलाई 2004 में गृह मंत्रालय ने 18 अतिरिक्त सीमा शिविरों को मान्यता प्रदान की। जनवरी, 2005 में, सरकार ने इस शर्त पर कि केवल वे ही आवेदक, जिन्होंने दिनांक 15.09.1948 तक अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, पेंशन के पात्र होंगे, लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 (वर्ष 1985 में अनुमानित) में वृद्धि करके लगभग 15,000 करने का अनुमोदन प्रदान किया। यह शर्त हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन के सभी लंबित मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अपनाई गई है।

13.24 महानिदेशक (सतर्कता और प्रवर्तन) द्वारा की गई जांच से यह पता चला कि अनेक फर्जी दावेदारों ने झूठी सूचना और दस्तावेजों के आधार पर पेंशन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अतः, यह निर्णय लिया गया था कि सीएच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामले पुनर्सत्यापन के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। यह निर्धारित किया गया था कि पहले से स्वीकृत मामलों सहित प्रत्येक मामले की गहराई से पुनः जांच की जाएगी और तत्पश्चात् पुनः जांच के परिणामों की संवीक्षा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी फर्जी दावेदार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है और किसी भी उचित दावेदार की अनदेखी नहीं की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक मामले में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे दावों की जांच करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें:—

क) आवेदक की आयु मार्च, 1947 में (अर्थात् हैदराबाद मुक्ति आंदालेन प्रारंभ होने के समय) 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

ख) आयु का प्रमाण जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय के प्रमाणपत्र अथवा मतदाता पहचान—पत्र, 1995 की अथवा उससे पहले की मतदाता सूची जैसे सरकारी रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए; और

ग) दावे की सीमा शिविर के उस शिविर प्रभारी से जिसने आवेदक के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया था अथवा यदि सीमा शिविर प्रभारी जीवित न हो तो आवेदक के जिले के दो केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों से पुनः जांच/संपुष्टि कराई जाए।

13.25 प्रामाणिक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 10.9.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

13.26 हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान सीमा शिविर में यातनाओं को झेलने वाले व्यक्तियों से संबंधित पुनः जांच किए गए मामलों की संवीक्षा के लिए मई, 2009 में श्री बोइनापल्ली वेंकट रामाराव की अध्यक्षता में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। समिति ने राज्य सरकारों से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों से कुल 3,789 पुनः जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय में सभी पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा की गई है; समिति की सिफारिश पर 875 मामलों में पेंशन मंजूर की गई है और 32 मामले राज्य सरकार को वापस भेजे गए हैं तथा शेष मामलों को स्कीम के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण रद्द कर दिया गया है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.27 यह एक ज्ञात सत्य है कि गोवा मुक्ति आन्दोलन अनेक वर्षों तक चला। बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों गंभीर यातनाएं झेली थीं। गोवा मुक्ति आन्दोलन को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा गया थाः–

1. चरण–। 1946 से 1953 तक
2. चरण–।। 1954 से 1955 तक
3. चरण–।।। 1956 से 1961 तक

13.28 चरण–। वर्ष 1946 में हुआ था। इस आन्दोलन के सभी सहभागी (सत्याग्रही) गोवा क्षेत्र अर्थात गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली से थे। यह आन्दोलन अहिंसा के सिद्धांत पर आरंभ किया गया था लेकिन छोटे स्तर पर था। सहभागी सत्याग्रही अपने नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई।

13.29 चरण–।। आन्दोलन वर्ष 1954–55 में हुआ। इस आन्दोलन के सभी सहभागी (सत्याग्रही) गोवा क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत से थे। यह सत्याग्रह बड़े स्तर पर लेकिन अहिंसा के सिद्धांत पर किया गया था। बैच के नेताओं सहित 67 सत्याग्रहियों को घटनास्थल पर ही गोली मार दी गई थी। मृतकों के शवों, अपंग और अचेत सत्याग्रहियों को सुनसान भारतीय सीमाओं में फेंक दिया गया था। गंभीर रूप से जख्मी, घायल और क्षतिग्रस्त बैच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें पुर्तगाली मार्शल लॉ अदालत द्वारा 10 वर्षों का कठोर कारावास दिया गया था।

13.30 चरण–।।। आन्दोलन के द्वितीय चरण के सत्याग्रहियों की सार्वजनिक हत्या के बाद, देश के युवा देशभक्तों के दिमाग में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध अभूतपूर्व रोष पैदा हुआ जिनका सशस्त्र विद्रोह में गहन विश्वास था। इस आन्दोलन के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई।

13.31 केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन को मान्यता दी। आन्दोलन के पहले और तीसरे चरण के उन सभी जीवित बैच नेताओं को पेंशन प्रदान की गई थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा जिन पर मुकदमा चलाया था और पुर्तगाली सरकार तथा मार्शल लॉ अदालत द्वारा 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी।

13.32 चरण–। और चरण–।।। के आन्दोलनों को एसएसएस पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के उद्देश्य से पहले ही मान्यता मिल गई है। जहां तक चरण–।। के सहभागियों का संबंध है, उन्होंने गोवा की सीमा में सत्याग्रह में भाग लिया था। तथापि, उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही जेल में डाला गया था। इसके बावजूद भारत सरकार ने फरवरी, 2003 में गोवा मुक्ति आन्दोलन के चरण–।। के उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की जिन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.08.2002 तक अथवा इससे पहले राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.33 दिनांक 31.03.2014 तक गोवा मुक्ति आन्दोलन चरण–।। में भाग लेने वाले कुल 2,190 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान की जा चुकी है।

नीतिगत पहलें

13.34 सम्मान पेंशन स्कीम को सरल और कारगर बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैंः–

13.34.1 सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सम्मान पेंशन के दावों पर विचार करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के समय 15 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है।

13.34.2 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेशन का संवितरण पूरे देश में फैली सरकारी क्षेत्र की बैंकों की विभिन्न शाखाओं और राज्य के राजकोषों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि आश्रित परिवार पेंशन के अन्तरण की शक्ति संवितरण करने वाले प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है, इसलिए जीवित और सरकारी क्षेत्र के बैंकों

तथा राजकोषों से पेंशन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों/पात्र आश्रितों के आंकड़े वर्ष 2010 में प्राप्त किए गए थे और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर अपलोड किए गए थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ आंकड़ों की संवीक्षा की गई थी। पेंशन के संवितरण में पाई गई विसंगतियों की सूचना बैंकों को दी गई थी और उन्हें आंकड़ों को संशोधित करने तथा उसे गृह मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई थी।

13.34.3 पिछले कुछ महीनों में, मंत्रालय ने पेंशन संवितरित करने वाले सभी 25 बैंकों और 22 राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकें की हैं। काफी प्रयत्न करके, मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के आंकड़े और उनके विस्तृत ब्यौरे प्राप्त कर लिए हैं। इस समय, पेंशन पाने वाले जीवित स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों की संख्या 38,669 (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 34,306 और राज्य के खजाने से 4,363) है। वर्ष 2011 के आरंभ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य के खजानों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह संख्या लगभग 49,000 थी।

13.34.4 संख्या में उपर्युक्त भिन्नता को देखते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय सम्मान पेंशन के लिए दी जाने वाली वार्षिक राशि लगभग 750 करोड़ रू. है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि पेंशन पात्र लाभार्थी को संवितरित की गई है और यह स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार है। इस उद्देश्य के लिए सीएंडएजी से केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण के मामले में राज्य के खजानों के साथ–साथ एजेंसी बैंकों की लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

13.34.5 पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदनों के निपटान में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, नए मामलों, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की जाती है और अस्वीकृत किए जाने वाले मामलों तथा अस्वीकृति के कारणों को भी नवम्बर, 2011 से मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.35 श्रीलंका में जातीय हिंसा और अशांत स्थिति के कारण जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए।

13.36 शरणार्थियों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:–

(i) राज्य विहीन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जिन्हें अभी तक श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है; तथा

(ii) श्रीलंकाई नागरिक।

13.37 भारत सरकार का दृष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना है परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी भारत में आते हैं, तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा प्रत्यावर्तन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.38 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि मार्च, 1995 के पश्चात् कोई व्यवस्थित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा स्वयं दूसरे देशों को चले गए हैं। दिनांक 01.02.2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 65,570 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 113 शरणार्थी शिविरों में और उड़ीसा में एक शिविर में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 34,788 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात् शिविरों के बाहर अपनी इच्छा से रह रहे हैं।

13.39 शरणार्थियों के आगमन पर उनका संगरोधन किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के पूर्ण सत्यापन के पश्चात् उन्हें राहत शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक इन्हें कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत

सरकार द्वारा लगभग 667 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई है।

13.40 वर्ष 1964, 1974 और 1986 के भारत–श्रीलंका समझौतों के अनुसार, भारत सरकार श्रीलंका से उनकी स्वाभाविक वृद्धि के साथ 5.06 लाख भारतीय मूल के व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन स्वीकार करने के लिए सहमत हुई। नवम्बर, 1987 तक भारतीय मूल के 4.2 लाख व्यक्ति और अपनी स्वाभाविक वृद्धि के 1.71 लाख व्यक्ति भारतीय नागरिक के रुप में पंजीकृत किए गए थे। इसमें से, 1.26 लाख व्यक्तियों की स्वाभाविक वृद्धि के साथ–साथ भारतीय मूल के 3.34 लाख व्यक्तियों को अक्टूबर, 1964 से दिसम्बर, 1987 तक प्रत्यावर्तित किया गया था। लगभग 0.86 लाख व्यक्तियों को अभी प्रत्यावर्तित किया जाना था। श्रीलंका में अशांत स्थिति हालात के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, स्वयं भारत आने वाले कुछ प्रत्यावासियों को तमिलनाडु में विभिन्न स्कीमों के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आर ई पी सी ओ) (रेपको) चेन्नई

13.41 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002) (2002 की संख्या 39) के तहत वर्ष 1969 में समिति के रुप में रिपको बैंक की स्थापना की गयी थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी 500.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अंशदान पूंजी की राशि 97.22 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी में 76.32 करोड़ रु. की राशि का योगदान किया है। चार दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु (3.03 करोड़ रू.), आन्ध्र प्रदेश (1.79 करोड़ रु.), कर्नाटक (17.47 लाख रु.) और केरल (61.16 लाख रु.) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। प्रत्यावासियों ने 22.15 करोड़ रु. का योगदान किया है।

13.42 इसके उपनियमों के अनुसार, इस समय रिपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2012–13 का लिए 20% की दर से लाभांश के रूप में 15.26 करोड़ रू. की राशि का भुगतान किया है। बैंक की लेखापरीक्षा अद्यतन है। वर्ष 2012–13 का रिपको बैंक का वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट संबंधित अवधि के लिए बैंक के कार्य निष्पादन संबंधी इस मंत्रालय की समीक्षा टिप्पणी के साथ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रमशः दिनांक 17.12.2013 और 18.12.2013 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) पुनालूर, केरल

13.43 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आर पी एल) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आर पी एल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, कम्पनी ने कर के पश्चात् 1142.81 लाख रू. का लाभ अर्जित किया। कंपनी द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2012–13 के लिए 13.34 लाख रूपये के लाभांश का भी भुगतान किया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए आर पी एल का वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट संबंधित अवधि के लिए कंपनी के कार्य निष्पादन संबंधी इस मंत्रालय की समीक्षा टिप्पणी के साथ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रमशः दिनांक 17.12.2013 और 18.12.2013 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है।

तिब्बती शरणार्थी

13.44 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर

पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.45 धर्मगुरु दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 1,09,015 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। इनमें से तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में हैं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर मार्च, 2014 तक 18.81 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

पाक-अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों, 1947 और छम्ब-नियाबात क्षेत्र के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों, 1971 को अनुग्रह अदायगी

13.46 वर्ष 1947 में जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद, कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र (पी ओ के) से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से पलायन करने वाले वर्ष 1962 तक पंजीकृत 31,619 परिवार जम्मू एवं कश्मीर में बस गए थे। भारत सरकार ने छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों और पाक–अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमशः अप्रैल और अगस्त 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक दावों का सत्यापन करने के लिए जम्मू के प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं:–

(i) छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान।

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान।

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति केनाल 25,000 रु. की अधिकतम दर से भूमि की कमी के बदले प्रति परिवार अधिकतम 1.50 लाख रूपये नकद मुआवजे का भुगतान।

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले ही बस गए विस्थापित लोगों और जिन्हें विगत में प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं ऐसे लोगों को प्लाट के आबंटन के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रु. की राशि का भुगतान।

(v) विस्थापित व्यक्तियों की 46 नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रु. का भुगतान।

13.47 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए वास्तविक दावेदारों की जांच करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य शुरु कर दिया गया है। जांच किए गए और पात्र परिवारों को संवितरित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 6.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को दिनांक 24.12.2008 को पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए 49 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जारी की है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1947 के पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जारी की गई कुल 55.17 करोड़ रु. की सहायता में से 30.95 करोड़ रुपए की राशि मार्च, 2014 तक 2,537 पात्र परिवारा/लाभार्थियों को संवितरित की गई है।

13.48 जहां तक छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, समिति ने प्रति पात्र परिवार को 25,000 रु. की दर से अनुग्रह राहत के भुगतान के लिए कुल 1965 मामलों में से 1502 मामलों की जांच कर ली है। राज्य सरकार ने दिनांक 31.03.2014 तक 25,000 रूपए प्रति परिवार के अनुग्रह भुगतान का संवितरण 1,230 पात्र लाभार्थियों को किया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के विस्थापित व्यक्तियों (डी पी एस) का पुनर्वास

13.49 वर्ष 1946 और 1971 के बीच लगभग 52.31 लाख विस्थापित व्यक्ति (डी पी) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। इनमें से लगभग 41.17 लाख विस्थापित व्यक्तियों, जो दिनांक 31.03.1958 तक भारत आए थे, को 'पुराने प्रवासी' (ओल्ड माइग्रेन्ट्स) कहा जाता है और दिनांक 01.01.1964 और 25.03.1971 के बीच आए लगभग 11.14 लाख विस्थापित व्यक्तियों को 'नए प्रवासी' कहा जाता है। 41.17 लाख 'पुराने प्रवासियों' में से, लगभग 31.32 लाख व्यक्ति पश्चिम बंगाल में बस गए। शेष पुराने एवं नए प्रवासियों का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया है।

13.50 पुराने एवं नए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास के अनेक उपाय किए थे। पुराने प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य कुल मिलाकर वर्ष 1960 की समाप्ति तक और नए प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य 1980 के अन्त तक पूरा कर लिया गया था। तथापि, इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कुछ शेष योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन शेष योजनाओं में आबादकारों की कालोनियों को नियमित करना, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण डी पी कालोनियों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान करना और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पुराने बकाये के दावों की प्रतिपूर्ति करना शामिल है। दिनांक 20.01.2011 को सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 79.10 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की गई है। दिनांक 31.03.2014 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 31 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

शत्रु सम्पत्ति

13.51 पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला शत्रु सम्पत्ति संबंधी कार्य, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किए जाने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना सं. 1/22/4/2007–कैब के माध्यम से गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

13.52 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय इस समय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह अधिनियम भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्ति की सतत अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 10.09.1965 से 26.07.1977 की अवधि के बीच संकटकालीन निकासी के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से संबंधित अथवा उनकी ओर से धारित अथवा प्रबंध की जा रही पूरे भारत में सभी अचल और चल सम्पत्तियां भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं।

13.53 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय मुंबई में स्थित है और उसका एक–एक शाखा कार्यालय कोलकाता और लखनऊ में है। इस समय, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक विभिन्न राज्यों में स्थित 12,090 अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक के समय दर्शाई गई कीमत की निम्नलिखित चल शत्रु सम्पत्ति भी भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई (सीईपीआई) में निहित हैः

1. शेयरः 1999.21 करोड़ रू.
2. एफडी, राजकोषीय बिल और सरकारी स्टॉकः 454.62 करोड़ रू.
3. सोने और चांदी के गहनेः 37,54,060/– करोड़ रु.

13.54 वर्ष 1965 और 1971 के भारत–पाक युद्ध के पश्चात् भारत सरकार ने उक्त युद्धों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के भारतीय राष्ट्रिकों और कंपनियों को उनकी गुम सम्पत्तियों के 25% तक अनुग्रह भुगतान मंजूर करने के लिए दिनांक 15.03.1971 को एक संकल्प संख्या 12/1/1971–ई आई एंड ई पी पारित किया। दिनांक 31.03.2014 तक ऐसे दावेदारों को अनुग्रह भुगतान के रूप में 71.04 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है।

13.55 शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार, अभिरक्षक में निहित सम्पत्तियों से अर्जित आय के 2% के बराबर फीस लगाई जाती है और

उसे केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है। तदनुसार, भारत की समेकित निधि में वर्ष 1965 से दिनांक 31.03.2014 तक 7.63 करोड़ रु. (2% लेवी के रूप में) जमा किए जा चुके हैं।

13.56 शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 दिनांक 15.11.2010 को लोक सभा में पेश किया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के संबंधित नियमों के अनुसरण में, राज्य सभा के सभापति ने दिनांक 30.12.2010 को शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक जांच और रिपोर्ट करने के लिए समिति को भेज दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.11.2011 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार मौजूदा विधेयक को वापस ले सकती है और समिति के विचारों और प्रेक्षणों को शामिल करके एक नया विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। तथापि, बिल को वापस न लेने और विधेयक में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार–विमर्श पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए, अभी इस मामले का निपटान नहीं हुआ है।

◆◆◆

अध्याय XIV

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

वार्षिक रिपोर्ट 2013–14

(भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एण्ड सीसीआई)

14.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह कार्यालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(i) **मकानों तथा जनसंख्या की गणना:** भारत के जनगणना आयुक्त एक ऐसे सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस कार्यालय पर क्षेत्र संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय, पर्यवेक्षण; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार का उत्तरदायित्व भी है।

(ii) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) के रूप में भी नामोदिष्ट किया गया है। इस भूमिका में, यह कार्यालय देश में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्यकरण का समन्वय करता है।

(iii) **सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस):** हर छमाही में सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस), जो जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का एक वृहद सैम्पल सर्वे है, के संचालन का उत्तरदायित्व भी इसी कार्यालय का है। देश में एसआरएस, राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक मात्र स्रोत है।

(iv) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण (आरजीसीआर) के सांविधिक कार्य का भी निर्वहन करते हैं । राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), जो भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की दिशा में पहला कदम है, को उपर्युक्त संविधि के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।

(v) **वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण(एएचएस):** यह योजना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग के अनुरोध पर बनाई गई है। इसे जिला–स्तर पर जन्म एवं मृत्यु तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख संकेतकों के मानदण्ड प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है।

(vi) **सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना:** भारत सरकार, पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना करवा रही है। जहां एक ओर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के संबंध में नोडल मंत्रालय हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, संपूर्ण संभारतंत्रीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

(vii) **मातृभाषा-सर्वेक्षण:** जनगणना 2001 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं का सर्वेक्षण कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(viii) **भाषायी सर्वेक्षण :** भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही भारत के भाषायी सर्वेक्षण की परियोजना निरन्तर चलती रहने वाली परियोजना है।

जनगणना 2011

14.2 भारत में वर्ष, 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। जनगणना 2011, देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की 7वीं जनगणना है।

14.3 जनसंख्या का आकलन करने की दृष्टि से जनगणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है जिससे जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मानदण्डों के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों, अर्थात् मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना, में किया जाता है। जनगणना 2011 का प्रथम चरण– मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, अप्रैल–सितम्बर, 2010 में आयोजित किया गया तथा दूसरा चरण– जनसंख्या की गणना, फरवरी–मार्च, 2011 में आयोजित किया गया। जनगणना 2011 के प्रथम चरण में परिवारों तथा व्यक्तियों के संबंध में आवासों की मात्रा एवं गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधाओं, स्वामित्व के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों जैसे सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय मानदण्डों विषयक आंकड़े एकत्र किए गए जबकि द्वितीय चरण के दौरान व्यक्ति विशेष के संबंध में आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, निःशक्तता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भाषाओं/मातृभाषाओं, आर्थिक गतिविधि की स्थिति तथा स्थान–परिवर्तन इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

14.4 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के लिए परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर संसाधन करना सदैव से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों के तेजी से संसाधन और संकलन के लिए उपलब्ध अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालिया/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। यद्यपि सभी जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों को एकत्र करने का प्रतिशत शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक इसके कम्प्यूटराइजेशन का स्तर 5 से 45 प्रतिशत तक पृथक–पृथक रहा है। ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर)/ इन्टेलिजेन्ट करेक्टर रिकग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी टूल्स के आविष्कार के पश्चात, 2001 की जनगणना के समय प्रथम बार लगभग 100% आंकड़े लेने का आश्रय लिया गया तथा पूर्ववर्ती जनगणनाओं, जिनमें रिपोर्ट जारी करने में 8–11 वर्ष तक का समय लग जाता था, की तुलना में 4–5 वर्षों की अवधि के भीतर रिपोर्टें जारी कर दी गईं। जनगणना 2011 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने अपने लिए एक अति उच्च स्तरीय मानदंड निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य जनगणना परिणामों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक जारी किए जाने के अतिरिक्त, जनगणना अनुसूची में दर्ज की गई 100% सूचना को आईसीआर प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित करना है।

14.5 जनगणना 2011 पर आधारित अनन्तिम जनसंख्या के योग मार्च, 2011 में तीन सप्ताह की रिकार्ड अवधि में जारी कर दिए गए । इसका अनुसरण करते हुए, निम्नलिखित डाटा सेट जारी कर दिए गए हैं:

i. जनसंख्या का ग्रामीण – शहरी वितरण

ii. मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के अंतिम परिणाम

iii. मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के अंतिम परिणाम (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां)

iv. मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के परिणाम – महिला मुखिया वाले परिवार

v. मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के अंतिम परिणाम – स्लम परिवार

vi. प्राथमिक जनगणना सार

vii. आयु संबंधी सारणियां–एकल वर्ष

viii. आयु संबंधी सारणियां–5 वर्ष के आयु समूह

ix. प्राथमिक जनगणना सार–स्लम

x. प्राथमिक जनगणना सार–अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां

xi. प्राथमिक जनगणना सार–बेघर जनसंख्या

xii. निःशक्तता संबंधी आंकड़े–कुल, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

xiii. जनसंख्या के आकार के आधार पर गांवों का वर्गीकरण

xiv. मणिपुर के उप–प्रभागों हेतु आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना तथा संपूर्ण देश के लिए प्राथमिक जनगणना सार का पुनरीक्षण

xv. प्राथमिक जनगणना सार–संस्थागत परिवार

14.5.1 यह उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के गांव स्तर तक के सभी प्रमुख डाटा सेट रिकार्ड समय–सीमा के अंदर जारी कर दिए गए हैं । इन प्रयासों की सराहना करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने जनगणना कार्यकर्ताओं को स्वर्ण एवं रजत जनगणना पदक प्रदान किए हैं ।

भारत के राष्ट्रपति, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त को स्वर्ण–पदक प्रदान करते हुए

14.6 जनसंख्या की गणना के दायरे और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए, जनगणना के तुरंत बाद पश्य–गणना सर्वेक्षण (पीईएस) नामक एक सैम्पल सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। जनसंख्या की गणना का पश्य गणना सर्वेक्षण–भारत की जनगणना 2011 और अनुसूचियों की आंकड़ा प्रविष्टि का फील्ड कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और इसके विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित नगर मानचित्रण

14.7 जनगणना करने की एक पूर्व–शर्त के रूप में विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। (i) जनगणना करने से पहले और बाद में दोनों ही अवस्थाओं में मानचित्रण संबंधी कार्यकलाप निष्पादित किए जाते हैं । देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करने के लिए जनगणना से पहले शुरू किए जानेवाले मानचित्रण से संबंधित कार्य–कलापों में राज्यों, जिलों, उप–जिलों, गांवों, नगरों और वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है। जनगणना के पश्चात किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में विभिन्न प्रकाशनों अर्थात जनगणना एटलसों, अन्य प्रकाशनों और जिला जनगणना पुस्तिकाओं (डीसीएचबीएस) के लिए जनगणना के आंकड़ों संबंधी थीमैटिक मानचित्र तैयार किया जाना शामिल है। प्रत्येक जनगणना के दौरान, यह संगठन दस हजार से अधिक प्रशासनिक और थीमैटिक मानचित्र तैयार करता है जोकि प्रयोक्ता अभिकरणों, विभागों, शिक्षाविदों, योजनाकारों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति–निर्माताओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं।

14.8 भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में जनगणना 2011 के लिए तैयार किए गए सभी मानचित्रों की एक सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक डिपाजिटरी स्थापित की जा चुकी है। मानचित्र संसाधनों में सभी स्तरों के प्रशासनिक मानचित्रों के अलावा, हाथ से तैयार किए गए 25 लाख से अधिक रेखाचित्रों की स्केन्ड इमेज शामिल हैं जो शासन व्यवस्था संबंधी कार्यकलापों में असीम उपयोग वाली हैं। अब तक निम्नलिखित मानचित्र प्रकाशित किए जा चुके हैं:–

i) राज्य/संघ राज्य प्रशासनिक एटलस 2011
ii) प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन संबंधी एटलस 2001–2011 राष्ट्रीय खण्ड
iii) जनगणना 2011–पर आधारित एटलस आन स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन–विषयक एक प्रस्तुतीकरण–राष्ट्रीय खण्ड
iv) मकानों, परिवार संबंधी सुख–सुविधाओं और परिसम्पत्तियों पर एटलस– जनगणना 2011– राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र खण्ड।

14.8.1 ये एटलस दशकीय प्रकाशन है।

14.9 जनगणना 2011 में जनगणना संबंधी कार्य की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के दोहराव अथवा कुछ भी छूट जाने से बचने के लिए पहली बार देश के 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजधानी शहरों के 2132 वार्डों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित नगर मानचित्रण आरम्भ किया गया। विस्तृत वार्ड मानचित्र, प्रत्येक मकान/भवन, बड़ी और छोटी सड़कों, गलियों, उप–गलियों तथा सभी महत्वपूर्ण भू–चिह्न संबंधी विशेषताओं को दर्शाते हैं। जीआईएस पर आधारित नगर मानचित्रण की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इन शहरों के भीतर सभी क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पहले से बनाए गए गणना ब्लाकों (ईबी) का सीमांकन किया जाना था। जनगणना 2011 के दौरान इसकी उपयोगिता और महत्व के दृष्टिगत हाई रिजोलूशन सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए विस्तृत वार्ड मानचित्र को, राजधानी शहरों के प्रतिमान पर देश के 6 मेगा शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले 31 शहरों के ग्रोथ पोल सेन्टरों को कवर करने के लिए पुनः विस्तारित किया गया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग से अपेक्षित सेटेलाइट आंकड़ा प्राप्त कर लिया गया है और जनशक्ति को सेटेलाइट इमेज इन्टरप्रेटेशन एंड फीचर एक्सट्रेक्शन पर प्रशिक्षित कर दिया गया है।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

14.10 भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण एक विशिष्ट परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में बोली जाने

वाली सभी मातृभाषाओं का सुव्यवस्थित तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक (श्रव्य/दृश्य) अभिलेख तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा लिप्यंतरण किया गया है और भाषा विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक यह पहली बार हुआ है कि ऐसी परियोजना को शुरू किया गया है। अब तक 26 राज्यों में 150 मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सभी श्रव्य/दृश्य फाइलों के भण्डारण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और विश्लेषण के लिए सुव्यवस्थित तरीके से इन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु एक साफ्टवेयर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा विकसित किया जा चुका है। इस योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) अद्यतन सर्वेक्षण उपकरणों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और जनगणना निदेशालयों द्वारा श्रव्य–दृश्य भाषाई फील्ड डाटा का एकत्रीकरण ।

(ख) सम्पूर्ण भारत वर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रशिक्षित लिप्यंतरकों/भाषाविदों को बाह्य स्रोतों से लेकर विविधता–वार वीडियोग्राफ्ड भाषाई फील्ड डाटा का लिप्यंतरण और विश्लेषण ।

(ग) एकल मातृभाषा से वैयक्तिक भाषा/मातृभाषा रिपोर्ट के लिए 4–8 सैम्पल डाटा के विश्लेषण का समेकन और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बाह्य भाषाई विशेषज्ञों/प्रोफेसरों द्वारा इस रिपोर्ट का पर्यवेक्षण ।

(घ) भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण प्रबन्धन प्रणाली में अपलोडिंग द्वारा प्रतिलेखन–विश्लेषण–रिपोर्ट के साथ वीडियोग्राफ्ड डाटा का परिरक्षण अथवा अभिलेखन विकसित किया गया है।

(ङ) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अपने भाषाविदों द्वारा सर्वेक्षण साधनों और सर्वेक्षण निर्देशों का सुधार/अद्यतनीकरण।

(च) फील्ड से दिग्दर्शित श्रव्य/दृश्य भाषाई डाटा के एकत्रीकरण के लिए विभिन्न अनुमोदित जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) के अधिकारियों वाली नई सांख्यिकीय टीम (50 के लगभग) के लिए प्रशिक्षण का निष्पादन।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

14.11 भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई), छठी पंचवर्षीय योजना से भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में अनुसंधान संबंधी एक नियमित क्रियाकलाप रहा है। इस परियोजना के अधीन पहले के प्रकाशनों के अनुक्रम में, 2013–2014 के दौरान अब तक एलएसआई– सिक्किम (भाग–I), एलएसआई– सिक्किम (भाग–II) और एलएसआई– राजस्थान (भाग–I) प्रिंट रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

आंकड़ा प्रसार

14.12 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकारों, गैर सरकारी संगठनों– राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों, विद्वानों, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कामगारों और गैर–कामगारों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों संबंधी डाटा, परिवार संबंधी सुख–सुविधाओं और परिसम्पत्तियों सहित विभिन्न डाटासेटों की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकडा उपयोगकर्ताओं को भिज्ञ बनाए रखने के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

14.13 अंतिम क्रॉस–क्लासीफाइड तालिकाएं तत्काल निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए भारत की जनगणना वेबसाइट http:www.censusindia.gov.in पर अपलोड कर दी गई हैं। ये कम्पेक्ट डिस्क (सीडी) और कुछ मामलों में मुद्रित खण्डों में भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

14.14 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू की गई एक और महत्वपूर्ण नवप्रवर्तनकारी पहल जनगणना से सैम्पल माइक्रो–डाटा लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु कार्यस्थलों की स्थापना करना है। इस कार्यालय ने

स्थानीय शोध छात्रों के साथ–साथ विश्वविद्यालय की किसी वरिष्ठ फैकल्टी के पर्यवेक्षण के अधीन बाहरी शोध छात्रों के द्वारा भी उपयोग में लाये जाने हेतु इन कार्यस्थलों की स्थापना करने के लिए सोलह विश्वविद्यालयों के साथ करार किया है। शोध छात्रों को सैम्पल (1% और 5%) माइक्रो–डाटा फाइलों की नकल लेने की अनुमति नहीं है किंतु अनुसंधान के लिए इनका उपयोग करने की अनुमति है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स, पुणे, गोवा विश्वविद्यालय पणजी, एवं तिरुवनन्तपुरम में केरल विश्वविद्यालय में पांच कार्यस्थल पहले से ही कार्य कर रहे हैं। ग्यारह अन्य कार्यस्थल विभिन्न राज्यों में प्रगति के भिन्न–भिन्न स्तरों पर हैं।

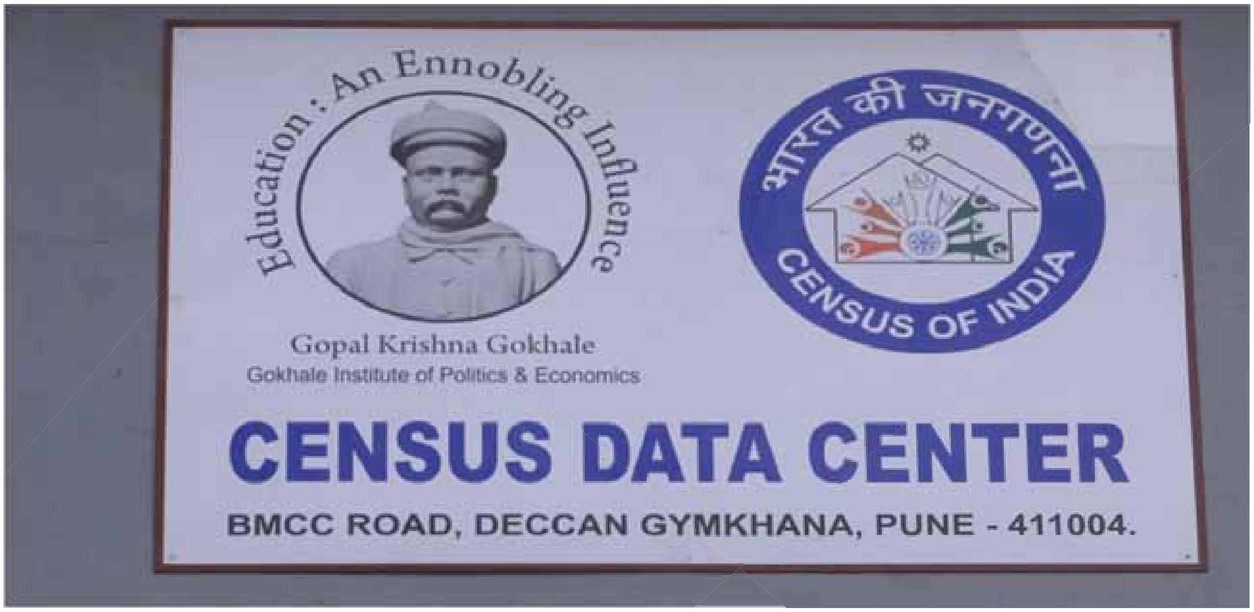

गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स, पुणे स्थित कार्यस्थल

14.15 आंकड़ा प्रचार–प्रसार कार्यकलापों के एक भाग के रूप में, देश के लगभग एक लाख स्कूलों द्वारा उपयोग में लाने के लिए एक स्कूल किट तैयार किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना, 2011 की प्रमुख बातों के बारे में स्कूल के छात्रों को जागरूक बनाने की विशिष्ट परियोजना प्रारंभ की है। भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा सभी एक लाख स्कूल के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को जनगणना आंकड़ा प्रसार सप्ताह के रूप में एक सप्ताह मनाने के लिए व्यक्तिशः संदेश भेजा जा रहा है ताकि इसके परिणामों पर विचार–विमर्श किया जा सके । जनगणना स्कूल किट के रूप में जनगणना संबंधी साहित्य, जनगणना प्रश्नोत्तरी कार्ड, डाटाशीट और संबंधित स्थानीय जिले और उप–जिले को दर्शाने वाले मानचित्र भेजे जा रहे हैं । प्रत्येक स्कूल में जुलाई, 2014 में आयोजित की जाने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को भारत के जनगणना आयुक्त और स्कूल के प्रिंसिपलों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाएंगे।

14.16 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजीटीकृत करने और अभिलेखबद्ध करने की एक अन्य प्रमुख पहल भी की है। इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 10 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजीटीकृत करके माइक्रोफिल्म बनाई जा रही है। 31.03.2014 तक लगभग 4.5 लाख पृष्ठों को पहले ही डिजीटीकृत किया जा चुका है। इस प्रक्रिया के तहत, पृष्ठों की इमेजों को परिरक्षण हेतु साफ किया जाता है और माइक्रोफिल्म तैयार की जाती है। साफ की गई इमेजों का प्रयोग परामर्श हेतु पी.डी.एफ. प्रतियां तैयार करने के लिए भी किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के डाटा प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाए जाने हेतु डिजीटल अभिलेखों

की उपलब्धता के लिए 33 जनगणना कार्य निदेशालयों में से प्रत्येक जनगणना कार्य निदेशालय में कार्यस्थल (वर्क स्टेशन) बनाए जा रहे हैं ।

14.17 अभी तक जारी किए गए जनगणना के आंकड़ों की उपलब्धता और प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से देशभर में 73 आंकड़ा प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें जारी किए गए अद्यतन जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और चर्चा की गई । इस विश्लेषण में भागीदारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आमंत्रित किए जाते हैं। जनगणना 2011 संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह कार्यालय पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में नियमित रूप से भाग भी लेता है। 31.03.2014 तक ऐसे 9 पुस्तक मेले/प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। "सेंसस इन्फो" कहा जाने वाला एक विशिष्ट डाटा प्रोडक्ट तैयार किया गया है ताकि ये आंकड़े उपयोगकर्ताओं की शीघ्र पहुंच में हों और वे इनको देख सकें । सेन्सस इन्फो से संबंधित दो दिनों का आंकड़ा प्रचार–प्रसार प्रशिक्षण नई दिल्ली में 12.12.13 से 13.12.2013 तक संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों की वित्तीय सहायता से आयोजित किया गया था।

केरल के एर्णाकुलम जिले में जनवरी, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जनगणना प्रदर्शनी

जनगणना संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआरटीसी)

14.18 उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में जनगणना संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआरटीसी) की स्थापना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विशेषकर दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिभागियों को जनगणना पद्धति और इसकी कार्य प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। विभिन्न देशों यथा श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनगणना के विभिन्न पहलुओं को सीखने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का दौरा किया। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय से अनेक विशेषज्ञों ने भी जनगणना से संबंधित कार्यकलापों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भिन्न–भिन्न देशों का दौरा किया। केंद्र द्वारा म्यांमार, भूटान और लोकतांत्रिक गणराज्य टाइमोर लेस्टे के शिष्टमंडलों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ओआरजीआई एवं सीसीआई के 139 पदधारियों को 5 बैचों में बेसिक कम्प्यूटर प्रचालन प्रशिक्षण दिया गया। भारत के

महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के 53 वरिष्ठ अन्वेषक ग्रेड–I को विभिन्न विषयों पर तीन सप्ताह तक दो बैचों में प्रशिक्षण दिया गया है। अनेक इन–हाउस प्रशिक्षणों के अतिरिक्त,"जनांकिकी तकनीकों" के संबंध में 160 अधिकारिया/कर्मचारियों को गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी; विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में विभिन्न बैचों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

भूटान के प्रतिनिधिमंडल ने जून-जुलाई, 2013 के दौरान सीआरटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

14.19 राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए पदधारियों द्वारा देश में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में रजिस्ट्रीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यावित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं ।

14.20 पिछले कुछ वर्षों से रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश के संबंध में जन्म का रजिस्ट्रीकरण स्तर बढ़कर 82 प्रतिशत तक हो गया है, जो वर्ष 2009 से 2010 में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करता है। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान, मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का स्तर 67% पर बना रहा। इसका कारण, 2009 की तुलना में 2010 में त्रिपुरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में गिरावट हो सकता है।

14.21 राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के स्तर में व्यापक विभिन्नताएं बनी रही हैं । अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने जन्म के रजिस्ट्रीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है। हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु ने जन्म के रजिस्ट्रीकरण का 90% से अधिक का स्तर प्राप्त कर लिया है। तथापि, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर राज्यों में यह 60% से भी कम है।

14.22 असम (17.9%), राजस्थान (5.0%), गोवा (5.0%), ओडिशा (4.80%) और झारखंड (4.5%) राज्यों में जन्म के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में 2009

की तुलना में 2010 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश (2.8%), उत्तराखंड (2.6%) और तमिलनाडु (2.5%) में जन्म के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में इस अवधि के दौरान आंशिक वृद्धि हुई है।

14.23 मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के स्तर के दृष्टिगत गोवा और मिजोरम राज्यों और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में मृत्यु का 90 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश (14.4%), महाराष्ट्र (5.5%), राजस्थान (5.0%), तमिलनाडु (4.3%), मध्य प्रदेश (3.8%), नागालैंड (3.7%) और छत्तीसगढ़ (3.2%) राज्यों में 2009 की तुलना में 2010 में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण 40% से कम था । छत्तीसगढ़, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और दादरा एवं नगर हवेली को छोड़कर अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के निम्न स्तर का अंशतः कारण निवास–स्थान पर हुई मृत्युओं और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्युओं की रिपोर्ट न करना हो सकता है। नागरिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 11.03.2014 को नागरिक रजिस्ट्रीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

गृह सचिव नई दिल्ली में आयोजित नागरिक रजिस्ट्रीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन (एमसीसीडी)

14.24 जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) में मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़ों जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है, का प्रावधान है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी–10) पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं।

14.25 वर्ष 2009 के लिए "मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल रजिस्ट्रीकृत 47,55,054 मृत्युओं में से कुल 9,46,018 मृत्युओं (5,85,431 पुरुष और 3,60,587 महिला) की चिकित्सीय रूप से अनुप्रमाणित होने की सूचना दी गई है।

14.26 एमसीसीडी का दायरा शहरी क्षेत्र के चुनिन्दा अस्पतालों तक ही सीमित है। एमसीसीडी का सभी संस्थानों तक विस्तार किए जाने के लिए राज्यों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

14.27 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के लिए एक बड़े पैमाने का जनांकिकी सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दुहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है तथा इसमें निवासी अंशकालिक गणनाकर्ताओं द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत जनगणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण सम्मिलित है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को क्षेत्र में पुनः सत्यापित किया जाता है। सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण और परिणाम जारी किए जाने के बीच समय–सीमा को घटाकर एक वर्ष से कम कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था, जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969–70 में पूरी तरह से संचालित हो गया । जन्म और मृत्यु दरों में परिवर्तनों का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। यह नवीन प्रतिस्थापन 2001 की जनगणना पर आधारित है तथा 01.01.2004 से प्रभावी है। मौजूदा रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई 7,597 सैम्पल इकाइयां (4,433 ग्रामीण और 3,164 शहरी) हैं, जिनके दायरे में 1.5 मिलियन परिवार तथा लगभग 7.44 मिलियन जनसंख्या आती है।

14.28 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में एसआरएस बुलेटिन–2013 जारी कर दिया गया है जिसमें वर्ष 2012 के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग आकलन जारी कर दिए गए हैं, जो **अनुलग्नक**–XIV में दिए गए हैं । वर्ष 2012 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत हैंः–

(i) प्रति 1000 की जनसंख्या पर आशोधित जन्म दर (सीबीआर) 21.6 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 23.1 और शहरी क्षेत्रों में 17.4 है। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में, सीबीआर केरल में सबसे कम (14.9) और बिहार में सर्वाधिक (27.7) है।

(ii) प्रति 1000 की जनसंख्या पर आशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 7.0 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.6 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.6 है। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में सीडीआर दिल्ली में सबसे कम (4.2) और ओडिशा में सर्वाधिक (8.5) है।

(iii) जन्म के दौरान प्रति 1000 जीवित नवजात के संबंध में नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) 42 (< एक वर्ष) है; जो ग्रामीण क्षेत्रों में 46 तथा शहरी क्षेत्रों में 28 है। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में केरल ने यह नवजात मृत्यु दर निम्नतम (12) दर्ज की है जबकि मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक (56) दर्ज की है।

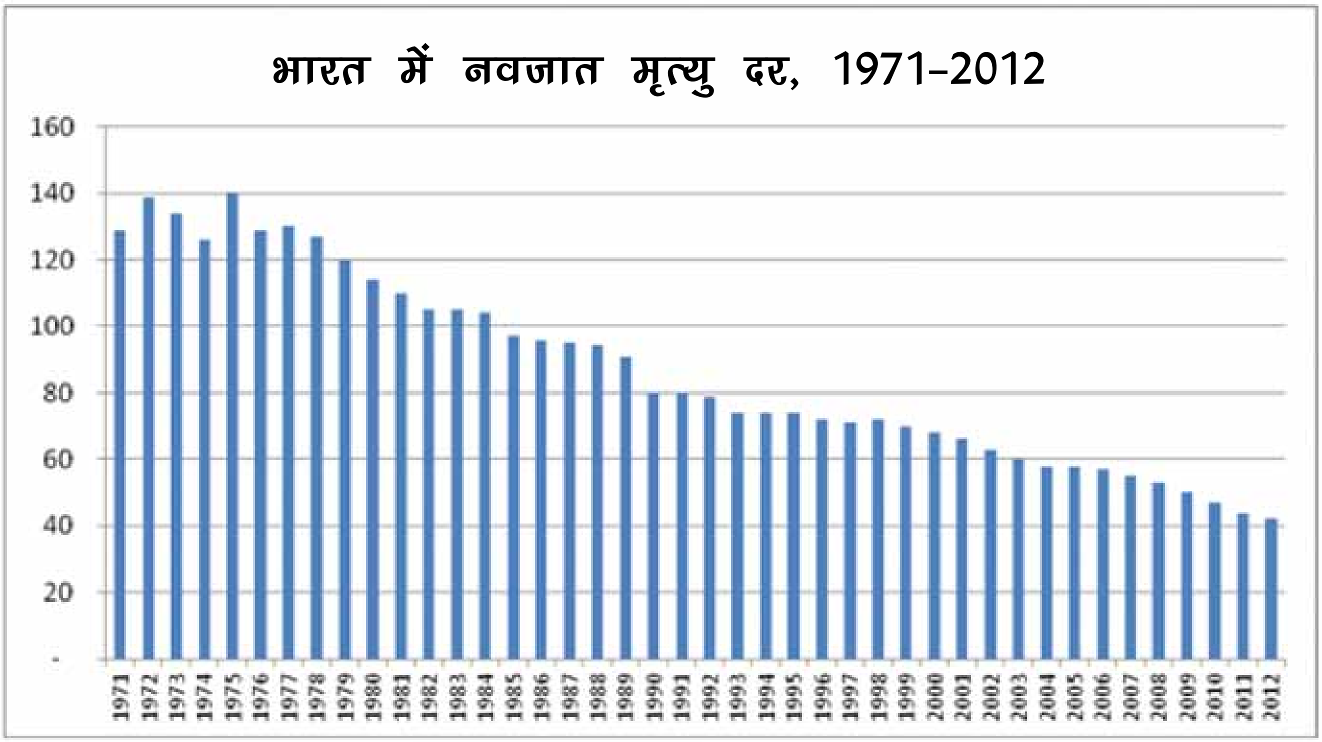

भारत में नवजात मृत्यु दर, 1971-2012

14.29 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत भारत में मातृ मृत्यु दर संबंधी विशेष बुलेटिन 2010–12 जारी कर दिया गया है। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2007–2009 के 212 से घटकर 2010–12 में 178 रह गया है। अधिकार प्राप्त कार्य दल (ईएजी) राज्यों और असम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गिरावट 308 से 257 तक की रही है। दक्षिणी राज्यों में यह गिरावट 127 से 105 और अन्य राज्यों में 149 से 127 रह गई है।

क्षेत्रों के आधार पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) के स्तर, 1997-2012

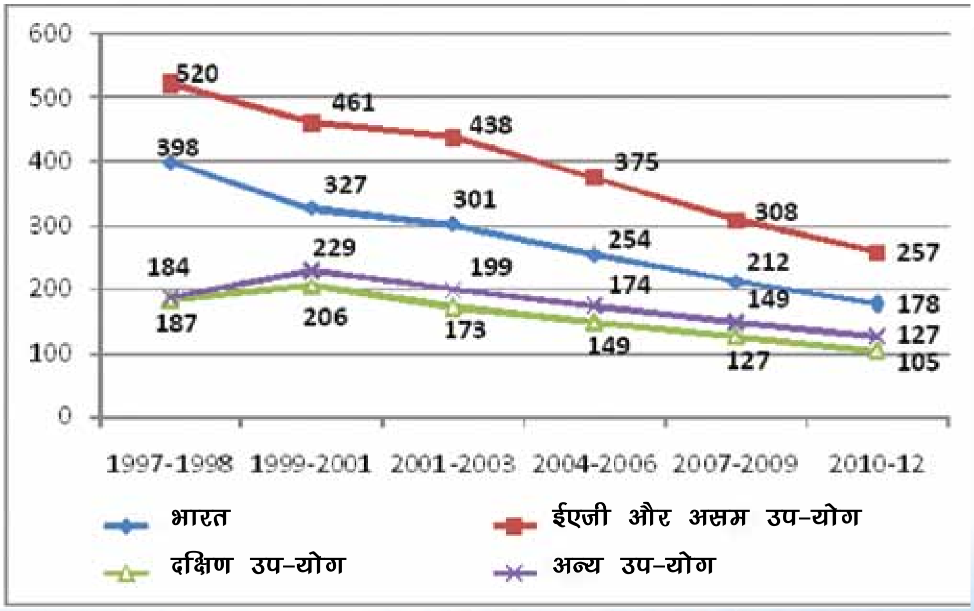

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस)

14.30 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग के अनुरोध पर तैयार किया गया ताकि जिला स्तर पर जीवनांक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुख्य सूचकांक मिल सकें और इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत हो रहे हस्तक्षेपों सहित स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के आकलन के लिए इनमें हो रहे परिवर्तनों को सतत आधार पर मापा जा सके । वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अन्य बातों के साथ–साथ अशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.), अशोधित मृत्यु दर (सी.डी.आर.), शिशु मृत्यु दर (आई.एम. आर.), कुल प्रजननता दर (टी.एफ.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.), जन्म पर लिंग अनुपात संबंधी सूचकांक तथा मातृत्व एवं शिशु देख–रेख, परिवार नियोजन पद्धतियों इत्यादि पर कई अन्य सूचकांक सृजित करेगा और इनमें वर्ष–दर–वर्ष आधार पर होने वाले परिवर्तनों को उपयुक्त स्तर पर संकलित करेगा। वर्ष 2010–2011 से प्रारंभ हुई अभियान अवधि 2007–2012 के दौरान एएचएस को अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ई.ए.जी.) राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) तथा असम (इसके पश्चात एएचएस राज्यों के रूप में संदर्भित) के सभी 284 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण को प्रति वर्ष 20,694 सांख्यिकीय रूप से चयनित सैंपल इकाइयों में किया जाता है (शहरी क्षेत्रों के मामले में जनगणना गणना ब्लाक और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के संबंध में गांव अथवा उनका कोई हिस्सा) जो नौ एएचएस राज्यों में फैले हुए हैं और कुल 18 मिलियन जनसंख्या तथा 3.6 मिलियन परिवारों (2001 की जनगणना अनुसार) को कवर करते हैं । तथापि, वर्ष 2012–13 में एएचएस के अद्यतनीकरण के दूसरे चक्र के दौरान कुल 20.94 मिलियन जनसंख्या और 4.32 मिलियन परिवारों को कवर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक जिले में किसी गांव में लगभग 1000 की जनसंख्या वाली लगभग 70 सैंपल इकाइयों और शहरी क्षेत्र में एक गणना ब्लाक की 650 इकाइयों को कवर किया जाएगा ।

14.31 बेस–लाइन सर्वेक्षण का एएचएस बुलेटिन 2011 में जारी किया गया जिसमें 9 मुख्य जीवनांक सूचकांक अर्थात अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पांच साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर, जन्म पर लिंग अनुपात इत्यादि के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े थे, जिले–वार विस्तृत फैक्टशीट जुलाई, 2012 में जारी की गई जिसमें बेस–लाइन सर्वेक्षण के संबंध में कुल प्रजननता दर, गर्भपात, परिवार नियोजन पद्धतियां, प्रसव–पूर्व देख–रेख, प्रसव देख–रेख, प्रसवोत्तर देख–रेख, टीकाकरण, बच्चों की बीमारियां, स्तनपान एवं अनुपूरण, जन्म रजिस्ट्रीकरण, निःशक्तता, चोट, मृत्यदर, व्यक्तिगत आदतें इत्यादि के शेष 152 सूचकांकों के आंकड़े शामिल थे । बेस–लाइन आंकड़ों की संदर्भ अवधि 01.01.2007 से 31.12.2009 तक है तथा आकलन के लिए 3 वर्ष (2007–2009) के आंकड़ों को समूहबद्ध किया गया है।

14.32 एएचएस बुलेटिन और पहले अद्यतनीकरण सर्वेक्षण की फैक्टशीट क्रमशः मई, 2013 और दिसम्बर, 2013 में जारी की गई । प्रथम अद्यतनीकरण आंकड़ों की संदर्भ अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010 तक है तथा आकलन के लिए 3 वर्ष (2008–2010) के आंकड़ों को समूहबद्ध किया गया है।

14.33 दिसम्बर, 2013 में जारी की गई पहली अद्यतनीकरण फैक्टशीट की विशेषताएं हैं:–

(i) 9 एएचएस राज्यों में कुल प्रजननता दर जोकि किसी महिला के पूरे प्रजनन काल के दौरान उसे जन्में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, उत्तराखंड में 2.1 से लेकर बिहार में 3.6 तक है। 9 एएचएस राज्यों के 284 जिलों में यह पिथौरागढ़ और बागेश्वर (उत्तराखंड) में 1.7 से लेकर श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 5.9 तक का अंतर दिखाते हुए 3 गुना से अधिक की परिवर्तनशीलता दर्शाती है।

(ii) जहां एक ओर परिवार नियोजन पद्धतियों के वर्तमान उपयोग बौध (ओडिशा) में 29.8 प्रतिशत से लेकर हनुमानगढ़ (राजस्थान) में 89.1 प्रतिशत तक परिवर्तनशील हैं वहीं परिवार नियोजन की पूरी न हुई मांग जोकि परिवार नियोजन संबंधी पद्धतियों की आवश्यकता को दर्शाती है, झुनझुनू, राजस्थान में 3.1 प्रतिशत से लेकर दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में 48.7 प्रतिशत तक परिवर्तनशील है।

(iii) किसी भी प्रकार की प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी), गर्भावस्था के दौरान महिला के लिए सिफारिश की गई नियमित चिकित्सीय और उपचर्यात्मक देखभाल, सभी एएचएस राज्यों में 80 प्रतिशत से अधिक है। तथापि, पूर्ण एएनसी कवरेज (3 अथवा अधिक एनएसी, कम से कम एक टीटी इंजेक्शन और 100 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए आईएफए गोलियों का खाया जाना) उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिशत से लेकर ओडिशा में 22.7 प्रतिशत तक परिवर्तनशील है। 284 जिलों में पूर्ण एएनसी कवरेज बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) में 0.9 प्रतिशत से लेकर जगतसिंहपुर (ओडिशा) में 43.5 प्रतिशत के बीच है।

(iv) 284 जिलों में संस्थागत प्रसव बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) में 22.2% से लेकर पुरी (ओडिशा) में 94.0% के बीच है। तथापि, सुरक्षित प्रसव जिसमें कि डाक्टर/नर्स/एएनएम/एलएचवी से सहायता प्राप्त संस्थागत प्रसव और आवासीय प्रसव शामिल हैं, बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) में 30 प्रतिशत से लेकर इंदौर (मध्य प्रदेश) में 97 प्रतिशत तक परिवर्तनशील हैं।

(v) एएचएस राज्यों में बच्चों में पूर्ण टीकाकरण (टीबी के संबंध में टीकाकरण, डीपीटी और पोलियो की तीन खुराक और मीजल्स की एक खुराक) कवरेज में उत्तर प्रदेश में 48.1 प्रतिशत से लेकर उत्तराखंड 77.9 प्रतिशत तक की परिवर्तनशीलता है। 284 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज रायगड़ा (ओडिशा) में 17.7 प्रतिशत से लेकर हनुमानगढ़ (राजस्थान) में 95.9 प्रतिशत के बीच है।

(vi) 6 से 35 माह की आयु वाले बच्चों के संबंध में विटामिन ए अनुपूरण श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 16.2 प्रतिशत से लेकर उदयपुर (राजस्थान) में 88.5 प्रतिशत के बीच है। 9 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, जहां कि प्रत्येक तीसरा बच्चा विटामिन ए अनुपूरण में शामिल है, को छोड़कर लगभग प्रत्येक दूसरा बच्चा इसके अंतर्गत कवर किया गया है।

14.34 तीसरे और अंतिम दौर (द्वितीय अद्यतनीकरण) संबंधी बुलेटिन मार्च, 2014 में जारी किया गया है और द्वितीय अद्यतनीकरण दौर की फैक्टशीट अंतिम चरण में है और इसे शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। द्वितीय अद्यतनीकरण आंकड़ों की संदर्भ अवधि 01.01.2011 से 31.12.2011 तक है और आकलन उपलब्ध करवाने के लिए 3 वर्ष (2009–11) के आंकड़ों को समूहबद्ध किया गया है।

14.35 मार्च, 2014 में जारी किए गए द्वितीय अद्यतनीकरण बुलेटिन की विशेषताएं हैं:

(i) 9 एएचएस राज्यों के 284 जिलों में अशोधित जन्म दर जोकि प्रति 1000 जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या दर्शाती है, बागेश्वर (उत्तराखंड) में 15.0 से लेकर श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 39.9 के बीच है और लगभग 3 गुने की परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करती है।

(ii) अशोधित मृत्यु दर जोकि प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु की संख्या दर्शाती है, गिरिडीह (झारखंड) में 4.1 से लेकर श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 12.1 के बीच है और 3 गुने की परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करती है।

(iii) शिशु मृत्यु दर जोकि प्रति 1000 जीवित जन्म में से शिशु (1 वर्ष से कम आयु के) मृत्यु की संख्या दर्शाती है, रूद्रप्रयाग (उत्तराखंड) में 19 से लेकर बोलंगीर (ओडिशा) में 97 तक परिवर्तनशील है और 5 गुने की परिवर्तनशीलता दर्शाती है। नौ जिलों अर्थात पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, कोडरमा और गिरिडीह (झारखंड); चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा (उत्तराखंड) ने 28 का एमडीजी–4 राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा 11 अन्य जिले अर्थात रांची, देवघर, गढ़वा और हजारीबाग (झारखंड); बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत, उधमसिंह नगर और देहरादून (उत्तर प्रदेश); पटना (बिहार); और दुर्ग (छत्तीसगढ़) इसके बहुत पास हैं ।

(iv) नवजात शिशु मृत्यु दर जिसे कि 1000 जीवित जन्म में से नवजात (29 दिन से कम के) शिशुओं की मृत्यु के रूप में देखा जाता है, में 284 जिलों में 6 गुने का अंतर है। यह रूद्रप्रयाग (उत्तराखंड) में 11 से लेकर बोलंगीर (ओडिशा) में 71 तक परिवर्तनशील है। 10 शिशु मृत्यु में से औसतन 7 नवजात शिशुओं से संबंधित होती हैं ।

(v) पांच वर्ष से कम की मृत्यु दर (यू5एमआर) जोकि प्रत्येक 1000 जीवित जन्म में से 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बच्चे की मृत्यु की संख्या को

दर्शाती है, अल्मोड़ा (उत्तराखंड) में 24 से लेकर कंधमाल (ओडिशा) में 139 तक परिवर्तनशील है। 15 जिलों अर्थात पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत और देहरादून (उत्तराखंड); पूर्वी सिहंभूम, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर (झारखंड) ने 42 का राष्ट्र स्तरीय लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। 11 जिले अर्थात रांची और गढ़वा (झारखंड); दुर्ग (छत्तीसगढ़); कोटा (राजस्थान); उधमसिंह नगर और पौढ़ी गढवाल (उत्तराखंड); इंदौर (मध्य प्रदेश); झारसुगुड़ा (ओडिशा); पटना (बिहार) और धेमाजी तथा कामरूप (असम) इसके बहुत पास हैं ।

(vi) मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) जोकि प्रत्येक 100000 जीवित जन्म में से मातृ मृत्यु के अनुपात को दर्शाती है, 62 कमिश्नरियों (जिलों का समूह) में मेरठ मंडल (उत्तर प्रदेश) में 151 से लेकर ऊपरी असम प्रभाग (असम) में 404 तक परिवर्तनशील है।

(vii) जहां एक ओर जन्म के समय लिंग का अनुपात जोकि प्रत्येक 1000 पुरुष जीवित जन्म में महिला जीवित जन्म की संख्या को दर्शाता है, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में 767 से लेकर अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में 1081 तक परिवर्तनशील है वहीं दूसरी ओर 0–4 वर्ष आयु समूह का लिंग अनुपात जोकि 0–4 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्शाता है, मुरैना (मध्य प्रदेश) में 793 से लेकर चतरा (झारखंड) में 1036 तक परिवर्तनशील है। लिंग अनुपात (सभी आयु) जोकि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्शाता है, मुरैना (मध्य प्रदेश) में 833 से लेकर टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) में 1224 तक परिवर्तनशील है। बेस–लाइन सर्वेक्षण के द्वितीय अद्यतनीकरण सर्वेक्षण में अधिकांश जिलों में प्रजननता और मृत्यु दर संबंधी संकेतकों में गिरावट का रूख देखा गया है।

14.36 9 एएचएस राज्यों में दयनीय पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सूचकों के लिए ज्ञात 284 जिलों, जिनमें कि लगभग 3.74 लाख परिवार और लगभग 16.83 लाख की जनसंख्या शामिल है, में कम और अधिक पोषण, सूक्ष्म पोषण संबंधी कमियों, मधुमेह, हाइपरटेंशन और उच्च फास्टिंग ग्लूकोज की मात्रा संबंधी जिला विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एकबारगी किया जाने वाला क्लीनिकल, एंथ्रोपोमैट्रिक और बायो–केमिकल (कैब) सर्वेक्षण जोकि वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक अपरिहार्य हिस्सा है, अक्तूबर, 2013 में प्रारंभ किया गया और 100 से अधिक जिलों में इसका कार्य चल रहा है।

देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.37 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 में भारत के प्रत्येक नागरिक का "अनिवार्य" रजिस्ट्रीकरण और भारतीय नगरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एन.आर.आई.सी) तैयार एवं उसका रखरखाव करके राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करने की योजना है। एन.आर.आई.सी सृजित करने की शुरूआत के तौर पर भारत सरकार ने प्रत्येक 'सामान्य निवासी' की विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में सूचना एकत्रित करके देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। एनपीआर में उन सभी "सामान्य निवासियों", जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के है, के फोटोग्राफ, 10 फिंगर–प्रिंट्स और आयरिस संबंधी जानकारी होगी । दोहराव से बचने (डी–डुप्लीकेशन) और यू.आई.डी. संख्या (आधार) देने के लिए एनपीआर डाटाबेस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आइ) को भेजा जा रहा है।

14.38 देश में एनपीआर तैयार करने के लिए बायोग्राफिक आंकड़ा संकलन का फील्ड कार्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पूरा किया जा चुका है। इन भरी हुई एनपीआर अनुसूचियों (लगभग 27 करोड़) की स्कैनिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

14.39 देश के लिए एनपीआर के अंतर्गत बायोमेट्री प्राप्त करने और डिजिटाइजेशन का कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू) और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी) के सह संघ को सौंपा गया है। 118.09 करोड़ से अधिक अभिलेखों की स्कैन की हुई इमेजिस से आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा किया जा चुका है। बायोमेट्रिक्स प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है और 31.03.2014 तक 24.33 करोड़ व्यक्तियों के बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है। 19.34 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का एनपीआर आंकड़ा यूआईडीएआई को

दोहराव से बचने (डी–डुप्लीकेशन) और आधार संख्या देने के लिए भेजा गया है। इनमें से यूआईडीएआई ने 16.27 करोड़ रु./– से अधिक आधार संख्या सृजित की है।

14.40 दावों और आपत्तियों को (यदि कोई हों) आमंत्रित करने के लिए आधार संख्या सहित 'सामान्य निवासियों' की सूची स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी और इनपर कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी । प्रायोगिक आधार पर तमिलनाडु के पांच गांवों में सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (एलआरयूआर) की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। प्रस्ताव है कि देश में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी 'सामान्य निवासियों' को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी किए जाएं । भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय एनपीआर डाटाबेस का रखरखाव करेगा और उसे अद्यतन करेगा।

तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.41 तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों में से एक उपाय के रूप में सभी 9 तटवर्ती राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों (यू.टी.) में 3331 तटीय गांवों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के सभी शहरों में भी कार्य पूरा हो चुका है। इन क्षेत्रों में सीधे आंकड़ा संग्रहण की पद्धति का प्रयोग किया गया है और इन गांवों के सभी सामान्य निवासियों (15 वर्ष और अधिक आयु के) के फोटो और फिंगरप्रिंटस का कार्य भी आरंभ किया गया है। 120 लाख से अधिक व्यक्तियों का सीधे डाटा संग्रहण किया जा चुका है और 70 लाख से अधिक व्यक्तियों (15 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों का) बॉयोमैट्रिक ब्यौरा एकत्रित किया जा चुका है। शोधन और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सामान्य निवासियों का स्थानीय रजिस्टर (एलआरयूआर) स्थानीय क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया है। ग्राम सभा के पुनरीक्षण के बाद एलआरयूआर में शुद्धियां शामिल कर दी गई हैं। इन क्षेत्रों में पहचान (स्मार्ट) कार्डों, जो 18 वर्ष और अधिक आयु के 'सामान्य निवासियों' को जारी किए जाएंगे, के उत्पादन और वैयक्तीकरण का कार्य आरंभ हो गया है और 65 लाख कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। मार्च 2013 में परियोजना पूरी हो गयी।

सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011

14.42 भारत सरकार द्वारा सारे देश में जून, 2011 से चरणबद्ध तरीके से सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) करवाया जा रहा है। भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस संयुक्त कार्य के लिए नोडल मंत्रालय हैं । भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय पूरी लोजिस्टिक और तकनीकी सहायता दे रहा है।

14.43 भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय के तकनीकी और संभारतंत्रीय आधार में प्रत्यक्ष अन्तर्निविष्ट साधन यथा चार्ज रजिस्टर, नजरी नक्शा और संक्षिप्त मकानसूची उपलब्ध कराना शामिल है जिनका प्रयोग जनगणना, 2011 के दौरान किया गया, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय सहित राज्य निदेशालयों में अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण देना और फील्ड कार्यों के दौरान पर्यवेक्षण करना भी शामिल है।

14.44 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए सामाजिक–आर्थिक आंकड़ा संग्रहण के प्रयोजन से अलग–अलग अनुदेश पुस्तिका और प्रश्नावलियां तैयार की गई थीं । इन प्रश्नावलियों में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 37 परिवर्तनीय मदें जैसे दीवार में प्रयोग किए गए कच्चे माल, मकान की छत, परिवार के सदस्य का सामाजिक स्तर, रोजगार और आय ढांचा, परिवार की आय का मुख्य स्रोत, भू–स्वामित्व, अन्य परिसम्पत्तियों का स्वामित्व, परिवार की परिसम्पत्तियां आदि शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रश्नावलियों में आय के मुख्य स्रोत, निःशक्तता, पुरानी बीमारी, भवन सामग्री, मकान के स्वामित्व की स्थिति, परिवार में सुविधाएं और परिसम्पत्तियों इत्यादि सहित 32 परिवर्तनीय मदें शामिल हैं। धर्म और जाति से संबंधित प्रश्न दोनों प्रश्नावलियों में विद्यमान है।

14.45 इस कार्य में अपनायी जा रही कार्यपद्धति निम्न प्रकार है:

(क) प्रगणक, प्रत्येक परिवार का दौरा करेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रश्नावली भरेगा।

(ख) व्यक्तियों के उत्तर उत्तरदाता द्वारा बताए गए अनुसार ही दर्ज किए जाएंगे। उत्तरदाता से किसी प्रकार का प्रमाण या दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

(ग) एस.ई.सी.सी. अनुसूची हैंड हैल्ड यंत्र (एच.एच.डी) का प्रयोग करके तैयार की जा रही है। प्रगणक (सरकारी कर्मचारी) प्रश्न पूछेगा जबकि आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक (मेसर्स बी.ई.एल. द्वारा उपलब्ध कराया जाना है) उत्तर को हैंड हैल्ड यंत्र में दर्ज करेगा।

(घ) जनसंख्या जनगणना 2011 के प्रथम चरण में भरे गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रपत्रों का प्रयोग एस.ई.सी.सी. के आधार के रूप में किया जाएगा । इन प्रपत्रों को पहले ही स्कैन किया जा चुका है और इन इमेजों को हैंड हेल्ड यंत्रों में लोड किया जा रहा है जिनका प्रयोग एस.ई.सी.सी. प्रश्नावली तैयार करने के लिए किया गया है। यदि वही कुटुम्ब जिसकी गणना एनपीआर में की गई थी, परिवार में उपलब्ध है, तो केवल अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि कोई नया कुटुम्ब है अथवा कुटुम्ब में कुछ नए सदस्य हों तो उनके सम्पूर्ण ब्यौरे नए सिरे से संग्रहीत किए जाते हैं । गणना के बाद प्रत्येक परिवार को पावती पर्ची दी जाएगी ।

14.46 एस.ई.सी.सी. औपचारिक तौर पर 29.06.2011 को त्रिपुरा राज्य से शुरू की गई थी। एस.ई.सी.सी. का फील्ड कार्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कमोवेश पूरा हो चुका है। सभी 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 24.8 लाख गणना ब्लाकों (ईबी) में से 31.03.2014 तक 24.62 लाख गणना ब्लाकों (99.7%) में फील्ड कार्य पूरा किया जा चुका है।

14.47 फील्ड से हैंड हैल्ड यंत्रों में डाटा संग्रहण करने के बाद भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय जाति आधारित डाटा का संसाधन करेगा और विशेषज्ञ दल {जिसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक गठन किया जाना है}, को जातियों/जनजातियों के ब्यौरे श्रेणीकरण और वर्गीकरण हेतु सुपुर्द कर देगा।

◆◆◆

अध्याय XV विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

15.1.1 भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इस पुरस्कार से अब तक 43 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। अंतिम बार वर्ष 2014 के लिए यह पुरस्कार प्रो. सी. एन.आर. राव और सचिन रमेश तेंदुलकर को प्रदान किया गया था।

पद्म पुरस्कार

15.1.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

15.1.3 पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

15.1.4 प्रति वर्ष, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन मांगने की प्रथा रही है। उनके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यापालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, निजी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं अपनी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

15.1.5 भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2014 के अवसर पर घोषित अलंकरण क्रमशः दिनांक 31.03.2014 और 26.04.2014 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित दो समारोहों में प्रदान किये। दोनों समारोहों में प्रदान किए गए 126 पुरस्कारों में 02 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 100 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

वीरता पुरस्कार

15.1.6 प्रत्येक वर्ष, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

15.1.7 राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2013 पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार के लिए एक अशोक पुरस्कार, एक कीर्ति चक्र तथा एक शौर्य चक्र सहित तीन नागरिकों के नामों का और गणतंत्र दिवस 2014 पर एक कीर्ति चक्र पुरस्कार का अनुमोदन प्रदान किया है।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

15.1.8 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम

से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

15.1.9 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, अर्थात–सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है; उत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है और जीवन रक्षा पदक, किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली द्वारा जान जाने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से बचाने के मानवीय कार्य या कार्यों में जान बचाने वाले व्यक्ति के गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है।

15.1.10 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये पुरस्कार सामान्यतया प्रत्येक वर्ष नवम्बर/दिसम्बर के महीने में घोषित किए जाते हैं।

15.1.11 इन पुरस्कारों के लिए अलंकरण समारोह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण ापत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/–रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 60,000/– रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 40,000/– रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

15.1.12 वर्ष 2013 के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 06 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन किया है।

सतर्कता तंत्र

15.2.1 गृह मंत्रालय का सतर्कता तंत्र संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अधीन कार्य करता है जो मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। इनके कार्यों में सहायता करने के लिए एक निदेशक और एक अवर सचिव हैं। सतर्कता अनुभाग गृह मंत्रालय के सभी अनुशासनिक मामलों तथा वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों से संबंधित सभी मामलों को देखता है और मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

15.2.2 निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किएः–

क) मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता से संबंधित विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संपर्क बनाए रखा।

ख) मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग, विदेशी प्रभाग और पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग का प्रापण विंग जैसे कुछ प्रभाग ऐसे हैं जिनका जनता के साथ काफी अधिक संबंध होता है, अतः इन प्रभागों पर गहन नजर रखी गई।

ग) संवेदनशील अनुभागों/प्रभागों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक विशेष सुरक्षा प्रश्नावली भरनी होती है और उनके मामले में आसूचना एजेंसियों द्वारा सकारात्मक पुनरीक्षण कराया जाता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी हथियार के रूप में कार्य करता है कि मंत्रालय में संवेदनशील स्थानों पर केवल वे व्यक्ति ही तैनात हों जिनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो।

घ) जिन प्रभागों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि ऐसे प्रभागों में कार्य करने वाले कार्मिकों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ङ) मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान की प्रगति और लंबित अनुशासनिक/सतर्कता मामलों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

च) निहित स्वार्थों को विकसित होने से रोकने के लिए, मंत्रालय में स्टाफ की विभिन्न प्रभागों के बीच अदला–बदली की जाती है। स्टाफ की अदला–बदली को सुगम बनाने के लिए पदों को संवेदनशील और गैर–संवेदनशील श्रेणियों में विभक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

छ) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाती है और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।

15.2.3 दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया। गृह सचिव ने दिनांक 28.10.2013 को गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। "उत्तम शासन का संवर्धन–सतर्कता का सकारात्मक योगदान" विषय पर दिनांक 30.10.2013 को एक वाद–विवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह गृह मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी मनाया गया।

15.2.4 मंत्रालय अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित पड़े मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित मामलों पर नजर रखता है, ताकि ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी की जाती है और वे समुचित अंतरालों पर संबंधित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठकें भी करते हैं।

15.2.5 वर्ष 2013–2014 के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निपटाए गए सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित ब्यौरे **अनुलग्नक**–XV में दिए गए हैं

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

15.3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना के अधिकार से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए मंत्रालय में एक सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुभाग स्थापित किया गया है। आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस मंत्रालय के दो भवनों अर्थात् नार्थ ब्लॉक और एनडीसीसी–।। भवन के स्वागत काउंटर पर आवेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह प्राप्त आवेदनों को इसके बाद आर टी आई अनुभाग द्वारा संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी पी आई ओ) को भेज दिया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 9,602 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। आरटीआई अनुभाग आवेदकों और केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त अपीलों को समन्वित भी करता है। यह अनुभाग केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान से संबंधित तिमाही विवरणियां भेजने के लिए भी उत्तदायी है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाइयां भी की गई हैं:–

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिकारियों आदि के साथ–साथ मंत्रालय के कार्यों के ब्यौरे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आर टी आई पोर्टल पर डाले गए हैं।

(ख) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत सभी उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

(ग) अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार सभी संयुक्त सचिवों को उनके अधीन कार्यरत एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित सभी उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

(घ) वर्ष 2010–11 से गृह मंत्रालय और इसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन अपनी–अपनी विवरणी केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से अपलोड कर रहे हैं।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

15.4.1 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) नोडल एजेंसी

है। इस समय मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 51 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

15.4.2 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश–नियंत्रण का विनियमन भी सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा स्वागत संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वागत संगठन में 137 कार्मिक हैं जो 37 सरकारी भवनों में स्थित 53 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जहां आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकार्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

15.4.3 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है। इस समय, सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के साथ–साथ एसएसएफ के सुरक्षा कर्मियों का उपयोग किया जाता है। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर इन भवनों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के कर्मियों की तैनाती की जाती है। सीआईएसएफ में "सरकारी भवनों की सुरक्षा" (जी बी एस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन विशेष रूप से, सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु बनायी गई है। सीआईएसएफ की जी बी एस यूनिट 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं:–

(क) **प्रवेश नियंत्रण**–यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए, केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्रधारी वास्तविक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पासधारी आगन्तुकों को उनके बैगों/ ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच/जामा तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) **आतंकवाद-रोधी उपाय**– भवनों में आतंकवाद–रोधी उपायों के लिए मुख्य रूप से बल उत्तरदायी हैं।

(ग) **बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण**– इन भवनों में किसी भी बलात् प्रवेश/ सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) **अनधिकार प्रवेश**– भवन में किसी भी प्रकार के अनधिकार प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ड.) **निकास नियंत्रण**– भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना ।

15.4.4 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1,032 कार्मिकों वाला असैनिक निशस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एसएसएफ, इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले 'सी' (असंवेदनशील) श्रेणी के भवनों की सुरक्षा की देखभाल कर रहा है।

राजभाषा

15.5.1 राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1987 में यथासंशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथासंशोधित) और समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग सहायता प्रदान करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

15.5.2 मंत्रालय के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रभाग स्तर पर 20 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और प्रत्येक समिति के

अध्यक्ष संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं। अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी और इससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी संबंधित समिति के सदस्य हैं। संबंधित प्रभागों के अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

15.5.3 राजभाषा अधिनियम,1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में आम जनता के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

15.5.4 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, दिल्ली से बाहर स्थित मंत्रालय के 33 कार्यालयों में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों द्वारा मंत्रालय के 31 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति ने भी वर्ष के दौरान मंत्रालय के 20 कार्यालयों का निरीक्षण किया।

हिन्दी दिवस/हिन्दी माह

15.5.5 मंत्रालय में दिनांक 16.09.2013 से 15.10.2013 तक हिन्दी माह का आयोजन किया गया। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी के प्रख्यात विद्वान के शिक्षाप्रद व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बड़ी संख्या में मंत्रालय के हिन्दी भाषी एवं गैर–हिन्दी भाषी कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 10 हिन्दी प्रतियोगिताओं के 128 विजेताओं को मौद्रिक पुरस्कार दिए गए।

हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

15.5.6 कुल 74 अवर श्रेणी लिपिकों में से, इस समय 70 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। 203 आशुलिपिकों में से, 37 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिन्दी कार्यशाला

15.5.7 कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिन्दी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 12.06.2013 और 17.09.2013 को दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 42 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

15.5.8 गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहलकार समिति का तीन वर्षीय कार्यकाल दिनांक 20.10.2013 को समाप्त हो गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार इस समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया दिनांक 21.10.2013 से शुरु कर दी गई है।

लोक शिकायतों का निवारण

15.6.1 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान 8,247 लोक शिकायतें आनलाइन प्राप्त हुईं और लगभग 2,536 सीधे ही प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

15.6.2 संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) को निदेशक, लोक शिकायत के रूप में नामित किया गया है। निदेशक, लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या

इत्यादि स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

15.6.3 प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

संसदीय कार्य

15.7.1 गृह मंत्रालय ऐसे व्यापक विषयों को निपटाता है, जिनकी प्रकृति जटिल और संवेदनशील होती है और जिन पर सतत् संसदीय ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है। यह संसद में किए जाने वाले गृह मंत्रालय के विधायी और गैर विधायी कार्य से परिलक्षित होता है। मंत्रालय ने विभिन्न संसदीय समितियों, यथा गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति आदि की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई भी की है और उनका समेकित उत्तर भी भेजा है।

15.7.2 गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विधायी मामलों और साथ ही आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित की गईं।

15.7.3 वर्ष 2013–14 के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं:

(i) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदम (दिनांक 02.07.2013); और

(ii) नक्सलवाद की समस्या की स्थिति (दिनांक 18.10.2013)

विभागीय लेखा संगठन

लेखा–परीक्षा आपत्तियां/पैरा

15.8.1 आन्तरिक वित्त प्रभाग के भाग के रूप में कार्यरत गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन (डी ए ओ) गृह मंत्रालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों के भुगतान, लेखांकन एवं आन्तरिक लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभागीय लेखा संगठन मंत्रालय से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणियां प्रकाशित करता है और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करता है। विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक होता है, जो मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (अर्थात गृह सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आन्तरिक वित्त प्रभाग के एक अभिन्न अंग के रूप में, मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की सक्षम प्रणाली को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। विभागीय लेखा संगठन अपने भुगतान एवं लेखा कार्यों को संचालित करने के लिए "कम्पैक्ट" नामक व्यय लेखा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करता है। कम्पैक्ट के आँकड़ों को "ई–लेखा" नामक वेब–आधारित एप्लीकेशन पर डाला जाता है, जिसमें सही समय पर रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है, जो मंत्रालय के लिए व्यय सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन बजट को तैयार करने, बजट को निष्पादित करने तथा बजट की रिपोर्टिंग करने में आन्तरिक वित्त प्रभाग की भी सहायता करता है।

15.8.2 लेखा महानियंत्रक के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा की है। संशोधित आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली, 2009 में भी मंत्रालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जोखिम आधारित एवं निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा–परीक्षा कार्य को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार इस समिति के उपाध्यक्ष हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक (जो मुख्य लेखा परीक्षा कार्यपालक भी हैं) इसके सदस्य सचिव हैं। एक आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर भी अनुमोदित करके जारी कर दिया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध पुलिस बल के आधुनिकीकरण की समवर्ती लेखा परीक्षा और विभिन्न राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की उत्तरवर्ती लेखा परीक्षा करता है। साथ ही,

इसे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के संवितरण की लेखा परीक्षाएं करने का कार्य भी सौंपा गया है। लेखा परीक्षा स्कंध ने योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कतिपय नमूना राज्यों में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की लेखापरीक्षा की और इसके निष्कर्ष लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किए गए। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) और अर्ध–सैनिक बलों की विभिन्न अन्य व्यय इकाइयों की भी लेखापरीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के संबंध में गैर–सरकारी संगठनों की भी लेखा परीक्षाएं कीं।

15.8.2.1 संदर्भाधीन अवधि के दौरान, पाटुली, कोलकाता में एसएसबी के लिए हास्टल सहित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण, जोधपुर में आसूचना ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण और द्वारका में राष्ट्रीय आसूचना अकादमी एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए एनबीसीसी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा की गई।

गृह मंत्रालय के संबंधित प्रभागों को लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई कमियों के बारे में अवगत कराया गया और उनसे अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने एफसीआरए के तहत आने वाले संगठनों का निरीक्षण/लेखापरीक्षा भी की।

गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई कमियों का उल्लेख करते हुए निरीक्षण रिपोर्टें एफसीआरए को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई हैं और उनसे आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने और लेखापरीक्षा स्कंध को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

15.8.3 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बगैर), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। आन्तरिक लेखा–परीक्षा के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के कार्यों एवं वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखा परीक्षा भी की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

15.8.4 प्रारंभ में व्यय की लेखा–परीक्षा करने के पश्चात लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो समय पर इन टिप्पणियों को निपटाने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक, संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैरा तैयार करते हैं जिन पर मंत्रालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणियां तैयार करनी होती हैं। लेखापरीक्षा पैरा का तत्परता से समाधान करने हेतु, लेखापरीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैरा की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखापरीक्षा पैरा की प्राप्ति और निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 45 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। दिनांक 01.01. 2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, 41 नए पैरे प्राप्त हुए थे, जिससे इनकी कुल संख्या 86 हो गई। इनमें से, इस अवधि के दौरान 23 पैराओं का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.03. 2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे 63 पैरे शेष हैं।

15.8.5 दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार. गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में 1,439 निरीक्षण रिपोर्टें बकाया थीं। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान, 114 नई निरीक्षण रिपोर्टें (आई आर) प्राप्त हुईं और 56 निरीक्षण रिपोर्टों का निपटान किया गया तथा शेष 1,497 निरीक्षण रिपोर्टें मंत्रालय में लंबित थीं। प्रत्येक संगठन की स्थिति **अनुलग्नक**-XVI में दी गई है। इन नोटों/पैराओं के निपटान की प्रगति की निगरानी करने के लिए, मंत्रालय द्वारा तदर्थ समितियों का गठन किया गया है।

15.8.6 गृह मंत्रालय से संबंधित वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा प्रेषित और सी एंड ए जी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार प्राप्त हो चुका है। दिनांक 31.03.2014 तक की अपेक्षित सूचना **अनुलग्नक** XVII, XVIII और XIX के रुप में संलग्न है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण

15.9.1 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करने के लिए दिनांक 28.09.2012 को शिकायत समिति का पुर्नगठन किया गया है और समिति के सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर छः कर दी गई है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और पांच महिला सदस्य हैं तथा स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

15.9.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, निदेशक स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को लाभ

15.9.3 सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में 3% आरक्षण (नेत्रहीनता अथवा कमजोर नजर, बहरेपन, चलने–फिरने (लोकोमीटर) की अपंगता और प्रमस्तिष्कीय घात प्रत्येक के लिए 1%) निर्धारित किया है।

15.9.4 गृह मंत्रालय में 14 नेत्रहीन, 01 बधिर और 10 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

15.9.5 काम के स्वरूप के आधार पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 'वर्दीधारी कार्मिकों' की सभी श्रेणियों के पदों को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्राप्त है।

लिंग सापेक्ष बजट प्रावधान

15.9.6 गृह मंत्रालय में महिलाओं के लाभ के लिए की गई पहलों के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ)

15.9.7 सी आई एस एफ ने योजनागत स्कीम के अन्तर्गत निधियों का उपयोग करते हुए अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में, जहां बल को तैनात किया गया है, सी आई एस एफ की यूनिटों में भी परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

15.9.8 सी आई एस एफ की लगभग सभी संस्थापनाओं में, ऐसे परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। सी आई एस एफ की चौथी रिजर्व बटालियन शिवगंगई (तमिलनाडु) में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य दिनांक 30.09.2013 को पूरा हो गया है। सी आई एस एफ की दूसरी रिजर्व बटालियन, रांची में, परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य वर्ष 2013–14 में शुरु हो गया है और वर्ष 2014–15 के दौरान पूरा हो जाएगा।

15.9.9 ये परिवार कल्याण केन्द्र अनन्य रूप से महिलाओं के लिए हैं ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्रियों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए नए कौशल सीख सकें।

15.9.9.1 विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप ग	कुल
38	764	5,094	5,896

15.9.9.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में अनन्य रुप से महिलाओं के लाभ के लिए योजनाएं और वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

			(करोड़ रुपए में)
योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान		
2013–14	संशोधित अनुमान		
2013–14	बजट अनुमान		
2014–15			
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.45	00.41	00.65

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ)

15.9.10 सी आर पी एफ में, सरकार ने प्रारंभ में वर्ष 1985 में एक महिला बटालियन गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया था। अल्प समयावधि के अन्दर, दो अन्य महिला बटालियनों का गठन किया गया था और इस समय सी आर पी एफ में तीन महिला बटालियनें कार्यरत हैं।

15.9.11 सीआरपीएफ ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण की पहल की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए किया जाता है ताकि वे नए कौशल सीख सकें और सिलाई, हस्तशिल्प तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन इत्यादि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकें।

15.9.12 सी आर पी एफ में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैः–

i) महिला हॉस्टल।

ii). मनोरंजन/कर्मचारी कक्ष में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।

iii) महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।

iv) महिला कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी एवं डी वी डी आदि का प्रावधान।

v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi) अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

15.9.13 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, को शीघ्रता से निपटाने के लिए सी आर पी एफ ने सेक्टर स्तर पर एक चार सदस्यीय शिकायत समिति का गठन किया है।

15.9.14 सी आर पी एफ में महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चल प्रसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तैनाती के दौरान महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श के द्वारा महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.9.15 सी आर पी एफ में तीन विशिष्ट महिला बटालियनें शामिल हैं– जिसमें से एक–एक बटालियन दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात) और नागपुर (महाराष्ट्र) में है। प्रशिक्षित बटालियनों की महिला कार्मिकों को विभिन्न कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर ग्रुप सेंटरों तथा आर ए एफ में तैनात महिला कर्मचारी पूरे देश में कानून और व्यवस्था तथा पुलिस संबंधी अन्य ड्यूटियां कर रही हैं। एक और महिला बटालियन स्थापित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2014–15 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है। वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान गठित किए जाने हेतु स्वीकृत की गई 2 सामान्य ड्यूटी बटालियनों को अटैच्ड पैटर्न पर महिला बटालियन में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 11.03.2014 को सैद्धान्तिक रूप में मंजूरी दे दी गई है।

15.9.16 विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

ग्रुप 'ए'	ग्रुप 'बी'	ग्रुप 'सी'	कुल
277	720	4,931	5,928

15.9.17 125 महिला फॉर्म्ड पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली भारतीय महिला फॉर्म्ड पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू) दिनांक 30.01.2007 को मोनरोविया, लाइबेरिया पहुंची और दिनांक 02.02.2007 से 05.02.2007 तक तैनाती पूर्व प्रशिक्षण के पश्चात इस टुकड़ी ने दिनांक 08.02.2007 को यूनिटी

कान्फ्रेंस सेंटर पर अपनी पहली तैनाती प्रारंभ की। एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है और बाद के बैचों को वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 में तैनात किया गया है। वर्तमान बैच, अर्थात 125 अधिकारियों/महिलाओं की एफएफपीयू की 8वीं टुकड़ी को फरवरी, 2014 से लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएल) के अधीन मोनरोविया, लाइबेरिया में तैनात किया गया है।

15.9.17.1 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्कीम	आबंटन	
		2012–13	2013–14
1.	डे केयर सेन्टर	8.00	8.50
2.	महिला के प्रति सुग्राहीकरण	3.00	2.00
3.	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	8.00	10.00
4.	तात्कालिक सेवा	10.00	11.00
5.	पोषाहार देखभाल केन्द्र	8.00	10.00
6.	महिला हॉस्टल/पारिवारिक आवास	40.00	100.00
	कुल	**77.00**	**141.50**

15.9.17.2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के संबंध में अनन्य रुप से महिलाओं के लाभ के लिए योजनाएं और वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

(करोड़ रुपए में)

योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान 2013–14	संशोधित अनुमान 2013–14	बजट अनुमान 2014–15
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.50	00.45	00.50

सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)

15.9.18.1 सशस्त्र सीमा बल में महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं चल रही हैंः–

(i) सीमा चौकी में तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसाधन, बाथरुम, कुकहाउस एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।

(ii) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया सहित क्रेच सुविधाएं।

(iii) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।

(iv) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं यथा – म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन और डी वी डी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।

(v) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय / फ्रंटियर मुख्यालय स्तर एक पर एक समिति है।

(vi) जहां तक सम्भव हो, सभी महिला कर्मचारियों को उनके मूल स्थान के निकटवर्ती यूनिटों/फ्रंटियर में तैनात किया जाता है और यदि पत्नी और पति दोनों ही एसएसबी के कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाएगा।

15.9.18.2 विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
34	64	1,068	1,166

15.9.18.3 एस एस बी के संबंध में केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें और वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान उनके लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

(करोड़ रुपए में)

स्कीमों के ब्यौरे	बजट अनुमान 2013–14	संशोधित अनुमान 2013–14	बजट अनुमान
2014–15			
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.42	00.15	00.42

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

15.9.19 महिलाओं को अनन्य रूप से लाभ पहुंचाने वाली निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं सीमा सुरक्षा बल द्वारा पूरी कर दी गई हैं:–

(i) साउथ बंगाल फ्रंटियर की 10 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास।

(ii) नार्थ बंगाल फ्रंटियर की 09 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास।

(iii) एसटीसी बी एस एफ नार्थ बंगाल में प्रसाधन सहित महिला आवास।

15.9.19.1 विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
90	311	2,239	2,640

5.9.19.2 सीमा सुरक्षा बल के संबंध में अनन्य रुप से महिलाओं के लाभ के लिए योजनाएं और वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान
2014–15			
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.10	00.09	00.30

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)

15.9.20 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोशिएशन (एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए) नामक एक पंजीकृत कल्याण सोसाइटी चला रही है। यह एसोशिएशन भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में कार्य करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके उप कार्यालय बटालियनों और अलग–अलग प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थित हैं जहां भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों के परिवारों की सक्रिय भागीदारी से बहु–आयामी कल्याण गतिविधियां की जा रही हैं। इन केन्द्रों में, इन परिवारों द्वारा ऊनी वस्त्रों की बुनाई, होजरी की मदें, जैम/जूस बनाने और आईटीबीपी के जवानों की वर्दी तैयार करने के कार्य किए जाते हैं। इन गतिविधियों से न केवल आईटीबीपी के कर्मियों के परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है, बल्कि बल के सभी स्तरों के सदस्यों और उनके परिवारों के बीच साहचर्य का भी विकास होता है। हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर ऐसोशिएशन की आय का स्रोत स्वैच्छिक दान, अनुदान एवं संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए अंशदान, एसोशिएशन द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों (मेला) में बिक्री से हुई आय, बिक्री केन्द्र आदि हैं। एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए की समस्त आय का उपयोग केवल परिवारों के कल्याण और आईटीबीपीएफ के कर्मियों के बच्चों की उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है।

15.9.21 अनन्य रूप से आईटीबीपी की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

(i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर्स, 11 सेक्टर मुख्यालयों (एस एच क्यू), 52 यूनिट बटालियन मुख्यालयों (बी एच क्यू), 03 रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्रों (आर टी सी), 04 प्रशिक्षण केन्द्रों और लाजिस्टिक एवं संचार (एल एण्ड सी) एस एच क्यू की 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित पृथक महिला बैरक आबंटित किए गए हैं।

(ii) पुस्तकालय और सामूहिक कर्मचारी कक्ष में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित पत्रिकाएं तथा जर्नल खरीदे जा रहे हैं यथा मुक्ता, सरस सलिल, गुड हाउस कीपिंग, फेमिना, हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशन, बेटर होम, एली, वूमेन एरा आदि।

(iii) महिलाओं को उदर व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(iv) महिला बैरक और डाइनिंग हाल में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान किया गया है।

(v) निम्नलिखित स्थानों पर सात क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:–

(क) सेक्टर मुख्यालय (देहरादून), सेमाद्वार, जिला देहरादून (उत्तराखंड)

(ख) आई टी बी पी अकादमी, पी.ओ. मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखंड)

(ग) एम एण्ड एस आई औली, जोशी मठ, जिला चमोली (उत्तराखंड)

(घ) टी पी टी बटालियन, पी.ओ. एयरपोर्ट, चंडीगढ़

(ङ) 11वीं बटालियन, पी.ओ. पीगांग, सिक्किम

(च) 12वीं बटालियन, पी.ओ. मातली, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

(छ) 37वीं बटालियन पी.ओ. चुगलमसर, जिला लेह (लद्दाख)

(vi) महिलाओं को कढ़ाई और सिलाई की मशीनें उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि वे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें।

15.9.22 महिलाओं के पृथक विश्राम कक्ष और चल प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एकं समिति गठित की गई है।

15.9.23 प्रत्येक ग्रुप में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

ग्रुप-ए	ग्रुप-बी	ग्रुप-सी	कुल
67	222	820	1091

15.9.24 इस समय 08 महिला आई टी बी पी कार्मिक कांगो/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

15.9.25 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान प्रत्येक योजना के लिए किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:–

(करोड़ रूपए में)

योजनाओं के ब्यौरे	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
कोड शीर्ष 50–अन्य प्रभार (योजनेतर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.10	00.09	00.10

वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आईटीबीपी ने 16.00 लाख रुपए का प्रस्ताव किया है, जिसमें क्रेच सुविधाएं, डे–केयर सेंटर आदि खोलना और अनन्य रुप से महिलाओं के लिए बुनियादी अवसंरचना शामिल है।

◆◆◆

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

(संदर्भः पैरा 1.4)

वर्ष 2013–14 के दौरान (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री सुशीलकुमार शिंदे (31.07.2012 से)	गृह मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन श्री आर. पी. एन. सिंह (29.10.2012 से)	गृह राज्य मंत्री
श्री आर.के. सिंह (30.06.2013 तक) श्री अनिल गोस्वामी (30.06.2013 से)	गृह सचिव
श्री ए.के. मंगोत्रा (17.06.2013 तक)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्रीमती गौरी कुमार (01.07.2013 से 09.10.2013 तक)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्रीमती स्नेह लता कुमार (08.11.2013 से)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री एस. जयरमन (30.09.2013 तक)	सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री एस.सी. पांडा (22.12.2011 से)	अपर सचिव
श्री राजीव शर्मा (25.01.2013 से)	
श्री खुर्शीद अहमद गनई (31.12.2013 तक)	
श्री के. स्कन्दन (02.01.2014 तक)	
श्री भगवान शंकर	संयुक्त सचिव
श्री जी.वी. वेणुगोपाल शर्मा	
श्री इकबाल सिंह चहल	
श्री के.के. पाठक	
श्री संजय कुमार मिश्र (11.10.2013 से)	
श्री एम. गोपाल रेड्डी	
श्री एम.ए. गणपति	
डा. निर्मलजीत सिंह कलसी	
श्री आर.के. श्रीवास्तव	
श्री राकेश सिंह	
श्रीमती रश्मि गोयल	

श्री सतपाल चौहान	
श्री शंभु सिंह	
श्री एस. सुरेश कुमार	
श्री वी. वुमलुनुमां	
सुश्री वीना कुमारी मीना	
श्री कुमार आलोक (20.01.2014 से)	
श्री लोकेश दत्त झा	
श्री दीपक कुमार (21.08.2013 तक)	
डॉ. ए.के. सक्सेना	संयुक्त सचिव (इन–सीटू)
श्रीमती बीना प्रसाद	
डॉ. आर.के. मित्रा	
श्री जे.पी. अग्रवाल	
श्री भूपाल नंदा	मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक–II (संदर्भ: पैरा 1.4)

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

- **सुशीलकुमार शिंदे, गृह मंत्री**
  - आर.पी.एन. सिंह, गृह राज्य मंत्री (एस)
  - मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, गृह राज्य मंत्री (आर)
  - **अनिल गोस्वामी, गृह सचिव**
    - पद रिक्त*, अपर सचिव (विदेशी विषयक)
      - आई.एस. चहल, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र)
      - वी. वुमलुनुमां, संयुक्त सचिव (विदेशी विषयक)
      - वीना कुमारी मीना, संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण)
      - डॉ. ए.के. सक्सेना, संयुक्त सचिव (इन-सीटू) (दिल्ली)
    - पद रिक्त**, अपर सचिव (केन्द्र राज्य)
      - आर.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (कश्मीर)
      - सी. चन्द्रमौलि, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत
      - रश्मि गोयल, संयुक्त सचिव (मानवाधिकार)
      - एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (केन्द्र राज्य)
      - डॉ. आर.के. मित्रा, संयुक्त सचिव (इन-सीटू) (राष्ट्रीय एकता)
    - स्नेह लता कुमार, सचिव (सीमा प्रबंधन)
      - संजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन)
      - कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत)
      - जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन)
      - सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन) और मुख्य सतर्कता अधिकारी
      - जे.पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (इन-सीटू) (न्यायिक)
    - पद रिक्त**, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
      - एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)
      - डॉ. एन.एस. कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-II)
      - भगवान शंकर, संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-II)
      - राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I)
      - शम्भु सिंह, संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर)
      - श्रीमती बीना प्रसाद, संयुक्त सचिव (इन-सीटू) (आंतरिक सुरक्षा-II)
    - एस.सी.पांडा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह)
      - भूपाल नंदा, मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह)
    - राजीव शर्मा, अपर सचिव (नक्सल प्रबंधन)
      - के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास)
      - एल.डी. झा, संयुक्त सचिव (नीति आयोजना)
      - एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल प्रबंधन)

*यह पद इस समय रिक्त है। यह कार्य सचिव (सीमा प्रबंधन) द्वारा किया जा रहा है।

**यह पद इस समय रिक्त है। यह कार्य अपर सचिव (नक्सल प्रबंधन) द्वारा किया जा रहा है।

अनुलग्नक-III

{संदर्भः पैरा 2.3.3}

गत सात वर्षों के दौरान हिंसा के राज्यवार ब्यौरे

(दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

अरुणाचल प्रदेश						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	35	17	25	11	05	12
2008	28	12	06	08	—	03
2009	53	32	19	57	—	03
2010	32	53	11	52	—	02
2011	53	51	21	23	—	06
2012	54	66	14	17	—	05
2013	21	49	07	02	01	02
2014 (31.03.2014 तक)	09	14	05	—	—	02
असम						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	474	408	122	229	27	287
2008	387	403	110	724	18	245
2009	424	359	194	616	22	152
2010	251	370	109	547	12	53
2011	145	378	46	789	14	18
2012	169	412	59	757	05	27
2013	211	348	52	92	05	35
2014 (31.03.2014 तक)	65	56	20	34	01	22
मणिपुर						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	584	1217	219	07	39	130
2008	740	1711	364	37	16	137

2009	659	1532	336	28	19	81
2010	367	1458	108	60	06	33
2011	298	1365	28	284	10	26
2012	518	1286	65	350	08	21
2013	225	918	25	513	05	28
2014 (31.03.2014 तक)	76	241	04	23	03	02

मेघालय

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	28	31	14	40	01	09
2008	16	67	07	14	02	01
2009	12	41	06	20	–	03
2010	29	78	14	27	–	04
2011	56	57	11	39	08	12
2012	127	92	16	20	01	36
2013	123	75	21	10	07	30
2014 (31.03.2014 तक)	32	46	06	03	––	10

मिजोरम

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	02	02	06	13	–	02
2008	01	13	–	–	04	–
2009	01	–	–	–	–	01
2010	–	–	–	–	–	–
2011	01	04	–	02	–	–
2012	–	02	–	–	–	–
2013	01	03	–	–	–	–
2014 (31.03.2014 तक)	––	––	––	––	––	––

नागालैंड

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	272	98	109	04	01	44
2008	321	316	140	04	03	70

2009	129	185	15	06	–	16
2010	64	247	05	12	–	–
2011	61	267	08	–	–	07
2012	151	275	66	04	–	08
2013	145	309	33	01	–	11
2014 (31.03.2014 तक)	17	63	03	–	–	–
त्रिपुरा						
वर्ष	**घटनाएं**	**गिरफ्तार किए गए उग्रवादी**	**मारे गए उग्रवादी**	**आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी**	**मारे गए सुरक्षा बल कर्मी**	**मारे गए सिविलियन**
2007	94	64	19	220	06	14
2008	68	44	13	325	03	10
2009	19	14	01	293	01	08
2010	30	07	–	148	02	02
2011	13	19	–	25	–	01
2012	06	12	02	13	–	–
2013	06	10	–	22	–	01
2014 (31.03.2014 तक)	01	01	––	11	––	––

अनुलग्नक-IV

(संदर्भः पैरा 2.3.33)

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी/विद्रोही ग्रुप	
असम	
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)
मणिपुर	
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पी आर ई पी ए के)
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी)
(v)	कांगलेई याओल कांबा लुप (के वाई के एल)
(vi)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
(vii)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ) और
(viii)	कोआर्डिनेशन कमेटी कोर–कम (घाटी में स्थापित 6 यूजी दलों का समूह)
मेघालय	
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (एच एन एल सी) ऑफ मेघालय
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)
त्रिपुरा	
(i)	आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ)
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)
नागालैंड	
(i)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (इजाक मुइवाह) – [एन एस सी एन (आई/एम)]
(ii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एन एस सी एन (के)]
टिप्पणीः 1	नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के दो गुटों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित सभी आतंकवादी गुटों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत 'विधिविरुद्ध संघ' के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त असम, मणिपुर और त्रिपुरा (एन एस सी एन के दो गुटों को छोड़कर) के संबंध में ऊपर उल्लिखित गुटों को भी उक्त अधिनियम की अनुसूची में "आतंकवादी संगठन" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
टिप्पणीः 2	इसके अतिरिक्त, नागा नेशनल काउन्सिल (एन एन सी) आदि जैसे अन्य उग्रवादी समूह भी पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय है।
टिप्पणीः 3	मेघालय में जीएनएलए को केवल आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है।

अनुलग्नक–V

{संदर्भः पैरा 2.3.39}

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2004–05 से 2013–14 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के ब्यौरे							
जारी निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरूणाचल प्रदेश	कुल
2004—05	75.40	26.49	9.44	36.17	1.56	1.35	150.41
2005—06	63.91	24.83	33.65	27.00	13.17	1.35	163.91
2006—07	90.86	25.55	13.60	18.24	3.91	1.28	153.44
2007—08	75.61	21.97	14.45	16.47	5.88	3.02	137.40
2008—09	108.60	33.13	21.58	45.04	6.24	5.45	220.04
2009—10	60.56	41.23	27.26	11.851.93	7.17	150.00	
2010—11	92.04	79.81	27.28	21.12	3.16	16.57	239.98
2011—12	153.04	83.11	28.88	39.25	27.82	17.90	350.00
2012—13	108.96	69.36	20.62	11.32	—	50.74	261.00
2013—14	159.18	42.50	25.01	42.18	16.60	4.53	290.00

अनुलग्नक–VI
{संदर्भः पैरा 2.3.40}

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

राज्य	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
अरुणाचल प्रदेश	9.13	7.00	11.53	11.71	14.72	11.50	10152	0.2274	178.00	8.49
असम	41.37	56.68	52.18	88.12	68.12	60.79	48.11	0.3790	1193.00	57.05
मणिपुर	15.24	16.97	14.09	32.06	39.24	27.44	26.48	22.659	432.00	20.64
मेघालय	7.58	6.57	8.59	15.41	10.82	9.73	8.33	0.0758	170.00	8.12
मिजोरम	7.45	6.00	10.48	10.98	12.69	11.48	1940	10.9392	216.00	11.94
नागालैंड	13.09	17.52	22.68	30.72	38.43	31.50	33.61	0.1516	486.00	29.02
सिक्किम	5.90	2.43	3.46	4.42	6.12	4.72	2.09	0.0758	90.00	4.79
त्रिपुरा	11.17	11.83	11.34	8.85	20.66	22.92	23.00	0.0758	355.00	16.95
कुल	110.93	202.27.00	134.35	202.27	210.80	180.08	171.54	34.5836	3120.00	157.00

अनुलग्नक–VII

{संदर्भ : पैरा 2.3.41}

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का विवरण

संगठन का नाम	**के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियां (लाख रू. में)**							
	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
बीएसएफ	91.00	215.00	200.00	330.00	345.80	200.00	230.00	262.50
सीआरपीएफ	74.15	120.00	200.00	249.43	216.00	51.00	150.00	–
आईटीबीपी	80.64	70.00	130.00	175.00	0.00	85.00	100.00	68.00
एसएसबी	61.63	105.00	170.00	235.00	218.16	165.00	150.00	17.76
असम राइफल्स	290.00	190.00	200.00	330.00	405.45	300.00	200.00	350.00
सेना	102.58	शून्य	100.00	0.00	105.00	100.00	120.00	150.00
कुल	**700.00**	**700.00**	**1000.00**	**1319.43**	**1290.41**	**901.00**	**950.00**	**848.26**

अनुलग्नक–VIII

(संदर्भः पैरा 7.1.2)

क्रम सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (2011 की जनगणना)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2	चंडीगढ़	114	10,54,686
3	दादरा और नगर हवेली	491	3,42,853
4	दमण और दीव	112	2,43,911
5	लक्षद्वीप	32	64,429
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
7	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	10,960	2,00,82,522

अनुलग्नक–IX

(संदर्भः पैरा 7.1.2)

{करोड़ रूपए में}

संघ क्षेत्र राज्य का नाम	2012 – 13			2013 – 14			2014 – 15
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक आंकड़े**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक आंकड़े**	**बजट अनुमान**
पुदुचेरी							
योजना	609.28	568.02	546.59	672.48	642.48	642.48	625.90
गैर–योजना	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली							
योजना	1031.61	831.61	701.57	1075.31	662.52	582.52	325.45
गैर–योजना	1.00	4.50	–	2.00	1.00	00.00	2.50

अनुलग्नक–X

{संदर्भः पैरा 10.19}

वर्ष 2013–14 के दौरान भूकम्प/चक्रवातीय तूफान/आकस्मिक बाढ़/बाढ़/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के कारण हुई क्षति के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(अनंतिम)

दिनांक 28.02.2014 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए लोगों की संख्या	मारे गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	60	2517	59639	13.12
2	अरुणाचल प्रदेश	52	401	2316	2.20
3	असम	——	——	——	0.013
4	बिहार	231	6458	156986	4.00
5	गोवा	——	——	139	0.04
6	गुजरात	186	274	407	——
7	हिमाचल प्रदेश	52	23648	5633	0.53
8	जम्मू और कश्मीर	30	74	72574	——
9	कर्नाटक	86	286	11061	2.27
10	केरल	182	1366	10672	0.11
11	मध्य प्रदेश	390	1166	22816	9.25
12	महाराष्ट्र	365	2164	147369	7.49
13	नागालैंड	——	2680	982	0.081
14	ओडिशा	59	5688	474250	11.00
15	पंजाब	41	954	9774	4.00
16	उत्तर प्रदेश	380	519	54994	7.97
17	उत्तराखंड	3379*	9470	10625	0.363
18	पश्चिम बंगाल	183	45285	169296	1.31
19	पुदुचेरी	01	48	694	0.003
	कुल	**5677***	**1,02,998**	**12,10,227**	**63.74**

* इसमें प्राकृतिक आपदाओं में लापता व्यक्ति शामिल हैं।

अनुलग्नक-XI

{संदर्भः पैरा 10.52}

वर्ष 2010-2015 के दौरान राज्य आपदा राहत निधि
(केन्द्र और राज्यों के अंशदान की राशि शामिल है)

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	508.84	534.28	560.99	589.04	618.49	2811.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.74	38.58	40.51	42.54	44.67	203.04
3.	असम	263.77	276.96	290.81	305.35	320.62	1457.51
4.	बिहार	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25
5.	छत्तीसगढ़	151.32	158.89	166.83	175.17	183.93	36.14
6.	गोवा	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	16.37
7.	गुजरात	502.12	527.23	553.59	581.27	610.33	2774.54
8.	हरियाणा	192.90	202.55	212.68	223.31	234.48	1065.92
9.	हिमाचल प्रदेश	130.76	137.30	144.17	151.38	158.95	722.56
10.	जम्मू और कश्मीर	172.46	181.08	190.13	199.64	209.62	952.93
11.	झारखंड	259.45	272.42	286.04	300.34	315.36	1433.61
12.	कर्नाटक	160.96	169.01	177.46	186.33	195.65	889.41
13.	केरल	131.08	137.63	144.51	151.74	159.33	724.29
14.	मध्य प्रदेश	392.75	412.39	433.01	454.66	477.39	2170.20
15.	महाराष्ट्र	442.69	464.82	488.06	512.46	538.08	2446.11
16.	मणिपुर	7.22	7.58	7.96	8.36	8.78	39.90
17.	मेघालय	14.65	15.38	16.15	16.96	17.81	80.95
18.	मिजोरम	8.55	8.98	9.43	9.90	10.40	47.26
19.	नागालैंड	4.97	5.22	5.48	5.75	6.04	27.46
20.	ओडिशा	391.58	411.16	431.72	453.31	475.98	2163.75
21.	पंजाब	222.92	234.07	245.77	258.06	270.96	1231.78

22.	राजस्थान	600.66	630.69	662.22	695.33	730.10	3319.00
23.	सिक्किम	22.75	23.89	25.08	26.33	27.65	125.70
24.	तमिलनाडु	293.52	308.20	323.61	339.79	356.78	1621.90
25.	त्रिपुरा	19.31	20.28	21.29	22.35	23.47	106.70
26.	उत्तर प्रदेश	385.39	404.66	424.89	446.13	468.44	2129.51
27.	उत्तराखंड	117.66	123.54	129.72	136.22	143.02	650.16
28.	पश्चिम बंगाल	304.83	320.07	336.07	352.87	370.51	1684.35
	कुल	**6,077.30**	**6,381.18**	**6,700.22**	**7,035.23**	**7,387.01**	**33,580.94**

अनुलग्नक-XII

{संदर्भः पैरा 10.55}

वर्ष 2013-2014 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां

दिनांक 20.11.2013 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	441.78	147.26	589.04	220.89	300.00 # (220.89 + 79.11*)	763.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.29	4.25	42.54	19.145	--	140.46
3.	असम	274.82	30.53	305.35	68.77	--	--
4.	बिहार	290.41	96.80	387.21	145.205	145.205	--
5.	छत्तीसगढ़	131.38	43.79	175.17	128.25	--	--
6.	गोवा	2.57	0.86	3.43	3.735	--	--
7.	गुजरात	435.95	145.32	581.27	217.975	17.975	--
8.	हरियाणा	167.48	55.83	223.31	235.46	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	136.24	15.14	151.38	68.12	68.12	95.84
10.	जम्मू और कश्मीर	179.68	19.96	199.64	423.93	--	--
11.	झारखंड	225.26	75.08	300.34	112.63	112.63	--
12.	कर्नाटक	139.75	46.58	186.33	69.875	69.875	245.68
13.	केरल	113.81	37.93	151.74	64.605 @	56.905	61.74
14.	मध्य प्रदेश	341.00	113.66	454.66	170.50	170.50	502.59
15.	महाराष्ट्र	384.35	128.11	512.46	375.20 @	192.175	1269.11
16.	मणिपुर	7.52	0.84	8.36	3.76	3.76	--
17.	मेघालय	15.26	1.70	16.96	14.90	7.63	--
18.	मिजोरम	8.91	0.99	9.90	8.69 @	4.445	--
19.	नागालैंड	5.18	0.57	5.75	2.59	2.59	36.60
20.	ओडिशा	339.98	113.33	453.31	169.99	250.00 (169.99+ 80.01*)	750.00

21.	पंजाब	193.55	64.51	258.06	96.775	96.775	––
22.	राजस्थान	521.50	173.83	695.33	260.75	260.75	––
23.	सिक्किम	23.70	2.63	26.33	11.85	11.85	1.018
24.	तमिलनाडु	254.84	84.95	339.79	248.77	127.42	453.87
25.	त्रिपुरा	20.12	2.23	22.35	19.64 @	10.06	––
26.	उत्तर प्रदेश	334.60	111.53	446.13	167.30	167.30	––
27.	उत्तराखंड	122.59	13.63	136.22	83.64 (22.345 + 61.295)	61.36 (61.295 +0.065 *)	329.50
28.	पश्चिम बंगाल	264.65	88.22	352.87	132.325	132.325	––
	कुल	**5,415.17**	**1,620.06**	**7,035.23**	**3,545.27**	**2,488.81**	**4,649.94**

* वर्ष 2014–15 के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा वर्ष 2013–14 के दौरान अग्रिम रुप से जारी किया गया।

@ पूर्व वर्ष अर्थात् 2011–12, 2012–13 के लिए केन्द्रीय हिस्से की बकाया राशि शामिल है।

टिप्पणीः– वर्ष 2013–2014 के लिए एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त राज्य सरकार द्वारा मार्गनिर्देशों के पैरा 11 में यथा उल्लिखित अपेक्षित पुष्टिकरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की वजह से जारी नहीं की गई है [अर्थात् उपयोगिता प्रमाण पत्र, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि।]

अनुलग्नक-XIII

{संदर्भः पैरा 10.56}

वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए क्षमता निर्माण हेतु अनुदान का राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
3	असम	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
4	बिहार	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
5	छत्तीसगढ़	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
6	गोवा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
7	गुजरात	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
8	हरियाणा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
9	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
10	जम्मू और कश्मीर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
11	झारखंड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
12	कर्नाटक	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
13	केरल	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
14	मध्य प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
15	महाराष्ट्र	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
16	मणिपुर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
17	मेघालय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
18	मिजोरम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00

19	नागालैंड	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
20	ओडिशा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
21	पंजाब	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
22	राजस्थान	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
23	सिक्किम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
24	तमिलनाडु	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
25	त्रिपुरा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
26	उत्तर प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
27	उत्तराखंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
28	पश्चिम बंगाल	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
	कुल	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**525.00**

अनुलग्नक-XIV

{संदर्भः पैरा 14.28}

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर, 2012

भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	**21.6**	**23.1**	**17.4**	**7.0**	**7.6**	**5.6**	**14.5**	**15.5**	**11.8**	**42**	**46**	**28**
बड़े राज्य												
1. आंध्र प्रदेश	17.5	17.9	16.6	7.4	8.4	5.1	10.1	9.5	11.5	41	46	30
2. असम	22.5	23.7	15.6	7.9	8.3	5.6	14.6	15.4	10.0	55	58	33
3. बिहार	27.7	28.4	21.6	6.6	6.7	5.5	21.1	21.6	16.2	43	44	34
4. छत्तीसगढ़	24.5	26.0	18.0	7.9	8.3	5.9	16.6	17.6	12.1	47	48	39
5. दिल्ली	17.3	19.1	17.0	4.2	4.6	4.2	13.1	14.5	12.8	25	36	23
6. गुजरात	21.1	22.5	18.7	6.6	7.3	5.6	14.4	15.3	13.1	38	45	24
7. हरियाणा	21.6	22.6	19.2	6.4	6.9	5.4	15.1	15.7	13.8	42	46	33
8. जम्मू और कश्मीर	17.6	18.8	12.8	5.4	5.7	4.6	12.2	13.2	8.2	39	41	28
9. झारखंड	24.7	26.1	18.7	6.8	7.1	5.1	18.0	19.0	13.6	38	39	27
10. कर्नाटक	18.5	19.4	16.9	7.1	8.1	5.3	11.4	11.3	11.6	32	36	25
11. केरल	14.9	15.1	14.2	6.9	7.0	6.5	8.0	8.1	7.6	12	13	9
12. मध्य प्रदेश	26.6	28.5	19.8	8.1	8.6	6.1	18.6	19.9	13.7	56	60	37
13. महाराष्ट्र	16.6	17.4	15.5	6.3	7.3	5.0	10.3	10.1	10.5	25	30	17
14. ओडिशा	19.9	20.8	14.6	8.5	8.9	6.4	11.4	11.9	8.2	53	55	39
15. पंजाब	15.9	16.5	14.8	6.8	7.5	5.5	9.1	9.0	9.3	28	30	24
16. राजस्थान	25.9	27.0	22.1	6.6	6.9	5.7	19.3	20.2	16.4	49	54	31
17. तमिलनाडु	15.7	15.8	15.6	7.4	8.2	6.4	8.3	7.6	9.1	21	24	18
18. उत्तर प्रदेश	27.4	28.4	23.5	7.7	8.1	6.0	19.7	20.2	17.5	53	56	39
19. पश्चिम बंगाल	16.1	17.8	11.5	6.3	6.3	6.6	9.7	11.6	4.9	32	33	26
छोटे राज्य												

1. अरुणाचल प्रदेश	19.4	21.0	13.9	5.8	6.7	2.7	13.6	14.3	11.3	33	37	13
2. गोवा	13.1	12.5	13.5	6.6	8.1	5.8	6.5	4.4	7.7	10	8	11
3. हिमाचल प्रदेश	16.2	16.7	11.0	6.7	7.0	3.6	9.5	9.7	7.4	36	37	25
4. मणिपुर	14.6	14.4	15.2	4.0	4.0	4.2	10.6	10.4	11.0	10	10	11
5. मेघालय	24.1	26.2	14.4	7.6	8.1	5.4	16.5	18.1	9.0	49	50	40
6. मिजोरम	16.3	20.2	12.2	4.4	5.5	3.1	11.9	14.7	9.1	35	44	19
7. नागालैंड	15.6	15.7	15.1	3.2	3.3	2.8	12.4	12.5	12.3	18	18	18
8. सिक्किम	17.2	17.3	16.7	5.4	5.7	3.3	11.9	11.7	13.4	24	25	16
9. त्रिपुरा	13.9	14.6	10.7	4.8	4.7	5.1	9.2	10.0	5.6	28	29	19
10. उत्तराखंड	18.5	19.1	15.9	6.1	6.5	4.8	12.4	12.7	11.1	34	36	23
संघ राज्यक्षेत्र												
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	15.0	14.9	15.1	4.6	5.2	3.4	10.3	9.7	11.6	24	31	12
2. चंडीगढ़	14.8	20.8	14.2	4.0	3.4	4.0	10.8	17.4	10.2	20	20	20
3. दादरा और नगर हवेली	25.6	25.1	27.9	4.5	4.9	3.0	21.1	20.2	24.9	33	37	20
4. दमन और दीव	18.1	18.4	17.7	4.8	5.0	4.6	13.3	13.5	13.0	22	18	29
5. लक्षद्वीप	14.8	16.1	13.4	6.4	6.1	6.7	8.4	10.1	6.7	24	21	28
6. पुदुचेरी	15.8	16.2	15.7	7.1	8.0	6.7	8.7	8.2	9.0	17	18	16

नोटः छोटे राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए शिशु मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2010–12 पर आधारित है।

अनुलग्नक–XV

(संदर्भः पैरा 15.2.5)

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	160	160	903	982
2.	दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक प्रारंभ किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	133	180	2724	2775
3.	दिनांक 31.03.2014 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	160	192	2937	3106
4.	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2–3)	133	148	690	651
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के संदर्भ में):–				
	(क) बर्खास्तगी	7	7	379	395
	(ख) निष्कासन	1	1	362	380
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	–	–	96	98
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	12	12	99	103
	(ङ.) वेतन वृद्धि रोकना	3	3	454	485
	(च) पदोन्नति रोकना	4	20	09	09
	(छ) वेतन से वसूली के आदेश	–	–	127	128
	(ज) निंदा	10	11	382	389
	(झ) चेतावनी	16	17	277	281
	(ञ) असंतोष	07	07	14	14
	(ट) दोषमुक्ति	14	16	143	178
	(ठ) मामले का स्थानांतरण	7	7	09	09
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	67	73	125	149
	(ढ़) पेंशन में कटौती	04	04	02	02

	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	–	–	17	17
	(त) यूनिट में परिबद्ध	–	–	167	171
	(थ) क्वार्टर गार्ड में परिबद्ध	–	6	199	212
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	8	8	56	57
	(घ) प्रास्थगन	–	–	21	19
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	–	–	11	07
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	––	––	04	04
	कुल (क से प)	**160**	**192**	**2953***	**3107****

* क्रम संख्या 5 में मामलों की संख्या में अंतर एक ही मामले में एक से अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता की वजह से है और अतः जैसाकि सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में दर्शाया गया है, एक व्यक्ति के मामले में दिए गए दण्ड की संख्या एक से अधिक है।

** क्रम संख्या 5 में कार्मिकों की संख्या में अंतर का कारण सीमा सुरक्षा बल में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक दण्ड दिया जाना है।

अनुलग्नक–XVI

(संदर्भः पैरा 15.8.5)

कुल पांच तिमाहियां (01.01.2013 से 31.03.2014)									
क्रम सं.	संगठन का नाम	दिनांक 31.12.2012 की तिमाही के अंत में बकाया आईआर/पैरा		दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान प्राप्त आई आर/पैरा		दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक निपटाए गए आई आर/ पैरा		दिनांक 31.03.2014 को समाप्त तिमाही के अंत में बकाया आई आर/ पैरा	
		आईआर	पैरा	आईआर	पैरा	आईआर	पैरा	आईआर	पैरा
1	गृह मंत्रालय (मुख्य)	6	32	0	0	0	0	6	32
2	राजभाषा विभाग	15	39	0	0	0	1	15	38
3	भारत के महारजिस्ट्रार	63	340	1	8	2	13	62	335
4	सीमा सुरक्षा बल	133	399	59	120	34	69	158	450
5	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल* (सीआरपीएफ)	16	150	0	0	0	14	16	136
6	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)	6	53	0	3	1	5	5	51
7	आसूचना ब्यूरो (आईबी)	30	116	0	0	2	11	28	105
8	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	127	275	11	27	8	28	130	274
9	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए)	3	19	0	0	0	9	3	10
10	असम राइफल्स(एआर)	21	83	3	14	1	4	23	93
11	भारत–तिब्बत सीमा पुलिस(आईटीबीपी)	28	84	6	22	1	20	33	86
12	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)	1	8	0	0	0	0	1	8
13	राष्ट्रीय अपराध और विधि–विज्ञान संस्थान	5	13	1	9	0	10	6	12

14	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	4	23	0	0	0	0	4	23
15	लक्षद्वीप	107	432	5	29	0	0	112	461
16	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	272	1251	24	139	6	60	290	1330
17	दमण और दीव	69	250	0	0	0	0	69	250
18	दादरा और नगर हवेली	44	97	0	0	0	0	44	97
19	चंडीगढ़	489	1158	4	24	1	0	492	1182
	कुल	**1439**	**4822**	**114**	**395**	**56**	**244**	**1497**	**4973**

अनुलग्नक-XVII

(संदर्भः पैरा 15.8.6)

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्रम सं.	वर्ष	उन पैराओं/पीएसी रिपोर्टों की सं. जिनके संबंध में लेखा-परीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद कृत कार्रवाई की टिप्पणियां (एटीएन) पीएसी को प्रस्तुत की गई हैं	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं।		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया किन्तु जिन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और लेखा–परीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएन की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रुप से पुनरीक्षण कर दिया गया है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2013–14	–	1 वर्ष 2011–2012 की रिपोर्ट संख्या 33 का 4.2	2 वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 33 का 4.1 और वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 1 का 4.2.2 (महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालय में लंबित)	–

अनुलग्नक-XVIII

(संदर्भः पैरा 15.8.6)

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार सीएण्डएजी की बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां/पैरा और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट
वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19
केन्द्र सरकार (सिविल)
लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन
• **संघ राज्य क्षेत्र**
• **अण्डमान और निकोबार प्रशासन**
• **अण्डमान लोक निर्माण विभाग**
1. **निरर्थक व्यय** अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरु करने से पूर्व तटीय विनियमन जोन (कोस्टल रेगुलेशन जोन) की अनापत्ति लेने में हुई चूक और अपर्याप्त डिजाइन के परिणामस्वरुप 1.58 करोड़ रुपए का निरर्थक व्यय हुआ और दो समुद्री दीवारों (सी वाल) के निर्माण से 0.31 करोड़ रुपए की अतिरिक्त देयता हो गयी। **वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.1**
2. **नौवहन सेवा निदेशालय** सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं और लागू अधिनियमों तथा राज्य मंत्री (एमओएस), भारत सरकार और नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए, नौवहन सेवा निदेशालय ने दो जलयानों के इंजनों की दोषपूर्ण डिजाइनों का अनुमोदन प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 16.35 करोड़ रुपए का निरर्थक व्यय होने के अतिरिक्त जनसाधारण तीन वर्ष से अधिक समय तक उनकी सेवाओं से वंचित रहा। **वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.2**
3. **3.73 करोड़ रूपए के जुर्माने तथा मरम्मत की लागत और क्षतिपूर्ति की वसूली न किया जाना** नौवहन सेवा निदेशालय की निष्क्रियता के कारण, जलयान को हुई क्षति की मरम्मत की लागत सहित 3.73 करोड़ रुपए के जुर्माने की राशि प्रबंधक एजेन्ट (मैनिंग एजेन्ट) से वसूल नहीं की जा सकी। **वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.3**
4. **जुर्माने की वसूली न किया जाना** नौवहन सेवा निदेशालय द्वारा जुर्माना लगाने में निष्क्रियता के कारण, भारतीय नौवहन निगम से 2.18 करोड़ रुपए वसूल नहीं किए गए और इसके अतिरिक्त जनसाधारण द्वीपसमूहों के बीच उचित संयोजकता से वंचित रहा। **वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.4**

5. प्रबंधक (मैनिंग) एजेन्ट को किया गया अधिक भुगतान

नौवहन सेवा निदेशालय, करारों के अनुसार पूर्ण सक्षमता वाले अधिकारियों और कम योग्यता वाले अधिकारियों के बीच विभेदी वेतन की वसूली करने में असफल रहा, जिसके कारण 78.96 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.5

6. ठेकेदारों को 58.43 लाख रूपए का अनियमित भुगतान

नौवहन सेवा निदेशालय द्वारा ठेकेदारों को उन खाद्य सामग्रियों के लिए 58.43 लाख रुपए का अनियमित रुप से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई, जिनकी वास्तव में आपूर्ति नहीं की गई थी।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.6

लक्षद्वीप प्रशासन

7. लैंडिंग नौकाओं के प्रापण में असफलता के कारण 12.21 करोड़ रूपए फिजूल खर्च हुए

करार की धारा के अनुसार बैंक गारंटियों का यथासमय नवीकरण कराने में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन की असफलता के कारण पूर्तिकर्ता से 12.21 करोड़ रुपए की राशि की वूसली नहीं की जा सकी।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.7

8. राडार ट्रांसपोंडरों का चालू न होना

दूरसंचार विभाग से वायरलेस आपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) लेने में असफलता के कारण रायल्टी/स्पेक्ट्रम प्रभार पर 1.17 करोड़ रु. व्यय होने के बावजूद 1.52 करोड़ रुपए के मूल्य के राडार ट्रासपोंडर चालू नहीं हो पाए।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.8

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ प्रशासन

9. सरकारी धन का दुरूपयोग

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के पंजीकरण और लाइसेंस प्रदाता प्राधिकरण के कैश काउंटरों से प्राप्त राशि को खजाने में विप्रेषित न करने के कारण 25.68 लाख रुपए की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.10

चण्डीगढ़ प्रशासन – पुलिस विभाग

10. पुलिस बलों की तैनाती के प्रभारों की वसूली न किया जाना

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) और किंग्स XI पंजाब के लिए पुलिस बल की व्यवस्था करने में नियमों का पालन न किए जाने के कारण, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चण्डीगढ़ द्वारा 8.92 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की जा सकी।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.11

चण्डीगढ़ भवन और अन्य निर्माण कार्य मजदूर कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़

11. निर्माण कार्य मजदूरों के कल्याण के लिए एकत्र किए गए 28.04 करोड़ रूपए के सेस का उपयोग न होने के कारण लक्ष्यों का प्राप्त न होना

भवन और अन्य निर्माण कार्य मजदूरों के लाभ के लिए कल्याण योजनाएं कार्यान्वित न किए जाने के कारण, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्यों से एकत्र किया गया 28.04 करोड़ रुपए का सेस अप्रयुक्त रहा।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 14.12

12. वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 5 – भारत में आपदा संबंधी तैयारी की जांच

गृह मंत्रालय

भारत में आपदा संबंधी तैयारी की जांच

आपदा से सामान्य जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। इसके कारण आधारभूत अवसंरचनाओं, जनसंख्या और सरकारी सुविधाओं की बड़ी क्षति हो जाती है। देश में आपदाओं की आवृत्तियों में विशेष वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव होने वाली मौतों और नुकसान के रुप में पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त, बढ़ते हुए शहरीकरण और विकास के कारण मानवकृत आपदाओं की सम्भावनाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। आपदा संबंधी महत्वपूर्ण तैयारी करने, विशेष रुप से ऐसे परिदृश्य में आपदा को कम करने और रोकने के प्रयासों की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

इसकी जांच के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि आपदा के लिए तैयारी करने और देश में आपदा के जोखिम को कम करने की आवश्यकता के बारे में जागरुकता बढ़ी है। राष्ट्र–स्तरीय कानून द्वारा बहु–स्तरीय संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है। कार्रवाई संबंधी कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था के प्रबंधों को स्पष्ट रुप से निर्धारित किया गया और विशिष्ट आपदा से निपटने के लिए नोडल एजेन्सियों और विभागों का चयन किया गया। पहले से चेतावनी देने और संचार सिस्टम के संबंध में राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष हैं और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी प्रधान भूमिका है। राष्ट्रीय अधिनियम और नीतियां बनाई गयी हैं। राष्ट्रीय योजना बनाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है। तथापि, अधिनियम लागू होने के 6 वर्षों के बाद भी अब तक आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना को अंतिम रुप नहीं दिया गया। एनडीएमए द्वारा विकसित राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों को नोडल एजेन्सियों तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार और लागू नहीं किया गया। शीर्ष निकाय के रुप में एनडीएमए ने अपने मार्गनिर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय नहीं किया।

एनडीएमए की परियोजना प्रबंधन क्षमता अपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरुप, उसकी न्यूनीकरण और सुभेद्यता की कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई। इसके आन्तरिक सिस्टम को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके कार्य नियमों को अभी अंतिम रुप दिया जाना है और जनशक्ति संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाना है। सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख स्कीमों के साथ आपदा संबंधी तैयारी को मुख्यधारा में लाने के महत्वपूर्ण पहलू को अभी एनडीएमए द्वारा शुरू किया जाना है।

वित्तपोषण प्रबंधों संबंधी कुछ मुद्दों को गृह मंत्रालय द्वारा सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है। राज्य आपदा कार्रवाई निधि से जिलों को निधियां देने में विलम्ब, राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और कार्रवाई से इतर कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि मंजूर करने में विलम्ब चिंता के कुछ कारण रहे हैं। हमारी राय के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम में यथा परिकल्पित राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विशिष्ट आपदा न्यूनीकरण निधियों की स्थापना करना आपदा न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

किसी विशिष्ट आपदा की स्थिति में की गई कार्रवाई, सम्भवतः उक्त आपदा की तैयारी का स्तर जानने की सर्वोत्तम जांच है। हमने आपदा कार्रवाई के प्रयासों की प्रभावकारिता का पता लगाने की जांच की है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की प्रतिक्रिया हमारी जांच का आवश्यक तत्व था। हमने नोट किया कि अब तक यह सुसज्जित, सुप्रशिक्षित विशिष्ट बल के रुप में स्थापित नहीं हुआ है, इसके अतिरिक्त, हमने यह नोट किया कि इस संबंध में कमियों की पहचान नहीं की गई थी और उपयुक्त जनशक्ति की तैनाती करने, उपकरण और प्रशिक्षण देने के रुप में विशेष रुप से कोई सुधार नहीं किए गए थे। फोर्स स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर को अभी अंतिम रुप दिया जाना और राज्यों को भेजा जाना है। गैर–आपदा घटनाओं के लिए इस बल के विपथन की जांच करने की आवश्यकता है। इस बल में पर्याप्त मानवशक्ति नहीं है और कोई एक नियंत्रण श्रृंखला स्थापित नहीं की गई है।

हमने नोट किया है कि आईएमडी, इसरो और अन्य एजेन्सियों ने सुनामी, चक्रवात आदि की पूर्व चेतावनी देने के सिस्टम स्थापित किए हैं। तथापि, हमने पाया कि निगरानी और सभी भागीदारों से समय पर सूचना मिलने की कमी के कारण हितधारियों को आकड़े प्रसारित करने संबंधी अधिकांश परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। बहुत से मामलों में इन परियोजनाओं के लिए खरीदे गए उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं। हमने मानवकृत आपदाओं की तैयारी में भी कमियां पायीं। नोडल मंत्रालयों द्वारा ढांचे तो खड़े कर दिये गए, किन्तु उनके निष्पादनों को बुनियादी स्तर पर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका से अनभिज्ञ है। न्यूक्लीयर और रेडियोलाजिकल आपदाओं, जंगल की आग और रासायनिक आपदाओं का समेकित प्रलेखन करना और रिपोर्ट तैयार करना बहुत आवश्यक है। जैविक (बायोलाजिकल) आपदाओं के लिए कानून को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। इन आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए देश में इनके प्रवेश स्थलों पर सतर्कता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और प्रयोगशाला सुविधाओं का तुरंत उन्नयन किया जाना भी आवश्यक है।

आपदा की तैयारी के लिए पहले से किए गए प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एनडीएमए अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को कारगर ढंग से निष्पादित करे और अन्य संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रुप से निर्धारित, प्रलेखित, प्रसारित और मानीटर की जाएं।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19

केन्द्र सरकार (सिविल)

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन

- **गृह मंत्रालय**
- **सशस्त्र सीमा बल**

13. **आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय**

गृह मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण मानदंडों के अनुमोदन के पश्चात सशस्त्र सीमा बल द्वारा समयबद्ध तरीके से आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के उपाय शुरु नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरुप 108 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर 5.19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 7.1

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

14. **अनियमित प्रापण**

फील्ड टेलीफोन केबल के प्रापण के दौरान निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में बीएसएफ के असफल रहने के कारण कम से कम 1.45 करोड़ रु. की हानि हुई।

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा सं. 7.2

अनुलग्नक-XIX

(संदर्भः पैरा 15.8.6)

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय से संबंधित हाल ही की और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

क्रम सं.	पैरा संख्या	संक्षिप्त विषय	मंत्रालय/ विभाग की विषय वस्तु	मौजूदा स्थिति
1.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.1	अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरु करने से पूर्व तटीय विनियमन जोन (कोस्टल रेगुलेशन जोन) की अनापत्ति लेने में हुई चूक और अपर्याप्त डिजाइन के परिणामस्वरुप 1.58 करोड़ रुपए का निरर्थक व्यय हुआ और दो समुद्री दीवारों (सी वाल) के निर्माण से 0.31 करोड़ रुपए की अतिरिक्त देयता हो गयी।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा डीजी (लेखा परीक्षा) को पुनरीक्षा के लिए भेजा गया है।
2.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.2	सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं और लागू अधिनियमों तथा राज्य मंत्री (एमओएस), भारत सरकार और नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए, नौवहन सेवा निदेशालय ने दो जलयानों के इंजनों की दोषपूर्ण डिजाइनों का अनुमोदन प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 16.35 करोड़ रुपए का निरर्थक व्यय होने के अतिरिक्त जनसाधारण तीन वर्ष से अधिक समय तक उनकी सेवाओं से वंचित रहा।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
3.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.3	नौवहन सेवा निदेशालय की निष्क्रियता के कारण, जलयान को हुई क्षति की मरम्मत की लागत सहित 3.73 करोड़ रुपए के जुर्माने की राशि प्रबंधक एजेन्ट (मैनिंग एजेन्ट) से वसूल नहीं की जा सकी।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
4.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.4	नौवहन सेवा निदेशालय द्वारा जुर्माना लगाने में निष्क्रियता के कारण, भारतीय नौवहन निगम से 2.18 करोड़ रुपए वसूल नहीं किए गए और इसके अतिरिक्त जनसाधारण द्वीपसमूहों के बीच उचित संयोजकता से वंचित रहा।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
5.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.5	नौवहन सेवा निदेशालय, करारों के अनुसार पूर्ण सक्षमता वाले अधिकारियों और कम योग्यता वाले अधिकारियों के बीच विभेदी वेतन की वसूली करने में असफल रहा, जिसके कारण 78.96 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
6.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.6	नौवहन सेवा निदेशालय द्वारा ठेकेदारों को उन खाद्य सामग्रियों के लिए 58.43 लाख रुपए का अनियमित रुप से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई, जिनकी वास्तव में आपूर्ति नहीं की गई थी।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।

7.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.7	करार की धारा के अनुसार बैंक गारिंटियों का यथासमय नवीकरण कराने में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन की असफलता के कारण पूर्तिकर्ता से 12.21 करोड़ रुपए की राशि की वूसली नहीं की जा सकी।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा डीजी(लेखापरीक्षा) को पुनरीक्षा के लिए भेजा गया है।
8.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.8	दूरसंचार विभाग से वायरलेस आपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) लेने में असफलता के कारण रायल्टी/स्पेक्ट्रम प्रभार पर 1.17 करोड़ रु. व्यय होने के बावजूद 1.52 करोड़ रुपए के मूल्य के राडार ट्रासपोंडर चालू नहीं हो पाए।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
9.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.10	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के पंजीकरण और लाइसेंस प्रदाता प्राधिकरण के कैश काउंटरों से प्राप्त राशि को खजाने में विप्रेषित न करने के कारण 25.68 लाख रुपए की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
10.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.11	पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) और किंग्स XI पंजाब के लिए पुलिस बल की व्यवस्था करने में नियमों का पालन न किए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चण्डीगढ़ द्वारा 8.92 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की जा सकी।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
11.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा संख्या 14.12	भवन और अन्य निर्माण कार्य मजदूरों के लाभ के लिए कल्याण योजनाएं कार्यान्वित न किए जाने के कारण, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्यों से एकत्र किया गया 28.04 करोड़ रुपए का सेस अप्रयुक्त रहा।	यू टी प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।
12.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 5 भारत में आपदा संबंधी तैयारी की जांच गृह मंत्रालय	भारत में आपदा संबंधी तैयारी की जांच आपदा से सामान्य जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। इसके कारण आधारभूत अवसंरचनाओं, जनसंख्या और सरकारी सुविधाओं की बड़ी क्षति हो जाती है। देश में आपदाओं की आवृत्तियों में विशेष वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव होने वाली मौतों और नुकसान के रुप में पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त, बढ़ते हुए शहरीकरण और विकास के कारण मानवकृत आपदाओं की सम्भावनाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। आपदा संबंधी महत्वपूर्ण तैयारी करने, विशेष रुप से ऐसे परिदृश्य में आपदा को कम करने और रोकने के प्रयासों की अवहेलना नहीं की जा सकती है।	डीएम प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।

		इसकी जांच के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि आपदा के लिए तैयारी करने और देश में आपदा के जोखिम को कम करने की आवश्यकता के बारे में जागरुकता बढ़ी है। राष्ट्र–स्तरीय कानून द्वारा बहु–स्तरीय संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है। कार्रवाई संबंधी कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था के प्रबंधों को स्पष्ट रुप से निर्धारित किया गया और विशिष्ट आपदा से निपटने के लिए नोडल एजेन्सियों और विभागों का चयन किया गया। पहले से चेतावनी देने और संचार सिस्टम के संबंध में राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष हैं और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी प्रधान भूमिका है। राष्ट्रीय अधिनियम और नीतियां बनाई गयी हैं। राष्ट्रीय योजना बनाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है। तथापि, अधिनियम लागू होने के 6 वर्षों के बाद भी अब तक आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना को अंतिम रुप नहीं दिया गया। एनडीएमए द्वारा विकसित राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों को नोडल एजेन्सियों तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार और लागू नहीं किया गया है। शीर्ष निकाय के रुप में एनडीएमए ने अपने मार्गनिर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय नहीं किया। एनडीएमए की परियोजना प्रबंधन क्षमता अपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरुप उसकी न्यूनीकरण और सुभेद्यता की कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई। इसके आन्तरिक सिस्टम को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके कार्य नियमों को अभी अंतिम रुप दिया जाना है और जनशक्ति संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाना है। सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख स्कीमों के साथ आपदा संबंधी तैयारी को मुख्यधारा में लाने के महत्वूपर्ण पहलू को अभी एनडीएमए द्वारा शुरू किया जाना है।		

		वित्तपोषण प्रबंधों संबंधी कुछ मुद्दों को गृह मंत्रालय द्वारा सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है। राज्य आपदा कार्रवाई निधि से जिलों को निधियां देने में विलम्ब, राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और कार्रवाई से इतर कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि मंजूर करने में विलम्ब चिंता के कुछ कारण रहे हैं। हमारी राय के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम में यथा परिकल्पित राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विशिष्ट आपदा न्यूनीकरण निधियों की स्थापना करना आपदा न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। किसी विशिष्ट आपदा की स्थिति में की गई कार्रवाई सम्भवतः उक्त आपदा की तैयारी का स्तर जानने की सर्वोत्तम जांच है। हमने आपदा कार्रवाई के प्रयासों की प्रभावकारिता का पता लगाने की जांच की है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की प्रतिक्रिया हमारी जांच का आवश्यक तत्व था। हमने नोट किया कि अब तक यह सुसज्जित, सुप्रशिक्षित विशिष्ट बल के रुप में स्थापित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, हमने यह नोट किया कि इस संबंध में कमियों की पहचान नहीं की गई थी और उपयुक्त जनशक्ति की तैनाती करने, उपकरण और प्रशिक्षण देने के रुप में विशेष रुप से कोई सुधार नहीं किए गए थे। फोर्स स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर को अभी अंतिम रुप दिया जाना और राज्यों को भेजा जाना है। गैर–आपदा घटनाओं के लिए इस बल के विपथन की जांच करने की आवश्यकता है। इस बल में पर्याप्त मानवशक्ति नहीं है और कोई एक नियंत्रण श्रृंखला स्थापित नहीं की गई है।		

		हमने नोट किया है कि आईएमडी, इसरो और अन्य एजेन्सियों ने सुनामी, चक्रवात आदि की पूर्व चेतावनी देने के सिस्टम स्थापित किए हैं। तथापि, हमने पाया कि निगरानी और सभी भागीदारों से समय पर सूचना मिलने की कमी के कारण हितधारियों को आकड़े प्रसारित करने संबंधी अधिकांश परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। बहुत से मामलों में इन परियोजनाओं के लिए खरीदे गए उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं। हमने मानवकृत आपदाओं की तैयारी में भी कमियां पायीं। नोडल मंत्रालयों द्वारा ढांचे तो खड़े कर दिये गए, किन्तु उनके निष्पादनों को बुनियादी स्तर पर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका से अनभिज्ञ है। न्यूक्लीयर और रेडियोलॉजिकल आपदाओं, जंगल की आग और रासायनिक आपदाओं का समेकित प्रलेखन करना और रिपोर्ट तैयार करना बहुत आवश्यक है। जैविक (बायोलॉजिकल) आपदाओं के लिए कानून को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। इन आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए देश में इनके प्रवेश स्थलों पर सतर्कता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और प्रयोगशाला सुविधाओं का तुरंत उन्नयन किया जाना भी आवश्यक है।		
		आपदा की तैयारी के लिए पहले से किए गए प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एनडीएमए अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को कारगर ढंग से निष्पादित करे और अन्य संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रुप से निर्धारित, प्रलेखित, प्रसारित और मानीटर की जाएं।		

वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19				
केन्द्र सरकार (सिविल)				
लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन				
गृह मंत्रालय				
सशस्त्र सीमा बल				
13.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा 7.1	गृह मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण मानदंडों के अनुमोदन के पश्चात सशस्त्र सीमा बल द्वारा समयबद्ध तरीके से आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के उपाय शुरु नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरुप 108 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर 5.19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई।	पुलिस–।। प्रभाग	डीजी लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजी गई कृत कार्रवाई की रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की गई हैं और उसे संशोधन के लिए सशस्त्र सीमा बल को भेजा गया है।
14.	वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 19 का पैरा 7.2	फील्ड टेलीफोन केबल के प्रापण के दौरान निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में बीएसएफ के असफल रहने के कारण कम से कम 1.45 करोड़ रु. की हानि हुई।	पीएम प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।

◆◆◆